दशम माला, खण्ड 29, अंक 15

गुरुवार, 17 मार्च, 1994
26 फाल्गुन, 1915 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

नवां - सत्र

(दसवीं लोक सभा)

(खंड 29 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय सूची

दशम माला, खण्ड 29	नौवां सत्र, 1994 / 1915 (शाक)
अंक 15	गुरुवार, 17 मार्च, 1994 / 26 फाल्गुन, 1915 (शाक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
* तारांकित प्रश्न संख्या :	281 - 284	1 -20
अल्प सूचना प्रश्न संख्या 1 :		20 -26
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
* तारांकित प्रश्न संख्या :	285 - 300	26 - 40
अतारांकित प्रश्न संख्या :	3108 - 3133, 3135 - 3143, 3145 - 3219, 3221 - 3248 3250 - 3310 और 3312 - 3342	40 -205
सभा पटल पर रखे गए पत्र		212 - 216
राज्य सभा से संदेश		217 -218
अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी		
भारत के उच्चतम न्यायालय से प्राप्त नोटिस के बारे में		218
लोक लेखा समिति		
तिरसठवां प्रतिवेदन - प्रस्तुत		218
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति		
अट्ठाईसवां प्रतिवेदन-प्रस्तुत		218
ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित स्थायी समिति		
तीसरा प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश - प्रस्तुत		219
गृह मंत्रालय से संबधित स्थायी समिति		
(एक) सातवां और आठवां प्रतिवेदन-सभा पटल पर रखे गए		219
(दो) साक्ष्य - सभा पटल पर रखा गया		219
विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन मंत्रालय से संबंधित स्थायी समिति		
सातवां प्रतिवेदन-सभा पटल पर रखा गया।		219

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित * चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

जनजातीय क्षेत्रों में सिंचाई के बारे में पूछे गए
तारांकित प्रश्न संख्या 316 के 23 दिसम्बर, 1993
को दिये गये उत्तर में शुद्धि करने वाला एक वक्तव्य

श्री पी.के. थुंगन 220 - 221

लेखानुदान की मांगे (सामान्य), 1994-95

और

अनुदानों की अनुपूरक मांगे (सामान्य), 1993-94 - मतदान 222 - 233

विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1994 -स्वीकृत 233

पुरः स्थापित करने के लिए प्रस्ताव 234

श्री मनमोहन सिंह

विचार करने के लिए प्रस्ताव 234

श्री मनमोहन सिंह

खंड 2 से 4 और 1

पारित करने के लिये विधेयक

श्री मनमोहन सिंह

विनियोग विधेयक, 1994

पुनः स्थापित करने के लिए प्रस्ताव 235

श्री मनमोहन सिंह

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री मनमोहन सिंह 235

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी 235

श्री नीतिश कुमार 235

श्री राम नाईक 236

खंड 2 और 3 और 1

पारित करने के लिए प्रस्ताव

श्री मनमोहन सिंह 237

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) अनुसूचित क्षेत्रों में देशी शराब पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए राज्यों को निदेश जारी करने की आवश्यकता 238

श्री के. प्रधानी

(दो) देश में आग दुर्घटना का शिकार होने वाले लोगों को भारतीय साधारण बीमा निगम द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि में वृद्धि करने की आवश्यकता 239

डा. विश्वनाथ कैनिथी

(तीन) लखनऊ स्थित डा. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य शुरू करने की आवश्यकता 239

श्री राम निहोर राय

(चार) गढ़वाल क्षेत्र में पर्यटक स्थलों के विकास हेतु उत्तर प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी देने तथा इसके लिये धनराशि उपलब्ध कराने की आवश्यकता 239

श्री मानवेंद्र शाह

(पांच) उत्तर प्रदेश में शाहबाद टेलीफोन एक्सचेंज को इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज में बदलने तथा एस.टी.डी. सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता 240

श्री सुरेन्द्र पाल पाठक

(छः) बिहार में मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी के बीच रेल लाइन बिछाने की आवश्यकता 240

श्री नवल किशोर राय

(सात) पारंपरिक मुछआरों के लिए एक केन्द्रीय कल्याण योजना तैयार करने की आवश्यकता 240

श्री थाइल जॉन अंजलोस

(आठ) गोवा स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले सभी व्यक्तियों के पेंशन दावों की संवीक्षा करने हेतु एक विशेष जांच समिति, गठित करने की आवश्यकता 240

श्री चित्त बसु

(नौ) कालीकट विश्वविद्यालय में एक दृश्य-श्रव्य अनुसंधान केन्द्र की स्थापना करने की आवश्यकता 240

श्री ई. अहमद

बैंककारी विनियमन (संशोधन) अध्यादेश के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प

और

बैंककारी विनियमन (संशोधन) विधेयक राज्य सभा द्वारा यथा पारित 242 -321

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री राजबीर सिंह 242

कुमारी ममता बनर्जी 244

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी 246

श्री ब्रह्मान्द मंडल	255
श्री कोडीकुन्नील सुरेश	257
श्री कं. वेंकटगिरि गौड़	258
प्रो. सुशान्त चक्रवर्ती	260
श्री मुमताज अंसारी	263
श्री पी.सी. चाक्को	265
श्री चेतन पी. एस. चौहान	271
श्री तेज नारायण सिंह	278
श्री पृथ्वीराज डी. चव्हाण	280
प्रो. उम्मारेड्डि बेंकटेस्वरलु	284
श्री चित्त बसु	286
श्री ए. चार्ल्स	288
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	291
श्री आर. जीवरत्नम	292
श्री राम कापसे	295
श्री राम कृपाल यादव	296
डा. वसन्त पवार	297
श्री विश्वनाथ शास्त्री	299
श्री सैयद शहाबुद्दीन	300
श्री शिवराज सिंह चौहान	302
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव	304
श्री ऑस्कार फर्नान्डीज	305
डा. अबरार अहमद	308

बैंककारी विनियमन (संशोधन) अध्यादेश के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प - अस्वीकृत 321 -332

बैंककारी विनियमन (संशोधन) विधेयक 321

राज्य सभा द्वारा यथा पारित विचार करने के लिए प्रस्ताव

खंड 2 से 11 और 1 321

पारित करने के लिए प्रस्ताव

डा. अबरार अहमद	325
श्री भोगेन्द्र झा	326

लोक सभा

गुरुवार, 17 मार्च, 1994 / 26 फाल्गुन , 1915 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति

***281. श्रीमती सरोज दुबे : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के प्रारुप को अंतिम रुप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसे कब तक अन्तिम रुप दे दिया जायेगा ?

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) से (ग) : एक विशेषज्ञ दल द्वारा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति तैयार की जा रही है, जिसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

[हिन्दी]

श्रीमती सरोज दुबे : अध्यक्ष महोदय, प्रति वर्ष अनियंत्रित गति से बढ़ती हुई जनसंख्या हमारे सभी विकास कार्यों को निगलती चली जा रही है। यह इतनी ज्वलन्त समस्या से सम्बन्धित प्रश्न था, लेकिन इसका उत्तर हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने बड़ी ही लापरवाही से दिया है। इस प्रारुप को अंतिम रुप देने के लिए ये कोई निश्चित समय नहीं बताए, तो कम से कम इनको कोई अनुमानित समय तो बताना चाहिए था क्योंकि इससे देश का विकास जुड़ा हुआ है। दुर्भाग्य यह है कि इतनी विकट और गंभीर समस्या के प्रति राजनीतिक दलों की उदासीनता तथा बड़े राजनीतिक दलों द्वारा ध्यान नहीं दिया जाना, वोट की राजनीति प्रतीत होता है या अपातकाल में परिवार कल्याण कार्यक्रम में जो ज्यादतियां हुई हैं उसकी वजह से उदासीनता है। इसलिए मैं सरकार से जानना

चाहती हूँ कि सरकार पूर्वाग्रह के कारण जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों को बहुत निष्ठा और प्रभावशाली ढंग से नहीं कर पा रही है, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार जनसंख्या नियंत्रण आयोग बनाने पर विचार कर रही है, जो स्वायत्तशासी स्वरुप का हो और जो राजनीतिक दबाव से परे होकर और बिना जाति तथा धर्म के भेद के कार्य कर सके, क्या कोई ऐसा आयोग बनाने पर सरकार विचार करेगी ?

[अनुवाद]

श्री पवन सिंह घाटोवार : महोदय, हमारे दल ने जनसंख्या की समस्या को सदैव एक राष्ट्रीय समस्या के रुप में लिया है। कांग्रेस ने इस नीति के मामले में कभी राजनीति करने का प्रयास नहीं किया। महोदय, सदस्य यह भलीभांति जानते हैं कि इस मामले में राजनीति कौन कर रहा है। इस मामले पर राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक में भी चर्चा हुई थी। एक समिति बनाई गई थी जिसके सभापति केरल के मुख्यमंत्री श्री करूणाकरन थे तथा मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान और तमिलनाडु के वर्तमान मुख्य मंत्री समिति के सदस्य थे। समिति ने 14 नवम्बर, 1992 को अपनी रिपोर्ट दे दी थी तथा उस रिपोर्ट को राष्ट्रीय विकास परिषद् की 18 सितम्बर, 1992 की बैठक में मंजूरी दे दी गई थी। उसके बाद सरकार ने प्रख्यात वैज्ञानिक डा. एम. एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। सरकार इस देश की जनसंख्या नीति के बारे में बहुत गंभीरतापूर्वक कार्य कर रही है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप कोई आयोग बनाने जा रहे हैं ?

[हिन्दी]

श्रीमती सरोज दुबे : अध्यक्ष महोदय, कमीशन के बारे में इन्होंने नहीं बताया है।

[अनुवाद]

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि सभा जनसंख्या की भंयकर समस्या के बारे में इतना अधिक चिन्तित है।

अध्यक्ष महोदय : देश के समक्ष यह एक वास्तविक समस्या है।

श्री बी. शंकरानन्द : वास्तव में, लगभग 10 वर्ष पूर्व, 1993 में जब राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति बनायी गई थी तथा संसद में इसे स्वीकृत किया गया था, तब एक जनसंख्या नीति बनाने के बारे में उल्लेख किया गया था। पिछले 10 वर्षों के अनुभव ने यह बता दिया है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति अलग से होनी चाहिए। इसके लिए, जैसा कि मेरे साथी ने पहले कहा है राष्ट्रीय विकास परिषद् ने स्वयं इस पहलू पर विचार किया तथा उसने एक समिति बनायी। इस समिति ने जनसंख्या की समस्या के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया तथा उसने सिफारिशों सहित अपनी रिपोर्ट दी। अब इस जनसंख्या नीति को तैयार करने के लिए हमने एक समिति नियुक्त की है और हम इस समिति की सिफारिशों को आधार बनाएंगे और तब इस मामले पर विचार करेंगे।

[हिन्दी]

श्रीमती सरोज दुबे : अध्यक्ष महोदय, मेरी बात का जवाब नहीं मिला है लेकिन में दूसरा सवाल पूछना

चाहती हूँ कि परिवार नियोजन की पूरी जिम्मेवारी महिलाओं पर डाल दी गई है। इसके माध्यम से महिलाओं पर अत्याचार होना शुरु हो गया है। मैटरनिटी बैनीफिट एक्ट में संशोधन किया जा रहा है तीसरा बच्चे के होने पर महिलाओं को मातृत्व लाभ और उसकी तमाम सुविधाओं से वंचित कर दिया जायेगा। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि क्या कोई सर्वेक्षण कराया गया है क्योंकि शहर में और संगठित क्षेत्रों में बहुत कम महिलायें हैं यानि कि 3.7 प्रतिशत ही है। क्या इससे पापुलेशन कंट्रोल करके बहुत बड़ी नीति अपनायी जा सकती है और क्या इसमें कोई फायदा मिलेगा ? दूसरा अत्याचार महिलाओं पर यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो कामकाजी महिलायें हैं, उनके ऊपर परिवार कल्याण लागू करने के लिए अमरीका के माध्यम से परियोजना लागू की गई है. .... **(व्यवधान)**

|अनुवाद|

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है ? इस प्रकार नहीं चल सकता है। मुझे 105 सदस्यों से पत्र मिले हैं।

|हिन्दी|

श्रीमती सरोज दुबे : मंत्री जी से मैं यह जानना चाहती हूँ कि क्या विकसित देशों द्वारा ठुकरायी गई गर्भ निरोधक नारप्लाट-1, नारप्लाट-11 और डेपो प्रोवेरा को अपने यहां लागू करने जा रहे है ? क्या यह महिलाओं पर अत्याचार नहीं है ? यह साझा जिम्मेदारी है। इसलिये आप ऐसी योजना लायें जिससे स्त्री और पुरूष दोनों पर नियंत्रण हो। महिलाओं के प्रति सहानुभूतिपूर्वक रवैया अपनाया जाना चाहिये, दोनों को जिम्मेदार ठहराना चाहिए और दोनों के सम्बन्ध में एक नियम लाना चाहिये जिससे जनसंख्या नियंत्रण का काम प्रभावशाली ढंग से लागू हो सके।

|अनुवाद|

श्री पवन सिंह घाटोवार : महोदय, दुर्भाग्यवश बहुत कम तरीके ऐसे हैं जो पुरूष प्रयोग करते हैं क्योंकि उनमें से अधिकांश स्त्रियों से सम्बन्धित हैं। सारे विश्व में उन तरीकों पर अध्ययन हो रहे हैं। जो पुरूषों पर भी लाए हों।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, क्या आप यह जानते हैं कि आपका उत्तर पुरूषों के पक्ष में सम्मान लिए हुए है।

श्री पवन सिंह घाटोवार : महोदय, यह वैज्ञानिक निष्कर्ष है और वे भी इसके बारे में जानते हैं। नारप्लाट या अन्य चीजों जिसका माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है हमारे राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम में शामिल नहीं हैं।

श्री अंकुशराव टोपे : जन्म दर कम करने के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए अधिकांश स्वैच्छिक उपायों से वांछित परिणाम नहीं प्राप्त हुए हैं। इसलिए आपके जरिए मैं माननीय मंत्री जी से संगठित क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए परिवार नियोजन अनिवार्य बनाने तथा असंगठित क्षेत्र के व्यक्तियों को विशिष्ट तथा उच्च प्रोत्साहन देने के लिए उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदमों के बारे में जानना चाहता हूँ ताकि जनसंख्या बम को फटने से रोका जा

सके।

श्री पवन सिंह घाटोवार : महोदय, यह सत्य है कि परिवार कल्याण कार्यक्रम के सम्बन्ध में वांछित लक्ष्य को हम निश्चित रुप से प्राप्त नहीं कर सके हैं। यह कारण है कि सरकार इस मामले पर राष्ट्रीय विकास परिषद् में पहले ही चर्चा कर चुकी है, तथा जनसंख्या पर राष्ट्रीय नीति का तैयार करने के लिए डा. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में एक विशिष्ट समिति की नियुक्ति की है। समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् सरकार इसकी सिफारिशों पर कार्यवाही करेगी।

श्री बी. शंकरानन्द : माननीय सदस्य ने परिवार नियोजन का अनिवार्य बनाने के बारे में कहा है। इसे अनिवार्य नहीं बनाया जा रहा है। इसे पूर्णतया स्वैच्छिक ही रखा जा रहा है।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : उत्तर में यह बताया गया है कि स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है तथापि जहां तक मेरी जानकारी है कि इस ग्रीष्मकाल में काहिरा में जनसंख्या पर एक विश्व बैठक होने जा रही है और इस बैठक में भारत जनसंख्या नीति के सम्बन्ध में सकारात्मक रुख अपनाएगा। जब तक समिति की रिपोद्ट पर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा न हो जाए और समिति की सिफारिशों के सम्बन्ध में राय जानने के लिए जब तक रिपोर्ट संसद सदस्यों को न दी जाए, तब तक सरकार राष्ट्रीय जनसख्या नीति से सम्बन्धित निष्कर्ष या प्रस्ताव काहिरा बैठक कैसे प्रस्तुत कर सकती है ?

श्री बी. शंकरानन्द : यह सही है कि अगले कुछ महीनों में जनसख्या समस्या पर चर्चा करने के लिए काहिवा में एक विश्व बैठक होने जा रही है और भारत इसमें भाग लेगा। कुछ महीने पूर्व गुट-निरपेक्ष देशों का एक सम्मलेन काहिरा में प्रस्तावित जनसंख्या बैठक में प्रारंभिक पहलुओं पर चर्चा करने के लिए बाली, इंडोनेशया में हुई थी। हमारे इस पहलू पर निश्चित विचार है। हम जनसंख्या वृद्धि को नियमित करना और उस पर नियंत्रण करना चाहते हैं। परन्तु हमारा यह भी विचार है कि नियंत्रक उपाय पूर्णतया स्वैच्छिक होने चाहिए.

....

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : सरकार ने संसद में चर्चा नहीं करवाई है।

श्री बी. शंकरानन्द : मैं इसी बात पर आ रहा हूँ। कृपया थोड़ा धीरज रखें। यह सुझाव है कि हमारे द्वारा नियुक्त समिति जो रिपोर्ट देने जा रही है वह संसद सदस्यों को उपलब्ध करायी जाए और इस पर चर्चा की जानी चाहिए ताकि सरकार और सम्पूर्ण देश इस मामले पर अपने विचार रख सकें। मैं केवल यही कह सकता हूँ कि इस सुझाव पर कार्यवाही होगी।

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सम्भवत: सभा चाहती है सरकार द्वारा उसे विश्वास में लिया जाना चाहिए।

श्री बी. शंकरानन्द : मैं वायदा करता हूं कि सभा को विश्वास में लिया जाएगा। इस मामले में हमें सभा के सभी पक्षों के समर्थन की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है। अब आपका उत्तर पूरा हो गया।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि हमारे देश के निर्धनतम् व्यक्ति तक

विकास के लाभ पहुंचने के रास्ते में जनसंख्या वृद्धि एक बाधा है और केरल और गोवा की तरह तमिलनाडु के वर्तमान उत्साहवर्धक परिणामों को देखते हुए क्या सरकार जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए प्रभावशाली उपाय करने हेतु, मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच सुस्पष्ट समन्वय करने के लिए ठोस उपाय करेगी ? मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि क्या इस सम्बन्ध में तमिलनाडु के अनुभव का विश्लेषण करने तथा उससे सीख लने के लिए गंभीरतापूर्वक प्रयास किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : वे इसी लिए तो राष्ट्रीय विकास परिषद् में गए थे।

श्री बी. शंकरानन्द : महोदय, जनसंख्या नियंत्रण एक ऐसा कार्य है जो अकेले स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा नहीं किया जा सकता है। इसके लिए शिक्षा मंत्रालय, कल्याण मंत्रालय स्वास्थ्य मंत्रालय जैसे विकासात्मक मंत्रालकों द्वारा एकीकृत प्रयास करने होंगे तथा सम्पूर्ण विकास से सम्बन्धित सभी पहलुओं पर समस्त रुप से विचार किया जाना चाहिए। यह मूलभूत तथ्य है कि निर्धनता आबादी को जन्म देती है। जनसंख्या वृद्धि के लिए केवल आर्थिक पिछड़ापन ही उत्तरदायी नहीं है। अन्य सामाजिक कारक हैं जो इस समस्या के सहयोगी कारक हैं। यह विशेषकर हमारे देश के लिए सत्य है जो जाति और धर्म के नाम पर बंटा हुआ है। इसलिए, सामाजिक एकता भी बुनियादी प्रश्न है। एकीकृत प्रयास केवल निर्धनों की आर्थिक दशा में सुधार लाने के लिए ही नहीं करना होगा बल्कि सभी सम्बन्धित सामाजिक पहलुओं में भी सुधार लाने के लिए करना होगा। एकीकृत सामाजिक और आर्थिक प्रयास को आवश्यकता है।

डा. वसन्त पवार : जन्मदर के सम्बन्ध में हमारा लक्ष्य सन् 2000 ई. तक इस प्रतिहजार 29.3 की वर्तमान दर को कम करके प्रतिहजार 21 पर लाना है। इसके साथ-साथ शिशु मृत्युदर को 70 प्रति हजार तक लाना है जो इस समय 80 प्रति हजार है।

मेरा मुद्दा यह है कि परिवार नियोजन के लिए अपनायी हाने वाली तकनीकी अर्थात नलबन्दी और नसबन्दी अविश्वसनीय तकनीकें है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार आने वाली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में परिवार नियोजन की विश्वसनीय तकनीकों के लिए अनुसंधान को बढ़ावा देगी।

श्री बी. शंकरानन्द : महोदय, नए गर्भ निरोधकों को पता लगाने के सम्बन्ध में अनुसंधान किया गया है और किया जा रहा है। हम कोई नया गर्भनिरोधक तब तक लाना नहीं चाहते हैं जब तक वह महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक सिद्ध न हो तथा लोगों को स्वीकार्य न हो।

श्री चेतन पी. एस. चौहान : अध्यक्ष महोदय, मुझे प्रधान मंत्री जी का यह कथन अभी तक याद है कि वह जनसंख्या की समस्या पर सभी दलों की एक बैठक बुलाएंगे। मेरे विचार में वह बैठक बुलाई नहीं गई है। परिवार नियोजन राज्य सरकारों का कार्यक्रम है। मैं यह जानना चाहता हूं कि राज्य सरकारों द्वारा कितना धन खर्च किया गया है और राज्य सरकारों को कितने धन की प्रतिपूर्ति नहीं की गई है। मुझे याद है कि उत्तर प्रदेश में यह समस्या बहुत भयावह है। वहां राज्य सरकार ने परिवार नियोजन पर बहुत अधिक धन खर्च किया है परन्तु केन्द्र सरकार द्वारा इस राशि की प्रतिपूर्ति नहीं की गई है। दूसरे, मैं यह जानना चाहूंगा कि ऐसे कितने राज्य है जिन्हें इस कार्यक्रम के अन्तर्गत खर्च की गई राशि की प्रतिपूर्ति केन्द्र सरकारी द्वारा नहीं की गई है।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न राष्ट्रीय नीति के सम्बन्ध में है। मुझे पता नहीं है कि मंत्री जी को इसकी

जानकारी है या नहीं। आप इसे माननीय सदस्य को लिखित में भेज सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक छोटा सा सवाल है कि इन नीतियों की वजह से आबादी कंट्रोल करने के सिलसिले में कई राज्यों में आबादी इंबैलेंस हो रही है, यानि महिलाओं की, बच्चों की आबादी कम हो रही है और पुरूषों की आबादी बढ़ रही है। क्योंकि हिन्दी परिवार में खास तौर पर लड़कों के बारे में ज्यादा एट्रेक्शन है तो ऐसा नहीं कि ये मामला और ज्यादा बढ़ जाए इस सिलसिले में क्या सरकार कुछ सोचती है कि कैसे बैलेंस रखा जा सकता है और आबादी को भी कंट्रोल किया जा सकता है ?

[अनुवाद]

श्री बी. शंकरानाथ : महोदय यह सच है कि प्रत्येक राज्य के जनसंख्या अनुपात में अंतर है। यह भी सही है कि एक विशेष राज्य में यह अंतर क्षेत्रों में अलग-अलग है। जैसा कि माननीय सदस्य ने स्वयं कहा है अंतर इसलिए है कि हमारा एक पुरूष प्रधान समाज है। भारत में हमारे परिवारों में लड़कों के लिए ज्यादा लगाव है। पुरूषों की जनसंख्या बढ़ने के अनेक कारण हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ लोग यह महसूस करते हैं कि'उन्हें एक लड़का होना चाहिए ताकि परिवार के भरण-पोषण के लिए उन्हें एक काम करने वाला मिले। आय इसका मूल कारण है। अतः इसके अनेक पहलू हैं। परन्तु यह एक अच्छा सुझाव है और मैं समझता हूं कि जब इस मामले पर चर्चा की जाएगी समिति और संसद इस पर विचार करेगी।

है तो ऐसा न हो कि ये मामला और ज्यादा बढ़ जाए, इस सिलसिले में क्या सरकार कुछ सोचती है कि कैसे बैलेंस रखा जा सकता है और आबादी को भी कंट्रोल किया जा सकता है ?

[हिन्दी]

श्रीमती शीला गौतम : माननीय अध्यक्ष जी, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूँ कि बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए क्या जीरो ईयर के लिए इन्होने कोई विचार किया है जिस प्रकार से एक बार चाइना ने किया था ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने कोई संचय सीमा निर्धारित की है, जिसमें जनसंख्या वृद्धि शून्य है।

श्री बी. शंकरानन्द : महोदय मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि हम चीन नहीं हैं;

[हिन्दी]

श्रीमती गिरिजा देवी : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी की इस बात से सहमत हूँ कि इसमें कई विभागों का मानव संसाधन और वेलफेयर सब का समन्वय होना चाहिए, लेकिन स्वास्थ्य विभाग इस बारे में जो कुछ कर रहा है वह यह है कि जहां जनसंख्या का विस्फोट है वहां इसके बारे में जो कुछ न करके, जहां जनसंख्या का विस्फोट नहीं है, वहां कर रहा है। वहां टीवी पर प्रोग्राम देता है। इस प्रकार ये सारा पैसा रद्दी की टोकरी में डाल रहा है...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : वे बता रहे हैं कि कितनी पापुलेशन बढ़ रही है, आप ऐसे मत बोलिए।

(व्यवधान)

श्रीमती गिरिजा देवी : मैं यह कहना चाहती हूँ कि देहात में झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले जो गरीब अनपढ़ लोग हैं वहां पर आप कोई ऐसी कार्यवाही करने जा रहे हैं कि जनसंख्या रोकने के जो कारगर उपाय हैं वे उन गरीब अनपढ़ लोगों को मुहैया हो सके।

|अनुवाद|

श्री बी. शंकरानन्द : यह एक अच्छा सुझाव है।

डा. कार्तिकेश्वर पात्र : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इस देश के विवाह योग्य आयु को बढ़ाने के लिए कोई कानून बनाने के बारे में सोच रही है, अनेक देशों ने विवाह योग्य आयु को 25 से बढ़ाकर 30 वर्ष कर दिया है। मैं समझता हूँ कि जनसंख्या नियंत्रण का यह मुख्य उपाय है।

अध्यक्ष महोदय : यह उस नीति पर निर्भर करता है जो वे बना रहे हैं।

|हिन्दी|

डा. महादीपक सिंह शाक्य : अध्यक्ष महोदय, परिवार नियोजन का मामला देश की एक बड़ी समस्या है, इसमें कोई शक नहीं है और सरकार ने इसके लिए नीतियां बनाई हैं, स्वास्थ्य सेवाओं के जरिए भी काम हो रहा है। मैं संक्षेप में सिर्फ इतना ही जानना चाहता हूँ कि क्या नैतिकता के सिद्धांतों के आधार पर जनसंख्या के विस्तार को रोकने लिए उपाय किए जाएंगे ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो पालिसी में आएगा।

श्री मोहन रावले : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने कहा है कि इसमें राजनीति नहीं लाएंगे, इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। सरकार द्वारा बनाई गई नीति सभी लोगों पर, बिना जाति, धर्म का विचार किए लागू हो और न मानने वालों को प्राप्त इंसेंटिव रोक दिए जाएं, तभी वह नीति सफल हो सकती है। क्या इस बारे में सरकार कुछ सुनिश्चित करने जा रही है ?

|अनुवाद|

श्री बी. शंकरानन्द : सदस्य ने परिवार नियोजन के मामले में प्रोत्साहन और अनुत्साहन का प्रश्न उठाया है, समिति इस विषय पर भी विचार कर रही है। हम इस पर समुचित विचार करेंगे।

|हिन्दी|

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, पापूलेशन कंट्रोल के मामले में सरकार से देश को कोई उम्मीद नहीं है।.................................... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : जो शीशे के घर में रहते हैं, उन्हे दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री नीतिश कुमार : अध्यक्ष महोदय, जिस सरकार के मुखिया का विश्वास परिवार नियोजन में न हो, उस सरकार से परिवार नियोजन की किसी ठोस नीति की उम्मीद नहीं है और शायद प्रधान मंत्री जी इसी झेंप के कारण इस समस्या पर गंभीर नहीं दिख रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यह बिल राज्य सभा मे इंट्रोड्यूज किया गया था कि राजनीतिक दल टिकट देते समय या महत्वपूर्ण पद देते समय यह ख्याल रखेंगे कि संबद्ध व्यक्ति की आस्था परिवार नियोजन में है और उनके दो से अधिक बच्चे नहीं हैं। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस विषय में गंभीर है और क्या बिल में दिए गए प्रावधानों को भूतलक्षित प्रभाव से लागू करने पर विचार किया जाएगा ?

[अनुवाद]

श्री पवन सिंह घाटोवार : महोदय, जनसंख्या की समस्या को हल करने के प्रति हमारे प्रधान मंत्री काफी गंभीर हैं। यह समिति उनकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय विकास परिषद् में गठित की गई थी, देश के सभी मुख्य मंत्री इसके सदस्य हैं।

79वें संविधान (संशोधन) विधेयक जिसे राज्य सभा में पुनःस्थापित किया गया था उसे प्रवर समिति को भेजा गया था और अब यह स्थायी समिति के समक्ष है।

जल संसाधन

***282. श्री भीम सिंह पटेल :**

श्री राधे राय :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सूखा प्रवण क्षेत्रों में जल संसाधनों के समन्वित विकास के लिए कोई व्यापक मास्टर-प्लान तैयार करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या लागत अधिक होने के कारण बड़े और छोटे बांधों के माध्यम से जल संसाधनों का उपयोग करने की वर्तमान व्यवस्था ठीक से काम नहीं कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा कौन से वैकल्पिक कम लागत वाले तरीकों को सिंचाई संसाधनों के रुप में अपनाने के लिये विचार किया जा रहा है।

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) और (ख) : राज्य सरकारों को सूखा प्रवण क्षेत्रों में उप-बेसिन स्तर पर जल संसाधन विकास के लिए मास्टर योजनाएं तैयार करने हेतु बहुविषयक यूनिटों की स्थापना करने की सलाह दी गई है। उन्हें एकीकृत जल विकास हेतु दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए अपने-अपने राज्यों में समिति गठित करने का भी अनुरोध किया गया है।

(ग) सिंचाई परियोजनाओं जिनमें वृहद और माइक्रो बांध शामिल हैं, को उनकी तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता का पला लगाने के बाद ही शुरु किया जाता है।

(घ) सतही जल और भूतल विकास के अन्य तरीकों को भी बांधों के पूरक के रुप में शुरु किया जाता है न कि उनके विकल्प के रुप में।

[हिन्दी]

श्री भीम सिंह पटेल : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न सूखा-प्रवण क्षेत्रों में जल संसाधनों के समन्वित विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार करने से संबंधित था। इन्होंने जवाब दिया है मास्टर योजनाएं तैयार करने हेतु बहुविषयक यूनिटों की स्थापना करने की सलाह दी गई है और प्रत्येक राज्य में अलग-अलग समितियां गठित करने की सलाह दी गई है तथा मध्य प्रदेश और बिहार जैसे क्षेत्रों के लिए वृहद सिंचाई परियोजना नहीं मिल रही है ..... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, इसलिए सलाह दी है।

श्री भीम सिंह पटेल : समिति निर्मित हो गई है और उन्होंने सरकार को सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए कौन सी सलाह दी है ?

[अनुवाद]

श्री पी. के. थुंगन : महोदय राष्ट्रीय जल नीति की सिफारिशों के अनुसार 30 जुलाई, 1991 को राष्ट्रीय बोर्ड की बैठक आयोजित की गई थी और उसमें यह निर्णय लिया गया कि राज्यों को सूखा प्रवण बेसिन के लिए मास्टर योजना तैयार करने की सलाह दी जाए। तदनुसार राज्य सरकारों को सलाह दी गई है। अब तक हमें सिर्फ आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा ओर कर्नाटक सरकार की ही प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। उन्होंने अपने बेसिनों के लिए मास्टर प्लान तैयार किया है। शेष राज्यों ने अब तक कोई सूचना नहीं दी है जैसा कि आपने ठीक ही ध्यान दिलाया है कि जल राज्य संबंधी विषय होने के कारण हम उन्हें सिर्फ सलाह ही दे सकते हैं और सिर्फ उनका मार्ग-दर्शन कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री भीम सिंह पटेल : अध्यक्ष महोदय, यह नहीं बताया गया कि राज्य की रिपोर्ट आने के बाद कोई कार्य योजना तैयार की है क्या ? पिछले सत्र में मंत्री जी ने बताया था कि धन की कमी के कारण वृहद सिंचाई परियोजनाएं पूरी नहीं हो रही हैं। रिपोर्ट आने के बाद जो कार्य-निष्पादन पद्धति एडाप्ट की है, तो वह दोषपूर्ण है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं तो वहां पर बाण सागर परियोजना का पचास फीसदी पैसा भ्रष्टाचार में चला जाता है। 1978 में इसको शुरु किया गया था और पांच वर्ष का टारगेट था और 125 करोड़ रुपया दिया था जबकि 600 करोड़ रुपया इसमें खर्च हो चुका है और 15 वर्ष बीत चुके हैं........ **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके प्रश्न की अनुमति नहीं दूंगा।

[हिन्दी]

श्री भीम सिंह पटेल : वहां पांच हजार श्रमिक काम करते हैं और चार करोड़ रुपये प्रतिवर्ष खर्च होता है। आप कोई संसदीय समिति गठित करेंगे, जिससे बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को रोका जा सके और समय पर कार्य हो सके।

श्री पी. के. थुंगन : अध्यक्ष महोदय, जहां तक भ्रष्टचार का सवाल है, तो इसकी राज्य सरकार जांच करेगी और देखेगी।

[अनुवाद]

डा. बी. जी. जावाली : मेरा प्रश्न मुख्य प्रश्न के भाग (ग) ''क्या लागत अधिक होने के कारण बड़े और छोटे बांधों के माध्यम से जल संसाधन का उपयोग करने की वर्तमान व्यवस्था ठीक से काम नहीं कर रही है'' से सम्बन्धित है। इसके उत्तर में ''हां अथवा नहीं'' नहीं कहा गया है। परियोजना 20 वर्ष पहले शुरु की गई थी, वह कहते हैं कि वे सिर्फ उसकी तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता का पता लगा रहे हैं। इसका मतलब है कि इसका पता लगा लिया गया है। यदि ऐसी बात है तो क्या राज्य सरकार हस्तक्षेप कर सकती है और पता लगा सकती है कि किस कारण से इस परियोजना में विलंब हो रहा है जिसकी लागत बढ़ती जा रही है। 150 करोड़ रु. लागत की परियोजना पर 1090 करोड़ रु. खर्च किए जा चुके हैं और परियोजना अब तक पूरी नहीं हुई है। क्या केन्द्रीय सरकार हस्तक्षेप कर सकती है और देख सकती है कि क्या कुछ किया जा सकता है।

श्री पी. के. थुंगन : मैं सदस्य की चिन्ता को समझ सकता हूं। विलम्ब के कारण लागत वृद्धि का पहलू एक काफी गंभीर मामला हैं। परियोजना तैयार करते समय आर्थिक व्यवहार्यता देखी जाती है और उसके बाद राज्य सरकारों और जल संसाधन मंत्रालय के बीच समय-समय पर समीक्षा बैठक होती है-जब कभी भी जरूरत हो केन्द्र सरकार भी सहायता करती है और इस बैठक में लागत वृद्धि पहलू पर ध्यान दिया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न लागत प्रभावी प्रक्रिया का है। क्या किसी लगत प्रभावी प्रक्रिया का पता लगाया जाना संभव है।

श्री पी. के. थुंगन : समीक्षा बैठक से मेरा तात्पर्य वही है, क्योंकि तकनीकी आर्थिक लागत प्रभावकारिता की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। गणना किए जाने और परियोजना की स्वीकृति के पश्चात् सिवाय समीक्षा के कुछ और नहीं किया जाता तथा अधिक प्रभावी उपाय किए जाते हैं ताकि विलम्ब न हो तथा प्रशासन और क्रियान्वयन करने वाले अधिकारियों से कार्यनिष्पादन में कोई लापरवाही न हो।

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह चौहान : सूखा पीड़ित क्षेत्रों में कम बरसात होने के कारण भू-जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है।पानी का स्तर ऊंचा करने के लिए क्या सरकार कोई कार्यवाही कर रही है ?

[अनुवाद]

श्री पी. के. थुगन : सूखा प्रवण क्षेत्र में जल स्तर संतोषप्रद नहीं है परन्तु यह जगह-जगह पर भिन्न है,

परन्तु यह स्थिति उतनी गंभीर नहीं है जितना सदस्य सोचते हैं क्योंकि फिलहाल सूखा प्रवण क्षेत्र में सिर्फ 31 प्रतिशत भूमिगत जल ही निकाला गया है। अतः अभी और अधिक भूमिगत जल निकाला जा सकता है। ... .**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि आपको विशेषज्ञों से अपने विवरण की जांच करवा लेनी चाहिए।

श्री पी.के. थुगन : मेरे पास एक सूची है, मैं इसे पढ़ सकता हूं।

श्री राम कृष्ण कोंताला : मेरा प्रश्न मुख्य प्रश्न के भाग (घ) से संबंधित है। सरकार द्वारा कौन से वैकल्पिक कम लागत वाले तरीकों को सिंचाई संसाधनों के रुप में अपनाने के लिए विचार किया जा रहा है ? चूंकि किसी भी समाज के विकास के लिए जलश्रोत मुख्य अवयव हैं। हम देश के प्रमुख उत्पादों का विकास कर सकते हैं। रोजगार बढ़ा सकते हैं और देश की आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकते हैं।

दूसरी बात जल सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति में प्रभावी जल प्रबंधन की परिकल्पना की गई है और ब्रेहतर जल प्रबंधन के लिए संरक्षण आवश्यक है। दुर्भाग्यवश इस देश में जल स्तर प्रत्येक वर्ष गिरता जा रहा है परन्तु अब्र तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।

मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह कृपया हमें बताएं कि क्या सरकार सिंचाई परियोजनाओं को बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाओं को उपयोग का दर्ज देने पर विचार कर रही है। हमारे यहां बिजली की भी कमी है और आठवीं योजना में हम 30000 मेगावाट बिजली उत्पादन करना चाह रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : सिंचाई काफी मंहगी हो जाएगी।

श्री राम कृष्ण कोंताला : नहीं महोदय, मेरा प्रश्न ही भिन्न है। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश में पोलवरम बहु-उद्देशीय योजना है जो विद्युत उत्पादन सिंचाई और नौवहन के लिए है। इस परियोजना से लगभग 70 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जानी है। इस भूमि के लिए दिए जाने वाले पानी पर आप जल-कर ले सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है? मुझे खेद है आपको मैंने मौका दिया और आप उसका दुरुपयोग कर रहे हैं।

श्री राम कृष्ण कोंताला : सरकार की नई आर्थिक नीति को मद्देनजर इस नए दर्शन के तहत क्या आप सिंचाई को औद्योगिक दर्जा नहीं दे सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : संक्षेप में प्रश्न यह है कि क्या आप सिंचाई को उद्योग मान रहे हैं?

श्री पी. के. थुंगन : वास्तव में नई आर्थिक नीति के अनुसरण में हमारी एक नीति है जिसमें अनिवासी भारतीय भी सिंचाई परियोजनाओं में निवेश कर सकते हैं, यदि मैं सही हूं तो सदस्य यह जानना चाहते हैं कि कितनी प्रमुख और मध्यम परियोजनाएं शुरु की जा रही हैं।

मैं उन्हें आंकड़े देना चाहूंगा कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में हमारे पास 158 प्रमुख और 226 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं थीं विस्तार और जीर्णोद्धार की 29 परियोजनाएं थीं।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, क्या मैं इसे आसान कर दूं ? क्या आप सिंचाई को भी वे ही सुविधाएं

देंगे जो आप उद्योग को देने जा रहे हैं ? कुछ बात यही है।

श्री पी. के. थुंगन : महोदय, यह एक सुझाव है।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि शायद इसे आप अधिक सुविधा दे रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण इलाकों में खेती के लिये जो ट्यूबवैल्ज लगाये जाते हैं, उनके कारण पानी का स्तर नीचे जा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि इसे पहले डा. के. एल. राव, पूर्व सिंचाई मंत्री द्वारा उत्तर और दक्षिण भारत के लिये एक योजना बनायी थी, क्या वह योजना ठंडे बस्ते में डाल दी गई है या उस पर कोई कार्यवाही कर रहे हैं क्योंकि जब तक नहरें नहीं निकाली जायेंगी तब तक पानी का स्तर नीचे जाता रहेगा तो सरकार इसके लिए क्या कार्यवाही करेगी ?

[अनुवाद]

श्री पी.के. थुगन : यद्यपि इसका प्रत्यक्षतः इस प्रश्न के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है, फिर भी, मैं यह बताना चाहूंगा कि बेसिन सम्बन्धी अध्ययन हिमालय जल बेसिन और डेफन क्षेत्र जल बेसिन में जारी है। काफी सीमा तक अध्ययन किया जा चुका है, परन्तु समस्या यह है कि अध्ययन करने वाली एजेंसी को सम्बद्ध राज्यों से स्वीकृति लेना आवश्यक है। हमने सम्बद्ध राज्य के साथ बैठकें की हैं परन्तु कुछ राज्य इस अध्ययन के लिए अनुमति देने को तैयार नहीं हैं। अतः इस भाग के लिए अर्थात वह बेसिन जो कि सूखाग्रस्त क्षेत्र बेसिन से अधिक क्षेत्र बेसिन को जोड़ता है। इस बारे में अध्ययन किये जा रहे हैं और हम सम्बद्ध राज्य सरकारों से इन अध्ययनों के लिए अनुमति देने के लिए आग्रह कर रहे हैं।

उसके अलावा, हिमालयन जल बेसिन ....

अध्यक्ष महोदय : आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया है।

श्री पी. के. थुंगन : महोदय, धन्यवाद।

[हिन्दी]

कोयला-खानें

***283. श्री सत्यदेव सिंह :**

डा0 कृपासिन्धु भोई :

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितनी कोयला खानें घाटे में चल रहीं हैं;

(ख) इन कोयला खानों को कब से घाटा हो रहा है;

(ग) क्या घाटे में जल रही कोयला खानों को बंद करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो कितनी भूमिगत और खुली कोयला खानों को बंद करने का प्रस्ताव है;

(ड.) इन कोयला खानों को बंद करने से कितने मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे; और

(च) उन्हें वैकल्पिक रोजगार दिलाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (च) : एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) : कोल इंडिया लिमिटेड के अनुसार उनकी 237 खानें पिछले चार वर्षों से निरन्तर घाटे में चल रही हैं।

(ग) और (घ) : कुछ पुरानी खानों को निम्न कारणों से बंद किया जाना आवश्यक हो जाता है- (1) भंडारों का समापन, (2) प्रतिकूल भू-खनन परिस्थितियां, (3) प्रतिकूल खान सुरक्षा परिस्थितियां; और (4) आर्थिक रुप में लाभकारिता (जबकि विलयन द्वारा कार्यक्षमता में सुधार किए जाने, प्रौद्योगिकी संबंधी सुधार, आदि किए जाने के प्रयासों के बावजूद क्रियाकलापों में आर्थिक रुप में लाभकारिता में सुधार किए जाने संबंधी प्रयास विफल रहे) कोल इंडिया लिमिटेड के अनुसार ग्यारह खानों को बंद किए जाने का निर्णय आगामी 3-4 वर्षों की अवधि के दौरान चरणबद्ध रुप में प्रत्येक मामले में विवशता के कारणों को देखते हुए लेना पड़ सकता है। इन ग्यारह खानों में से आठ खानें भूमिगत हैं और तीन खानें ओपेनकास्ट हैं।

(ड.) और (च) : ऐसी खानों को बंद किए जाने के परिणामस्वरुप कामगारों को बेरोजगार नहीं रखा जाएगा। उन्हें कोलियरियों में (विद्यमान तथा नई परियोजनाओं दोनो में) वैकल्पिक कामों में पुनः नियोजित किया जाएगा। इस संबंध में जहां कहीं कभी भी अपेक्षित होगा लाभकारी रोजगार प्राप्त किए जाने के लिए कार्य-कुशलता में परिवर्तन करने/कार्य-कुशलता को प्रोन्नत किए जाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री सत्य देव सिंह : अध्यक्ष महोदय, कोयला उद्योग इस देश का पुराना उद्योग है। इस देश में 1774 से कोयला खनन प्रारम्भ हुआ है और राष्ट्रीकरण के बाद कोयला उद्योग ने सफलता के नये आयाम पैदा किये हैं और लगातार कोयला उत्पादन बढ़ा है। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि कुल 273 खानें घाटे में चल रही हैं और अब इनकी योजना 11 खानों को बंद करने की है। उसके कारण इन्होंने बताये हैं : प्रतिकूल भू-खनन परिस्थितियां, प्रतिकूल खान सुरक्षा परिस्थितियां और आर्थिक रुप में अलाभकारिता। लेकिन मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब इस देश के अंदर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार दो करोड़ मिलियन टन से ज्यादा कोयले का स्टॉक है और आप दूसरी तरफ कोयला खाने बंद करने जा रहे हैं तो क्या आप बताने की कृपा करेंगे कि कोयले में घाटा होने में और खानों में घाटा होने में एक महत्वपूर्ण कारण कोयले की क्वालिटी का खराब होना है जिसके कारण हमारे यहां जो उपभोक्ता हैं, विशेष रुप से स्टील और पॉवर सेक्टर आप के द्वारा उत्पादित कोयले को लेने में हिचकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : इतनी देर प्रश्न चलना चाहिए ? शायद अपने भी कल दस्तखत करके दिया है मुझे।

श्री सत्यदेव सिंह : अंध्यक्ष महोदय, मैं अपने सवाल पर आ गया हूं।

अध्यक्ष महोदय : जल्दी आइए।

|अनुवाद|

हमें बहुत संक्षेप में अपनी बात करनी चाहिए अन्य सदस्य भी प्रश्न पूछना चाहते हैं।

श्री सत्य देव सिंह : मैं संक्षेप में ही अपनी बात कह रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं। आप संक्षेप में नहीं कह रहे हैं। अब कृपया अपने प्रश्न पर आईये। कृपया बहस मत करिये।

श्री सत्य देव सिंह : मेरा प्रश्न है ..... भाग (क) क्या सरकार कोयले की गुणवत्ता में सुधार करने का प्रयत्न करेगी ताकि स्थानीय उपभोक्ता इसे खरीद सकें।

|हिन्दी|

मेरा प्रश्न का दूसरा भाग भी है। अध्यक्ष महोदय, कोयले में ऐश कंटेण्ट बहुत ज्यादा हैं और उसके कारण क्या ऐश कंटेण्ट कम करने के लिए आप ऐश वॉशरीज लगाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई समझौता करने जा रहे हैं और क्या आप इस ऐश कंटेण्ट को कम करेंगे ?

|अनुवाद|

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य से निम्न पुस्तिका पढ़ने का अनुरोध करूंगा। आप एक अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। आप तीन अनुपूरक प्रश्न पूछ रहे हैं।

श्री अजित पांजा : प्रश्न के पहले भाग कोयले की गुणवत्ता सुधारने के बारे में, दूसरे भाग कोल वाशरी की स्थापना के बारे में और तीसरे भाग ऐश कंटेण्ट को कम करने के बारे में,

उत्तर "हां" है।

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा।

श्री सत्य देव सिंह : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने "हां" कहा है।

|हिन्दी|

श्री सत्यदेव सिंह : अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने अभी कोयले के लिए कस्टम ड्यूटी 85 प्रतिशत में घटाकर 30 प्रतिशत कर दी है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या कोयला मंत्रालय इस कस्टम ड्यूटी रिडक्शन पर सहमत है ?

|अनुवाद|

अध्यक्ष महोदय : यह मंत्रिमंडल का निर्णय है। आप इस बारे में नहीं पूछ सकते।

[हिन्दी]

श्री सत्य देव सिंह : अगर आप यह अलाउ नहीं करतं, तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपने चीन के साथ समझौता किया है, मॉर्डनाइजेशन के लिए। इस समझौते को कब तक लागू करने की संभावनाएं हैं और इस समझौते के माध्यम से कोयला उद्योग के घाटे को कम करने के लिए ..

अध्यक्ष महोदय : आप कनफ्यूज कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री सत्य देव सिंह : मैं आपको भ्रम में नहीं डाल रहा हूं। मेरे विचार बिल्कुल स्पष्ट हैं। मेरा प्रश्न यह है कि क्या घाटे के कारण कोयला खानों को बन्द किया जा रहा है। यही मूलभूत प्रश्न है। जब हमारे देश में ही कोयले के विशाल भंडार हैं, हम अन्य देशों से कोयला आयात कर रहे हैं, मेरा यह प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप चीन के साथ हुए समझौते को कार्यान्वित करने जा रहे हैं ?

श्री अजीत सिंह पांजा : निश्चित रुप से, महोदय।

डा. कृपासिन्धु भोई : माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में उल्लेख किया है कि उनकी खानों में से 237 घाटे में चल रही हैं। परन्तु समाचार-पत्रों की रिपोर्ट के अनुसार कोल इंडिया की 18 कोयला खानों को बन्द किया जाना है और 300 कोयला खानें, 261 भूमिगत खानें और 49 खुली खानें घाटे में चल रही हैं। उसी के आधार पर मैं जानना चाहूंगा कि उनका उत्तर सही है अथवा समाचार पत्रों की रिपोर्ट सही है।

अध्यक्ष महोदय : उसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। सभा में मंत्री के उत्तर को सही माना जाता है।

डा. कृपासिन्धु भोई : माननीय मंत्री जी ने चीन का दौरा किया है जहां पर 92 प्रशित खान भूमिगत हैं और लगभग 90 प्रतिशत खानें लाभ अर्जित कर रही हैं। मैं जानना चाहूंगा कि क्या यह सच है कि कोल इंडिया ठेकेदारों के माध्यम से खानों में कार्य करने के स्थान पर विभागीयतौर पर अपनी खानों में कार्य संचालन कर रही है।

यदि ऐसा हो जाता है, तब क्या कोल इंडिया लाभ अर्जित करेगी अथवा नही। बी.आई.सी.पी. की स्वीकृति लिए बिना; यदि कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा कुछ किया जाता है, तब यह गैर कानूनी है।

श्री अजीत पांजा : महोदय, सभी कोयला खानें जिनमें काम चल रहा है और नई खानें उन सभी में कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा ही काम किया जाता है और ठेकेदारों के माध्यम से कोल इंडिया लिमिटेड के पूर्ण पर्यवेक्षण के अन्तर्गत एक अत्यन्त स्थानीय क्षेत्र में परिवहन जैसे कार्य हेतु उनसे कार्य लिया जाता है।

जहां तक चीन का सम्बन्ध है, मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं है कि क्या उनकी खानें लाभ अर्जित कर रही हैं अथवा नहीं क्योंकि ये आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। परन्तु जहां तक उनकी लम्बी दीवार तकनीक का सम्बन्ध हैं यह भारत के लिए अनुकूल है और हमारे विशेषज्ञों ने भी यह पाया है कि चूंकि चीन की कोयला खानों और भारतीय कोयला खानों की भू-खनन स्थिति लगभग एक समान ही है। इसी कारण हम उनकी प्रौद्योगिकी लेने और उसी के अनुरुप अपनी देशी प्रौद्योगिकी विकसित करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री हाराधन राय : मैं अपनी बात अत्यन्त संक्षेप में कहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा ! धन्यवाद !

श्री हाराधन राय : कृपया कोयला खानों के नाम बतायें, वे कहां पर हैं ? इससे पूर्व, मेरे प्रश्न के उत्तर में, मंत्री जी ने बताया है कि 46 कोयला खानें बन्द हो गई हैं यह उनका वक्तव्य है। मैंने यह पाया है कि कुछ कोयला खानों को अन्य कोयला खानों में विलय कर दिया गया है और उनके नए ग्रुप बना दिए गए हैं। इस समय वे कार्यरत हैं और उनमें कोयले का उत्पादन हो रहा है। मैं जानना चाहता हूँ कि इन्हें बन्द करने के लिए सरकार द्वारा कोई अध्ययन किया गया है अथवा नहीं। यदि हां, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या वे कोयला खान इस समय कार्य कर सकती हैं। इसीलिए मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या कोयला खानों का उचित रुप में पुनरीक्षण किया गया है अथवा नहीं। वे कभी खानों में कार्य आरम्भ करवा देते हैं और फिर उन्हें बन्द कर देते हैं। जिन खानों को बन्द कर दिया गया है, उनके कामगारों का स्थानान्तरण भी कर दिया। परन्तु उन कामगरों को उनके मूल स्थानों पर पुनः स्थानान्तरित नहीं किया गया। मैं इस बारे में जानना चाहता हूं।

श्री अजीत पांजा : महोदय, कई प्रश्न है। मैं उनका उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा।

सर्वप्रथम, किसी भी कोयला खान को बन्द करने सम्बन्धी अध्ययन कोल इंडिया के विशेषज्ञों के साथ-साथ सी.एम.पी.डी.आई. द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने भी लगभग उन 237 खानों का अध्ययन किया है जिनका उल्लेख मेरे द्वारा किया गया है कि उनमें से कितनी खानों को या तो उनके विलयन द्वारा अथवा आधुनिक तकनीक के कार्यान्वयन द्वारा अथवा उनकी आर्थिक स्थिति की सविस्तार जांच करके कितनी खानों को पुनर्जीवित किया जा सकता है।

जहां तक कामगारों का सम्बन्ध है अभी तक एक भी कामगार इससे प्रभावित नहीं हुआ है। और जितने भी कामगार अधिशेष होते हैं उन्हें उनकी कार्यक्षमता के अनुसार आसपास की खानों में अथवा किन्हीं अन्य खानों में पुनः रोजगार दे दिया जाता है। उन्हें सेवा कालीन प्रशिक्षण भी दिया जाता है ताकि वे अन्य खान, जहां उन्हें तैनात किया जाएगा, में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया में स्वयं को स्थापित कर सकें।

गैस पाइपलाइन

***284 श्री बसुदेव आचार्य :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) पाइपलाइन बिछाने के लिये क्या नीति अपनाई जाती है,

(ख) क्या पश्चिमी तट से देश के अन्य भागों में गैस पहुंचाने हेतु पाइपलाइने बिछाने की कोई योजना है,

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(घ) क्या पूर्वी क्षेत्र में पाइपलाइनें बिछाने का भी कोई प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) इस प्रकार की नीति गैस की उपलब्धता, उपभोक्तओं के स्थान तथा पाइपलाइन की तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता पर आधारित है।

(ख) और (ग) : एच. बी. जे पाइपलाइन को 18.2 एम.एम.एस.सी.एम.डी. से 33.4 एम.एम.एस.सी.एम.डी. तक के क्षमता विस्तार को अनुमोदित किया गया है। पश्चिमी तट पर एक उचित लैंड फाल बिन्दु से दक्षिणी राज्यों को एक पाइपलाइन बिछाने संबंधी अवधारणा को सरकार ने सिद्धान्ततः अनुमोदित कर दिया है।

(घ) गैस अथॉरिटी आफ इंडिया लि0 ने असम में लकवा के आस-पास के क्षेत्रों से नुमालीगढ़ की गैस ले जाने हेतु एक पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव किया है।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न के भाग (घ) का उत्तर नहीं दिया है। मैने पूछा है कि क्या पूर्वी क्षेत्र में पाइपलाइनें बिछाने का भी कोई प्रस्ताव है ? मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में लाइन बिछाने का प्रस्ताव है और पूर्वी क्षेत्र में नहीं है।

महोदय, त्रिपुरा में गैस का भरपूर भंडार है, उस गैस का समुचित उपयोग नहीं किया जा रहा है और उसे जलाया जा रहा है। क्या मैं मंत्री महोदय से यह जान सकता हूँ कि क्या बंगलादेश के रास्ते पाइप लाइन बिछाकर त्रिपुरा से पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में गैस लाने का प्रस्ताव है ? यदि हां, तो क्या तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता का भी अध्ययन किया गया है और क्या इस मामले को बंगलादेश सरकार के साथ उठाया गया है?

कैप्टन सतीश कुमार शर्मा : त्रिपुरा और असम में प्राकृतिक गैस की पर्याप्त मात्रा नहीं है जिसे पूर्वी क्षेत्रों में उपयोग के लिए ले जाया जा सके। पाइपलाइन, आर्थिक दृष्टि से अर्थक्षम होनी चाहिए। इसमें प्रतिदिन न्यूनतम एक करोड़ स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर गैस जानी चाहिए। केवल तभी परियोजना व्यवहार्य लगती है और पाइपलाइन व्यवहार्य लगती है। अतः हमारे पास इसका कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, विद्युत क्षेत्र में एक राष्ट्रीय ग्रिड है, मैं जानना चाहूँगा कि क्या गैस के समुचित वितरण के लिए सरकार का विचार इस प्रकार का राष्ट्रीय ग्रिड बनाने का है। मैं यह भी जानना चाहूँगा कि क्या एच.बी.जे. पाइपलाइन को गोरखपुर तक बढ़ाने का प्रस्ताव है, ताकि गोरखपुर रीजन भारतीय उर्वरक निगम को गैस मिल सके तथा उसमें अपना उत्पादन शुरु कर सके और वह अर्थक्षम बन जाए।

अंत में मैं यह जानना चाहूँगा कि क्या पाइपलाइन को बढ़ाने का प्रस्ताव है तथा क्या गैस पर आधारित विद्युत संयंत्र अथवा आणविक विद्युत संयंत्र लगाए जाने की कोई संभावना है।

कैप्टन सतीश कुमार शर्मा : महोदय जैसा कि मैंने बताया दक्षिणी क्षेत्र में गैस ग्रिड बनाने का प्रस्ताव है। लेकिन माननीय सदस्य को यह समझना चाहिए कि पूर्वी क्षेत्र में कोयले का काफी भण्डार है। एक प्रौद्योगिकी है जिसका नाम...........

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : सदस्य महोदय, तो राष्ट्रीय ग्रिड बनाएंगे या नहीं, इसके बारे में पूछ रहे हैं।

[अनुवाद]

कैप्टन सतीश कुमार शर्मा : इस समय राष्ट्रीय ग्रिड बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री वसुदेव आचार्य : गोरखपुर की उर्वरक यूनिट को गैस की सप्लाई के प्रश्न का आपने उत्तर नहीं दिया है।

कैप्टन सतीश कुमार शर्मा : गोरखपुर को गैस की सप्लाई का कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री ए. चार्ल्स : मुझे प्रसन्नता है कि मंत्री महोदय ने दक्षिणी क्षेत्र में गैस ग्रिड बनाने के बारे में सकारात्मक उत्तर दिया है। वास्तव में, ओमान और अन्य देशों से गैस लेने का प्रस्ताव है। परन्तु मुख्य समस्या पत्तनों पर गैस को उतारने, भण्डार और वितरण के लिए उपलब्ध सुविधाओं की कमी है। क्या मैं मंत्री महोदय से यह जान सकता हूँ कि क्या गैस को उतारने, उसके भण्डारण और गैस को सिलैण्डरों में भरने के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए किसी पत्तन का पता लगाया गया है, ताकि गैस की कमी की सम्पूर्ण समस्या दूर की जा सके ?

कैप्टन सतीश कुमार शर्मा : महोदय, मिट्टी का तेल और खाना पकाने की गैस की समानान्तर विपणन प्रणाली में आ जाने के बाद गैर-सरकारी निवेशकों से भी अनेक प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं जो खाना पकाने की गैस और मिट्टी के तेल की सप्लाई के लिए अपना स्वयं का आधारभूत ढांचा बनाना चाहते हैं और अपनी स्वयं की वितरण व्यवस्था चाहते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार का भी इस क्षेत्र में अपने स्वयं के आधारभूत ढांचे को और सुदृढ़ बनाने की योजनाएं हैं।

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

सरकार ने सैद्धांतिक रुप से यह निर्णय लिया था कि पश्चिमी तट से जो गैस प्राप्त होगी, उसमें से सबसे पहले गुजरात की गैस की डिमांड जो होगी उसको पूरी करने के बाद ही पाइपलाइन के जरिये देश के अन्य प्रान्तों को सरप्लस गैस देंगे, तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने गुजरात की गैस की डिमांड को पूरा कर दिया है विशेषकर गैस आधारित पीपावान पावर प्रोजैक्ट जिस पर सरकार ने करोड़ों रुपया खर्च कर दिया है, अभी तक उसको गैस प्राप्त नहीं हुई है, तो क्या सरकार पीपावान को गैस देने के बाद ही नार्दन रीजन को गैस देगी ?

[अनुवाद]

कैप्टन सतीश कुमार शर्मा : महोदय, यह मुद्दा सिर्फ गुजरात के लिए नहीं है बल्कि यह अनेक अन्य राज्यों के लिए है। जैसा कि सदस्य को भी पता है वास्तविक स्थिति यह है कि मांग और सप्लाई के बीच काफी अन्तर है। हम ओमान से और गैस प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने ईरान के साथ समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किये हैं। ओमान के साथ हमने व्यवहार्यता चरण को स्वीकृत कर दिया है, कार्य-प्रगति पर है। वास्तव में गुजरात को पहले ही गैस के उपभोक्ताओं में से एक है। गुजरात को वहां पश्चिमी तट से दूर 18.62 प्रतिशत गैस मिल रही है। परन्तु मुझे मालूम है कि गुजरात में गैस की कमी है, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में भी गैस की कमी है। हम दक्षिणी राज्यों के बारे में बात कर रहे हैं, जहां पर महसूस किया जाता है कि उन्हे छोड़ दिया गया है। अतः हम उन राज्यों को भी गैस की सप्लाई करने का प्रयास कर रहे हैं। हम गुजरात को यथा सम्भव

अधिकतम गैस की सप्लाई करने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री विजय कृष्ण हान्डिक : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने कहा है कि पाइपलाइन प्रस्तावित लकवा में नुमालीगढ़ तेलशोधक तक बिछायी जा रही है। क्या वह मुझे यह बताएंगे कि क्या यह पाइपलाइन शिवसागर, जोरहाट और गोलाघाट जैसे महत्वपूर्ण कस्बों से होकर गुजरेगी ?

कैप्टन सतीश कुमार शर्मा : महोदय, असम गैस ग्रिड को स्वीकृति के लिए अभी पी.आई.बी. के समक्ष रखा जाना है। अभी यह बहुत ही प्रारम्भिक चरण में है। मैं इस बात की जांच करूंगा कि क्या माननीय सदस्य के सुझाव को इसमें शामिल किया जा सकता है और तदनुसार उन्हें सूचित किया जाएगा।

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय पिछले सप्ताह एक प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री महोदय ने दक्षिण ग्रिड के बारे में कुछ और कहा था और आज वे कुछ और कह रहे हैं। इस दक्षिणी ग्रिड की तकनीकी व्यवहार्यता को अभी अन्तिम रुप दिया जाना है तथा इसमें शामिल किये जाने वाले राज्यों के बारे में भी अभी निर्णय लिया जाना है। परंतु मंत्री महोदय ने कहा कि यह दक्षिणी राज्यों से आगे उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तक नहीं जाएगा। मैं मंत्री महोदय से यह अनुरोध करता हूं कि दक्षिणी ग्रिड को देश के पूर्वी भागों तक भी बढ़ाया जाए, क्योंकि कोयला उड़ीसा से आएगा और गैस पर आधारित एकक कोयला पर आधारित उद्योगों की तुलना में वास्तव में अधिक प्रभावी है। गोपालपुर में उर्वरक संयंत्र और रेअर अर्ज प्लांट इस लिए प्रभावित हो रहे हैं क्योंकि कोयला आधारित संयंत्र व्यवहार्य नहीं है। अतः मैं जानना चाहूंगा कि क्या मंत्री महोदय दक्षिणी गैस ग्रिड का पूर्वी राज्यों विशेषकर उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तक विस्तार करने पर विचार करेंगे।

कैप्टन सतीश कुमार शर्मा : महोदय इस विषय को मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूंगा, मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को इस बात की जानकारी है कि यह विषय मेरे मंत्रालय से नहीं है, बल्कि यह विषय माननीय कोयला मंत्री के मंत्रालय से है, जो यहां उपस्थित हैं। बिहार में, कोयला-आधारित मिथेन गैस जो प्राकृतिक गैस के समान है परन्तु प्रौद्योगिकी मिल हैं, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं और इसको निकालना काफी सस्ता है। यह किस्म, मात्रा और भूतल की दृष्टि से भी सस्ता रहेगा। दक्षिणी गैस ग्रिड अथवा पश्चिमी किनारे से आने वाली गैस पाइपलाइन को देश के पूर्वी भागों से जोड़ने की बजाए कोयला आधारित मिथेन गैस ज्यादा सस्ती होगी। वह आर्थिक रुप से बिल्कुल व्यवहार्य नहीं होगी।

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, मंत्री महोदय स्थिति स्पष्ट नहीं कर रहे हैं।..................**(व्यवधान)।**

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इसे काफी स्पष्ट कर दिया है। आपको इसका नकारात्मक उत्तर मिल गया है।

[हिन्दी]

श्री अरविंद त्रिवेदी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने बताया कि गुजरात को पाइपलाइन से गैस दी जाती है। लेकिन महेसाणा में जो गैस निकलती है वह कड़ी इंडस्ट्रियल एस्टेट तक ठीक प्रेशर से नहीं पहुंच पाती है। दो साल से पाइपलाइन चोक्ड हैं, वहां की इंडस्ट्रीज सिक हो गई हैं, करोड़ों का नुकसान हो रहा है। मिनिस्ट्री ने बताया है कि डीजल लगाइए। इतना नुकसान हो रहा है। लोग भी आकर मिले हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इंडस्ट्रीज को ठीक प्रैशर से गैस कब मिलेगी ताकि इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट हो सके ?

[अनुवाद]

कैप्टन सतीश कुमार शर्मा : महोदय, यदि पाइपलाइन को रोक दिए जाने का कोई अलग मामला है, तो मैं उसकी जांच करूंगा और माननीय सदस्य को इसकी जानकारी दूंगा।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, वाराणसी में एक गैस प्लांट लगा हुआ है जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश में चारों तरफ गैस की सप्लाई की जाती है। इन दिनों उसका प्रोडक्शन कम है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वहां पर विशेष रुप से गैस सप्लाई करने की कोई व्यवस्था करवाएंगे ?

[अनुवाद]

कैप्टन सतीश कुमार शर्मा : महोदय, हम इस मामले की जांच करवाएंगे।

[हिन्दी]

श्री सत्य नारायण जटिया : अध्यक्ष महोदय, एस.बी.जे. पाइप लाइन मध्यप्रदेश के 550 किलोमीटर क्षेत्र से गुजरती है। मध्यप्रदेश में ताप बिजली घर स्थापित करने के लिए गैस की मांग की है। पाइप लाइन में गैस की क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। इस आधार पर क्या आप इसमें से मध्य प्रदेश को गैस देंगे ?

[अनुवाद]

कैप्टन सतीश कुमार शर्मा : महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य को जानकारी है एच.बी.जे. पाइपलाइन में गैस की क्षमता बढ़ाने का कार्य चल रहा है और उचित समय पर की गैस की सप्लाई की स्थिति में सुधार होगा। परंतु अभी स्थिति इतनी खराब है कि एच.बी.जे. पाइपलाइन के साथ-साथ लगने वाले बिजलीघरों, उर्वरक संयंत्रों और अन्य परियोजनाओं, जिन्हें हमने गैस की सप्लाई करने का वायदा किया था, उन्हें भी हम गैस की सप्लाई नहीं कर रहे हैं और गैस की कमी के कारण उन्हें वैकल्पिक ईंधन का इस्तेमाल कर अपना रक्षित विद्युत उत्पादन जनरेशन करने तथा अन्य उपाय करने के लिए आपको सूचित किया गया है। जैसे ही गैस की स्थिति में सुधार आएगा तभी यह संभव होगा ।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आज हमारे पास अल्प सूचना प्रश्न है। कार्य-सूची में दिखाए गए समय के अलावा इन विषयों को उठाने की बजाए उनकी ओर ध्यान दिलाने और प्रश्न पूछने का यह एक अच्छा तरीका है। इन मुद्दों पर मैं श्री इन्द्रजीत गुप्त से अपना प्रश्न रखने के लिए कह सकता हूं।

अल्प सूचना प्रश्न

12.01 म०प०

तिब्बत के संबंध में प्रस्तावित सम्मलेन

अल्प सूचना प्रश्न 1

इन्द्रजीत गुप्त : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपने को ''आल पार्टी इंडियन पार्लियामेंटरी फोरम फॉर तिब्बत'' कहने वाले एक संगठन में 18 से 20 मार्च, 1994 तक नई दिल्ली में तिब्बत के संबंध में एक सम्मेलन आयोजित करने की घोषणा की है;

(ख) यदि हां तो क्या इसके लिए भारत सरकार की स्वीकृति मांगी गई थी तथा सरकार ने स्वीकृति दे दी है;

(ग) इस सम्मेलन में आमंत्रित किए गए भारतीय और विदेशी उच्चाधिकारियों के नाम क्या हैं; और

(घ) क्या इस प्रकार का सम्मेलन आयोजित करने से महामहिम दलाईलामा और भारत सरकार के बीच हुए इस समझौते का उल्लंघन होगा कि तिब्बती शरणार्थी भारत में चीन विरोधी कार्य न करें ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुनन्दन लाल भाटिया) : (क) सरकार की तिब्बत संबंधी तथाकथित सर्वदलीय भारतीय संसदीय मंच द्वारा नई दिल्ली में 18 से 20 मार्च, 1994 तक तिब्बत के बारे में संसदविदों का कोई एक सम्मेलन आयोजित किए जाने के बारे में समचार पत्रों में छपी रिपोर्टों की जानकारी है;

(ख) यह सम्मेलन आयोजित करने के लिए सरकार की अनुमति मांगी गई थी और न ही इसके लिए सरकार ने अनुमति दी थी और सरकार इससे किसी भी तरह से संबद्ध नहीं है।

(ग) इस सम्मेलन में आमंत्रित किए गए भारतीय और विदेशी विशिष्ट व्यक्तियों का पता लगाया जा रहा है।

(घ) भारत में तिब्बती शरणार्थियों के इस सम्मेलन में भाग लेने और चीन को सार्वजनिक रुप से बुरा भला कहने से अध्यात्मिक गुरू दलाई लामा और सरकार के बीच हुए समझौते का उल्लंघन होगा जिसमें यह प्रावधान है कि तिब्बती शरणार्थियों को भारत में चीन विरोधी राजनीतिक कार्यकलाप नहीं आयोजित करने चाहिएं।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, मुझे भी इस सम्मेलन में भाग लेने का निमंत्रण प्राप्त हुआ है।

कई माननीय सदस्य : अन्य कई लोग भी आमंत्रित किए गए हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : परन्तु दुर्भाग्यवश निमंत्रण पत्र में इस बात का कोई संकेत नहीं है कि इस प्रस्तावित सम्मेलन की ठीक-ठीक कार्य-सूची क्या है। यह एक सम्मेलन है, उदाहरण के लिए यह मानवाधिकारों के तथाकथित उल्लंघन से संबोधित हो सकता है क्योंकि दुनिया में आजकल यह फैशन हो गया है ? क्या इसकी कार्य-सूची में चीन में होने वाला मानवाधिकारों का उल्लंघन है या इस सम्मेलन की कार्य सूची में तिब्बत पर जनवादी चीन की सम्प्रभुता को चुनौती दी जानी है ? इस सम्मेलन में वास्तव में शामिल होने या न होने का निर्णय करने के लिए इस बारे में कोई संकेत नहीं है। इन बिंदुओं को स्पष्ट किया जाना चाहिए। परन्तु जहां तक..... ...**(व्यवधान)** मैं यह जानना चाहता हूं क्योंकि मैं थोड़ा व्यग्र हूं क्योंकि अभी हमारे सामने एक ऐसा उदाहरण था जहां एक बड़ी शक्ति ने इस मानवाधिकार के प्रश्न की ओट में वास्तव में हमारे देश के एक निश्चित क्षेत्र की संप्रभुता पर सवालिया निशान लगा दिया था। जैसा कि आप जानते हैं।

मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें इस सम्मेलन के उद्देश्य के बारे में कोई जानकारी है या कि चर्चा की मुख्य विषय-वस्तु, क्या होगी और दूसरे क्या उन्हें यह पता है कि दलाई लामा इस सम्मेलन में शामिल होंगे या नहीं तथा किन विदेशी मेहमानों को आमंत्रित किया गया है और किन-किन के इसमें भाग लेने की सम्भावना है ?

श्री अब्दुल गफूर : और बिल का भुगतान कौन करेगा ?

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : अध्यक्ष महोदय, इस सम्मेलन का उद्देश्य इस पत्र में बताया गया है, जो सभी सदस्यों को पहले ही प्राप्त हो गया है। परन्तु परमपूज्य दलाई लामा न तो इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं और न ही यह माननीय दलाई लामा द्वारा प्रायोजित है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने कहा है कि इस सम्मेलन के आयोजकों ने न तो सरकार की अनुमति ली है और न ही अनुमति दी गई है। परन्तु इससे यह कतई स्पष्ट नहीं होता है कि सरकार का समग्र दृष्टिकोण क्या है ? क्या वह ऐसे सम्मेलन के भारत में होने का अनुमोदन करते हैं या नहीं ? हमें यह पता नहीं है क्योंकि यदि विदेशी मेहमान आते हैं, तो यह स्पष्ट है कि सरकार को उन्हें वीसा सुविधा देनी पड़ेगी। वीसा सुविधा के बिना वे यहां नहीं आ सकते हैं। इसलिए सरकार द्वारा इस मामले में क्या विशिष्ट कार्यवाही की जा रही है ?

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार की स्थिति बहुत स्पष्ट है कि न तो उन्होंने हमारी अनुमति मांगी है और न हमने दी है। इस मुद्दे पर हमारा दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट है कि तिब्बत चीन का एक स्वायत्तशासी क्षेत्र है और यह हमारी नीति रही है। यह आयोजकों को बताना है कि किन देशों को आमंत्रित किया है तथा इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए कौन-कौन व्यक्ति आ रहे हैं। परन्तु जहां तक वीसा का सम्बन्ध है, हम इस देश में आने वाले लोगों को वीसा देना बन्द नहीं कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह देवरिया : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात का स्पष्टीकरण करना चाहता हूं कि यह सम्मेलन भारतीय संसद के सदस्यों के तिब्बत काज के लिए गठित संसदीय मंत्री की ओर से आयोजित है। मैं उसका संयोजक हूं और कार्ड का हवाला दिया गया, वह कार्ड मेरी तरफ से और जार्ज फर्नान्डीज साहब की तरफ से वितरित किया गया है, जिसमें यह लिखा गया है कि इस सम्मेलन का उद्घाटन श्री रवि राय जी, आपसे पूर्व के पीठासीन स्पीकर द्वारा और इसकी अध्यक्षता संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य रह चुके हैं और पुराने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री निजलिंगप्पा साहब करेंगे।

भारत एक स्वाधीन और सार्वभौम देश है, यहां इस तरह की जनतांत्रिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए सरकार की अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है। न किसी विदेशी शक्ति के आदेश और संदेश की आवश्यकता है। मैं बताना चाहता हूं कि इसमें 55 संसद सदस्य, दुनिया के विभिन्न लोकतांत्रित देशों के हैं, जो तिब्बती सुख-दुख के साथी रहे हैं, इस सम्मेलन में वह सभी संसद सदस्य आ रहे हैं।

इस सम्मेलन का उद्देश्य चीन की सार्वभौमिकता को चुनौती देना बिल्कुल नहीं है। इस सम्मेलन का उद्देश्य

भारत और चीन के मधुर होते सम्बन्धों को खराब करने का भी नहीं है। इस सम्मेलन का सम्बन्ध केवल जो पिछले 34-35 वर्ष से शरणार्थी की हैसियत से भारत में रह रहे हमारे तिब्बती भाई हैं, उनके सुख-दुख को दुनिया के सामने हाईलाइट करना और यह बताना है कि दुनिया के अन्दर मानवाधिकार की दो कसौटियां नहीं हो सकती। दक्षिणी अफ्रीका के लिए एक कसौटी और तिब्बत में हो रही मानवाधिकार की हत्या के लिए दूसरी कसौटी, यह दो बातें नहीं हो सकतीं।

इसलिए मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि दुनिया के राजनैतिक नियमों के अनुसार, कूटनीतिक नियमों और परम्पराओं के अनुसार संसद सदस्यों को एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए, जो लोकतांत्रिक देश हैं, वीजा से इन्कार करने का कोई प्रावधान नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि इस सम्मेलन में आने वाले 3 संसद सदस्यों को, क्यूबा से, आयरलैंड से और कोस्टारिका से, वीजा देने से इन्कार किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि भारत सरकार का विदेश मंत्रालय, जो एक नेक भावना से बाहर से आने वाले संसद सदस्य हैं, उनको वीजा देने से इन्कार करने की प्रवृति से बाज आयेगा और उनको इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए वीजा ग्राण्ट करेगा।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : इस प्रश्न का उत्तर मैं पहले ही इन्द्रजीत जी को दे चुका हूं कि जो बाहर के लोग हमारे देश में यहां इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए आ रहे हैं, उनमें से किसी का वीजा हमने रोका नहीं है। आपने आयरलैंड का नाम लिया है, आयरलैंड को वीजा दे दिया गया है।

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी : इस सम्मेलन के सम्बन्ध में जो मुद्दा पहले उठाया जा चुका है इसके अलावा समय का भी प्रश्न है। कुछ दिन पहले जेनेवा में जो हुआ था, हम सब जानते हैं। चीन द्वारा निभाई गई भूमिका की सराहना इस देश में भी की गई थी। अब आयोजकों को जो चाहे एक हो या अनेक-इस प्रकार, इस पृष्ठभूमि में सम्मेलन करने के लिए किन बातों ने तत्पर किया। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसे सरकार को अवश्य स्पष्ट करना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि कोई व्यक्ति अनेक काम कर सकता है, उसे वह करने का अधिकार है। परन्तु हमें इस बात को भी समझना चाहिए कि इस मामले में चीन में भी कुछ संवेदनशीलता है। जब हम भारत और चीन के मध्य प्रगाढ़ सम्बन्धों पर जोर दे रहे हैं। क्या आपने इसे बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि सरकार को इस सम्मेलन से कुछ लेना-देना नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आपने इसे पहले ही स्पष्ट कर दिया है। आप इसे और स्पष्ट कर सकते हैं।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : चीन इस सम्मेलन के बारे में संवेदनशील है और उसने हमारे ध्यान में यह बात लायी है कि सम्मेलन भारत में ऐसे समय हो रहा है जब चीन और भारत के बीच सम्बन्ध सुधर रहे हैं तथा सौहार्दपूर्ण बन रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में सम्मेलन आयोजित किए जाने से दोनों देशों के बीच कुछ गलत फहमियां पैदा हो सकती हैं, परन्तु हमने चीन को यह स्पष्ट कर दिया है कि हमारे देश में हमारे कानून तथा हमारा संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं और इस प्रकार, मेरे विचार से वह हमारी स्थिति को समझते हैं।

श्री लोक नाथ चौधरी : क्या सरकार ने कोई संरक्षण दिया है ?

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : हमारा दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट है। मैंने पहले ही श्री इंद्रजीत गुप्त के प्रश्न का उत्तर दे दिया है कि तिब्बत चीन का एक स्वायत्तशासी क्षेत्र है।

श्री जसवन्त सिंह : मैं केवल दो स्पष्टीकरण चाहता हूं। माननीय इंद्रजीत गुप्त ने तिब्बत पर चीन की संप्रभुता के बारे में कहा है। माननीय मंत्री जी ने एक ही बात की अन्य व्याख्याओं का उल्लेख किया है। क्या सरकार यह स्पष्ट करेगी कि इसका दृष्टिकोण क्या है ? क्या सरकार ऐसा सोचती है कि जनवादी चीन का तिब्बत पर संप्रभुता का अधिकार है।

अध्यक्ष महोदय : स्वायत्तशासी प्रान्त का मतलब हो यही है।

श्री जसवन्त सिंह : सरकार को इसे स्पष्ट करने दीजए।

अध्यक्ष महोदय : कुछ वाक्यांशों के अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ होते हैं।

श्री जसवन्त सिंह : इसलिए मैं इसे दोहराये जाने की मांग कर रहा हूं क्योंकि मेरे माननीय साथी ने संप्रभुता के अधिकार की बात कही है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार इस बात से सहमत है कि तिब्बत पर जनवादी चीन का संप्रभुता का अधिकार है।

दूसरे, अब भी क्या भारत सरकार यह स्वीकार करेगी कि तिब्बत के सम्बंध में अपनायी जाने वाली नीति सभ्यता की दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से तथा भारत के राष्ट्रीय हित की दृष्टि से अनर्थकारी रही है तथा बड़ी भारी भूल रही है।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : मैं पहले ही यह बता चुका हूं कि तिब्बत चीन का एक स्वायत्तशासी क्षेत्र है। मेरे विचार से, यह पूर्णतया स्पष्ट है; इसकी व्याख्या की आवश्यकता नहीं है।

भारत सरकार की तिब्बत के प्रति नीति के सम्बन्ध में, मैं यह बता दूं कि यह शुरु से हमारी नीति रही है तथा आने वाली विभिन्न सरकारों ने यह रुख अपनाया है।

1951 में, जब तिब्बत में आन्दोलन हुआ था, तब परमपूज्य दलाई लामा तथा चीन सरकार के बीच इस स्वायत्तशासी क्षेत्र का समझौता हुआ था। यह तिब्बती लोगों तथा चीन सरकार के बीच का मामला है। उन्होंने जो भी समझौते किए हैं, हम उसमें दखल नहीं दे सकते हैं। यह चीन और तिब्बत का अन्दरूनी मामला है।

श्री शरद दिघे : अध्यक्ष महोदय, इस अति संवेदनशील मुद्दे पर एक सम्मेलन किया जा रहा है और विशेष रुप से हमारे सांसदों द्वारा सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट कर दिया गया है। परन्तु मैं यह जानना चाहूंगा कि जब यह सैदव वांछनीय होता है कि हमारी विदेश नीति, एक प्रकार से राष्ट्रीय नीति, सर्वसम्मत हो। क्या मंत्री महोदय इस मुद्दे की संवेदनशील प्रकृति को ध्यान में रखते हुए इस सम्मेलन को न करने के लिए आयोजकों को मनाने का कोई प्रसास करेंगे ?

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : जैसा कि मैंने कहा है भारत में हमारे कानून और संविधान विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। इसलिए मेरे विचार में आयोजकों को इस सभा की तथा आदरणीय

सदस्यों द्वारा विचारों को व्यापक हित में देखना चाहिए, इसे पूरा करना उनका कार्य है।

श्री चन्द्रजीत यादव : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि चीन सरकार ने इस सम्मेलन के बारे में अपनी संवेदनशीलता तथा आशंका बता दी है और चीन के साथ हमारी मित्रता को देखते हुए यह देखना दोनों देशों तथा दोनों देशों के लोगों के आपसी हित में होगा कि क्या सरकार चीन सरकार को पूरी तरह संतुष्ट करने में समर्थ हो सकी है कि इस सम्मेलन में होने वाले विचार-विमर्श, निष्कर्षों तथा संकल्पों या जो कुछ भी इस सम्मेलन में होने जा रहा है, सरकार इन चीजों का समर्थन नहीं करती है।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : मैंने पहले ही बता दिया है, हमने उन्हें बता दिया है कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है। परन्तु, जहां तक सरकार की नीति का सम्बन्ध है, उसके इस दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है कि तिब्बत चीन का एक स्वायत्तशासी भाग है और यदि कोई विशेष मतभेद होता है, तो उसे दूर करना चीन और तिब्बत के लोगों के बीच का मामला है।

श्री चन्द्रजीत यादव : चीन ने अपनी आशंका बतायी है। इसलिए मैं पूछता हूं कि क्या हमारे उत्तर से उनकी आशंका दूर हुई है।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : अध्यक्ष महोदय, इतिहास में परिस्थितियां बड़ी तेजी से बदलती हैं। हमारे मित्र फर्नांडिज साहब और मोहन सिंह जी ने इस पर अपना मत व्यक्त किया है। हम सब लोग राष्ट्र हितों को सामने रखते हुए तिब्बत के सवाल को उठाते हैं। 1962 के भारत-चीन युद्ध से हम सब वाकिफ हैं। इस सवाल को हमारे नेता स्वर्गीय आदरणीय लोहिया जी ने बहुत व्यापक सवाल बनाकर रखा था। उन्हीं लोकतांत्रिक परंपराओं के चलते हुए इस तरह के सम्मेलन यहां पर होते रहे हैं। हमारी पार्टी तथा हमारे लोगों की तरफ से इस तरह के सम्मेलन किए गए हैं, लेकिन निश्चित तौर पर राष्ट्रीय एकता और अखंडता सर्वोपरि है।

माननीय इन्द्रजीत बाबू और सैफुद्दीन चौधरी जी ने जो सवाल यहां पर रखा, उनसे मैं पूरी तरह से सहमत हूं। आज की परिस्थिति में हमारे राष्ट्रीय हित किस दिशा में और किस तरह से मजबूत हो सकते हैं, यह देखने की आवश्यकता है। आज जब डंकल और गैट प्रस्तावों पर दस्तखत करने की बात चल रही है और मानवाधिकार के सवाल पर चीन और ईरान की नीति रही है, इस ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। पाकिस्तान ने इस हथियार के जरिए हिंदुस्तान की एकता और अखंडता पर हमला किया था, ऐसे संकट के समय में चीन की नीति विचारणीय है।

अध्यक्ष महोदय, आज की परिस्थिति निश्चित तौर पर बहुत गंभीर है और इस सवाल से हम परंपरागत तरीके से जुड़े रहे हैं। तिब्बत के मित्र जो यहां रहते हैं, उनकी भावनाओं का ध्यान में रखना है, लेकिन मैं यह साफ कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय हितों को कुर्बान करके कोई नीति नहीं बनाई जा सकती और कोई काम नहीं किया जा सकता। हर कार्रवाही की निश्चित रुप से मर्यादा होनी चाहिए। बदली हुई परिस्थिति में दुनिया की गरीबी के खिलाफ यदि जंग करनी है, तो उसमें चीन हमारा जबरदस्त और मजबूत साथी बन सकता है, ईरान हमारा मजबूत साथी बन सकता है। इतना मजबूत साथी मुझे कोई और देश नहीं लगता कि हमारा साथी बन पाएगा।

इसलिए अध्यक्ष महोदय, इस सवाल पर राष्ट्रीय हितों और हमारी परंपरागत लोकतांत्रिक मर्यादाओं का समन्वय करके हमको चलना पड़ेगा। अभी भाटिया जी ने जो जवाब दिया, वह वाजिब है, लेकिन जो हमारे मित्रों ने कहा है, वह भी वाजिब है। .... **(व्यवधान)**

तिब्बत के मामले में पिछले चालीस वर्ष की हमारी परंपरा रही है। उस परम्परा की मर्यादा और राष्ट्रीय हितों को जोड़कर हमें सोचना है। मैं निश्चित तौर पर कहना चाहता हूं कि हम लोकतांत्रिक मर्यादाओं और राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि मानते हैं और चीन के साथ जो दोस्ती है उस परिप्रेक्ष्य में बहुत मजबूत चीज मानते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से और चर्चा की आवश्यकता नहीं है। हमारे सामने यह प्रश्न है, उत्तर है तथा उस पर चर्चा हो चुकी है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी क्या आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं ?

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, अभी जो कहा गया वह सब वाजिब है, लेकिन मुझे लगता है कि यह सवाल गैर-वाजिब तो नहीं हो गया है ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में इस सभा ने सवाल-जवाब के जरिए स्पष्ट रुप से अपने विचार व्यक्त कर दिए हैं। इसमें कुछ चीजें सुधारी हैं, समय भी महत्वपूर्ण है। इन सभी तथ्यों पर सभी सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा ध्यान रखा जाएगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

ग्रामीण हेल्थ-गाइड

***285. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :**

श्री अमर राय प्रधान :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार इस समय कितने हेल्थ गाइड हैं;

(ख) उन्हें उनकी सेवाओं के लिए कितना मानदेय दिया जा रहा है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस मानदेय राशि को बढ़ाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या ग्रामीण हेल्थ गाइड योजना को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) 50/- रुपये प्रतिमाह।

(ग) जी नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ड.) से (छ) : कुछ राज्यों ने इस स्कीम को समाप्त कर दिया है, क्योंकि यह उपयोगी नहीं पाई गई।

विवरण

देश में ग्राम स्वास्थ्य गाइडों की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कार्य कर रहे ग्राम स्वा० गाइडों की सं०			वह अवधि, जब तक की सूचना है
		पुरुष	महिला	कुल	
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	अप्राप्त	अप्राप्त	32120**	1.4.93
2.	अरूणाचल प्रदेश +				
3.	असम	शून्य	11001	11001	31.12.91
4.	बिहार	अप्राप्त	अप्राप्त	10431*	31.3.85
5.	गोवा ++	शून्य	शून्य	शून्य	21.12.93
6.	गुजरात	शून्य	3004	3004	30.9.93
7.	हरियाणा	शून्य	270	270	30.6.90
8.	हिमाचल प्रदेश	3067	383	3450	31.12.93
9.	जम्मू-कश्मीर +				
10.	कर्नाटक	12681	2447	15128	31.12.92
11.	केरल +				
12.	मध्य प्रदेश	32546	1147	33693	30.9.89
13.	महाराष्ट्र	12589	22206	34795	30.9.93
14	मणिपुर	1107	590	1697	31.3.91
15.	मेघालय	137	1159	1296	31.3.87

1	2	3	4	5	6
16.	मिजोरम	359	176	535	30.6.93
17.	नागालैंड	349	199	548	31.3.91
18.	उड़ीसा	16530	4487	21017	31.3.92
19.	पंजाब	1196	10461	11657	31.3.90
20.	राजस्थान	6289	2693	8982	30.9.89
21.	सिक्किम	180	60	240	30.6.91
22.	तमिलनाडु +				
23.	त्रिपुरा	1050	787	1837	31.3.93
24.	उत्तर प्रदेश	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	90111*	31.12.92
25.	पश्चिम बंगाल	30905	9328	40233	31.3.93
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	98	108	206	30.9.93
27.	चंडीगढ़	20	22	42	30.9.93
28.	दादर और नगर हवेली	18	1	19	30.6.91
29.	दमन और दीव++	शून्य	शून्य	शून्य	30.9.93
30.	दिल्ली	शून्य	शून्य	शून्य	30.9.87
31.	लक्षद्वीप	2	18	20	21.12.91
32.	पांडिचेरी	140	41	181	30.9.93
	योग			322513*	

+ इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में वैकल्पिक स्वास्थ्य गाइड योजना कार्यान्वित की गई है।

पुरुष और महिला का पृथक् ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

++ गोवा, दमन व दीव में 1.8.85 से ग्राम स्वास्थ्य गाइड योजना बंद कर दी गई है।

** राज्य सरकार द्वारा 1.10.93 से बंद कर दी गई।

! आन्ध्र प्रदेश के ग्राम स्वास्थ्य गाइडों सहित।

|हिन्दी|

जापानी मस्तिष्क ज्वर

*286. **श्री बी.एल.शर्मा प्रेम :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जापानी मस्तिष्क ज्वर देश में तेजी से फैलता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों क दौरान इस [illegible] कारण प्रत्येक राज्य में कितने लोगों की मृत्यु हुई;

(घ) वर्ष 1993-94 के दौरान इस रोग की रोकथाम हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गई थी; और

(ङ) इस रोग की रोकथाम हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी.शंकरानन्द) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राज्यवार ब्यौरा इस प्रकार है :-

	1991		1991		1992	
राज्य	रोगी	मौतें	रोगी	मौतें	रोगी	मौतें
असम	281	116	291	99	259	93
आन्ध्र प्रदेश	667	293	528	214	142	66
बिहार	220	72	271	81	352	103
गोवा	16	02	45	06	43	08
हरियाणा	294	205	44	40	41	33
कर्नाटक	130	43	305	109	58	15
मणिपुर	33	08	06	-	29	-
महाराष्ट्र	-	-	54	4	-	-
तमिलनाडु	243	170	276	164	177	107
उत्तर प्रदेश	183	73	190[illegible]	662	793	229
पश्चिम बंगाल	849	309	249	151	537	234
योग	2916	1291	4071	1530	2432	888

(घ) इस रोग के लिए अलग से कोई बजट आबंटन नहीं है। इस रोग के फैलने से रोकने के लिए स्थान विशिष्ट के आधार पर टीकों की व्यवस्था की जाती है/कीटनाशकों का छिड़काव किया जाता है।

(ङ.) इसके लिए उठाए गए कदमों में रोगियों की शुरु में ही निदान और प्रभावी उपचार करना, इसके खतरे वाली आबादी का टीकाकरण, सेवाओं का शीघ्र उपयोग करने को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य शिक्षा शामिल है। इसके अतिरिक्त अधिक खतरे वाले क्षेत्रों में वैक्टर नियंत्रण संबंधी विशिष्ट उपाय किए जाते हैं और महामारी के दौरान फामिंग आपरेशन चलाए जाते हैं।

लाटरी

***287. श्री बृजभूषण शरण सिंह :**

श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को एक अंक की और दैनिक लाटरियों पर प्रतिबंध लगाने के सुझावों सहित लाटरियां चलाने के संबंध में कोई दिशानिर्देश जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की इन पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा संघ राज्य-क्षेत्र प्रशासन, चंडीगढ़ ने हाल ही में केन्द्रीय सरकार से दिल्ली, चण्डीगढ़ और देश के अन्य भागों में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा जारी किये जा रहे एक अंक की लाटरी के टिकटों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस पर केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई/किये जाने का विचार है?

गृह मंत्री (श्री एस.बी. चव्हाण) : (क) से (च) : सरकार ने लाटरियों के संचालन के संबंध में राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को समय-समय पर, दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा-निर्देश अन्य बातों के साथ-साथ टिकटों के मूल्य तय करने, इनाम की राशि, ड्रा की कुल संख्या की सीमा तय करने, 10,000/- रुपये से अधिक के इनाम की राशि का सीधे सरकार द्वारा भुगतान करने, सरकार द्वारा टिकटों की छपाई करने, सरकार के सीधे नियंत्रण और पर्यवेक्षण में ड्रा निकाले जाने, लाटरी के धन्धे में लगे व्यक्तियों का विश्वसनीय रिकार्ड रखने तथा इनाम जीतने वालों को इनाम की राशि का भुगतान करने हेतु एक समय-सीमा निर्धारित करने से संबंधित है। दिशा-निर्देश से राज्य सरकारें/संघ शासित क्षेत्र आमतौर पर सहमत हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार ने अभी हाल ही में केन्द्र सरकार से दिल्ली राज्य में अन्य राज्यों की एक अंक वाली और दैनिक लाटरियों के टिकटों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार को सर्वप्रथम अपने कानूनों/उनके प्रवर्तन को सुदृढ़ करने की सलाह दी गई है।

[अनुवाद]

सभी के लिए स्वास्थ्य

***288. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :**

श्री. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वलु :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या "2000 ईस्वी तक सभी के लिए स्वास्थ्य" कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(घ) इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अन्तरराष्ट्रीय एजेंसियों से कितनी धनराशि मांगी गयी है;

(ड.) वास्तव में कितने वित्तीय परिव्यय की आवश्यकता है; और

(च) देश के आंतरिक साधनों से कितनी धनराशि जुटाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) और (ख) : शिशु मृत्यु-दर, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा-दर आशोधित मृत्यु-दर और टीकाकरण के संबंध में लक्ष्य प्राप्त किए जाने की आशा है।

(ग) उठाए गए कदमों में प्राथमिक स्वास्थ्य ढांचे के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं में सुधार, संचारी और गैर-संचारी रोगों के नियंत्रण के लिए उपायों को तेज करना पर्याप्त परिवार नियोजन और टीकाकरण सेवाएं मुहैया करना और रोग की रोकथाम के लिए समाज में स्वास्थ्य शिक्षा शामिल है।

(घ) वर्ष 1993-94 के लिए स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए 152 करोड़ रुपये और परिवार कल्याण योजनाओं के लिए 297 करोड़ रुपये की विदेशी सहायता निर्धारित की गई थी।

(ड.) केन्द्रीय स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए मांगे गए परिव्यय और 1994-95 के लिए किए गए आबंटनों का ब्यौरा इस प्रकार है :-

वर्ष	मांगा गया परिव्यय	(करोड़ रुपये में) आबंटित किया गया परिव्यय
1994-95		
स्वास्थ्य	703.00	578.00
परिवार कल्याण	1866.15	1430.00

(च) स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं का काफी बड़ा भाग निजी और स्वैच्छिक क्षेत्र द्वारा प्रदान किया जाता रहेगा।

मुंह का कैंसर

***289. श्री एन. डेनिस : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुंह कैंसर के रोगियों की संख्या तमिलनाडु में सबसे अधिक है;

(ख) अन्य किन-किन राज्यों में यह कैंसर अधिक फैला हुआ है;

(ग) क्या इन राज्यों में मुंह का कैंसर अधिक होने के कारणों का पता लगाने हेतु कोई अध्ययन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) : यह प्रमाणित है कि तम्बाकू का इस्तेमाल विशेष रुप से इसे चबाना मुंह के कैंसर का एक मुख्य कारण है। मुंह के कैंसर की घटनाएं देश के भिन्न-भिन्न भागों में भिन्न-भिन्न हैं जो इस बात पर निर्भर करती हैं कि वहां तम्बाकू का इस्तेमाल कितना और किस प्रकार किया जाता है।

तथापि, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् के राष्ट्रीय कैंसर रजिस्टरी कार्यक्रम के आंकडों के अनुसार 1989 में भोपाल में पुरुषों में मुंह के कैंसर की घटना दर सबसे अधिक पाई गई और बैंगलूर में महिलाओं में इसकी घटना दर सबसे अधिक पाई गई। पुरुषों और महिलाओं दोनों में मुंह के कैंसर की घटना दर में मद्रास का दूसरा स्थान है।

[अनुवाद]

तराई क्षेत्र में आई.एस.आई. की गतिविधियां

***290. श्री गुरुदास कामत : क्या गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्टर सर्विसेज इन्टेलिजेंस (आई.एस.आई.) उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में आतंकवादियों को फिर से इकट्ठा करने के कार्य में लगा हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं?

गृह मंत्री (श्री एस.बी. चव्हाण) : (क) इस प्रकार की कुछ रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं।

(ख) पाकिस्तान आई.एस.आई. उग्रवाद को तेज करने और हिंसक गतिविधियाँ चलाने के उद्देश्य से भारत में आतंकवादियों को फिर से इकट्ठा करने और उन्हें पुनः सक्रिय करने के लगातार प्रयास कर रहा है।

(ग) सरकार स्थिति से अवगत है और कड़ी निगरानी रख रही है। आसूचना तंत्र को सक्रिय बनाने और आई.एस.आई. सदस्यों की गतिविधियों के बारे में सूचना का आदान-प्रदान करने सहित सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। समन्वित कार्यवाही के लिए एक संस्थागत तंत्र स्थापित किया गया है। पाक आई.एस.आई. के षड्यंत्रों का मुकाबला करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को सुग्राही बनाया गया है। तराई क्षेत्र में आतंकवाद को रोकने में उत्तर प्रदेश सरकार को कुछ उल्लेखनीय सफलताएं प्राप्त हुई हैं।

[अनुवाद]

मिट्टी के तेल की समानान्तर बिक्री

***291. श्री सुधीर गिरि : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) सरकार की फरवरी, 1993 की घोषणा के अनुसार कितनी गैर-सरकारी एजेंसियों ने मिट्टी के तेल की समानान्तर बिक्री की;

(ख) क्या इन गैर-सरकारी एजेंसियों पर निगरानी रखने के लिए सरकार ने कोई व्यवस्था की है;

(ग) इन गैर-सरकारी एजेंसियों ने अब तक कितना मिट्टी का तेल आयात किया है; और

(घ) यह आयातित मिट्टी का तेल किस मूल्य पर बेचा गया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) 28.2.94 की स्थिति के अनुसार तीस समानान्तर विपणनकर्त्ताओं ने मिट्टी के तेल का समानान्तर विपणन शुरु करने के अपने आशय की सूचना सरकार को दे दी है।

(ख) मिट्टी का तेल (प्रयोग का निर्बन्धन तथा अधिकतम मूल्य नियतन) आदेश, 1993 के अंतर्गत समानान्तर विपणनकारों को मिट्टी के तेल का आयात, परिवहन, पैक, विपणन और वितरण अथवा विक्रय शुरु करने से पहले ऐसे कार्यकलापों के संबंध में अपने आशय और अपनी क्षमता से सरकार को अवगत करना होता है और अपने द्वारा आयात किए गए मिट्टी के तेल का ब्यौरा देते हुए मासिक रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करनी होती है। इसके अतिरिक्त उन्हें सरकार को वे सभी ब्यौरे और सूचना भेजनी होती है, जो उनसे मांगी जाए।

(ग) फरवरी,1994 के अंत तक समानान्तर विपणनकत्ताओं द्वारा आयात किए गए मिट्टी के तेल की मात्रा लगभग 57.8 टी.एम.टी. थी।

(घ) समानान्तर विपणनकार उनके द्वारा आयात किए गए मिट्टी के तेल की बिक्री बाजार निर्धारित मूल्यों पर कर सकते हैं।

[हिन्दी]

कोयले का भण्डार

***292. डा. चिन्ता मोहन :**

श्री गुमान मल लोढा :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के अति महत्वपूर्ण कोयला उपभोक्ताओं की अप्रत्याशित मांग को पूरा करने के लिए कोयले का निर्धारित आरक्षित भंडार रखने हेतु कोल इंडिया लि0 तथा कोयला उद्योग से संबद्ध अन्य उपक्रमों को कोई अनुदेश जारी किए.हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ कितनी मात्रा निर्धारित की गई है;

(ग) क्या 1993 के दौरान कुछ उपक्रमों का आरक्षित कोयला भंडार निर्धारित सीमा से बढ़ गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ड.) क्या कोयले के भारी भंडारों के कारण कोयला उद्योग को वित्तीय घाटा हुआ है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाएंगे?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजीत पांजा) : (क) और (ख) : जी, हां। तत्कालीन कोयला विभाग द्वारा दिनांक 12.8.1985 को जारी किए गए निर्देशों के अनुसार किसी भी सहायक कंपनी के पास समग्र रुप से एक महीने के उत्पादन के बराबर कोयले का स्टाक होना चाहिए।

(ग) और (घ) : जी, हां। दिनांक 31.12.1993 की स्थिति के अनुसार कोयले के स्टॉक की सूची के अनुसार कुछ कंपनियों ने कोयले की एक महीने से अधिक की उत्पादन की सीमा को पार कर लिया है। कोल इंडिया लि0 की विभिन्न सहायक कंपनियों द्वारा और नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स द्वारा सूचित किए गए कोयले के स्टाक की स्थिति नीचे दर्शायी गई है :

कंपनी	31.12.1993 की स्थिति के अनुसार कोयले का स्टाक	(मिलियन टन में) एक महीने का उत्पादन (मानदंडों के अनुसार)
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि0	5.955	1.841
भारत कोकिंग कोल लि0	11.488	2.270
सेंट्रल कोलफील्ड्स लि0	8.412	2.601
नार्दर्न कोलफील्ड्स लि0	0.338	2.495
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि0	2.303	2.117
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि0	5.307	3.857
महानदी कोलफील्ड्स लि0	3.719	1.967
नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स	0.558	0.095
कुल को.ई.लि.	38.080	17.243

कोयले के स्टाक में वृद्धि का मुख्य कारण उपभोक्ता क्षेत्रों द्वारा ऊंची मांग किया जाना है और इस तरह से इस प्रक्षेपण-मांग के अनुसार कोयला कंपनियों द्वारा तद्नुसार उत्पादन करना अपेक्षित है। अपर्याप्त परिवहन व्यवस्था एक अन्य मुद्दा रहा है।

(ड.) और (च) : अधिक कोयले के स्टाक की निकासी किए जाने से कोयला कंपनियों द्वारा ब्याज अदायगी की बचत की जा सकती है और इस तरह से उनके वित्तीय कार्य-निष्पादन में सुधार आ सकता है। स्टाक

की निकासी किए जाने के लिए उठाए गए कदमों, अन्य बातों के अलावा, निम्नलिखित कदम शामिल हैं :

(1) महत्वपूर्ण क्षेत्र के बड़े उपभोक्ताओं को यातायात के सुविधाजनक साधनों द्वारा अतिरिक्त आपूर्ति की निकासी किए जाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

(2) कुछ मामलों में उठान के एवज में उत्पादन को संतुलित किया जा रहा है। अतः वर्तमान पिटहैड स्टाक में कमी की जा रही है।

(3) वृयित्मक रेल लदान लक्ष्यों को निर्धारित किया जा रहा है और रेलवे से वैगनों की आपूर्ति में सुधार किए जाने के लिए अनुरोध किया जा रहा है।

(4) उदारीकृत बिक्री योजना के अंतर्गत बिना प्रयोजन, संयोजन आदि के प्रतिबंध के उपभोक्ताओं के लिए कोयला प्राप्त किए जाने के संबंध में नई योजना शुरु की गई है।

[अनुवाद]

तम्बाकू विरोधी कानून

***293. श्री प्रकार वी. पाटील :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् ने प्रस्तावित तम्बाकू-विरोध कानून के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव का कोई अध्ययन किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने इस कानून के संबंध में अन्य मंत्रालयों से परामर्श किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) : तम्बाकू-रोधी उपायों के बारे में वित्त, कृषि, सूचना एवं प्रसारण, वाणिज्य, मानव संसाधन विकास, विधि, उद्योग, कल्याण और श्रम मंत्रालयों से परामर्श किया गया है।

[अनुवाद]

सिंचाई सुविधाएं

***294. श्री नुरूल इस्लाम :** क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या असम सरकार ने केन्द्रीय सरकार से सिंचाई परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक की सहायता उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र की सिंचाई परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से सहायता मांगी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई; और

(ड.) पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेषकर असम में सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने के लिए के केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री(श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) : असम सरकार ने संघ सरकार को विश्व बैंक सहायता हेतु किसी सिंचाई परियोजना का प्रस्ताव नहीं प्रस्तुत किया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ड.) असम सहित उत्तर-पूर्वी राज्यों में सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने के लिए आठवीं योजना में उत्तर पूर्वी राज्यों के विकास तथा "चालू परियोजनाओं को पूरा करने" पर बल दिया गया है। इस मंत्रालय द्वारा लघु और सीमान्त किसानों को सुनिश्चित स्थायी सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने हेतु पूर्वी राज्यों में भूजल के अन्वेषण और विकास की केन्द्रीय प्रायोजित योजना का प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र घाटी के विकास की विभिन्न योजनाएं और मास्टर योजना तैयार कर रहा है।

[अनुवाद]

भारत-बंगलादेश संचार सुविधा

***295. डा. असीम बाला :** क्या **गृह** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बंगलादेश और भारत के सीमावर्ती क्षेत्र के निवासियों के बीच संचार सुविधा लाने हेतु कोई व्यवस्था करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

गृह मंत्री (श्री एस.बी. चव्हाण) : (क) से (ग) : भारत और बंगलादेश के बीच दूरसंचार की वर्तमान सुविधाएं, भारत में कृष्णा नगर और बंगलादेश में चाऊडांगा के माध्यम से तैयार एनालाग माइक्रोवेव मीडिया द्वारा उपलब्ध करायी जाती हैं। इस सम्पर्क की सहायता से इस समय भारत और बंगलादेश के विभिन्न स्थानों पर अन्तर्राष्ट्रीय डायल सेवा और आपरेटर द्वारा संचालित सेवा उपलब्ध है।

सीमावर्ती क्षेत्रों के निवासियों के लिए भारत और बंगलादेश के बीच, इस सुविधा में विशेष रुप से सुधार करने का कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है। संचार सुविधाओं से संबंधित सभी मुद्दों पर, समय-समय पर दोनों देशों के मध्य होने वाली द्विपक्षीय परिचालन समन्वय बैठकों में, विचार-विमर्श किया जाता है।

[अनुवाद]

हजीरा काम्प्लैक्स

***296. श्री छीतू भाई गामीतः**

श्री सोमजी भाई डामोर :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने हजीरा काम्प्लेक्स के विस्तार को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और इसे कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी; और

(ग) हजीरा काम्प्लेक्स के विस्तार पर कुल कितनी धनराशि खर्च होगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग): सरकार ने लगभग 953 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर हजीरा टर्मिनल के विस्तार को अनुमोदित कर दिया है।

[अनुवाद]

मानवाधिकार आयोग

***297. श्री राम प्रसाद सिंह :**

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अनेक मामलों की जांच शुरु की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इनमें से कुछ मामलों की जांच पूरी हो गई है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(ड.) इसके लिए जिम्मेदार ठहराये गये लोगों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है या किए जाने का विचार है?

गृह मंत्री (श्री एस.बी. चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अब तक मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों के 52 मामले संज्ञान में किए हैं।

(ग) मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम,1953, में दी गई प्रक्रिया के अनुसार, आयोग ने उपरोक्त 52 मामलों में कदम उठाए हैं। उपरोक्त किसी भी मामले में कार्यवाही पूरी नहीं हुई है।

(घ) और (ड.) : प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सिंचाई परियोजनाएं

***298. श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील :**

श्री एस.एन. बेकारिया :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात, महाराष्ट्र पंजाब और राजस्थान में इस समय चल रही सिंचाई परियोजनाओं का कार्य धन की कमी के कारण ठप्प हो गया है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने राज्यवार इन परियोजनाओं के लिए कुल कितनी धनराशि आबंटित की है;

(ग) क्या इन राज्य सरकारों ने उक्त परियोजनाओं का कार्य समय पर पूरा करने के लिए अतिरिक्त सहायता की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है?

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ) : गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान में चालू सिंचाई परियोजनाओं का कार्य रूका नहीं हुआ है। आठवीं योजना और 1992-93 और 1993-94 की वार्षिक योजनाओं के लिए उक्त राज्यों में सिंचाई और बाढ़-नियंत्रण क्षेत्र के वास्ते योजना आयोग द्वारा अनुमोदित राज्य-वार परिव्यय निम्नवत् है :

		योजना आयोग द्वारा अनुमोदित परिव्यय (करोड़ रु. में)	
राज्य	आठवीं योजना	वार्षिक योजना	
		1992-93	1993-94
गुजरात	3756.00	473.00	503.00
महाराष्ट्र	3329.10	545.66	848.00
पंजाब	635.93	98.30	90.00
राजस्थान	[illegible]	252.80	302.63

कुल राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए विशेष सहायता देने के प्रस्ताव को आठवीं योजना में शामिल करने के लिए योजना आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है। तथापि, विश्व बैंक दल सहायता से इसे हटा दिए जाने के फलस्वरुप गुजरात में सरदार सरोवर परियोजना के समय पर पूरा करने

के लिए विशेष मामले के रुप में, 550 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता स्वीकार की गई है। सतलुज यमुना सम्पर्क नहर परियोजना (पंजाब का हिस्सा) को भी केन्द्रीय क्षेत्र में पूर्णतः वित्तपोषित किया जाता है। इस परियोजना के लिए पंजाब सरकार को 497.99 करोड़ रुपये की राशि निर्मुक्त की गई है। राजस्थान में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना को भी अग्रिम योजना सहायता, सूखा राहत सहायता और सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता प्राप्त हुई है। मार्च,93 तक राजस्थान सरकार को निर्मुक्त की गई कुल राशि 244.10 करोड़ रुपये हैं। चालू वर्ष के दोरान इस परियोजना के लिए राजस्थान सरकार को सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 52.00 करोड़ रुपये निर्मुक्त करने का प्रावधान है। राजस्थान में सिद्धमुख और नोहर परियोजनाओं के लिए 45 मिलियन ईसीयू की सहायता हेतु यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ करार पर हस्ताक्षर किए गये । यह अनुदान जून, 1993 से दिसम्बर,2000 तक प्रभावी है।

गुजरात में 32 चालू सिंचाई परियोजनाओं को 144.4 मिलियन एस.डी.आर. की संशोधित ऋण राशि के लिए उनके क्रेडिट सं0 1496-आई.एन. के अंतर्गत विश्व बैंक से सहायता प्राप्त हो रही है। क्रेडिट की बढ़ी हुई समापन तिथि 3/94 है।

पंजाब सिंचाई और जलनिकास परियोजना को 117.7 मिलियन एस.डी.आर. की राशि के लिए क्रेडिट सं0 2876-आई.एन. के अंतर्गत विश्व बैंक से सहायता प्राप्त हो रही है जो 3/98 तक प्रभावी रहेगी।

जायकवाडी चरण-I और चरण-II के भागों, अपर पेनगंगा, कृष्णा कुकाडी और भीमा सिंचाई परियोजनाओं को विश्व बैंक से 132.2 मिलियन एस.डी.आर. की राशि पुनः संरक्षित एम.सी.आई. पी.।।। के अंतर्गत प्राप्त हो रही है जो 12/96 तक प्रभावी रहेगी।

गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्यों को अनुमोदित वित्त पोषण पद्धति के आधार पर केन्द्रीय प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत भी सहायता दी गई है।

[अनुवाद]

गैस को जला कर नष्ट करना

***299. श्री तरित बरण तोपदार :**

श्री दत्ता मेघे :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में भंडारण तथा वितरण सुविधाओं की कमी के कारण 1991-92 से अब तक प्रतिवर्ष कुल कितनी और कितने मूल्य की प्राकृतिक गैस, जलाकर नष्ट की गई;

(ख) क्या इस गैस के भंडारण और वितरण हेतु कोई कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) :

(क) वर्ष	जलाई गई मात्रा (एम.एम.एस.सी.एम.)	काल्पनिक मूल्य (करोड़ रुपये में)
1991-92	4119.66	518.30
1992-93	1854.20	216.57
1993-94	1545.38	178.67
(अप्रैल, 93 - जनवरी, 94)		

लगभग 45 प्रतिशत दहन अपरिहार्य और तकनीकी है।

(ख) और (ग) : पश्चिमी अपतटीय क्षेत्रों हेतु एक गैस दहन न्यूनीकरण परियोजना क्रियान्वयन के अधीन है। इसके अतिरिक्त दहन को तकनीकी रुप से आवश्यक स्तर तक कम करने के लिए गुजरात, दक्षिण भारत और उत्तर-पूर्व में आवश्यक संपीड़न और परिवहन सुविधाओं की स्थापना की जा रही है। ऐसा गैस के भूमिगत भंडारण हेतु आयल इंडिया लि0 एक योजना लागू कर रहा है।

[अनुवाद]

मेडिकल कालेजों के लिए पाठ्‌क्रम

***300. श्री सी.पी.मुदाल गिरियप्पा :**

डा0 के.डी. जेस्वाणी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेडिकल कालेजों(एम.बी.बी.एस.) का पाठ्यक्रम प्रत्येक राज्य में अलग है;

(ख) यदि हां, तो क्या सम्पूर्ण देश में मेडिकल कालेजों का पाठ्यक्रम एक-समान रखने की कोई मांग की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री(श्री बी. शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पड़ौसी देशों के साथ समझौता ज्ञापन

3108. श्री मोहन रावले : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने विद्रोहियों तथा तस्करों के सीमा पार आवागमन को रोकने हेतु हाल ही में म्यांमार के साथ किए गए समझौता ज्ञापन की भांति अन्य पड़ौसी देशों के साथ भी किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निकट भविष्य में कुछ अन्य पड़ौसी राज्यों के साथ ऐसे किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री पी.एम.सईद) : (क) से (घ) : सीमा पार से विद्रोहियों और तस्करों की गतिविधियों को रोकने के उद्देश्य से म्यांमार के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं और केन्द्रीय गृह सचिव द्वारा बंगलादेश और नेपाल की यात्राओं के दौरान इस मामले को इन देशों के साथ उठाया गया। बंगलादेश के मामले में सभी लम्बित पड़े मामलों की गहराई से जांच करने और उन्हें हल करने के लिए व्यवहारिक सिफारिशें करने हेतु एक संयुक्त कार्य दल का गठन किया गया है।

[अनुवाद]

दिल्ली पुलिस द्वारा जब्त किए गए जाली शेयर सर्टिफिकेट

3109. श्री जे.चौक्का राव :

श्री जार्ज फर्नान्डीज :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस ने हाल ही में किसी ब्लू चिप कंपनी के करोड़ों रुपये मूल्य के जाली शेयर सर्टिफिकेट जब्त किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इनमें कुल कितनी राशि सम्मिलित है;

(घ) क्या इस जालसाज़ी में लिप्त बैंकों, कम्पनियां के नामों आदि का पता लगाने के लिए कोई जांच की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) इस संबंध में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(छ) ऐसे मामलों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम.सईद) : (क) से (च) : जी हां, भारतीय दंड संहिता की धारा 420/468/471/120-ख के तहत दो मामले, थाना कोतवाली और थाना प्रसाद नगर नई दिल्ली में क्रमशः 11.2.1994 और 7.3.1994 को दर्ज किए गए थे और अभियुक्तों के कब्जे से लगभग दो करोड़ रुपये के बाजार मूल्य के जाली शेयर सर्टिफिकेट और अन्य अभिशंसी दस्तावेज बरामद किए गए। नौ व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। जिन कम्पनियों के जाली सर्टिफिकेट बरामद किए गए वे इस प्रकार हैं : मैसर्स रिलायन्स इंडस्ट्री लिमिटेड,

यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, मैग्नम मल्टीप्लायर प्लस, 1993 एस.बी.आई.म्यूचअल फंड, हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड, लार्सन एण्ड टूब्रो(एल एण्ड टी), मुकुट पाईप लि., एस.सी.आई.सी. (साउदर्न पेट्रो केमीकल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन), रिलायन्स टेक्सटाइल लिमिटेड, द टाटा पावर कंपनी लिमिटेड, आई.सी.आई.सी.आई. (इंडस्ट्रियल क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया) और हिन्दुस्तान सिन्ना-गायगी।

(छ) डिवीजन और बीट अफसरों को इस प्रकार के अपराधियों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। जब कभी इस प्रकार के मामले ध्यान में आते हैं तो कानून के उपयुक्त उपबंधों के तहत आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

[अनुवाद]

पूर्व पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थी

3110. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) पूर्व पूर्वी पाकिस्तान के कुल कितने शरणार्थियों को मध्य प्रदेश के रायपुर में माना कैम्प से हरियाणा के करनाल स्थित महिला आश्रम में लाया गया है;

(ख) क्या इन सभी शरणार्थियों का पुनर्वास किया गया है तथा उन्हें स्वरोजगार के साधन उपलब्ध कराए गए हैं;

(ग) डिस्प्लेस्ड रेजिडेंट्स एसोसिएशन के साथ-साथ शरणार्थियों की मांगों का भी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार कब तक उन मांगों को स्वीकार करेगी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री पी.एम. सईद) : (क) मध्य प्रदेश के रायपुर स्थित माना शिविर से 68 नए प्रवासी परिवारों को करनाल के महिला आश्रम में ले जाया गया।

(ख) से (घ) : विस्थापित निवासी समिति की मुख्य मांगें, दुकान-सह-आवास के रुप में स्थाई पुनर्वास और व्यवसायिक ऋण की स्वीकृति के बारे में हैं। महिला आश्रम, करनाल के सुपात्र प्रवासी परिवारों को छोटे व्यापार/व्यवसाय के लिए पुनर्वास की संशोधित योजना के लिए स्वीकृति मार्च, 1987 में प्रदान की गई थी और हरियाणा सरकार को धनराशि मुहैया करा दी गई थी। हरियाणा सरकार ने सूचित किया है कि इन परिवारों के स्थायी पुनर्वास के लिए उन्होंने अर्बन एस्टेट करनाल के सैक्टर-16 में जमीन अधिगृहीत कर ली है।

[अनुवाद]

माहे के लिए भेजे जाने वाले पेट्रोलियम उत्पादों का अन्यत्र ले जाना

3111. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या **पेट्रोलियम गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ अधिकारी माहे भेजे जाने वाले पेट्रोलियम पदार्थों को माहे के आस-पास के केरल के जिलों में भेजते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है अथवा किसी एक के विरुद्ध कार्यवाही की गई है; और

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री(कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) ऐसी कोई विसंगति नहीं देखी गई है।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कच्चे तेल की खरीद

3112. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वदेशी आपूर्ति की पूर्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कच्चे तेल की स्थल-खरीद इंडियन आयल कारपोरेशन के माध्यम से हो रही है;

(ख) यदि हां, तो स्थल पर ही खरीद के लिए विशेषत: निविदा आमंत्रित करके ठेका देने के संबंध में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है;

(ग) यदि हां, तो 1992-93 में आमंत्रित की गई निविदाओं की तिथियां क्या थीं और उनमें कितनी मात्रा में तेल की खरीद का ठेका दिया गया तथा जिन फर्मों को ठेके मिले, उनके क्या नाम थे;

(घ) क्या ठेकेदारों ने आई.ओ.सी. और सरकार द्वारा समझौते में रखी गई सभी शर्तों को पूरा किया है; और

(ङ.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री(कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ.) : निविदाएं जारी करके स्थल पर खरीदें की जाती हैं और अधिकतम मुनाफे के आधार पर प्रस्ताव स्वीकार कर मांग आदेश दिए जाते हैं। 1992-93 के दौरान आई.ओ.सी. के पास पंजीकृत पार्टियों को 13 निविदाएं जारी की गई थीं जिनके द्वारा लगभग 9.9 एम.एम.टी. की संविदाओं को अंतिम रुप दिया गया। इन पंजीकृत पार्टियों को मांग आदेश दिए। सभी आपूर्तिकत्ताओं ने संविदा संबंधी अपने उत्तरदायित्व पूरे किए।

[अनुवाद]

तम्बाकू उत्पादों पर प्रतिबंध

3113. श्री रामचन्द्र बीरप्पा : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी तम्बाकू उत्पादों पर समान रुप से प्रतिबंध लगाए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) और (ग) : प्रस्तावित व्यापक

तम्बाकूरोधी विधान में अन्य बातों के साथ-साथ तम्बाकू उत्पादों के पैकेजों पर स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी, कतिपय विशिष्ट सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी रुप में धूम्रपान पर प्रतिबंध और तम्बाकू के सभी उत्पादों के विज्ञापन के सभी रुपों पर रोक लगाने की बात पर विचार किया जाएगा।

नहाने का साबुन और डिटर्जेंट

3114. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नहाने के साबुन और डिटर्जेंटों को औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1954 में शामिल करने हेतु कदम उठाये गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इन्हें कब तक शामिल किया जाएगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री(श्री बी.शंकरानन्द) : (क) से (घ) : नहाने के साबुन को औषध और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 की अनुसूची ''घ'' में शामिल किया गया है।

''डिटर्जेंटों'' को ''प्रसाधन'' नहीं माना गया है और इसलिए ये औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के दायरे में नहीं आते।

उड़ीसा में कुआं खोदना

3115. श्री गोपी नाथ गजपति : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या केन्द्रीय भूजल-बोर्ड ने भू-जल अन्वेषण संबंधी वैज्ञानिक कार्यक्रम के अंतर्गत उड़ीसा में कोई कुआं खोदा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय भू-जल बोर्ड का उक्त योजना के अंतर्गत उड़ीसा में और कुएं खोदने का कोई विचार है; और

(घ) यदि हां, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जी हां।

(ख) भू-जल अन्वेषण के वैज्ञानिक कार्यक्रम के अंतर्गत भूमिजल बोर्ड जनवरी,94 के अंत तक उड़ीसा में 553 बेधन छिद्र ड्रिल किए हैं, जिनमें 382 अन्वेषणात्मक कुएं, 96 प्रेक्षण कुएं, 18 स्लिम छिद्र और 57 पीजोमीटर कुएं शामिल हैं।

(ग) जी हां।

(घ) बोर्ड का आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा में 590 बेधन छिद्र ड्रिल करने का लक्ष्य है।

[हिन्दी]

कम वजन वाले रसोई गैस सिलिंडरों की सप्लाई

3116. श्री सुरेन्द्रपाल पाठक : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या सरकार को रसोई गैस वितरकों द्वारा उपभोक्ताओं को कम तौल वाले रसोई गैस सिलिंडरों की सप्लाई करने के संबंध में शिकायत मिली है;

(ख) यदि हां, तो 1993 में ऐसी कितनी शिकायतें दिल्ली से प्राप्त हुई हैं;

(ग) ऐसी शिकायतों पर सरकार द्वारा रसोई गैस वितरकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) इसे रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (घ): संभरण संयंत्रों पर रसोई गैस रिफिल सिलिंडरों के वजन को सही सुनिश्चित करने हेतु स्पष्टतया निर्धारित प्रक्रियाएं हैं। जब कभी भी कम वजन के सिलिंडरों के बिक्री किए जाने संबंधी विशिष्ट शिकायतें प्राप्त होती हैं, उनकी रसोई गैस विपणन कम्पनियों द्वारा जांच-पड़ताल की जाती है और यदि शिकायतें प्रमाणित हो जाती हैं तो रसोई गैस डिस्ट्रीब्यूटर के विरुद्ध अनुशासन दिशा-निर्देशों तथा राज्य सरकार द्वारा भी उनके माप तौल विभाग के माध्यम से उचित कार्यवाही की जाती है। 1993 के दौरान दिल्ली में छः डिस्ट्रीब्यूटरों को सावधानी/चेतावनी पत्र निर्गत किए गए थे, जिनके विरुद्ध ऐसी शिकायतें प्रमाणित हुई थीं।

[अनुवाद]

आन्ध्र प्रदेश में जनजातीय कल्याण

3117. श्री रामकृष्ण कोंताला : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या केन्द्रीय सरकार को जनजातीय कल्याण हेतु रोम से आर्थिक सहायता मांगने सम्बन्धी आन्ध्र प्रदेश सरकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में क्या कार्रवाही की गई है ?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री के.वी. तंग्काबालू) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : भारत सरकार को अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि(आई.एफ.ए.डी.) रोम से वित्तीय सहायता हेतु आन्ध्र प्रदेश ऋण एवं आदिवासी परियोजना प्राप्त हुई है। इस परियोजना का उद्देश्य 4 आई.टी.डी.ए. अर्थात् उतनूर (आदिलाबाद जिला), इतुनसग्राम (वारंगल जिला), भद्राचयम(खम्माम जिला) तथा कोटा-रामचन्द्रपुरम(पश्चिम गोदावरी जिला) के साथ-साथ सुन्दोपेंटा आई.टी.डी.ए. द्वारा कवर किए गए चेन्चू परियोजना आई.टी.डी.ए. के आदिवासियों के जीवन में आर्थिक सुधार लाना है।

इस परियोजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में 1060 गांवों में कुल 76,810 आदिवासी परिवारों को शामिल करने का प्रस्ताव है।

इस परियोजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के 1060 गांवों में कुल 76,810 आदिवासी परिवारों को शामिल करने का प्रस्ताव है।

इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 46 मिलियन अमरीकी डालर (1416 मिलियन रुपये) है।

इस परियोजना पर आर्थिक कार्य विभाग के माध्यम से आई.एफ.ए.डी. रोम के साथ बातचीत चल रही है।

[हिन्दी]

पेट्रोल में मेथालोन मिलाना

3118. श्री गोविन्द राव निकम : क्या **पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात में पेट्रोल में मेथालोन मिलाने की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त योजना का और विस्तार करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है; और

(ग) इससे कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) तेल उद्योग ने प्रायोगिक आधार पर एक वर्ष की अवधि के लिए बड़ौदा(गुजरात) के चुने हुए कुछ खुदरा बिक्री केन्द्रों पर 3 प्रतिशत मेथनोल मिले हुए पेट्रोल का विपणन करना शुरु किया है।

(ख) इस योजना का विस्तार प्रायोगिक प्रचालन के परिणामों पर निर्भर करेगा।

(ग) चूंकि पेट्रोल का आयात नहीं किया जाता है अतः विदेशी मुद्रा की बचत का प्रश्न नहीं उठता ।

[अनुवाद]

राजस्थान नहर

3119. श्रीमती वसुंधरा राजे : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान नहर के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) दिसम्बर,1993 तक आबंटित धनराशि में से कितनी राशि खर्च की गई है; और

(ग) नहर को पूरा करने में कितनी प्रगति हुई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री पी.के. थुंगन) : (क) वर्ष 1993-94 तक इंदिरा गांधी नहर(राजस्थान नहर) के लिए कुल 1118.20 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है।

(ख) उपर्युक्त में से, दिसंबर, 1993 के अंत तक नहर कार्यों पर 1040 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई है।

(ग) इस परियोजना का निर्माण दो चरणों में किया जा रहा है। परियोजना का चरण-। पूरा हो गया है। चरण-।। की मुख्य नहर भी पूरी हो गई है तथा वितरण प्रणाली के कार्य किए जा रहे हैं।

नर्मदा नदी

3120. **श्री सुशील चन्द्र शर्मा :** क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) नर्मदा जल विवाद ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए आंकड़ों के विपरीत नर्मदा नदी में उपयोग किए जाने लायक प्रवाह का नवीनतम यअनुमान कितना है;

(ख) उस एजेंसी का नाम क्या है, जिसने उपयोग किए जाने लायक प्रवाह की मात्रा का अनुमान लगाया तथा यह अनुमान किन मुख्य विशेषताओं पर आधारित है;

(ग) मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में नर्मदा के पानी का एम.ए.एफ. के हिसाब से वर्ममान उपयोग कितना हो रहा है; और

(घ) कितना पानी बिना उपयोग के अरब सागर में जा रहा है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री पी.के. थुंगन): (क) नर्मदा जल विवाद अधिकरण द्वारा किए गए निर्धारण के अनुसार, नर्मदा नदी में उपयोज्य प्रवाह की 2025 ई० तक पुनरीक्षा नहीं की जा सकती।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) : वर्ष 1992-93 के लिए नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा तैयार किए गए वार्षिक जल लेखा के अनुसार नर्मदा जल विवाद अधिकरण द्वारा आकलन किए गए 20 मिलियन एकड़ फुट उपयोज्य जल में मे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में उपयोग निम्नवत् था :

राज्य	उपयोग
मध्य प्रदेश	2.4043 मिलियन एकड़ फुट
महाराष्ट्र	0.0001 मिलियन एकड़ फुट
गुजरात	0.0004 मिलियन एकड़ फुट
कुल	2.4048 मिलियन एकड़ फुट

(अर्थात् 2.41 मिलियन एकड़ फुट)

शेष जल अरब सागर में बह गया।

[हिन्दी]

बीना में तेल शोधक कारखाना

3121. **श्री परसराम भारद्वाज :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या मध्य प्रदेश के सागर जिले में बीना में आयातित कच्चे तेल पर आधारित एक तेल शोधक कारखाना स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री(कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग): सरकार द्वारा मध्य भारत में संयुक्त क्षेत्र में एक रिफाइनरी स्थापित करने हेतु विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार कने के लिए भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड को प्रथम चरण का अनुमोदन दे दिया गया है। परियोजना के क्रियान्वयन में निहित अग्रिम कार्यवाही को अग्रेषित करने के लिए भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड तथा ओमान आयल कम्पनी लिमिटेड का एक संयुक्त उद्यम कम्पनी दिनांक 25 फरवरी, 1994 को पंजीकृत की गई है।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति

3122. श्री ललित उराव : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या राजभाषा **कार्यान्वयन** समिति का मंत्रालय स्तर पर गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के सदस्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1993 के दौरान कब-कब इस समिति की बैठकें बुलाई गई हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) जी, हां। कोयला मंत्रालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति पहले से ही कार्यरत है।

(ख) इस समिति का गठन मंत्रालय में एक संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में किया गया है, जिसमें मंत्रालय के 10 अधिकारी सदस्य के रुप में शामिल किए गए हैं। मंत्रालय में कार्यरत सहायक निदेशक (राजभाषा) इसके सदस्य सचिव हैं।

(ग) वर्ष 1993 के दौरान इस समिति की दिनांक 26.3.93, 30.9.93 और 3.12.93 को तीन बैठकें आयोजित की गई थीं।

[अनुवाद]

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय

3123. श्री धर्मभिक्षम : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी विचार आन्ध्र प्रदेश में केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना औषधालयों का दर्जा बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री(श्री बी. शंकरानन्द) : (क) से (ग) : हैदराबाद में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना सुविधाओं का पिछले वर्ष ही आधुनिक मशीनरी और उपस्कर प्रदान करके दर्जा बढ़ाया गया ।

तेल खोज क्षेत्र में निवेश

3124. श्री हरीश नाराण प्रभु झांट्ये : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 फरवरी,1994 को ''द पाइनियर'' में ''रीजेन्टमेंट इन नार्थ ईस्ट ओवर ओ. एन.जी.सी. प्राइवेटाइजेशन मूव्स'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकारी खाते और निजी क्षेत्र दोनों में तेल-खोज कार्यक्रम पर अब तक अलग-अलग घरेलू तथा विदेशी कुल कितना निवेश किया गया है और इस समय तेल-खोज क्षेत्र में कितना अनुमानित विदेशी निवेश विचाराधीन है और आठवीं योजना के लिए कौन-कौन सी परियोजनाएं हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री(कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख): ओ. एन. जी.सी. के कर्मचारियों ने निजी कम्पनियों द्वारा छोटे और मध्यम आकार के तेल/गैस क्षेत्रों के विकास के संबंध में कुछ आशंकाएं व्यक्त की थीं। कर्मचारियों को योजना का तर्कधार बताने हेतु प्रबन्धकों ने उनके साथ चर्चाएं आयोजित की हैं।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ओ.एन.जी.सी. और ओ.आई.एल. द्वारा देश में किए जाने वाले सर्वेक्षणों और अन्वेषण वेधन पर 9838 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है। तेल अन्वेषण में निजी क्षेत्र का निवेश प्रत्येक ठेके में प्रस्तावित कार्य के कार्यक्रम पर निर्भर होता है, अतः इसकी मात्रा नहीं बताई जा सकती।

[हिन्दी]

कोयले की आपूर्ति

3125. श्री साइमन मराण्डी : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94 के दौरान सी.सी.एल., ई.सी.एल. और बी.सी.सी.एल. द्वारा कुल कितने कोयले का उत्पादन किया गया ;

(ख) इसमें से बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश को कोयले की कितनी आपूर्ति की गई;

(ग) उत्तम कोटि का कितना कोयला निर्यात किया गया;

(घ) उक्त कोयला उत्पादक कम्पनियों में से प्रत्येक ने 1993-94 के दौरान कितनी राशि का लाभ अर्जित किया;

(ङ.) क्या इस वर्ष के दौरान कोयले की मांग और आपूर्ति में कोई अन्तर है; और

(च) यदि हां, तो मांग के अनुसार कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री अजित पांजा) : (क) अप्रैल,93 से फरवरी,1994 की अवधि के दौरान ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि0 (ई.को.लि.), भारत कोकिंग कोल लि.(भा.को.को.लि.) तथा सेंट्रल कोलफील्ड्स

लि0(से.को.लि.) की खानों में कोयला उत्पादन की मात्रा नीचे दी गई है :

	(मिलियन टन में)
	आंकड़े अनंतिम
ई.को.लि.	20.25
भा.को.को.लि.	24.97
से.को.लि.	28.61

(ख) अप्रैल,1993 से दिसम्बर, 1993 की अवधि के दौरान ई.को.लि., भा.को.को.लि. तथा से.को.लि. से बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश को आपूर्ति की गई कोयले की मात्रा के संबंध में उपलब्ध सूचना नीचे दी गई है:

(आंकड़े मिलियन टन में)

आंकड़े अनंतिम

कोयले की मात्रा की आपूर्ति की गई

राज्य	ई.को.लि.	भा.को.को.लि.	से.को.लि.
1	2	3	4
बिहार	1.256	5.642	6.972
पश्चिम बंगाल	10.203	2.575	0.697
उड़ीसा	0.318	0.530	0.484
उत्तर प्रदेश	0.348	2.442	5.024

(ग) ई.को.लि., भा.को.को.लि. और से.को.लि. से अप्रैल,1993 से फरवरी,1994 की अवधि के दौरान निर्यात किए गए कोयले की मात्रा नीचे दी गई है:

	(टन में)
	(आकंड़े अनंतिम)
ई.को.लि.	71,662
से.को.लि.	3,800
भा.को.को.लि.	7,502

(घ) वर्ष 1993-94 के लिए विभिन्न कोयला कंपनियों के लाभ/हानि के आंकड़े केवल लेखों को अंतिम रुप देने तथा उनकी लेखा परीक्षा करने के पश्चात् ही उपलब्ध होंगे।

(ड.) और (च) : अप्रैल,93 से फरवरी,94 की अवधि के दौरान 199.97 मिलियन टन की मांग की तुलना में कोल इंडिया लि0 से कोयले का उठान 195.16 मिलियन टन था। मांग संतोषप्रदत्ता 97.6 प्रतिशत थी। मांग की संतोषप्रदत्ता तथा उठान में वृद्धि अधिक हो सकती थी, लेकिन उपभोक्ताओं द्वारा बड़े पैमाने में कार्यक्रमों को रद्द/निलंबित किए जाने के कारण नहीं हो सकी। कोयले के उठान में अधिक वृद्धि के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :-

(1) महत्वपूर्ण क्षेत्र के बड़े उपभोक्ताओं को कोयले की अतिरिक्त आपूर्ति प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

(2) कोयला प्रेषण को एम.जी.आर., रज्जु मार्गों, अपने वैगनों, बेल्ट आदि जैसे ग्रहीत साधनों द्वारा और आगे बढ़ाया जा रहा है।

(3) कोयला प्रेषण में और अधिक सुधार के लिए वितरण नीतियों को उदार बनाया गया है तथा उदारीकृत बिक्री योजना के अंतर्गत बिना किसी प्रायोजकता, संयोजन आदि के कोयले की खरीद के लिए उपभोक्ताओं को अनुमेय करते हुए एक नई योजना आरंभ की गई है।

[अनुवाद]

मंत्रियों के दौरे

3126. मेजर जनरल(रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत एक वर्ष के दौरान बड़ी संख्या में मंत्रियों ने विदेश यात्राएं की हैं;

(ख) 1993-94 के दौरान माहवार कौन-कौन से मंत्रियों ने विदेश यात्राएं कीं वे कितने-कितने समय तक विदेशों में रहे तथा उन पर कितना खर्च हुआ;

(ग) क्या प्रधान मंत्री ने विदेश यात्रा हेतु मंत्रियों को कोई दिशानिर्देश दिए हैं अथवा उनके लिए कोई मानदण्ड निर्धारित किए हैं; और

(घ) क्या सरकार के पास ऐसे दौरों पर हो रहे खर्च को कम करने संबंधी कोई योजना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री पी.एम.सईद) : (क) और (ख) : मंत्रिमंडल के वेतन और लेखा कार्यालय से प्राप्त सूचना और उनके द्वारा बुक किए गए व्यय के आधार पर उन मंत्रियों के नामों का विवरण, जिन्होंने वर्ष 1993-94 के दौरान विदेशों के दौरे किए और जिनके व्यय बुक किये गये, संलग्न हैं।

(ग) और (घ) : मंत्रियों के विदेशों के दौरों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाने के बारे में कोई प्रस्ताव इस मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है क्योंकि मंत्रियों द्वारा इस प्रकार के दौरे तभी किए जाते हैं, जब ये उनके विभाग से संबंधित कार्यों का उचित रुप से निष्पादन करने के लिए अनिवार्य होते हैं।

विवरण

4/93 से 2/94 तक की अवधि में, मंत्रिमंडल के वेतन और लेखा कार्यालय द्वारा प्रत्येक मंत्री के विदेशी दौरों पर बुक किए गए व्यय का विवरण।

क्र.सं.	मंत्री का नाम	महीना	धनराशि
1	2	3	4
1.	श्री पी.वी.नरसिम्हा राव	4/93	2,45,00,600 रु.
	प्रधान मंत्री	6/93	1,41,50,300 रु.
		9/93	7,52,90,750 रु.
		6/93	3,60,10,000 रु.
2.	श्री बलराम जाखड़	6/93	1,51,597 रु.
		6/93	18,040 रु.
		7/93	1,41,678 रु.
			100 रु.
		9/93	5,305 रु.
		11/93	13,944 रु.
		2/94	8,306 रु.
3.	श्री गुलाम नबी आज़ाद	4/94	54.022 रु.
4.	आर.एल.भाटिया	4/93	1,390 रु.
		5/93	300 रु.
		6/93	300 रु.
		9/93	300 रु.
		10/93	300 रु.
5.	कुमारी शैलजा	6/93	35,825 रु.
		10/93	71,520 रु.
		11/93	
		12/93	300 रु.
6.	श्री प्रणव मुखर्जी	4/93	20,375 रु.
		5/93	66,290 रु.
		1/94	12,290 रु.

1	2	3	4
7.	श्री दिनेश सिंह	10/93	300 रु.
8.	श्री सी.के.जाफर शरीफ	7/93	71,418 रु.
		6/93	32,131 रु.
9.	श्री एन.के.पी.साल्वे	6/93	21,851 रु.
			1,10,390 रु.
		9/93	300 रु.
10.	श्री मनमोहन सिंह	6/93	1,95,030 रु.
		9/93	1,23,735 रु.
		10/93	40,719 रु.
11.	श्री कल्पनाथ राय	5/93	62,055 रु.
12.	श्री एस.कृष्ण कुमार	5/93	1,71,812 रु.
13.	श्री कर्नल राम सिंह	6/93	22,272 रु.
14.	श्री जी. वेंकटस्वामी	7/93	17,008 रु.
			1,59,709 रु.
15.	श्री सुखराम	5/93	29,150 रु.
		6/93	19,030 रु.
16.	श्री कमल नाथ	4/93	4,48,525 रु.
		5/93	19,250 रु.
		6/93	23,700 रु.
		7/93 व	
		9/93	2,03,245 रु.
		10/93 व	
		2/94	19,300 रु.
		11/93	9,900 रु.
17.	श्री बलराम सिंह यादव	6/93	18,346 रु.
		7/93 व	

1	2	3	4
18.	श्री के.पी.सिंह देव	6/93	51,501 रु.
19.	श्री मल्लिकार्जुन	7/93	7,391 रु.
		10/93	81,054 रु.
20.	श्री जगदीश टाइटलर	6/93	99,395 रु.
21.	श्रीमती मारग्रेट अल्वा	9/93	1,20,970 रु.
22.	श्री वी.सी.शुक्ला	5/93	1,04,109 रु.
23.	श्री एम.अरूणाचलम	9/93	300 रु.
24.	कैप्टन सतीश कुमार शर्मा	4/93	79,747 रु.
		5/93	1,39,330 रु.
		6/93	71,320 रु.
		9/93	81,805 रु.
25.	श्री के.वी.थगाबालु	9/93	2,38,886 रु.
26.	श्री.एम.वी.चन्द्रशेखर मूर्ति	10/93	96,490 रु.
27.	श्री पी.ए.संगमा	4/93	24,420 रु.
		5/93	56,720 रु.
28.	श्री ए.के. पांजा	9/93	66,407 रु.
29.	श्री कमालुद्दीन अहमद	6/93	98,298 रु.
		4/93	18,043 रु.
		9/93	33,515 रु.
30.	श्री पी.वी. रंगय्या नायडू	6/93	97.050 रु.
31.	श्री पी.के.थुंगन	10/93	28,250 रु.
32.	श्रीमती सुखबंस कौर	6/93	96,610 रु.
		6/93	18,967 रु.
33.	श्री पी.आर.कुमार मंगलम्	9/93	36,124 रु.
34.	श्री एच.आर. भारद्वाज	6/93	96,319 रु.
		11/93	64,087 रु.

1	2	3	4
35.	श्री संतोष मोहन देव	6/93	63,148 रु.
		9/93	2,01,048 रु.
36.	श्री तरूण गोगोई	5/93	1,24,301 रु.
37.	श्री भुवनेश चतुर्वेदी	4/93	300 रु.
		5/93	300 रु.
		6/93	300 रु.
		8/93	150 रु.
		9/93	300 रु.

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

3127. श्री लोक नाथ चौधरी :

श्री अन्ना जोशी :

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को प्रवेश देने के मामले में की गई कथित अनियमितताओं की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री(श्री बी.शंकरानन्द) : (क) से (ग) : संस्थान को निदेश दिए गए हैं कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए परीक्षा के आधार पर संस्थान द्वारा निर्धारित मेरिट के सिद्धांत का पालन किया जाए जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए कानूनी आरक्षण का प्रावधान हो।

हैक्सेन का उत्पादन

3128. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ने इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के सहयोग से उच्च. किस्म के फूड ग्रेड हैक्सेन के उत्पादन की प्रौद्योगिकी विकसित की है; और

(ख) यदि हां, तो सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में इस किस्म के हैक्सेन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) मैसर्स भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, बम्बई तथा मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड, मद्रास ने ग्रास रूट वाणिज्यिक इकाइयां के लिए पहले ही इस प्रौद्योगिकी को अपना लिया है। ये दोनों वाणिज्यिक इकाइयां पहले से ही प्रचालन कर रही हैं तथा वांछित गुणवत्ता की फूड ग्रेड हैक्सेन का उत्पादन कर रही हैं।

[अनुवाद]

पाकिस्तानी राष्ट्रिकों को वीजा

3129. श्री अष्ट भुजा प्रसाद शुक्ल :

श्री चिन्मानन्द स्वामी :

श्री गिरधारी लाल भार्गव :

श्रीमती सरोज दुबे :

श्री एस. बी. सिदनाल :

श्री सुरेन्द्र पाल पाठक :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993 के दौरान कितने पाकिस्तानी राष्ट्रिकों ने भारत की यात्रा की और उनको वीजा किस आधार पर दिया गया;

(ख) भारत में वैध यात्रा प्रपत्रों के साथ होने वाले पाकिस्तानी राष्ट्रि कों और ऐसे पाकिस्तानी राष्ट्रकों जिनकी पहचान नहीं की गई है की अलग-अलग संख्या कितनी है;

(ग) 31 दिसम्बर,1993 को भारत में अपनी यात्रा अवधि समाप्त होने के बाद भी रह रहे पाकिस्तानियों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(घ) भारत में पांच वर्षों से अधिक समय से रह रहे ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ङ.) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान अब तक कितने अवैध विदेशी नागरिकों को प्रत्यावर्तन किया गया;

(च) गत वर्ष के दौरान सीमाओं पर कितने पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार किए गये; और

(छ) पाकिस्तानी राष्ट्रिकों की वीजा जारी करने से पूर्व ऐसे जासूसों का प्रवेश रोकने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) : उपलब्ध सूचना के अनुसार, 1993 के दौरान 52,898 पाकिस्तानी राष्ट्रिक, अपने रिश्तेदारों/दोस्तों से मिलने या कुछ अन्य तर्कसंगत उद्देश्यों इत्यादि के लिए, विदेश स्थित हमारे मिशनों द्वारा प्रदान किए गए वीसा पर भारत आए। इस समय उपलब्ध सूचना के अनुसार, 18,123 पाकिस्तानी राष्ट्रिक वैध यात्रा दस्तावेजों पर भारत में ठहरे हुए हैं, 3.303पाकिस्तानी राष्ट्रिक लापता हैं और 10,705 पाकिस्तानी राष्ट्रिक निर्धारित अवधि से अधिक समय तक ठहरे हुए हैं। राज्य-वार सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) से (ड.) : चूंकि पाकिस्तानी राष्ट्रिकों का आना और जाना एक सतत प्रक्रिया है, अतः निर्धारित अवधि से अधिक समय तक ठहरे हुए व्यक्तियों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार, 1991 से 1994 तक वापस भेजे गए पाक राष्ट्रिकों के आंकड़े नीचे दिए गए हैं :-

1991	54	1992	282
1993	139	1994	13
	(जनवरी तक)		

(च) 1993 के दौरान राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में 3 पाक जासूस गिरफ्तार किए गए थे।

(छ) सरकार ने मिशनों को, वीसा के आवेदनों की सावधानीपूर्वक छानबीन करने, यह सुनिश्चित करने की किसी अवांछित पाक राष्ट्रिक को वीसा जारी न हो, और पाक राष्ट्रिकों की कुछ एक श्रेणियों के मामलों में गृह मंत्रालय से पूर्व अनुमति प्राप्त करने इत्यादि के निर्देश जारी किए गए हैं।

विवरण

जो पाकिस्तानी राष्ट्रिक निर्धारित अवधि के बाद भी भारत में ठहरे हुए हैं/जिनका पता नहीं लगाया जो यहां भूमिगत हो गए हैं, उनके बारे में राज्य पुलिस प्राधिकारियों से प्राप्त राज्य-वार सूचना निम्न-प्रकार है :-

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	यात्रा दस्तावेजों रहित (अवसित पारपत्र सहित)	निर्धारित अवधि से अधिक ठहरना (किन्तु वैध परिपत्र के अधीन)	पता नहीं लगा या भूमिगत हो गए	तारीख को
1	2	3	4	5	6
1.	अहमदाबाद शहर	31	418	9	31.10.93
2.	आन्ध्र प्रदेश	6	4	77	31.7.93
3.	बिहार	17	8	77	31.7.93
4.	बम्बई शहर	-	1	1328	31.8.93
5.	कलकत्ता शहर	10	175	235	31.8.93
6.	दिल्ली	-	-	385	30.9.93
7.	गुजरात राज्य	133	470	10	31.8.93
8.	हरियाणा	102	1	1	31.8.93

1	2	3	4	5	6
9.	कर्नाटक राज्य	1	5	97	30.9.93
10.	केरल	64	290	86	31.8.93
11.	मध्य प्रदेश	425	648	262	31.7.93
12.	महाराष्ट्र	108	941	66	30.9.93
13.	उड़ीसा	3	30	8	31.8.93
14.	पंजाब	77	19	8	30.9.93
15.	राजस्थान	291	2230	90	31.7.93
16.	तमिलनाडु	8	68	20	31.8.93
17	उत्तर प्रदेश	202	387	476	31.8.93
18.	जम्मू और कश्मीर	80	12	-	30.9.93
19.	पश्चिम बंगाल	39	98	68	31.12.93
	योग	1597	5805	3303	

पता न लगे हुए राष्ट्रिकों सहित निर्धारित तिथि से अधिक अवधि तक ठहरे हुए पाक राष्ट्रिकों की कुल संख्या 10705.

शेष राज्यों/संघ शासित क्षेत्र प्रशसनों के बारे में सूचना को शून्य समझा जाए।

रसोई गैस का समानातंर विपणन

3130. श्री अंकुशराव राव साहेब टोबे : क्या **पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में रसोई गैस के समानांतर विपणन हेतु बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रम बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपने पत्तन की सुविधा प्रदान कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या भारतीय कंपनियों को भी पत्तन सुविधा दी जाएगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) दो संयुक्त उद्यम कम्पनियों नामतः बी.पी. -काल्टेक्स लि0 और भारत शेल प्रा0 लि0 ने समानान्तर विपणन प्रणाली के अंतर्गत क्रियाकलापों को हाथ में लेने की मंशा प्रकट की है।

(ख) और (ग) : तेल कम्पनियाँ अतिरिक्त क्षमता को उपलब्धता के अधीन वाणिज्यिक निबन्धनों पर

किसी भी सद्भावी समानान्तर विपणनकर्त्ता को आयात व भंडारण के लिए अपनी सेवाएं प्रस्तावित कर रही हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

निकोबार में आदिवासी परिषदें

3131. श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकोबार वासियों ने निकोबार द्वीप समूहों के आदिवासी क्षेत्रों में अनेक आदिवासी परिषदों का गठन कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन परिषदों को अंडमान और निकोबार प्रशासन ने मान्यता प्रदान कर दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंग्काबालू) : (क) से (घ) : सूचना अंडमान तथा निकोबार सरकार से एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

हिंजड़ों की गतिविधियां

3132. श्री उदय सिंह राव गायकवाड :

श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस ने जनवरी, 1994 में कुछ हिंजड़ों को उस समय गिरफ्तार किया जब वे कुछ लाशों को ठिकाने लगाने का प्रयास कर रहे थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मृतक विकलांग व्यक्ति थे जो उन पर किए गए असफल आपरेशन के कारण मर गए;

(घ) क्या उक्त आपरेशन कुछ प्राइवेट प्रैक्टिशनरों द्वारा अवैध तरीके से किए गए थे;

(ड.) यदि हां, तो उपर्युक्त (ग) और (घ) से संबंधित ब्यौरा क्या है;

(च) इस प्रकार के अपराधों में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(छ) क्या ये घटनाएं अभी हाल ही में दिल्ली में हुई हैं; और

(ज) इन घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) से (च) : जी हां, दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि बदरपुर पुलिस स्टेशन के स्टाफ ने 20.1.1994 को गांव मदनपुर खादर, दिल्ली के नजदीक आगरा नहर पर दो हिंजड़ों को उस समय पकड़ा जब वे एक मारूति वेन में एक पुरूष का शव ले जा रहे थे। पूछताछ करने पर यह पता लगा कि उन्होंने हथीन (हरियाणा) फरीदाबाद में एक पुरूष को हिंजड़ा बनाने के उद्देश्य से उसके

लिंग को काटा। उस व्यक्ति की बाद में मृत्यु हो गयी और वे उसके शव को नष्ट करने आए थे। चूंकि अपराध फरीदाबाद जिले में हुआ था इसलिए अभियुक्त व्यक्तियों को फरीदाबाद पुलिस के सुपुर्द किया गया जिसने भा. दं.सं. की धारा 302/201/34 के अधीन थाना हथीन जिला फरीदाबाद (हरियाणा) में एक मामला दर्ज किया।

(छ) दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि 1993 के दौरान एक पुरूष को जबरन हिजड़ा बनाने की केवल एक शिकायत प्राप्त हुई थी। जांच करने पर यह आरोप सही नहीं पाया गया।

(ज) स्थानीय पुलिस को कड़ी निगरानी रखने और इस प्रकार की घटनाएं ध्यान में आने पर तत्काल कानूनी कार्रवाही करने के निर्देश दिए गए हैं।

भारतीय मानचित्र में न्यू मूरी तथा कछातीव द्वीप

3133. श्री धर्मणा मोडय्या सादुल :

श्री गोविंदराव निकम :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सर्वेक्षण ने न्यू मूरी तथी कछातीव द्वीपों को भारत के मानचित्र पर दिखाया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस दिशा में सरकार कौन सा कदम उठा रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग). भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा न्यू मूरी द्वीप समूह को भारत के नक्शे में सम्मिलित कर लिया गया है। भारत और श्रीलंका के बीच ऐतिहासिक सागर और उससे संबंधित मामलों पर दोनों देशों के बीच हुए मेरीटाईम बांऊड्री करारनामा, जो 8 जुलाई,1974 से लागू हुआ था, के अनुसार कच्छतिबू द्वीप को भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा भारत के मानचित्र में सम्मिलित नहीं किया गया है।

|अनुवाद|

चर्खियों पर रेशम लपेटने वाली महिलाओं के लिए अस्पताल

3135. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या सरकार कर्नाटक में चर्खियों पर रेशम लपेटने वाली महिलाओं के लिए बड़े और छोटे अस्पताल खोलने पर सहमत हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो ये अस्पताल किन स्थानों पर खुलेंगे;

(ग) इन अस्पतालों की अनुमानित लागत क्या होगी;

(घ) केन्द्रीय सरकार अनुमानित लागत का कितना प्रतिशत वहन करने के लिए सहमत हुई; और

(ङ) इन अस्पतालों का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री(श्री बी. शंकरानन्द) : (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) ये प्रश्न नहीं उठते।

आन्ध्र प्रदेश की सिंचाई परियोजनाएं

3136. श्री जी.एम.सी.बालयोगी :

श्री जे. चौक्का राव :

श्री धर्मभिक्षम :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आन्ध्र प्रदेश में नई सिंचाई परियोजनाओं की स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार के पास गोदावरी डेल्टा प्रणाली, कृष्णा डेल्टा प्रणाली और श्रीराम सागर उच्च स्तर नहर परियोजना के आधुनिकीकरण संबंधी प्रस्ताव लम्बित है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड़) लम्बित होने के क्या कारण हैं; और

(च) कब तक इन्हें स्वीकृति दी जाएगी ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्र.ी(श्री पी.के. थुंगन) : (क) और (ख). 1993 के दौरान योजना आयोग द्वारा आन्ध्र प्रदेश की 4 मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को निवेश स्वीकृति दी गयी है इसका विवरण इस प्रकार है :

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रुपये)	वार्षिक सिंचाई (हैक्टेयर)
1.	येराकलवा	46.52	9996
2.	भेदीलेरू	28.56	5213
3.	कोलासनाला	20.49	4131
4.	बुग्गावांका	25.96	5200

उपर्युक्त के अतिरिक्त, केन्द्रीय जल आयोग में तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन के बाद एक वृहद परियोजना नामशः जुराला और तीन मध्यम परियोजनाओं नामशः चेलमालाबागू, पेड्डेरू एवं पलेमबागू को परामर्शदात्री समिति द्वारा 1993 के दौरान इस शर्त पर स्वीकार्य पाया गया कि पर्यावरण, वन, पुनर्वास व पुर्नस्थापन स्वीकृतियां आदि जैसी कुछ टिप्पणियों का अनुपालन कर लिया जाये। राज्य सरकार को इन टिप्पणियों का अनुपालन करना है।

(ग) से (ड़). गोदावरी-डेल्टा प्रणाली आधुनिकीकरण परियोजना जिसकी लागत 226 करोड़ रुपये आंकी गयी है और जिससे 3,21,000 हैक्टेयर क्षेत्र को अतिरिक्त लाभ की परिकल्पना की गयी है तथा कृष्णा डेल्टा

''णाली आधुनिकीकरण परियोजना जिसकी अनुमानित लागत 425 करोड़ रुपये है और जिससे 18000 हेक्टेयर :त्र को अतिरिक्त लाभ की परिकल्पना की गयी है, क्रमशः फरवरी, 1991 व जनवरी, 1986 में तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन के लिए केन्द्र में प्राप्त हुई थीं। ये परियोजनाएं राज्य सरकार को क्रमशः जून, 1991 व दिसम्बर, 1988 में इस टिप्पणी के साथ वापस की गयीं थीं कि वे आधुनिकीकरण परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय जल आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार संशोधित रिपोर्टें प्रस्ततुत करें। राज्य सरकार से संशोधित रिपोर्टें प्राप्त नहीं हुई हे।

श्री राम सागर उच्च स्तरीय नहर (बाढ़ प्रवाह नहर) परियोजना, जिसकी अनुमानित लागत 1334 करोड़ रुपये है और जिससे 89,000 हेक्टेयर क्षेत्र में लाभ प्राप्त होने की परिकल्पना की गयी है, 12/93 में हल ही में प्राप्त हुई है।

(च) परियोजना की स्वीकृति इसय बात पर निर्भर करती है कि राज्य सरकार कितनी जल्दी केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों का अनुपालन करती हैं तथा पर्यावरण/वन/पुनर्वास व पुर्नस्थापन पहलुओं पर आवश्यकतानुसार स्वीकृतियां प्राप्त करती हैं।

[हिन्दी]

विकलांगों के लिए कृत्रिम अंग

3137. डा० रामकृष्ण कुसमरिया : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितनी संस्थाएं विकालांगों को कृत्रिम अंग, बैसाखी तथा कैलिपर्स उपलबध कराते हैं;

(ख) क्या सरकार इन संस्थानों को आसान शर्तों पर ऋण और अन्य प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) 1993-94 में कितने विकलांगों को कृत्रिम अंग, बैसाखी या कैलिपर्स दिए गए; और

(ड़) इस संबंध में 1994-95 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) इस मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त 57 कार्यान्वयन एजेंसियां हैं जो देश के विकलांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंग, बैसाखी तथा कैलिपर्स प्रदान करती है;

(ख) जी, हां।

(ग) विकलांग व्यक्तियों को सहायक यंत्र/उपकरण खरीदने/लगाने की योजना के अंतर्गत 1200/- रुपये तक मासिक आय वाले लाभार्थियां को निःशुल्क तथा 1201 रुपये से 2500 रुपये तक की मासिक आय वाले लाभार्थियों को लागत का 50 प्रतिशत मूल्य पर 25 रुपये से 3600 रुपये तक की लागत के कृत्रिम सहायक यंत्र/उपकरण प्रदान करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को प्रतिपूर्ति के रुप में अनुदान सहायता निर्मुक्त की जाती है।

(घ) अनुमान हैं कि वर्ष 1993-94 के अंत तक 60,000 विकलांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंक तथा कैलीपर्स प्रदान किए जाएंगे।

(ड़) लगभग 70,000

उत्तर प्रदेश में विकलांग बालिका केन्द्र

3138. डा0 साक्षी जी : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में विकलांग बालिकाओं के लिए केन्द्र (विकलांग बालिका गृह) चलाए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यायैरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार इन केन्द्रों को वित्तीय सहायता दे रही है; और

(घ) यदि हां, तो गत दो वर्षों में प्रत्येक केन्द्र को कितनी वित्तीय सहायता दी गई?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री के.वी. तंग्काबालू) : (क) जी, नही।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

पिछड़ा वर्ग आयोग के चैयरमैन और सदस्यों का दर्जा

3139. श्री राम विलास पासवान : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछड़ा वर्ग आयोग के चैयरमैन और सदस्यों को क्रमशः केन्द्रीय सरकार के कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री के स्तर का दर्जा दिया गया है।;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो केन्द्रीय सरकार इस बारे में क्या कार्रवाई कर रही है?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंग्काबालू) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विद्यमान अध्यक्ष का स्तर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का है और प्रत्येक सदस्य का स्तर भारत सरकार के सचिव के बराबर है।

सूचना प्राप्त करने का अधिकार

3140. श्रीमती गिरिजा देवी :

श्री मंजय लाल :

श्री राम प्रसाद सिंह :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और कनाडा की संस्थाओं द्वारा हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित सम्मेलन में इस आशय का एक संकल्प पारित किया गया कि सूचना प्राप्त करने के अधिकार को मूल अधिकारों में शामिल किया जाये;

(ख) किन किन देशों ने सूचना प्राप्त करने के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची में शामिल किया है;

(ग) क्या सूचना प्राप्त करने के अधिकार के संबंध में कोई विधान बनाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हो, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ इसे कब तक पुरःस्थापित किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख). सरकार के पास ऐसी कोई सूचना उपलबध नहीं है।

(ग) से (ङ) पिछले कुछ समय से शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 को संशोधित करने के बारे में कुछ सुझाव /सिफारिशें विचाराधीन हैं। चूंकि मामला पेचीदा और संवेदनशील है, अतः मामले का सावधानी पूर्वक और विस्तृत विश्लेषण किए जाने की आवश्यकता है। अतः ब्यौरे बताना और मामले में अंतिम निर्णय लेने के लिए निश्चित समय सीमा बताना संभव नहीं है। इसी बीच, सरकारी कामकाज में खुलापन और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से, केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों को प्रभावकारी कदम उठाने के निर्देश जारी किए हैं, जिसमें संसद प्रश्नों के उत्तर में पूरे ब्यौरे प्रस्तुत करना, मंत्रालयों/विभागों में जन सम्पर्क एककों, जो सार्वजनिक पूछताछ/शिकायतों से निपटते हैं, को सक्रिय बनाना, वार्षिक रिपोर्टों में अधिक सूचना देना, जनता से प्राप्त पत्रों का उत्तर देने के लिए प्रभावी तंत्र स्थापित करना, इत्यादि सम्मिलित है।

जनसंख्या नियंत्रण

3141. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से राज्य में जनसंख्या की समस्या पर नियंत्रण करने के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने संबंधी कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं। तथापि राज्य सरकार ने परिवार कल्याण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए देय बकाया राशि के शीघ्र भुगतान का अनुरोध किया है।

(ख) से (घ) महालेखाकार द्वारा राज्य में किए गए खर्च के आधार पर राज्य सरकार के दावे प्रमाणित करने के पश्चात् बकाया राशि का भुगतान किया जाता है।

विकलांगों के लिए बीमा योजना

3142. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या सरकार का विचार विकलांगों के लिए कोई बीमा योजना लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस विशेष योजना में विकलांग व्यक्तियों के लिए चिकित्सा परीक्षण अनिवार्य होगा; और

(घ) यदि हां, तो इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित होने वाली संस्थाओं का ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री के.वी. तंग्काबालू) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को घाटा

3143. श्रीमती शीला गौतम : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: (क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के अन्तर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार से ऊंची ब्याज दर पर ऋण लेने तथा इस धनराशि को सरकारी प्रतिभूतियों और सरकारी जमा में कम ब्याज दर पर निवेश करने के कारण भारी घाटा उठाना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, नहीं

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

जलाशय विकास कार्यक्रम

3145. श्री नीतीश कुमार :

श्री गुमान मल लोढ़ा :

डा. चिन्ता मोहन :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसे क्षेत्रों का पता लगाया है जहां वर्षा 500 मि.मी. से 1123 मि.मी. के बीच होती है;

(ख) यदि हां, तो उन जिलों का क्या नाम है;

(ग) क्या सरकार ने वर्षा के जल का उपयोग करने के लिए राष्ट्रीय जलाशय विकास कार्यक्रम लागू किया है;

(घ) यदि हां, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंत में इन कार्यक्रमों के परिणाम स्वरुप इन क्षेत्रों में कृषि उत्पादन में वृद्धि की प्रतिशतता क्या है और आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितनी वृद्धि की संभावना है; और

(ङ) सरकार द्वारा सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इस कार्यक्रम पर कितना खर्चा किया गया और आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितना खर्चा होने की संभावना है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री पी.के. थुंगन) : (क) और (ख) जी हां, भारत में 500 मिलीमीटर से 1125 मिलीमीटर तक वार्षिक वर्षापात प्राप्त कर

रहे मौसम विज्ञाप संबंधी जिलों की संख्या 196 है। जिलों के नाम दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

मौसम वैज्ञानिक जिले - वर्षापात-500 मिलीमीटर से 1125 मिलीमीटर तक

आन्ध्र प्रदेश

1.	पूर्वी गोदावरी	2.	गुंटूर
3.	कृष्णा	4.	नल्लौर
5.	प्रकासम	6.	विशाखापत्तनम
7.	पश्चिम गोदावरी	8.	आदिलाबाद
9.	करीम नगर	10.	मेदक
11.	निजामाबाद	12.	वारंगल
13.	हैदराबाद	14.	महबूब नगर
15.	नालगोंडा	16.	रंगा रेड्डी
17.	अंनतपुर	18.	चित्तूर
19.	कुडपा	20.	कुरनूल

असम

1. कर्बी अंगलांग

बिहार

1.	भोजपुर	2.	नालंदा
3.	नवादा	4.	भागलपुर
5.	सीवान	6.	जहानाबाद

गुजरात

1.	अहमदाबाद	2.	बभारकाठा
3.	बड़ोदरा	4.	भड़ौच
5.	गांधी नगर	6.	खेड़ा
7.	मेहसाणा	8.	पंच महल

9. सबर कांठा	10. अमरेली
11. भावनगर	12. जूनागढ़
13. राजकोट	14. दमन (संघ शासित)
15. दीव (संघ शासित)	

हरियाणा

1. अम्बाला	2. गुड़गावं
3. जिंद	4. कारनाल
5. महिंदरगढ़	6. सोनीपत
7. कुरूक्षेत्र	8. फरीदाबाद
9. यमुना नगर	10. पानीपत
11. रिवाड़ी	

हिमाचल प्रदेश

1. किन्नौर	2. कुल्लू
3. लाहौल-स्पीत	4. उना

जम्मू और कश्मीर

1. श्री नगर	2. ऊधमपुर

कर्नाटक

1. बेलगाम	2. बेल्लारी
3. चीदर	4. बीजापुर
5. धारवाड़	6. गुलबर्गा
7. रायचूर	8. बंगलौर (शहरी)
9. बंगलौर (ग्रामीण)	10. चित्रदुर्ग
11. कोलार	12. तुमकुर
13. मंडया	14. मैसूर
15. हासन	

मध्य प्रदेश

1. बेतुल	2. भिंड
3. विदिशा	4. छिंदवाड़ा

5. दतिया
6. देवास
7. धार
8. ग्वालियर
9. गुना
10. इंदौर
11. झबुआ
12. खण्डवा
13. खरगौन
14. मंदसौर
15. मुरैना
16. राजगढ़
17. रतलाम
18. शाजापुर
19. शिवौरी
20. टीकमगढ़
21. उज्जैन
22. सतना

महाराष्ट्र

1. अहमद नगर
2. धुले
3. जलगांव
4. नासिक
5. पुणे
6. सांगली
7. सतारा
8. शोलापुर
9. औरंगाबाद
10. बीड
11. नांदेड
12. उस्मानाबाद
13. परभनी
14. लातूर
15. जालना
16. अकोला
17. अमरावती
18. बुल्डाना
19. यावतमल

पंजाब

1. अमृतसर
2. गुरदासपुर
3. होशियारपुर
4. जालंधर
5. कपूरथला
6. लुधियाना
7. पटियाला
8. रोपड़
9. संगरूर

राजस्थान

1.	अलवर	2.	भरतपुर
3.	बांसवाडा	4.	भीलवाड़ा
5.	बूंदी	6.	चित्तौड़गढ़
7.	डूंगरपुर	8.	जयपयुर
9.	झालवाड़	10.	कोटा
11.	सवाईमाधोपुर	12.	टोंक
13.	उदयपुर	14.	सिरोही
15.	धोलपुर		

तमिलनाडु

1.	धर्मापुरी	2.	सेलम
3.	कोयम्बटूर	4.	मदुरई
5.	उत्तरी अरकोट	6.	तंजावूर
7.	कामरौजर	8.	रामनाथपुरम
9.	तिरूनेलवेली	10.	पसम्पोन मुथु रामा लिंगम
11.	पुदुकोट्टई	12.	नागापट्टनम(कैद-ए-मिल्लेथ)
13.	पेरियार	14.	डिंडीगुल

उत्तर प्रदेश

1.	इलाहाबाद	2.	बहराइच
3.	बलिया	4.	बाराबंकी
5.	फैजाबाद	6.	फरुखाबाद
7.	फतेहपुर	8.	गाजीपुर
9.	हरदोई	10.	जौनपुर
11.	कानुपर	12.	लखनऊ
13.	मिर्जापुर	14.	प्रताप गढ़
15.	राय बरेली	16.	सीतापुर
17.	सुल्तानपुर	18.	उन्नाव

19.	वाराणसी	20.	बांदा
21.	आगरा	22.	अलीगढ़
23.	बदायूं	24.	बरैली
25.	बुलन्दशहर	26.	एटा
27.	इटावा	28.	हमीरपुर
29.	जालौन	30.	झांसी
31.	मैनपुरी	32.	मथुरा
33.	मेरठ	34.	मुजफ्फर नगर
35.	मुरादाबाद	36.	रामपुर
37.	सहारनपुर	38.	शाहजहांनपुर
39.	गाजियाबाद	40.	ललितपुर
41.	टेहरी-गढ़वाल		

उड़ीसा

1.	गन्जम	2.	कालाहांडी

[अनुवाद]

भाषाई अल्पसंख्यक समुदाय के रुप में सिन्धी

3146. श्री राम कापसे : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :(क) क्या सरकार को सिन्धियों को विशेष भाषाई अल्पसंख्यक समुदाय के रुप में घोषित करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री के.वी. तंग्काबालू) : (क) जी, हां। विश्व सिन्धी कांग्रेस से नवम्बर,1992 में प्राप्त ज्ञापन में शामिल की गई मांगों में से एक, सिन्धी समुदाय को एक विशेष भाषायी अल्पसंख्यक के रुप में मान्यता प्रदान करने से संबंधित है।

(ख) संविधान में किसी समुदाय को विशेष भाषायी अल्पसंख्यक घोषित करने के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है।

(ग) सिन्धी भाषी लोग देश के कुछ भागों में भाषायी अल्पसंख्यक हैं। भाषाजात अल्पसंख्यक आयुक्त द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत रिपोर्टों में अन्य बातों के साथ-साथ इस भाषायी अल्पसंख्यक के लिए भी सुरक्षा उपायों की व्यवस्था की जाती है।

अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाएं

3147. श्री एस.एम. लालजान बाशा :

श्री संदीपान भगवान थोरात :

क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अल्पसंख्यक आयोग से अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं को आवश्यक संरक्षण देने के लिए संवधिान में संशोधन करने की आवश्यकता संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में विवरण क्या है; और

(ग) सरकार इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार रखती है?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री के.वी. तंग्काबालू) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में पेट्रोल/डीजल के लिए खुदरा बिक्री केन्द्र

3148. श्री तेल नाराण सिंह : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान बिहार में कितने पेट्रोल/डीजल के खुदरा बिक्री केन्द्र स्थापित किये गये व 1994-95 के दौरान ऐसे कितने बिक्री केन्द्रों की स्थापना का विचार है;

(ख) बिहार में किन-किन स्थानों पर ऐसे बिक्री केन्द्र स्थापित करने के संबंध में सर्वेक्षण किया जा चुका है; और

(ग) विपणन योजना का मसौदा किस वर्ष तक तैयार कर लिया जाएगा तथा बिहार के कौन-कौन से स्थानों को इस योजना में शामिल किया जायेगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) पिछले दो वर्षों अर्थात् 1992-93 और 1993-94 के दौरान बिहार में 13 खुदरा बिक्री केन्द्र आरम्भ किए गए।

तेल उद्योग द्वारा किए गए बाजार सर्वेक्षण (जो एक सतत प्रक्रिया है) के आधार पर और खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशीप खोलने हेतु पालन किए जा रहे मात्रा-दूरी मानकों के अनुसार बिहार को 1988-93 को वर्तमान विपणन योजना में 188 डीलरशिप प्रस्तावों को सम्मिलित किया गया है। तेल चयन बोर्ड के माध्यम से डीलरों का चयन कार्य चह रहा है।

किसी खुदरा बिक्री केन्द्र का शुरुआत डीलर के चयन में लिए गए समय और चुने गए डीलर द्वारा खुदरा बिक्री केन्द्र को विकसित करने हेतु भूमि और आवश्यक मूलभूत सुविधाओं के लिए प्रबन्ध पर निर्भर करता है। इसलिए उन खुदरा बिक्री केन्द्र डीलर शिपों की संख्या को व्यक्त करना संभव नहीं है जो बिहार में 1994-95 में आरंभ की जाएंगी।

रसोई गैस पर राजसहायता

3149. डा. विश्वनाथम कैनिथी : क्या **पेट्रोलियम और प्रकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की प्रति इकाई रसोई गैस पर राजसहायता घटाने की कोई योजना है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) शहरी तथा अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में प्रति सिलेंडर बाजार-मूल्य क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश शर्मा) : (क) फिलहाल ऐसा काई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भण्डारण स्थल पर एल.पी.जी. के घरेलू सिलेंडरों का मूल्य एक समान है। परन्तु स्थानीय करों, शुल्कों इत्यादि के उदग्रहण के आधार पर इसका मूल्य भिन्न-भिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्न होता है।

|हिन्दी|

बन्ध्यकरण के जाली मामले

3150. डा. परशुराम गंगवार : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वन्ध्यकरण के जाली मामलों तथा परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए दी गई धनराशि का दुरुपयोग करने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार ने क्या कदम उठाये हैं/उठाने का विचार किया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1992-93 के दौरान 5 शिकायतें प्राप्त हुई थी। ये सभी उत्तर प्रदेश से संबंधित थी।

(ग) चूंकि कार्यक्रम का क्रियान्वयन राज्य सरकारों को करना होता है, इसलिए शिकायतों की जांच करने तथा उन पर समुचित कार्रवाही करने के लिए उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार को भेज दिया गया हैं

|अनुवाद|

पेट्रोल उत्पादों की कालाबाजारी

3151. डा. के. वी. आर. चौधरी :

श्री छेदी पासवान :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

सरकार द्वारा ऐसे पेट्रोल/डीजल खुदरा केन्द्रों और रसोई गैस एजेंसियों के विरुद्ध की गई अथवा की जा रही कार्रवाही का ब्यौरा क्या है जो गत दो वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश और बिहार में पेट्रोलियम उत्पादों को काले बाजार में बेचते हुए पाए गये हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : पिछले दो वर्षों में बिहार में कोई खुदरा बिक्री केन्द्र डीलर पेट्रोल/डीजल काले बाजार में बेचते हुए नहीं पाये गये हैं। जहां तक आन्ध्र प्रदेश का संबंध है, खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरों के विरुद्ध निम्नलिखित कार्रवाही की गई है;

1. मैसर्स मोहन सर्विस स्टेशन, विशाखापटनम (आई ओ सी) :

इस खुदरा बिक्री केन्द्र पर बिक्री व आपूर्तियां बंद कर दी गई। परन्तु बाद में न्यायालय के आदेश के आधार पर बिक्री व आपूर्तियां पुनः आरम्भ कर दी गई। तथापि, मामला न्यायालय में अभी भी लंबित है।

2. मैसर्स तारनाका फिलिंग स्टेशन, तारनाका (आई ओ सी)

डीलर को एक चेतावनी पत्र जारी किया गया। पम्प अटैन्डेंट की सेवाओं को समाप्त कर दिया गया है।

पिछले दो वर्षों में बिहार में एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरों द्वारा काला बाजारी का कोई मामला सामने नहीं आया है। आन्ध्र प्रदेश में काला बाजारी का केवल एक मामला पाया गया है जिसमें डीलर के विरुद्ध निम्न कार्यवाही की गई है :

मैसर्स राम्या कृष्ण विजयवाड़ा (आई ओ सी)

ग्राहक से ली गई अतिरिक्त धनराशि को लौटा दिया गया है और तेल कम्पनी में डीलर को चेतावनी पत्र जारी कर दिया है।

[हिन्दी]

आंतकवादग्रस्त क्षेत्रों में विशेष न्यायालय

3152. श्री रमेश चेन्नित्तला : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या सरकार आंतकवादग्रस्त क्षेत्रों में विशेष न्यायालयों की स्थापना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

पानी का जमाव

3153. श्री शांताराम पोतदुखे : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पानी के जमाव की स्थिति और उसकी प्रकृति, लवण युक्त और क्षारयुक्त जमीनों के संबंध में पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सिंचित क्षेत्रों में कुल कितना क्षेत्र पानी के जमाव लवण और क्षार से प्रभावित है; और

(घ) देश में उपलब्ध जल संसाधनों के विकास और दोहन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) से (ग) भिन्न-2 मंत्रालयों, विभागों, संस्थानों, राज्यों आदि के पास उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर देश में विद्यमान सिंचाई परियोजनाओं में जल जमाव, लवणता/क्षारीयता द्वारा प्रभावित समस्याग्रस्त क्षेत्रों का पता लगाने के लिए जल संसाधन मंत्रालय ने परामर्शदाता (सिंचाई एवं कमान क्षेत्र विकास) योजना आयोग की अध्यक्षता में वर्ष 1986 में कार्यदल गठित किया था। कार्यदल ने यह अनुमान लगाया था कि वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की कमानों में 2.46 मिलियन हेकटेयर क्षेत्र जल जमाव, 3.06 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र लवणता तथा 0.24 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र क्षारीयता से प्रभावित है।

(घ) जल संसाधन मंत्रालय ने राज्य सरकारों से अनेक बहुप्रयोजनी, वृहद, मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाएं तैयार करायी हैं। सातवीं योजना के अंत तक इन परियोजनाओं के माध्यम से क्षमता 76.52 मिलियन हेक्टेयर है तथा वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान सृजित क्षकता 4.56 मिलियन हेक्टेयर है। आठवीं योजना के दौरान 15.8 मिलियन हेक्टेयर और क्षमता सृजित करने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा अर्जित लाभ

3154. श्री प्रभू दयाल कठेरिया :

श्री राजेश कुमार :

श्रीमती भावना चिखलिया :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को अर्ध सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत लाने का है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष रुपयों में कितना लाभ अर्जित किया/हानि उठाई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान ओ एन जी सी द्वारा अर्जित लाभ इस प्रकार है :

(करोड़ रुपये)

वर्ष	कर पश्चात् लाभ
1990-91	1048.30
1991-92	408.32
1992-93	788.20

[अनुवाद]

गंगा नदी पर बैराज का निर्माण

3155. श्री चित्त बसु :

श्री बायनल अबेदिन :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कानपुर में गंगा नदी पर बैराज निर्माण के संबंध में स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बिहार तथा पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों ने इस निर्माण के विरुद्ध विरोध प्रकट किया है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) और (ख) कानपुर शहर को पेय जल तथा विद्युत घर को शीतल जल प्रदान करने के लिए कानपुर में गंगा नदी पर एक बैराज के परियोजना प्रस्ताव की केन्द्रीय जल आयोग द्वारा तकनीकी जांच की गई है और उसे 172.91 करोड़ रुपये (सितम्बर, 1993 के मूल्य स्तर पर) की लागत पर नवम्बर, 1993 में स्वीकृत किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को आवश्यक अध्ययन पूरे करने हैं ताकि निर्माण प्रयोजनों के लिए विस्तृत डिजाईन तैयार किये जा सकें।

(ग) और (घ) स्वीकृति के मुद्दे के सम्बद्ध होने के बिहार राज्य सरकार के अनुरोध पर यह स्पष्ट किया गया है कि बैराज के निर्माण का मुख्य लक्ष्य जल स्तर बढ़ाना और गंगा नदी के प्रवाहों को कानपुर घाट के निकट लाना है ताकि शहर में पहले से विधमान जल आपूर्ति को पूर्णतः प्राप्त किया जा सके।

[हिन्दी]

दिल्ली को जलापूर्ति

3156. श्री राजेश कुमार :

श्रीमती भावना चिखालिया :

श्री नारायण सिंह चौधरी :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1993 में यमुना जल क बंटवारे के विषय पर 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा व निष्कर्ष क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में हरियाणा ने दिल्ली को कितनी बार कम जलापूर्ति की है;

(घ) क्या हरियाणा सरकार ने रेणुका और किशन बांधों को काम पूरा होने तक दिल्ली को सम्पूर्ण जलापूर्ति बहाल करने में अपनी असमर्थता प्रकट की है; और

(ङ.) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) और (ख) जी हां। औसत वार्षिक उपलब्धता के आधार पर ओखला तक यमुना जल के आबंटन पर 24 दिसंबर, 1993 को सह-बेसिन राज्यों द्वारा चर्चा की गई थी। संबंधित प्रत्येक राज्य को आबंटित किए जाने वाले जल की मात्रा पर आम सहमति हो गई है। तथापि, इसके क्रियान्वयन के लिए समय-सीमा पर कोई समझौता नहीं हुआ है।

(ग) हरियाणा ने पिछले तीन वर्षों के दौरान रावी-व्यास के अधिशेष जल में, दिल्ली के अधिकृत हिस्से की तुलना में, दिल्ली को कम जल की आपूर्ति नहीं की है। वर्ष 1954 के समझौते के अनुसार ताजेवाला पर यमुना जल में दिल्ली का कोई हिस्सा नहीं है।

(घ) और (ङ.) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

स्वतंत्रता सेनिक सम्मान पेंशन

3157. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के स्वतंत्रता सेनिक सम्मान पेंशन के लिए ऐसे कितने आवेदन अभी तक केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित हैं जिनकी सिफारिश पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा गठित सलाहकार समिति ने की थी;

(ख) उनमें से कितने आवेदन स्वतंत्रता सेनानियों को विधवाओं के हैं;

(ग) पेंशन की मंजूरी कब तक दी जाएगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) और (ख). निर्धारित समय-सीमा अर्थात् 31.3.1982 तक पश्चिम बंगाल से प्राप्त सभी आवेदन पत्रों पर विचार कर लिया गया है और लिए गए निर्णयों से आवेदकों को अवगत करा दिया है। तथापि, कई अस्वीकृत मामलों में राज्य सरकार ने, अप्रत्यक्ष साक्ष्यों अर्थात् व्यक्तिगत जानकारी प्रमाणपत्रों के आधार पर, उनकी सलाहकार समिति द्वारा विधिवत् सस्तुत आवेदन पत्र आदि बाद में भेजे थे लेकिन इन आवेदन पत्रों के साथ अभिलेख अनुपलब्धता के समुचित प्रमाणपत्र नहीं भेजें। इसलिए, ऐसे मामलों में, राज्य सरकार को सलाह दी गई थी कि वे या तो अपने पास उपलब्ध सरकारी अभिलेखों के आधार पर अपनी सत्यापन रिपोर्ट भेजें या फिर अभिलेखों को अनुपलब्धता के बारे में स्पष्ट प्रमाणपत्र भेजें।

स्वतंत्रता सेनिकों अथवा उनकी विधवाओं से भी कई पुनरीक्षा याचिकाएं और विलम्बित मामले प्राप्त होने जारी हैं। यह एक सतत् प्रक्रिया है :

(ग) मामलों पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाता है और उनका निपटान किया जाता है। पेंशन स्वीकृति की जाती है बशर्ते कि आवेदक कुछ निर्धारित मापदण्डों को पूरा करने हों। पेंशन की स्वीकृति के लिए दावों की प्राप्ति और उनका निपटान एक सतत् प्रक्रिया होने के कारण उनके निपटान के लिए कोई निश्चित समय-सीमा तय करना मुश्किल है।

[हिन्दी]

नकली औषधियां

3138. **श्री छेदी पासवान :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में नकली औषधियों के घोटाले की जांच करने हेतु गठित तकनीकी समिति ने सररकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानंद) : (क) से (ग). जी हां। इस मामले को केन्द्रीय जांच ब्यूरों को सौंप दिया गया है और न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया है।

[अनुवाद]

झारखंड मुद्दे पर बातचीत

3159. **श्री बीर सिंह महतो :**

श्री ललित उरांव :

श्रीमती गिरिजा देवी :

श्री मंजय लाल :

श्री जार्ज फर्नाण्डीज :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने झारखंड मुद्दे पर गत छह महीनों के दौरान कोई बातचीत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और उसका क्या निष्कर्ष निकाला है;

(ग) क्या सरकार का इस मुद्दे पर निकट भविष्य का कोई और दौर शुरु करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एस. सईद) : (क) से (घ). झारखंड समस्या का अनोपचारिक रुप से सौहार्द पूर्ण हल ढूढने के लिए केन्द्र सरकार ने लगातार प्रयत्न किए। विधेयक में कुछेक संशोधनों को स्वीकार करने के लिए राज्य सरकार को राजी करने में असफल रहने पर, केन्द्र सरकार अब, संविधान के अनुच्छेद 201 के अंतर्गत राष्ट्रपति के औपचारिक आदेशों के लिए झारखंड क्षेत्र विकास परिषद् विधेयक 1991 पर कार्यवाही कर रही है।

भारतीय डाक्टरों के लिए दृश्य-श्रव्य पुस्तकालय

3160. श्री दत्तात्रेय बंडारू : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका से अनिवासी भारतीयों ने भारतीय डाक्टरों को अन्तर्राष्ट्रीय और आधुनिक तकनीक संबंधी ज्ञान प्रदान करने हेतु नई दिल्ली में एक दृश्य-श्रव्य पुस्तकालय स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है, और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानंद) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

टर्मिनेशन के फर्जी वाउचर जारी करना

3161. श्री रतिलाल वर्मा : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को गुजरात में और देश के अन्य भागों में गत वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में अब तक टर्मिनेशन के फर्जी वाउचर जारी करने के कितने मामलों की जानकारी मिली है,

(ख) क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है,

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उसके परिणाम क्या हैं,

(घ) दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है,

(ड.) क्या सरकार को देश में रसोई गैस वितरकों और तेल कम्पनी के कर्मचारियों की इन गिरोहों के साथ किसी मिली भगत की जानकारी मिली है, और

(च) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) देश तथा गुजरात में पता लगे फर्जी टर्मिनेशन वाउचरों की संख्या नीचे दिये अनुसार है :

	पूरे देश में	गुजरात
1991-92	2761	152
1992-93	2527	35
1993-94 (अप्रैल फरवरी)	2168	9

(ख) से (च) : जारीकर्ता डिस्ट्रीब्यूटर से पुष्टि होने के आधार पर यदि टर्मिनेशन वाउचरों को फर्जी पाया

जाता है, तो प्राप्तिकर्ता डिस्ट्रब्यूटरों को उपस्कर वापस लेने, प्रतिभूति जमा को जब्त करने तथा पुलिस में मामला दायर करने संबंधी कार्यवाही की सलाह दी गई है। अब तक रसोइ गैस का विपणन करने वाली तेल कम्पनियों के किसी कर्मचारी के लिप्त होने का कोई मामला नहीं पाया गया है। ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर जिनका ऐसे मामलों में लिप्त होना प्रमाणित हुआ था, उनके विरुद्ध कार्यवाही की गई है जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर शिप का समापन सम्मिलित है।

[हिन्दी]

भारत नेपाल सीमा

3162. श्री संतोष कुमार गंगवार :

श्री नारायण सिंह चौधरी :

श्री पंकज चौधरी :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश से छूने वाली भारत-नेपाल सीमा से भारत में घुसपैठ का प्रयत्न करते हुए कितने आंतकवादी गिरफ्तार किए गए :

(ख) क्या सरकार को भारत में आंतकवादियों की सहायता करने हेतु पाकिस्तान द्वारा नेपाल से होकर धन भेजने के प्रयास करने की कोई जानकारी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) स्थिति से निपटने के हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ड.) क्या सरकार का विचार भारत नेपाल सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधवी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) जब कि निश्चित सूचना का बताना कठिन है, फिर भी सरकार को इस बात की जानकारी है कि आंतकवादियों द्वारा भारत नेपाल सीमा को, दोनों और से घुसपैठ कराने और शस्त्र और गोला बारूद को देश में लाने के लिए प्रयोग किया जा रहा है।

(खं) और (ग) : जी हां, श्रीमान्। सरकार के पास इस आशय की सूचना है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को उपकरण, शस्त्र और प्रशिक्षण देकर लगातार भारत में उनकी मद्द कर रहा है।

(घ) भारत नेपाल सीमा पर आंतकवादी गतिविधियों को देखते हुए, भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में सोनोली के निकट एक आंतकवाद विरोधी चैक पोस्ट स्थापित की है। भारत नेपाल सीमा पर स्थित पुलिस स्टेशनों, चौकियों तथा आप्रवासी चौकियों को कड़ी निगरानी रखने के लिए सतर्क कर दिया गया है। पूरी सीमा पर सीमा सुरक्षा और पुलिस बलों को भी मजबूत बना दिया गया है।

(ड.) जी नहीं, श्रीमान् ।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के कर्मचारी

3163. श्री चिन्मयानन्द स्वामी : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में कुछ कर्मचारी काम किये बिना ही अपना वेतन ले रहे हैं।

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है; और

(ग) इसमें संलग्न दोषी कार्मिकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) सरकार के नोटिस में ऐसा कोई मामला नहीं आया है।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

ताप्ति गैस फील्ड से गैस

3164. श्री अरविन्द त्रिवेदी :

डा. के. डी. जेस्वाणी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ताप्ति गैस फील्ड्स से पिपावाव विद्युत परियोजना को प्राकृतिक गैस आबंटित करने के संबंध में कोई निर्णय लिया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या गुजरात सरकार ने ताप्ति गैस फील्ड्स के विकास संबंधी कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार को भेजा है, और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय लिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). वर्तमान वचनबद्धताओं को पूर्ण करने हेतु मध्य-ताप्ती और दक्षिण-ताप्ती से हजोरा तक गैस ले जाने का निर्णय लिया गया है।

(ग) और (घ) गुजरात सरकार के दो उपक्रम उस परिसंघ में साझेदार थे, जिसने मध्य ओर दक्षिणी ताप्ती क्षेत्रों के विकास के लिए बोली भेजी थी। बोली को स्वीकार्य नहीं पाया गया है।

विद्युत संयंत्र के लिए गैस का आयात

3165. श्री एस. बी. थोरात : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों क दौरान विद्युत संयंत्र लगाने के लिए गैस के आयात हेतु प्राप्त प्रस्तावों को अंतिम रुप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आयातित गैस की चढ़ाई उतराई के लिए उपलब्ध करायी गई आधारभूत सुविधाओं का ब्यौरा क्या है और आठवां पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल कितनी गैस का आयात किये जाने की संभावना है; और

(घ) प्राइवेट पार्टियों द्वारा गैस के आयात की स्वीकृति देने हेतु राज्य सरकारों से चालू वर्ष में प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (घ). **प्राकृतिक गैस एक नियंत्रित मद नहीं है। तथापि सरकार ओमान तथा ईरान से प्राकृतिक गैस के आयात के लिए** विकल्पों की तलाश कर रही है तथा किसी भी प्रस्ताव को अंतिम रुप नहीं दिया गया है।

रोगों का उन्मूलन

3166. श्री रामदेव राम :

श्री अन्ना जोशी :

श्री मनोरंजन भक्त :

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या देश में जिन रोगों का उन्मूलन कर दिया गया था उनमें से कोई रोग हाल ही में पुनः फैला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस समय किसी विशेष रोग के लिए कोई निवारण कार्यक्रम चला रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या उपलब्धियां रही ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) : सरकार मलेरिया, कुष्ठ और गिनी कृमि उन्मूलन कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। उन्मूलन कार्यक्रमों के शुरु होने के समय से कुष्ठ और गिनी कृमि के सूचित किए गए रोगियों में क्रमशः 75 और 98 प्रतिशत की कमी हुई है। 1976 में 6.47 मिलियन मलेरिया के रोगियों की घटना दर कम होकर 1984 में लगभग 2 मिलियन रोगी रह गई और तब से स्थिति कमोवेश स्थिर है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय

3167. श्री सूर्य नारायण यादव :

श्री धर्मण्णा मोडय्या सादुल :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली तथा देश के अन्य भागों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के कई एलोपैथिक औषधालय खोले गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और वे कहां-कहां पर खोले गए हैं;

(ग) क्या दिल्ली और देश के अन्य भागों में आई.एस.एम. तथा होम्योपैथिक औषधालय खोलने हेतु कई अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(घ) आई.एस.एम. तथा होम्योपैथी के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों की संख्या में वृद्धि करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवावर कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) और (ख). पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली और अहमदाबाद में दो-दो और जबलपुर में तीन औषधालय खोले गए हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) विभिन्न भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी पद्धतियों के अधीन अब तक 78 औषधालय/एकक खोले गए हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सम्मेलन

3168. श्री एस. बीच सिदनाल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में अन्तर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य, पर्यावरण और विकास सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में कितने सुझाव दिए गए;

(ग) क्या सरकार सम्मेलन में दिए गए सुझावों पर तत्परता से विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इन सुझावों को क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) सरकार को भारत में हाल में आयोजित किसी स्वास्थ्य, पर्यावरण तथा विकास संबंधी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की जानकारी नहीं है।

(ख) से (घ) : ये प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

विकलांगों का पुनर्वास

3169. श्री लाल बाबू राय :

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष सरकार द्वारा राष्ट्रीय विकलांग पुनर्वास कार्यक्रम के अन्तर्गत कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) इस बारे में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं तथा यह राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार किस सीमा तक प्राप्त किए गए हैं; और

(ग) इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी.तंग्काबालू) : (क) देश में पिछले दो वर्षों के दौरान विकलांगों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत आबंटित राशि इस प्रकार है :

1992-93	9.05 करोड़ रुपये
1993-94	12.75 करोड़ रुपये

(ख) और (ग) इस योजना का अनुमोदन अभी तक नहीं किया गया है इसलिए इस योजना के अंतर्गत कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

पूंजी निवेश

3170. श्री नवल किशोर राय :

श्री नीतिश कुमार :

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना तक देश में कोयले की मांग का आकलन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मांग के अनुसार देश में कोयले के उत्पादन के लिए कुल पूंजी निवेश का आकलन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) सरकार द्वारा कुल कितना पूंजी निवेश किए जाने का विचार है;

(च) उन संसाधनों का ब्यौरा क्या है जिनके माध्यम से सरकार द्वारा शेष पूंजी उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है; और

(छ) केन्द्रीय सरकार को कोयला क्षेत्र में पूंजी निवेश के लिए जनवरी, 1994 तक प्राप्त हुए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजीत पांजा) (क) और (ख) : आठवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करते समय योजना आयोग ने अंतिम वर्ष (1996-97) के लिए कोयले की मांग 311 मिलियन टन मूल्यांकित की है।

(ग) और (घ) इस मांग को पूरा करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार का सिं.को.कं.लि. को अंशदान सहित 10,577 करोड़ रु. के परिव्यय (कोयला क्षेत्र), का नियतन किया है।

कंपनी	**रुपये**
कोल इंडिया लि.	8520
सिं.को.कं.लि.	1850*
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी; क्षेत्रीय अन्वेषण; पर्यावरणीय उपाय	187
जोड़	10,557

*इसमें आंध्र प्रदेश सरकार का अंशदान भी शामिल है।

(ड.) और (च) इसमें 2181 करोड़ रु. की राशि सकल बजटीय सहायता के रुप में प्रतिनिधित्व करेगी' शेष आन्तरिक तथा अतिरिक्त बजटीय संसाधनों से निम्न प्रकार से पूरा किया जाएगा :

	आई.आर.	बांड	बाह्य वाणिज्यिक ऋण/आपूर्तिकर्ता का उधार	अन्य	जोड़ आई.ई. बी.आर
1	2	3	4	5	6
को. इं. लि.	4476	2000	342	547	7365
सिं.को.कं. लि.	431	7	63	517	1011
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, क्षेत्रीय अन्वेषण, पर्यावरणीय उपाय	-	-	-	-	-
जोड़	4907	2000	405	1064	8376

(छ) विद्युत उत्पादन कंपनियों तथा लौह एवं इस्पात के निर्माण में उसके अंतिम उपयोग के लिए ग्रहीत कोयला खनन के विकासार्थ अनुरोध पर कोयला मंत्रालय द्वारा गठित जांच समिति द्वारा विचार किया जाता है जिसमें विद्युत मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय, राज्य सरकार, कोल इंडिया लि. कोयला कंपनियों आदि के सदस्य शामिल हैं।

विद्युत क्षेत्र के संबंध में ग्रहीत ब्लॉकों का पता लगाने के लिए 15 विद्युत उत्पादन कंपनियों से आवेदन प्राप्त हुए हैं। इन विद्युत उत्पादन कंपनियों में से 10 के लिए ग्रहीत ब्लॉकों का पता लगा लिया गया है। लौह एवं इस्पात क्षेत्र में 10 कंपनियों से आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से तीन कंपनियों के ग्रहीत ब्लॉकों का पता लगा लिया गया है। ये कंपनियां खनन पट्टे की स्वीकृति के लिए सर्वेक्षण, खान की आयोजना तैयार करने तथा अन्य औपचारिकताएं पूरी करेंगी।

भारत बंगलादेश सीमा

3171. श्री राम टहल चौधरी :

श्री काशीराम राणा :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान घुसपैठ रोकने हेतु भारत बंगलादेश सीमा सड़क पर निर्माण खण्डों की स्थापना के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) लक्ष्य प्राप्त करने में कितनी सफलता मिली है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए निर्धारित लक्ष्य इस प्रकार है :

1990-91	शून्य
1991-92	60 कि.मीटर
1992-93	122 कि.मीटर

(ख) जी नहीं श्रीमान्।

(ग) लक्ष्य की प्राप्ति में कमी के मुख्य कारण हैं : भूमि अधिग्रहण में देरी और भारी मानसून।

(घ) निम्नलिखित लक्ष्य प्राप्त किए गए–

1990-91	0.5 कि.मीटर
1991-92	13.37 कि. मीटर
1992-93	91.92 कि. मीटर

फरवरी, 1994 के अंत तक 225 कि. मीटर बाड़ लगाई जा चुकी है।

कोयले का उत्पादन

3172. श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान वर्ष प्रत्येक मध्य प्रदेश में कोयला खानों से कितनी मात्र में कोयले का दोहन किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस खानों ने कुल कितना लाभ कमाया; और

(ग) इन खानों में काम करने वाले खनिकों की संख्या क्या है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख). मध्य प्रदेश में कोल इंडिया

लिमिटेड के अन्तर्गत खानों से उत्खनित किये गये कोयले और पिछले तीन वर्षों के दौरान उनसे कमाये गये निवल लाभ को नीचे दर्शाया गया है :

वर्ष	उत्खनित किया गया कोयला (कि.टन में)	कमाया गया निवल लाभ (करोड़ रुपये में)
1990-91	65.35	302.44
1991-92	69.18	355.34
1992-93	70.49	479.75

(ग) : 1.4.1993 की स्थिति के अनुसार इन खानों में कार्यरत खनिकों की संख्या 140698 थी।

कोयला उत्पादन

3173. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता :** क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया और उनकी सहायक कंपनियों में कोयले का उत्पादन प्रति वर्ष बढ़ा-चढ़ा कर दिखाया जा रहा है तथा ऐसा करके लगभग करोड़ों टन कोयले की कमी को छुपाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रचलन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं;

(ग) क्या सरकार सी.बी.आई. के द्वारा पिपरवार, बरकादाना, कटहरा, धोरी और हजारीबाग क्षेत्र में स्थित सी.सी.एल के स्टाकस की जांच करवाएगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क). कोल इंडिया लि. (को.इं.लि.) ने इस बात से इंकार किया है कि उनकी सभी सहायक कंपनियों में प्रतिवर्ष कोयले का उत्पादन अधिक दिखाया जा रहा है। किन्तु कोयले का अधिक मात्रा में दिखाए जाने के कुछ मामलों से इंकार नहीं किया जा सकता है। कोयले को अधिक मात्रा में दिखाए जाने के अतिरिक्त कोयला स्टाक की कमी निम्न के कारण हो सकती है - (i) कोयले में कुछ पत्थर/स्लेटस (अवशिष्ट सामग्री) का मिल जाना, विशेषकर ओपेनकास्ट खानों में (ii) कोयले की उठाईगिरी तथा चोरी (iii) विभिन्न घटकों जैसे कोयले का अपखण्डन, खड्डे, संघनता, कोयला ग्रेड, कोयले का घनत्व आदि के आधार पर इसका वजन निर्धारित करने के लिए अपनाई गई संघनता की तुलना में उत्खनन कोयले की संघनता में विभिन्नता।

(ख) कोल इंडिया लि. के निदेशक बोर्ड की 22.12.1990 को हुई 113 वीं बैठक में ऊपरी मलबे को हटाने तथा कोयला स्टाक के निश्चित मांग के लिए विद्यमान व्यवहार तथा प्रक्रिया को पुनरीक्षा के लिए एक उप-समिति गठित की गई। विस्तृत अध्ययन के पश्चात् उप-समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। उपसमिति की रिपोर्ट को कोल इंडिया लि. के निदेशक बोर्ड द्वारा कुछ संशोधनों सहित स्वीकार कर लिया गया है। जैसा

कि स्वीकार किया गया है, स्वीकृत सिफारिशों को संहित किया गया है तथा को.इं.लि. द्वारा कड़ाई से क्रियान्वयन के लिए इन्हें सहायक कंपनियों में परिचालित कर दिया गया है। इस संहिता में ओपेनकास्ट खानों में ऊपरी मलबा हटाया जाने तथा कोयले का माप किए जाने के लिए अपनाई जाने वाली प्रणाली भूमिगत खानों में कोयले का मापन किए जाने, कोलियरी उपभोग, के लिए कोयले को जारी किए जाने के लिए मानदंड और कोयले के स्टाक में कमी होने के मामले में जांच तथा कार्यवाही किए जाने की व्यवस्था है। सरकार ने सभी कोयला कंपनियों को इन मार्गनिर्देशनों का कड़ाई से कार्यान्वित करने के निर्देश दिए हैं।

(ग) से (ड.) : इन क्षेत्रों के स्टाक से संबंधित किसी भी तरह की जांच किए जाने के आदेश देने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत नियमित अन्तराल में सभी स्टाकों की नियमित जांच की जा रही है। किन्तु, यदि कोई शिकायत सरकार के ध्यान मं लाई जाती है तो उस पर उपयुक्त कार्यवाही की जाएगी।

कैंसर का उपचार

3174. श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गोबेद क्षेत्र में कैंसर के उपचार के लिए जड़ी-बूटियों से निर्मित ''मचेस्ता'' तेल कास बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है;

(ख) क्या इस तेल के प्रयोग से अच्छे परिणाम निकले हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस उपचार को सरकारी अस्पतालों में भी शुरु करने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) : ये प्रश्न नहीं उठते।

पोलियों के रोगी

3175. श्री गाभाजी मंगाजी ठाकुर : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में पोलियों के कितने रोगी हैं;

(ख) क्या वर्ष 1993-94 में 1992-93 की तुलना में पोलियों के रोगियों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो इसक क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस बीमारी के उन्मूलन के लिये सरकार की कोई कार्ययोजना है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर कितना धन व्यय होने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) एक ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) : सन् 2000 ईसवीं तक पोलियो के उन्मूलन का लक्ष्य है जो टीकाकरण कवरेज के उच्च स्तरों को बनाए रखकर, अधिक खतरे वाले पाकेटों में ओ.पी.वी. की अतिरिक्त खुराके देकर और जहां आवश्यक हो कवरेज स्तरों को बढ़ाकर प्राप्त किया जाना है।

(ङ.) वर्ष 1993-94 में शिशु जीवन रक्षा और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम के लिए 150 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है, जिसमें टीकाकरण कार्यक्रम पर होने वाला खर्च शामिल है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1993 में सूचित पोलियों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	767
2.	अरूणाचल प्रदेश	0
3.	असम	12
4.	बिहार	+
5.	गोवा	2
6.	गुजरात	443
7.	हरियाणा	61
8.	हिमाचल प्रदेश	0
9.	जम्मू व कशमीर	43
10.	कर्नाटक	167
11.	केरल	71
12.	मध्य प्रदेश	410
13.	महाराष्ट्र	112
14.	मणिपुर	0
15.	मेघालय	1
16.	मिजोरम	0

1	2	3
17.	नागालैण्ड	10
18.	उड़ीसा	112
19.	पंजाब	42
20.	राजस्थान	770
21.	सिक्किम	0
22.	तमिलनाडु	231
23.	त्रिपुरा	8
24.	उत्तर प्रदेश	839
25.	पश्चिम बंगाल	535
26.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	1
27.	चण्डीगढ़	+
28.	दादर व नगर हवेली	0
29.	दमन व दीव	0
30.	दिल्ली	343
31.	लक्ष्य द्वीप	0
32.	पाँडिचेरी	0
	कुल	4980

नोट + : उपलब्ध नहीं।

नोट : केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो।

एड्स जांच केन्द्र

3176. **प्रो. रासा सिंह रावत :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने राज्य में कोबाल्ट थिरेपी यूनिट और एड्स का पता लगाने वाले केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार को भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्तावों को शीघ्र मंजूरी के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानंद) : (क) से (ग). राजस्थान सरकार ने एस एम एस मेडिकल कालेज, जयपुर के अर्बुद विज्ञान विंग के लिए कोबाल्ट यूनिट सहित उपस्करों के लिए वित्तीय सहायता हेतु अनुरोध किया था। इस मामले पर विचारा किया जा रहा है। जहां तक राजस्थान में एड्स का पता लगाने के केन्द्रों का संबंध है, राज्य में ऐसे 6 परीक्षण केन्द्र है।

[अनुवाद]

नई दिल्ली में प्रदर्शन

3177. डा. वाई. एस. राजशेखर रेड्डी : क्या **ग्रह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 10 नवम्बर, 1993 को नई दिल्ली स्थित पुलिस मुख्यालय के सामने कुछ व्यक्तियों ने कोई प्रदर्शन किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) इन व्यक्तियों की मुख्य मांगे क्या थीं; और

(घ) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) करीब आधे दर्जन व्यक्तियों ने दिनांक 10.11.1993 को प्रातः 10 बजे से शाम 4 बजे तक निर्दोष पतियों पर उनकी पत्नियों द्वारा कथित रुप से अत्याचार करने के विरोध में पुलिस मुख्यालय पर एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया था।

(ग) अन्य बातों का साथ-साथ, उनकी मुख्य मांगे, दिल्ली पुलिस के महिला अत्याचार विरोधी कक्षों को बन्द करना, विवाह संबंधी शिकायतों में पुलिस के हस्तक्षेप को बन्द करना, पतियों और पतियों के परिवारजनों पर पत्नियों के अत्याचारों को संज्ञेय अपराध बनाना, जिन स्थानों पर महिला अत्याचार विरोधी कक्ष हैं उन स्थानों पर पुरूष अत्याचार विरोधी कक्ष स्थापित करना।

(घ) हमारा समाज अभी भी, मुख्यतः पुरूष प्रधान समाज है तथा महिलाओं को अभी तक वह स्तर नहीं दिया गया है जिसके लिए वे पात्र हैं। महिला अत्याचार विरोधी कक्ष की स्थापना, महिलाओं का प्रताड़न मुख्यरुप से, दहेज से संबंधित प्रताड़न की रोकथाम करने के लिए किया गया है। पुरूषों के लिए इस प्रकार के कक्ष गठित करने में कोई औचित्य नहीं है। महिलाओं द्वारा की गई शिकायतों पर कार्यवाही, उचित जांच-पड़ताल के बाद की जाती है।

[हिन्दी]

सतलुज यमुना सम्पर्क नहर

3178. श्री नारायण सिंह चौधरी : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सतलुज-यमुना सम्पर्क नहर के शेष निर्माण कार्य को पंजाब को सौंप दिया है;

(ख) क्या सरकार ने इस निर्माण कार्य को तत्काल शुरु करने हेतु पंजाब सरकार को कोई निर्देश दिए हैं अथवा किसी अन्य एजेंसी को इसका निर्माण कार्य सौंप देने को कहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस नहर का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) पंजाब सीमा क्षेत्र में सतलुज यमुना नहर का निर्माण कार्य पहले से ही पंजाब सरकार के पास है।

(ख) और (ग) पंजाब सरकार को सलाह दी गई है कि वह सतलुज यमुना संपर्क नहर का शेष कार्य यथाशीघ्र पूरा करने के लिए उपयुक्त अभिकरण/अभिकरणों को नियुक्त करें।

(घ) इस परियोजना को पूरा करने की समय-सीमा पंजाब सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले नए अभिकरण/अभिकरणों की प्रकृति और क्षमता पर निर्भर करेगी।

तेल भंडार

3179. श्री भगवान शंकर रावत : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31.12.1993 तक देश के विभिन्न भागों में पाये गये तेल भण्डारों की संख्या कितनी है,

(ख) सरकार का कितने तेल भण्डारों को तेलशोधन हेतु बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को सौंपने का विचार है,

(ग) कितने तेल भण्डारों के दोहन और तेल शोधन के लिए अनिवासी भारतीयों को सौंपने का विचार है, और

(घ) कितने भण्डारों का दोहन घरेलू संसाधनों द्वारा किये जाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) 31 दिसंबर, 1993 की स्थिति के अनुसार भण्डारों का अभी अनुमान लगाया जाना है। फिर भी 1.4.1993 को स्थिति के अनुसार उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार तेल के कुल स्थानिक भण्डार लगभग 4462 एम एम टी हैं।

(ख) से (घ) : सरकार ने भारतीय और विदेशी कम्पनियों को व्यक्तिगत रुप से अथवा अन्य कम्पनियों के परिसंघ के रुप में 4 मध्यम आकार के क्षेत्र और 13 लघु आकार के क्षेत्र दिए जाने को अनुमोदित कर दिया है। 9 लघु क्षेत्र भारतीय कम्पनियों को दिए गए हैं जबकि शेष 4 लघु क्षेत्रों का विकास भारतीय, विदेशी कम्पनियों और ओ एन जी सी के परिसंघों द्वारा विकास किया जाएगा। इन क्षेत्रों के तेल के अनुमानित भंडार लगभग 108 एम एम टी के हैं। उपर्युक्त के अलावा ओ एन जी सी और ओ आई एल का भी तेल भंडारों के दोहन का कार्यक्रम है।

[अनुवाद]

उड़ीसा में लूटमार की घटना

3180. श्री श्रीकान्त जेना : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भुवनेश्वर, उड़ीसा में पिछले दिनों केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों द्वारा दूकानों को लूटने और निर्दोष व्यक्तियों को पीटने की घटना की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दोषी जवानों को विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या इस घटना के संबंध में जांच के आदेश दिए गए हैं;

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(च) यह जांच कब तक पूरी होने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख). 10.2.1994 की रात को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कुछ कार्मिकों ने भुवनेश्वर में स्थानीय प्रियदर्शनी मार्किट परिसर में दुकानदारों के साथ दुर्व्यहार किया और कुछ दुकानों को क्षति पहुंचायी।

(ग) स्थानीय पुलिस द्वारा दो आपराधिक मामले दर्ज किए गए और घटना में अन्तर्ग्रस्त केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कुछ संदिग्ध कार्मिकों को गिरफ्तार किया गया। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के 12 कार्मिकों को निलम्बित भी किया गया है।

(घ) से (च) तक : इस घटना की जांच करने के लिए विशेष सचिव (गृह), उड़ीसा सरकार और पुलिस महानिदेशक, पूर्वी-क्षेत्र, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, की एक संयुक्त जांच समिति गठित की गयी थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट हाल ही में प्रस्तुत की है।

[हिन्दी]

मथुरा तेल शोधक कारखानों में अग्निकांड

3181. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मथुरा तेलशोधक कारखाने में गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान आग लगने की कितनी घटनाएं घटी हैं,

(ख) ये घटनाएं कब कब घटी तथा इसके क्या कारण थे;

(ग) इसमें कितनी राशि की हानि हुई; और

(घ) ऐसी घटनाओं को रोकरने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) रिपोर्ट है कि 1991 से मथुरा रिफाइनरी में आग लगने की पांच घटनाएं घटी हैं। उपर्युक्त के संबंध में विवरण निम्नानुसार है : -

क्रम संख्या	तिथि	आग लगने का कारण
1.	30.8.1991	नजदीक के क्षेत्र में किए जा रहे कार्य से वेल्डिंग के स्पार्क से आफ-साइट क्षेत्र में खुले चैनल में आग लग गई।

2. 5.6.1992 एफ सी सी यूनिट में मुख्य कालम के बाटम रिटर्न लाइन में कंट्रोल वाल्व ग्लैंड से तेल के रिसाव के कारण नजदीक की पाईप से उष्माशोधन में सोख लेने से स्वतः आग पकड़ने से आग लग गई।

3. 4.1.1993 एफ सी सी यूनिट के मुख्य कालम के बाटम सर्किट में पाइपलाइन के छोटे हिस्से के पतले होने के कारण तेल रिसने लगा तथा स्वतः ज्वलन के कारण आग लग गई।

4. 5.5.93 ल्यूब आयल सर्किट से रिसाव के परिणामस्वरूप आग लग गई क्योंकि यह उष्मीय विद्युत स्टेशन में टी जी-3 में गर्म सतह के संपर्क में आ गया।

5. 15.12.93 एफ सी सी यूनिट में स्लरी सेटलर के नजदीक स्लरी सेटलर जो क्रूड एफ सी सी फ्रैक्शनेटर कालम बाटम को प्राप्त करता था से जुडे 4 के नोजल के वेल्ड नेक से रिसाव हुआ। इसके परिणामस्वरूप स्वतः जलन के कारण उत्पाद में आग लग गई।

(ग) क्रम संख्या 1 से 4 में घटी घटनाओं के संबंध में रिपोर्ट की गई कुल क्षति करीब 535.45 लाख रूपए है। क्रम संख्या 5 की घटना छोटी थी।

(घ) अग्निकांड की ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय के माध्यम से समस्त तेल कंपनियों को अग्निकांड की प्रत्येक बड़ी घटना के कारणों का विश्लेषण करने के लिए सुझाव देने, जांच अनुरक्षण तथा प्रचालन क्रियाविधि को और सशक्त बनाने को सुनिश्चित करने तथा जहां आवश्यक हो वहां जरूरी उपचारी उपाय करने के लिए बहुक्षेत्रीय दलों द्वारा आवधिक विशेष सुरक्षा जांच करने के उपाय किए गए हैं।

बिहार में तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज

3182. श्री पंकज चौधरी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के एक अनुसंधान दल ने बिहार के कई जिलों में तेल तथा गैस के संभावित भंडारों का पता लगाया है;

(ख) क्या बिहार के गंगा बेसिन में जहां तेल तथा गैस भंडारों के संकेत मिले हैं, केवल पांच तेल कूप खोदे गये हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या कदमाहा (बिहार) में कुएं खोदने का कार्य बंद कर दिया गया है तथा बिहार को दी गई एक मात्र रिंग मशीन को असम भेज दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ख) बिहार राज्य में छः कूपों यथा पूर्वी एवं पश्चिमी चम्पारण में गनौली-1, रक्सोल-1, कदमा-1, मंडक -1 दरभंगा में मधुबनी -1 तथा पूर्णियां जिले में पूर्णियां -1 में वेधन किया गया है। बिहार राज्य के विभिन्न भागों में इसके अतिरिक्त गहन भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणों और अन्य अध्ययन भी किए गए थे। उक्त राज्य में अभी तक हाइड्रोकार्बनों के होने का कोई पता नहीं लगा है।

(ग) जी, हां।

(घ) कदमा स्थित कूप सूखा साबित हुआ है। चूंकि यहां पर अभी तत्काल पहचाने गए कोई उपयुक्त स्थान नहीं है अतः रिंग को फिलहाल स्थानान्तरित कर दिया गया है।

बिहार में सूचना एवं जन शिक्षा प्रकोष्ठ

3183. श्री प्रेम चन्द राम : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में लोगों को शिक्षित करने और कमजोर वर्ग के लोगों में जागृति उत्पन्न करने के लिए कोई सूचना और जन शिक्षा प्रकोष्ठ कार्य कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो बिहार में **1992-93** के दौरान इन प्रकोष्टों के कार्य-कलापों का ब्यौरा क्या है?

कल्याण राज्य मंत्री (श्री के. वी. तंग्काबालु) : (क) और (ख) सूचना शिक्षा मंत्रालय से एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

ठेका श्रमिक प्रणाली

3184. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

श्री महेश कनोडिया :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में उनके मंत्रालय के अधीन निगमित कार्यालयों में श्रम संबंधी कार्य अब भी ठेका श्रमिक प्रणाली द्वारा किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं, जिनमें श्रमिकों को ठेकेदारों के अधीन रखा जाता है और किन-किन राज्यों में ठेका प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है;

(ग) क्या सरकार ने श्रमिकों को ठेका प्रणाली से मुक्त करने और उनसे कार्य सीधे कराने के लिए कोई योजना बनायी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन): (क) और (ख) इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में सार्वजनिक क्षेत्र के दो उपक्रम नामशः जल एवं विद्युत परामर्शी सेवाएं (भारत) मार्यादित तथा राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम मर्यादित है। जल एवं विद्युत परामर्शी सेवाएं (भारत) मर्यादित एक परामर्शी संगठन होने के कारण ठेका श्रम प्रणाली के माध्यम से कार्य नहीं करता है, राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम, मर्यादित कार्य करने के लिए विभिन्न राज्यों में कार्य स्थलों पर मदों की दर के आधार पर कार्य आदेश पर मदवार दर पर कार्य करने वाले ठेकेदारों को नियुक्त करता है। इस बात का यथासंभव ध्यान रखा जाता है कि ठेका श्रम (विनियम और उत्पादन) अधिनियम, **1970** को प्रावधानों का कटोरता से पालन सुनिश्चित किया जाये।

(ग) और (घ) जी नहीं। ठेका श्रम (विनियम और उत्पादन) अधिनियम, **1970** में कुछ स्थापनाओं में ठेका श्रम के नियोजन को विनियमित करने तथा कुछ परिस्थितियों में इनका उत्पादन करने और इनसे संबंधित मामलों के संबंध में व्यवस्था है।

दिल्ली में पेयजल की आवश्यकता

3185. श्री सज्जन कुमार : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में पेयजल की कितनी मात्रा में आवश्यकता है और इस समय वह कितनी मात्रा में उपलब्ध है;

(ख) वह किन स्रोतों से सप्लाई किया जा रहा है;

(ग) वर्ष **2001** तक कितनी मात्रा में पेयजल की आवश्यकता होगी;

(घ) सरकार इस संबंध में क्या कदम उठा रही है; और

(ड) किशाऊ, रेणुका तथा टिहरी बांधों की वर्तमान स्थिति क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) दिल्ली जल प्रदाय तथा मल व्ययन संस्थान के अनुसार, दिल्ली को विद्यमान आबादी और अस्थायी आबादी को पेय तथा अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगभग 700 मिलियन गैलन प्रतिदिन जल की आवश्यकता है। जल उपचार संयत्रों को इष्टतम बनाकर इस समय औसतन लगभग 550 मिलियन गैलन प्रतिदिन जल का उत्पादन किया जा रहा है।

(ख) दिल्ली को जल की आपूर्ति करने वाले विभन्न स्रोत ये हैं :

भाखड़ा नहर प्रणाली/यमुना नदी/पश्चिमी यमुना नहर के जरिए अधिशेष रावी-व्यास जल, पश्चिमी यमुना नहर के जरिए यमुना जल तथा नदी तल अपर गंगा नहर तथा मुरादनगर और उप-सतही जल से पाइप लाइन के जरिए रामगंगा जल।

(ग) दिल्ली जल प्रदाय तथा मल व्ययन संस्थान के अनुसार दिल्ली के लिए कच्चे जल की आवश्यकता वर्ष 2001 तक 928 मिलियन गैलन प्रतिदिन आंकी गई है।

(घ) दिल्ली की भावी जल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लघु आवधिक और दीर्घावधिक उपायों पर विचार किया गया है। जल के वहन के समय होने वाली हानि को रोकने के लिए मुनाक शीर्ष से हैदरपुर तक एक पक्की जल वाहक प्रणाली का निर्माण करने का प्रस्ताव है ताकि कच्चे जल की उपलब्धता बढ़ायी जा सके। दिल्ली द्वारा संसाधित वहिःस्राव के बदले हरियाणा से कच्चा जल प्राप्त करने के लिए हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ बातचीत चल रही है। हिमाचल प्रदेश में रेणुका बांध उत्तर प्रदेश में किशाऊ और टिहरी बांध से दिल्ली के लिए अतिरिक्त कच्चा जल प्राप्त करने की योजना भी बनायी गयी है।

(ङ) किशाऊ और रेणुका बांधों का निर्माण शुरु नहीं हुआ है। जहां तक टेहरी बांध का संबंध है, परिवर्तन सुरंग, हैड रेस सुरंग, भूमिगत विद्युत घर कावर्न के पहुँच मार्ग के निर्माण जैसे प्रारम्भिक कार्य तथा मुख्य बांध के लिए नदी तल के निकासी कार्य पूरे हो गये हैं। मुख्य बांध को नदी तल स्तर से 15 मीटर ऊँचा कर दिया गया है।

[अनुवाद]

एड्स पर नियंत्रण

3186. श्री मोहन सिंह (देवरिया) :

श्री राम विलास पासवान :

श्री गुरूदास कामत :

श्री सुरेन्द्रपाल पाठक :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1993 के अंत में एड्स के मामलों वृद्धि का कोई आंकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो 1991 और 1992 की तुलना में 1993 के अंत में एच0आई0वी0 पोसिटिव मामलों में वृद्धि का तुलनात्मक प्रतिशत क्या है;

(ग) 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के वित्त वर्षों के अंत तक एड्स का सामना करने के लिए राज्य सरकारों को दिए गए धन में से कितना अप्रयुक्त धन है;

(घ) धन का पूर्णतः प्रयोग न हो पाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) एड्स का मुकाबला करने के लिए उठाए गए कदमों में क्या कमियां हैं और देश में एड्स पर नियंत्रण पाने के लिए क्या कार्यपद्धति तैयार की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) एच.आई.वी. के पोजीटिव के बारे में उपलब्ध जानकारी के अनुसार 1993 के अंत तक इनमें 1991 की तुलना में 122 प्रतिशत और 1992 की तुलना में 25.67 प्रतिशत वृद्धि हुई थी।

(ग) वर्ष 1991-92 के संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अपेक्षित जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। विश्व बैंक सहायता प्राप्त राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान क्रमशः जारी की गई 1143.215 और 942.93 लाख रुपए की राशि में से 31.1.94 की स्थिति के अनुसार 1544.332 लाख रुपए खर्च नहीं किए जा सके।

(घ) और (ङ) निधियों के कम इस्तेमाल हो पाने का मुख्य कारण यह तथ्य है कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम केवल सितंबर, 1992 में शुरु किया गया और साथ ही किसी नए कार्यक्रम को शुरु करने में जो सहायता समस्या आती है वह भी इसका एक कारण है। एड्स का मुकाबला करने की नीतियों में "रिस्क बिहेवियर ग्रुपस" और अन्य लोगों में जागरूकता पैदा करना, एस.टी.डी. को नियंत्रित करना, रक्त सुरक्षा, रक्त का युक्तिसंगत उपयोग और निगरानी के लिए बेहतर सुविधाएं और एच.आई.वी./एड्स के प्रभावितों का पता लगाना और उसके लिए व्यवस्था करना। इस कार्यक्रम को राज्यों में पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है। इन परिस्थितियों में इस कार्यक्रम के प्रभाव की पुनरीक्षा करना जल्दबाजी होगी।

सिंचाई और कमान क्षेत्र कार्यक्रम

3187. श्री अर्जुन चरण सेठी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) विश्व बैंक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा आधुनिकीकरण और पुनरूद्धार के लिए वित्त पोषित की जा रही उड़ीसा की सिंचाई परियोजनाओं तथा कमान क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उड़ीसा सरकार ने इन एजेंसियों से नई परियोजनाएं शुरु करने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) उड़ीसा में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त राष्ट्रीय जल प्रबन्ध परियोजना और बांध सुरक्षा आश्वासन पुनर्वास परियोजना, जिनका उद्देश्य विद्यमान सिंचाई सुविधाओं का आधुनिकीकरण और नवीकरण करना है, के अन्तर्गत निम्नलिखित योजनाएँ और बांध सहायता प्राप्त कर रहे हैं :

राष्ट्रीय जल प्रबन्ध परियोजना		बांध सुरक्षा आश्वासन एवं पुनर्वास परियोजना के अन्तर्गत बांध	
1.	महानदी डेल्टा प्रणालीचरण-।	1.	हीराकुण्ड
2.	महानदी डेल्टा प्रणालीचरण-।।	2.	दारजंग
3.	सलांकी सिंचाई प्रणाली	3.	गोदहादा
4.	ऋशीकुल्या सिंचाई परियोजना	4.	सोरोदा
5.	डेरजंग सिंचाई प्रणाली	5.	भंजनगर
6.	सलिया सिंचाई प्रणाली	6.	बेहेरा 7. केनियानाला
7.	धनेई सिंचाई प्रणाली	8.	झारनई
8.	हीराकुड वितरण प्रणाली	9.	अलीकुआं

(ख) और (ग) विश्व बैंक द्वारा प्रस्तावित जल संसाधन समेकन परियोजना में हिस्सा लेने के वास्ते उड़ीसा सरकार आगे आयी है। उड़ीसा जल संसाधन समेकन परियोजना का पूर्व - मूल्यांकन इस शर्त पर किया जा सकता है कि उड़ीसा सरकार विश्व बैंक द्वारा उठाये गए निम्नलिखित मुद्दों पर संतोषजनक रुप से कार्यवाई करे :

(।) पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन पर तीव्र और संतोषजनक कार्यवाई।

(।।) अनुरक्षण कार्यों के लिए उड़ीसा सरकार द्वारा पूर्ण वार्षिक वित्त पोषण, ताकि अवसंरचनाओं को बनाये रखा जा सकें।

(।।।) लागत वसूली (जल प्रभारों) में सुधार करने के संबंध में कार्यवाई।

उड़ीसा सरकार ने फेज - ।। अन्वेषणों और सुरक्षा मूल्यांकनों के लिए केलों नेसा, पिल्लासल्की, कुम्भों, बदजोर, सानामच्छा कदाना, दमसल, बैंकसल, तालखोल और कोदी गम नामक 10 और बांधों का पता लगाया है तथा उपर्युक्त के लिए विश्व बैंक से सहमति प्राप्त की है।

|हिन्दी|

पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि

3188. डा. गुणवन्त रामभाउ सरोदे :

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी :

श्री अन्ना जोशी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रसोई गैस और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में हाल की में हुई वृद्धि के फलस्वरुप कितना अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा; और

(ख) कीमतों में इस वृद्धि का विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों की मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) 1994-95 के बजट प्रस्तावों के प्रभाव के बिना, वर्ष 1993-94 के लिए 560 करोड़ रुपए की राशि अनुमानित है।

(ख) पेट्रोलियम उत्पादों की मांग के इस वृद्धि से प्रभावित होने की संभावना नहीं है।

[अनुवाद]

परियोजनाओं की स्थापना

3189. प्रो. पी.जे.कुरियन : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचिन रिफाइनरीज लिमिटेड ने बालमेर लारी लिमिटेड के सहयोग से परियोजनाएं स्थापित करने हेतू प्रस्ताव भेजें हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या इन परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी गई है, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग). 5000 एम टी प्रति वर्ष की क्षमता से केरल में अम्बालामुगल में पोलीब्यूटीन्स के निर्माण के लिए कोचिन रिफाइनरीज लि. और बामर लारी एण्ड कं. लि. के बीच एक संयुक्त उद्यम कम्पनी के गठन का सरकार ने दिसम्बर, 1992 में अनुमोदन कर दिया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

भूमि एवं जल संसाधनों का विकास

3190. मेजर डी.डी.खनोरिया : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में भूमि एवं जल संसाधनों के विकास हेतू अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण से कितनी धन राशि की सहायता मांगी गई है; और

(ख) इससे हिमाचल प्रदेश को कितना लाभ पहुंचने की संभावना है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के थुंगन) : (क) और (ख) जहां तक हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि एवं जल संसाधनों के विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण से सहायता प्राप्त करने का संबंध है, राज्य सरकार ने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं किया है। तथापि, हिमाचल प्रदेश सरकार के भूमि एवं जल संसाधनों के विकास के लिए परियोजना प्रस्ताव जर्मन सहायता के वास्ते प्रस्तुत किया गया है। इस प्रस्ताव में 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल करने के लिए

सिंचाई योजनाओं का निर्माण करने 20,000 हेक्टेयर में चक विकास करने, 20,000 हेक्टेयर में सिंचित कृषि के लिए विस्तार सहयोग, 3,000 हेक्टेयर में सामुदायिक सिंचाई प्रणाली का पुनर्स्थापन तथा वन, बागवानी और पशु पालन जैसे घटक भी शामिल हैं।

क्षय रोग नियंत्रण

3191. डा. अमृतलाल कालीदास पटेल : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में क्षय रोग से प्रभावित पुरूष और महिलाओं की प्रतिशतता क्या है;

(ख) 1994-95 के दौरान राज्य में क्षय रोग के प्रसार पर नियंत्रण पाने के लिए प्रस्तावित कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने इस प्रयोजनार्थ कुछ सहायता मांगी है; और

(घ) यदि हां तो 1993-94 के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई सहायता तथा 1994-95 के लिए राज्य को आवंटित धन राशि का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) क्षयरोग की व्याप्तता दर लगभग 1.5 प्रतिशत है जिसमें लगभग एक-तिहाई संख्या महिला रोगियों की है।

(ख) से (घ) : केन्द्र और राज्य के बीच 50:50 के हिस्से के आधार पर वित्त पोषित राष्ट्रीय क्षयरोग कार्यक्रम और महसाना में सुपरवाईज्ड शार्ट कोर्स कैमोथिरेपी पर आधारित सोडा द्वारा वित्त पोषित मार्गदर्शी परियोजना 1994-95 में जारी रहेंगे। 1993-94 के लिए गुजरात को 260 लाख रुपये मूल्य की क्षयरोग रोधी औषधी आदि आवंटित की गई है। 1994-95 के लिए सहायता इस कार्यक्रम के लिए राज्य सरकार के बजट आबंटनों पर निर्भर करेगी।

सिंचाई सुविधाएं

3192. श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में राज्य-वार कितनी अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी गयी है; और

(ख) इस अवधि के दौरान राज्य-वार कितनी अतिरिक्त कृषि भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) और (ख) वर्ष 1990.91 से वर्ष 1992-93 के दौरान सृजित की गयी राज्य-वार अतिरिक्त सिंचाई क्षमता और इसका उपयोग दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक "वृहद और मध्यम" तथा लघु सिंचाई योजनाओं के माध्यम से सृजित और उपयोग की गयी अतिरिक्त सिंचाई क्षमता

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सृजित की गई	(हजार हेक्टेयर) उपयोग की गयी
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	187.83	166.84
2.	अरूणाचल प्रदेश	13.61	9.61
3.	असम	88.54	62.78
4.	बिहार	710.90	586.39
5.	गोवा	1.91	9.02
6.	गुजरात	165.98	250.00
7.	हरियाणा	83.70	62.00
8.	हिमाचल प्रदेश	18.01	9.98
9.	जम्मू और कश्मीर	27.35	32.62
10.	कर्नाटक	251.04	174.07
11.	केरल	159.04	151.97
12.	मध्य प्रदेश	463.02	341.82
13.	महाराष्ट्र	193.30	182.10
14.	मणिपुर	7.61	9.88
15.	मेघालय	4.65	3.51
16.	मिजोरम	1.57	1.13
17.	नागालैण्ड	3.07	1.93
18.	उड़ीसा	196.66	181.95
19.	पंजाब	108.08	86.82
20.	राजस्थान	308.57	326.74

1	2	3	4
21.	सिक्किम	2.22	1.57
22.	तमिलनाडु	82.37	84.02
23.	त्रिपुरा	12.34	11.53
24.	उत्तर प्रदेश	3479.00	3418.00
25.	पश्चिम बंगाल	373.77	357.90
	कुल राज्य	**6944.14**	**6524.18**
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	**7.92**	**7.80**
	कुल योग	6952.06	6531.98

पेट्रोल/डीजल खुदरा विक्रय केन्द्र और रसोई गैस एजेंसियां

3193. श्री रामनिहोर राय : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1993 के दौरान दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश में रसोई गैस एजेंसियां, पेट्रोल/डीजल खुदरा विक्रय केन्द्र तथा मिट्टी के तेल की कितनी एजेंसियां आबंटित की गई; और

(ख) इनमें से कितने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को आबंटित की गई ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). जनवरी-दिसंबर 1993 के दौरान दिल्ली और उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का आबंटन किया गया :

	दिल्ली		**उत्तर प्रदेश**	
	कुल	**अनु.जा./अनु. ज.जा.**	**कुल**	**अनु.जा./ अनु.ज.जा.**
खुदरा बिक्री केन्द्र	28	5	71	21
एल पी जी	16	0	34	3
एस के ओ-एल डी ओ	4	0	3	0

[हिन्दी]

सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं में आरक्षण

3194. श्री कांशीराम राणा : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ऐसे उद्योगों और व्यापारिक संस्थाओं में आरक्षण नीति लागू करने का है जिनको वित्तीय संस्थाओं, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार से भूमि आबंटन व अन्य सुविधाएं प्राप्त होती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंग्काबालू) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत के संविधान में, उन उद्योगों तथा व्यापारिक संगठनों, जिन्होने वित्तीय संस्थाओं, संघ सरकार और राज्य सरकारों से भूमि तथा अन्य प्रोत्साहनों के रुप में सहायता प्राप्त की है, में आरक्षण का प्रावधान नहीं है।

[अनुवाद]

बच्चों पर अत्याचार

3195. **श्री जार्ज फर्नान्डीज :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में विशेषकर दिल्ली में बच्चों पर अत्याचार की निरन्तर घटनाओं से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं;,और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) धन ऐठने और भीख मंगवाने के लिए बच्चों का अपहरण करने, बाल श्रमिकों के शोषण और नाबालिग लड़कियों में अनैतिक व्यापार की कुछ घटनाएं सरकार के ध्यान में आयी हैं।

(ख) और (ग) चूंकि "पुलिस" राज्य का विषय है, अतः बच्चों पर अत्याचारों की घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाने की जिम्मेवारी राज्य सरकारों की हैं। तथापि बच्चों के बचाव के लिए सरकार ने एक विस्तृत विधायन अधिनियमित किया है और नीतियों को कार्यान्वित किया है। नीतियों में बाल श्रमिक (निषेध और विनियम अधिनियम 1986), ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बाल विकास के लिए योजना और एकीकृत बाल विकास योजना को लागू करने के लिए राज्यों में प्रवर्तन तंत्र को सुदृढ़ करना सम्मिलित है।

[हिन्दी]

पेट्रोल/डीजल के खुदारा बिक्री केन्द्र और रसोई गैस एजेंसियां

3196. **श्री खेलन राम जांगडे :**

श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में रसोई गैस एजेंसियों और पेट्रोल/डीजल एवं मिट्टी के तेल के खुदरा बिक्री केन्द्रों को खोलने संबंधी 30 अक्तूबर, 1993 तक विचाराधीन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है, और

(ख) इन प्रस्तावों को निपटाने हेतू क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) पिछली विपणन योजनाओं से लंबित चले आ रहे प्रस्तावों के अतिरिक्त मध्य प्रदेश की चालू खुदरा बिक्री केन्द्र रसोई गैस तथा एसकेओ-एलडीओ विपणन योजनाओं में 102 खुदरा बिक्री केन्द्रों, 54 रसोई गैस एवं 8 एसकेओ/एलडीओ डीलरशिपों के प्रस्ताव सम्मिलित किए गए हैं।

(ख) डीलर चयन जो लगातार और अनवरत रुप से चलने वाली एक प्रक्रिया है वह निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मध्य प्रदेश के लिए गठित तेल चयन बोर्ड के माध्यम से प्रगति पर है।

[अनुवाद]

हजीरा-जगदीशपुर पाइप लाइन

3197. श्री हरिन पाठक : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हजीरा-जगदीशपुर पाइप लाइन बिछाने का कार्य प्रगति पर है;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा, और

(ग) इस परियोजना की अनुमानित लागत क्या होगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग). हजीरा-विजयपुर-जगदीशपुर (एचबीजे) पाइपलाइन को 1987 और 1989 मे बीच चरणों में आरम्भ किया गया था। इसकी परियोजना लागत 1748 करोड़ रुपए है।

[हिन्दी]

बिहार में कुदमाहा में तेल की खोज

3198. श्री राम बदन : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने बिहार में कुदमाहा में तेल निकालने का अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कुल कितनी धनराशि खर्च हुई ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) अन्वेषण कूप कदमा-1 की खुदाई 16.9.90 को की गई थी तथा परिकल्पित भूवैज्ञानिक उद्देश्य 5372 मीटर की गहराई तक वेधन करके प्राप्त किए गए। कदमा कूप के वेधन पर 24.06 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं।

श्रीलंका के शरणार्थी

[अनुवाद]

3199. श्री आनन्द अहिरवार :

श्री पी. कुमारासामी :

श्री बी. देवराजन :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 28 फरवरी, 1994 की स्थिति के अनुसार भारत में कितने श्री लंकाई शरणार्थी रह रहे हैं;

(ख) 1993 और 1994 के दौरान अब तक ऐसे कितने शरणार्थियों को वापिस श्रीलंका भेजा गया;

(ग) कितने शरणार्थियों ने अपने देश वापिस जाने की इच्छा व्यक्त की है और 1994 के दौरान वापिस चले जायेंगे;

(घ) क्या हाल ही में किसी अमरीकी दल ने भारत की यात्रा की थी और इस संबंध में कुछ सिफारिशें की थी;

(ड.) क्या केन्द्रीय सरकार ने गत तीन महीनों के दौरान इन शरणार्थियों को शीघ्र वापिस भेजने के लिए श्रीलंका सरकार के साथ विचार-विमर्श किया है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम.सईद) : (क) दिनांक 28.2.1994 तक की स्थिति के अनुसार, श्रीलंका के 71,200 शरणार्थियों को भारत के शिविरों में बसाया गया।

(ख) वर्ष 1993 के दौरान 6,926 श्रीलंका शरणार्थियों को स्वदेश लौटाया गया। वर्ष 1994 के दौरान, अब तक, 3,575 शरणार्थियों को श्रीलंका लौटाया गया है।

(ग) शरणार्थियों को स्वदेश लौटाने की प्रक्रिया सदैव चलती रहने वाली प्रक्रिया है। जब कभी भी शरणार्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होते हैं, तो उनको स्वदेश लौटाने के लिए प्रबन्ध किए जाते हैं।

(घ) अमरीका के किसी सरकारी शिष्ट मंडल द्वारा श्रीलंका शरणार्थियों के संबंध में भारत का दौरा किए जाने की सरकार को जानकारी नहीं है।

(ड) जी नहीं, श्रीमान।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग

3200. श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने खोजे हुए तेल क्षेत्रों के विकास हेतू प्राइवेट पार्टियों के साथ संयुक्त उद्यम लगाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का विचार इस वर्ष के मध्य में स्वदेशी बाजार और इस वर्ष के अन्त तक अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश करके अपनी साम्यपूंजी में 20 प्रतिशत तक की कमी करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) 1991-92 और 1992-93 के दौरान तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को कुल कितनी विदेशी मुद्रा की हानि हुई; और

(च) पूंजी में उक्त कमी करने से कितना घाटा कम होने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). भारत सरकार ने 12 मध्यम आकार के कूपों के विकास में भागीदारी करने के लिए भारतीय और विदेशी कम्पनियों को अगस्त, 1992 में आमंत्रित किया था। यह आमंत्रण इन कम्पनियों और ओएनजीसी/ओआईएल के बीच संयुक्त उद्यमों के अन्तर्गत दिए गए थे। 30 बोलियां प्राप्त हुई और सरकार ने राव्वा, मुक्ता, पन्ना और मध्य एवं दक्षिण ताप्ती के 4 मध्यम आकार के क्षेत्रों के लिए संविदाएं दिए जाने का अनुमोदन कर दिया है। अक्तूबर, 1993 में भारत सरकार ने संयुक्त उद्यमों के अन्तर्गत विकास के लिए 8 मध्यम आकार के क्षेत्रों का प्रस्ताव किया है। बोलियों की प्राप्ति की अंतिम तारीख 31.3.1994 है।

(ग) और (घ) ओएनजीसी की बढ़ाई गई संमांशता पूंजी का 20 प्रतिशत स्वदेशां और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में निर्गमित किया जाना है। निर्गमन ओएनजीसी के वाणिज्यिक हितों को ध्यान में रखते हुए किये जाएंगे।

(ङ.) ओएनजीसी के 1991-92 में 129.68 करोड़ रुपए की और 1992-93 में 822.39 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा का घाटा हुआ।

(च) बढ़ाई गई समांशता पूंजी का तनूकरण ओएनजीसी के क्रियाकलापों के वित्तपोषण के लिए धनराशि जुटाने का एक साधन है और इसका संबंध विदेशी मुद्रा के घाटे को कम करने से नहीं है।

कोयला उत्पादन

3201. श्री तारा सिंह :

श्री लोकनाथ चौधरी :

श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :

श्री ताराचन्द खण्डेलवाल :

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कोयले का उत्पादन बढ़ाने हेतू कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके लिए किसी विदेशी अभिकरण की सहायता मांगी गयी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख). जी हां, सरकार ने योजना आयोग के साथ परामर्श करके वर्ष 1994-95 की वार्षिक योजना और आठवीं पंचवर्षीय योजना निष्पादित की

है। वर्ष 1994 95 और 1996-97 (आठवीं पंचवर्षीय योजना का अंतिम वर्ष) के लिए कोयला उत्पादन लक्ष्य को नीचे दर्शाया गया है :

वर्ष	**उत्पादन (मि.टन में)**
1994-95	253.6
1996-97	308.0

(ग) और (घ) : जी, हां। नई प्रौद्योगिक बड़ी क्षमता की मशीनरी एवं उपकरण, जो देश में निर्मित नहीं किए जाते हैं, जो लाकर कोयला उत्पादन को बढाने की दृष्टि से सरकार ने विदेशी सहायता मांगी है। वर्तमान में, भारत सरकार का सहयोग यू.के. फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, आस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ है। हाल में चीन के साथ सहयोग प्राप्त करने के प्रयास किए गए हैं।

नेवेली लिग्नाइट निगम

3202. डा. पी. बल्ललपेरुमान : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेवेली लिग्नाइट निगम के जीरों यूनिट (आठवीं इकाई) को एस.टी.पावर सिस्टम इन्को, अमेरिका कमो सौंपने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में कोई समझौता किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसकी क्या शर्तें हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख). मार्च 1989 में भारत सरकार द्वारा (1 210 मे.वा.) स्वीकृति जीरो यूनिट परियोजना, जो कि नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन द्वारा क्रियान्वित की जानी थी, को मुख्यतः संसाधनों की कमी होने और विद्युत के उत्पादन के निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति प्रदान किये जाने के लिए भारत सरकार द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णय के अनुसरण में इसे मैसर्स एस.टी. पावरसिस्टम इन्कलाइन को स्थानांतरित किया गया है।

(ग) और (घ) नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन और मैसर्स एस.टी. पावर सिस्टम इनक्लाइन के बीच दिनांक 31.1.1992 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस परियोजना के स्थानांतरण की शर्तें दिनांक 14.8.1992 की औद्योगिक विकास विभाग के पत्र संख्या एफ.सी.-11.283 (92) 371 (92) के पत्र में दी गई है और इस पत्र में अन्य बातों के अलावा निम्न बातें शामिल हैं :

(i) विदेशी इक्विटी भागीदारी 55 प्रतिशत की होगी और भारतीय इक्विटी 45 प्रतिशत की होगी।

(ii) 50 प्रतिशत ऋण की राशि भारत में जुटाई जाएगी शेष राशि आपूतिकर्ताओं के विदेश से प्राप्त हुए ऋण द्वारा वाणिज्यिक ऋण आदि द्वारा जुटाई जाएगी।

(iii) परियोजना प्रस्तावक तमिलनाडु सरकार के साथ विद्युत की बिक्री किये जाने के लिए एक करार करेंगे ओर टैरिफ की संगणना भारत सरकार के विद्युत विभाग के मार्गनिर्देशों के अनुसार की जाएगी।

(iv) वर्तमान परियोजना की अवस्थिति मेसर्स नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन के वर्तमान नियोजना क्षेत्र के बाहर रहेगी।

(v) नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन परियोजना को अदायगी के आधार पर कच्चे लिग्नाइट की आपूर्ति इसकी वास्तविक अपेक्षाओं के अनुसार की जाएगी।

(vi) दिनांक 14.8.92 से दो वर्ष की अवधि के लिए भारत सरकार का अनुमोदन वैध रहेगा और ऐसी अवधि के दौरान मेसर्स एस.टी. पावरसिस्टम, भारतीय रिजर्व बैंक/प्राधिकृत विदेशी विनिमय डीलरों के साथ सहयोग करार करेगा।

(vii) यह करार भारतीय नियमों के अन्तर्गत किया जाएगा।

(viii) पूंजीगत उपकरण आदि का आयात समय समय पर चालू आयात नीति के अन्तर्गत किया जाएगा।

[हिन्दी]

दमन और दीव में शराब की दुकानें

3203. श्री दिलीप भाई संघानी : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ राज्य क्षेत्र दमन और दीव में शराब की कितनी दुकानें हैं;

(ख) क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि इन दुकानों से शराब अवैध रुप से गुजरात में लायी जा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस प्रकार अवैध रुप से शराब को लाने पर रोक लगाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं/उठाए जायेंगे ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) संघ शासित क्षेत्र दमन और दीव में शराब की 577 दुकानें हैं।

(ख) सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि इन दुकानों से अवैध रुप से शराब गुजरात में लायी जा रही है।

(ग) और (घ). दमन ओर दीव शराब बाहर ले जाने पर सख्त निगरानी रखी जाती है और उपयुक्त निर्यात परमिट के बिना शराब को बाहर नहीं ले जाने दिया जाता है। आबकारी विभाग भी सतर्क है और शराब को गैर कानूनी रुप से ले जाने को रोकने के लिए उसे निर्देश दिए गए हैं।

[अनुवाद]

क्षय रोग अस्पताल

3204. श्री अनादि चरण दास : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य में कितने क्षय रोग केन्द्र/अस्पताल काम कर रहे हैं;

(ख) इस केन्द्रों/अस्पतालों में से कितने केन्द्रीय सरकार से सहायता प्राप्त है; और

(ग) इन केन्द्रों/अस्पतालों को आधुनिक चिकित्सा उपकरणों से सुसज्जित करने तथा जीवन रक्षक औषधियों की पर्याप्त आपूर्ति हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) कार्यरत क्षयरोग केन्द्रों/अस्पतालों को राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में देखी जा सकती है।

(ख) और (ग) : क्षयरोग केन्द्र/अस्पताल राज्य सरकारों द्वारा स्थापित किए जाते हैं लेकिन केन्द्र सरकार राज्य और केन्द्र के बीच 50.50 हिस्से के आधार पर क्षयरोग रोधी औषधें, सामग्री और उपस्कर प्रदान करती हैं।

विवरण

राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन कार्यरत क्षयरोग केन्द्रों/अस्पतालों की राज्यवार संख्या को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	जिलों की संख्या	क्षयरोग प्रदर्शन केन्द्र	जिला क्षयरोग केन्द	अन्य क्षयरोग क्लीनिकों की संख्या	क्षयरोग पंलगों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	23	1	23	25	2539
2.	अरूणाचल प्रदेश	12	-	5	-	202
3.	असम	18	-	11	9	809
4.	बिहार	42	2	32	25	2109
5.	गोवा	1	-	1	4	260
6.	गुजरात	19	1	19	4	3563
7.	हरियाणा	12	-	11	4	410
8.	हिमाचल प्रदेश	12	-	12	7	743
9.	जम्मू व कश्मीर	14	1	10	4	655
10.	कर्नाटक	20	1	20	6	3555
11.	केरल	14	1	12	9	2271

1	2	3	4	5	6	7
12.	मध्य प्रदेश	45	1	45	5	1985
13.	महाराष्ट्र	30	1	28	19	8207
14.	मणिपुर	8	-	3	-	145
15.	मेघालय	7	-	2	-	254
16.	मिजोरम	3	-	2	1	95
17.	नागालैंड	7	-	2	1	110
18.	उड़ीसा	13	1	13	1	901
19.	पंजाब	12	1	12	4	921
20.	राजस्थान	27	1	27	2	2018
21.	सिक्किम	4	-	3	3	100
22.	तमिलनाडु	21	1	16	40	3620
23.	त्रिपुरा	3	-	3	-	60
24.	उत्तर प्रदेश	56	1	56	20	3437
25.	पश्चिम बंगाल	17	1	16	146	6433
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	2	-	1	-	67
27.	चंडीगढ़	1	-	1	1	10
28.	दादरा व नगर हवेली	1	-	1	-	4
29.	दमन व दीव	2	-	1	-	10
30.	दिल्ली	1	1	1	13	1728
31.	लक्षद्वीप	1	-	-	-	-
32.	पांडिचेरी	1	-	1	4	188
	योग	449	16	390	327	47489

...

सैंटक्रोमान

3205. श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय औषध अनुसन्धान संस्थान ने संटीक्रोमान नाम से एक गैर-हार्मोनी गर्भनिरोधक औषधि तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वाणिज्यिकी रुप से इसका उत्पादन कब तक शुरु किया जाएगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) इसे पहले तीन माह तक सप्ताह में दो बार और उसके बाद सप्ताह में एक बार लेना होता है।

(ग) भारत में इसका विपणन पहले ही ''सहेली'' तथास ''सेन्ट्रान'' ब्रांड नाम के अधीन क्रमशः मेसर्स हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड और टोरेन्ट फार्मेस्युटिकलस लिमिटेड द्वारा किया जा रहा हैं।

[हिन्दी]

इन्दिरा गांधी नहर

3206. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या जल संसाधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंदिरा गांधी नहर बोर्ड ने इन्दिरा गांधी नहर चरण-1 की मरम्मत और इसमें परिवर्तन करने के लिए केन्द्रीय सरकार के पास कोई योजना भेजी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना के लिए कितनी धनराशि मांगी गई है;

(ग) क्या इस योजना को स्वीकृति प्रदान करा दी गई है; और

(घ) यदि नहीं तो इस योजना को कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी ?

शहरी विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जी हां। ''विस्तार, नवीकरण और आधुनिकीकरण परियोजना, चरण-1 इंदिरा गांधी नहर परियोजना'' नामक योजना राजस्थान सरकार से प्राप्त हुई है।

(ख) राज्य सरकार द्वारा इस योजना की लागत 86.39 करोड़ रुपए आंकी गई हैं।

(ग) और (घ) इस योजना के अभिकल्प, सिंचाई और सस्यु विज्ञान पहलुओं पर टिप्पणियां अनुपालन के लिए राज्य सरकार को भेजी गई हैं। इस योजना का अनुमोदन राज्य सरकार द्वारा मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों को संतोषजनक रुप से अनुपालन करने पर निर्भर करता है।

[अनुवाद]

पाक प्रशिक्षित आंतकवादी

3207. श्री सूरज भान सोलंकी : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत नौ महीनों के दौरान पाक प्रशिक्षित आंतकवादियों ने कश्मीर में घुसपैठ के कितने प्रयास किये;

(ख) ऐसे प्रयासों को कितनी बार विफल किया गया;

(ग) इन घटनाओं में हताहत हुए आतंकवादियों और सुरक्षाकार्मियों की संख्या कितनी-कितनी हैं; और

(घ) इन घटनाओं में कितने आंतकवादियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे जब्त किये गये गोला-बारूद का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (घ). नियंत्रण रेखा-सीमा के उस पार से जम्मू और कश्मीर में पाक प्रशिक्षित उग्रवादियों की घुसपैठ कराने के प्रयास जारी हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार जून, 1993 से फरवरी, 1994 तक सुरक्षा बलों द्वारा ऐसे 59 प्रयासों को विफल किया गया। इन घटनाओं के दौरान 205 उग्रवादी मारे गए और 72 को गिरफ्तार किया गया। सुरक्षा बलों के 17 कार्मिक मारे गए या जख्मी हुए। उग्रवादियों से जब्त किए गए शस्त्र और गोला बारूद में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :

पिस्तौल	153
आर.पी.जी. (राकेट लांचर)	26
यू.एम.जी.	27
एल.एम.जी.	2
कलाशमोकोव रायफल	210
स्नाईपर रायफल	15
मोर्टार	5
ग्रेनेड लांचर	3
हथ गोले	795
बारूदी सुरंगे	269
राकेट	56
डेटोनेटर	784
विस्फोटक	52 कि.ग्रा.
गोला बारूद	1,79,124 राउन्ड

पोलियो का टीका

3208. **श्री आनन्द रत्न मौर्य :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या सरकार का विचार देश के प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत सुई द्वारा लगाया जाने वाला (इन्जेक्टेबल पोलियो वैक्सीन) पोलियो का टीका आरंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब से आरंभ किया जायेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

जम्मू और कश्मीर में शिविरों का आयोजन

3209. **डा. कार्तिकेश्वर पात्र :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी कमान के सैनिकों द्वारा किश्तवाड़ में उग्रवाद प्रभावित गांवों में शांति कायम करने के अतिरिक्त क्षेत्र के निवासियों को चिकित्सा सुविधा का लाभ देने और उनमें जन-स्वास्थ्य योजनाओं को प्रचारित करने हेतु आयोजित चिकित्सा शिविर सफल रहा है जैसा कि 12 जनवरी, 1994 के "इंडियन एक्सप्रैस" में प्रकाशित हुआ;

(ख) क्या सरकार ने इन शिविरों की सफलता के बारे में कोई आकलन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) राज्य में ऐसे और शिविरों के आयोजन हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (घ). जनता का दिल जीतने और उन्हें उग्रवादियों से विमुख करने के लिए जम्मू और कश्मीर में सेना द्वारा चलाए जा रहे "सिविक एक्शन" कार्यक्रम के एक भाग के रुप में चिकित्सा शिविर आयोजित किए गए थे। इन शिविरों को अपार सफलता मिली थी क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों ने इन शिविरों में भाग लिया। चिकित्सा सुविधाओं के आलावा सेना ने लोगों में अनेक प्रकार की खाद्य वस्तुओं का वितरण भी किया। इन चिकित्सा शिविरों से उग्रवाद से पीड़ित क्षेत्रों में शांति बहाल करने के हमारे प्रयत्नों में सहायता मिली। भविष्य में इस प्रकार के और अधिक शिविर लगाए जाने की संभावना है।

पेट्रोल और डीजल की दरें

3210. **श्री सत्यगोपाल मिश्र :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) 1991 में एक लीटर पेट्रोल और डीजल का मूल्य कितना-कितना था;

(ख) एक लीटर पेट्रोल और डीजल को वर्तमान दर कितनी-कितनी है; और

(ग) इनकी दरों में कितने-कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग). पेट्रोल और डीजल के भंडारण स्थल तक मूल्य रुपयों/किलो लिटर में है। 1991 तथा वर्तमान समय में प्रतिलिटर मूल्य निम्नानुसार है :

	25.7.1991 से प्रभावी	**2.2.1994 से प्रभावी**	**रुपए/लिटर प्रतिशत वृद्धि**
पेट्रोल (एम. एस. 87)	13.42	15.41	14.83
डीजल (एच एस डी)	4.54	6.29	38.55

रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट

3211. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर मेडिकल कालेज के अंतर्गत, कैंसर संस्थान को क्षेत्रीय कैंसर संस्थान का दर्जा दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो संस्थान में उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानंद) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बिहार में सिंचाई परियोजनाएं

3212. श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने 1993 में बिहार में अकाल एवं सूखा प्रवण क्षेत्रों में कुछ सिंचाई परियोजनाओं की घोषणा की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं के लिए कितनी निधि का नियतन किया गया है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) और (ख). वर्ष 1993 में बिहार के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में प्रधान मंत्री के दौरे के दौरान, बिहार राज्य सरकार ने एक ज्ञापन के जरिए सूखा प्रणव क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने वाली पांच सिंचाई परियोजनाओं नामशः औरंगा जलाशय कन्हार जलाशय, अमानत जलाशय, कदवान जलाशय तथा ताहले जलाशय की शीघ्र स्वीकृति का सुझाव दिया है।

(ग) पांच परियोजनाओं में से औरंगा 1983 की अनुमोदित योजना होने के कारण, इस परियोजना पर मार्च, 1992 तक 14.71 करोड़ रु. का व्यय किया गया है और योजना आयोग द्वारा आठवीं योजना में इस परियोजना के लिए 20 करोड़ रु. का आबंटन किया गया है। कदवान, जमानिया और सोन नहर आधुनिकीकरण दोनों के लिए आठवीं योजना में 344.90 करोड़ रु. आबंटित किए गये हैं और मार्च, 1992 तक इन परियोजनाओं पर 29.43 करोड़ रु. व्यय किए गये हैं। शेष तीन परियोजनाओं नामशः, अमानत, ताहले और कन्हार पर निधियों का आबंटन इस बात पर निर्भर करता है कि राज्य सरकार कितनी जल्दी केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणीयों की अनुपालना करती है और उनके लिए निवेश स्वीकृति प्राप्त करती है।

दिल्ली में रसोई गैस की कमी

3213. **श्री बारे लाल जाटव :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की इस तथ्य की जानकारी है कि दिल्ली में रसोई गैस की भारी कमी है जिसके कारण उपभोक्ताओं को समय पर गैस सिलेंडर उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं; और

(ख) रसोई गैस की कमी को पूरा करने और समय पर उपभोक्ताओं का गैस सिलेन्डरों की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु कदम उठाए गये हैं अथवा उठाऐ जायेंगे?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (राज्य मंत्री) कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). सामान्यतया दिल्ली में एल पी जी रिफिलों की आपूर्ति में कमी नहीं है। तथापि यदि कभी कभार अस्थायी बकाया उत्पन्न होता है तो उसे एल पी जी भराई संयंत्रों को वर्द्धित घंटों तथा रविवार अवकाश के दिनों में चलाकर आपूर्तियों में वृद्धि करके किया गया जाता है।

[अनुवाद]

कोयले का आयात

3214. **डा. रमेश चन्द्र तोमर :** क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आस्ट्रेलिया, पोलेंड, रूस, न्यूजीलैंड और भारत में उत्पादित कोयले की उष्मोत्पादकता में क्या अन्तर है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न औद्योगिक एककों ने वर्षवार कुल कितने कोयले का आयात किया तथा उसकी प्रति मीट्रिक टन लागत बीमा भाड़ा कीमत कितनी है।

(ग) क्या सोडा ऐश उद्योग ने कम आयात शुल्क दर पर कोयले के आयात की अनुमति देने का अनुरोध किया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजीत पांजा) : (क) और (ख). सूखे आधार पर आस्ट्रेलिया पोलेंड रुस और न्यूजीलैंड जैसे देशों में कोक का कैलोरिफिक क्षमता लगभग 5,900 कि.कैलौरी/कि.ग्रा. है।

इसकी तुलना में सूखे आधार पर भारतीय कोक की कैलोरिफिक क्षमता 5,200 कि.कैलोरी/कि.ग्रा. के करीब है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान कोक की विभिन्न किस्मों के आयात का प्रत्येक आयातित किये गये किस्म के कोक की कीमत की दर्शाते हुए वर्ष वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :

वर्ष	आयात की मद	मात्रा (टन में)	कीमत (लाख रुपये में)
1991-92	कोक एवं कोयले का अर्द्ध कोक/ लिग्नाइट/पिटडब्ल्यू/एन एकत्रित रिपोर्ट कार्बन	651017	13,575.88
	पिच कोक	3	0.49
	कैलसाइन किया हुआ पैट्रोलियम कोक	43181	2,546.43
1992-93	कोक एवं कोयले का अर्द्ध कोक/ लिग्नाइट/पिट/डब्ल्यू/एन एकत्रित रिपोर्ट कार्बन	246587	7,359.81
	पिच कोक	7	1.74
1993-94	कोक और कोयले का अर्द्ध कोक/लिग्नाइट पिट डब्ल्यू.एन एकत्रित रिपोर्ट कार्बन	79051	2,337.78

(स्रोत ;) विदेश - व्यापार महानिदेशालय)

(ग) और (घ) : वर्ष 1994-95 के बजट भाषण में वित्त मंत्री ने यह प्रस्ताव किया है कि वर्तमान में कोक 25 प्रतिशत की तुलना में 85 प्रतिशत शुल्क आकर्षित करेगा।

मलेरिया नियंत्रण

3215. श्री मनोरंजन भक्त : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा विशेषकर जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्रों में मलेरिया पर नियंत्रण पाने की नीति की समीक्षा करने हेतु जुलाई 1992 में गठित कृतिक बल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो कृतिक बल ने क्या सिफारिशें की हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन सिफारिशों पर क्या अनुवर्ती कार्रवाही की गई हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) और (ख). जी हां। इन सिफारिशों में इस कार्यक्रम के विकेन्द्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए जिला/सूक्ष्म योजनाओं का बनाना, आदिवासी क्षेत्रों के लिए केन्द्र से शत-प्रतिशत धन देना, रोग के नियंत्रण में सुधार करने की कार्यनीतियों, अनुवीक्षण, प्रशिक्षण और व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए उपाय करना शामिल है।

(ग) इस कृतिम बल की रिपोर्ट 7 राज्यों को उनकी टिप्पणियों के लिये भेजी गई। दो राज्यों से टिप्पणियों की प्रतीक्षा की जा रही है।

[हिन्दी]

मिट्टी के तेल का भंडारण

3216. डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आयल कारपोरेशन ने मिट्टी के तेल के व्यापारियों से ''बल्क भंडारण'' करने को कहा है;

(ख) क्या व्यापारियों ने उससे छूट पाने के लिए कोई आवेदन पत्र दिया है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) उक्त विषय पर नीति को देखते हुए आई ओ सी ने कोई छुट देने के लिए सहमति नहीं दी है।

उत्तर प्रदेश में गैर सरकारी संगठन को वित्तीय सहायता

3217. श्री गया प्रसार कोरी : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) 1991-92, 1992-93, 1993-94 के दौरान सरकार को उत्तर प्रदेश के स्वैच्छिक संगठनों से वित्तीय सहायता हेतु कितने आवेदन पत्र मिले हैं;

(ख) सरकार द्वारा इन आवेदन पत्रों में से कितने आवेदन पत्रों को स्वीकृति दी गई तथा प्रत्येक मामले में कितनी वित्तीय सहायता दी गई;

(ग) कितने आवेदन पत्र स्वीकृति हेतु लंबित पड़े हैं; और

(घ) इन आवेदन पत्रों को कब तक स्वीकृति दे दी जायेगी ?

कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. वी. तग्काबालू) :

(क)

वर्ष	कल्याण मंत्रालय द्वारा सहायतानुदान हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या
1991-92	82
1992-93	168
1993-94	249
कुल :	499

(ख) वित्तीय सहायता के लिए 152 संगठनों को शामिल करने वाले 233 आवेदन पत्रों को अनुमोदन प्राप्त हो चुका है। संगठनों के नाम तथा निर्मुक्त सहायतानुदान संलग्न विवरण में दिये गये हैं। 5 आवेदन पत्र रद्द किये गये।

(ग) 261

(घ) वित्तीय सहायता हेतु पात्र लम्बित आवेदन पत्रों पर या तो चालू वित्त वर्ष अथवा परवर्ती वित्त वर्षों के दौरान विचार किया जाएगा। यह निधियों की उपलब्धि तथा जहां कहीं आवश्यक हो, संगठनों तथा संबंधित राज्य सरकारों से आवश्यक सूचना/स्पष्टीकरण के प्राप्त होने पर निर्भर करता है।

विवरण

क्र. सं.	स्वैच्छिक संगठन का नाम	निर्मुक्त राशि (रुपये लाखों में)
1	2	3
	1991-92	
	विकलांग कल्याण	
1.	अभिन्य रैप थैटर एंड रिसर्च इन्स्टीच्यूट, लखनऊ	2.50
2.	पर्यावरण सन् सागरन समिति, अलमोड़ा	1.27
	समाज रक्षा	
3.	इंडियन रेड क्रास सोसायटी	0.48
4.	तिलक शिक्षक समिति, इलाहाबाद	1.52
5.	सार्वजनिक शिक्षोन्यम संस्थान हरदोई	2.00
6.	श्री के.एल. शास्त्री स्मारक संस्थान, कानपुर	1.22
7.	मेडिकल सलाहकार संघ कानपुर	1.52
8.	अखिल भारतीय आजाद सेवा संस्थान लखनऊ	0.43
9.	बोधी सत्व बाबा साहेब डा. अम्बेडकर स्मारक समिति, लखनऊ	2.00
10.	निर्वल समाज कल्याण संस्थान	0.48
11.	शहीद ममोरियल सोसायटी, लखनऊ	2.00
12.	समाजिक एवं आर्थिक विकास संस्थान, लखनऊ	1.52
13.	भारतीय समाज सेवा संस्थान लखनऊ	0.48

14.	नेता जी सुभाष विद्या मंदिर, रामपुर	0.48
15.	सर्वोदय ग्राम एवं महिला विकास संस्थान, मिलक	0.45
16.	सार्वजनिक शिक्षण समिति, लखनऊ	0.48
17.	रोटरी सपोन्सोरीट चेरीपीठ और व्याहइट वेल्फेयर सोसायटी, इलाहाबाद	0.50
	1992-93	
	विकलांग कल्याण	
1.	श्री कांची कामकोटीपेक्टम संस्कार सेवा चेरी टेबल ट्रस्ट, हरिशवाड़ा	1.18
	समाज रक्षा	
2.	अम्बेडकर शिक्षा समिति, लखनऊ	2.13
3.	यू.पी. राना बेनी मारदेव जनकल्याण समिति, रायबरेली	0.46
3.	आदर्श शिक्षा समिति	1.52
5.	समाजिक एवं आर्थिक संस्थान, लखनऊ	0.46
	1993-94	
1.	ईश्वर सरन आश्रम, इलाहाबाद	1.17
2.	हिमुन सर्विसेज चेरीटेबल ट्रस्ट आफ इंडिया, लखनऊ	7.02
3.	बोध सत्य बाबा साहेब डा. बी. आर अम्बेडकर स्मारक समिति, लखनऊ	2.45
4.	सोसल एंड इक्नोमिक्स डवलपमेंट, इन्सीटयूट, लखनऊ	2.24
5.	भारतीय समाज सेवा संस्थान, लखनऊ	2.07
6.	सार्वजनिक शिक्षण संस्थान, हरदोई	3.18
7.	प्रगतिशील उद्योग समिति, लखनऊ	1.16
8.	डिवाइन लाइट एजुकेशन एंड कलचर सोसायटी, मद्रास	2.70
9.	आदर्श जनता शिक्षा समिति, इलाहाबाद	0.29
10.	लोक कल्याण संस्थान, कानपुर	0.46
11.	विनोभा आदर्श शिक्षा समिति, इलाहाबाद	0.42

12.	सुधा प्रशिक्षण विकास संस्थान, लखनऊ	0.65
13.	मायाम स्तकम शिक्षा केन्द्र, गोरखपुर	0.95
14.	आदर्श संस्कृति संलसग कला केन्द्र, उन्नाव	4.77
15.	आशा महिला शिल्प कला केन्द्र, फिरोजाबाद	0.54
16.	सेंटर नेशनल बुद्धा एजुकेशन इन्सीटयूट, हापुड़	4.05
17.	अखिल भारतीय आजाद सेवा संस्थान, लखनऊ	1.50
18.	आल इंडिया बूइक बिल्डर्स सोसायटी, मथुरा	2.67
19.	किसान सेवा समिति, बुलन्दशहर	0.87
20.	रूदायन ग्राम विकास आश्रम, मुरादाबाद	0.45
21.	बिज़नौर सेवा संस्थान, बिजनौर	0.38
22.	तरूण तेतना, रायबरेली	0.72
23.	नेताजी सुभाष विद्या मंदिर, रामपुर	3.23
24.	ज्ञानभारती महिला कल्याण एवं शिक्षा समिति, एटा	1.90
25.	उर्मिला समाज कल्याण समिति, हरदोई	2.56
26.	सर्वेजन कल्याण समिति, बुलन्दशहर	0.92
27.	प्रतापगढ़ ग्रामोआन समिति, प्रतापगढ़	0.47
28.	जे.पी. सेवासमिति, फरुखाबाद	0.48
29.	न्यू पब्लिक स्कूल समिति, लखनऊ	4.45
30.	शक्ति सदन संस्थान, हरदोई	2.67
31.	अवध संस्थान, फैजाबाद	0.87
32.	प्रतापगढ़ महिला कल्याण एवं शिक्षा समिति, प्रतापगढ़	1.92
33.	मेनग्रोला विकास समिति, मुरादाबाद	0.49
34.	रतन ग्रामद्योग सेवा संस्थान, फैजाबाद	1.74
35.	जन कल्याण शिक्षा समिति, देवरिया	1.82
36.	यू.पी. अनुसूचित विलुप्त एवं जनजाति सेवा संघ, लखनऊ	1.81
37.	इंदिरा राष्ट्रीय सेवा समाजोत्थान संस्थान, देहरादून	1.91
38.	स्वर्गीय तपेश्वर राम कल्याण समिति, मयू	1.83

39.	बाल अवाम महिला कल्याण समिति, फतेहपुर	0.66
40.	डा0 राधाकृष्ण पब्लिक महिला सिलाई कढ़ाई	
	प्रशिक्षण केन्द्र, झांसी	0.65
41.	स्वामी आत्मादेव गोपाल चन्द शिक्षा संस्थान फरुखाबाद	1.77
42.	ग्राम स्वराज्य आश्रम, सीतापुर	1.61
43.	जवाहर ज्योति शिक्षा और ग्राम विकास समिति, रामपुर	0.81
44.	समाज कल्याण शिक्षा संस्थान, दयोरिया	1.92
	अनुसूचित जनजाति विकास	
45.	भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, नई दिल्ली	1.78
46.	अशोक आश्रम, देहरादून	1.42
47.	सर्वेंटस ऑफ इंडिया, सोसायटी, पुणे	10.61
48.	दीन दयाल रिसर्च इंस्टीचयूट	1.31
	विकलांग कल्याण	
49.	मंगलम, लखनऊ	36.00
50.	रोटरी सपोन्सरड करीप्पलिक और यूथ वेलफेयर	
	सोसायटी, लखनऊ	15.00
51.	एलम्पको, कानपुर	400.00
52.	नेताजी सुभाष विद्या मन्दिर, रामपुर	10.78
53.	नेशनल एसोसिएशन फार दि ब्लाईड, अलीगढ़	1.15
54.	इलाहाबाद ग्राम स्वास्थ्य सेवा समिति, इलाहाबाद	0.67
55.	के.एल. शास्त्री स्मारक संस्थान, कानपुर	0.84
56.	पोहारी स्मृति परिषद्, गाजीपुर	1.88
57.	स्वामी अरजन्द अन्ध विद्यालय, हरिद्वार	3.07
58.	चेतना, लखनऊ	2.33
59.	विकलांग केन्द्र, इलाहाबाद	1.95
60.	प्रागनारायण मूक बधिर समिति, अलीगढ़	2.37
61.	सूर स्मारक मंडल, आगरा	2.40

62.	हनुमान प्रसाद पोदार अन्ध विद्यालय, वाराणसी	8.46
63.	दीप एंड दम्ब स्कूल, आजमगढ़	1.62
64.	एन.एल. चतुर्वेदी स्कूल फार दि डीप, लखनऊ	5.38
65.	शहीद ममोरियल सोसायटी, लखनऊ	3.07
66.	बी.सी.जी. स्कूल फार दि डीप, वाराणसी	2.55
67.	मंगलम, लखनऊ	0.80
68.	वृन्दावन अन्ध विद्यालय, मथुरा	1.75
69.	गूंगे बहरे का विद्यालय, कानपुर	4.74
70.	रफील, देहरादून	2.63
71.	दीफ एंड डम्ब स्कूल, मेरठ	2.04
72.	नन्ही दुनिया बधिर विद्यालय, देहरादून	2.12
73.	यू.पी. डीप एंड डम्ब इन्स्टीच्यूट, इलाहाबाद	1.49
74.	अखिल भारतीय विकलांग कल्याण समिति, मंडल, फैजाबाद	8.21
75.	स्वरस्वती बधिर सेवा समिति, लखनऊ	0.86
76.	नेशनल फैलोशिप रेहैंबलीटेशन, सेन्टर फार दि ब्लाइंड, इलाहाबाद	0.70
77.	अभिनाव रिपोटरी थैटर एंड रिसर्च इन्स्टीच्यूट, लखनऊ	3.04
78.	जहांगीर चैरिटेबल ट्रस्ट, इलाहाबाद	0.82
79.	विकलांग विकास परिषद, आगरा	0.77
	समाज रक्षा	
80.	न्यू पब्लिक स्कूल समिति, उनाव	0.98
81.	शक्ति साधनम् संस्थान, सीतापुर	1.43
82.	निर्वाण, लखनऊ	1.21
83.	सोसायटी फार अरबन एंड रूरल रिकंस्ट्रक्शन, लखनऊ	1.50
84.	स्वर्गीय श्री कंचन लाल सगमा सेवा संस्थान, हामीपुर	0.46
85.	स्वर्गीय राम देव सिंह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी निराश्रित दलित पिछड़ा वर्ग महिला उत्थान समिति, बस्ती	0.64

86.	श्री राम स्मरण स्मारक सेवा संस्थान, बदायूं	0.42
87.	अखिल भारतीय आजाद सेवा संस्थान, इलाहाबाद	0.53
88.	रिस्पेक्ट ऐज इंटरनेशनल, आगरा	0.85
89.	बंजारा विकास परिषद्, अलीगढ़	3.58
90.	बैरागी शिक्षा संस्थान, वाराणसी	0.82
91.	सुधा प्रहासन विकास संस्थान, लखनऊ	0.71
92.	लोक सेवा मंडल, इलाहाबाद	0.85
93.	जवाहर ज्योति शिक्षा एवं ग्राम विकास समिति, रामपुर	1.76
94.	न्यू पब्लिक स्कूल समिति, लखनऊ	0.79
95.	जन सेवा संस्थान, इलाहाबाद	1.32
96.	विश्व जात महासंघ, वृन्दावन	1.51
97.	ग्राम विकास शिक्षा समिति, इलाहाबाद	0.85
98.	शहीद मेमोरियल सोसायटी, लखनऊ	5.25
99.	सार्वजनिक शिक्षोन्नयन संस्थान, हरदोई	1.78
100.	नारी शिल्पकला शिक्षा समिति, लखनऊ	3.39
101.	महिला उद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, इलाहाबाद	1.98
102.	इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी, इलाहाबाद	2.19
103.	गुरूकुल विद्यापीठ पूठ, गाजियाबाद	1.53
104.	तिलक शैक्षिक समिति, इलाहाबाद	0.96
105.	उत्तराखण्ड शोषित महिला उत्थान समिति, देहरादून	1.91
106.	निर्वाण समाज कल्याण संस्थान, लखनऊ	1.25
107.	ग्राम्य विकास सेवा संस्थान, इलाहाबाद	0.55
108.	ग्रामोत्थान जन सेवा संस्थान, इलाहाबाद	0.29
109.	जन कल्याण शिक्षा संस्थान, देवरिया	0.49
110.	समाज कल्याण शिक्षा संस्थान, देवरिया	0.49
111.	प्रतापगढ़ महिला कल्याण एवं शिक्षा समिति, प्रतापगढ़	0.49
112.	कमछनलाल सगुना सेवा संस्थान, हामीपुर	2.22

113.	मानव शिक्षा प्रमार समिति, इलाहाबाद	0.29
114.	ग्रामोत्थान जन सेवा संस्थान, जौनपुर	0.31
115.	जय ग्यात्री मां बाल विद्या मंदिर समिति, जालांव	0.33
116.	लोक सेवा मण्डल, इलाहाबाद	0.69
117.	सार्वजन कल्याण समिति, बुलन्दशहर	0.22
118.	श्रीमती महादेवी यादव सेवा संस्थान, इलाहाबाद	0.38
119.	पंचदेवरा शिक्षा विकास समिति, इलाहाबाद	0.27
120.	तारादेवी शिक्षा समिति देवरिया	0.25
121.	जन विकास संस्थान	0.24
122.	बहुजन हितई ग्राम्य एवं महिला विकास संस्थान, मुरादाबाद	0.75
123.	आदर्श कल्याण सेवा समिति	0.17
124.	रतन ग्राम्योद्योग सेवा संस्थान	0.27
125.	श्री आजर धाम महिला आश्रम ट्रस्ट, हरिद्वार	0.67
126.	ग्राम्य विकास शिक्षा समिति, इलाहाबाद	0.69
127.	जन कल्याण एवं नारी उत्थान समिति, फैजाबाद	0.74
128.	इंस्टिच्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लखनऊ	0.22
129.	ड्यूटी सोसायटी, कानपुर	0.75
130.	हसरत मोहिनी चैरिटेबिल सोसायटी, कानपुर	0.55

[अनुवाद]

आर्टीफीशियल रिचार्ज स्कीम

3218. श्री वी. देवराजन : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "आर्टिफीशियल रिचार्ज स्कीम" देश में प्रचलित है;

(ख) यदि हां, तो इस समय योजना किन-किन राज्यों में चालू है;

(ग) क्या इस संबंध में केन्द्रीय भू-जल बोर्ड ने तमिलनाडु में स्थलों/बांधों का चयन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) सरकार द्वारा भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण पर केन्द्रीय क्षेत्र की एक योजना स्वीकृत की गयी है।

(ख) इस योजना के अंतर्गत केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड ने कर्नाटक के कोलार जिले और महाराष्ट्र के अमरावती एवं जलगांव जिलों में प्रायोगिक पुनर्भरण अध्ययन शुरु किए हैं। दिल्ली और चंढ़ीगढ़ में मॉडल प्रचालन परियोजना अध्ययन भी किए जा रहे हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

स्वास्थ्य जागरूकता अभियान

3219. प्रो0 एम. कामसन : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा संघ का विचार दिल्ली में मार्च, 1994 में स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस कार्यक्रम के लक्ष्य पूरी तरह प्राप्त कर लिए जायेंगे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार आई.एम.ए. से देश के अन्य भागों में भी ऐसे ही कार्यक्रम चलाने के लिए कहने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) भारतीय चिकित्सा संघ ने सूचित किया है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (च) ये प्रश्न नहीं उठते।

एड्स नियंत्रण

3221. श्री पी.कुमारासामी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दक्षिणी राज्यों में एड्स रोगियों की संख्या में भारी वृद्धि होने के कारणों का विश्लेषण करने के लिए कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला;

(ग) सरकार ने इस बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) तमिलनाडु सरकार को 1993-94 के दौरान एड्स नियंत्रण के लिए कितनी वित्तीय सहायता दी गई ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) एच.आई.वी./एड्स के संचरण को रोकने और उसे नियंत्रित करने की कार्यनीति में कार्यक्रम प्रबंधन को मजबूत बनाना, जोखिम आचरण वाले समूहों और आम जनता में जागरूकता पैदा करना, यौन संचारित रोगों की रोकथाम और नियंत्रण करना, यौन-संचारित रोगों/ एच.आई.वाई. की रोकथाम हेतु कंडोम को बढ़ावा देना, रक्त निरापदता और रक्त का युक्तिसंगत प्रयोग एवं एच.आई.वी./एड्स के रोगियों की निगरानी, निदान और उपचार हेतु बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना शामिल है।

(घ) वर्ष 1993-94 के दौरान तमिलनाडु सरकार को 83.253 लाख रुपये की राशि रिलीज की गई।

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के निवासियों की शिकायतें

3222. डा. (श्रीमती) के.एस. सौन्द्रम : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की मुख्य भूमि से द्वीप समूहों तक की यात्रा के लिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों के निवासियों को क्या-क्या छूट और सुविधाएं उपलब्ध थी;

(ख) इन सुविधाओं को वापस लेने अथवा इनका लाभ उठाने पर शर्तें लगाने के क्या करण हैं; और

(ग) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के निवासियों की शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जाने हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एस.सईद) : (क) अंडमान और निकोबार द्वीप समहों में मुख्य भूमि और द्वीप समूहों के बीच यात्रा करने वाले लोगों से बहुत ही रियायती दरों पर किराया वसूल किया जाता था।

(ख) और (ग) चूंकि अंडमान और निकोबार प्रशासन को मुख्य भूमि द्वीपों के बीच जहाजों के चलाने पर भारी नुकसान हो रहा था, इसलिए उन्होंने 1.1.1994 से यात्रा भाड़े में संशोधन किया ताकि घाटे में कमी की जा सके। इसके अलावा मुख्यभूमि से इस क्षेत्र की दूरी को ध्यान में रखते हुए एक भेददर्शी किराया ढांचा प्रारम्भ किया गया है जिसके अंतर्गत द्वीपों के निवासियों द्वारा अन्य लोगों के मुकाबले कम किराया देना होता है। इस भेददर्शी किराया ढांचे को लागू करने के लिए, द्वीप समूहों के निवासियों की पहचान करने के लिए कुछ अनुदेश जारी किए गए हैं ताकि उनको टिकट इन रियायती दरों पर जारी किए जा सकें।

असम के लिए पैराफिन वैक्स का कोटा

3223. श्री प्रबीन डेका : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम के लिए पैराफिन वैक्स का निर्धारित वार्षिक कोटा क्या है;

(ख) असम में पैराफिन वैक्स पर आधारित लघु उद्योगों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या ये उद्योग पैराफिन वैक्स की कमी के कारण संकटग्रस्त हैं;

(घ) क्या असम सरकार ने केन्द्र सरकार ने अपना पैराफिन वैक्स का कोटा बढ़ाने का अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संदर्भ में क्या कदम उठाए गये हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) वर्तमान में सरकार असम के लिए प्रमि तिमाही 1000 मी. टन पैराफिन टाइप-। और -।। तथा 60 मी.टन पैराफिन मोम टाइप-।।। का आबंटन कर रही है। उत्पाद के अधिक उपलब्ध होने की स्थिति में पैराफिन मोम टाइप-।।। का तदर्थ आबंटन भी किया जाता है।

(ख) असम राज्य द्वारा वर्ष 1990 में इंडियन आयल कारपोरेशन को की गई रिपोर्ट के अनुसार वहां पैराफिन मोम का उपयोग करने वाले लगभग 334 लघु उद्योग है;

(ग) से (ड़) पैराफिन मोम के आबंटन में वृद्धि करने के संबंध में असम सरकार सहित विविध राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से समय समय पर आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं।

पैराफिन मोम एक कमी वाला उत्पाद है तथा राज्यों को इसका आबंटन उत्पादन की उपलब्धता पर निर्भर करता है। वर्तमान में पैराफिन मोम की उपलब्धता असम सहित विविध राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की कुल जरूरत से बहुत कम है और इसलिए वृद्धिमान आबंटन नहीं किये जा सकते हैं। उपभोक्ताओं को सहजता से उपलब्ध कराने हेतु पैराफिन मोम के आयात को नियंत्रण से बाहर रखा गया है।

निष्कासित लोगों का पुनर्वास

3224. श्री शिबू सोरेन : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने झारखंड क्षेत्र की राजमहल लालमटिया कोयला परियोजना के कारण निष्कासित किये गये व्यक्तियों का पुनर्वास करने हेतु कोई योजना बनायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उपरोक्त योजना के अंतर्गत कितने व्यक्तियों की भूमि अधिग्रहीत की गई है;

(घ) कितने निष्कासित व्यक्तियों ने पुनर्वास लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन किया है; और

(ड.) अब तक कितने निष्कासित व्यक्तियों का पुनर्वास किया गया है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री(श्री अजित पांजा) : (क) और (ख). राजमहल ओपनकास्ट परियोजना के लिए उनकी भूमि से विस्थापित किए गये परिवारों का चरणबद्ध रुप से पुनर्वास किए जाने की एक योजना ईस्टर्न कोलफील्डस लि. के पास है। प्रथम चरण के रुप में 3 गावों को, जिनमें 399 आवास शामिल हैं, को विस्थापित किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए पुनर्वास स्थल ग्रहीत कर लिए गये हैं और उन्हें संरचनात्मक सुविधाओं के साथ विकसित किया गया है। विस्थापित किए गये परिवारों को भूखण्ड तथा स्थानान्तरण भत्ते के रुप में अन्य सहायता उपलब्ध कराई गई है। पुनर्वास लाभों को जिला प्राधिकारियों के साथ लोगों के प्रतिनिधियों के परामर्श से मुहैया किया जा रहा है।

(ग) ऐसे व्यक्ति जिनकी भूमि अधिग्रहण की गई है, उनकी कुल संख्या 860 है।

(घ) और (ड.) विस्थापित परिवारों को व्यक्तिगत रुप में आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। अभी तक 54 परिवारों का पुनर्वास किया गया है। इसके अलावा 164 परिवार पुनर्वास स्थल पर अपने आवासों का निर्माण कर रहे हैं। व्यक्तियों को तब तक विस्थापित नहीं किया जाता है जब तक कि वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध न हो और वे स्थानान्तरित होने के लिए तैयार न हों।

तेल की खोज

3225. **श्री राज नारायण :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल की खोज के संबंध में चौथे चरण के अंतर्गत बोलियों को बोली कर्त्ताओं से सितम्बर 1991 के दौरान आमंत्रित किया गया था तथा ठेका 18 महीनों के विलंब के पश्चात फरवरी/मार्च,1993 में दिया गया जिसके परिणामस्वरुप उसकी लागत में भारी वृद्धि हुई; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस लागत वृद्धि के कारण सरकार को कितनी राशि का अतिरिक्त भार वहन करना होगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री(कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग). चौथे चक्र के तहत फरवरी और मार्च, 1993 में दो संविदाएं हस्ताक्षरित की गई हैं। अन्वेषण चरण के दौरान होने वाले व्यय को पूर्णतया ठेकेदार द्वारा उसके अपने जोखिम पर वहन किया जाता है। इस प्रकार मूल्य वृद्धि के कारण हुई किसी धनराशि को सरकार द्वारा वहन किए जाने का प्रश्न ही नही है।

[हिन्दी]

एड्स नियंत्रण

3226. **श्री एन.जे. राठवा :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में कई जनजाति के लोग एड्स रोग से प्रभावित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास जनजाति के लोगों को ''एड्स'' रोग की जानकारी देने हेतु कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्यां है;

(ड.) क्या गुजरात राज्य सरकार को जनजाति के लोगों तथा पाठशालाओं के छात्रों को ''एड्स'' की जानकारी देने हेतु कुछ राशि दी गई है;और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री(श्री बी. शंकरानन्द) : (क) और (ख). इस बारे में कोई विशिष्ट सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) से (च). केन्द्रीय प्रयोहित राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की कार्यनीतियों में एच.आई.वी./एड्स के बारे में सभी लोगों में, जिनमें आदिवासी लोग भी शामिल हैं, जागरूकता पैदा करना, रक्त निरापदता और रक्त उत्पादों का युक्तिसंगत उपयोग, यौन संचारित रोगों का नियंत्रण, एच.आई.वी./एड्स रोगियों का चिकित्सीय निदान और उपचार करना शामिल है। वर्ष 1992-93 में 56.41 लाख रुपये तथा 1993-94 में 65.83 लाख रुपये की धनराशि रिलीज की गई है।

काय चिकित्सकों का पलायन

3227. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काय चिकित्सक देश से पलायन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन चिकित्सकों के पलायन को रोकने लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) गत वर्ष के दौरान कितने चिकित्सक देश छोड़ कर चले गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा.सी. सिल्वेरा) : (क) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) से (घ). ये प्रश्न नहीं उठते।

गर्भाशयोच्छेदन

3228. श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन :

श्री सुरेशानन्द स्वामी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वास्थ्य विशेषज्ञों के विचार में मंद बुद्धि लोगों की समस्या से निपटने के लिए गर्भाशयोच्छेदन एक उपाय है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार मंद बुद्धि लोगों की समस्या से निपटने हेतु इस प्रक्रिया को अपनाने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस मामले पर सरकार का क्या दृष्टिकोण है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री(श्री बी. शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). इस तरीके को जन स्वास्थ्य नीति के रुप में अपनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

भ्रूणहत्या

3229. श्री परस राम भारद्वाज : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या देश में मादा भ्रूणों की हत्या की घटनायें बड़े पैमाने पर हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गये हैं/उठाये जाने हैं;

(ग) क्या सरकार गर्भपात को अपराध की परिभाषा से अलग करने का प्रस्ताव रखती है ताकि नीम

हकीमों द्वारा गुप्त रुप से किये जा रहे गर्भपात से उत्पन्न जान के खतरों से बचाया जा सके तथा उक्त कार्य को प्रशिक्षित प्रोफेशनलों को सौंपा जा सके;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार इस संदर्भ में क्या कदम उठा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) से (च). चिकित्सीय गर्भ समापन अधिनियम, 1971 के अंतर्गत अनुमोदित स्थानों पर विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में चिकित्सीय गर्भ समापन अनुमत्य है। वर्ष 1992-93 में 6.49 लाख चिकित्सीय गर्भ समापन (आंकड़े अनन्तिम) किए गए। जो गर्भ समाप्त किए गए उनमें भ्रूणों के लिंग संबंधी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। प्रसवपूर्व नैदानिक तकनीक (विनियमन तथा दुरुपयोग निवारण) विधेयक, 1991 पर लोक सभा में विचार किया जाना है। विधेयक में अन्य बातों के साथ-साथ भ्रूण के लिंग का निर्धारण करने के लिए प्रसव-पूर्व नैदानिक तकनीकों के दुरुपयोग पर रोक लगाने की भी व्यवस्था है।

स्वतंत्रता सेनानियों को रसोई गैस कनेक्शन

3230. श्री धर्मभिक्षम : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का स्वतंत्रता सेनानियों को प्राथमिकता के आधार पर रसोई गैस के कनेक्शन स्वीकृत करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री(कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). वर्तमान में कोई ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

पश्चिमी कोसी नहर

3231. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95 में केन्द्रीय सरकार द्वारा पश्चिमी कोसी नहर के लिए कमला नदी पर ''साइफन'' निर्माण करने हेतु कितनी धनराशि आबंटित की जायेगी;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार परियोजना को समय पर पूरा करने हेतु बिहार सरकार को और अधिक धनराशि देने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) से (ग). विद्यमान नीति के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, निरुपण, वित्त पोषण और कार्यान्वयन राज्य सरकारें अपने योजनागत संसाधनों में से स्वयं करती हैं। केन्द्रीय सहायता एकमुश्त ऋणों और

अनुदानों के रुप में प्रदान की जाती है तथा यह किसी क्षेत्र से संबद्ध नहीं होती है। कमला नदी पर साइफन पश्चिमी कोसी नहर परियोजना का एक भाग है। बिहार राज्य सरकार ने अपनी वार्षिक योजना 1994-95 के प्रारुप में इस परियोजना के लिए 20 करोड़ रुपये निर्धारित किए है।

विश्व बैंक परियोजना

3232. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक परियोजना आई.पी.पी.-।/।। में बिहार को केवल 1991-95 तक की अवधि के लिए ही शामिल किया गया है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के योगदान सहित परियोजना के लिए कुल कितना धनाबंटन किया गया है और 31 मार्च, 1994 तक कितना वास्तविक व्यय हुआ है; और

(ग) परियोजना के अंतर्गत बिहार का मात्रात्मक लक्ष्य कितना है और 31 मार्च, 1994 तक की वास्तविक उपलब्धि कितनी है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री(श्री बी. शंकरानन्द) : (क) जी, हां। 2 नवम्बर, 1990 से 5 वर्ष की अवधि के लिए।

(ख) परियोजना की कुल लागत 88.18 करोड़ रुपये हैं। परियोजना की 90 प्रतिशत लागत को भारत सरकार द्वारा तथा शेष 10 प्रतिशत का राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना है। राज्य ने अब तक इस परियोजना के अधीन 9.08 करोड़ रुपये खर्च किए जाने की सूचना दी है।

(ग) राज्य सरकार द्वारा सूचित किए गए कुछ महत्वपूर्ण परियोजना कार्यकलापों और उपलब्धियों के लक्ष्य संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

	कार्यकलाप	लक्ष्य	उपलब्धियां
	I. सिविल कार्य		(जनवरी 1994 तक)
1.	राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान	1	-
2.	क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र	14	8
3.	जिला प्रशिक्षण केन्द्र	39	-
4.	ए.एन.एम. प्रशिक्षण स्कूल	7	-
5.	उप केन्द्र	1000	237
6.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के आपरेशन थियेटर	129	-
	II. चिकित्सा और परा-चिकित्सा कार्मिकों का प्रशिक्षण	32306	10887

पपीता का गर्भनिरोधक के रुप में उपयोग

3233. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी दी गई है कि ब्रिटेन के अनुसंधानकर्त्ताओं ने यह पता लगाया है कि उष्ण कटिबन्धीय फल एक प्रभावी गर्भनिरोधक है तथा इसमें गर्भपात करने की शक्ति है जैसा कि 22 फरवरी, 1994 के डेक्कन क्रॉनिकल में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उनके मंत्रालय का विचार भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के विशेषज्ञों तथा अन्य अनुसंधानकर्त्ताओं को एसेक्स विश्वविद्यालय, दक्षिण इंगलैंड से इस संबंध में संपर्क करने तथा इस संबंध में स्वतंत्र रुप से अनुसंधान तथा परीक्षण करने का निर्देश देने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री(श्री बी. शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) ऐसा कोई निश्चित प्रमाण नहीं है जिससे कच्चे पपीते में प्रजनन रोधी गर्भस्रावकारी गुणों का पता चलता हो।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

नकली कंपनियां

3234. श्री बी. शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन तेल कंपनियों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने सरकार द्वारा निजी कंपनियों को पेट्रोलियम उत्पादों, रसोई गैस तथा मिट्टी के तेल का आयात विक्रय करने की अनुमति देने के निर्णय के परिणामस्वरुप वितरकों की तथा रसोई गैस उपभोक्ताओं से धनराशि जमा करने की मांग की है;

(ख) उन कंपनियों के नाम क्या है; जिन्हें रसाई गैस समेत पट्रोलियम उत्पादों का आयात और विक्रय करयने की वास्तव में अनुमति की गई है;

(ग) क्या कुछ नकली कंपनियां फर्जी दावों और अनुचित व्यापारिक व्यवहार में लगी हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री(कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ड.). निजी क्षेत्र को अनेक एजेंसियों ने डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों की नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने तथा एल.पी.जी. के क्रेताओं का नाम दर्ज करने हेतु विज्ञापन दिया है। समानान्तर विपणन प्रणाली के अंतर्गत उन्हें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से पेट्रोलियम उत्पादों के आयात एवं बिक्री के लिए अनुमति लेने की

जरूरत नहीं है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से उन एजेंसियों की सत्यता, पूर्ववृत्त तथा क्षमता का पता लगाने का अनुरोध किया है जो समानान्तर विपणन प्रणाली के अंतर्गत कार्यकलाप करना चाहते हैं तथा उन समानान्तर विपणन कत्ताओं के विरुद्ध समुचित कार्रवाई करने को कहा गया है जो धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार व्यवहार में लिप्त पाए जाते हैं। कदाचार में लिप्त पाए जाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए समानान्तर विपणन कत्ताओं की सूची एम.आर. टी.पी. आयोग को भी भेजी दी गई है।

पैनेक्स की प्रजातियां

3235. श्री सी.पी. मुदालगिरियप्पा :

श्री के.जी. शिवप्पा :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पैनेक्स प्रजातियों में कई बीमारियों का उपचार करने की असाधरण क्षमता है।

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई अध्ययन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) से (ग). भारतीय आयुविज्ञान अनुसंधान परिषद ने सूचित किया है कि पेनेक्स में अनेक प्रकार के फार्मकोलोजिकल तथा चिकित्सीय गुण होते हैं।

जिन्सेंग (पेनेक्स जिन्सेंग) की विभिन्न भारतीय किस्मों पर केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, लखनऊ द्वारा हाल ही में किए गए अध्ययन से पता चला है कि एडेप्टोजेनिक, एन्टीइन्फ्लेमेटरी तथा इम्यूनोस्टिमुलेंट सक्रियताओं के संदर्भ में इसकी तुलना कोरियन जिन्सेंग से की जा सकती है तथा कुछ मामलों में यह इससे अच्छी है।

जम्मू में आंतकवाद

3236. श्री साईमन मराण्डी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जम्मू में आतंकवाद की समस्या के समाधान के लिए जम्मू में अनेक रक्षा समितियां गठित की हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी संरचना, शक्तियों और उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन समितियों के गठन की पहल कब की गई थी; और

(घ) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा कितने कितने प्रतिशत खर्च वहन किया जायेगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) से (घ). उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

नर्मदा बांध परियोजना

3237. श्रीमती सरोज दुबे : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जापान की नेशनल डायट के 30 संसद सदस्यों ने ''नर्मदा बांध परियोजना'' पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए विश्व बैंक के अध्यक्ष को पत्र लिखा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) से (ग). जापानी नेशनल डायट के 30 सदस्यों ने विश्व बैंक के अध्यक्ष को सम्बोधित अपने 3 दिसम्बर, 1993 के पत्र में जलमग्नता वाले गांवों में रहने वाले लोगों पर सरदार सरोवर परियोजना के निर्माण कपाटों को बंद करने के संभावित प्रभाव के बारे में चिंता व्यक्त की है और बैंक से आग्रह किया है कि निर्माण कपाटों को बंद करना स्थगित किया जाये; सरदार सरोवर परियोजना को वित्तीय सहायता देने के लिए भारत और अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण के बीच हुए ऋण करारों की अनुपालना की मानीटरी के लिए स्वतंत्र मिशन गठित किया जाये जो बैंक को रिपोर्ट करे तथा भारतीय प्राधिकरणों को दिया जाये कि कपाटद्वारों को बंद करना प्राधिकृत नहीं होगा जब तक कि यह निर्धारित नहीं किया जाता कि उक्त करार की शर्तें उपयुक्त रुप से कार्यान्वित की गई हैं। भारत सरकार को इस पत्र की प्रति अग्रेषित करते समय विश्व बैंक ने कहा कि उसे और आश्वासन दिया जाये कि बांध निर्माण के कार्य को पुनर्रथापना और पुनर्वास कार्यक्रम के साथ-साथ चलाने पर अभी भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है।

विश्व बैंक को 23.2.94 को इस मामले में पुनर्रथापना और पुनर्वास कार्यक्रम के कार्यान्वयन और पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों तथा बॉध निर्माण के कार्यों में तालमेल में पूर्णतः संतुष्ट हो जाने के बाद सरदार सरोवर बांध के निर्माण कपाटों को बंद करने के भारत सरकार के निर्णय का औचित्य देते हुए एक विस्तृत उत्तर भेजा गया है। उसमें यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि भारत सरकार और पक्षकार राज्यों ने पुर्नस्थापना और पुर्नवास कार्यक्रम के कार्यान्वयन और निर्माण की प्रगति के बीच संतोषजनक सामंजस्य का पूर्णतः वचन दिया है और इसका सख्ती से पालन किया जा रहा है।

[अनुवाद]

असम की स्थिति

3238. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान क्रमशः दिनांक 5 फरवरी और 8 फरवरी, 1994 के हिन्दुस्तान टाइम्स में ''आर्मी'' इंडिक्ट्स असम गवर्नमेंट फार लालैसनैस'' और ''असम गवर्नमेंट फ्लेज आर्मी कमेंट्स'' शीर्षकों से प्रकाशित समाचारों की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो सम्बन्धित तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) से (ग). संदर्भित प्रैस विज्ञप्ति को, सेना मुख्यालय की अनुमति के बिना स्थानीय स्तर पर जारी किया गया था। समुचित सुधारात्मक कार्रवाई कर ली गई है।

आई.एस.आई. की गतिविधियां

3239. श्री बसुदेव आचार्य :

श्री तरित बरण तौपदार :

श्री गुरूदास कामत :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इंटर सर्विसज इंटेलिजेंस (आई.एस.आई.) और देश के कुछ उग्रवादी संगठनों के गठजोड़ की सूचना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की जानकारी में यह बात भी आई है कि आई.एस. आई. लिट्टे मिलकर तमिलनाडु में अशांति फैलाना चाहते हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख). देश के विभिन्न भागों में हाल ही में, आई.एस.आई. प्रशिक्षित व्यक्तियों की गिरफ्तारी में आई.एस.आई. और कुछ उग्रवादी संगठनों के बीच गठजोड़ स्पष्ट रुप से सामने आया है, इस बारे में और सूचना देना जनहित में नहीं होगा।

(ग) तमिलनाडु में गड़बड़ी फैलाने के लिए आई.एस.आई. और एल.टी.टी.ई. के बीच सांठगांठ की कोई विशिष्ट सूचना में ध्यान में नहीं आई है।

(घ) पाकिस्तान की आई.एस.आई. के, भारत में चोरी छिपे जासूसी, विद्रोह और तोड़फोड़ की कार्रवाइयां चलाने के मंसूबों के प्रति सरकार को जानकारी है और आसूचना तंत्र को सुचारू बनाकर, संबंधित केन्द्रीय और राजकीय एजेंसियों द्वारा आसूचना का आदान-प्रदान तथा समन्वित कार्रवाई करके सामरिक महत्व के स्थलों पर अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती में वृद्धि करके, तटीय एवं धरातलीय गश्त में वृद्धि करके, भारत-पाक सीमा के संवेदनशील हिस्सों में बाड़ एवं फ्लड लाइट लगाकर इन मंसूबों का मुकाबला करने एवं उन्हें विफल करने के सभी जरूरी कदम उठा रही हैं।

[हिन्दी]

दिल्ली में जाली पासपोर्ट जारी करने वाले गिरोह

3240. श्री भीम सिंह पटेल : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन महीनों में दिल्ली पुलिस ने बेरोजगार व्यक्तियों को जाली पासपोर्ट पर विदेशों में भेजने वाले कई गिरोहों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि में पता लगाए गए प्रत्येक मामले का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन गिरोंहों का कार्य करने का तरीका क्या है;

(घ) इस संबंध में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ड.) उनसे कितने जाली पासपोर्ट तथा अन्य सामग्री जब्त की गई है;

(च) ऐसे मामलों में वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(छ) ऐसे मामलों पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री पी.एम. सईद) : (क) से (च). दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि पिछले तीन महीनों अर्थात् दिसम्बर, 1993 से 28 फरवरी, 1994 तक की अवधि के दौरान उनके द्वारा ऐसे केवल एक गिरोह का पता लगाया गया। तीन व्यक्ति गिरफ्तार किए गए और भा.द.सं. की धारा 420/468/471/34 और आप्रवासन अधिनियम की धारा 25/26 के अंतर्गत पुलिस स्टेशन पहाड़गंज में एक मामला दर्ज किया गया। अभियुक्तों सें 75 पारपत्र और बड़ी मात्रा में अभिशापी दस्तावेज बरामद किए गए। उनका कार्य करने का तरीका यह था कि वे जाली वीसा पर रोजगार के लिए बाहर भेजने के बहाने भोले भाले लोगों को ठगते थे।

(छ) डिवीजन और बीट अधिकारियों को इस प्रकार के अपराधियों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने के निदेश दिए गए हैं। जब कभी भी इस प्रकार के मामले ध्यान में आते हैं कानून के उपयुक्त उपबन्धों के अन्तर्गत आवश्यक कार्रवाही की जाती है।

सरदार सरोवर परियोजना

3241. श्री सुरेन्द्रपाल पाठक : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जापान द्वारा सरदार सरोवर परियोजना के लिए धन उपलब्ध कराने के लिए रखी गई पर्यावरण संबंधी शर्तों को पूरा कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) और (ख) सरदार सरोवर परियोजना के नदी तल विद्युत घर के लिए टरबो उत्पादन सैटों के निर्माण और आपूर्ति के लिए ओवरसीज इकोनोमिक कोआपरेशन फंड, जापान के लिए जापानी ऋण सहायता देने का वचन 25.11.1985 को दिया गया था। उन्होंने 2.85 बिलियन येन की पहली किस्त नवंबर, 1985 में निर्मुक्त की। भरसक प्रयासों के बावजूद, ऋण की दूसरी किस्त ओवरसीज इकोनोमिक कोआपरेशन फंड द्वारा निर्मुक्त नहीं की गई है। ऋण की दूसरी किस्त निर्मुक्त न किए जाने के लिए पर्यावरण पर किसी शर्त या अन्य प्रकार के उल्लेख नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का विकास

3242. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रहे रहे लोगों की सुरक्षा हेतु कौन से कदम उठाये गये हैं; और

(ख) इस द्वीप समूह के विकास हेतु सरकार ने कौन-कौन से कार्यक्रम चलाये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के लोगों को, पर्याप्त कमियों युक्त एवं उपकरणों से सुसज्जित पुलिस बल के माध्यम से पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जा रही है जिनके पास, संचार के कुशल साधनों के लिए आधुनिक बेतार नेटवर्क है। बाहरी खतरों से सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए इन द्वीपों में सशस्त्र बलों और तटरक्षक बल के तीन विंग तैनात किए गए है।

(ख) इस द्वीप समूह के सर्वागीण विकास के लिए 685 करोड़ रुपयों के परिव्यय वाली आठवीं पंचवर्षीय योजना को कार्यान्वयन किया जा रहा है। शुरु किए अनेक विकास संबंधी कार्यक्रमों में शामिल हैं-मुख्य भूमि-द्वीप समूह परिवहन सुविधाओं अन्तर्द्वीपीय परिवहन सुविधाओं, विद्युत उत्पादन, सामाजिक सुविधाओं के विकास, कृषि सेवाओं में सुधार, ग्रामीण विकास और परिस्थितकीय दृष्टि से पोषणीय तरीके से मत्स्यपालन एवं पर्यटन के क्षेत्रों को संभावनाओं का दोहन।

समुद्री जीव-जन्तुओं से दवाओं का निर्माण

3243. डा. कृपासिंधु भोई : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उपचारात्मक गुणों के लिए विख्यात अनेक समुद्री जीव-जन्तुओं का उपयोग दवाओं के निर्माण में किया जा सकता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इन दवाओं का निर्माण करने हेतु क्या कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री(श्री बी. शंकरानन्द) : (क) और (ख). ऐसे लगभग 500 समुद्री नमूनों का पता लगाया गया है जिनमें से कुछेक में आशाजनक जैव क्षमताएं हैं, समुद्री उत्पादों की क्षमता संबंधी परियोजनाओं का मूल्यांकन करने के लिए एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति गठित की गई है। एक राष्ट्रीय समुद्री डेल्टा केन्द्र भी स्थापित किया गया है।

पूर्वोत्तर राज्यों के लिये मध्य कमान

3244. श्री रवि राय : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 22 फरवरी, 1994 के "स्टेट्समैन" से प्रकाशित समाचार के अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों के लिए मध्य कमान का सैन्य-तन्त्र तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त कमान द्वारा अपना कार्य कब तक शुरु किए जाने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) से (ग). उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में, उत्पन्न हो रही सुरक्षा स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए एक समन्वित कार्य योजना तैयार करनये की आवश्यकता महसूस की गई है। इसलिए आसूचना के बहेतर आदान प्रदान और विद्रोहियों/उग्रवादियों के खिलाफ लक्षित समन्वय प्रयासों के संस्थागत प्रबन्धों के प्रयास जारी है।

सोन नहर

3245. श्री तेजनाराण सिंह : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में नहर के आधुनिकीकरण पर कितना खर्च हुआ है;

(ख) नहर के आधुनिकीकरण के संबंध में केन्द्रीय सरकार का योगदान कितना है; और

(ग) इस समय कितने भूक्षेत्र में कार्य किया गया है और नहर के आधुनिकीकरण के पश्चात् कितने भूक्षेत्र में कार्य किए जाने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री पी.के. थुंगन): (क) सोन नहर आधुनिकीकरण परियोजना 1194.72 करोड़ रुपये (1983-84 के मूल्य स्तर पर) की अनुमानित लागत से तैयार की गयी थी। इस परियोजना में तटों को ऊंचा एवं सुदृढ़ तथा पक्का करके नहर की क्षमता बढ़ाने, नयी नहर संरचनाओं का पुनरूर्पेण और निर्माण, संवर्धन नलकूपों की खुदाई, जल निकास सुधार कार्य तथा अन्य कमान क्षेत्र विकास कार्यो की परिकल्पना की गयी है।

(ख) विद्यमान नीति के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, प्रतिपादन, वित्त पोषण और कार्यान्वयन राज्य सरकारें अपने योजनागत संसाधनों से स्वयं करती हैं। केन्द्रीय सहायता एकमुश्त ऋणों और अनुदानों के रुप में प्रदान की जाती है तथा यह किसी क्षेत्र से सम्बद्ध नहीं होती है।

(ग) 5.6 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य कमान क्षेत्र वाली सोन नहर आधुनिकीकरण परियोजना में वार्षिक सिंचाई लगभग 5.85 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 9.06 लाख हेक्टेयर तक करने की परिकल्पना की गयी हे।

[हिन्दी]

व्यावसायिक चिकित्सा पद्धति

3246. श्री बृजभूषण शरण सिंह : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार व्यावसायिक चिकित्सा पद्धति को लोकप्रिय बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस पद्धति से विकलांग व्यक्तियों की विकलांगता संबंधी कमी को कुछ हद तक ठीक किया जा सकता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) और (ख). सरकार को ऐसी चिकित्सा पद्धति की कोई जानकारी नहीं है। तथापि स्वास्थ्य से संबंधित व्यावसायिक पाठ्क्रमों को 10+2 शिक्षा पद्धति के एक भाग के रुप में बढ़ावा देने के लिए स्कीमें तैयार की गई हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कोयला उत्पादन

3247. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991-92, 1992-93 व 1993-94 के दौरान कोयला उत्पादन का निर्धारित लक्ष्य क्या रहा;

(ख) इन लक्ष्यों को कहां तक प्राप्त किया गया;

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान इनमें कुल कितना निवेश किया गया;

(घ) 1993-94 और 1994-95 के लिए कोयले की कितनी मात्रा की आवश्यकता है; और

(ङ.) इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए क्या कदम उठाये गये/उठाने का विचार है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री अजित पांजा) : (क) और (ख). वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान देश में कच्चे कोयले का लक्ष्य तथा उसका वास्तविक उत्पादन नीचे दिया गया है :

	(मिलियन टन में)	
	उत्पादन	
वर्ष	लक्ष्य	वास्तविक
1991-92	228.00	229.28
1992-93	238.20	238.26
1993-94 (अप्रैल फरवरी) (अंतिम)	216.05	215.91

(ग) वर्ष 1991-92 से 1993-94 के दौरान कोल इंडिया लि. तथा उसकी सहायक कंपनियों द्वारा किया गया कुल निवेश नीचे दिया गया है :

वर्ष	निवेश(करोड़ रु. में)
1991-92	1755.19
1992-93	1808.47
1993-94 (अप्रैल फरवरी) (अंतिम)	1396.94

(घ) देश में वर्ष 1993-94 के दौरान कच्चे कोयले की मूल्यांकित मांग 268.80 मिलियन टन है। वर्ष 1994-95 के लिए मूल्यांकित मांग 268.50 मि.टन है।

(ड.) कोयले की प्रस्तावित मांग की पूर्ति, विद्यमान खानों के उत्पादन से, चालू परियोजनाओं तथा नई परियोजनाओं से की जाएगी।

जच्चा मृत्यु दर

3248. श्री एन. डेनिस : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान/संघ राज्य क्षेत्रवार जच्चा मृत्यु दर का वर्षवार ब्यौरा क्या हैं ; और

(ख) इसमें कमी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) चुनिंदा अस्पतालों से प्राप्त सूचना के आधार पर अनुमान है कि मातृ-मृत्यु दर प्रति 100,000 जीवित जन्मों पर 400 के लगभग है। राज्य/संघ राज्यक्षेत्र वार मातृ मृत्युदर संबंधी विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

(ख) जो कदम उठाए गए हैं उनमें टेटनस बॉक्साइड रोग-प्रतिरक्षण, गर्भवती महिलाओं को आयरन तथा फॉलिक एसिड गोलियों का वितरण, दाइयों का प्रशिक्षण तथा स्वच्छ प्रसव सुनिश्चित करने के लिए दाइयों के लिए किटों का प्रावधान, बच्चों के जन्म में अंतर रखने को बढ़ावा देना तथा प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या संस्थाओं को सुदृढ़ करना व आपातकालीन प्रसूतिक परिचर्चा के लिए प्रथम रेफरल यूनिट स्थापित करना शामिल हैं।

कृषि योग्य भूमि की सिंचाई

3250. डा0 के.वी. आर. चौधरी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में कृषियोग्य भूमि के क्षेत्रफल और गत तीन वर्षों के दौरान उसमें हुई वृद्धि का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस कृषियोग्य भूमि के कितने क्षेत्रफल में सिंचाई की जाती है और उसमें गत तीन वर्षों के दौरान हुई वृद्धि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस भूमि के कितने क्षेत्र में सिंचाई बड़ी सिंचाई परियोजनाओं द्वारा की जाती है और कितने क्षेत्र में मझोली सिंचाई परियोजनाओं द्वारा की जाती है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) और (ख). कृषि मंत्रालय की ''भूमि उपयोग सांख्यिकी'' में उपलब्ध नवीनतम सूचना के अनुसार वर्ष 1988-89 से वर्ष 1990-91 के दौरान आन्ध्र प्रदेश में कुल कृषि योग्य क्षेत्र और निवल सिंचित क्षेत्र निम्नवत है :

		(हजार हेक्टेयर)
वर्ष	कुल कृषि योग्य क्षेत्र	निवल सिंचित क्षेत्र
1988-89	16186	4258
1989-90	15918	4285
1990-91	15926	4305

(ग) वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से सिंचित किए गये क्षेत्र के अलग-अलग आंकडे भारत सरकार द्वारा नहीं रखे जाते हैं।

राज्य सरकारों के अनुरोध

3251. श्री छीतू भाई गामीत :

प्रो. रासा सिंह रावत :

श्रीमती वसुंधरा राजे :

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार से अपराधों और आतंकवादियों की गतिविधियों की रोकथाम करने के लिए वित्तीय सहायता देने, सुरक्षा कर्मियों को तैनात करने और आधुनिकतम हथियार उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो गत छः महीनों के दौरान केन्द्रीय सरकार को प्राप्त ऐसे अनुरोधों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने प्रत्येक मामले में क्या कार्रवाई की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) से (ग). पिछले दो वर्षों से अधिक समय से उग्रवादी गतिविधियों के खतरे का सामना कर रहे कई राज्यों की सरकारों से, वित्तीय सहायता हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं। जिन मदों के लिए सहायता मांगी गई है उनमें संचार उपकरण, वाहन और शस्त्र प्रणाली शामिल हैं। उग्रवादी गतिविधियों से निपटने में राज्य सरकारों द्वारा उनके अपने स्तर पर किए जाने वाले प्रयासों के पूरक के रुप में, प्रभावित राज्यों को विशेष सहायता दिए जाने के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की गई है।

कुओं की खुदाई

3252. श्री जी.एम.सी. बालयोगी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान के.जी. परियोजना क्षेत्र में कुओं की खुदाई कार्य पर कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(ख) के.जी. परियोजना क्षेत्र से उपलब्ध गैस और कच्चे तेल की मात्रा का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान के.जी. परियोजना क्षेत्र में खुदाई कार्यों के लिए निवेश की राशि को बढ़ाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) के.जी. परियोजना में वेधन के लिए किया गया व्यय वर्ष 1990-91, 1991-92 और 1992-93 के दौरान क्रमशः 197.60 करोड़ रुपये, 189.12 करोड़ रुपये और 207.14 करोड़ रुपये था।

(ख) अप्रैल, 1993 से जनवरी, 1994 के दौरान के.जी. परियोजना से औसत तेल और गैस उत्पादन लगभग 406 टन कच्चा तेल प्रतिदिन और लगभग 1.65 एम.एम.एस.सी.एम.डी. गैस था।

(ग) और (घ). आठवीं योजना के दौरान के.जी. परियोजना में वेधन पर व्यय निम्नानुसार होने का अनुमान है :

वर्ष	धनराशि(करोड़ रुपये)
1992-93	207.14
1993-94	231.65
1994-95	202.79
1995-96	354.60
1996-97	356.68

[हिन्दी]

सीमा पार करने की घटनाएं

3253. श्री रमेश चेन्नितला :

श्री हरिन पाठक :

श्री अवतार सिंह भड़ाना :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993 तथा 1994 के दौरान पाकिस्तान तथा बंगलादेश की सीमा पार करने और भारत में घुसपैठ का प्रयास करने संबंधी महीने-वार कितने मामलों का पता चला है;

(ख) इस संबंध में कितने लोगों को पकड़ा गया;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितने लोगों को वास्तविक नियंत्रण रेखा का उल्लंघन करने पर पकड़ा गया;

(घ) क्या सरकार ने घुसपैठ संबंधी मामलों में हो रही वृद्धि को ध्यान में रखते हुए कोई ठोस योजना बनाई है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री राजेश पायलट) : (क) वर्ष 1993 और 1994 (28 फरवरी तक) के दौरान भारत में घुसपैठ के लिए भारत-पाक और भारत-बंगलादेश सीमा को पार किए जाने के जिन मामलों का पता लगाया गया, उनकी संख्या इस प्रकार है :

माह 1993 1	भारत पाक सीमा को पार किए जाने के मामले 2	भारत बंगलादेश सीमा को पार किए जाने के मामले 3
जनवरी	18	168
फरवरी	25	182
मार्च	27	199
अप्रैल	23	189
मई	32	235
जून	23	172
जुलाई	11	167
अगस्त	18	175
सितम्बर	21	159
अक्तूबर	19	204
नवम्बर	15	237
दिसम्बर	20	229
1994		
जनवरी	17	227
फरवरी	15	206

(ख) 1993 एवम् 1994 के दौरान भारत-पाक और भारत बंगलादेश सीमा पर सीमा सुरक्षा बल द्वारा पकड़े गए घुसपैठियों की संख्या इस प्रकार है :

वर्ष	भारत-पाक सीमा	भारत बंगलादेश सीमा
1993	921	11684
1994 (28 फरवरी तक)	176	3771

(ग) वास्तविक नियंत्रण रेखा का उल्लंघन करने पर गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या :

1993 माह	गिरफ्तारियाँ
जनवरी	-
फरवरी	2
मार्च	

अप्रैल	4
मई	-
जुन	18
जुलाई	-
अगस्त	8
सितम्बर	34
अक्तूबर	3
नवम्बर	13
दिसम्बर	-
1994	
जनवरी	6
फरवरी	-
मार्च (10 तारीख तक)	-

(घ) और (ड.) घुसपैठ को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

I. सीमा निगरानी चौकियों के बीच के अन्तराल को कम करने के लिए सीमा सुरक्षा बल के विस्तार की योजना के अंतर्गत अतिरिक्त बटालियनें स्वीकृत की गई हैं।

II. पेट्रोलिंग/नाकाओं की संख्या बढ़ा दी गई है।

III. जीप और मोटर साइकिलें उपलब्ध कराकर सीमा पर गश्त बढ़ा दी गई है।

IV. निगरानी बुर्ज/फ्लड लाइटस स्थापित किए गए हैं।

V. सीमा पर सतर्कता में वृद्धि के लिए दूरबीन, चश्में, जुडवां दूरबीन, पी.एन.वी. दूरबीनें और हाथ में पकड़ने वाली सर्च लाइटें उपलब्ध कराई गई हैं।

VI. सीमा पर सुरक्षा बाड़ का निर्माण।

VII. सीमा सड़कों/मार्गों का विकास/निर्माण।

VIII. नदी तटीय क्षेत्रों की गश्त के लिए नावें और मोटर बोट उपलब्ध कराए गए हैं।

IX. सीमा पर कड़ी चौकसी रखने के लिए आसूचना तंत्र को सक्रिय बनाया गया है और इसे अधिक मजबूत बनाया गया है।

आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज

3254. श्री प्रभु दया कठेरिया : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश के प्रत्येक राज्य में कितने आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज और अस्पताल चल रहे हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन कालेजों और अस्पतालों को कितनी वित्तीय सहायता दी गई;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकारों ने अपने राज्यों में नए आयुर्वेदिक कालेज और अस्पताल खोलने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) देश में कार्यरत आयुर्वेदिक मेडिकल कालेजों एवं अस्पतालों की संख्या संलग्न विवरण-। में दी गई है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान आयुर्वेदिक कालेजों एवं उनके संबद्ध अस्पतालों को प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता संलग्न विवरण-।। में दी गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ड.) ये प्रश्न नहीं उठते।

विवरण-।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र		1.11993 की स्थिति के के अनुसार आयुर्वेदिक मेडिकल कालेजों की संख्या	1.4.1991 की स्थिति के अनुसार आयुर्वेदिक अस्पतालों की संख्या
1		2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	4	8
2.	अरूणाचल प्रदेश	-	2
3.	असम	1	2
4.	बिहार	13	9
5.	गोवा	-	-
6.	गुजरात	9	44
7.	हरियाणा	4	6
8.	हिमाचल प्रदेश	1	13
9.	जम्मू और कश्मीर	-	2
10.	कर्नाटक	13	18
11.	केरल	4	110

1		2	3
12.	मध्य प्रदेश	7	32
13.	महाराष्ट्र	43	23
14.	मणिपुर	-	1
15.	मेघालय	-	-
16.	मिजोरम	-	-
17.	नागालैंड		-
18.	उड़ीसा	4	8
19.	पंजाब	5	8
20.	राजस्थान	6	81
21.	सिक्किम	-	1
22.	तमिलनाडु	2	3
23.	त्रिपुरा	-	-
24.	उत्तर प्रदेश	10	1671
25.	पश्चिम बंगाल	1	4
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-	-
27.	चंडीगढ़	-	1
28.	दादर और नगर हवेली		-
29.	दमन और द्वीव	-	-
30.	दिल्ली	1	7
31.	लक्षद्वीप	-	-
32.	पांडिचेरी	-	-
	भारत	128	2054

- शून्य

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान आयुर्वेदिक मेडिकल कालेजों तथा अस्पतालों को प्रदान किए गए सहायता अनुदान का राज्यवार ब्यौरा :

	राज्य का नाम	1990-91	1991-92	1992-93
	1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	-	10.90	14.00
2.	असम	-	-	10.00
3.	बिहार	-	-	4.52
4.	गुजरात	8.69	2.69	15.00
5.	हरियाणा	8.00	0.345	5.70
6.	हिमाचल प्रदेश	11.35	4.345	17.00
7.	कर्नाटक	9.00	6.70	3.00
8.	केरल	1.00	3.115	5.00
9.	मध्य प्रदेश	-	5.69	-
10.	महाराष्ट्र	7.60	4.52	16.815
11.	उड़ीसा	10.00	4.00	5.575
12.	पंजाब	6.00	-	-
13.	राजस्थान	9.23	9.495	-
14.	तमिलनाडु	10.115	-	12.00
15.	उत्तर प्रदेश	-	3.00	5.30
16.	पश्चिम बंगाल	13.00	4.50	5.00
17.	दिल्ली	8.00	-	0.345

इसके अलावा नीचे दर्शाई गई संस्थाओं को अनुदान दिया गया था।

1.	स्नातकोत्तर आयुर्वेद अध्यापन एवं अनुसंधान संस्थान, जामनगर	174.50	185.00	231.50
2.	राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर	241.00	276.00	241.00

[अनुवाद]

पान का प्रयोग

3255. प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण** मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी संख्या में लोगों द्वारा पान और इसकी सहायक सामग्री के प्रयोग के प्रभावों का कोई अध्ययन कराया गया है;

(ख) क्या सरकार पान और आदत बनाने वाली इसकी सामग्री के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री(डा. सी. सिल्वेरा) : (क) पान मसाला और सुपारी के इस्तेमाल पर अध्ययन किए गए हैं।

(ख) और (ग). खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमों के अंतर्गत मान मसाला और सुपारी के प्रत्येक पैकेट पर निम्नलिखित सांविधिक चेतावनी देना अनिवार्य है :

1. "पान मसाला चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है"

2. "सुपारी चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है"।

(उपर्युक्त नियम (11) 9.5.1994 से लागू होगा)

आकाशवाणी और दूरदर्शन पर मान मसाला के विज्ञापन पर प्रतिबंध है।

प्रतिबन्धित/सुरक्षित क्षेत्र और आतंरिक लाइन परमिट योजनाएं

3256. श्री चित्त बसु :

श्री श्रवण कुमार पटेल :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अरूणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में प्रतिबन्धित/सुरक्षित क्षेत्र और आतंरिक लाइन परमिट योजनाओं को समाप्त करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह प्रणाली कब तक समाप्त कर दी जाएगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ख). पर्यटन के प्रयोजन के लिए प्रतिबंधित/संरक्षित इनर लाइन परमिट देने से संबंधित नीति की समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है। पूर्वोत्तर राज्यों की अपनी हाल की यात्रा के दौरान गृह मंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्य मंत्रियों को आश्वासन दिया कि

पूर्वोत्तर क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के साथ लगी 20 किलो मीटर की पट्टी को ही केवल संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाएगा और शेष क्षेत्र को खुला घोषित कर दिया जाएगा। तथापि, ''खुले क्षेत्र'' में स्थित कुछ क्षेत्र भी जिन्हें संवेदनशील समझा जाता है, प्रतिबंधित श्रेणी में बने रहेंगे ।

(ग) अभी तक कोई विशिष्ट तारीख निश्चित नहीं की गयी है।

कांडला भटिंडा पाइपलाइन परियोजना

3257. श्री सोमजी भाई डामोर : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1300 कि.मी. कांडला-भटिंडा पाइपलाइन परियोजना के लिए पाइपलाइन की सप्लाई हेतु सरकार ने नई अन्तर्राष्ट्रीय निविदाएं जारी करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं। और पिछली निविदाओं का निष्कर्ष क्या रहा; और

(ग) इस परियाजना की मूल लागत क्या है तथा परियोजना कब तक पूरी हो जाएगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) आई.ओ. सी. ने कांडला भटिंडा पाइप लाइन परियोजना के लिए लाइन पाइपों की आपूर्ति हेतु अंतर्राष्ट्रीय निविदा जारी करने का निर्णय लिया है।

(ख) पिछली निविदा में अंतिम रुप दी गई लाइन पाइपों की खरीद को उधार करार के साथ संबद्ध किया गया था, जिसे विक्रेता द्वारा उन्हीं निबंधनों व शर्तों पर वैध नहीं रखा जा सका।

(ग) सरकार के अनुमोदन की तिथि से 33 महीनों के भीतर पूर्ण करने के कार्यक्रम के अनुसार मार्च,1990 के मूल्य स्तर पर कांडला-भटिंडा परियोजना की मूल अनुमानित लागत 917.55 करोड़ रुपये थी।

कावेरी नदी संबंधी विशेषज्ञों की स्थायी समिति

3258. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स :

श्री जी.मोडे गौडा :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कावेरी नदी के जल के आकलन और बंटवारे के लिए केन्द्रीय जल आयोग और कावेरी बेसिन के सभी राज्यों के विशेषज्ञों की स्थियायी समिति गठित हो गई है;

(ख) यदि हां, तो कब और उक्त समिति के मुख्य कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) समिति की अब तक कितनी बैठकें हुई हैं और समिति ने क्या-क्या सिफारिशें की हैं; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) और (ख). कर्नाटक-तमिलनाडु सीमा पर मेत्तूर जलाशय के प्रतिप्रवाह के साथ-साथ मेत्तूर

जलाशय के प्रवाहों पर केन्द्रीय जल आयोग के बिल्लीगुंडलू जल वैज्ञानिक केन्द्र पर कावेरी नदी में प्रवाहों का आकलन और समाधान करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जनवरी,1994 में विशेषज्ञों की एक स्थायी समिति गठित की गई है। इस समिति में विशेषज्ञ, केन्द्रीय जल आयोग और सभी कावेरी बेसिन राज्यों से लिए गये हैं।

(ग) और (घ). समिति ने 4.3.1994 को कोयम्बटूर में अपनी पहली बैठक की तथा 16 और 17 अप्रैल, 1994 को बिल्लीगुंडलु एवं मेत्तूर बांध का दौरा करने का निर्णय लिया ताकि सदस्यों को दोनों स्थानों पर वर्तमान स्थितियों से अवगत कराया जा सके।

नया कालाज़ार औषध

3259. श्री राजेश कुमार : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1993 में नये कालाज़ार की दवा, लिपोसोमाल प्रिपरेशन ऐट एम्फोटेरिसिन बी के परीक्षण के लिए भारत का चयन किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अब तक देश के किस स्थान पर और कितने रोगियों पर इस दवा का परीक्षण किया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) और (ख). विश्व बैंक ने सामान्य उपचार से ठीक न होने वाले काला-आजार रोगियों का उपचार करने के लिए एम्फोटेरिसिन पर एक वैकल्पिक औषध लिपासोमल सम्पाक के प्रयोग पर एक अध्ययन में सहायता दी है। ऐसे अध्ययन, यूरोप, सूडान और कीनिया में भी शुरु किए गए हैं।

(ग) पटना चिकित्सा कालेज, बिहार में इस औषध का 29 रोगियों पर प्रयोग किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त के.ई.एम. अस्पताल, बम्बई में 12 रोगियों पर भी परीक्षण किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

मराठी - कन्नड़ राज्य

3260. श्री धर्मण्णा मोन्डय्या सादुल :

श्री गोविन्दराव निकम :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का महाराष्ट्र और कर्नाटक सीमा पर स्थित बेलगांव , धारवाड़ कारवाड़ और बीजापुर को मिलाकर एक मराठी-कन्नड़ द्विभाषीय राज्य की स्थापना करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो अधिकांशतः मराठी भाषी लोगों के इस क्षेत्र की समस्याओं को सुलझाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने की सम्भावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख). जी नहीं श्रीमान्। ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) सरकार का मत है कि यह समस्या दो राज्य सरकारों द्वारा द्विपक्षीय वार्ताओं और आपसी समझ बूझ से हल की जानी चाहिए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए केन्द्रीय सरकार दोनों राज्यों को सभी संभव सहायता देने को इच्छुक है।

[अनुवाद]

मानव अधिकार और टाडा

3261. **श्रीमती गीता मुखर्जी :**

श्री लोकनाथ चौधरी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हाल ही में लखनऊ में आयोजित दो दिवसीय "मानव अधिकार और टाडा" विषय पर आयोजित सेमीनार की ओर दिलाया गया है जिसमें मानवधिकार आयोग के चेयरमैन सहित न्यायपालिका के सदस्यों, सेना और पुलिस के विशिष्ट अधिकारी सम्मिलित हुए थे;

(ख) क्या उन्होंने "टाडा" में कुछ संशोधन करने की सिफारिश की है जिन्हें मंत्रालय को भेजा गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) से (घ) टाडा में संशोधन करने के बारे में विचार गोष्ठी की कोई सिफारिश, अभी तक इस मंत्रालय को प्राप्त नहीं हुई है।

छोटे राज्य

3262. **श्री जनार्दन मिश्र :**

श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :

श्री पंकज चौधरी :

श्री भगवान शंकर रावत :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकारों से उनके राज्यों के अन्दर छोटे राज्य बनाने हेतु प्रस्ताव मिल हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

(ग) इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) से (ग). ऐसा कोई प्रस्ताव, मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने 17.12.1991 के पत्र के साथ, उत्तर प्रदेश राज्य विधान सभा धारा 12.8.91 को पारित संकल्प की एक प्रतिलिपि अग्रेषित की थी जिसमें, राज्य के कुमायूं एवं गढ़वाल मंडलों के उत्तरकाशी, चमोली, पौढ़ी, गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, नैनीताल, पिथोरागढ़, अल्मोड़ा और देहरादून नामक आठ पर्वतीय जिलों को मिलाकर ''उत्तरांचल'' नामक अलग राज्य बनाने का अनुरोध केन्द्र सरकार से किया गया था।

प्रस्ताव की प्रारंभिक जांच के बाद राज्य सरकार से, संबंधित आठ पर्वतीय जिलों की वित्तीय रुपरेखा के बारे में सूचना भेजने के लिए अनुरोध किया गया था। तथापि, उन्होंने इसके बारे में सूचना दे पाने में अपनी असमर्थता जताई। राज्य सरकार को सूचित कर दिया गया है कि जब तक अपेक्षित सूचना नहीं भेजी जाती, जब तक इस मुद्दे पर और आगे विचार नहीं किया जा सकता।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त तथा विकास निगम

3263. श्री वीर सिंह महतो :

श्री रामकृष्ण कोंताला :

श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील :

श्री शिवलाल नागजीभाई वेकारिया :

श्री अर्जुन सिंह यादव :

क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त तथा विकास निगम के उद्देश्यों तथा कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस निगम को पिछले दो वर्षों में आबंटित तथा उपयोग की गई राशि का वर्ष वार ब्यौरा क्या है;

(ग) निगम द्वारा ऋण देने के लिए अपनाए जाने वाले मानदण्ड क्या है;

(घ) गत दो वर्षों में वर्षदार लाभार्थियों की संख्या क्या है और निगम द्वारा कितने लोगों को सहायता प्रदान की गई, उनका राज्यवार/केन्द्र शासित प्रदेश-वार ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या सरकार का निगम द्वारा ऋण प्रदान करने के लिए आय सीमा में वृद्धि करने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंग्काबालु) : (क) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एन.बी.सी.एफ.डी.सी.) को कंपनी अधिनियम 1956की धारा 25 के अधीन एक अलाभकारी कंपनी के रुप में 200 करोड़ रुपये की प्राधिकृत शेयर पूंजी से 13 जनवरी, 1992 को निगमित किया गया था। यह पूर्णतः कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन भारत सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी है।

इसका मुख्य उद्देश्य पिछड़े वर्गों के लाभार्थ आर्थिक और विकासशील गतिविधियों को उन्नत करना और उनके तकनीकी एवं उद्यम कौशल के उन्नयन में सहायता प्रदान करना है। यह निगम राज्य पिछड़ा वर्ग

निगमों/राज्य सरकारों द्वारा नामित माध्यम एजेंसियों के जरिए पिछड़े वर्गों के सबसे गरीब वर्गों को रियायती ब्याज दर पर ऋण देता है।

(ख) भारत सरकार ने एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की शेयर पूंजी में 1991-92 में 25 करोड़ रुपये और 1992-93 में 25 करोड़ रुपये निर्मुक्त किए थे।

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. ने 1992-92 के दौरान कोई ऋण संस्वीकृत नहीं किया था। 1992-93 के दौरान एन.बी.सी.एफ.डी.सी. ने राज्य पिछड़ा वर्ग विकास निगमों तथा अन्य नामित माध्यम एजेंसियों के जरिए 34.69 करोड़ रुपये संस्वीकृत किए और 13 राज्यों को 6.99 करोड़ रुपये वितरित किए।

(ग) एन.बी.सी.एफ.डी.सी. द्वारा ऋण मंजूरी के लिए अपनाए गए मुख्य मापदंड निम्नलिखित है :

(1) लाभप्राप्तकर्त्ता को उन जाति/समुदायों से संबंधित होना चाहिए जो राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या समय-समय पर केंन्द्रीय सरकार द्वारा सामाजिक और शैक्षिक रुप से पिछड़े वर्गों के रुप में अधिसूचित किए गए हैं।

(2) यह लाभप्राप्तकर्त्ता की वार्षिक पारिवारिक आय गरीबी रेखा से दुगनी नीचे अर्थात् (22,000 रुपये प्रतिवर्ष से कम) होनी चाहिए।

(3) योजना आयोन्मुखि होनी चाहिए न कि अवसंरचनात्मक विकास हेतु

(4) वित्त पोषित की जाने वाली योजनाएं/परियोजनाएं तकनीकी रुप से व्यवहार्य एवं वित्तीय रुप में कारगर होनी चाहिए तथा उनसे पर्याप्त आय भी होनी चाहिए।

(घ) एन.बी.सी.एफ.डी.सी. ने 1991-92 के दौरान किसी लाभप्राप्तकर्त्ता को कोई ऋण मंजूर नहीं किया था। 1992-93 के दौरान 28,668 लाभप्राप्तकर्त्ताओं को 34.69 करोड़ रुपये संस्वीकृत किए गए थे। 1992-93 के दौरान लाभप्राप्तकत्ताओं की संख्या/स्वीकृत ऋणों के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरे नीचे दिए गए है।

राज्य का नाम	लाभप्राप्तकत्ताओं की संख्या	संस्वीकृत ऋण(रू. लाख में)
आन्ध्र प्रदेश	8,956	596.88
असम	568	90.65
बिहार	3,084	680.28
गोवा	1	.50
गुजरात	600	243.60
हरियाणा	2,295	145.18
हिमाचल प्रदेश	180	43.02
कर्नाटक	4,925	458.25

मध्य प्रदेश	646	146.38
महाराष्ट्र	900	415.15
पंजाब	925	173.33
तमिलनाडु	2,208	154.08
उत्तर प्रदेश	3,380	322.41
कुल	28,668	3,469.817

(ड.) सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

|अनुवाद|

जम्मू और कश्मीर से पलायन

3264. श्री दत्तात्रेय बंडारू : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष और चालू वर्ष में अब तक अनुमानतः कितने कश्मीरी पंडित जम्मू और कश्मीर से पलायन कर शरणार्थियों का जीवन व्यतीत कर रहे हैं;

(ख) सरकार ने उनके पुनर्वास हेतु क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) इस पलायन को रोकने तथा उन्हें वापस उनके घरों को भेजने हेतु क्या ठोस उपाय किए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जम्मू और कश्मीर में लक्ष्यपूर्ण आक्रमणों और बड़े पैमाने पर हुई आतंकवादी हिंसा के कारण कश्मीरी पंडित समुदाय के लगभग 2.5 लाख व्यक्तियों का, देश के विभिन्न भागों को पलायन कर जाने का अनुमान है। यह पलायन मुख्य रुप से वर्ष 1989, 1990 और 1991 में हुआ।

(ख) और (ग). प्रवासियों को राज्य के बाहर स्थाई रुप से बसाने पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। अतः उनको नकद राहत और राशन, आवश्यकता अनुसार अस्थाई आवास, शिक्षा तथा बैंक खातों के प्रचालन, बीमा पालिसियों का नवीकरण, तथा प्रवासी कर्मचारियों को वेतन/पेंशन का भुगतान करने संबद्ध अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उपाय किए गए हैं। प्रबन्धों की नियमित पुनरीक्षा की जाती है ताकि प्रवासियों को होने वाली कठिनाईयों को यथा-संभव दूर किया जा सके। आशा की जाती है कि स्थिति में सुधार होते ही प्रवासी अपने अपने घरों को लौट जाएंगे, जिसके लिए सतत् प्रयास किए जा रहे हैं।

मानव अंगों की खरीद और बिक्री

3265. श्री जे. चोक्का राव : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मानव अंगों की खरीद और बिक्री विशेषतः समाज के गरीब वर्गों में बहुत अधिक हो रही है;

(ख) क्या निजी क्षेत्र के कुछ विशेष सुविधाओं वाले अस्पताल विशेष कर हैदराबाद के अस्पताल दूरदर्शन और समाचार पत्रों में गुर्दा दान करने के लिए विज्ञापन देते हैं तथा उसके लिए अत्याधिक राशि की पेशकश करते हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने मानव अंगों की बिक्री तथा अस्पतालों द्वारा उनके प्रत्यारोपण पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) तथा (ख). इस संबंध में ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता। तथापि 5.5.1993 को राज्य सभा द्वारा पारित मानव अंग प्रतिरोपण विधेयक, 1993, जो लोक सभा में विचारार्थ लम्बित पड़ा हुआ है, में अन्य बातों के साथ-साथ मानव गुर्दे की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का उल्लेख है।

[हिन्दी]

ऊसर में गैस टर्मिनल

3266. श्री दत्ता मेघे :

श्री मोहन रावले :

श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार :

श्री राम कापसे :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार से ऊसर में गैस टर्मिनल स्थापित करने और ओमान/ईरान से आयात करके गैस की आपूर्ति करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्रवाई की गई ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग). महाराष्ट्र सरकार ने उसार में एक नया गैस टर्मिनल का प्रस्ताव किया है। प्रस्ताव की जांच, पश्चिमी समुद्री तट के उपयुक्त उतराई स्थल से दक्षिण तक एक गैस पाइपलाइन बिछाने के परिप्रेक्ष्य में की जाएगी जिसे सैद्धांतिक रुप में अनुमोदित कर दिया गया है।

गोवा के स्वतंत्रता सेनानी

3267. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को गोवा के स्वतंत्रता सेनानियों के संघ द्वारा कोई मांग पेश की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री पी.एम. सईद) : (क) से (ग). गोवा स्वतंत्रता सैनानी एसोसिएशन, समय-समय पर, केन्द्र सरकार से संबंधित निम्नलिखित मांगें करता रहा है :

(1) गोवा मुक्ति आन्दोलन को स्वतंत्रता संग्राम के एक हिस्से के रुप में मान्यता देना।

(2) स्वतंत्रता सैनानी पेंशन प्रदान करने के लिए गोवा मुक्ति आन्दोलन में भाग लेने वालों के मामले में पात्रता के मानदण्डों में छूट देना; और

(3) स्वतंत्रता सैनानी पेंशन प्रदान करने के लिए गोवा मुक्ति आन्दोलन में भाग लेने वालों के मामलों पर विचार करने के लिए एक जांच-समिति गठित करना।

इन मांगों पर विचार किया गया। केन्द्रीय राजस्व से स्वतंत्रता सैनानी पेंशन प्रदान करने के प्रयोजन के लिए गोवा मुक्ति आन्दोलन में भागीदारी को पहले ही मान्यता दे दी गयी है और स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना 1980 के अंतर्गत निर्धारित पात्रता मानदण्डों को लागू करके पेंशन प्रदान करने के दावों पर विचार किया जा रहा है। स्वतंत्रता सैनानी पेंशन प्रदान करने के लिए योजना के उपबन्धों में छूट देना और गोवा मुक्ति आन्दोलन में भाग लेने वालों के मामलों की जांच करने के लिए जांच समिति गठित करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

आर.डी.एक्स की तस्करी

3268. श्री चिन्मयानन्द स्वामी : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 6 दिसम्बर, 1993 के बाद देश भर में हुए विभिन्न बम विस्फोटों में तस्करी द्वारा लाये गए आर.डी.एक्स का प्रयोग किया गया था;

(ख) यदि हां, तो किन स्थानों पर इसका प्रयोग किया गया था;

(ग) क्या यह पता लगाने के लिए कोई जांच की गई है कि विस्फोटकों की तस्करी कहां से की गई थी तथा इस तस्करी के पीछे किन-किन लोगों का हाथ था; और

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम रहा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) सरकार के पास, देश में 6 दिसम्बर, 1993 के बाद हुए बम विस्फोटों की, जिनमें तस्करी किया हुआ आर.डी.एक्स प्रयोग किया गया था, कोई रिपोर्ट नहीं है।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

गैस और एल.एस.एच.एस. की सप्लाई

3269. श्री मोहन रावले : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को इस बात की जानकारी है कि बम्बई में गैस और एल.एस.एच.एस. की कम

सप्लाई के कारण टाटा इलेक्ट्रिक कम्पनी अस्पताल, रेलवे, जल आपूर्ति तथा अन्य आपात सेवाएं बिजली सप्लाई की भयंकर समस्या का सामना कर रहे है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) टाटा इलेक्ट्रिक कंपनी को उनकी मांग की तुलना में गैस और एल.एस.एच.एस की कितनी कम सप्लाई की जा रही है; और

(घ) सरकार का टाटा इलेक्ट्रिक कम्पनी को गैस और एल.एस.एच.एस. को अच्छी सप्लाई किस प्रकार करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (घ). अप्रैल, 1993 से फरवरी 1994 के दौरान टाटा इलेक्ट्रिक कम्पनी को औसतन गैस आपूर्तियां 1.5 एम.एम.एस. सी.एम.डी की तुलना में 1.22 एम.एम.एस.सी.एम.डी. थीं। दिसम्बर, 1993 के सिवाय सभी महीनों में हुई कमी को एल.एस.एच.एस. को आपूर्तियों से पूरी किया गया है।

मलेरिया के लिए नया टीका

3270. **श्री रामदेव राम :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आविष्कार किए गए मलेरिया के नए टीके की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस टीके को कब तक उपलब्ध करा दिया जायेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) और (ख). जी हां विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सूचित किया है कि कोलम्बिया के वैज्ञानिकों द्वारा एस.पी.एफ. 66 नामक एक नई मलेरिया वैक्सीन विकसित की गई है। आरंभिक निष्कर्षों से पता चलता है कि इस वैक्सीन के बिना किसी कुप्रभाव के मलेरिया के प्रति प्रभावी अनुक्रिया पैदा होती है। विभिन्न देशों में मनुष्यों पर इसके परीक्षण किए जा रहे हैं।

(ग) यह परीक्षणों के परिणामों पर निर्भर करेगा।

|हिन्दी|

वृद्धाश्रम

3271. **श्री सत्यदेव सिंह :**

श्री राम सिंह कास्वां :

श्रीमती दीपिका एच. टोपीवाला :

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने वृद्धाश्रम हैं;

(ख) 1993-94 के दौरान देश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने वृद्धाश्रम स्थापित किये गये और 1994-95 में कितने स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ग) इस पर अनुमानित कितना व्यय होगा;

(घ) इनमें कितने वृद्धों को रखा जाएगा;

(ड.) क्या इन वृद्धाश्रमों में रखे जाने वाले वृद्धों से कुछ शुल्क राशि ली जायेगी, और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंग्काबालू) : (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण-। में दी गई है।

(ख) और (ग). स्वैच्छिक संगठनों को सहायता योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार वयोवृद्धों से संबंधित कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायतानुदान उपलब्ध करती है। इस योजना के अंगर्तत संगठनों के प्रस्तावों पर विचार राज्य सरकार की सिफारिश के आधार पर किया जाता है।

वृद्धजन गृह के रखरखाव के लिए सहायतानुदान सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के स्वैच्छिक संगठनों के लिए समान रुप से उपलब्ध है। 1993-94 के दौरान 60 वयोवृद्ध गृह स्थापित किए गए हैं। ब्यौरा संलग्न विवरण-।। में दिया गया है। इतने ही वयोवृद्ध गृह 1994-95 के दौरान स्थापित किए जाने की आशा है। चालू वर्ष के दौरान वृद्धजनों के कल्याण से संबंधित योजनाओं के लिए 300 लाख रुपये का बजट प्रावधान है।

(घ) वयोवृद्ध गृह की एक यूनिट में कम से कम 25 व्यक्ति होने चाहिए।

(ड़) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-।

वयोवृद्ध से संबंधित कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता योजना के तहत देश में स्थापित वयोवृद्ध कीसंख्या बताने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वयोवृद्ध गृहों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	26
2.	असम	1
3.	बिहार	2
4.	हरियाणा	-

1	2	3
5.	हिमाचल प्रदेश	-
6.	कर्नाटक	2
7.	मध्य प्रदेश	2
8.	महाराष्ट्र	2
9.	मणिपुर	6
10.	उड़ीसा	13
11.	राजस्थान	-
12.	पंजाब	-
13.	तमिलनाडु	16
14.	उत्तर प्रदेश	12
15.	त्रिपुरा	2
16.	पश्चिम बंगाल	15
17.	दिल्ली	1
	कुल :	100

विवरण-II

1993-94 के दौरान देश में स्थापित किए गए वयोवृद्ध गृहों की संख्या बताने वाला विवरण।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वयोवृद्ध गृहों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	12
2.	बिहार	01
3.	हरियाणा	01
4.	कर्नाटक	01
5.	मध्य प्रदेश	01
6.	महाराष्ट्र	02
7.	मणिपुर	05
8.	उड़ीसा	05
9.	तमिलनाडु	11
10.	उत्तर प्रदेश	15
11.	पश्चिम बंगाल	06
	कुल	60

[अनुवाद]

कोयला खानों में खनन कार्य

3272. श्री लाल बाबू राय :

श्री राम टहल चौधरी :

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकरण किये जाने के बाद पलामू, हजारीबाग, गिरीडीह और छतरा का कुछ कोयला खानों में काई खनन कार्य नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख). कोयला कम्पनी द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार पलामू तथा हजारी बाग जिलों में स्थित दो खानों को बन्द खानों के रुप में राष्ट्रीयकृत किया गया था। हजारी बाग जिले में स्थित तीन और राष्ट्रीयकृत कोयला खानों को भंडार समाप्त हो जाने के कारण बंद कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त हजारीबाग, गिरडीह तथा पलामू जिलों में स्थित चार और राष्ट्रीयकृत भू-गत खानों को ओपनकास्ट खानों में बदल दिया गया था।

सिंचाई परियोजनाएं

3273. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

श्री रामकृष्ण कोंताला :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय जल आयोग के समक्ष स्वीकृत के लिए लंबित बड़े एवं मध्यम सिचांई परियोजनाओं की संख्या कितनी है तथा उसकी लागत एवं सीमा-क्षेत्र क्या है;

(ख) उक्त परियोजनाओं को कब तक स्वीकृत कर दिए जाने की संभावना है;

(ग) जिन बड़े एवं मध्यम सिचांई योजनाओं पर काम चल रहा है उसका अद्यतन ब्यौरा क्या है तथा उन पर कुल लागत एवं अभी तक हुए खर्च का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इनमें से कुछ परियोजनाओं के काम में विलम्ब हुआ है;

(ड.) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल की गई/की जाने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा और परिव्यय क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) 31.12.1993 की स्थिति के अनुसार, केन्द्र में प्राप्त हुई 24.960.30 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 86 वृहद और 69 मध्यम सिंचाई परियोजनाओं, जिनसे 6884.80 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में वार्षिक

सिंचाई प्रदान करने की परिकल्पना की गई है, में से, 37 वृहद और 20 मध्यम सिंचाई परियोजनायं परामर्शदात्री समिति द्वारा इस शर्त पर स्वीकार्य पायी गयीं कि संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कुछ टिप्पणियों की अनुपालना कर ली जाए। परामर्शदात्री समिति ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा कल्याण मंत्रालय आदि से स्वीकृति न मिलने की वजह से अन्तर्राज्यीय मुद्दों के हल न हो पाने के कारण 8 वृहद और एक मध्यम सिंचाई परियोजनाओं पर विचार आस्थगित कर दिया है। शेष 41 वृहद और 48 मध्यम सिंचाई परियोजनाओं पर राज्य सरकार को विभिन्न तकनीकी-आर्थिक मुद्दें हल करने हैं।

(ख) परियोजना की स्वीकृति इस बात पर निर्भर करती है कि राज्य सरकार कितनी जल्दी केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की अनुपालना करती है तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और कल्याण मंत्रालय के आवश्यकतानुसार स्वीकृतियां प्राप्त करती है।

(ग) आठवीं योजना के शुरु में निर्माणधीन वृहद, मध्यम और विस्तार/नवीकरण/आधुनिकीकरण योजनाओं का ब्यौरा निम्नवत है :

		आठवीं योजना के दौरान निर्माणाधीन परियोजनाओं की संख्या	नवीन अनुमानित लागत (आठवीं) योजना के शुरु में	(करोड़ रुपये) 3/92 तक आया व्यय
		1	2	3
1.	वृहद परियोजनाएं	158	54470	20344
2.	मध्यम परियोजनाएं	226	4797	2497
3.	विस्तार/नवीकरण आधुनिकीकरण योजनाएं	95	6309	2172
	कुल		65576	25013

(घ) आठवीं याजना के प्रारंभ में 158 बड़ी, 226 मंझौली और 95 ई.आर.एम. चल रही सिंचाई परियाजनाओं, 103 बड़ी 165 मंझौली और 20 ई.आर.एम. परियोजनाओं को योजना आयोग में निवेश की मंजूरी दे दी थी। अनुमोदित परियोजनाओं में से 92 बड़ी, 159 मंझौली और 17 ई.आर.एम. परियोजनाएं अपने निर्धारित समय से पीछे चल रही हैं।

(ङ.) सिंचाई परियोजनाओं के समय और लागत में वृद्धि होने के लिए जिम्मेदार मुख्य कारण निर्माण कार्य के दौरान कीमतों में वृद्धि होना, परियोजनाएं तैयार करते समय सीमित जांच किया जाना परियोजना की परिधि

और डिजाइन में तदनन्तर परिवर्तन और कार्यान्वयन के दौरान परियोजना की परिधि और डिजाइन में तदनन्तर परिवर्तन संरचनात्मक सुविधाओं के अपर्याप्त प्रावधान, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास, पर्यावरण की सुरक्षा, पर्याप्त निधियाँ उपलब्ध न होना, श्रम समस्या जन विरोध संविदात्मक समस्याएं इत्यादि हैं।

(च) आठवीं योजना में शामिल की गई बड़ी मंझौली और ई.आर.एम. परियोजनाओं का ब्यौरा इस प्रकार है:

	निर्माणाधीन		नई परियोजनाएं	
	संख्या	परिव्यय (रुपये करोड़ो में)	संख्या	परिव्यय (रुपये करोड़ों में)
	1	2	3	4
बड़ी	151	15054	17	609
मंझौली	216	1581	56	419
ई.आर.एम.	63	1789	33	288
योग	430	18424	106	1316

[हिन्दी]

पूंजी निवेश

3274. श्री नवल किशोर राय :

श्री संदीपन भगवान थोरात :

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा वर्ष 1993-94 में कुल कितनी पूंजी निवेश किया गया;

(ख) इस अवधि के दौरान विदेशी और स्वदेशी ऋणों पर चुकाए गए ब्याज की कुल राशि का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ग) इस अवधि के दौरान उत्पादन लागत का ब्यौरा क्या है;

(घ) वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान अर्जित लाभ का ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या कोल इंडिया का कार्य निष्पादन संतोषजनक पाया गया है;

(च) यदि नहीं, तो इसमें सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(छ) क्या सरकार ने ठेकेदारों को कार्य देने संबंधी अपनी नीति को नये सिरे से तैयार किया है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) वित्तीय वर्ष 1993-94 अभी पूरा होना है। किन्तु, कोल इंडिया लि. द्वारा 1993-94 (अप्रैल, 93 से फरवरी, 1994) के दौरान 1396.94 करोड़ रुपये (अंतिम) का कुल पूंजी निवेश किया गया है।

(ख) विदेशी तथा स्वदेशी ऋण पर ब्याज की कुल राशि क्रमशः 28.55 करोड़ रू. तथा 506.06 करोड़ रुपये की है।

(ग) 1993-94 के दौरान उत्पादन लागत के 374.02 प्रति टन हो जाने की संभावना है।

(घ) 1992-93 के दौरान कमाया गया लाभ 291.27 करोड़ रु. की राशि का है। वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाने तथा लेखों की लेखा परीक्षा को अंतिम रुप दिए जाने के पश्चात् ही 1993-94 के आंकड़ों का पता लगेगा।

(ङ) प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में वर्ष के दौरान कोल इंडिया लि. द्वारा समझौता ज्ञापन में प्राप्त किए जाने वाले पैरामीटर सरकार निर्धारित करती है। मूल्यांकित निष्पादन के आधार पर कोल इंडिया लि. पूर्व वर्षों में "बहुत अच्छा" श्रेणी (उपलब्धि) हासिल की है। 1992-93 के लिए श्रेणी का अभी सरकारी उद्यम विभाग द्वारा निर्धारण किया जाना है। 1993-94 के लिए श्रेणी वित्तीय वर्ष समाप्त होने के पश्चात् ही की जाएगी।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

(छ) जी, नहीं। अभी तक सरकार ने ठेकेदारों को नियोजित करने की अपनी नीतियों को पुनः निष्पादित नहीं किया है।

(ज) प्रश्न ही नहीं उठता है।

[अनुवाद]

मध्य प्रदेश में सिंचाई परियोजनाएं

3275. श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश में चल रही सिंचाई परियोजनाओं के लिए कुल कितना धनाबंटन किया है;

(ख) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए इनकी दी जानी वाली वित्तीय सहायता में वृद्धि करने का आग्रह किया है;

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं; और

(घ) इन परियाजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) योजना आयोग ने आठवीं योजना के लिए मध्य प्रदेश में सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र के वास्ते 2656.24 करोड़ रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया है। वर्ष 1992-93 तथा वर्ष 1993-94 के लिए संगत परिव्यय क्रमशः 531.45 करोड़ रुपये और 543.03 करोड़ रुपये है।

(ख) मार्च 1993 में मध्य प्रदेश सरकार ने मार्च,1993 के अंत तक 60 करोड़ रुपये वर्ष 1993-94 के दौरान 265 करोड़ रुपये, वर्ष 1994-95 के दौरान 100 करोड़ रुपये तथा वर्ष 1995-96 के दौरान 20 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता देने का अनुरोध किया ताकि निर्माणाधीन वृहद, मध्यम और लघु योजनाओं से अतिरिक्त लाभ प्राप्त किया जा सकें।

(ग) जल संसाधन मंत्रालय के लिए राज्य को अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराना संभव नहीं है क्योंकि राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं के लिए राज्यों को अतिरिक्त सहायता प्रदान करने के प्रस्ताव को आठवीं योजना में शामिल करने हेतु योजना आयोग ने स्वीकार नहीं किया है।

(घ) आठवीं योजना में मध्य प्रदेश में निर्माणाधीन वृहद और मध्यम सिंचाई परियाजनाओं की स्थिति दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। लघु सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा केन्द्र में नहीं रखा जाता है।

विवरण

मध्य प्रदेश की निर्माणाधीन वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की स्थिति (करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	योजना का नाम	नवीनतम अनुमानित लागत	3/92 तक व्यय	योजना आयोग द्वारा आठवीं योजना में अनुमोदित परिव्यय	व्यय 1992-93 (वास्तविक)	1993-94 प्रत्याशित व्यय
1	2	3	4	5	6	7
(क) वृहद परियोजनाएं						
1.	हसदेव बांगो	692.88	381.96	120.00	38.53	36.00
2.	महानदी जलाशय	1223.45	275.98	107.78	32.37	29.10
3.	अपर बेन गंगा	176.53	120.79	29.59	6.40	9.00
4.	थानवार	24.40	29.45	5.04	0.70	0.30
5.	कोलार	157.40	126.36	31.29	12.54	10.00
6.	पैरी	33.54	19.52	13.84	1.00	1.00
7.	जोन्क	46.38	21.51	23.85	1.44	1.00
8.	कोटार	49.82	23.31	14.92	1.69	1.00
9.	सिंध फेज-1	56.43	30.75	6.87	2.68	4.00
10.	हलाली	24.71	18.67	2.44	0.80	.00
11.	उर्मिल	13.50	9.99	10.57	1.58	1.00

1	2	3	4	5	6	7
12.	बाणसागर यूनिट-।।	740.05	261.85	91.77	14.70	35.00
	मध्य प्रदेश का हिस्सा उत्तर प्रदेश और बिहार का हिस्सा बाणसागर यूनिट-।।	529.00	91.52	60.00	9.16	18.00
13.	राजघाट यूनिट-।	133.50	71.68	40.00	7.00	8.00
	यूनिट-।।	309.21	46.76	60.00	8.49	10.00
14.	बराबरपुर बायां तक नहर	143.00	34.95	50.00	4.61	4.00
15.	बावनथाड़ी(महाराष्ट्र)	89.78	13.15	50.00	1.21	2.00
16.	माही	129.70	28.30	74.00	5.67	4.00
17.	सिंध फेज-।।	607.67	37.31	50.00	5.99	10.00
18.	महान	103.14	22.28	30.00	2.96	3.95
19.	बारगी यूनिट-। एवं-।।	742.84	270.10	184.82	19.51	25.75
20.	मान	90.00	32.27	25.00	10.22	11.55
21.	जोबट	61.68	13.75	34.00	·2.45	8.22
22.	नर्मदा सागर	1574.30	89.93	200.00	35.11	25.93
23.	बारगी दिक् परिवर्तन	1640.00	7.42	42.00	2.75	3.65
24.	आंकारेश्वर	5120.00	3.29	-	0.60	3.65
(ख)	मध्य परियोजनाएं					
1.	चंदोरा	15.00	11.60	3.55	1.37	1.00
2.	बुंदेल	14.20	10.88	2.33	0.68	0.70
3.	मटियारी	60.16	40.16	4.49	3.74	3.00
4.	डिचला देबादा	50.12	33.01	9.29	4.06	3.00
5.	मटियाम्मोती	20.00	15.82	3.31	0.58	1.00
6.	चीरप्रानी	31.85	25.57	3.71	3.03	2.50
7.	पिएन्धीयनाला	13.73	10.09	2.49	0.62	1.00

1	2	3	4	5	6	7
8.	शिवनाथ दिक् परिवर्तन	7.71	5.78	1.55	0.78	0.75
9.	बलार	10.90	8.65	1.70	0.29	0.40
10.	कालिया सोटे	55.63	46.79	5.02	1.41	0.64
11.	तिल्लार	36.46	30.76	2.03	1.61	0.75
12.	चोरल	29.68	25.33	2.51	1.71	1.00
13.	धोलवाद	18.05	15.29	3.67	1.12	1.00
14.	कन्हर गांव	16.70	14.01	2.60	1.04	0.50
15.	बन्जर	7.74	5.99	1.20	0.16	0.30
16.	घुनघट्टा	44.22	31.17	5.75	2.51	2.50
17.	बंकी	13.33	11.90	5.35	0.33	1.00
18.	गोमुख	35.13	24.78	1.95	1.61	1.00
19.	दुधी	19.70	8.95	9.23	0.41	0.50
20.	बुधना	21.60	13.06	8.84	2.68	2.00
21.	बरनई	15.40	6.95	8.55	1.11	1.50
22.	लाखूंदर	27.40	11.82	15.36	1.87	1.00
23.	रामपुर खर्द	10.90	5.15	5.97	2.73	1.65
24.	बारच्वर	15.67	11.29		0.96	0.50
25.	बंदिया	12.20	3.32	5.90	0.32	0.30
26.	गेज	29.86	6.70	5.17	2.79	3.40
27.	मांड दिक् परिवर्तन	46.59	12.30	27.72	2.53	2.50
28.	बिलासपुर दिक् परिवर्तन	6.30	0.41	5.69		0.05
29.	कोसारतेता	35.03	6.97	7.39	0.29	1.90
30.	कुनवारी लिफ्ट	3.80	0.25	3.22	0.02	0.10
31.	महुर	43.67	4.13	4.00	0.13	0.10
32.	बाह	52.40	2.86	8.00	0.16	0.20
33.	सागर	32.80	0.99	8.00	0.04	0.1

चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम

3276. डा. के.डी. जेस्वानी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा परिषद् अविछिन्न चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रमों का आयोजन करती रहती है;

(ख) यदि हां, तो 1993-94 के दौरान ऐसे कितने कार्यक्रमों का आयोजन किया गया; और

(ग) इन कार्यक्रमों का क्या निष्कर्ष है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) जी हां।

(ख) 22

(ग) अब तक हुए सभी ऐसे कार्यक्रमों को व्यापक रुप से सभी चिकित्सा कार्मिकों के ज्ञान को अद्यतन करने के लिए शिक्षाप्रद, उपयोगी और बहुत लाभदायक माना गया है।

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण सुविधाएं

3277. श्री मृत्युंजय नायक :

श्री आनन्द अहिरवार :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक यराज्य से दूसरं राज्य में जाने वाले अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों की समस्याओं पर विचार करने के लिए 13 अक्तूबर,1993 को गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में हो रही देरी के क्या कारण हैं ?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंग्काबालु) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) यह समिति, अन्तर्राज्यीय अनुसूचित जाति/जनजाति प्रवासियों की समस्याओं सहित बड़ी संख्या में प्राप्त प्रस्तावों को शामिल करते हुए अनूसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सूचियों में संशोधन की सम्पूर्ण प्रक्रिया पर विचार कर रही है, जिसकी सूक्ष्म तथा विस्तृत रुप में जांच करने में वक्त लगेगा।

[अनुवाद]

अल्पसंख्यकों के लिए कोचिंग संस्थान

3278. श्री गाभाजी मंगाजी ठाकुर : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अल्पसंख्यक उम्मीदवारों के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के लिए कोचिंग संस्थानों जैसे अलग से शैक्षिक कोंचिग संस्थान कार्यरत है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में अल्पसंख्यकों के लिए ऐसे संस्थान स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ड.). भातर सरकार ने 1992-93 के दौरान आर्थिक मानदंडों पर आधारित कमजोर वर्गों के लिए परीक्षा-पूर्व कोचिंग की एक योजना संस्वीकृत की है। इस योजना का उद्देश्य कमजोर वर्गों से संबंधित उम्मीदवारों को कोचिंग/प्रशिक्षण देना है जिसमें अल्पसंख्यक तथा सामाजिक और शैक्षकि रुप से पिछड़े वर्गों को शामिल किया गया है ताकि वे विभिन्न प्रतियोगी/प्रवेश परीक्षाओं में बराबरी के आधार पर प्रतिस्पर्धा कर सकें। यह योजना इस क्षेत्र में क्षमता रखने वाले राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर के ख्याति प्राप्त व्यवसायिक कोचिंग संस्थानों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। अल्पसंख्यकों से संबंधित शैक्षिक कोंचिंग संस्थान भी इस योजना के अंतर्गत सहायतानुदान प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। तथापि अल्पसंख्यकों के लिए शैक्षिक कोचिंग संस्थान स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि उक्त योजना में अन्य बातों के साथ-साथ अल्पसंख्यकों के कोचिंग की भी व्यवस्था है।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग और ब्रिटिश गैस कम्पनी के बीच समझौता

3279. श्री राम कापसे : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हाल ही में ब्रिटिश गैस कम्पनी और तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के बीच तथा मैसर्स आदित्य बिरला ग्रुप और पावरजान (ब्रिटेन) के बीच दो समझौते किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक समझौते का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन समझौतों के परिणामस्वरुप पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पादों की मांग कहां तक पूरी की जा सकेगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग). ओ.एन.जी.सी. विदेश लि. ने अभिरूचि के किसी तीसरे देश में पेट्रोलियम के अन्वेषण विकास आदि में सहयोग के लिए ब्रिटिश गैस के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है।

मैसर्स आदित्य बिरला ग्रुप ने विद्युत परियोजनाओं पर पावर जेन (यू.के.) के साथ सहयोग के समझौते के बारे में सरकार को सूचित किया है।

पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों की भावीं मांग पर इन समझौतों के प्रभाव का आकलन बहुत समय पूर्व होगा।

पानी के जहाज के किराये पर लेने के लिए निविदा

3280. श्री अंकुशराव रावसाहेब टोपे :

श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने गोदी में नौ पानी के जहाज़ भाड़े पर लेने के लिए निविदा आमंत्रित की है;

(ख) यदि हां, तो इसका विवरण क्या है;

(ग) क्या किसी विदेशी कम्पनी ने कम लागत पर इसके लिए आवेदन किया है; और

(घ) यदि हां, तो इसका विवरण क्या है तथा इस विषय में क्या निर्णय लिया गया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). 9 जैक अप रिगों को चार्टर भाड़े पर लेने के लिए ओ.एन.जी.सी. द्वारा जारी की गई विश्व निविदा के अंतर्गत मै. सैडको फोरेक्स इंटरनेशनल ड्रिलिंग इंक, पनामा से निम्नतम दर प्राप्त हुई थी। ओ. एन.जी.सी. ने 16500 अमरीकी डालर की निविदित दर पर इस रिग की चार्टर भाड़े पर लेने हेतु आदेश जारी किया है।

गंगा के कारण भूमि कटाव

3281. श्री आयनल अबेदिन : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे ने पश्चिमबंगाल में फरक्का बैराज में गंगा के प्रतिकूल प्रवाह के कारण भूमि कटाव के स्वरुप की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो इसने भूमि कटाव को रोकने के लिए किन-किन उपायों की सिफारिश की है; और

(ग) इस पर केन्द्रीय सरकार ने क्या अनुवर्ती कार्रवाई की है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) दीर्घावधिक उपाय के रुप में केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केन्द्र को सौंपे गए माडल अध्ययनों के निष्कर्षों के आधार पर मानिकचाक घाट के समीप दो ठोकरों के निर्माण की परिकल्पना की गई है।

(ग) फरक्का बराज परियोजना की तकनीकी परामर्शदात्री समिति ने केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केन्द्र को ठोकरों का सोपान-बद्ध निर्माण कार्यक्रम तैयार करने का कार्य सौंपा है।

कच्चे तेल का उत्पादन

3282. श्री बिलास मुत्तेशवार :

श्रीमती शीला गौतम :

श्री सी. श्रीनिवासन :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94 के दौरान कच्चे तेल के उत्पादन का लक्ष्य और संभावित उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ख) तेल की खुदाई और उत्पादन में लगी एजेंसियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग कई योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है जिनके पूरा होने के पश्चात कच्चे तेल के उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) कच्चे तेल के उत्पादन में वृद्धि के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा वर्ष 1994-95 शुरु को जाने वाली नई परियोजनाओं के नामों का ब्यौरा क्या है; और

(च) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने विदेश स्थित विभिन्न वित्तीय संस्थानों से कुल कितनी धनराशि ली ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) 1993-94 के दौरान कच्चे तेल का वास्तविक उत्पादन 27.17 मिलियन टन के लक्ष्यांकित उत्पादन की तुलना में लगभग 27 मिलियन टन का उत्पादन प्रत्याशित है।

(ख) ओ.एन.जी.सी. तथा आयल इंडिया लि. तेल के अन्वेषण एवं उत्पादन में लगे हुए हैं। वर्तमान में निजी कंपनियों के दो परिसंघ तेल अन्वेषण में लगे हुए हैं।

(ग) जी हां।

(घ) और (ङ). इनमें बम्बे हाई में एल-।। तथा एल-।।। का अतिरिक्त विकास पश्चिमी अपतट में नीलम क्षेत्र तथा दक्षिणी हीरा क्षेत्र का विकास तथा गुजरात में गंधार क्षेत्र चरण-।। का विकास सम्मिलित है।

(च) दिनांक 31 जनवरी, 1994 को स्थिति में ओ.एन.जी.सी. पर विदेशी ऋणों तथा आस्थगित क्रेडिट के संबंध में लगभग 8918 करोड़ रुपए की कुल धनराशि बकाया थी।

[हिन्दी]

बिहार राज्य अल्पसंख्यक निगम के लिए वित्तीय सहायता

3283. श्री प्रेमचन्द राम : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को बिहार राज्य अल्पसंख्यक निगम को वित्तीय सहायता प्रदान करने के बारे में बिहार सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री के.वी. तंगकाबालू) : (क) जी,नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पेट्रोल/डीजल व रसोई गैस

3284. श्री गुमान मल लोढ़ा : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रसोई गैस/पेट्रोल व डीजल के उत्पादन, वितरण व पूर्ति के लिए निजी क्षेत्र से कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसका उपभोक्ताओं को कितना लाभ मिलेगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय सुरक्षा बल के दल के केन्द्र

3285. प्रो. पी.जे. कुरियन : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में केन्द्रीय सुरक्षा बल के दल के तथा बड़ी टुकड़ियों के राज्य-वार कितने केन्द्र हैं; और

(ख) क्या केरल में ऐसे दल के कुछ और केन्द्र खोलने तथा बड़ी टुकड़ियों को गठित करने का प्रस्ताव है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) सूचना, संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	दल केन्द्रों की संख्या	अन्य उच्च फार्मेशनों की संख्या (उप-महानिरीक्षक/महानिरीक्षक कार्यालय)
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	2	2
2.	असम	1	1
3.	बिहार	4	2
4.	गुजरात	1	1

1	2	3	4
5.	हरियाणा	2	–
6.	जम्मू और कश्मीर	1	4
7.	कर्नाटक	1	–
8.	केरल	1	–
9.	मध्य प्रदेश	3	2
10.	महाराष्ट्र	2	2
11.	मणिपुर	1	2
12.	मेघालय	–	1
13.	नागालैंड	1	1
14.	उड़ीसा	1	1
15.	पंजाब	1	4
16.	राजस्थान	2	1
17.	तमिलनाडु	1	1
18.	त्रिपुरा	–	1
19.	उत्तर प्रदेश	3	3
20.	पश्चिम बंगाल	1	2
21.	चंडीगढ़	–	2
22.	दिल्ली	1	6
		30	39

स्नेहकों की बिक्री

3286. श्री रामनिहोर राय : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की तेल कम्पनियों का खुले बाजार में उसी तरह अपने उत्पादों की बिक्री करने का सुझाव है जिस प्रकार कई निजी कम्पनियाँ अपने फुटकर बिक्री केन्द्र खोल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विदेशी तेल कम्पनियों ने विपणन के लिए स्नेहक प्रौद्योगिकी में सुधार लाने हेतु इंडियन आयल कारपोरेशन, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन, और इंडोबर्मा पेट्रोलियम के साथ कई नये अनुबन्ध किये हैं; और

(घ) यदि हां, तो 1993-94 के दौरान किए गए अनुबन्धों का ब्यौरा क्या है और ये अनुबन्ध किन-किन विदेशी कम्पनियों के साथ किए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियां देश भर में अपने स्नेहकों का पुनर्विक्रय नेटवर्क के माध्यम से विक्रय कर रही है। इसके अतिरिक्त, स्नेहक तेलों, अतिरिक्त कलपुर्जो की दुकानों और औटोगराजों इत्यादि को भी विक्रय किये जाते हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) 1993-94 के दौरान हस्ताक्षर का गई संविदाओं का ब्यौरा निम्नलिखित है :

(1) मोबिल के साथ संयुक्त उद्यम करार में संयुक्त उद्यम कम्पनी द्वारा मोबिल ब्रांड स्नेहकों के सम्मिश्रण और विपणन के लिए 50:50 की समांशंता पूंजी से इण्डोमोबिल प्रा.लि. नाम को पृथक कम्पनी की परिकल्पना की गई है।

फ्रांस की नाइकों के साथ एक और संयुक्त उद्यम पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस संयुक्त उद्यम कम्पनी में नाईकों फ्रांस 50 प्रतिशत बामर लारी 25 प्रतिशत और आई ओ सी 25 प्रतिशत तीन भागीदार हैं। कम्पनी का नाम ए वी आई प्रा.लि. है जो रक्षा और नागरिक उड्‌डयन के लिए विशिष्ट विमानन स्नेहकों के विनिर्माण के लिए हैं।

(2) आई बी पी ने यू एस ए की काल्टेक्स के साथ संयुक्त उद्यम पर हस्ताक्षर किए हैं। ग्रोजज और स्नेहकों के विनिर्माण के लिए (काल्टेक्स 51 प्रतिशत और आई बी पी 49 प्रतिशत) अंशदान करेगी। नई संयुक्त उद्यम कम्पनी की चुकता पूंजी 20 करोड़ रुपये होगी।

(3) शेल ब्रांड वाले उच्च कार्य निष्पादन के स्नेहकों के मिश्रण तथा विपणन के लिए सरकार ने बी पी सी एल और शेल ओवरसीज इन्वेस्टमेंट (एक पूर्ण स्वामीत्व की शेल कम्पनी) के मध्य एक संयुक्त उद्यम को मंजूरी दी है। संयुक्त उद्यम कम्पनी में बी पी सी एल की इक्विटी भागीदारी 49 प्रतिशत तथा शेल कम्पनी की 51 प्रतिशत होगी। प्रस्तावित संयुक्त उद्यम कम्पनी की चुकता पूंजी 130 करोड़ रुपए होगी।

आन्ध्र प्रदेश में रसोई गैस एजेंसियों का आबंटन

3287. श्री रामकृष्ण कोंताला : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष आन्ध्र प्रदेश में कितनी रसोई गैस एजेंसियों को मंजूरी दी गई ;

(ख) क्या सरकार ने आन्ध्र प्रदेश में रसोई गैस के वितरण के लिए कुछ नये स्थानों की पहचान की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) 1991-92 से 1993-94 (अप्रैल से दिसम्बर) के दौरान आंध्र प्रदेश में एल.पी.जी. की 47 डिस्ट्रीब्यूटरशिपें

आबंटित की गई थीं।

(ख) और (ग). आंध्र प्रदेश के लिए 1992-94 को चालू एल.पी.जी. विपणन योजना में एल.पी.जी. की 40 डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के प्रस्ताव शामिल किये गये हैं।

गुजरात में तेल क्षेत्र

3288. श्री हरिन पाठक :

श्री दिलीपभाई संघाणी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993 में गुजरात में पाए गए नए तेल क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन क्षेत्रों से प्राप्त होने वाली प्राकृतिक गैस तथा अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की अनुमानित मात्रा कितनी है;

(ग) क्या इन क्षेत्रों में से एक छोटे से तेल क्षेत्र के कार्य को गुजरात सरकार को देने का प्रस्ताव है

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ.) क्या गुजरात सरकार ने गैस का जलना बंद कर दिया है तथा उसका उपयोग उद्योगों तथा बिजलीघरों में किया जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) 1993 के दौरान गुजरात में कोई नया तेल क्षेत्र नहीं पाया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). विकास बोली के पहले दौर (1992) में 6 लघु क्षेत्रों को गुजरात राज्य के उपक्रम गुजरात स्टेट पेट्रोकेमीकल्स लि. (जी.एस.पी.सी.एल.) को स्वयं या अन्य कंपनियों के साथ परिसंघ के रुप में देने के लिए अनुमोदन दिया गया है। इन क्षेत्रों का विकास जी.एस.पी.सी.एल/इसके साझेदारों द्वारा भारत सरकार के साथ उनके द्वारा हस्ताक्षरित की जाने वाली उत्पादन भागेदारी के तहत होगा।

(ङ.) और (च). ओ.एन.जी.सी. गुजरात में केवल 0.69 एम.एम.सी.एम.डी. गैस के प्रज्जवलन को कम कर सके हैं इनमें से 0.20 एम.एम.सी.एम.डी. तक अपरिहार्य एवं तकनीकी प्रज्जवलन है। वर्तमान में गैस की आपूर्ति विद्युत संयंत्रों, उर्वरक संयंत्रों और अन्य उद्योगों को की जा रही है।

अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम

3289. श्री एस.एम. लालजान बाशा : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अल्पसंख्यकों विकास वित्त निगम स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस निगम की कब तक स्थापना किए जाने की सम्भावना है?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंग्काबालु) : (क) जी, हां।

(ख) मामला विचाराधीन है।

(ग) प्रस्तावित निगम 1994-95 के दौरान प्रचालन में आ जाएगा।

उड़ीसा में पानी का निकास

3290. श्री लोकनाथ चौधरी : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने तटीय जिलों में पानी के निकास के लिए कुछ प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुगन) : (क) से (ग). उड़ीसा सरकार ने लगभग 600 करोड़ रुपये की लागत पर "डेल्टा विकास योजना-महानदी डेल्टा कमान क्षेत्र" योजना वर्ष 1990 में प्राप्त हुई थी। इसमें जल निकास सुधार, बाढ़ नियंत्रण कार्यों, नहर आधुनिकीकरण, कमान क्षेत्र और भूजल विकास की परिकल्पना की गयी है। जांच के बाद राज्य सरकार ने दिसम्बर, 1991 में और सूचना देने तथा बाढ़ नियंत्रण और जल निकास सुधार के लिए अलग-अलग अनुमान दोबारा तैयार करने का अनुरोध किया गया था। ये राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुए हैं।

कश्मीर के संबंध में बैठकें

3291. श्री श्रवण कुमार पटेल :

श्री भगवान शंकर रावत :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फरवरी, 1994 में जम्मू और कश्मीर के लिए एक नई विकास नीति तैयार करने तथा पाकिस्तानी मीडिया द्वारा आरंभ किए गए भ्रामक प्रचार अभियान को नाकाम करने हेतु कोई बैठकें बुलाई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनके क्या निष्कर्ष निकले; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग). जम्मू और कश्मीर के बारे में पाकिस्तान द्वारा किए जा रहे कुप्रचार अभियान का प्रभावशाली ढंग से मुकाबला करने से संबंधित मुद्दों पर विचार करने के लिए मंत्रियों के दल की एक बैठक 42.2.1994 को बुलाई गई थी। जम्मू, कश्मीर मानवधिकारों, आदि के बारे में ऐसे प्रचार/प्रचार का मुकाबला करने की कार्य योजना को सुदृढ़ सुप्रवाही बनाने का निर्णय लिया गया जिसमें दृश्य सामग्री की प्रस्तुति, मानवीय संबंधों को बढ़ावा देने आदि को वरीयता दी जानी चाहिए। तद्नुसार, जरूरी कार्रवाही शुरु कर दी गई है।

अवैध हथियार

3292. श्री दिलीपभाई संघाणी :

श्री चन्द्रेश पटेल :

श्री गया प्रसाद कोरी :

श्री मृत्युंजय नायक :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991, 1992, 1993, और 1994 के दौरान अब तक राज्य-वार और संघ क्षेत्र रा • वार कुल कितने अवैध हथियार निर्माण करने वाले कारखाने पकड़े गये;

(ख) इन कारखानों में बनने वाले हथियारों और जब्त किए गए हथियारों की संख्या और किस्मों का ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य-वार और संघ क्षेत्र राज्य-वार कुल कितने लोग गिरफ्तार किए गए और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई; और

(घ) ऐसे मामलों पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए गये/उठाये जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

परिवार नियोजन की विधियां

3293. श्रीमती सुशीला गोपालन : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के विभिन्न महिला संगठनों ने परिवार नियोजन की नयी विधियों पर आपत्ती की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) महिला संगठन अन्य बातों के साथ-साथ मांग कर रहे हैं कि इंजेक्टिबल्ने गर्भनिरोधकों एवं इम्प्लांटों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।

(ग) राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम में शामिल किए जाने से पूर्व हरेक नए गर्भ-निरोधक की चिकित्सीय जांच इसकी निरापदता एवं प्रभावकारिता का अध्ययन करने के लिए की जानी होती है। चिकित्सीय जांच करने से पूर्व नीति-विषयक समिति, विष-विज्ञानी समीक्षा पैनल तथा भारत के औषध नियंत्रक का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में नकली एल.पी.जी. सिलिंडरों का उपयोग

3294. श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में भारी संख्या में नकली एल.पी.जी. सिलिंडरों का उपयोग हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष राज्य में ऐसे कितने सिलिंडर जब्त किए गए; और

(ग) सरकार ने इस गैर-कानूनी कार्य को रोकने के क्या उपाए किए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) एल.पी.जी. विपरणन करने वाली तेल कम्पनियां अपने डीलर नेटवर्क के माध्यम से वितरण प्रणाली में केवल असली एल.पी.जी. सिलेंडर भेजती हैं। तथापि, बाहरी अनैतिक तत्वों द्वारा प्रणाली में नकली सिलेंडर भेजे जाने के मामले सामने आये हैं। विपणन करने वाली तेल कम्पनियों ने 1992-93 के दौरान मध्य प्रदेश में 374 नकली सिलेंडरों का पता लगाया है।

(ग) एल.पी.जी. विपणन कम्पनियों का फील्ड स्टाफ डिस्ट्रीब्यूटरों, ट्रांसपोर्टरों आदि के पास नकली सिलेंडरों के प्रचालन का पता लगाने हेतु निरीक्षण करता है। पता लगाए गए नकली सिलेंडरों को पिचका कर नष्ट कर दिया जाता है। जब ट्रांसपोर्टरों और डिस्ट्रीब्यूटरों के कब्जे से नकली सिलेंडर पाए जाते हैं अथवा वे इनको बेचते या परिचालित करते हुए पाए जाते हैं, तब ऐसी स्थिति में 1500 रुपये प्रति सिलेंडर की दर से दण्ड की वसूली की जाती है। जब अनुमोदित सिलेंडर निर्माता नकली सिलेंडरों के निर्माण और आपूर्ति में लिप्त पाए जाते हैं तब तेल उद्योग उनसे आगे से सिलेंडरों का लेना समाप्त कर देता है। नकली सिलेंडर निर्माताओं और नकली सिलेंडरों के परिचालन में लिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध पुलिस कार्रवाई भी की जाती है।

[अनुवाद]

भारत में मतदाता के रुप में दर्ज किए गए बंगलादेशी नागरिक

3295. श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

डा0 लक्ष्मी नाराण पाण्डेय :

क्या **गृह** मंत्री भारत में बंगलादेशी नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल किए जाने के बारे में 26 नवम्बर, 1992 को तारांकित प्रश्न संख्या 60 के उत्तर के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि अवैध प्रवासियों को राशन कार्ड जारी न किए जाएं और उनके नाम मतदाता सूची में दर्ज न हों; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख). राशन कार्ड जारी करने सहित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कार्यान्वित करने की, प्रचालन संबंधी जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र

प्रशासनों की है तथा राज्य/संघ शासित क्षेत्र के केवल वास्तविक निवासियों को ही राशन कार्ड जारी किए जाते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा जारी किए गए विस्तृत दिशा-निर्देशों तथा निर्धारित की गई प्रक्रिया के अनुसार वोटर लिस्ट में नाम शामिल किए जाते हैं। वर्ष, 1992 में मतदाता सूची में किए गए गहन संसाधनों के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत अनुदेश जारी किए थे कि अवैध विदेशी नागरिकों के नाम वोटर लिस्ट में शामिल न किए जाएं।

उत्प्रेरक सुधारक परियोजना

3296. श्री उदय सिंह राव गायकवाड़ : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संशोधित लागत पर बरौनी तेल शोधक कारखाने में उत्प्रेरक सुधारक परियोजना संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो संशोधित लागत पर इसे मंजूरी देने के क्या कारण हैं;

(ग) इस परियोजना की संशोधन पूर्व लागत कितनी थी; और

(घ) इस परियोजना को लक्षित अवधि के भीतर पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (घ). 77.95 करोड़ रुपये के मूल लागत अनुमानों की तुलना में 248.11 करोड़ रुपये (अप्रैल 1993 मूल्य) के संधोधित लागत अनुमानों के आधार पर सरकार ने बरौनी रिफाइनरी में कैटेलिटिक रिफार्मर परियोजना हेतु आई.ओ.सी. के प्रस्ताव का 11.2.1994 को अनुमोदन कर दिया है। परियोजना की लागत 77.95 करोड़ रुपये से बढ़कर 248.11 करोड़ रुपये हो जाने का मुख्य कारण : वृद्धि, विदेशी विनिमय दर मे अंतर, क्षेत्र में परिवर्तन और असामान्य बाजार स्थितियां।

सरकारी अनुमोदन के 36 महीनों के भीतर परियोजना के यांत्रिक रुप से पूर्ण हो जाने की संभावना है। परियोजना की समय पर पूर्णतया सुनिश्चित करने हेतु इस परियोजना के क्रियान्वयन की प्रगति की निकटता से निगरानी की जा रही है।

विवाह योग्य आयु

3297. डा. कार्तिकेश्वर पात्र : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में आबादी में वृद्धि को रोकने के लिए सांविधिक विवाह योग्य आयु को बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इसका क्रियान्वयन कब तक होगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). ये प्रश्न नहीं उठते।

पॉली क्लिनिक खोलना

3298. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना के अंतर्गत दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर पॉली क्लिनिक खोलने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन पॉली क्लिनिकों में कौन-कौन सी सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने का विचार है; और

(घ) इन्हें कब तक चालू कर दिया जाएगा।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). ये प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

कोयले की कमी

3299. श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के बोकारो क्षेत्र में छोरी की परियोजनाओं में कोयले की कमी पाई गई और इसकी कुल कमी 15 लाख टन आंकी गई है यद्यपि कोयला खानों के खातों में लाखों टन कोयले का भंडार दर्शाया जा रहा है;

(ख) क्या छोरी क्षेत्र की सभी कोयला खदानों को वहां पर कोयले की कमी के कारण रेलवे को विलंब शुल्क का भुगतान करने पर बाध्य किया जा रहा है; और

(ग) मार्च 1993 से दिसम्बर, 1993 वर्ष के दौरान छोरी क्षेत्र के कोयला खदानों द्वारा रेलवे को भुगतान की गई कुल विलंब शुल्क राशि कितनी है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (ग). कोल इंडिया लि. द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार बिहार के बोकारो क्षेत्र के छोरी क्षेत्र के किसी भी परियोजना में स्वीकार्य सीमा से अधिक कोयले की कमी होने के संबंध में सूचना नहीं मिली है। इसके अलावा, इस क्षेत्र में कोयले की कमी होने के कारण क्षतिपूर्ति किए जाने के संबंध में कोई अदायगी नहीं की गई है। मार्च 1993 से दिसम्बर, 1993 की अवधि के दौरान क्षतिपूर्ति की अदायगी का पता सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. और ईस्टर्न रेलवे के अधिकारियों द्वारा विस्तृत जांच को अंतिम रुप दिए जाने के बाद ही पता चल सकेगा।

[अनुवाद]

जम्मू और कश्मीर में विकास कार्य

3300. श्री मनोरंजन भक्त : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर के पूंछ और राजौरी जिलों के सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास कार्य सुचारू ढंग से चल रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गये हैं;

(घ) क्या इसके कारण इन क्षेत्रों के गरीब लोग पाक अधिकृत कश्मीर जा रहे हैं, और

(ड.) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी नहीं, श्रीमान्।

(ड.) प्रश्न नहीं उठता।

रसोई गैस एजेंसियों और खुदरा पेट्रोल केन्द्रों के आबंटन के लिए विपणन योजना

3301. श्री संदीपान भगवान थोरात : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994-95 के लिए महाराष्ट्र में पेट्रोल/डीजल खुदरा बिक्री केन्द्रों और रसोई गैस एजेंसियों के आबंटन का विपणन योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इससे उपभोक्ताओं को कितनी राहत मिलेगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय क राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). खुदरा बिक्री केन्द्रों/एल.पी.जी. के संबंध में वर्ष 1994-95 के लिए विपणन योजना तैयार नहीं की गई है।

[हिन्दी]

भारत पाकिस्तान सीमा

3302. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-पाकिस्तान सीमा की लम्बाई क्या है और उक्त सीमा पर कितने क्षेत्र में आबादी है;

(ख) राजस्थान में भारत-पाकिस्तान सीमा की लम्बाई क्या है तथा उसमें कितने क्षेत्र में आबादी है;

(ग) क्या सरकार को उस सीमा पर हो रही घुसपैठ, तस्करी एवं अन्य गैरकानूनी गतिविधियों की जानकारी हाल ही में मिली है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा दें;

(ड.) क्या सरकार का विचार ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए सीमा पर एक बाढ़ लगाने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख). भारत पाक सीमा, जिनमें जम्मू और कश्मीर की वास्तविक भूमि स्थिति रेखा (ए.जी.पी.एल.) और जम्मू और कश्मीर की नियंत्रण रेखा (एल.सी.) का भाग तथा अन्तर्राष्ट्रीय सीमा (आई.बी.) शामिल है, 3144 कि.मी. बनती है, जिनमें से 1037 कि.मी. राजस्थान सेक्टर में है। जबकि कुछ सैक्टरों में सीमा तक बसावत है, फिर भी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के साथ-साथ बसावत वाले क्षेत्र का सही-सही उल्लेख करना कठिन है।

(ग) और (घ) भारत पाक सीमा पर घुसपैठ, तस्करी और अन्य अवैध गतिविधियां अभी जारी हैं । वर्ष 1993 के दौरान हुई इस प्रकार की घटनाओं के ब्यौरे निम्न प्रकार है :

(1)	घुसपैठिए	व्यक्तियों की संख्या
	गिरफ्तार किए गए	921
	मारे गए	44
(2)	बरामदगी	26.12 करोड़ रुपये
(3)	शस्त्र/गोला बारूद	1788 नग

(ड़) से (छ) सीमा पर दीवार बनाने संबंधी ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, खतरे को ध्यान में रखते हुए, जहां कहीं भी आवश्यक समझा गया है वहां कांटेदार बाड़ और फ्लड लाईट लगाई गई है।

[अनुवाद]

त्वचा विज्ञान पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

3303. प्रो0 एम. कामसन : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या त्वचा विज्ञान पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन फरवरी, 1994 के दौरान नई दिल्ली में आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसमें किन-किन देशें ने भाग लिया था;

(ग) इस सम्मेलन में क्या क्या सिफारिशें की गईं ; और

(घ) सरकार द्वारा सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) सातवीं अन्तर्राष्ट्रीय त्वचाविज्ञान कांग्रेस 26 फरवरी से 2 मार्च, 1994 तक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।

(ख) इसमें निम्नांकित देशों ने भाग लिया था - अर्जेन्टीना, आस्ट्रीया, आस्ट्रेलिया, बंगलादेश, बेल्जियम, ब्राजील, बुलगारिया, कनाडा, चिली, चीन, कोलम्बिया, चेक गणराज्य डेनमार्क, इजिप्ट, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी,

घाना, गोल्डकोस्ट, ग्रीस, गौम, होन्डुरस, हंगरी, इंडोनेशिया, ईरान, आयरलैंड, इजराइल, इटली, जापान, कजाकिस्तान, कुवैत, लीबिया, मलेशिया, मारिशस, मैक्सिको, नेपाल, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नार्वे, पाकिस्तान, फिलीपिन्स, पोलैंड, पुर्तगाल, रूस, दक्षिण अफ्रीका, सान्टो डोमिन्गो, सउदी अरब, स्पेन, श्रीलंका, स्वीडन, स्वीट्जरलैंड, थाईलैंड, तुर्की, यू.ए.ई., संयुक्त राज्य अमेरीका, उक्रेन, यूनाइटेड किंगडम, वेनेजुएला, और यमन।

(ग) अब तक कोई सिफारिश प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

स्वास्थ्य विज्ञान और सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान

3304. श्री पी. कुमारासामी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दक्षिण भारत में एक स्वास्थ्य विज्ञान और सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान की स्थापना करने का है जिसे अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान और सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान, कलकत्ता से संबद्ध किया जा सकेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह संस्थान कब तक स्थापित किया जाएगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

मानव गुर्दों की बिक्री

3305. श्री गुरूदास कामत : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक दक्षिणी राज्यों में गन्दी बस्तियां मानव गुर्दों का बाजार बनती जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन क्षेत्रों में खुले आम गुर्दों की बिक्री होती है; और

(घ) सरकार ने मानव गुर्दों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री(श्री बी. शंकरानन्द) : (क). ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

(घ) मानव अंग प्रतिरोपण विधेयक, 1993 जो राज्य सभा द्वारा 5.5.1993 को पारित किया गया था तथा लोग सभा के विचारार्थ लम्बित पड़ा हुआ है, में अन्य बातों के साथ-साथ मानव के गुर्दों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का उल्लेख है।

असम में कैंसर रोग

3306. श्री प्रवीन डेका : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में कैंसर से प्रभावित व्यक्तियों की संख्या क्या है;

(ख) राज्य में कैंसर की रोकथाम के लिए चलाए गए कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य में कैंसर की औषिधियों की कमी है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं, और

(ड.) सरकार ने राज्य को पर्याप्त मात्रा में औषधियां उपलब्ध कराने तथा अन्य ऐसी सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

स्वास्वय और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) से (ड.). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

कोल इंडिया लिमिटेड

3307. श्री शिबू सोरेन : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कोल इंडिया लिमिटेड में तकनीकी विकास तथा विदेशों में इसके विस्तार के लिए योजना बना रही है;

(ख) यदि यहां, तो चीन के अतिरिक्त अन्य देशों के नाम क्या हैं, जो कोल इंडिया के साथ तकनीकी विकास विस्तार और पूंजी निवेश कार्यक्रमों के लिए बातचीत कर रहे हैं तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 31 जनवरी, 1994 को कोल इंडिया लिमिटेड के प्रशासनिक प्रबंधन कार्य में लगे कुशल तथा अकुशल श्रमिकों की संख्या क्या थी;

(घ) उनमें से कितने विदेशों में नियुक्त हैं; और

(ड.) 1994-95 के अंत तक विभिन्न कार्यक्रमों तथा विस्तार योजना के तहत कितने और श्रमिकों को विभिन्न देशों में भेजने की संभावना है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ग) 31.1.1994 की स्थिति के अनुसार कोल इंडिया लिमिटेड में कुशल और अकुशल श्रेणियों में कामगारों की कुल संख्या 637867 थी। इसके अतिरिक्त कोल इंडिया लिमिटेड में 19600 अधिकारी हैं।

(घ) कोई भी कामगार या अधिकारी विदेशों में तैनात नहीं है।

(ड.) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

राजभाषा क्रियान्वयन समिति

3308. श्री एन.जे. राठवा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी.आर.पी.एफ. तथा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के मुख्यालयों और अन्य कार्यलयों में राजभाषा क्रियान्वयन समिति गठित की गई थी;

(ख) क्या नियमित रुप से तिमाही बैठकें हो रही हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) और (ख). जी, हां श्रीमान्।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

तेलगु गंगा परियोजना

3309. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने तेलगु गंगा परियोजना के लिए कुल कितनी धनराशि निर्धारित की है;

(ख) केन्द्रीय सरकार ने इस परियोजना के लिए अब तक कितनी राशि दी है;

(ग) इसकी लागत में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का कितना-कितना हिस्सा है ;

(घ) परियोजना इस समय किस चरण में है तथा अब तक इस पर कितनी धनराशि व्यय की गई है; और

(ड.) आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को सिंचाई/पीने के लिए पानी कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) से (घ). केन्द्रीय जल आयोग द्वारा अप्रैल, 1988 में परामर्शदात्री समिति को प्रस्तुत किए गए टिप्पण के अनुसार, वर्ष 1985-86 की अनुसूचित दरों पर परियोजना पर 858.01 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। 858.01 करोड़ रुपये में से 228.62 करोड़ रुपये तमिलनाडु सरकार द्वारा वहन किए जायेंगे। परियोजना को, इसके अन्तर्राज्यीय मुद्दों को हल न किए जाने के कारण, निवेश स्वीकृति नहीं दी गई है। योजना आयोग ने आठवीं योजना में आन्ध्र प्रदेश के सिचांई क्षेत्र में 350 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया है।

आन्ध्र प्रदेश सरकार ने 1307.46 करोड़ रुपये की अद्यतन अनुमानित लागत की तुलना में जून, 1993 के अन्त तक 542.16 करोड़ रुपये की राशि व्यय की है। इसमें से आन्ध्र प्रदेश सरकार को तमिलनाडु सरकार से 202 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है।

आन्ध्र प्रदेश सरकार ने वर्ष 1993-94 के दौरान इस परियोजना पर 130 करोड़ रुपये व्यय करने का कार्यक्रम बनाया है। इसमें से 60 करोड़ रुपये का अंशदान तमिलनाडु सरकार द्वारा किया जायेगा।

(ड.) आन्ध्र प्रदेश सरकार का कार्यक्रम मद्रास शहर को जल निर्मुक्त करने और वर्ष 1995-96 तक लगभग 40,000 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित करने तथा सम्पूर्ण परियोजना को वर्ष 1999-2000 तक पूरा करने का है।

कोयला खान में हुई मौतें

3310. श्रीमती सरोज दुबे :

श्री मंजय लाल :

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में खनिकों को होने वाली कोयले की धूल संबंधी बीमारियों के कारण कोयला खानों में होने वाली मौतों के बारे में कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या उपचारात्मक उपाय किये हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) जी, नहीं। अभी तक कोयले की धूल से संबंधित बीमारी के कारण किसी भी खनिक की मृत्यु होने की सूचना नहीं मिली है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता है।

[हिन्दी]

डी.बी.सी. जारी करना

3312. श्री भीम सिंह पटेल :

डा. गुणवन्त रामभाऊ सरोदे :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार को रसोई गैस सिलैंडरों के वितरण में बरती गई अनियमितताओं के बारे में कितनी शिकायतें मिली हैं;

(ख) ऐसे रसोई गैस डीलरों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या भारत पेट्रोलियम और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम ने महाराष्ट्र और विभिन्न राज्यों में उपभोक्ताओं को डी.बी.सी. देना बंद कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ड.) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ड.) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

फाइलेरिया उन्मूलन केन्द्र

3313. डा. कृपासिन्धु भोई : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में कितने फाइलेरिया उन्मूलन केन्द्र कार्यरत हैं; और

(ख) उड़ीसा में गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे प्रत्येक केन्द्र के लिए कितनी केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करायी गयी है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) देश में कार्य कर रहे फाइलेरिया नियंत्रण यूनिटों की राज्यवार संख्या इस प्रकार है :

आंध्र प्रदेश	29
असम	1
बिहार	35
गोवा	4
गुजरात	9
कर्नाटक	6
केरल	16
मध्य प्रदेश	9
महाराष्ट्र	16
उड़ीसा	15
तमिलनाडु	21
उत्तर प्रदेश	29
पश्चिम बंगाल	10
पांडिचेरी	2
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	1
दमण और द्वीव	2
लक्ष्यद्वीप	1
योग :	206

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में यूनिटों की उपलब्ध कराई गई केन्द्रीय सहायता इस प्रकार है:-

1990-91	17.38 लाख
1991-92	1.54 लाख
1992-93	27.01 लाख

मसूड़ों का रोग

3314. श्री रवि राय : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के अधिकांश लोग मसूड़ों के रोग से संक्रमित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का ध्यान इस संबंध में इक्कीसवीं इंडियन प्रोस्थोडोन्टिक सोसायटी कांफ्रेंस में स्वीकार किए गए प्रस्तावों की ओर दिलाया गया है; और

(घ) इन प्रस्तावों को कार्यान्वित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) और (ख). भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने बताया है कि विभिन्न सर्वेक्षण रिपोर्टों से इस बात की सूचना मिली है कि मसूड़ों के रोग की व्याप्तता दर अधिक है। 16 वर्ष की आयु तक के 60-80 प्रतिशत बच्चे और 90-98 प्रतिशत वयस्क इस रोग से प्रभावित पाए गए हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

मां और शिशु देखभाल

3315. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

श्री एस.बी. सिदनाल :

श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में मां तथा शिशु का स्वास्थ्य सुधारने तथा झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले लोगों की जनन-क्षमता कम करने संबंधी कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्व बैंक ने झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले लोगों के लिए एक परियोजना मंजूर की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) इन कार्यक्रमों को कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) और (ख). शहरी गन्दी बस्तियों में परिवार कल्याण सेवाओं में सुधार लाने के लिए भारत सरकार ने शहर पुनर्नवीकरण स्कीम के अंतर्गत 1198 स्वास्थ्य पद मंजूर किए हैं।

(ग) से (ड.) शहरी गन्दी बस्तियों में रहने वालों के लिए चुनिंदा शहरों में विश्व बैंक सहायता प्राप्त दो परिवार कल्याण परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं :

	पांचवीं भारत जनसंख्या परियोजना (आई.पी.पी.-V)	आठवीं भारत जनसंख्या परियोजना (आई.पी.पी.-VIII)
कवरेज	बम्बई तथा मद्रास	दिल्ली, कलकत्ता, हैदराबाद तथा बेंगलूर
लागत	117.40 करोड़ रुपये	223.37 करोड़ रुपये
अवधि	सितम्बर, 1988 से 31 दिसम्बर, 1995	अगस्त, 1993 से 5 अगस्त, 1988

एड्स के लिए भारतीय पद्धति की औषधि

3316. श्री एन. डेनिस : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास एड्स के उपचार के लिए भारतीय पद्धति की औषधियों के प्रयोग के प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) क्या इस संबंध में शोध कार्य चल रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) से (ग). भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सकों द्वारा किए जाने वाले एड्स के उपचार के दावों की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ दल का गठन किया है।

पेट्रोलियम उत्पादों का आयात

3317. डा. के.वी.आर. चौधरी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों का कितनी मात्रा में वर्ष-वार तथा देश वार आयात किया गया है; और

(ख) 2001 ईस्वी तक पेट्रोलियम उत्पादों का वर्ष वार अनुमानित आयात तथा उनका घरेलू उत्पादन कितना होगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) गत तीन

वर्षों के दौरान आयातित पेट्रोलियम उत्पादों की मात्रा निम्नानुसार है:

वर्ष	(मात्रा मि.मि.ट. में)
1990-91	8.66
1991-92*	9.45
1992-93*	11.28

*अस्थायी

पेट्रोलियम उत्पादों का आयात आवधिक संविदाओं तथा स्थल खरीद दोनों माध्यम से किया जाता है। स्थल खरीद सदैव किसी देश विशेष से संबद्ध नहीं होती।

(ख) वर्ष 2001 तक पेट्रोलियम उत्पादों का अनुमानित आयात, मांग तथा देशी शोधन क्षमता पर निर्भर करेगा। यदि सभी परियोजनाएं कार्यक्रम के अनुसार पूरी हो जाती हैं तो अनुमानित देशी शोधन क्षमता करीब 119 मि.मि.ट. होगी।

[हिन्दी]

कोयले की बिक्री

3318. श्री छीतू भाई गामीत :

श्री सोमजीभाई डामोर :

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयले की प्रति वर्ष कितनी बिक्री होती है और उसका परिणाम तथा बिक्री मूल्य क्या है;

(ख) क्या विद्युत बोर्डों और उपभोक्ता संघों से कोयले के माल डिब्बों में कम तोले जाने और कम मात्रा में सप्लाई किये जाने की शिकायतें मिली हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस संबंध में कोई जाचं करायी गई है;

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(च) इस संबंध में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) वर्ष 1992-93 के लिए कोल इंडिया लि. तथा सिंगरेनी कोलियरीज़ कंपनी लि. में हुआ कोयले का कुल उत्पादन तथा निवल बिक्री वसूली की राशि नीचे दर्शायी गई है :

(आंकड़े अंनतिम)

	उत्पादन (मिलियन टन में)	निकल बिक्री वसूली (करोड़ रु. में)
कोल इंडिया लि.	211.22	7560.25
सिंगरेनी कोलियरीज़ कंपनी लि.	22.51	881.75

(ख) से (च) विद्युत बोर्डों तथा उपभोक्ता संघों से उन्हें भेजे जाने वाले कोयले के भार में कमी होने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। ऐसी शिकायतें प्रायः रेल से भेजे जाने वाले कोयले की प्राप्त होती हैं। कोयला कंपनियां रेल तक निःशुल्क आधार पर कोयले की आपूर्ति करती हैं तथा प्रेषण के समय लदान एवं तोल के पर्यवेक्षण के लिए उपभोक्ताओं को सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। इस प्रकार, इसके पश्चात् कोयला कंपनियों को, लदे हुए वैगनों से रास्ते में कोयले की चोरी होने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। कोयल कंपनियों द्वारा वे-ब्रिजों की अधिकतम उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा अतिरिक्त वे-ब्रिज स्थापित करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। ताकि रेल से भेजे जाने वाला अधिकांश कोयला केवल तोल के बाद ही भेजा जाए। राज्य विद्युत बोर्डों सहित कोयला उपभोक्ताओं को लदान/तोल स्थल पर कोयले का लदान तथा तोल का निरीक्षण करने के लिए अपना प्रतिनिधि नियुक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।

[अनुवाद]

ड्रिलिंग कार्य

3319. श्री जी.एम.सी. बालयोगी : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने के.जी. परियोजना क्षेत्र में ड्रिलिंग कार्य हेतु निजी एजेंसियों को आमंत्रित किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या ड्रिलिंग कार्य के लिए निजी एजेंसियों से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग). भारत सरकार ने कृष्णा गोदावरी बेसिन सहित भारत में विशिष्ट ब्लाकों में तेल एवं गैस के अन्वेषण में प्रतिभागिता के लिए निजी कंपनियों को समय समय पर आमंत्रित किया है। कृष्णा गोदावरी बेसिन में प्रस्तावित ब्लाकों का ब्यौरा निम्नवत है :-

दौर (वर्ष)	प्रस्तावित की गई ब्लाकों की संख्या	उन ब्लाकों की संख्या जिनके लिए बोलिया प्राप्त हुई
3 रा दौर (1986)	7	4
4 था दौर (1991)	4	3
5 वां दौर (1993)	5	2
6 टा दौर (1993)	4	-
7 वां दौर (1994)	4	बोलियों की प्राप्ति की अंतिम तिथि 30.6.1994 है।

कृष्णा गोदावरी बेसिन में ब्लॉकों हेतु पहले और दूसरे दौर में कोई बोली प्राप्त नहीं हुई। तीसरे दौर में

कृष्णा गोदावरी बेसिन में चार ब्लॉकों में निजी कम्पनियों द्वारा अन्वेषण कार्य किया गया। चौथे दौर के अंतर्गत कृष्णा गोदावरी बेसिन में एक ब्लॉक में एक परिसंघ वर्तमान समय में अन्वेषण क्रिया कलाप कर रहा है। इसके अतिरिक्त तीन ठेकेदार ओ.एन.जी.सी. के साथ ठेके के अंतर्गत बेधन कार्य कर रहे हैं।

एच.आई.वी. संक्रमण

3320. श्री रमेश चेन्नितला : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न अस्पतालों की वर्तमान स्थिति से एच.आई.वी. संक्रमण बढ़ सकता है;

(ख) क्या खून चढ़ाने, सुइयों तथा अन्य माध्यमों द्वारा बेखबर लोगों को एच.आई.वी. संक्रमण के खतरे से बचाने हेतु सरकार ने कोई प्रयास किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो त्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) से (ग). एच.आई.वी./एड्स के संदर्भ में अस्पताल में फैलने वाले संक्रमणों पर नियंत्रण पाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बारे में एक विस्तृत मेनुअल तैयार किया है और सभी केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों और राज्य सरकारों को भेजा गया है। चिकित्सा तथा सहायक स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित करने के लिए भी कई प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए हैं।

विभिन्न संगठनों द्वारा जम्मू कश्मीर तथा पंजाब का दौरा

3321. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

श्री राम प्रसाद सिंह :

श्री एस.बी. सिदनाल :

श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

श्री सुरेन्द्रपाल पाठक :

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में अब तक मानवाधिकारों की स्थिति का मौके पर अध्ययन करने के लिए जम्मू व कश्मीर तथा पंजाब का दौरा करने हेतु सरकार द्वारा विदेशी पत्रकारों सहित कितने संगठनों को अनुमति दी गई है;

(ख) क्या इन संगठनों ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो उसका मुख्य ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (घ). भारत सरकार, जम्मू और कश्मीर के बारे में पारदर्शिता की नीति का लगातार अनुसरण करती रही है। जन सम्पर्क माध्यमों के व्यक्ति, राजनायिक, संसद सदस्य और अन्य विदेशी राष्ट्रिकों सहित पर्यटक और अन्य व्यक्ति स्वच्छन्दता से राज्य का दौरा करते रहे हैं।

2. उपरोक्त नीति के अनुसरण में तथा और अधिक खुलापन लाने के एक उपाय के रुप में न्यायविदों के अन्तरार्यष्ट्रीय आयोग के एक दल को अगस्त 1993 में राज्य का दौरा करने की अनुमति दी गयी थीं। रेड-क्रास की अन्तर्राष्ट्रीय समिति (आई.सी.आर.सी.) को भी दौरा करने का आमंत्रण दिया गया है और उनके दल द्वारा निकट भविष्य में, राज्य का दौरा किए जाने की सम्भावना है। विभिन्न देशों के राजनयिकों, जिन्होंने समय-समय पर राज्य का दौरा किया, के अलावा यूरोपीय समुदाय के 4 राजदूतों ने भी फरवरी, 1994 में राज्य का दौरा किया और 10 देशों के राजदूतों के एक अन्य ग्रूप ने इसी माह राज्य का दौरा किया।

3. विधिवेत्ताओं के अन्तर्राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। राज्य का दौरा करने वाले राजनयिकों ने न तो कोई रिपोर्ट प्रकाशित की है और न ही उन से कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

4. इसी प्रकार पंजाब की आधारिक स्थिति का जायजा लेने के लिए पिछले एक वर्ष के दौरान राजनयिकों और संसद सदस्यों सहित विभिन्न विदेशी प्रतिनिधिमंडलों ने पंजाब राज्य का दौरा किया। अभी हाल ही में जनवरी, 1994 में पंजाब राज्य में अमेरिका के तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल द्वारा अमृतसर का दौरा किया गया।

5. इन राज्यों में आने-जाने की स्वंत्रता को ध्यान में रखते हुए, राज्यों का दौरा करने वाले व्यक्तियों की संख्या के बारे में, आंकड़े विशेष रुप से संकलित नहीं किए जाते हैं। तथापि, उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 1993 के दौरान 140 से अधिक विदेशी पत्रकारों ने जम्मू और कश्मीर राज्य का दौरा किया।

[हिन्दी]

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पद

3322. श्री एन.जे. राठवा : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 28 फरवरी, 1994 की स्थिति के अनुसार उनके मंत्रालय में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए आरक्षित कितने पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) ये पद कब से रिक्त पड़े हैं; और

(ग) इन आरक्षित पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (ग). कोयला मंत्रालय में दिनांक 28.2.1994 की स्थिति के अनुसार निम्न पद रिक्त पड़े हैं तथा वर्तमान में ये केवल अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए ही आरक्षित हैं।

	पदों का नाम	पदों की संख्या	कब से रिक्त पड़े हैं
1.	अनुभाग अधिकारी	2	1992-93
2.	सहायक	1	-वही-
3.	आशुलिपिक ग्रेड-सी	1	-वही-
4.	निम्न श्रेणी लिपिक	1	-वही-
5.	डिस्पेच राइडर	1	1989-90

अनुभाग अधिकारी, सहायक आशुलिपिक ग्रेड''सी'' तथा निम्न श्रेणी लिपिक के पदों के लिए भर्ती अभिकरण जैसे संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग/कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को अनुरोध किया गया है कि वे नियुक्ति के लिए उपयुक्त उम्मीदवार भेज दें।

डिस्पेच राइडर के पद के लिए भर्ती प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा की जाती है तथा रोजगार कार्यालय से उपयुक्त उम्मीदवार प्राप्त किए जाने के प्रयास किए गए थे। स्थानीय रोजगार कार्यालय ने अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दिया है तथा इसके परिणाम स्वरुप पद को रोजगार समाचार में विज्ञापित किया गया। एक उम्मीदवार का चयन किया गया था तथा उसे नियुक्ति प्रस्ताव भेजा गया था। किन्तु, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया अतः स्थानीय रोजगार कार्यालय में पुनः उपयुक्त उम्मीदवार का प्रायोजन किए जाने का पुनः अनुरोध किया गया है।

समझौता एक्सप्रेस में तस्करी

3323. **श्री मृत्युंजय नायक :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 15 जनवरी, 1994 के ब्लिट्ज में प्रकाशित समाचार के अनुसार समझौता एक्सप्रैस तस्करी का केन्द्र बन गया है तथा इस गाड़ी से पाकिसतान और अफगानिस्तान के कई जासूस भारत आ रहे हैं;

(ख) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (घ). सरकार ने समाचार रिपोर्ट को देखा है। इस संबंध में की गई पूछताछ से कस्टम अधिकारियों द्वारा कुछ सामान जैसे कि एक्सपोज्ड फिल्म रोल, सूती/रेशमी कपड़ा, महिलाओं के सूट और अन्य विविध सामान के बरामद किए जाने का पता चला। इस सभी सामान की बरामदगी लावारिस सामान के रुप में की गई थी। अटारी रेलवे स्टेशन पर जर्मन में बने कुछ रिवाल्वर भी बरामद किए गए थे।

कोयला विक्रय योजना

3324. श्री लक्ष्मीनारायण मणि त्रिपाठी : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा एल.एस.एस योजना के अंतर्गत कोयला विक्रय की योजना कब से शुरु की गई थी;

(ख) क्या इस योजना का प्रयोजन पूरा हो गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस योजना के अंतर्गत किन-किन प्रतिष्ठानों के माध्यम से कोयला बेचा जाता था; और

(ड.) इस योजना के अंतर्गत कोयला खरीदने के लिए किन-किन निकायों/एजेंसियों को योग्य पाया गया ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (ड.). उदारीकृत बिक्री योजना को सबसे पहले 1985 में कोल इंडिया लि. में आरंभ किया गया था जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति कतिपय विनिर्दिष्ट कोलियरियों/स्टाकयार्ड से 500 टन तक कोयले की खरीद कर सकता था। सितम्बर, 1990 में किसी भी व्यक्ति द्वारा एक बार में कोयले के उठान की मात्रा को बढ़ाकर 1000 टन तक कर दिया था। फरवरी, 1992 में कोल इंडिया लि. ने 10,000 टन तक की कोयले की कुछ मात्रा को थोक खरीददारों से पेशकश की थी।

खरीददारों के एक बड़े वर्ग, विशेष रुप से छोटे उपभोक्ताओं तथा स्व-रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए कोयले की एक समान तथा सुधरी हुई उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए उदारीकृत बिक्री योजना में और आगे सुधार करके संशोधित किया गया है। उदारीकृत बिक्री योजना के अंतर्गत सहायक कंपनियों के पास अब आर्डर बुक किए जा सकते हैं, जोकि योजना चलाएंगे। इच्छुक खरीददारों को उदारीकृत बिक्री योजना के अंतर्गत निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है :

1. वास्तविक उपयोगकर्ता
2. छोटे व्यापारी
3. थोक व्यापारी
4. सामान्य

संशोधित योजना के अंतर्गत, आर्डर बुक करने तथा प्रेषण करने के मामले में उदारीकृत बिक्री योजना के तहत प्रथम वरीयता वास्तविक उपयोगकर्ताओं को दी जाएगी, जोकि उनके द्वारा प्रायोजिता/संयोजन के एवज में प्राप्त की जा रही सामान्य आपूर्ति के अतिरिक्त अपने उपयोग के लिए कोयला प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी तथा तीसरी वरीयता कोयला कंपनियों के पास पंजीकृत छोटे व्यापारियों तथा थोक व्यापारियों को दी जाएगी।

उदारीकृत बिक्री योजना के अंतर्गत कोयला प्राप्त कर रहे कोयला व्यापारी/डीलर्स को ऐसे कोयले को उनके स्वयं के द्वारा निर्धारित कीमत पर बेचने की छूट होगी। उदारीकृत बिक्री योजना के अंतर्गत दिए गए कोयले के रेल द्वारा संचलन के लिए रेल मंत्रालय हाल ही में सहमत हो गया है।

उदारीकृत बिक्री योजना के अंतर्गत प्रत्युत्तर उत्साहजनक रहा है। 1986-87 के बाद की अवधि में उदारीकृत बिक्री योजना के अंतर्गत कोयले के उठान को नीचे दिया गया है :

वर्ष	(आंकड़े अनंतिम) उठान (लाख टन में)
1986-87	13.49
1987-88	17.39
1988-89	24.30
1989-90	13.50
1990-91	23.29
1991-92	41.38
1992-93	57.63
1993-94 (अप्रैल, 93 से फरवरी, 1994)	40.24

[अनुवाद]

कारों पर खर्चा

3325. श्री राम नाईक : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय द्वारा कुल कितनी बुलेट प्रूफ कारें रखी गई हैं;

(ख) 1991-92, 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान इन कारों पर कितना खर्च हुआ है;

(ग) किन मंत्रियों/व्यक्तियों को बुलेट प्रूफ कार दी जानी है, इसका निर्णय कौन करता है, और

(घ) कार आबंटन के लिए क्या मानदंड हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (घ). जिन व्यक्तियों को सुरक्षा को बहुत अधिक खतरा होता है उन व्यक्तियों को चयनात्मकता के आधार पर बुलेट प्रूफ कारें उपलब्ध कराई जाती हैं। सुरक्षा के प्रति धमकी और खतरे की उग्रता का सुरक्षा एजेंसियों द्वारा किया गया मूल्यांकन ही किसी व्यक्ति को बुलेट प्रूफ कार देने का आधार होता है। सुरक्षा की दृष्टि से और अधिक ब्यौरे बताना वांछित नहीं समझा जाता है।

पेट्रोल पंपों/डीजल खुदरा विक्रय केन्द्रों तथा रसोई गैस एजेंसियां

3326. श्री अर्जुन सिंह यादव : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

पिछले तीन वर्षों में कितने पेट्रोल पम्पों/डीजल खुदरा विक्रय केन्द्रों तथा रसोई गैस एजेंसियों का बिना बारी के आबंटन किया गया और उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा प्रत्येक मामले की परिस्थतियों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त मामलों में अनुकम्पा आधार पर 142 खुदरा बिक्री केन्द्र की डीलरशिपें तथा 179 एल.पी.जी. की डिस्ट्रीब्यूटरशिपें आबंटित की गई थीं।

कोयला उत्पादन

3327. श्री सनत कुमार : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड ने 1993-94 के लिए 220 मिलियन टन उत्पादन का अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कोयले की मासिक निकासी में कमी आई है; और

(घ) यदि हां, तो मुहाने पर जमा कोयल की मात्रा कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) वर्ष 1993-94 के दौरान कोल इंडिया लि. को 220 मि.टन लक्ष्य उत्पादन प्राप्त करने का अनुमान है जिसमें 4 मि.टन परित्यगित कोयला शामिल है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ग) कोयले के मासिक प्रेषण में उतार चढ़ाव होता रहता है। किन्तु अप्रैल, 1993 से फरवरी, 1994 की अवधि के दौरान 196.76 मि.टन संचित लक्ष्य की तुलना में 192.14 मि.टन संचित प्रेषण रहा। यह पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 3.9 प्रतिशत अधिक है।

(घ) कोयले के पिट-हैड स्टाक में कमी लाने के लिए कोयले के उत्पादन कार्यक्रम को कोयले की वास्तविक मांग को पूरा किए जाने के अनुरुप किया जाना चाहिए।

पाइपलाइन कोटिंग सौदा

3328. मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी :

श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 जनवरी, 1994 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "ओ.एन.जी.सी. मायर्ड इन कंट्रोवर्सी ओवर पाइप कोटिंग डील्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त समाचार में उल्लिखित आरोपों की जांच की है;

(ग) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने न्यूनतम बोली लगाने वालों को ठेके न देकर अन्य फर्मों को दिए हैं;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे मामलों की वर्ष-वार संख्या क्या है और प्रत्येक मामले में कितनी राशि अंतर्ग्रत है; और

(ड.) न्यूनतम बोलियों की अपेक्षा करने के कारण क्या हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). जी हां। समाचार में उल्लिखित संविदाओं के संबंध में ओ.एन.जी. सी. इस परियोजना के लिए वित्त पोषण करने वाली एजेंसी, एशिया विकास बैंक (ए.डी.बी.) की स्थापित निविदा शर्तों एवं दिशा निर्देशों का पालन कर रहा है।

(ग) ओ.एन.जी.सी. से पाइपरंगाई संबंधी संविदाएं एस.बी.एच.टी. परियोजना में निविदा शर्तों और ए.डी.बी. दिशा निर्देशों के तहत स्वीकार्य न्यूनतम बोली दाता को दी है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रसोई गैस के क्षेत्र में निजी कंपनियां

3329. श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल :

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

डा0 साक्षी जी :

श्री बीर सिंह महतो :

श्री आनन्द अहिरवार :

श्री रमेश चेन्नितला :

श्री आनन्द रत्न मौर्य :

श्री धर्मण्णा मोंड्डया सादुल :

श्री सनत कुमार मंडल :

श्री गोविन्दराव निकाम :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुछ निजी कंपनियों ने रसोई गैस की आपूर्ति के लिए गैस एजेंसियों के आबंटन हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन दिए हैं;

(ख) क्या इन कंपनियों की मांग के अनुसार कई इच्छुक व्यक्ति लाखों रुपये जमा करा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में किन-किन कंपनियों को मंजूरी दी है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा उन कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग). ऐसी रिपोर्टें देखने में आई हैं। समानान्तर विपणनकर्त्ताओं को अपनी स्वयं की शर्तों के अधीन डिस्ट्रीब्यूटर नियुक्त करने की छूट है और इसके लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

(घ) राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश सरकारों को कहा गया है कि वे समानान्तर विपणन प्रणाली के अंतर्गत कार्यकलाप शुरु करने के इच्छुक व्यक्तियों/एजेंसियों की वास्तविकता, पूर्ववृत्तों और क्षमताओं की पुष्टि करें तथा धोखाधड़ी पूर्ण और नाजायज व्यापार व्यवहार में लिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध यथोचित कार्रवाई करें। समानान्तर विपणनकर्त्ताओं की एक सूची एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार आयोग को भी भेजी गई है ताकि नाजायज व्यापार व्यवहार में लिप्त पाए गए विपणनकर्त्ताओं के विरुद्ध यथोचित कार्रवाई की जा सके।

[अनुवाद]

दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गये पाकिस्तान राष्ट्रिक

3330. श्री तारा सिंह :

श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :

श्री ताराचन्द खंडेलवाल :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्र में काफी संख्या में पाकिस्तानी राष्ट्रिक जाली पासपोर्टों के सहारे रहे हैं;

(ख) क्या दिल्ली पुलिस ने हाल ही में कुछ पाकिस्तानी राष्ट्रिकों को गिरफ्तार किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनकी प्रामाणिकता की जांच की है;

(घ) क्या सरकार का विचार भारत आने वाले अथवा यहां ठहरे हुए सभी पाकिस्तानी राष्ट्रिकों के पासपोर्टों और वीजाओं की जांच पड़ताल करने का है;

(ड.) क्या पाकिस्तानी राष्ट्रिकों की प्रामाणिकता जानने के लिए कोई प्रति-जांच प्रणाली मौजूद है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) कड़ी सतर्कता के बावजूद भी, कुछ पाकिस्तानी नागरिक जाली अथवा झूठे यात्रा दस्तावेजों/पारपत्रों के द्वारा भारत में प्रवेश करने में सफल हो जाते हैं।

(ख) और (ग) जी हां, श्रीमान्। दिनांक 2/3-3-94 को दिल्ली पुलिस ने चार पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया। प्रारम्भिक पूछताछ से उनके पाकिस्तानी नागरिक होने का पता चला है। तथापि, आगे की जांच का कार्य जारी है।

(घ) से (च) जैसा कि अन्य विदेशी नागरिकों के मामले में होता है, प्रवेश के समय पाकिस्तानी नागरिकों के पारपत्रों और वीजाओं की आप्रवासी चौकियों पर जांच की जाती है। बम्बई, दिल्ली और अटारी की आप्रवासी चौकियां, जोकि पाकिस्तानी नागरिकों के लिए 3 अनुमोदित मार्ग हैं, भी पाकिस्तानी नागरिकों के यात्रा दस्तावेजों की वास्तविकता की क्रास जांच, उनके पास उपलब्ध सामग्री के साथ करती है। भारत में ठहरे हुए पाकिस्तानी

नागरिकों के पारपत्रों/बीजाओं की और जांच राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा संबद्ध प्राधिकारियों के पास उनका पंजीकरण करते समय की जाती है।

एमनेस्टी इंटरनेशनल

3331. श्री गुरूदास कामत : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एमनेस्टी इंटरनेशनल आन्ध्र प्रदेश में मानवाधिकारों के कथित दुरुपयोग के मामलों में गहरी रूचि ले रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को संगठन की इन गतिविधियों की जानकारी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ.) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ङ.). यह सच है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल समय समय पर, आन्ध्र प्रदेश राज्य सहित देश के विभिन्न भागों से मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों को गृह मंत्रालय के पास भेजता आ रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने 'टार्चर, रेप और डेथ्स इन कस्टडी' शीर्षक से 1992 में प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में आन्ध्र प्रदेश राज्य में मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों के 32 मामलों का उल्लेख किया है। अभी हाल ही में, जनवरी, 1994 में उन्होंने आन्ध्र प्रदेश में मानवाधिकारों के उल्लंघन के 4 और मामले इस मंत्रालय को भेजे हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा भेजे गए मामलों के बारे में सरकार वास्तविक सूचना का पता लगाती है तथा उसे उपलब्ध कराती है।

[हिन्दी]

सूखे की समस्या का समाधान

3332. श्री एन.जे. राठवा : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात में विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में सूखे की समस्या के स्थायी समाधान के लिये कोई कार्य योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) से (ग). सूखा प्रवण क्षेत्रों सहित उन क्षेत्रों में जहां आवश्यक समझा जाता है, सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा सिंचाई परियोजनाएं तैयार की जाती हैं। केन्द्र ने सूखा प्रवण क्षेत्रों में सिंचाई प्रदान करने के लिए कोई अलग योजना नहीं बनाई है। तथापि, राष्ट्रीय जल बोर्ड की दूसरी बैठक में विचार विमर्श के आधार पर गुजरात राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह जनजातीय क्षेत्रों सहित सूखा

प्रवण क्षेत्रों में आने वाले उप-बेसिनों के जल संसाधन विकास के लिए मास्टर योजनाएं तैयार करने के वास्ते बहुविषयक यूनिटों की स्थापना करें। इसके अलावा सूखाप्रवण क्षेत्रों में भूजल के दोहन सहित एकीकृत जल विभाजक के विकास हेतु दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए समिति गठित करने का भी अनुरोध किया गया है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत सूखे के प्रभावों को कम करने के लिए भूमि, जल और वर्षापात सहित अन्य प्राकृतिक संसाधनों के विकास, संरक्षण और उन्हें काम में लाने के लिए गुजरात के आठ जिलों के 43 प्रखण्डों में निधियाँ निर्धारित की जा रही हैं।

|अनुवाद|

दक्षिण क्षेत्र में तेल की खोज तथा ड्रिलिंग

3333. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा दक्षिणी क्षेत्र में तेल की खोज तथा ड्रिलिंग हेतु कितनी राशि व्यय की गई है तथा इसी अवधि के दौरान इससे कितना राजस्व अर्जित किया गया;

(ख) 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान दक्षिणी क्षेत्र में कितनी मात्रा में तेल तथा गैस का उत्पादन किया गया तथा वर्ष 1994-95 के लिए भावी उत्पादन कितना है;

(ग) जनवरी, 1994 तक तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने कुल कितने बेसिनों की ड्रिलिंग की तथा इनमें से कितने में तेल तथा गैस की संभावना थी और वास्तव में कितने बेसिनों का अन्वेषण किया गया तथा उनकी सफलता का अनुपात क्या रहा; और

(घ) दक्षिणी क्षेत्र के उपरोक्त बेसिनों में से उन स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां पर तेल तथा गैस पाई गई?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान दक्षिणी क्षेत्र में तेल के अन्वेषण और वेधन के लिए ओ.एन. जी.सी. द्वारा व्यय की गई धनराशि निम्नवत है :

(करोड़ रुपये में)

1990-1991	1991-92	1992-93
400.06	474.67	425.66

गत तीन वर्षों के दौरान ओ.एन.जी.सी. द्वारा उत्पादों की बिक्री के माध्यम से अर्जित सकल राजस्व तथा राजस्व (सांविधिक उदगृहणों का निवल) निम्नतवृत है :

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	सकल राजस्व	राजस्व (उद्ग्रहणों का निवल)
1990-91	76.50	34.93
1991-92	82.51	44.14
1992-93	153.94	90.75

(ख) ओ.एन.जी.सी. कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा एस.आर.बी. सी. में 1992-93 तथा 1993-94 (अप्रैल, 93- जनवरी 94) के वर्षों के दौरान उत्पादित कच्चे तेल एवं गैस की मात्रा तथा वर्ष 1994-95 के लिए अनुमानित उत्पादन मात्रा निम्नवत है :

(तेल आंकड़े मि.मी. टन में तथा गैस आंकड़े एम.एम.एम. 3 में)

वर्ष	तेल	गैस
1992-93	0.35	550
1993-94 (अप्रैल, 93 से जनवरी, 94)	0.43	569
1994-95 (अनुमानित)	0.68	711

(ग) अंडमान, केरल-कोंकन, कावेरी एवं कृष्णा गोदावरी नामक चार बेसिनों का बेधन किया गया है। वेधित कूपों की संख्या 483 है। इनमें से 130 कूपों में हाइड्रोकार्बन प्रामणित हुए हैं।

प्रमाणित संभावनायुक्त क्षेत्रों का सफलता अनुपात इस प्रकार है :

कावेरी बेसिन	1:6.3
कृष्णा गोदावरी बेसिन	1:3.3
केरल कोंकन बेसिन	अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है।
अंडमान अपतट	1:9

(घ) कृष्णा-गोदावरी बेसिन में 32 संभावना वाले क्षेत्र तथा कावेरी बेसिन में 18 संभावना वाले क्षेत्र तथा अंडमान बेसिन में 1 संभावना वाले क्षेत्र में हाइड्रोकार्बन पाए गए हैं।

दिल्ली में मादक द्रव्यों का अवैध व्यापार

3334. श्रीमती सरोज दुबे :

श्री मंजय लाल :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अवैध रुप से बनायी गयी हिरोइन के एक बड़े प्रतिशत भाग का अवैध व्यापार दिल्ली में होता है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में मादक द्रव्यों के अवैध व्यापार में 1992 की अपेक्षा 1993 के दौरान अनुमानतः कितना प्रतिशत वृद्धि हुई;

(ग) मादक द्रव्यों के अवैध व्यापारियों को पहचानने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं, और

(घ) सरकार ने दिल्ली में मादक द्रव्यों के अवैध व्यापार को रोकने के लिये क्या कदम उटाये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि अवैध रुप से बनाई गई कुछ हैराईन दिल्ली से बाहर भेजी जाती हैं।

(ख) वर्ष 1992 और 1993 के दौरान दर्ज किए गए मामलों और गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या निम्नप्रकार है :

वर्ष	दर्ज किए गए मामलों की संख्या	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या
1992	902	926
1993	761	800

(ग) दिल्ली पुलिस द्वारा किए गए उपाय निम्नलिखित हैं :

(i) नशीली दवाओं का अवैध व्यापार करने वालों और उनके साथियों के रिकार्ड को रखना।

(ii) नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ऑफ दिल्ली के साथ निकट से सम्पर्क बनाए रखना।

(iii) नशीली दवाओं के अवैध व्यापार और उसमें लिप्त व्यक्तियों के बारे में आसूचना एकत्र करना।

(iv) अन्य एजेंसियों के साथ सूचना का आदान-प्रदान करके नशीली दवाओं का व्यापार करने वालों के संबंध में आसूचना को अद्यतन करना।

(घ) दिल्ली में नशीली दवाओं के अवैध व्यापार की रोकथाम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

(i) एक पुलिस उपायुक्त के अधीन दिल्ली पुलिस में एक पृथक नारकोटिक सैल की स्थापना की गई है।

(ii) एन.डी.पी.एस. अधिनियम और उससे संबद्ध कानूनों के प्रवर्तन के लिए अधिकारियों और कार्मिकों को प्रशिक्षण देना।

(iii) गैर-सरकारी संगठनों, यूनाइटेड नेशन्स ड्रग कंट्रोल प्रोग्राम्स और समाज कल्याण निदेशालय के अधिकारियों के साथ नियमित बैठकें की जाती हैं तथा नशीली दवाओं के खिलाफ लड़ाई का विस्तार करने के लिए योजनाएं तैयार की जाती हैं।

(iv) मुख्य रुप से स्लम और झुग्गी झौंपड़ी वाले क्षेत्रों में कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

(v) इस प्रकार के अपराधियों पर कड़ी निगरानी रखने और कानून के उपबंधों के अनुसार तुरन्त कानूनी कार्रवाई करने के लिए सभी फील्ड स्टाफ को उचित ढंग से ब्रीफ कर दिया गया है।

[हिन्दी]

भाषाओं को आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करना।

3335. श्री भीम सिंह पटेल :

श्री रामेश्वर पाटीदार :

श्री चन्द्रेश पटेल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भोजपुरी तथा मोती भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं तथा उसे कब तक सम्मिलित किए जाने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) से (ग). मामला सरकार के विचाराधीन है।

[अनुवाद]

गंगा कावेरी परियोजना

3336. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बाढ़ तथा सूखे पर नियंत्रण करने हेतु गंगा कावेरी परियोजना को आठवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) और (ख). आठवीं पंचवर्षीय योजना में गंगा को कावेरी के साथ जोड़ने का कोई प्रस्ताव नहीं है। डा. के.एल. राव द्वारा की गई कल्पना के अनुसार गंगा को कावेरी के साथ जोड़ने के प्रस्ताव पर इसकी निषेधात्मक लागत, बहुत बड़ी मात्रा में विद्युत की आवश्यकता तथा बाढ़ नियंत्रण लाभ न होने के कारण सरकार द्वारा कार्रवाई नहीं की गयी। तथापि, सरकार द्वारा तैयार किए गए जल संसाधनों के विकास के राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जल संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए अधिक जल वाले बेसिनों से कम जल वाले बेसिनों में जल अन्तरित करने के लिए विभिन्न प्रायद्वीपीय नदियों और हिमालयी नदियों के बीच अलग-अलग अन्तः सम्पकों की परिकल्पना की गई है। सरकार ने इन प्रस्तावों को सुदृढ़ करने के लिए वर्ष 1982 में राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की स्थापना की है। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा प्रायद्वीपीय घटक के अन्तर्गत 17 तथा हिमालयी घटक के अन्तर्गत 19 अर्थात कुल 36 जल अन्तरण सम्पर्कों का पता लगाया गया है। प्रायद्वीपीय घटक के अन्तर्गत 13 सम्पकों के कार्यालय अध्ययन पूरे हो गये हैं। शेष सम्पर्कों को आठवीं योजना में शामिल किया गया है। इनके अतिरिक्त, प्रायद्वीपीय घटक के 9 सम्पर्कों के सर्वेक्षण व अन्वेषण तथा हिमालयी घटक के तीन सम्पर्कों को अभिकरण के आठवी योजना कार्यक्रम में शामिल किया गया है।

भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड (गेल) की परियोजनाएं

3337. डा. के. वी. आर. चौधरी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक निवेश बोर्ड ने भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड (गेल) की दो बड़ी परियोजनाओं के विस्तार एच बी जे पाइपलाइन की क्षमता में वृद्धि तथा महाराष्ट्र में गेल की उसर परियोनाओं में रसोई गैस संयंत्र की स्थापना को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो परियोजनाओं में कितना निवेश किया गया है; और

(ग) आगामी तीन वर्षों में गेल की योजनाबद्ध कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). 2376 करोड़ रुपए और 319.59 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से क्रमशः एच बी जे पाइपलाइन के उन्नयन और उसर में एक एल पी जी संयंत्र की स्थापना को सरकार ने अनुमोदित कर दिया है।

(ग) उपर्युक्त परियोजनाओं के अलावा गैस अथारिटी आफ इंडिया लि. अगले तीन वर्षों में यू.पी. पेट्रोकेमीकल परियोजना, लकवा में एल पी जी संयंत्र, प्रोपेन रिकवरी प्रोजेक्ट और अनेक पाइपलाइन परियोजनाओं पर काम करेंगी।

कोचीन तेल शोधन कारखाने में वैगनों को नष्ट करना

3338. श्री मोहन रावले : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, 1993 को कोचीन तेल शोधक कारखाने में तेल भरते समय 15 डिब्बों में आग लग गई थी;

(ख) क्या वहां पर सितम्बर, 1993 में भी आग लगने के कारण कुछ डिब्बे नष्ट हो गए थे;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, और

(घ) इससे रेलवे को कितना नुकसान हुआ ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क). 30 नवम्बर, 1993 को आग का कुल मिलाकर 24 बोगियों पर पृथक-2 मात्रा में (18 पर पूर्णतः और 6 पर अंशतः) असर पड़ा।

(ख) 23 सितम्बर, 1993 को आग का कुल मिलाकर 34 बोगियों पर पृथक-पृथक मात्रा में (16 पर पूर्णतः और 18 पर अंशतः) असर पड़ा।

(ग) कोचीन रिफाइनरीज लि. और तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय के अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय जांच समिति ने इन दोनों दुर्घनाओं की जांच की । इस समिति की सिफारिशों के आधार पर इस संबंध में सुधारात्मक कार्यवाही करने के लिए प्रबन्धकों द्वारा आवश्यक उपाय किए गए हैं।

(घ) इन दुर्घटनाओं के कारण रेलवे को हुआ अनुमानित नुकसान लगभग 1.07 करोड़ रुपये है।

[हिन्दी]

दिल्ली को वित्तीय सहायता

3339. श्री प्रभु दयाल कठेरिया : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली सरकार ने अपने वित्तीय संकट से उबरने के लिए केन्द्रीय सरकार से अतिरिक्त धनराशि प्रदान करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के लिए शुरुआत में 109 करोड़ रु. की केन्द्रीय सहायता और अल्प बचत संग्रहणों पर 150 करोड़ रुपयों के ऋण सहित 1560 करोड़ रु. के योजनाकार के लिए योजना आयोग सहमत हो गया था। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के अनुरोध के आधार पर अब योजना आयोग, केन्द्रीय सहायता को बढ़ाकर 239.00 करोड़ रु. करने और अल्प बचत संग्रहण पर ऋण को बढ़ाकर 250 करोड़ रु. कर देने तथा योजनाकार को 1560 करोड़ रुपए रखने के लिए सहमत हो गया है।

बाल रोग संबंधी दवाओं में अल्कोहल का प्रयोग

3340. डा. साक्षी जी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक फार्मास्युटिकल कम्पनियां अपनी दवाइयों में 80 प्रतिशत से अधिक अल्कोहल का प्रयोग करके बाल रोग संबंधी दवाइयों का उत्पादन कर रहे हैं।

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इन कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

कश्मीर घाटी में आतंकवाद

3341. श्री गुमान मल लोढा :

श्री श्रवण कुमार पटेल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कश्मीर घाटी का आतंकवाद जम्मू के कुछ हिस्सों तक भी पहुंच गया है;

(ख) यदि हां, तो कब से ऐसा है;

(ग) क्या जम्मू और कश्मीर के डोडा जिले में हाल ही आतंकवादी गतिविधियों में वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो इस स्थिति का सामना करने के क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (घ). 1992 के उत्तरार्ध से, उग्रवादियों द्वारा जम्मू क्षेत्र और विशेष रुप से डोडा जिले में हिंसा फैलाने से लगातार प्रयास किए गए। इस क्षेत्र में हिंसा में हुई बढ़ौत्तरी को ध्यान में रखते हुए, डोडा जिले में सुरक्षा बलों की उपस्थिति में पर्याप्त वृद्धि की गई हैं और क्षेत्र से उग्रवादियों को खदेड़ने और लोगों में विश्वास की भावना बहाल करने के लिए समन्वित अभियान चलाए गये।

जम्मू और कश्मीर में अपहरण।

3342. श्री गुमान मल लोढा :

श्री उदयसिंह राव गायकवाड़ :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993 और 1994 के दौरान अब तक जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों ने कितने नागरिकों का अपहरण किया है और कितने मूल्य की संपत्ति लूटी है अथवा नष्ट की है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्य में माहवार कितने अधिकारियों का अपहरण किया गया;

(ग) उनकी रिहाई सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार राज्य में ऐसी घटनाओं को रोकने हेतु कुछ कड़े उपाय करने का है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 1993 के दौरान जम्मू और कश्मीर में आंतकवादियों द्वारा 242 सिविलियनों का अपहरण किया गया, जबकि जनवरी-फरवरी, 1994 के दौरान 37 सिविलियनों का अपहरण किया गया। बताया गया कि वर्ष, 1993 के दौरान आंतकवादी हिंसा में 1100 से अधिक निजी मकान और 400 दुकानों को हानि पहुंचायी गई, जबकि जनवरी-फरवरी, 1994 के दौरान लगभग 70 निजी मकानों और दुकानों को क्षति पहुंचाये जाने की रिपोर्ट है।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 1993 में आंतकवादियों द्वारा 56 सरकारी अधिकारियों का अपहरण किया गया, जबकि जनवरी-फरवरी, 1994 के दौरान 12 अधिकारियों का अपहरण किया गया।

(ग) से (ङ) अपहरण के मामलों में, ऐसे व्यक्तियों के बचाव/छुड़ाने के लिए हर-संभव प्रयास किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जिन अधिकारियों को उग्रवादियों से खतरा होता है, उन्हें उपयुक्त सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसके अलावा सामरिक स्थानों पर सुरक्षा टुकड़ियां तैनाती की गई हैं और अपहरण सहित आंतकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए गहन गस्त लगायी जा रही हैं।

12.22 म.प.

अध्यक्ष महोदय : अब शून्य काल शुरु होता है।

श्री नीतीश कुमार (बाढ) : महोदय, शून्य काल की अब मान्यता है।

अध्यक्ष महोदय : इस शून्यकाल में सभी अमान्यता प्राप्त कार्य किये जाते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, अभी अटल जी ने पत्ता काटा था और अभी ये हमारा पत्ता काट रहे हैं। ..... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : राम विलास पासवान जी, केवल मैंने ही ऐसा नहीं कहा है बल्कि सभी सदस्य ऐसा कह रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान प्रैस की आजादी की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। बंबई, औरंगाबाद और जहां से आप आते हैं तो वहां पर शिव-सेना द्वारा प्रैस की आजादी के लिए खतरा उत्पन्न किया गया है जिससे पत्रकार डरे हुए हैं। मैं वहां गया था और वहां का मुख्य पत्र 'दोपहर का सामना' मेरे पास है। शिव-सेना के इस पत्र को डीएवीपी मिलता है और आपने पढ़ा होगा कि वहां पर पत्रकारों का पीटा जा रहा है और उनको किस तरीके अखबार बेचने से रोका जा रहा है और किस तरीके से बड़े पत्रकारों को गाली दी जा रही है इसलिए अखबार के लोगों ने बायकाट किया हुआ है। मैंने सलाहकार समिति में इस मामले को उठाया था इसलिए मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि समाचार पत्रों की आजादी के लिए खतरा उत्पन्न हो रहा है और प्रैस को डराया जा रहा है तो उनको किसी तरह से डीएवीपी की मदद न दी जाए। महाराष्ट्र की सरकार शिव-सेना के साथ मिली हुई है जिससे लोकतंत्र की हत्या हो रही है और प्रैस की आजादी को खत्म करने पर तुले हुए हैं। शिव-सेना के प्रधान श्री बाल ठाकरे के खिलाफ सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। मैं मांग करता हूं कि सरकार आश्वासन दे कि इस देश में प्रैस की आजादी अक्षुण्ण रहेगी। .... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री भू. विजय कुमार राजू (नरसापुर) : महोदय, कल मैंने विशेषाधिकार के प्रस्ताव की सूचना दी थी। मैं जानना चाहता हूं कि इसका क्या हुआ।

अध्यक्ष महोदय : जब तक मैं अनुमति नहीं दूंगा आप इस मुद्दे को नहीं उठा सकते। मैं आप को यह कहुंगा कि सूचना में जो तथ्य आपने दिये हैं उससे विशेषाधिकार का प्रस्ताव नहीं बनता। ....

(व्यवधान)

श्री भू. विजय कुमार राजू : यह एक पहत्वपूर्ण मामला है। कृपया मुझे सलाह दीजिये। मुझे नियमों के बारे में जानकारी नहीं है। मैं आपके आदेशों का पालन कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपको यह समझना चाहिए कि इन सभी बातों के लिए मुझसे कारण बताने की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। यदि आप ऐसा चाहते हैं मैं अपने कक्ष में आपको इस बारे में स्पष्ट करूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री नारायणन का नाम पुकारा है।

श्री पी. जी. नारायणन (गोबिचेट्टिपालयम) : अध्यक्ष महोदय, कल राज्यपाल ने ....

अध्यक्ष महोदय : आप इस मामले को नहीं उठा सकते।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नारायणन जी, आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। यदि आप राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, राज्यपाल, अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारियों के विरुद्ध कुछ भी कहना चाहते हैं तो इसके लिए संविधान में एक विशेष प्रक्रिया दी गई है जिसका आपको पालन करना है। उसके बिना आप ऐसा नहीं कर सकते।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह संभव नहीं है। हम मुख्य मंत्री के विरुद्ध भी ऐसी चर्चा की अनुमति नहीं देते राज्यपालों की तो बात ही क्या।

(व्यवधान)

श्री रुपचन्द पाल (हुगली) : देश में भूख से हुई किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हम सभी के लिए गंभीर चिन्ता का विषय है। विशेष रुप से तब जब ऐसा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की किसी इकाई में हुआ हो। ऐसा दक्षिण असम के करीमगंज जिले के पटनी असम, में हुआ है। मैं असम से सम्बन्धित माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं कि भारतीय चाय व्यापार निगम ने पटनी चाय बगान में अपने कर्मकारों को भुगतान नहीं किया है और वहां पर राशन भी नहीं पहुंच पाया है। मजदूरी का भुगतान न करने के परिणामस्वरुप नौ से अधिक कर्मकारों की पहले ही मृत्यु हो चुकी है और सैकड़ों कर्मकार भूखे मर रहे हैं तथा मौत के कगार पर हैं। चाय बागान के महा प्रबन्धक ने प्राधिकारियों को पहले ही एक तात्कालिक संदेश भेज दिया है। परन्तु आज तक राशन नहीं पहुंचा है और मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है। इन परिस्थितियों में मेरा सरकार से आग्रह है कि वह भारतीय चाय व्यापार निगम के चाय बागानों के कर्मकारों के जीवन की रक्षा करें। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया उकसाइए नहीं। .... **(व्यवधान)** ....

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, मैंने इस मामले को सभा में कई बार उठाया है। परन्तु पुनः यह मामला आया है। समाज विरोधी तत्वों ने गृहिणी को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया। यह एक अत्यन्त गंभीर मामला है। प्रतिदिन ऐसा हो रहा हैं।

अध्यक्ष महोदय : हमने उस विषय पर चर्चा करने का निर्णय लिया है।

कुमारी ममता बनर्जी : परसों हुगली जिले की एक गृहिणी श्रीमती पल्लानी चटर्जी को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया क्योंकि उन्होंने उन समाज विरोधी तत्वों को पैसा देने से इंकार कर दिया जो उनसे पैसा मांग रहे थे। उन लोगों ने उनको धमकी दी थी। अनेक घटनाएं हो रही हैं।

अध्यक्ष महोदय : इसके प्रति हमारी पूरी सहानुभूति है।

कुमारी ममता बनर्जी : ऐसा पश्चिम बंगाल त्रिपुरा और देश के अन्य भागों में प्रतिदिन ही हो रहा है। मेरं विचार से सभा को इसकी भर्त्सना करनी चाहिए। कब तक महिलाएं इस प्रकार शिकार बनती रहेंगी ?.... **(व्यवधान)**

श्री रुपचन्द पाल : मैंने आज प्राधिकारियों से बोला हैं .... **(व्यवधान)** ....

कुमारी ममता बनर्जी : मैं कांग्रेस अथवा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) की बात नहीं कर रही हूं। आप इस मुद्दे को राजनैतिक रुप दे रहे हैं। मैं इस मामले को राजनैतिक रंग नहीं दे रही हूं। वह इसका समर्थन कर रहे हैं। .... **(व्यवधान)**

श्री रुपचन्द पाल : मैंने अपने चिन्ता बता दी है। मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा हूं। ..... **(व्यवधान)**

कुमारी ममता बनर्जी : यह कब तक जारी रहेगा। चिल्लाने की बजाय उन्हें महिलाओं की समस्याओं का समर्थन करना चाहिए। मैं उन्हें दोष नहीं दे रही हूं। मैं प्रशासन को दोष दे रही हूं क्योंकि पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। इसीलिए समाज विरोधी तत्व ये सब कर रहे हैं। समाज विरोधी तत्व ये सभी शरारती कार्यवाही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रशासन कोई उचित कार्यवाही नहीं कर रहा है। ..... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। जो मामला आप सभा के समक्ष लेकर आयी हैं, हमें उसके प्रति पूरी सहानुभूति है। और मेरे विचार से, यदि ऐसी बातें होती हैं तो हमें उन सभी लोगों के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए जो इस प्रकार की घटनाओं के शिकार हुए हैं और माननीय सदस्य ने किसी के भी विरुद्ध कुछ नहीं कहा है। उन्होंने इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर प्रकाश डाला है जो घटी हैं हमें इसकी प्रशंसा करनी चाहिए।

(व्यवधान)

डा. सुधीर राय (बर्दवान) : वे प्रतिदिन इस मामले को कैसे उठा सकती हैं ? ..... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाईये। .... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : बहुत हो चुका है। मैं आपके विरुद्ध कार्यवाही करूंगा।

डा. सुधीर राय : हां, आप कह सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके विरुद्ध कार्यवाही करूंगा। बहुत हो चुका है।

मेरे विचार से ऐसे मामले इस सभा के समक्ष बार-बार आ रहे हैं और विभिन्न दलों के सदस्य इस मामले को मेरी जानकारी में ला रहे हैं। मेरे विचार से ये महत्वपूर्ण मामले हैं परन्तु दुर्भाग्य से स्थिति और समय की कठिनाईयों के कारण सभी मामलों पर सभा में चार्ज नहीं की जा सकती। ऐसे मामलों का समाधान यह है कि पुलिस से सम्पर्क किया जाये और यदि पुलिस इस बारे में ध्यान नहीं देती तो वे लोग जिनके मन में उन लोगों के प्रति सहानुभूति है जो इन घटनाओं का शिकार हुए हैं, स्वयं ही अदालत में जाकर निजी शिकायत दायर कर सकते हैं। उन्हें भविष्य में इस प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। .... **(व्यवधान)**

श्री रुपचन्द पाल : महोदय, प्रशासनिक कार्यवाही पहले ही की जा चुकी है। .... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके विरुद्ध कार्यवाही करूंगा। मैं इसे दोहराऊंगा नहीं। आप पहले बैठ जाईये। मैं इस प्रकार की बातों की तारीफ नहीं कर सकता। आपने भी इसी प्रकार का मामला उठाया है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय .....

अध्यक्ष महोदय : आपको अपने दल के सदस्यों को मामलों को उचित तरीके से उठाने के लिए समझाना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री अनिल बसु : (आरामबाग) : वे इसी प्रकार के मामले प्रतिदिन उठा रही हैं। और सभा में विघ्न डाल रही हैं। .... **(व्यवधान)**

श्री सैफुद्दीन चौधरी : आपने इस अत्यन्त शर्मनाक मामले पर बहुत सही रुप में अपने विचार व्यक्त कर दिये हैं। देश के किसी भी भाग में हमारी महिलाओं का अपमान हम सभी के लिए वास्तव में चिन्ता का विषय है। हम सभी इस बारे में चिन्तित हैं। हमें इस दिशा में सतर्क होना चाहिए कि इस प्रकार की समाज विरोधी गतिविधियों को रोका जाये। परन्तु प्रश्न यह है कि ऐसे मामलों को राजनैतिक रुप नहीं दिया जाना चाहिए। हम सभी इस मुद्दे पर सहमत हैं। जब इस प्रकार के मुद्दे उठाए जाते हैं और यह कहा जाता है कि केवल पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में ही इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, तब मेरे विचार से यह ठीक नहीं है। हमें यह समझना चाहिए कि तब यह वास्तव में चिन्ता प्रकट करना नहीं है बल्कि उसे एक राजनैतिक रुप देना है।

अध्यक्ष महोदय : आपके सदस्य ने भी उड़ीसा का उल्लेख किया था और आपको भी उन्हें इस बारे में बता देना चाहिए।

कृपया समझने का प्रयत्न कीजिए कि जब वास्तव चिन्ता व्यक्त की जा रही हो तो हम आप सभी के विचारों में सामन्जस्य बिठाने का प्रयत्न करते हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : यदि कोई यह समझता है कि इस प्रकार की घटनाएं कतिपय विशेष क्षेत्रों में ही घट रही हैं तब ठीक है हम इन क्षेत्रों का पता लगा कर उन पर ध्यान केन्द्रित कर सकते हैं और अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही कर सकते हैं। इसलिए मैं यह कह रहा हूं कि ऐसी घटनाओं को राजनैतिक रुप नहीं दिया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा (रामपुर) : अध्यक्ष जी, देश भर में 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 14500 शाखाओं में कार्य हो रहा है लेकिन रोजाना इसमें एक करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है। इस घाटे को खत्म करने के लिए आल इंडिया बैंक्स आर्गनाइजेशन ने वित्त मंत्रालय के सामने एक योजना प्रस्तुत की थी जिसकी 13.5.92 को वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के सामने सहमति भी प्रकट की गई। इसके पश्चात् 20.8.1994 को गवर्नर, रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने भी अपनी सहमति प्रदान की थी। मैं यहां यह भी बताना चाहूंगा कि वित्त मंत्री ने भी सभी राजनैतिक दलों के सांसदों के सामने सहमति प्रकट की थी। यहां तक कि संसद की स्थायी समिति ने 23.12.93 को जो रिपोर्ट संसद के पटल पर प्रस्तुत की उसने भी इस संबंध में पुरजोर सिफारिश की थी। लेकिन वित्त मंत्रालय की ओर से अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है।

अध्यक्ष महोदय : आप जनरल बजट पर आज से डिसकशन कर रहे हैं, उसमें ये सब बोलें।

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : इसके कारण 29 मार्च से इनकी राष्ट्रव्यापी हड़ताल होने जा रही है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस पर वित्त मंत्रालय द्वारा कार्यवाही की जाए।

|अनुवाद|

श्रीमती सुशीला गोपालन (चिरयिंकिल) : केरल में पॉम आयल के सौदे के बारे में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में राज्य को वास्तव में 6.5 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

अध्यक्ष महोदय : श्री सैफुद्दीन क्या यह राजनीतिक मामला नहीं है ? आप ये सब बातें कैसे जानते हैं ?

(व्यवधान)

श्रीमती सुशीला गोपालन : नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एक संवैधानिक निकाय का प्रमुख है। उन्होंने केवल अपना संवैधानिक कर्तव्य निभाया है। परन्तु अब केन्द्रीय मंत्री श्री कृष्ण कुमार इस सौदे में शामिल लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने के बजाए जिनसे राज्य को काफी नुकसान हुआ, उनके खिलाफ कार्यवाही करने की उनको धमकी दे रहे हैं। इस महान सभा को हस्तक्षेप करना चाहिए।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : यह बहुत ही आपत्तिजनक है। .... **(व्यवधान)**

श्री पी. सी. चाक्को (त्रिचूर) : मैं श्रीमती सुशीला गोपालन से सहमत हूं। केरल सरकार ने जिस मूल्य पर पॉम आयल खरीदा था पश्चिम बंगाल सरकार ने उससे अधिक मूल्य पर खरीदा। इसकी जांच की जानी चाहिए। .... **(व्यवधान)**

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : श्री चाक्को को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को इसकी जांच के लिए लिखना चाहिए। .... **(व्यवधान)***

अध्यक्ष महोदय : ये टिप्पणियां कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं की जाएंगी। अब श्री काले बोलेंगे। केवल श्री काले की टिप्पणियां कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित की जाएंगी।

श्री शंकरराव दें काले (कोपरगांव) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं इस महान सभा के समक्ष निवेदन करता हूं और खुले सामान्य लाइसेंस (ओजी एल) के अन्तर्गत चीनी आयात के निर्णय के बारे में सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए माननीय खाद्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

खाद्य मंत्रालय ने बिना किसी सीमाशुल्क के खुले सामान्य लाइसेंस (ओ जी एल) के अन्तर्गत चीनी का आयात करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। इस निर्णय ने भारतीय चीनी उद्योग को वित्तीय तथा आर्थिक दोनों तरह से बहुत नुकसान की स्थिति में डाल दिया है। इस निर्णय से मुख्यतः सहकारी चीनी मिलों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। सरकार की विधमान नीति के अनुसार, किसी मिल द्वारा कुल उत्पादित चीनी का 40 प्रतिशत रियायती दर पर सार्वजनिक वितरण के लिए सरकार को दिया जाता है। जिसकी दर लागत मूल्य से अत्यधिक कम है। इस प्रणाली के कारण चीनी उद्योग पहले से ही भारी घाटे का सामना कर रहा है। इस घाटे को पूरा करने के लिए, सरकार ने चीनी उद्योग को उत्पादन के शेष 60 प्रतिशत चीनी की मुक्त बिक्री की अनुमति दी है। चीनी उत्पादन के 60 प्रतिशत की खुली बिक्री की अनुमति देने के पीछे सरकार का आशय केवल यह है कि 40 प्रतिशत चीनी बहुत ही रियायती दर पर दिये जाने के कारण होने वाले घाटे को पूरा किया जा सके।

(*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।)

परन्तु खुले सामान्य लाइसेंस (ओजीएल) के अन्तर्गत चीनी का आयात करने की अनुमति दिये जाने सम्बन्धी सरकार के नवीनतम निर्णय से चीनी उद्योग को चीनी की दर कम करने के लिए विवश होना पड़ेगा। जिससे चीनी उद्योग के लिए विशेषकर सहकारी क्षेत्र के लिए एक और वित्तीय कठिनाई होगी। चीनी उद्योग उत्पादित चीनी में से 60 प्रतिशत चीनी को खुले बाजार में बेचकर घाटा पूरा नहीं कर पाएगा और इसके बदले गन्ना पैदा करने वाले किसान अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त नहीं कर पाएंगें। इस तरह खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत चीनी का आयात करने की अनुमति दिये जाने सम्बन्धी सरकार के नवीनतम निर्णय के कारण सहकारी चीनी मिलों को अपनी मिलें बन्द करने के लिए विवश होना पड़ेगा। इससे किसान निश्चित रुप से हतोत्साहित होंगे और आने वाले मौसमों में इससे केवल गन्ने की खेती में कमी आएगी। अन्ततोगत्वा गरीब किसानों को ही नुकसान होगा।

अतः में आपके जरिए माननीय कृषि मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह भारतीय किसानों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए, जिनकी हमारे देश में काफी जनसंख्या है, खुले सामान्य लाइसेंस (ओ जी एल) के अन्तर्गत चीनी का आयात किये जाने की अनुमति दिये जाने पर फिर से विचार करें। स्वयं एक किसान होने के नाते मैं इन लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ सकता हूं।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का और सरकार का ध्यान एक लोक-महत्व के अति आवश्यक विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। लेह में सेना के एक तीस वर्षीय मेजर संजय कुमार वर्मा की जिन परिस्थितियों में मौत हुई है, वह आज भी चर्चा का विषय बना हुआ है। अध्यक्ष जी, सेना का एक जवान जो कि 1985 में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एन.डी.ए. जैसी संस्था से प्रशिक्षण प्राप्त करके मेजर बना था, उस तेज तर्रार, कुशल मेजर की जिन परिस्थितियों में आग से झुलस जाने के कारण मौत हुई, वह आज सबके मन में गंभीर चिन्ता का विषय बना हुआ है। यहां तक कि उस मेजर के अभिभावक और उसकी पत्नी तक को मृत्यु के अगले रोज भी उनके सामाजिक और पारिवारिक रीति-रिवाजों के अनुसार अन्त्येष्टि नहीं करने दी गयी। मेजर के पार्थिव शरीर को देखने का मौका भी उसके परिवारजनों को नहीं दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : देखिये, इस तरह की बातों की काम्पलीकेशन्स को बिना समझे हुये आप यहां जिस तरह का स्टेटमेंट कर रहे हैं और जिस प्रकार की दवाई देना चाहते हैं, उससे मर्ज और बढ़ जायेगा। मैं चाहता हूं कि आप रक्षा मंत्री जी से सम्पर्क करें और वे इसका नोट लेंगे ।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : यह बहुत ही सीरियस मामला है, सर और एक विशाल संगठन से संबंधित है।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई म्युनिसिपैलिटी नहीं है। आप समझने की कोशिश कीजिये।

[अनुवाद]

यह रक्षा सम्बन्धी मामला है। आप रक्षा मंत्री से बात कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में पिछले तीन महीनों से जिस तरह का उत्पीड़न हो रहा है, इसके आधार पर मैं बहुत पीड़ा से कहना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र ललितपुर में पिछड़े वर्ग से संबंधित 80 वर्षीय एक व्यक्ति को, जिसे लकवा मार गया था, जिस तरह अपमानित किया गया, उसके परिवारजनों और उसके बच्चे को जिस अपमानजनक स्थिति को बर्दाश्त करना पड़ा, जिसके कारण उसका बच्चा राम सिंह आत्महत्या करने पर मजबूर हो गया, यह बड़ी दुखद स्थित है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि उस बच्चे को जिन रहस्यमय परिस्थितियों में आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा, जिस रहस्यमय ढंग से उसकी आत्महत्या हुई, माननीय गृह मंत्री जी उस सम्पूर्ण प्रकरण की जांच करायें और उसके उपरांत जो भी तथ्य सामने आये, उसके आधार पर कार्यवाही की जाये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभापटल पर पत्र रखे जाएंगे।

12.43 म.प.

सभापटल पर रखे गए पत्र

मानव संसाधन विकास मंत्रालय की 1994-95 की अनुदानों की विस्तृत मांगे

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : महोदय, मैं श्री अर्जुन सिंह की ओर से मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वर्ष 1994-95 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी.5558/94)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की 1994-95 की अनुदानों की विस्तृत मांगे।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : महोदय, मैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वर्ष 1994-95 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(ग्रन्थालय में रखी गई है। देखिए एल.टी. सं. 5559/94)

राजभाषा संबंधी संसदीय समिति - (भाग-5) : अध्याय 1-14 और उपाबन्ध) -1992 का प्रतिवेदन

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : महोदय, मैं श्री एस.बी. चव्हाण की ओर से राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 की उपधारा (3) के अंतर्गत राजभाषा संबंधी संसदीय समिति (भाग - 5) अध्याय 1-14 और उपाबन्ध) - 1992 के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए सं. एल टी. 5560/94)

अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फार दि हियरिंग हैंडीकैप्ड, मुम्बई का वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा सरकार द्वारा उसके कार्यकरण की समीक्षा तथा इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण आदि।

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंग्का बालू) : मैं, श्री सीताराम केसरी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं।

(1) (एक) अली यावर जंग नेशनल इंस्टिट्यूट फार दि हियरिंग हैंडीकैप्ड, मुम्बई का वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अली यावर जंग नेशनल इंस्टिट्यूट फार दि हियरिंग हैंडीकैप्ड, मुम्बई के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए सं. एल टी 5561/94)

(3) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट फार दि आर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड, कलकत्ता के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट फार दि आर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड, कलकत्ता के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए सं. एलटी 5562/94)

(5) (एक) राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसन्धान संस्थान, कटक के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसन्धान संस्थान, कटक के वर्ष 1992-93 के कार्यरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए सं. एलटी 5563/94)

(7) (एक) केन्द्रीय वक्फ परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(दो) केन्द्रीय वक्फ परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) केन्द्रीय वक्फ परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए सं. एल टी 5564/94)

(9) (एक) भारतीय पुनर्वास परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय पुनर्वास परिषद् नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये सं एल.टी. 5565/94)

(11) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम, कानपुर के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम, कानपुर का वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये सं एल.टी. 5566/94)

रसायन और उर्वरक मंत्रालय की 1994-95 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : महोदय, मैं श्री राम लखन सिंह यादव की ओर से रसायन और उर्वरक मंत्रालय की वर्ष 1994-95 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(ग्रन्थालय में रखी गई। दखिये सं. एल.टी. 5567 /94)

कोयला मंत्रालय की 1994-95 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजीत पांजा) : महोदय, मैं कोयला मंत्रालय की वर्ष 1994-95 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. - 5568/94)

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की 1994-95 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरा) : महोदय, मैं कैप्टन सतीश शर्मा की ओर से पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की वर्ष 1994-95 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए सं. एल. टी. 5569/94)

जल संसाधन मंत्रालय की 1994-95 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

शहरी विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : महोदय, मैं जल संसाधन मंत्रालय की वर्ष 1994-95 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभापटल पर रखता हूं।

(ग्रंन्थालय में रखी गई। देखिए सं. एल.टी. - 5570/94)

विदेश मंत्रालय की 1994-95 की अनुदानों की विस्तृत मांगें आदि।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुनन्दन लाल भाटिया) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :

(1) विदेश मंत्रालय की वर्ष 1994-95 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए सं. एल. टी. 5571/94)

(2) प्रत्यर्पण (संशोधन) अधिनियम, 1993 की धारा 1 की उपधारा (3) के अंतर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 757 (अ), जो 18 दिसम्बर, 1993 के भारत के राजपत्र, में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 18 दिसम्बर, 1993 को उक्त अधिनियिम को लागू करने की तारीख के रुप में नियत किया गया है; की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए सं. एल. टी. 5572/94)

(3) प्रत्यपर्ण अधिनियम, 1962 की धारा 35 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 790 (अ), जो 30 दिसम्बर, 1993 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें भारत गणराज्य की सरकार की युनाईटिड किंगडम आफ ग्रेट ब्रिटेन एण्ड नार्दर्न आयरलैंड की सरकार के बीच प्रत्यर्पण सॊंध सम्मिलित है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए सं. एल. टी. 5573/94)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट आंफ नेचरोपेथी, पुणे के वर्ष 1991-92 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ नेचरोपेथी, पुणे के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए सं. एल. टी. 5574/94)

(3) (एक) सेन्ट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन योगा एण्ड नेचरोपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 1991-92 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल कांउसिल आफ रिसर्च इन योगा एण्ड नेचरोपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए सं. एल. टी. - 5575/94)

(5) (एक) कैंसर हॉस्पिटल और शोध संस्थान, ग्वालियर के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कैंसर हास्पिल और शोध संस्थान, ग्वालियर के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5576/94)

(7) (एक) नई दिल्ली क्षय रोग केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नई दिल्ली क्षय रोग केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए सं. एल.टी. 5577/94)

12.44 म.प.

राज्य सभा से प्राप्त संदेश

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा को देनी है :

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे विनियोग (रेल) लेखानुदान विधेयक, 1994 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 9 मार्च, 1994 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के सम्बन्ध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

(दो) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उपनियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे विनियोग (रेल) विधेयक, 1994 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 9 मार्च, 1994 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफ़ारिशों के लिए भेज गया थ, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के सम्बन्ध में कोई सिफारिशें नहीं करनी है।"

(तीन) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे जम्मू-कश्मीर विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1994 को जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 9 मार्च, 1994 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के सम्बन्ध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

(चार) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उपनियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे जम्मू-कश्मीर विनियोग विधेयक, 1994 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 9 मार्च, 1994 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के सम्बन्ध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

(पांच) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उपनियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे मणिपुर, विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1994 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 9 मार्च, 1994 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के सम्बघ में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

(छः) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उपनियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे मणिपुर विनियोग विधेयक, 1994 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 9 मार्च, 1994 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी

सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के सम्बन्ध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

12.45 म.प.

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

भारत के उच्चतम न्यायालय से प्राप्त नोटिस

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को यह सूचित करना है कि 9 मार्च, 1994 को 1993 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 246 के मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय के सहायक पंजीकार से एक नोटिस प्राप्त हुआ था जिसमें लोक सभा के महासचिव से रिट याचिका को स्वीकार करने के विरुद्ध कारण बताने के लिए व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने कांउसेल के माध्यम से उच्चतम न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा गया है। इस रिट याचिका में अन्य बातों के साथ-साथ संसद् सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954, - 1982 तक यथा संशोधित देखिए संसद् सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन), अधिनियम, 1982 - की धारा 8 क की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है।

सभा की सुस्थापित प्रथा और परम्परा के अनुसार लोक सभा के महासचिव को नोटिस का उत्तर न देने के लिए कहा गया है। विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री से यह अनुरोध किया गया है कि वह भारत के उच्चतम न्यायालय को सही संवैधानिक स्थिति और सभा की सुस्थापित परम्पराओं से अवगत कराने के लिए ऐसी कार्यवाही करें जैसी कि वह उचित समझें।

12.46 म.प.

लोक लेखा समिति

तिरसठवां प्रतिवेदन

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : महोदय, मैं निर्यात संसाधन क्षेत्रों के संबंध में 10वें प्रतिवेदन (10वीं लोक सभा) पर की गई कार्यवाही सम्बन्धी, लोक लेखा समिति का तिरसठवां प्रतिवेदन हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूं।

12.46-½ म.प.

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

अठ्ठाईसवां प्रतिवेदन

श्री रमेश चेन्नित्तला (कोट्टायम) : महोदय, मैं भारतीय चाय व्यापार निगम लिमिटेड-संयुक्त उद्यम कम्पनी की स्थापना, निर्यात अनुबंधों तथा अग्रिमों के अनियमित भुगतान के संबंध में सरकारी उपक्रमों संबंधी

समिति के तीसरे प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही से संबंधित अट्ठाइसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

12.47 म.प.

ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित स्थायी समिति

तीसरा प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़) : महोदय, मैं नब्बे के दशक और उसके बाद के लिए ऊर्जा संभावनाएं, वास्तविकता और चुनौतियों के बारे में ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित स्थानीय समिति का तीसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) और तत्संबंधी समिति/उप-समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं।

12.47-½ म.प.

गृह मंत्रालय से संबंधित स्थायी समिति

(एक) सातवां और आठवां प्रतिवेदन

श्री किरिप चालिहा (गुवाहाटी) : महोदय, मैं गृह मंत्रालय से संबंधित स्थायी समिति का क्रमशः केन्द्रीय जांच ब्यूरो और केन्द्रीय सतर्कता आयोग के बारे में सातवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा विनिर्दिष्ट क्षेत्र (निवासियों को पहचान-पत्र जारी किया जाना), विधेयक, 1993 के बारे में आठवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(दो) साक्ष्य

श्री किरिप चालिहा (गुवाहाटी) : मैं, केन्द्रीय जांच ब्यूरो और केन्द्रीय सतर्कता आयोग के कार्यकरण के बारे में गृह मंत्रालय से संबंधित स्थायी समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य की एक प्रति सभा पर रखता हूं।

[अनुवाद]

12.48-½ म.प.

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन मंत्रालय से संबंधित स्थायी समिति

सातवां प्रतिवेदन

श्री आर. आर. प्रमाणिक (मथुरापुर) : महोदय, मैं महासागर विकास विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन (1992-93) के बारे में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन मंत्रालय से संबंधित स्थायी समिति के सातवें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

12.49 म.प.

[अनुवाद]

आदिवासी क्षेत्रों में सिंचाई के संबंध में तारांकित प्रश्न संख्या 316, दिनांक 23.12. 1993 के उत्तर को शुद्ध करने वाला विवरण

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : मैं आदिवासी क्षेत्रों में सिंचाई के संबंध में 23 दिसम्बर, 1993 को तारांकित प्रश्न संख्या 316 (वरीयता संख्या 16) के उत्तर में लोक सभा में सभा पटल पर रखे गए विवरण में निम्नलिखित शुद्धियां करना चाहता हूं :

उत्तर का भाग	के स्थान पर	पढ़िए
भाग (ड) के उत्तर का अनुलग्नक (11)	340.22	475.22
(I I) अनुक्रमांक 10 के सामने की गई प्रविष्टि*	जिसमें केन्द्रीय सहायता के करोड़ रुपये भी शामिल हैं।	जिसमें केन्द्रीय सहायता के 150.00 करोड़ रुपये भी शामिल हैं।
(I I) कुल योग के सामने की प्रविष्टि	3210.29	3345.29
(I I I) अंतिम पंक्ति	करोड़	करोड़

इस शुद्धि विवरण की आवश्यकता असावधानीवश गलती हो जाने के कारण हुई है। माननीय सदस्यों को हुई असुविधा के लिए खेद है।

अध्यक्ष महोदय : अब दो बातें हैं। कल यह निर्णय लिया गया था कि हम लेखानुदान पारित करेंगे और अनुपूरक मांगों और विनियोग विधेयक पर भी विचार करेंगे क्योंकि इसे दूसरे सदन में भेजा जाना है। यदि आप सहमत हों, तो नियम 377 के अधीन मामले उठाने की बजाय हम इसे ले सकते हैं। अन्यथा हम इसे मध्याह्न भोजन के बाद ले पाएंगे। क्योंकि इस पर सहमति हो गई थी कि हम अपनी चर्चा से इसे पारित कर दें तो इसे उठाने दीजिए ताकि यह कार्य पूरा हो सके।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : मुझे एक निवेदन करने दीजिए। हमें तत्काल लेखानुदान पारित करना है जो सरकार को 31 मई तक बने रहने की अनुमति देगा। लेकिन चूंकि अनुदानों की अनुपूरक मांगों के लिए कुछ समय शेष है, कुछ स्पष्टीकरण की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : निश्चित रुप से ऐसा करते लेकिन समय की कमी है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : हम निश्चित रुप से वही बोलेंगे लेकिन कुछ स्पष्टीकरण के लिए दो-तीन मिनट की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : लेकिन यह अधिक विस्तार ले लेंगे। यदि आप सहयोग दें तो आप इन मुद्दों को सामान्य

चर्चा के दौरान भी उठा सकते हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : हम लेखानुदान को स्वीकृत करेंगे लेकिन कृपया मुझे स्पष्टीकरण के लिए दो-तीन मिनट दें।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : हमने विनियोग विधेयक के बारे में सूचनाएं दी हैं। जहां तक मेरा संबंध है, केवल दो मुद्दे हैं। यदि मुझे इस पर बोलने की अनुमति दे दी जाती है, तो इन्हें पारित किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : क्या कोई तकनीकी मुद्दा है।

श्री राम नाईक : जी हां, एक मुद्दा कई लघु उद्योग कारखानों को बंद किए जाने के बारे में है।

अध्यक्ष महोदय : यह एक लेखानुदान के बारे में है। जब सामान्य बजट को चर्चा के लिए उठाया जाएगा तब आप लघु उद्योगों के बंद करने और अन्य मुद्दे उठा सकते हैं।

श्री राम नाईक : मेरा दूसरा मुद्दा खादी आयोग में भ्रष्टचार के आरोपों के बारे में है और प्रधान मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि उचित कार्यवाही की जाएगी।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको विनियोग विधेयक पर बोलने की अनुमति नहीं दूंगा लेकिन सामान्य बजट पर चर्चा के दौरान आपको अनुमति दूंगा।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ) : कल एक एग्रीमेंट हुआ था कि इनके कम से कम 54 सदस्य जरूर रहेंगे। यदि ऐप्रोप्रिएशन बिल अभी लेना है तो इस समय इनके 54 सदस्य नहीं हैं। मैं सिर्फ कल की बात याद कराना चाहता हूं। ......**(व्यवधान)**

श्री राम नाईक : हम कुछ मुद्दों पर सरकार का उत्तर चाहते हैं। क्योंकि वित्त मंत्री उत्तर नहीं देंगे, उद्योग मंत्रालय उत्तर नहीं देगा। तब मामले को उठाने का क्या लाभ ? सरकार को अवश्य ही हमारी बात का उत्तर देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : लेखानुदान के संबंध में हम किसी विशेष अवधि के लिए यह व्यवस्था कर रहे हैं। इसका यह अभिप्राय नहीं है कि सामान्य बजट पर चर्चा करते समय आपको इन मुद्दों के लिए अवसर नहीं मिलेगा।

श्री राम नाईक : जिस पर भी अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा के दौरान चर्चा नहीं की गई है, उस पर विानयोग विधेयक पर चर्चा के दौरान चर्चा की जाएगी।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, यह लेखानुदान है, कृपया सहयोग करें। हम आपको नहीं रोकेंगे लेकिन इसे दूसरे सदन में जाना है और समय की कमी है।

श्री राम नाईक : महोदय, दो या तीन मिनट लगेंगे।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मेरा एक अतिरिक्त मुद्दा यह है कि हम सभी सामान्य बजट पर विस्तार से चर्चा चाहते हैं और इसके लिए पर्याप्त समय होना चाहिए। यदि यह गारंटी दी जाए कि प्रत्येक को बोलने का मौका दिया जाएगा तो मैं नहीं समझता कि इसे राज्य सभा में भेजने में कोई समस्या आएगी। हमें अपनी स्थिति भी बता देनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष पीठ से आपको आश्वासन मिल रहा है कि सभी नए मुद्दे जो आप अपने भाषणों में उठाना चाहेंगे, उनकी अनुमति दी जाएगी।....**(व्यवधान)**

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : वित्त मंत्री को भी अपील करनी चाहिए कि इसे बिना चर्चा पारित किया जाना चाहिए।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं इससे सहमत हूं कि लेखानुदान बिना चर्चा के पारित किया जाए। .... **(व्यवधान)**

12.55 म.प.

[अनुवाद]

लेखानुदानों की मांगें (सामान्य), 1994-95

और

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), 1994-95

अध्यक्ष महोदय : अब मैं वर्ष 1994-95 के लिए लेखानुदानों की मांगें (सामान्य) को सभा में मतदान हेतु रखता हूं।

प्रश्न यह है

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 4 में मांग संख्या 1 से 27, 29, 30, 32 से 90, 92, 94 से 98 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने के लिए या के संबंध में कार्यसूची के स्तम्भ 5 में दिखायी गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से, लेखे पर राष्ट्रपति को दी जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभा द्वारा स्वीकृत वर्ष 1994-95 के लेखानुदान (सामान्य) मांगों की सूची

मांग की संख्या	मांग का नाम	सभा द्वारा स्वीकृत लेखानुदान के मांग की राशि राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1	2	3	4
कृषि मंत्रालय			
1.	कृषि	209,56,00,000	1,20,00,000
2.	कृषि और महकारिता विभाग की अन्य सेवाएं	35,90,00,000	37,53,00,000
3.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	79,50,00,000	
4.	पशु पालन और डेयरी विभाग	34,56,00,000	29.42,00,000
रसायन और उर्वरक मंत्रालय			
5.	रसायन और पैट्रो-रसायन विभाग	11,12,00,000	6,09,00,000
6.	उर्वरक विभाग	909,39,00,000	45,89,00,000
नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय			
7.	नागर विमानन मंत्रालय	8,40,00,000	2,95,00,000
8.	पर्यटन विभाग	15,57,00,000	2,58,00,000
नागरिक पूर्ति उपभोक्ता कार्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय			
9.	नागरिक पूर्ति उपभोक्ता कार्य और सार्वनिक वितरण मंत्रालय	3,93,00,000	38,00,000
कोयला मंत्रालय			
10.	कोयला मंत्रालय	32,41,00,000	96,41,00,000

1	2	3	4	
	वाणिज्य मंत्रालय			
	11.	वाणिज्य विभाग	85,38,00,000	14,78,00,000
	12.	पूर्ति विभाग	5,22,00,000	-
	संचार मंत्रालय			
	13.	संचार मंत्रालय	2,21,00,000	-
	14.	डाक सेवाएं	329,19,00,000	9,47,00,000
	15.	दूर संचार सेवाएं	1453,51,00,000	969,16,00,000
	रक्षा मंत्रालय			
	16.	रक्षा मंत्रालय	315,04,00,000	13,62,00,000
	17.	रक्षा पेंशनें	450,98,00,000	-
	18.	रक्षा सेवाएं-थल सेना	1915,43,00,000	-
	19.	रक्षा सेवाएं-नौ सेना	231,32,00,000	-
	20.	रक्षा सेवाएं-वायु सेना	615,99,00,000	-
	21.	रक्षा आयुध निर्माणियां	400,00,00,000	-
	22.	रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	-	1137,35,00,000
	पर्यावरण और वन मंत्रालय			
	23.	पर्यावरण और वन	68,49,00,000	1,22,00,000
	विदेश मंत्रालय			
	24.	विदेश मंत्रालय	133,49,00,000	7,33,00,000
	वित्त मंत्रालय			
	25.	आर्थिक कार्य विभाग	1102,68,00,000	20,91,00,000
	26.	करेंसी सिक्का निर्माण और स्टाम्प	98,65,00,000	271,41,00,000
	27.	वित्तीय संस्थानों को अदायगियां	181,57,00,000	1237,90,00,000
	29.	राज्य सरकारों को अंतरण	1141,83,00,000	52,00,00,000
	30.	सरकारी कर्मचारियों आदि को उधार	-	48,67,00,000

1	2	3	4
32.	व्यय विभाग	2,13,00,000	-
33.	पेंशनें	151,16,00,000	-
34.	लेखा परीक्षा	63,12,00,000	-
35.	राजस्व विभाग	33,97,00,000	58,00,000
36.	प्रत्यक्ष कर	61,16,00,000	16,67,00,000
37.	अप्रत्यक्ष कर	94,96,00,000	26,29,00,000
खाद्य मंत्रालय			
38.	खाद्य मंत्रालय	705,83,00,000	27,83,00,000
खाद्य संसाधन उद्योग मंत्रालय			
39.	खाद्य संसाधन उद्योग मंत्रालय	6,79,00,000	63,00,000
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय			
40.	स्वास्थ्य विभाग	155,47,00,000	53,70,00,000
41.	परिवार कल्याण विभाग	279,76,00,000	2,00,000
गृह मंत्रालय			
42.	गृह मंत्रालय	45,64,00,000	2,87,00,000
43.	मंत्री मण्डल	6,78,00,000	-
44.	पुलिस	465,85,00,000	71,92,00,000
45.	गृह मंत्रालय का अन्य व्यय	61,79,00,000	27,52,00,000
46.	संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अन्तरण	27,06,00,000	22,78,00,000
मानव संसाधन विकास मंत्रालय			
47.	शिक्षा विभाग	403,21,00,000	9,00,000
48.	युवा कार्य और खेल विभाग	21,78,00,000	24,00,000
49.	कला व संस्कृति	29,62,00,000	-
50.	महिला और बाल विकास विभाग	117,60,00,000	-

1	2	3	4
उद्योग मंत्रालय			
51.	औद्योगिक विकास विभाग	180,76,00,000	6,00,000
52.	भारी उद्योग विभाग	20,28,00,000	32,98,00,000
53.	सरकारी उद्यम विभाग	26,00,000	-
54.	लघु उद्योग व कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग	80,72,00,000	60,26,00,000
सूचना और प्रसारण मंत्रालय			
55.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	19,08,00,000	2,93,00,000
56.	प्रसारण सेवाएं	183,94,00,000	42,55,00,000
श्रम मंत्रालय			
57.	श्रम मंत्रालय	94,27,00,000	16,00,000
विधि और न्याय मंत्रालय			
58.	विधि और न्याय	21,48,00,000	-
59.	कम्पनी और कार्य विभाग	2,57,00,000	1,00,000
खान मंत्रालय			
60.	खान मंत्रालय	34,53,00,000	7,96,00,000
गैर परम्परागत		**ऊर्जा स्रोत मंत्रालय**	
61.	गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय	35,37,00,000	2,36,00,000
संसदीय कार्य मंत्रालय			
62.	संसदीय कार्य मंत्रालय	29,00,000	-
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय			
63.	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	12,39,00,000	47,00,000
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय			
64.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	46,00,000	22,65,00,000

1	2	3	4
योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय			
65.	योजना	19,73,00,000	3,58,00,000
66.	सांख्यिकी विभाग	10,20,00,000	32,00,000
67.	कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग	18,00,000	-
विद्युत मंत्रालय			
68.	विद्युत मंत्रालय	87,71,00,000	520,07,00,000
ग्रामीण विकास मंत्रालय			
69.	ग्रामीण विकास विभाग	2170,63,00,000	17,00,000
70.	बंजर भूमि विकास विभाग	18,92,00,000	-
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय			
71.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	59,06,00,000	5,95,00,000
72.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	59,23,00,000	84,00,000
73.	जैव प्रौद्योगिकी विभाग	14,84,00,000	20,00,000
इस्पात मंत्रालय			
74.	इस्पात विभाग	5,45,00,000	108,34,00,000
भूतल परिवहन मंत्रालय			
75.	भूतल परिवहन	14,70,00,000	7,79,00,000
76.	सड़कें	82,50,00,000	129,73,00,000
77.	पत्तन, दीप स्तम्भ और नौवहन	40,36,00,000	43,78,00,000
वस्त्रोद्योग मंत्रालय			
78.	वस्त्रोद्योग मंत्रालय	119,43,00,000	11,57,00,000
शहरी विकास मंत्रालय			
79.	शहरी विकास और आवास	57,66,00,000	33,30,00,000
80.	लोक निर्माण कार्य	52,76,00,000	27,06,00,000
81.	लेखन सामग्री और मुद्रण	22,40,00,000	1,00,00,000

1	2	3	4
जल संसाधन मंत्रालय			
82.	जल संसाधन मंत्रालय	56,60,00,000	3,54,00,000
कल्याण मंत्रालय			
83.	कल्याण मत्रालय	102,48,00,000	14,30,00,000
परमाणु ऊर्जा विभाग			
84.	परमाणु ऊर्जा	96,96,00,000	108,76,00,000
85.	न्यूक्लीय विद्युत योजनाएं	89,11,00,000	33,33,00,000
इलेक्ट्रानिकी विभाग			
86.	इलेक्ट्रानिकी विभाग	25,18,00,000	4,20,00,000
महासागर विकास विभाग			
87.	महासागर विकास विभाग	8,03,00,000	1,78,00,000
अन्तरिक्ष विभाग			
88.	अन्तरिक्ष विभाग	188,79,00,000	20,35,00,000
संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के सचिवालय और संघ लोक सेवा आयोग			
89.	लोक सभा	6,48,00,000	-
90.	राज्य सभा	2,74,00,000	-
92.	उपराष्ट्रपति का सचिवालय	5,00,000	-
(बिना विधान मण्डल वाले संघ राज्य क्षेत्र)			
94.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	36,82,00,000	33,62,00,000
95.	दादरा और नागर हवेली	8,13,00,000	3,24,00,000
96.	लक्ष द्वीप	16,13,00,000	2,93,00,000
97.	चंडीगढ़	50,95,00,000	10,66,00,000
98.	दमन और दीव	7,29,00,000	2,71,00,000
जोड़	**राजस्व/पूंजी**	**16822,90,00,000**	**5562,92,00,000**

अध्यक्ष महोदय : अब मैं 1993-94 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) को सभा में मतदान हेतु रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखायी गयी मांग संख्या 1, 2, 4 से 7, 9 से 22, 24 से 26 33 से 36, 38 से 53, 55, 57, 58, 60 से 64, 66, 68, 71, 72, 74 से 80, 83, 84, 86, 88 से 90 और 95 से 99 के संबंध में 31 मार्च, 1994 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखायी गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक सम्बन्धित अनुमूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभा द्वारा स्वीकृत वर्ष 1993-94 की अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) की सूची

मांग संख्या	मांग का नाम	सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान की मांगों की राशि	
		राजस्व रूपए	पूंजी रूपए
	कृषि मंत्रालय		
1.	कषि	696,97,00,000	-
2.	किसी और सहकारिता विभाग की अन्य सेवाएं	1,00,000	1,00,000
4.	पशु पालन और डेयरी विभाग	1,00,000	-
	रसायन और उर्वरक मंत्रालय		
5.	रसायन और पैट्रो रसायन विभाग	1,00,000	12,15,00,000
6.	उर्वरक विभाग	415,00,00,000	1,00,000
	नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय		
7.	नागर विमानन विभाग	106,36,00,000	-
	नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय		
9.	नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	-	25,00,00,000
	कोयला मंत्रालय		
10.	कोयला मंत्रालय	120,00,00,000	-

1	2	3
वाणिज्य मंत्रालय		
11. वाणिज्य विभाग	4,00,000	3,40,00,000
12. पूर्ति विभाग	1,55,00,000	-
संचार मंत्रालय		
13. संचार मंत्रालय	40,00,000	-
14. डाक सेवाएं	161,73,00,000	-
15. दूर संचार सेवाएं	34,00,00,000	1,00,000
रक्षा मंत्रालय		
16. रक्षा मंत्रालय (सिविल)	5,28,00,000	-
17. रक्षा पेंशनें	151,94,00,000	-
18. रक्षा सेवाएं थल सेना	1051,25,00,000	-
19. रक्षा सेवाएं नौसेना	186,28,00,000	-
20. रक्षा सेवाएं वायुसेना	375,43,00,000	-
21. रक्षा आयुध कारखाने	115,63,00,000	-
22. रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	-	1388,38,00,000
विदेश मंत्रालय		
24. विदेश मंत्रालय	85,56,00,000	-
वित्त मंत्रालय		
25. आर्थिक कार्य विभाग	34,95,00,000	-
26. करेंसी, सिक्का निर्माण और स्टाम्प	-	275,00,00,000
33. पेंशन	66,63,00,000	-
34. लेखा	16,14,00,000	-
35. राजस्व विभाग	4,39,00,000	-
36. प्रत्यक्ष कर	21,00,00,000	20,00,00,000
खाद्य मंत्रालय		
38. खाद्य मंत्रालय	2081,79,00,000	-

1	2	3
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय		
39. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	4,96,00,000	-
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय		
40. स्वास्थ्य विभाग	66,47,00,000	22,11,00,000
41. परिवार कल्याण विभाग	183,01,00,000	1,00,000
गृह मंत्रालय		
42. गृह मंत्रालय	1,00,000	-
43. मंत्री मण्डल	8,53,00,000	-
44. पुलिस	312,46,00,000	3,00,000
45. गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	-	22,05,00,000
46. संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को अन्तरण	37,39,00,000	13,80,00,000
मानव संसाधन विकास मंत्रालय		
47. शिक्षा विभाग	32,94,00,000	-
48. युवा कार्य और खेल	4,89,00,000	1,00,00,000
49. कला और संस्कृति	28,75,00,000	-
50. महिला और बाल विकास विभाग	10,44,00,000	-
उद्योग मंत्रालय		
51. औद्योगिक विकास विभाग	1,00,000	-
52. भारी उद्योग विभाग	54,99,00,000	-
53. सरकारी उद्यम विभाग	11,00,000	-
सूचना और प्रसारण मंत्रालय		
55. सूचना और प्रसारण मंत्रालय	2,78,00,000	-
श्रम मंत्रालय		
57. श्रम मंत्रालय	92,36,00,000	-
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय		
58. विधि और न्याय	16,70,00,000	-

1	2	3
खान मंत्रालय		
60. खान मंत्रालय	59,71,00,000	-
गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय		
61. गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय	3,80,00,000	-
संसदीय कार्य मंत्रालय		
62. संसदीय कार्य मंत्रालय	48,00,000	-
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय		
63. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	5,81,00,000	62,00,000
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय		
64. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	19,00,000	-
योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय		
66. सांख्यिकी विभाग	-	73,00,000
विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय		
68. विद्युत विभाग	-	414,79,00,000
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय		
71. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	7,50,00,000	
72. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	23,44,00,000	2,31,00,000
इस्पात मंत्रालय		
74. इस्पात मंत्रालय	-	791,02,00,000
भूतल परिवहन मंत्रालय		
75. भूतल परिवहन मंत्रालय	1,32,00,000	7,96,00,000
76. सड़कें	36,64,00,000	8,58,00,000
77. पत्तन, दीपस्तम्भ और नौवहन	69,74,00,000	23,01,00,000
वस्त्रोद्योग मंत्रालय		
78. वस्त्रोद्योग मंत्रालय	4,00,000	-
शहरी विकास मंत्रालय		
79. शहरी विकास और आवास	10,05,00,000	17,64,00,000
[illegible] निर्माण कार्य	17,13,00,000	4,91,00,000

1	2	3
कल्याण मंत्रालय		
83. कल्याण मंत्रालय	29,01,00,000	5,00,00,000
परमाणु ऊर्जा विभाग		
84. परमाणु ऊर्जा विभाग	1,00,000	2,00,000
इलेक्ट्रानिकी विभाग		
86. इलेक्ट्रानिकी विभाग	-	35,00,000
अन्तरिक्ष विभाग		
88. अन्तरिक्ष विभाग	-	25,66,00,00,000
संसद, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति सचिवालय, संघ लोक सेवा आयोग		
89. लोक सभा	4,99,00,000	-
90. राज्य सभा	4,78,00,000	-
बिना विधान मण्डल वाले संघ राज्य क्षेत्र		
95. अंदमान और निकोबारद्वीप समूह	-	4,22,00,000
96. दादरा और नगर हवेली	2,79,00,000	1,00,00,000
97. लक्षद्वीप	4,51,00,000	-
98. चंडीगढ़	35,74,00,000	95,00,000
99. दमन और दीव	6,89,00,000	82,00,000
जोड़ राजस्व/पूंजी	**6913,72,00,000**	**3092,55,00,000**

12.56 म.प.

विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1994 *

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं

''कि वित्तीय वर्ष 1994-95 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक की पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

* दिनांक 17.3.1994 के भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2 खण्ड दो में प्रकाशित।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1994-95 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री मन मोहन सिंह : महोदय,** मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

श्री मनमोहन सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं : *

"कि वित्तीय वर्ष 1994-95 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि वित्तीय वर्ष 1994-95 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 4 और अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 4 और अनुसूची विधेयक में जोड़ दिए गए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गए।

श्री मनमोहन सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं "कि विधेयक पारित किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

दिनांक 17.3.1994 के भारत के राजपत्र असाधारण भाग-2, खंड दो, में प्रकाशित।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

* राष्ट्रपति की सिफाारिश से प्रस्तुत,

12.58 म.प.

विनियोग विधेयक, 1994 *

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1993-94 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "वित्तीय वर्ष 1993-94 की सेवाओं के लिए भारत के संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री मनमोहन सिंह : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित ** करता हूं।

मैं प्रस्ताव** करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1993-94 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले, विधेयक पर विचार किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ : "कि वित्तीय वर्ष 1993-94 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) **:** अध्यक्ष महोदय, हम निश्चित रूप से सामान्य बजट और उसमें उल्लिखित आंकड़ों पर चर्चा करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखते हैं। अतः मैं उन पहलुओं पर सभा का समय लेना नहीं चाहता। परन्तु इन अनुपूरक मांगों में और उससे जुड़े विनियोग विधेयक में संसद द्वारा 10,000 करोड़ रू. की धनराशि का अनुमोदन किया जाना दिखाया गया है परन्तु ब्याज के रूप में वसूल किये जाने वाले 39,000 करोड़ रू. का अनुमोदन किया जाना नहीं दिखाया गया है।

1.00 म.प.

ये दोनों धनराशियां काफी बड़ी हैं। हम इस पर सम्मति नहीं दे रहे हैं। क्योंकि यह ब्याज के रूप में वसूल की जाती हैं। मैं इसका बहुत सादा सा स्पष्टीकरण लेना चाहूंगा और वह यह है कि क्या इन आंकड़ों को बजट के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले बजट अनुमानों में सम्मिलित किया गया है। मैं इस मुद्दे पर बहुत स्पष्ट रूप से जानना चाहूंगा। हम बजट पर चर्चा के दौरान इस मामले पर बाद में विचार करेंगे।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) **:** अध्यक्ष महोदय, आपके सद्प्रयास से और सदन के सभी पक्ष के माननीय

* दिनांक 17.9.1994 के भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-2, खंड दो में प्रकाशित।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित

सदस्यों की मांग के आधार पर प्रधान मंत्री ने एम.पी. लोकल एरिया डवलपमेंट स्कीम की घोषणा की थी और यह भी एलान हुआ था कि 5 लाख रूपया हर संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए इस साल जायेगा। ..... (**व्यवधान**)... सुन लीजिए न। अभी कन्फ्यूजन में मत रहिएगा, क्लैरीफिकेशन जानना चाह रहे हैं।

इसके सम्बन्ध में एक गाइडलाइन भी ग्रामीण विकास राज्य मंत्री की तरफ से गई है और उसकी प्रति हम लोगों को मिली है। उसमें इस बात का जिक्र भी है लेकिन उसमें जो गाइडलाइन गई है, उसको आप अगर स्वयं देख लें तो इसके पीछे भावना थी, उसका अनुपालन नहीं हुआ है और जिस प्रकार से फिर संसद सदस्य अपने क्षेत्र के विकास के लिए योजनाओं की अनुशंसा करेंगे, उसको एक कड़ी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। जो गाइडलाइंस इश्यू होने वाली थी, इस बात की चर्चा है कि वित्त मंत्री ने अन्दर में विरोध किया और इसके चलते गाइडलाइंस में फेरबदल हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : गवर्नमेन्ट से जो इश्यू होता है, वह सब की कन्सैंट से होता है।

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि आपके सामने भी एक स्टेज पर यह सवाल आयेगा, इसलिए आज ही हम इस सवाल को आपके सामने रखना चाहते हैं कि जो गाइडलाइन हैं, उसमें संसद सदस्यों को राज्य के सचिवालय से लेकर कलैक्टर के दरवाजे तक दस्तक देनी पड़ेगी, चक्कर लगाने पड़ेंगे। यह नहीं है कि हम अनुशंसा करेंगे और उसके आधार पर अगर जनहित में है, उपयोगी है, गाइडलाइन के अधीन है तो उसका क्रियान्वयन होगा, वैसी स्थिति नहीं है इसलिए हम इस मामले में वित्त मंत्री जी से स्पष्टीकररण चाहते हैं कि जो प्रावधान किया गया है, वह भावनाओं के अनुरूप है या नहीं?

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : इसके बारे में मुझे जानकारी है, वह मैं सदन को देना चाहता हूं। मैंने मंत्री जी से रामेश्वर ठाकुर जी से बात की। उन्होंने सारे राज्यों में इसके बारे में सूचना भेजी है। जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है? महाराष्ट्र के मंत्रालय में यह सूचनाएं पहुंची हैं और 5 लाख के हिसाब से यह दिया है, ऐसा उन्होंने बताया है और नीचे जल्दी से जल्दी इंस्ट्रक्शंन जानी चाहिए, यह बात उसमें से आती है।

श्री राजवीर सिंह (आवंला) : अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में तो अभी तक गया नहीं है। डिस्ट्रक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं कि हमारे पास कोई सूचना नहीं है।

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : मैंने अभी पूछा है, मध्य प्रदेश में भी पहुंचा नहीं है।

[अनुवाद]

श्री मनमोहन सिंह : मैं सभा को आश्वस्त करना चाहूंगा कि ये सभी आंकड़े दो लेखाओं को छोड़कर संशोधित अनुमानों में उल्लिखित कुल आंकड़ों के अनुरूप हैं। रक्षा पर व्यय करने के लिए 500 करोड़ रू. जोड़े गए हैं और खाद्य पर राज सहायता के लिए 500 करोड़ रु. जोड़े गए हैं। शेष संशोधित अनुमानों के अनुसार है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : संशोधित अनुमानों में किस राशि को नहीं शामिल किया गया है ?

श्री मनमोहन सिंह : केवल रक्षा व्यय पर 500 करोड़ रू. और खाद्य राज सहायता पर 500 करोड़ रू.

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : क्या ब्याज प्रभार को शामिल किया गया है?

[हिन्दी]

श्री नीतिश कुमार : एम. पी. लोकल एरिया डवलपमेंट स्कीम का क्या हुआ, इसके बारे में कोई जवाब नहीं दे रहे।

श्री नाथू राम मिर्धा (नागौर) : पहले स्टेट को मिलने तो दो फिर स्टेट अपने आप देख लेगा। मेरे पास मेरे कलेक्टर की चिट्ठी आ गई है। उसमें राज्य को काम करना है। आप अपना काम करिये। .... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वित्त मंत्री महोदय, सदस्य अपना सहयोग दे रहे हैं। क्या आप उनकी भावनाओं को दबाना चाहेंगे।

श्री मनमोहन सिंह : सरकार ने जो भी वायदे किये हैं, उन्हें पूरा किया जाएगा।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय हमें यह नहीं बताया गया कि ब्याज भुगतान के लिए 39612 करोड़ रू. की राशि संशोधित अनुमानों का भाग है या नहीं। मैं चाहूंगा कि मुझे इस मुद्दे पर स्पष्ट रूप से बताया जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

''कि वित्तीय वर्ष 1993-94 की सेवाओं के लिए भारत सरकार की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है :

''कि खंड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक का अंग बनें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 2 और 3 और अनुसूची विधेयक में जोड़ दिए गए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

''कि खंड 1 अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1 अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

श्री मनमोहन सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

''कि विधेयक को पारित किया जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : आपके सहयोग के लिए धन्यवाद।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : आपको ऐसा और कोई सदन नहीं मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, मुझे आप पर गर्व है, क्या अब हम नियम 377 के अधीन मामलों पर चर्चा शुरू करें ?

अनेक माननीय सदस्य : जी नहीं।

अध्यक्ष महोदय : सभा मध्यान्त्र भोजन के पश्चात् 2.10 म.प्र. पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

1 .07 म.प्र.

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.10 बजे म. प्र. तक के लिए स्थगित हुई।

2.17 म.प.

लोकसभा मध्यान्ह भोजन के पश्चात् 2.17 म. प्र. पर पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।)

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) अनुसूचित क्षेत्रों में देशी शराब पर प्रतिबंध लगाने के लिए राज्यों को निदेश जारी करने की आवश्यकता।

श्री के. प्रधानी (नवरंगपुर) घेबर आयोग की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 339 के अंतर्गत की गई थी तथा शराब विक्रेताओं और महाजनों से जनजातियों के शोषण को रोकने के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में देशी शराब पर प्रतिबंध लगाने के लिए आयोग ने 1961 में अपना प्रतिवेदन दिया था। यद्यपि सरकार ने इस नीति को स्वीकार कर लिया और इसे कड़ाई से लागू करने के लिए मार्ग निर्देश जारी किया अनेक राज्यों ने मार्ग निर्देशों का समुचित रूप से क्रियान्वयन नहीं किया। उन क्षेत्रों में व्यापाक रूप से अवैध शराब आसवन किया जाता है, जहां शराब पीने वाले लोग अनेक बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। इससे अनेक लोग मरते हैं। अनेक सुस्त हो जाते हैं जिससे वे कंगाल हो जाते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार के सभी प्रयास उम्मीद से काफी कम हैं।

संविधान की पांचवी अनुसूची द्वारा भारत सरकार को अनुसूचित क्षेत्र वाले राज्यों को निदेश जारी करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ताकि जनजातियों का शोषण रोका जा सके और उनके आर्थिक विकास में तेजी लाई जा सके। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा सरकार ने इस वर्ष और अगले वर्ष देशी शराब पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया है।

मैं ऊपर उल्लिखित अनुसार निदेश जारी करने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं ताकि उसे लागू किया जाए और अवैध देशी शराब बनाने को विशेषाभ्यास से रोका जाए जिससे कि जनजातीय लोग अपना जीवन स्तर सुधार सकें।

(दो) देश में आग दुर्घटना का शिकार होने वाले लोगों को साधारण बीमा निगम द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि में वृद्धि करने की आवश्यकता।

डा. विश्वनाथन कैमिनी (श्रीकाकुलम) : आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम मिले के ग्रामीणी क्षेत्रों में ज्यादातर घरों के छत धान की फूस अथवा ताड़ के पतों के बने होते हैं। ऐसा उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की खराब आर्थिक स्थिति के कारण है। गर्मी के मौसम में आग लगना एक आम बात हो गई है। हालांकि मंडल और कुछ तहसील स्तर पर अग्निशमन व्यवस्था उपलब्ध हैं, परन्तु जब तक अग्निशमन वाहन स्थल पर पहुंचते हैं तब तक जान-माल की हानि हो चुकी होती है। यह एक बड़ी विपदा है जो निर्धन परिवारों को कठिनाई में डालती हैं। यदि कहीं भी प्राकृतिक आपदा आती है तो अपेक्षित सरकारी सहायता की जाती है। यद्यपि इस स्थिति में आग का शिकार हुए व्यक्तियों को सरकार और भारतीय साधारण बीमा निगम द्वारा सिर्फ 1500 रू. ही दिए जाते हैं। छत बनाने और घरेलू सामग्री की बढ़ती लागत को देखते हुए यह राशि काफी कम है।

मैं केन्द्रीय सरकार से एक स्थायी योजना बनाने का अनुरोध करता हूं जिसका सभी राज्य अनुपालन करें। जिसके अन्तर्गत ए.सी.शीट जैसी अग्निरोधक सामग्रियों द्वारा छत को बनाने के लिए खर्च का वहन करने के लिए पर्याप्त कोष प्रदान किया जाए जो कि पूर्ण राहत के रूप में हो अथवा राज सहायता और ऋण के रूप में हो जैसा कि हुड़को की आश्रम सुधार योजना में किया जा रहा है। इस योजना में देश में आग का शिकार हुए सभी व्यक्तियों को जो पात्र हैं, शामिल किया जाना चाहिए। इसमें प्रति आवास औसतन 7000 रू. की आवश्यकता होती है।

[हिन्दी]

(तीन) लखनऊ स्थित डा. भीमराव अम्बेडकर विश्व विद्यालय में अध्यापन कार्य शुरू करने की आवश्यकता।

श्री राम निहोर राय (राबर्ट्सगंज) : उत्तर प्रदेश के लखनऊ में डा. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय की मान्यता दी गई, किन्तु पठन-पाठन का कार्य अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। विश्वविद्यालय में प्राध्यापकों, विशेष अधिकारी तथा गैर-शिक्षकों की नियुक्ति भी अभी तक नहीं हुई है जिसके कारण विश्वविद्यालय के कार्य में विलम्ब हो रहा है।

अत: केन्द सरकार से अनुरोध है कि डा. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में पठन-पाठन का कार्य शीघ्र शुरू किया जाये।

(चार) गढ़वाल क्षेत्र में पर्यटक स्थलों के विकास हेतु उत्तर प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी देने तथा इसके लिए धनराशि उपलब्ध कराने की आवश्यकता।

श्री मानवेन्द्र शाह (टिहरी गढ़वाल) : उत्तरांचल में गढ़वाल मंडल के यात्रा मार्गों यमनोत्री, गंगोत्री तथा बद्रीनाथ, केदारनाथ पर यात्रियों/पर्यटको की सुविधाओं हेतु मार्गीय सुविधाओं यथा सार्वजनिक शौचालय, स्नानागार, कैफेटेरिया, यात्री विश्राम हेतु टिन शैड आदि के विकास की आवश्यकता है। तदुनसार जन-पद टिहरी में 3 स्थानों, जलपद चमौली में 4 स्थानों व जनपद उत्तरकाशी में 6 स्थानों पर मार्गीय सुविधाओं के विकास हेतु

60.54 लाख रुपये का प्रस्ताव उत्तरांचल विकास विभाग द्वारा केन्द्र सरकार को भेजा गया था परन्तु अभी तक उक्त धनराशि उपलब्ध नहीं हो पाई है।

अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इस ओर विशेष ध्यान देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को इस कार्य हेत धनराशि शीघ्र आबंटित करने की व्यवस्था करें।

(पांच) उत्तर प्रदेश में शाहबाद टेलीफोन एक्सचेंज को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज में बदलने तथा एस टी डी सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता

श्री सुरेन्द्र पाल पाठक (शाहबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश का शाहबाद नगर तहसील मुख्यालय है। यह अच्छा व्यावसायिक नगर है। यहां पर नगरपालिका तथा शिक्षण संस्थाएं हैं। शाहबाद नगर की टेलीफोन व्यवस्था बहुत अधिक खराब है। यहां टेलीफोन एक्सचेंज बहुधा खराब रहता है तथा यहां पर अभी तक टेलीफोन पर एस.टी.डी. सुविधा उपलब्ध नहीं है। इस कारण यहां के निवासियों तथा व्यवसायियों को बहुत अधिक असुविधा हो रही है। यहां के व्यवसायी दूसरे नगरों से टेलीफोन संपर्क नहीं रख पाते हैं, जिससे उनका व्यवसाय बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है।

अतः माननीय संचार मंत्री जी से निवेदन है कि उत्तर प्रदेश के शाहबाद नगर के टेलीफोन एक्सचेंज को तत्काल इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंज में बदला जाए और टेलीफोन पर एस.टी.डी. की सुविधा प्रदान की जाए।

(छः) बिहार में मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी के बीच रेल लाइन बिछाने की आवश्यकता।

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी क्षेत्र के विकास में रेल सेवा का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य है। उस में भी उत्तर बिहार की स्थिति तो और भी चिन्तनीय है। यहां न तो कोई बड़ा उद्योग ही है और न ही रेल सेवा का समुचित विस्तार। मुजफ्फरपुर और सीमामढ़ी के बीच की दूरी 60 कि.मी. है। इस पर नयी रेल लाइन के निर्माण के लिए 1984 में रेलवे बोर्ड ने सर्वेक्षण किया था। इस सर्वेक्षण के अनुसार उक्त रेल लाइन के निर्माण पर उस समय 28.70 करोड़ रूपए की लागत आने का अनुमान लगाया गया था। पुनः संसद सदस्यों एवं जनता की मांग पर 1990-91 में फिर से सर्वेक्षण कराया गया। मार्च 1991 में प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार इस कार्य को पूरा कराने के लिए 61.79 करोड़ रूपए की लागत लगने का अनुमान लगाया गया। मैं रेल मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि इस रेल लाइन का अतिशीघ्र निर्माण करा कर जन-आकांक्षाओं को पूरा करें जिससे कि इस पिछड़े हुए क्षेत्र का विकास हो सके।

[अनुवाद]

(सात) पारम्परिक मछुआरों के लिए एक केन्द्रीय कल्याण योजना तैयार करने की आवश्यकता।

श्री थाइल जॉन अंजलोज (अलेप्पी) महोदय, पारम्परिक मछुआरों के लिए अखिल भारत स्तर पर एक कल्याण योजना बनाने का भारत सरकार से अनुरोध है। हालांकि राज्य योजनाएं हैं वे मछुआरों के लिए पर्याप्त नहीं हैं जो हर समय गरीबी में रहते हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि हाल में पारम्परिक मछुआरों को अधिक खतरों का सामना करना पड़ा है। उन्हें अकसर प्राकृतिक विपदाओं का शिकार बनना पड़ता है। गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए विदेशी कम्पनियों को लाइसेंस दिये गये हैं। इससे पारम्परिक मछुआरे प्रभावित होंगे और हमारी

मत्स्य सम्पदा बर्बाद होगी।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि एक राष्ट्रीय कल्याण योजना शुरू की जाए ताकि देश में पारम्परिक मछुआरों को सहायता मिल सके।

(आठ) गोवा स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले सभी व्यक्तियों के पेंशन दावों की जांच करने हेतु एक विशेष जांच समिति गठित करने की आवश्यकता।

श्री चित्तबसु (बारसाट) : महोदय, पुर्तगाली शासन से गोवा को आजाद कराने के लिए अलग-अलग सत्याग्रह 18.6.1955 के शुरू हुआ। यह सत्याग्रह 15.8.1955 को सामूहिक सत्याग्रह बन गया। गोवा स्वतंत्रता आंदोलन में भारतीय नागरिकों की भागीदारी अतुलनीय और निःसंदेह अद्वितीय थी। गोवा के बाहर के हजारों भारतीयों ने गोवा को आजाद कराने के लिए संग्राम में भाग लिया। अनेक सत्याग्रही गिरफ्तार हुए और नजरबन्द किये गए। अनेक लोगों को गंभीर चोटें लगीं और वे अपंग हो गए। यह चिन्ताजनक बात है कि सिर्फ कुछ सौ सत्याग्रहियों को जो गोवा के निवासी थे, वर्तमान स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन योजना में शामिल किया गया। परन्तु गोवा के बाहर से किसी भी व्यक्ति को जिसने गोवा के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन में शामिल नहीं किया गया। इतिहास गवाह है कि गोवा की स्वतंत्रता गोवा के व्यक्तियों और देश के अन्य भाग के लोगों दोनों द्वारा प्राप्त की गई थी। अन्य राज्यों से भाग लेने वालों को पेंशन स्वीकृत न करना उनके साथ अन्याय करना है, इस कमी को ध्यान में रखते हुए देश के तत्कालीन प्रधान मंत्री ने 28 अप्रैल, 1991 में पणजी में नौ सदस्यीय विशेष जांच समिति गठित करने की घोषणा की जो गोवा के बाहर व्यक्तियों सहित गोवा स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले सभी व्यक्तियों के पेंशन के दावों की जांच करेगी।

अतः मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करूंगा कि वे इस विसंगति को दूर करें और हैदराबाद स्वतंत्रता सेनानी और तेलगांना स्वतंत्रता सेनानियों के मामले के समान जांच समिति गठित करें और उन पात्र स्वतंत्रता सेनानियों को जिन्होंने गोवा के स्वतन्त्रता आंदोलन में भाग लिया पेंशन दें।

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : महोदय मैं अपना विचार रखना चाहता हूं क्योंकि मैं उन लोगों में से हूं जो कलकत्ता से स्वयंसेवी भेजे जाने के समय उपस्थित था। ..... **(व्यवधान)** ... महोदय, यह काफी उचित मांग है। .... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 377 के अंतर्गत मामलों को उठा रहे हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं समझता हूं कि पूरी सभा इस बात से सहमत है।

(नौ) कालीकट विश्वविद्यालय में एक श्रव्य-दृश्य अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता।

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : महोदय मिडिया अनुसंधान और सप्ताह में दो दिन पूरे देश में क्लास रूम प्रसारण के लिए विडियो कार्यक्रम बनाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा श्रव्य-दृश्य अनुसंधान केन्द्र और शैक्षिक संचार अनुसंधान केन्द्र गठित किए गए हैं। ज्यादातर विडियो कार्यक्रम अवर स्नातक और स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए होते हैं तथा यह पूरे देश के औपचारिक और अनौपचारिक छात्रों के लिए होते हैं। हाल में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इन केन्द्रों को दूरदर्शन पर प्रसारण के लिए विडियो सामग्री बनाने,

विस्तार कार्य करने और कक्षा अध्यापन के लिए श्रव्य-दृश्य सहायता देने की अनुमति देने का निर्णय लिया है।

कालीकट विश्वविद्यालय के मास कम्युनिकेशन विभाग ने एक श्रव्य-दृश्य अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने के लिए 1988 में एक प्रस्ताव दिया था और 1992 में संशोधित प्रस्ताव भेजा था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस योजनावधि के दौरान दो श्रव्य-दृश्य अनुसंधान केन्द्र एक केरल में और एक कर्नाटक में स्वीकृत किया।

कालीकट विश्वविद्यालय का दावा बेहतर है क्योंकि इसके पास उच्च गुणवत्ता के श्रव्य-दृश्य कार्यक्रम बनाने वाले सिद्धहस्त कर्मचारी हैं, मैं सरकार से केरल विशेषकर मालावार क्षेत्र के लोगों की उचित मांग को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के साथ उठाने का अनुरोध करता हूं ताकि वह कालीकट विश्वविद्यालय को यह परियोजना स्वीकृति करे।

2.32 म.प.

बैंककारी विनियमन (संशोधन) अध्यादेश का निरुनमोदन संबंधी सांविधिक संकल्प

और

बैंककारी विनियमन (संशोधन) विधेयक राज्य सभा द्वारा यथा पारित।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम सांविधिक संकल्प और बैंककारी विनियम (संशोधन) विधेयक पर चर्चा करेंगे। इन विषयों के लिए दो घंटे का समय आवंटित किया गया है, सात मिनट पहले ही गुजर चुके हैं। राजवीर सिंह जी ने संकल्प प्रस्तुत किया है तथा मंत्री महोदय ने भी विचार के लिए विधेयक को रखा है। परन्तु दुर्भायवश राजवीर सिंह जी अपने विचार ठीक से नहीं रख सके। यदि सभा सहमत हो तो मैं समझता हूं हम राजवीर सिंह जी से अपने विचार रखने के लिए कह सकते हैं।

कुछ माननीय सदस्य : सहमत हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : धन्यवाद! मैं राजनीतिक दलों के सचेतकों से प्रत्येक दल को आबंटित समय पर ध्यान देते हुए भावी वक्तओं की पर्चियां भेजने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : उपध्यक्ष जी, बैंककारी विनियमन संशोधन विधेयक 1994 जो यहां लाया गया है और जिस ढंग से लाया गया है, मैं उसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

उपाध्यक्ष जी, इस सरकार की मंशा अध्यादेश के आधार पर सरकार चलाने की हो गई है। इनको मालूम था कि लोक सभा का सत्र प्रारंभ होने वाला है। 21 फरवरी को सत्र प्रारंभ होने वाला था और 31 जनवरी को उन्होंने अध्यादेश लागू कर दिया। यह सदन का अपमान हमेशा से करते चले आ रहे हैं। हमेशा से अध्यादेश के आधार पर ही ये सरकार चलाना चाहते हैं। 31 जनवरी को अध्यादेश लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी और 31 जनवरी से लेकर आज तक इन्होंने कौन सा तीर मारा है कि जो इन्होंने बड़ा भारी काम कर लिया हो, उसकी कोई

ऐसी आवश्यकता नहीं थी। कुछ इस सरकार की आदत सी बन गई है कि बजट लाने से पहले वह रेट बढ़ा देते हैं। बजट से पहले यदि किसी चीज के दाम बढ़ाये जाते हैं, तो बजट लाने का औचित्य समाप्त हो जाता है और इस सरकार ने ऐसा ही काम किया है कि बजट से पहले उसने सार्वजनिक वितरण की प्रणाली की अनेक चीजों के दाम बढ़ा दिये और आज भी हमारे मंत्री जी उन्हीं नक्शे-कदमों पर चल रहे हैं, मेरा मत है कि सरकार को अध्यादेश नहीं लाना चाहिये था। जब इन्होंने अध्यादेश निकाला तो हम सोचते थे कि कोई अच्छा अध्यादेश निकाला होगा और कोई अच्छा विधेयक सरकार की तरफ से आयेगा लेकिन आधे अधूरे मन से जिस प्रकार का विधेयक यह सरकार सदन के सामने लायी है, उसको लाने की आवश्यकता इसलिये पड़ी कि बैंकों में हुए स्कैम से सम्बन्धित जो संयुक्त संसदीय समिति बनी थी, उसकी रिपोर्ट में बैंको की कुछ कमजोरियां बतायी गई थीं, कुछ कमज़ोरियों की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया था मगर उस जे पी सी की रिपोर्ट को, जिसे सर्व-सम्मत रूप से इतने परिश्रम के साथ तैयार किया गया था, हमारे वित्त मंत्रालय ने नकार दिया, उस पर कोई ध्यान दिया हो, ऐसा प्रतीत नहीं होता। आज तक उस रिपोर्ट में की गई संस्तुतिओं के आधार पर कोई कदम नहीं उठाया गया। मैं जानना चाहता हूं कि जब बैंकों का घोटाला सामने आया है तो उसकी आगे पुनरावृति न हो, उसके लिये सरकार क्या करना चाहती है। इस विधेयक में उस बारे में कुछ नहीं कहा गया है। इतनी भयंकर स्थिति में, दुर्गन्धपूर्ण स्थिति में, भंयकर रूप से हताहत व्यवस्था में केवल मरहम लगाने वाली बात की गई है। इसमें कहीं ऐसा जिक्र नहीं आया है कि नई व्यवस्था में, नया विधेयक लाने के बाद क्या परिवर्तन आप करेंगे। अब तो आप कुछ ब्रांचेज को बंद करने जा रहे हैं कल मंत्री जी ने स्वयं कहा था कि 172 शाखाओं को यह सरकार बंद करने जा रही है और उसी प्रसंग में यह भी कहा गया कि लगभग 3000 शाखाएं घाटे में चल रही हैं।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : तीन हजार शाखाओं के बारे में नहीं बोला था। .... **(व्यवधान)**

श्री राजबीर सिंह : यदि आप तीन हजार शाखाएं बंद नहीं करेंगे तो अच्छी बात है लेकिन कुछ शाखाओं के बंद होने की बात आपने अवश्य कही थी। उसका परिणाम क्या होगा, देश में बेरोजगारी बढ़ेगी और रिट्रैंच किये गये कर्मचारी कहां जायेंगे ? सबसे दिक्कततलब बात जो इसमें नजर आ रही है, वह यह है कि सरकार ने बैंकों की व्यवस्था अच्छी करने के लिये कुछ कदम उठाये जिसके परिणामस्वरूप देश में जितने विदेशी बैंक मौजूद हैं, आज स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि साधारण आदमी अपना खाता किसी देशी बैंक में रखने की बजाये विदेशी बैंक में रखने की कोशिश कर रहा है। आपके बैंकों से पैसा निकाल कर विदेशी बैंकों में पैसा जमा करने से सारा मुनाफा विदेशी बैंक ले जायेंगे। यदि आपने नई बैंकिंग व्यवस्था की इसमें बात की है तो हम उसका स्वागत करेंगे, आपने यदि शर्त लगायी है कि वे बैंक हिन्दुस्तानी लोगों के होंगे, हिन्दुस्तान के लोग ही उन्हें लगायेंगे, वे विदेशी बैंक नहीं होंगे मगर इसमें आपने कहीं जिक्र नहीं किया है कि वे विदेशी बैंक नहीं होंगे। नई बैंकिंग व्यवस्था से हमें डर यह लगता है कि किसी भी विदेशी कम्पनी को आप यहां बैंक खोलने का अधिकार दे सकते हैं और इसी आधार पर हमने कहा कि आधे अधूरे मन से लाया गया यह विधेयक है, जिसका हम फिर

भी समर्थन करते हैं। बारबार हमारे कहने पर कि यह सरकार अपनी नीति ठीक करे, अपनी नीति को ठीक करने की दिशा में सरकार ने कदम तो उठाये हैं लेकिन ऐसा लगता है कि अब भी सरकार की नियत साफ नहीं है। हमारे कहने पर, जोर देने पर इन्होंने अपनी नीति तो कुछ ठीक की लेकिन इन्हें अपनी नियत को भी साफ करना पड़ेगा। हम जोर देकर इनकी नीतियां तो ठीक करा सकते हैं परन्तु नियत को साफ नहीं करवा सकते। इनकी नियत हमेशा से खराब रही है जिसे ठीक करने का इनको प्रयास करना पड़ेगा तभी इन्हें सफलता मिलेगी।

मैं इस बिल पर बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहता मगर मंत्री जी से एक ही आश्वासन चाहता हूं, मंत्री जी अपने भाषण में आश्वासन दें कि यहां बैंकों का विदेशीकरण नहीं होगा और बैंकों की जितनी शाखाओं को आप बंद करने जा रहे हैं, उनके कर्मचारियों की नौकरी आप बरकरार रखेंगे, उन्हें आप नौकरी से नहीं निकालेंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे जो बैंक हैं, उन्हें आप पहले से ज्यादा संसाधन उपलब्ध करायेंगे जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा अच्छी तरह से वे काम कर सकें। इन शब्दों के साथ अध्यादेश लाये जाने का तो मैं विरोध करता हूं और यह भी कहता हूं कि इस विधेयक को आप वापस ले लीजिये और सभी बातों को शामिल करते हुए, सभी समस्याओं का समाधान करते हुए, एक नया विधेयक सदन में लाईये, और अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, सभा में गणपूर्ति नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : घंटी बजाई जा रही है। अब सभा में गणपूर्ति है। अब कुमारी ममता बैनर्जी बोलेंगी।

[हिन्दी]

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : सर, मैं बैंकिग रेगुलेशन अमैंटमेंट बिल का समर्थन करने के लिये खड़ी हुई हूं और समय देने के लिये आपकी आभारी हूं। इसके साथ ही साथ जैसा अभी एक माननीय सददस्य कह रहे थे, कुछ प्वाइंट्स पर मैं उनसे भी सहमत हूं। पब्लिक की कुछ ग्रीवांसेज होती हैं, मैं सोचती हूं कि इसमें कोई पोलिटिकल चीज नहीं होनी चाहिए और जो बात कहनी है, उसे कह देना जरूरी है। मैं इस बिल पर दो-चार बातें ही कहना चाहती हूं। हमारे देश में तीन प्रकार के बैंक हैं। नेशनेलाइज्ड बैंक, प्राइवेट बैंक और फोरेन बैंक। मैनें इस बिल को देखा है और यह बहुत अच्छा बिल है और अब सरकार देश में कुछ प्राईवेट बैंक खोलने जा रही है। जिन्हें हमारे रिजर्ब बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के आधार पर काम करना होगा। उनमें फुल टाईम मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे और पार्ट-टाइम चेयरमैन के बारे में भी इस बिल में गाइडलाइंस दी हुई है। जिसके बारे में मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहती हूं।

जब मैं छोटी थी तो मैंने एक नारा इस देश में सुना था - मिल के चलो, मिल के चलो लेकिन आज देश में कुछ ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो गयी हैं और लोगों ने कुछ गलत फायदा उठाने के लिये उस नारे को कुछ इस प्रकार लगाना शुरू कर दिया है। लूटके चलो, लूटके चलो। मैं मानती हूं कि हरेक आदमी गलत नहीं हो सकता, हर आदमी खराब नहीं होता लेकिन काफी आदमी ऐसे हैं जो कुछ नेशनेलाइज्ड बैंकों में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काफी समय से रहे हैं यदि उस जगह कोई पोलिटिकल इंफ्लूएंस का आदमी आ जाता है, कोई ट्रेड

यूनियन का आदमी आ जाता है तो वह खाली अपने हित में या ज्यादा से ज्यादा ट्रेड यूनियन के हित में काम करेगा, आम जनता के लिये वह काम नहीं करेगा। इस बारे में, मैं सुझाव देना चाहती हूं कि जैसा इस बिल में कहा गया है कि अब कोई इलेक्टेड व्यक्ति ही इस पद का नियुक्त हो सकता है लेकिन नेशनेलाइज्ड बैंकों में आज तक जो कुछ चलता आया है, जिसके चलते सिक्योरिटी स्कैम हुआ, उसके लिये खाली गवर्नमेंट के ऊपर रिस्पोंसिबिलिटी डालना ठीक नहीं है। मैं कहना चाहती हूं कि किसी बैंक के बोर्ड आफ डायरेक्टर्स में दस-दस साल तक एक ही व्यक्ति बैठा रहेगा, यदि देखा जाये कि इस अवधि में उसने क्या किया, वह कौन व्यक्ति था, उसने आम जनता के हित में कितनी बातें की, कितने सवाल इंसानियत के उठाये, उसने खुद अपने हित के काम ही किये, मैं चाहती हूं कि इस मामले की इंवैस्टीगेशन की जानी चाहिये, जिसकी मैं आपके माध्यम से डिमांड करना चाहती हूं। मुझे मालूम है कि स्टेट बैंक आफ इंडिया के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक व्यक्ति मिस्टर गोडबोले हैं। जिसको उस पोस्ट पर रहते हुए 10 वर्ष हो गये और अब भी वे ही उसी पोस्ट पर कंटीन्यू कर रहे हैं। उसके पीछे क्या पोलिटिकल इफ्लूएंस है, उसका पता करना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि जो भी बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में नियुक्त किया जाए, उसमें किसी तरह के पोलिटिकल इंफ्लूएंस से काम नहीं लेना चाहिये, किसी ट्रेड यूनियन से एफीलियेटिड परसन को नियुक्त नहीं करना चाहिए क्योंकि यदि किसी ट्रेड यूनियन का व्यक्ति वहां आयेगा तो वह यूनियन की ही बातें करेगा तथा अपने परसनल हित में काम करेगा, देश की आम जनता के हित में वह काम नहीं करेगा।

मैं, इसलिए कहती हूं कि सिक्योरिटी स्कैम ने हमारी आंखे खोल दी हैं जिससे हमारे देश की आम जनता आज भी यह सोचती है कि अगर हम प्राइवेट बैंकों में पैसे रखेंगे, तो हमारे पैसे की सिक्योरिटी क्या होगी। इसलिए यह बात साफ-साफ कहना बहुत जरूरी है कि प्राइवेट बैंकों की लायलटी किस के ऊपर है। अगर गवर्नमेंट की फुल रिस्पांसिबिलिटी है तो उसका इनके लिए मानिटरिंग सिस्टम होना चाहिए जिससे देश की जनता के रूपए को कोई लूट न सके।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में बहुत सारी चिट फंड कम्पनियां हैं और कई फायनेंश्यल इंस्टीट्यूट हैं, जो जनता के पैसे को दबाकर बैठ गए हैं और उसको वापस नहीं करते हैं। इसके कारण आम और गरीब जनता बहुत दुखी है। गरीब जनता को ये चिट फंड कम्पनियां चीट कर के चली जाती हैं। इस सम्बन्ध में मैंने एक प्रश्न पूछा था तो उसके जवाब में कहा गया कि रिजर्ब बैंक की गाइड लाइन्स के अनुसार उनको काम करना चाहिए। यह बात ठीक है, रिजर्ब बैंक की गाइड लाइन है, लेकिन इस देश में ये कम्पयिां इन गाइड लाइनों को फौलो नहीं करती हैं और जनता के पैसे को खा जाती हैं तथा उससे दूसरी नई कम्पनी खोल लेती हैं। ऐसी कम्पनी और संस्थाओं के ऊपर राजनीतिज्ञों का हाथ होता है। इसलिए मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि वे ऐसी चिट फंड संस्थाओं की तरफ ध्यान दें और डिफाल्टरी के खिलाफ सख्त कार्यवाही करें।

महोदय, आम जनता की भलाई के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी, तत्कालीन प्रधान मंत्री महोदया ने इन बैंकों का राष्ट्रीकरण किया था। बैंकों में जो यूनियन हैं, उनका इनमें दखल बहुत बढ़ता चला जा रहा है। आज हालत यह है कि व्यापारियों को, उद्योगपतियों को तो जितना चाहें लोन मिल जाता है, लेकिन एक गरीब शिक्षित

बेराजगार को आज लोन नहीं मिलता है और उसको 35 हजार रूपए की लोन लेने के लिए 6-6 महीने चक्कर लगाने पड़ते हैं, लेकिन बिना कुछ दक्षिणा के उन्हें लोन नहीं मिलता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि विदेशी बैंकों की बजाय देशी बैंकों को ज्यादा महत्व देना चाहिए और विदेशों की जो अच्छी चीजें हैं उनको तो लेना चाहिए, लेकिन महत्व तो अपने लोगों को देना चाहिए। हमें अपने लोगों को अच्छा कार्य सिखाने के लिए हमें अपने यहां वर्क कल्चर बिल्डअप करना चाहिए।

महोदय, वित्त मंत्रालय सिक्योरिटी के नाम पर 172 बैंक शाखाओं को बन्द करने जा रहा है। अगर ऐसा होगा तो हमारे बैंक एम्प्लाइज का क्या होगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि इनको बन्द मत कीजिए, बल्कि टाइम बाउंड प्रोग्राम रखिए, अपने विजिलेंस सिस्टम को इम्प्रूव कीजिए। अगर हमारे देश के आम आदमी को कोई चीज नहीं मिलेगी और बाहर के लोगों को सब चीजें मिल जाएंगी, तो हमारे लोग कम्पटीशन में तो पीछे रहेंगे ही और विदेशी बैंक तो हमेशा कम्पटीशन में आगे रहेंगे। हमारे देश के जो कामयाब आदमी हैं उनको भी एक्सपर्ट टैक्नोलोजी देकर और माडर्नाइजेशन करके उनको भी रेस्पांसिबिलिटी देकर काम कराना जरूरी है।

महोदय, बैंकिग सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो हमारे देश की आम जनता, गरीब लोग और मजदूरों के लिए काम करें न कि आदमी के इंडीविजुअल इंटरेस्ट के लिए काम करें, इस बात पर मैं सहमत हूं। साथ-साथ मैं एक और सुझाव देना चाहती हूं। हमारे देश में अभी महिलाओं का इम्प्लॉयमेंट 2 प्रतिशत है। यदि बैंकिग मंत्री महिलाओं को ज्यादा अपौरचुनिटी दें तो मैं उनकी आभारी रहूंगी। महिलाएं अभी भी ईमानदारी से काम कर सकती हैं। गांवों में जो बैंक बनेंगे, मैं चाहती हूं कि वे स्पेशल महिला बैंक हों। यदि आप करप्शन हटाना चाहते हैं तो महिलाओं पर भी जिम्मेदारी देकर देखिए, सब महिलाएं करप्ट नहीं हैं, कोई-कोई हो सकती है।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं आपका आभारी हूं कि दूसरे दिन मुझे आपसे पहले बोलने का मौका दिया, यद्यपि कुछ सदस्यों को इस पर आश्चर्य हुआ है।

सबसे पहले यह कहना चाहता हूं कि यह भी एक अन्य अध्यादेश है। पिछले तीन दिनों से हम अध्यादेशों पर ही चर्चा कर रहे हैं। हर बार, हमने यह प्रश्न किया कि यह अध्यादेश प्रख्यापित क्यों किया गया।

श्री ए. चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : यह एक तकनीकी मामला है। मैं आपका आभारी होऊंगा यदि आप विधेयक के मुद्दों पर चर्चा से सभा को अपने विचारों से अवगत कराएं ताकि यह चर्चा अधिक उपयोगी बन सके।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं श्री चार्ल्स को आश्वासन देता हूं कि मैं इस संबंध में अपनी तरफ से भरसक प्रयत्न करूंगा यदि उनसे उनको सहायता मिलती है।

हमें उन परिस्थितयों को, स्पष्ट करने वाले वक्तव्य पर ध्यान देना चाहिए जिसकी वजह से तत्काल अध्यादेश द्वारा विधान लाने की आवश्यकता हुई।

तर्क का आधार यह है कि इसको लाने की अतिआवश्यकता क्या थी? वक्तव्य यह है। नरसिंह समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए अतिआवश्यकता अत्यधिक प्रतिस्पर्द्धा में कारण है। अध्यादेश जारी किये जाने के लिए सम्पूर्ण तर्क इसी पर आधारित है। प्रतिस्पर्द्धा के लिए इस अत्यावश्यकता हेतु तीन सप्ताह तक प्रतीक्षा नहीं की जा सकती। यह अध्यादेश 31 जनवरी को प्रख्यापित किया गया था। संसदीय प्रक्रियाओं के बारे में पर्याप्त जानकारी न होने पर भी सभी इसके बारे में जानते हैं। सत्ता पक्ष के सदस्य जानते हैं कि 22 के बाद बजट सत्र नहीं बुलाया जा सकता। वे सभी जानते थे कि अगले तीन सप्ताहों में बजट बुलाया जाने वाला है और वे कहते हैं कि प्रतिस्पर्द्धा की खातिर तीन सप्ताह भी नहीं दिए जा सकते। संगत प्रश्न यह है कि मंत्री महोदय ने इस बारे में सभा को संतुष्ट करना होगा कि किन कारणों से अध्यादेश को प्रख्यापित करने की अतिआवश्यकता हुई। तीन सप्ताहों की अवधि के अंदर किस प्रकार की प्रतिस्पर्द्धा पैदा करने में आपको सफलता मिली? आज के ''दि हिन्दुस्तान टाइम्स'' में एक समाचार है जिसमें कहा है कि अनेक आवेदन पत्र मिले हैं लेकिन कम से कम ऐसा नहीं लगता कि अधिकांश इसके बारे में गम्भीर हैं। वास्तव में इन अध्यादेशें के लिए मेरा स्पष्टीकरण एक दम अलग है। इन अध्यादेशों का उपयोग सभा के समक्ष एक कार्य के रूप में किया गया मुझे विश्वास है कि ऐसा कोई अन्य मामला बिल्कुल नहीं है क्योंकि मंत्री महोदय यह स्पष्ट नहीं कर पाएंगे कि तीन सप्ताहों में इतनी प्रतिस्पर्द्धा पैदा की गई और यदि हमने अध्यादेश प्रख्यापित नहीं किया होता तो हम उससे वंचित रह गए होते। यह कार्य बहुत आसान है। यह कार्य यह है कि उन्होंने संसद को इस कार्य को पूर्ण करने की स्थिति के लिए विवश किया। वे सभा में आए; वे बहुत ही साधारण अपील के साथ कार्य मंत्रणा समिति में आए कि एक निश्चित समय अवधि में इन अध्यादेशों को पारित करना होगा और इसलिए हमें इससे सहमत होना होगा, कि यह उस समय के दौरान पारित किया जाए। वे इस सभा के सदस्यों को इस तरीके से खरीदना चाहते हैं। इसलिए वे अध्यादेश के प्रख्यापन का उपयोग देश की संसद के समक्ष एक कार्य के रूप में करते हैं। मैं चाहता हूँ कि वह उनके विरुद्ध इस आरोप का खण्डन करें। यह सब अध्यादेश के बारे में है और इसीलिए मैं इस अध्यादेश के विरुद्ध लाए गए संकल्प का समर्थन करता हूँ।

मैं दूसरे मुद्दे पर आता हूँ। इस वक्तव्य में, इस विधेयक के बारे में एक उल्लेख किया गया है। यह उल्लेख किया गया है कि इस विधेयक और इस अध्यादेश से भा.रि. बैंक प्रशासन की निगरानी बेहतर तरीके से कर सकेगा। यह इतनी नासमझ बात है कि इन तीन सप्ताहों के दौरान, इस अध्यादेश से भा.रि.बैंक निजी बैंकों के प्रशासन को सुचारू बना देगा। आप जानते हैं कि भा.रि.बैंक का विचार किस प्रकार दण्ड की राशि बढ़ाकर प्रशासन को सुचारू बनाने का है। ऐसे वक्तव्य से अधिक मूर्खतापूर्ण बात कोई हो नहीं सकती। यह बात उद्देश्यों में दी गई है। उन्होंने इसे विधेयक के उद्देश्यों में रखा है। उन्होंने इसे अध्यादेश को प्रख्यापित किये जाने के कारणों को स्पष्ट करने वाले कथन में रखा है। अतः हमारे पास इस पर बल देने के लिए अतिरिक्त कोई उपाय नहीं हैं कि या तो वे इस अध्यादेश के औचित्य को पूर्णतः स्पष्ट करते हुए संतुष्ट करें अथवा अध्यादेश वापिस लें। अध्यादेश को व्यपगत होने दिया जाए। राज्य सभा में पारित विधेयक को बाद में स्वीकृति दी जाए।

अब, मैं विधेयक के सार पर वापस आता हूँ। विधेयक का उद्देश्य यह है कि निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए

संशोधन आवश्यक हैं। संशोधन किस उद्देश्य के लिए आवश्यक हैं। प्रतिस्पर्द्धा पैदा करने के लिए आवश्यक हैं? प्रतिस्पर्द्धा किस के साथ ? यह प्रतिस्पर्द्धा विदेशी क्षेत्र के बैंकों के साथ नहीं है। यह एक प्रतिस्पर्द्धा है जोकि सरकारी क्षेत्र के बैंकों को उपलब्ध करानी होगी। इन सब का संबंध स्वयं बैंकों के बीच नहीं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कार्यकारण के बारे में है।

नरसिम्हन समिति की रिपोर्ट और वित्त मंत्रालय दोनों की यह धारण है कि गैर सरकारी क्षेत्र से प्रतिस्पर्द्धा के बिना सार्वजनिक क्षेत्र को दुरूस्त नहीं किया जा सकता। उनका अभिप्राय इस प्रकार के गैर सरकारी क्षेत्र से है जिनके मालिक भारत में बड़ी गैर सरकारी लिमिटेड कम्पनियों या सरकारी लिमिटेड कम्पनियां हैं और केवल वही गैर सरकारी क्षेत्र को लाभप्रद बना सकते हैं। यह पूर्वानुमान है। यह पूर्णत् सच नहीं है कि सरकारी क्षेत्र प्रतिस्पर्द्धा का सामना नहीं कर रहे हैं। क्या यह सच है? क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए प्रतिस्पर्द्धा की कमी थी? कई वर्षों से विदेशी बैंक यहां क्या कर रहे हैं? वे भ्रष्टाचार में प्रतिस्पर्द्धा कर रहे हैं?

3.00 म० प०

श्री मुकुल यहां नहीं हैं। उन्हें वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ लोगों को सलाह देनी चाहिए थी कि यहां कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें खामियां भी कहा जाता है। इस क्षेत्र में स्तर को बनाए रखने की इस बात में विदेशी बैंको को सुविधा दी जाती हैं, उन्हें इस प्रकार कार्य करने की अनुमति दी जाती है जिससे वे कर्मचारियों के लिए अधिक उत्पादकता कर सकें। वे जमा के लिए उस राशि से कम कोई राशि स्वीकार नहीं करेंगे जोकि भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के लिए अनिवार्य है। श्रीमती गांधी भारतीय सरकारी क्षेत्रों के बारे में यही कहती थीं। यह भी एक कारण था कि हमने बैंको के राष्ट्रीयकरण का समर्थन क्यों किया। इस व्यवस्था के साथ, यह एक समाजवादी व्यवस्थ नहीं है, यद्यपि संविधान में समाजवाद शब्द मौजूद है-जो बैंकिंग प्रणाली की आधुनिक व्यवस्था है हमें इसका उपयोग करना चाहिए जिससे देश में साहूकारों की कमर तोड़ी जा सके। यही वह कार्य था जोकि सरकारी क्षेत्र द्वारा शुरू किया जाना था।

3.01 म०प०

(श्रीमती संतोष चौधरी पीठासीन हुईं।)

क्या विदेशी बैंकों की देश में कोई ऐसी जिम्मेदारी है? हम प्रतिस्पर्द्धा और प्रतिस्पर्द्धा के लिए इस क्षेत्र में स्तर को बनाए रखने की बात करते हैं। क्या यह केवल वही है? हम विदेशी बैंको से एक अथवा दो बातें सीखने का प्रयास कर रहे हैं। वित्त मंत्रालय का नवीनतम अनुभव क्या है? हम उसे जानते हैं। इसके बाद बैंकिंग क्षेत्र का केवल औचित्य यह होना चाहिए कि क्या यह लाभ कमाने वाला है या नहीं। मैं आपको बताता हूँ कि इसका केवल यही औचित्य है। विशेषकर पिछले 30 वर्षों से यही है जिसका सरकारी क्षेत्र के बैंकिंग संगठनों के प्रमुख है। कार्यकारियों और सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के प्रमुखों के बीच शोरगुल है। क्या यह सच नहीं है? यह और कुछ नहीं बल्कि लाभ है। उन्होंने इसकी खोज की। न केवल उन्होंने इसकी खोज की बल्कि उन्होंने गैर सरकारी क्षेत्र और विदेशी क्षेत्र दोनों में गैर सरकारी प्रतिस्पर्द्धा करने वालों का अनुकरण भी किया। इससे हजारों करोड़ों रुपयों

की देश में लूट हुई। संयुक्त संसदीय समिति ने इसी पर चर्चा की थी। इस प्रकार के संयुक्त ग्रुप के साथ एक लेनदेन हुआ था जिसके बारे में यह माना गया था कि वह विदेशी बैंकों के साथ प्रतिस्पर्द्धा कर रहा था। वास्तव में विदेशी बैंको ने इसे स्थापित किया। यह संयुक्त संसदीय समिति का निष्कर्ष था, प्रसिद्ध सिटी बैंक और यह सब उसके सबूत हैं। मैं कोई गुप्त बात नहीं बता रहा हूँ। उन्होंने आरम्भ में संयुक्त संसदीय समिति के सन्मुख यह बताने से मना किया। उन्होंने हमारे सामने यह बताया कि हमारी सरकार ने उन्हें बताया कि लाभ प्रमुख संकेतक हैं। वे हमारी मदद चाहते थे। संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट से हमें ज्ञात हुआ कि हम उनकी मदद के लिए बढ़े थे। वास्तव में, भा. रि. बैंक के भूतपूर्व गर्वनर ने विदेशी बैंकों के साथ थोड़ी नरमी बरतने की सलाह दी थी जिससे कि उन्हें सभी अनियमितताओं के लिए, मार्ग निर्देशों के हर प्रकार से उल्लघनों के लिए, जिनमें वे लगे हुए थे, पकड़ा न जाए।

श्री इन्द्रजीत (दार्जिलिंग) क्या इसका कोई उद्देश्य है?

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : लाभ इसका उद्देश्य है। हमने इसके कारकों को पता लगाने का प्रयास किया। इसके सबूत हमारे ग्रंथालय में रखे हुए हैं। लाभ की कुल राशि बैंकों में न पहुंची हो। यह राशि दलालों द्वारा न खाई गई हो, यह राजनीतिक लोगों की तिजोरियों में पहुंच गई हो। लेकिन यह एक अलग कहानी है और मैं उस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ।

यही बात आपने उन्हें प्रतिस्पर्द्धा के बारे में बताई । सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और बैंकिंग संगठन के लगभग प्रत्येक प्रमुख के साथ इस प्रश्न पर हमारा उनसे अलग अलग आमना सामना हुआ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया।

क्या आप जानते हैं कि वे किस प्रकार के साधनों का इस्तेमाल कर रहे थे। हम लज्जित हो सकते हैं परन्तु वे नहीं थे। उन्होंने यू.टी.आई. के यूनिट सटिफिकेट तक में जालसाजी की। यह पूर्णतया जालसाजी थी और उनका मुद्रण भी जाली था। रिपोर्ट में इसका उल्लेख है। इसमें उल्लेख किया गया है कि उन परिसम्पतियों का व्यापार किया जा रहा था जो मौजूद ही नहीं थीं, वे उसकी सफाई दे रहे थे। काल मानीदर 80 प्रतिशत तक चली गई। हमने उनसे पूछा कि वे लज्जित क्यों नहीं थे। हमने उनसे कहा कि वे सभी बुजुर्ग हैं देशभक्त हैं परन्तु ऐसा क्यों है कि ऐसी बात हुई? बारम्बार उत्तर यही था कि नए माहौल में उन्हें अपने तुलन पत्र में लाभ दिखाने को कहा गया । वे अपने तुलन पत्रों में आंकड़े अधिकतम दिखाना चाहते थे, लाभ अधिकतम दिखाना चाहते थे। वे अपने तुलन पत्रों में सकारात्मक परिणाम दिखाना चाहते थे। उन्होंने यही उत्तर दिया था।

सरकारी क्षेत्र की रूग्णता का क्या कारण है? हम सभी जानते हैं कि सरकारी क्षेत्र की समस्याएं क्या हैं। यहां तक कि प्रख्यात नरसिंहन कमेटी भी जानती है कि सरकारी क्षेत्र की रूग्णता क्या है। मैं दूसरे साधनों की बात नहीं कर रहा हूँ। आप सभी जालसाजी और बैंकर रसीद के बारे में जानते हैं। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के नाम जारी चेक जिन्हें बैंकर्स चैक कहा जाता है। एक बैंक द्वारा दूसरे बैंक के पक्ष में जारी चैकों को बिना किसी लज्जा के दलाल के नाम खाते में डाल दिया गया था। ऐसा हुआ है। अतः यह गैर-मौजूद परिसम्पत्तियों के मामले में

यह न सिर्फ जालसाजी थी न केवल उनका व्यापार करना था बल्कि इस प्रकार के उल्लंघन भी हुए थे।

सभापति महोदया : कृपया अपनी बात को दो मिनट में पूरा करने का प्रयास करें।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : मैं इसे दो मिनट में पूरा नहीं कर सकूंगा। महोदया मैंने अभी बोलना शुरू ही किया है।

श्री पी.सी. चाक्को (त्रिचुर) : आप विधेयक पर क्यों नहीं बोलते हैं।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : मैं उस पर भी बालूंगा। मुझे पता है कि आप एक प्राइवेट बैंकर हैं।

महोदया जब श्री चाक्को जैसे लोगों को प्रतिस्पर्द्धा की पेशकश के लिए अनुरोध किया जाता है तो सरकारी क्षेत्र की रूग्णता के क्या कारण हैं।

बैंकों में धोखाधड़ी के संबंध में एक और प्रतिवेदन है। यह प्रतिवेदन अब कुख्यात या प्रख्यात श्री अमिताभ घोष डिप्टी गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक की अध्यक्षता में यह रिपोर्ट आई। उन पर भी आरोप लगाया गया था। परन्तु, तथापि यह एक आश्चर्यजनक रिपोर्ट है। इस प्रतिबेदन के एक पैरा में इस प्रकार कहा गया है।

सरकारी क्षेत्र के अवकाश ग्रहण करने वाले चेयरमैन, अपनी सेवा के अंतिम वर्ष में जब उन्हें विश्वास हो जाता है कि उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, लोगों को ऋण दे सकते हैं, जो कभी वापस नहीं किया जाता। डिप्टी गर्वनर ने ऐसा प्रतिवेदन में लिखा है। जो धोखाधड़ी के विशेषज्ञ हैं, हो सकता है वो भी इसमें शामिल हों, यह जे.पी.सी. का निष्कर्ष है। यह उनकी टिप्पणी है। वह काफी जानकार व्यक्ति था। उन्होंने कहा था कि सरकारी क्षेत्र के बैंको की रूग्णता प्रतिस्पर्धा की कमी नहीं है, बल्कि इस प्रकार की इतनी बड़ी धोखाधड़ी वसूल न हो सकने वाले ऋण हैं जो वसूल नहीं किये जाते हैं। यह कहा गया है कि बैंक इतने अक्षम हैं कि वे अपनी पूंजी ही खा गए और इसीलिए तीन लगातार बजटों में 5000 करोड़ रुपये से अधिक प्रदान किये गये ताकि बैंकों में पूंजी की कमी न हो। इसे पूंजी पर्याप्तता कहते हैं। ऐसा विदेश से कहा गया है। इंटरनेशनल बैंक ऑफ सेटलमेंट संबंधी बसले समिति ने ऐसा निर्देश दिया है। 15000 करोड़ रुपये की यह राशि उस राशि के बराबर है जिसे घोष कमेटी ने बैंकों की धोखाधड़ी में बताया था।

सरकारी क्षेत्र की रूग्णता का क्या है ? प्रतिस्पर्द्धा की कमी ? हमने एक सूची दी है कि सरकारी क्षेत्र के विभिन्न बैंकों में प्रबन्धकों के, अन्य पदों के कितने स्थान रिक्त पड़े हैं। क्या यह प्रतिस्पर्द्धा की कमी के कारण है। कितनी भी जालसाजी की गई वह प्रतिस्पर्द्धा की कमी के कारण नहीं हुई। यदि कोई व्यक्ति कोई सुझाव देता है तो यह विपरीत वक्तव्य होगा। वित्त मंत्रालय में तथाकथित इमानदार ओहदे वाले व्यक्तियों के समक्ष इन सभी कार्यकलापों को सिद्ध करने के लिए धोखाधड़ी की गई ताकि तुलन पत्र में कुछ खामी न दिखे। हम जानते हैं कि इस तरह की सभी गतिविधियों में भारतीय रिजर्व बैंक ने मदद की है। मैं इसका इसलिए उल्लेख कर रहा हूँ क्योंकि यहां इसका उल्लेख किया गया है ताकि भारतीय रिवर्ज बैंक बेहतर निगरानी कर सके। यह बिल्कुल सच नहीं है हालांकि हमने स्वतंत्रत रूप से निगरानी किये जाने की सिफारिश की है, हमें वह कहानी पता है।

भारतीय रिजर्व बैंक के एक गवर्नर इस बात से अप्रसन्न थे कि भारतीय स्टेट बैंक में हर्षद मेहता के खाते पर समुचित रूप से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। शायद आपको कहानी पता हो कि यह अशोध्य खाता नहीं था बल्कि उनके चालू खाता के बारे में कहा जा रहा था। वास्तव में चालू खाते में किसी प्रकार का फेरबदल नहीं किया गया। उस समय भा0 स्टे0 बैंक में हो यह रहा था कि भा0 स्टे0 बैंक में प्राप्त बैंकर्स चैक बैंक के खाते से थे और उन्हें श्री हर्षद मेहता के नाम भेजा गया था जबकि उन्हें उनके खाते में दर्ज बिल्कुल नहीं किया गया था। कार्य दिवस के अंत में श्री हर्षद मेहता के खाते में केवल वास्तविक स्थिति दर्ज कर दी जाती थी। जिसे भा0 स्टे0 बैंक के तत्कालीन चैयरमैन श्री गोयपुरिया ने बिल्कुल नहीं छुआ। भा0 रि0 बैंक के गर्वनर को अपनी समझदारी से इस स्थिति में हस्तक्षेप करना पड़ा था तथा हर्षद मेहता का कारोबार उसके अपने खाते के ध्यान में रखते हुए कम हो रहा था। अत: उसने प्रबंध निदेशक से मिलने का प्रयास किया। उस समय तक चेयरमैन ने त्यागपत्र दे दिया था क्योंकि वे जिम्मेदार व्यक्ति थे और ऐसी स्थिति का सामना नहीं कर पाए।

परन्तु प्रबंध निदेशक जो भारतीय रिवर्ज बैंक में एक अधिकारी के मित्र थे जो इस प्रकार के कार्यकलापों के लिए अपने ही बैंक में प्रभारी नहीं थे, को भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख अधिकारी के माध्यम से गवर्नर द्वारा लाया गया और उसे उन नई अंतर्राष्ट्रीय कम्पनियों का कार्यभार सौंपा जो भारत में आ रही थीं। ताकि उनको फायदा पहुंचाया जा सके और श्री हर्षद मेहता के खाते के काम में किसी प्रकार की बाधाएं न आएं।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों को इसी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। हम यहां इन स्थायी समितियों में तथा बाहर भी बारम्बार इस बात पर जोर देते रहे हैं कि इस प्रकार के कार्य का पता लगाने के लिए अहम मुद्दा है बैंककारी विनियमन अधिनियम तथा बैंकों से संबंधित सभी अधिनियमों के अंतर्गत 'गोपनीयता संबंधी खंड' को समाप्त कर दिया जाए। जैसा कि हम देखते हैं कर भुगतान के मामले में अमिताभ बच्चन सबसे बड़े भूककर्त्ता हैं हम यह पता लगाना चाहते हैं कि बैंकों से संबंधित अशोध्य ऋण के मामले में सबसे बड़ा भूककर्त्ता कौन है। हम उनके नाम जानना चाहते हैं। अत: कृपया गोपनीयता संबंधी खंड से उन्हें न बचाएं। परन्तु इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। गोपनीयता संबंधी खंड का अर्थ सम्मानजनक धोखाधड़ी में शामिल होना है। अर्थात् कृपापात्र व्यक्ति जिसने घोटाला किया है। अत: गोपनीयता संबंधी खंड शुरू किया गया। हम इस बात पर दवाब दे रहे हैं कि इन्हें हटाया जाए। परन्तु इन्हें हटाया नहीं गया। अगर ऐसा किया जाता, तो बैंकिंग प्रणाली स्वस्थ होती और ऋण देने की प्राचीन हिन्दु महाजन व्यवस्था को दूर करने के लिए देश के कोने कोने में बैंकिंग संस्थान को फैलाने के सामाजिक दायित्व के अलावा सरकारी क्षेत्र के बैंक को ऐसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता।

सभापित महोदया : मुझे यह कहते हुए खेद है। कृपया संक्षेप में बोलें।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : मैं अभी भी विधेयक के उद्देश्यों पर बोल रहा हूँ। अब मुझे विधेयक के उपबन्धों पर बोलना है।

सभापित महोदया : कृपया मेरी बात सुनिए। आप सभा के काफी सम्माननीय सदस्य हैं। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। वास्तव में मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ कि मैं मजबूर हूँ क्योंकि अनेक सदस्यों को बोलना है। कृपया संक्षेप में बोलें।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : मैं वादा करता हूँ कि मैं आपकी मदद करूंगा और यह प्रयास करूंगा कि आप मजबूर न हों।

सभापति महोदया : आपने पहले ही 25 मिनट ले लिये हैं।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : इसी लिए तो मैं कह रहा हूँ कि मैंने अधिक समय नहीं लिया है।

सभापित महोदया : आपकी पार्टी को सिर्फ सात मिनट का समय दिया गया है।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : अब मैं विधेयक के कुछ उपबन्धों पर बालूंगा।

मैं पहला मुद्दा यह उठा रहा था कि सरकारी क्षेत्र के बैंक के कार्यकरण को सुचारू बनाने के लिए प्रतिस्पर्द्धा की मांग नहीं की गई थी। जिसका श्री चाक्को उत्तर देना चाह रहे थे और यह पूर्णतया अनावश्यक था। गैर सरकारी क्षेत्र के दो प्रकार के बैंक बदनाम हैं एक विदेशी गैर सरकारी क्षेत्र के बैंक हैं, जिसके बारे में जे.पी.सी. ने सुझाव दिया था कि उनके लाइसेंस रद्द कर दिये जाएं। दूसरे प्रकार के गैर सरकारी क्षेत्र के बैंक के अंतर्गत बैंक ऑफ कराड़ आता है।

महोदया, मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि श्री चाक्को उस बैंक में शामिल नहीं हैं। वह बैंक दलालों का बैंक बन गया है। यह कोई कहने की बात नहीं है कि एक गैर-सरकारी क्षेत्र का बैंक जो मामूली सी पूंजी के साथ, श्री भपेन दलाल, श्री हितेन दलाल, श्री नरोत्तम और अन्य लोगों की सहायता से प्रतिदिन सैंकड़ों करोड़ रुपये का व्यापार करता था। गैर सरकारी क्षेत्र का इतना छोटा सा बैंक आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि उसकी प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति इतनी हो सकती है।

यह भारत के सबसे बड़े बैंक 'स्टेट बैंक ऑफ इंडिया' के साथ सांठ-गांठ कर रहा है। यह -स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड- के साथ सांठ-गांठ कर रहा है। स्टैन्चार्ट, इस भ्रष्टाचार के काम को करने तथा इसमें बढ़ोतरी करने के लिए इस 'बैंक ऑफ कराड़' की सहायता ले रहा था। यही कोशिश थी सिटी बैंक की जो एक सुप्रसिद्ध बैंक है तथा जो अब हमारा मालिक बन गया है गैर सरकारी बैंकों का यह स्वरूप था। बैंक ऑफ कराड़ जिसमें दलालों का एक बड़ा हिस्सा था को छोड़कर ये बैंक छोटे थे।

खामी रहित दिखने वाले इस विधेयक में हम अब क्या उपलब्ध कर रहे हैं? कुछ नहीं। एक पूर्णकालिक चेयरमैन न रखना, एक अंशकालिक चैयरमैन रखना। क्यों? अंशकालिक चैयरमैन रखना क्यों आवश्यक है? क्योंकि हम इस बात से संतुष्ट नहीं हैं कि दलाल लोग ही वह सब कुछ कर रहे थे। हम नहीं चाहते थे कि प्रतिस्पर्धा केवल दलालों से ही आए बल्कि यह प्रतिस्पर्धा भारत के बड़े बड़े व्यापारियों से आनी चाहिए तथा विदेशी व्यापार से भी होनी चाहिए। .... **(व्यवधान)**

जे.आर.डी. यदि जीवित होते तो उनसे भी हम यह उम्मीद नहीं कर सकते थे कि वह बैंक ऑफ कराड़ के पूर्णकालिक चैयरमैन बनते। उनसे हम ऐसे किसी बैंक के पूर्णकालिक चैयरमैन होने की आशा नहीं कर सकते थे जिस पर राष्ट्रीयकरण से पहले उनका नियंत्रण था। राष्ट्रीयकरण से पहले टाटा, बिरला और अन्य लोगों का

बैंकों पर नियंत्रण था। उनमें से कोई भी पूर्णकालिक चैयरमैन नहीं है। ....**(व्यवधान)**

मैं श्री चाक्को के बारे में भी नहीं जानता कि उनका किस प्रकार का अवैधानिक स्वामित्व है।

अब वे चाहते हैं कि पूर्णकालिक चैयरमैन-पूर्णकालिक का अर्थ है कि अनिवार्यतः पूर्णकालिक --सम्बन्धी उपबन्ध को हटा दिया जाए ताकि भारत से कोई भी बिडला आ सके, ताकि भारत से कोई भी डी.सी.एम. का व्यक्ति आ सके। वे अंशकालिक चैयरमैन होंगे। ...... **(व्यवधान)**

सभापति महोदया : कृपया अब अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं अम्बानी का उल्लेख करना नहीं चाहता। मुझे इसका उल्लेख करना भी नहीं था। परन्तु उन्होंने मुझे अभी-अभी स्मरण कराया है। आज सुबह मुझे 'हिन्दुस्तान टाइम्स' द्वारा स्मरण कराया गया। इसके लिए अम्बानी ने आवेदनय किया है। रिलायन्स उद्योग ने एक बैंक के लिए आवेदन किया है। यह आज के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' की खबर है। इसलिए अम्बानी को अंशकालिक चैयरमैन बनने की अनुमति दी जाएगी। अब, इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? मैं आपको पिछली शताब्दी के अन्त और शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में ले जाना चाहता हूँ जब एक भारी परिवर्तन आया और विश्व में पहली बार यह हुआ कि निदेशक जो औद्योगिक सम्पत्तियों के मालिक थे अपनी पूंजी का बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्रों में विलय कर रहे थे। यह बात पिछली शताब्दी के अन्त और इस शताब्दी के शुरूआत में हो रही थी। यह प्रमुख रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में हो रहा था। इस प्रक्रिया में वहां की कम्पनियों, वहां के बड़े व्यवसाय इतने शक्तिशाली हो गए थे कि 20वीं शताब्दी उन लोगों का साम्राज्य बनना या बिगड़ना शुरू हो गया जिनके साम्राज्य में कभी सूर्य अस्त नहीं होता था। अंग्रेज इस परिदृश्य से पीछे हटने लगे और अमेरिकी शताब्दी शुरू हो गई।

इस शताब्दी के दूसरे दशक में अन्य देश के एक अत्यन्त प्रतिभाशाली राजनीतिक अर्थशास्त्री ने, जो अन्य अनेक क्षेत्रों के भी ज्ञाता थे, इस स्थिति को नोट किया और इस आश्चर्यजनक निष्कर्ष पर पहुंचा कि वित्तीय पूंजी का औद्योगिक पूंजी में विलय साम्राज्यवाद का नवीनतम संकते है। उसे इस शताब्दी के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में याद किया जाएगा और उसकी यह राय थी कि यह इस संसार में सबसे खतरनाक चीज होगी।

अब, आप इस अधिनियम में क्या उपबंध कर रहे हैं। संक्षेप में, केवल इस प्रकार का विलय, और कुछ नहीं। जब आप का यह विचार है कि एक अंशकालिक चैयरमैन होगा, तो वास्तव में आपका केवल यही करने का विचार है। दूसरी धारा में यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी है। पहले यह कहा जाता था कि ऐसे किसी भी निदेशक को जो किसी अन्य कंपनी का पूर्णकालिक निदेशक है, किसी बैंकिंग कम्पनी में निदेशक बनने की अनुमति नहीं दी जाएगी; अब संशोधन यह है कि ऐसे ग्रुपों को जिन्हें 20 प्रतिशत से अधिक का मतदान अधिकार है तीन से अधिक निदेशक रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस प्रियोक्ति को देखें। मेरे ख्याल से अंग्रेजी भाषा में इसी को प्रियोक्ति कहते हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ न? ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई पद ही ग्रहण करने की अनुमति न दी है। यह कहा गया है कि उन्हें तीन तक रखने की अनुमति दी जाएगी। ऐसे ग्रुप को जिन्हें 20 प्रतिशत मतदान अधिकार है, के पास तीन निदेशक होंगे। इस तरह रिलायंस, बिरला तथा अन्य प्रमुख लोगों को तीन निदेशक

रखने की अनुमति होगी। औद्योगिक पूंजी का बैंकिंग और वित्तीय पूंजी के साथ विलय और क्या है? और केवल यही नहीं। इस वक्तव्य में अनेक बेहतरीन बातें हैं। यह उल्लेख किया गया है कि यह प्रयास इसलिए किया गया है ताकि प्रतिष्ठित व्यक्तियों को ही लिया जा सके। अब तक हम यह जान चुके हैं कि प्रतिष्ठित व्यक्ति कैसे बनते हैं। बैंक ऑफ कराड़ के दलाल बहुत प्रतिष्ठित बन गए। हम यह भी जानते हैं कि हर्षद मेहता से बजट पर अनुकूल टिप्पणी करने के लिए कहा गया, जब उसके परिसर में आयकर के लोगों ने छापा मारा तो प्रतिष्ठतता यह है। यर्थाथतः हम इससे इन्कार नहीं कर सकते। हम जानते हैं कि बड़े बड़े सामाजिक उत्सव विभिन्न शहरों में आयोजित किए जाते हैं जहां हमारे कैबिनेट मंत्री इस प्रकार के प्रतिष्ठित लोगों के साथ मिलते-बैठते हैं।

सभापति महोदया : श्रीमान् चटर्जी, आप कृपया बैठ जाइए। आपके दल को 7 मिनट का समय दिया गया था और आपने पहले ही 35 मिनट ले लिए हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, 7 मिनट के समय को बढ़ाकर 35 मिनट तक करने का आपका जो भी मानदण्ड रहा हो उसी के आधार पर कृपया उन 7 मिनटों को 45 मिनट तक बढ़ा दें।

सभापित महोदया : मैं आपको भाषण समाप्त करने के लिए केवल एक मिनट दूंगी। उसके बाद आप जो भी बोलेंगे उसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कृपया समाप्त करें। कृपया पीठ के साथ सहयोग करें।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : इसलिए, संशोधन यह है कि ऐसा कोई भी ग्रुप जिसे 20 प्रतिशत से अधिक मतदान का अधिकार हो, 3 से अधिक निदेशक नियुक्त नहीं कर सकता। और क्या भारत में पंजीकृत विदेशी कम्पनियों के लिए कोई प्रतिबन्ध है?

अब से न केवल भारत में सिटी बैंक की शाखा बल्कि वे सभी लोग जो बम्बई स्टाक एक्सचेंज में अपनी राशि निवेश कर रहे हैं, तीन तीन के ग्रुप में निदेशक बनेंगे और प्रतिस्पर्धा करेंगे जिसके बिना, आपकी राय में, सरकार का ज्ञान, संसद का ज्ञान और लोगों का ज्ञान सरकारी क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने में सफल नहीं होगा।

एक अन्य बात जिस की ओर में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ वह यह है कि मूल विधेयक में ऐसे कई उपबंध हैं जिनमें बहुत रोचक अंदाज में संशोधन किया जा रहा है। संशोधन इस प्रकार है कि जहां भी यह कहा गया है कि निदेशक में तीन प्रकार के गुण या योग्यताएं होनी चाहिएं - जैसे वह ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसे बैंकिंग कम्पनी के कार्यकारण के बारे में विशेष ज्ञान हो, वित्तीय, आर्थिक और वाणिज्यक प्रशासन में विशेष ज्ञान हो, आदि। ये सभी बातें केवल पूर्णकालिक चेयरमैन पर ही लागू होती है। अपनी योग्यता के क्षेत्र में कोई उनके मुकाबले नहीं हो सकता और उन्हें अपने बैंकिंग संगठनों से प्राप्त धन को प्रमुख कारणों की वजह से उनके अपने औद्योगिक संगठनों में लगाने की अनुमति दे दी जाएगी क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी बाधा के खूब लाभ कमा सकता है और देश को इस लाभ रूपी समुद्र में डुबा सकता है। मैं यह कह रहा हूँ कि यदि हम इस प्रकार के संशोधनों की अनुमति देते हैं तो इसका अर्थ यह होगा कि हम केवल यही करने का प्रयास कर रहे हैं

सरकारी क्षेत्र में यह प्रावधान है कि 13 निदेशक होंगे जिनमें से 7 बाहर से आ सकते हैं। इसलिए विदेशी लोग एक गैर सरकारी लिमिटेड कम्पनी शुरू कर सकते हैं और उन्हें फिर देश से कोई सरोकार नहीं है तथा न ही उनका सरोकार हमारे देश के गांवों में ऋणदाताओं का व्यवसाय समाप्त करने से है, बल्कि उनका सरोकार केवल अधिक से अधिक लाभ कमाने से है और कुबैर देवता की पूजा करने में है। ऐसा होते हुए भी आप चाहते हैं कि हम इस विधेयक का समर्थन करें। इसके विपरीत हम इस विधेयक का जोरदार विरोध करते हैं।

आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री ब्रह्मानन्द मंडल (मुंगेर) : सभापित महोदया, बैंककारी विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 1994 का मैं विरोध करता हूँ और जो संकल्प लाया गया है उसका मैं समर्थन करता हूँ। बैंकिंग व्यवस्था के संबंध में जो यह विधेयक लाया गया है, उससे ऐसा लगता है कि सरकार ने यह तय कर लिया है कि हरेक क्षेत्र में विदेशी पूंजी के लिए जगह खाली की जा रही है।

कहा गया है कि 10 हजार बैंकों की शाखायें घाटे में चल रही हैं और तीन हजार शाखाओं को बंद कर दिया जायेगा। तीन हजार शाखाओं को बंद कर देने से बैंको में काम करने वाले कर्मचारियों का क्या होगा, उनका इसमें कहीं भी प्रावधान नहीं किया गया है। तीन हजार शाखाओं की जगह निजी क्षेत्र की देशी या विदेशी पूंजी लेगी और वे बैंक खोलेंगी। एक तरफ हमारे बैंक सार्वजनिक क्षेत्र में हैं और दूसरी तरफ विदेशी बैंकों का जो जाल पहले से ही बिछा हुआ है, जिन की कड़े शब्दों में आलोचना संयुक्त संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में की थीं, उसके बावजूद भी उनको यहां लाने के लिए यह विधेयक लाया गया है। विदेशी पूंजी को अधिक से अधिक लाकर बैंककारी अधिनियम के जरिये कानूनी रूप दिया जा रहा है और कहा गया है कि इसे प्रतियोगिता में खड़ा किया जा रहा है। सार्वजनिक क्षेत्रों, देशी पूंजी और विदेशी पूंजी इन तीनों के बीच प्रतियोगिता होगी तो सार्वजनिक क्षेत्र को जिन के बारे में कहा गया है कि घाटे में चल रही हैं, बंद करना पड़ेगा। आपने खुद स्वीकार किया है कि वे प्रतियोगिता में नहीं टिक पायेंगे। ऐसे में निजी पूंजीपति जो पूंजी लगायेंगे, उनका क्या हश्र होगा?

यह अधिनियम जो बनने वाला है, उससे ऐसा लगता है कि संपूर्ण रूप से हर क्षेत्र में विदेशी पूंजीपतियों को लाने के लिए जगह बन रही हैं जगह बन रही हैं। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूँ।

सिक्योरिटी स्कैम की जो रिपोर्ट आई थी तो इसी सदन में वित्त मंत्री जी ने....... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : महोदया, मैं पुनः आपका ध्यान गणपूर्ति की ओर दिला रहा हूँ। सभा में गणपूर्ति नहीं है।

सभापति महोदया : गणपूर्ति की घंटी बजाई जाए।

[हिन्दी]

अब हाउस में कोरम हो गया है, मंडल जी आप अपना भाषण जारी कीजिए।

श्री ब्रह्मानन्द मंडल : महोदया, संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट में जितने भी प्रश्न बैंकिंग के संबंध में उठाए गए हैं उन सारे प्रश्नों का जवाब तीन महीने के अंदर दे दिया जाएगा, वित्त मंत्री जी ने इसी सदन में आश्वासन दिया था। अब मार्च का महीना बीत रहा है और 19 तारीख को यह सदन स्थगित हो जाएगा लेकिन वित्तमंत्री जी का सरकार की ओर से, वित्त मंत्रालय की ओर से संपूर्ण रूप से जो संयुक्त संसदीय समिति थी और उसमें जो प्रश्न उठाए गए थे, इन्होंने जो आश्वासन दिया था अभी तक इन्होंने उन प्रश्नों का जवाब नहीं दिया है। अगर उन प्रश्नों का ये जवाब देते कि क्या कार्यवाही की गई है, उसका नतीजा क्या निकला है और आगे सरकार का क्या करना है तब स्थिति बहुत साफ और स्पष्ट होती, इसके बाद अगर विधेयक लाया जाता, हालांकि इन्होंने तीन सप्ताह पहले ही जब संसद चलने ही वाला था तो इन्होंने अध्यादेश जारी कर दिया। अगर वे सारे जवाब आ जाते और उसके संदर्भ में ये बैंककारी अधिनियम लाया जाता तब सही मायने में एक ठोस रूप से कुछ कार्यवाही की जा सकती थी कि बैंक में क्या सुधार किया जा सकता है। उसके पहले ही इन्होंने यह फैसला कर लिया और ऐसा लगता है कि बैंक में भी, बैंक के नियमों में भी, कानून में भी परिवर्तन इसलिए हो रहा है कि बाहरी शक्तियों का दबाब है।

महोदया, राजनीतिक हस्तक्षेप और ट्रेड यूनियन के संबंध में भी सवाल उठाए गए हैं और कहा गया है कि जो नरसिहम्न रिपोर्ट है उसकी भी चर्चा आई है उसमें भी कहा गया है, लेकिन राजनीतिक हस्तक्षेप कहां से होता है सत्ता पक्ष से होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो ग्रामीण बैंक 196 पूरे देश में फैले हुए हैं इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति कौन करता है, वित्त मंत्रालय किया करता है। मैं आपको मुंगैर का हवाला दे सकता हूं वहां पर एक मेम्बर की नियुक्ति की गई है, नियमों के विरुद्ध लगातार चार टर्म से एक ही आदमी आ रहा है जब कि बैंक के नियम हैं कि दो टर्म से अधिक नहीं हो सकते हैं। मैंने केवल मुंगेर का उदाहरण दिया, पूरे देश में लगभग ऐसा ही हुआ होगा। कुछ बैंक अपवाद हुए होंगे। मेरा कहना है कि इसमें कौन हस्तक्षेप करते हैं, कौन इनको ऐसी स्थिति में ला रहे हैं। तो मेरा कहना यह है कि बैंकिंग में राजनीतिक हस्तक्षेप सत्ता पक्ष की ओर से अधिक होता है और इसी वजह से बैंकिंग सेक्टर और सार्वजनिक क्षेत्रों को हानि उठानी पड़ती है। इसके बाद कह दिया जाता है कि क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र में मजूदर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए घाटा हो रहा है। कर्मचारियों के ठीक काम न करने से बैंकों में घाटा हो रहा है और इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र को हटा दो, विदेशी बैंकों को देश के अंदर अनुमति दे दो। इस कारण से भी मैं इस अधिनियम का विरोध कर रहा हूं।

इस बारे में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। देश के अंदर बहुत बेरोजगारी है और ममता जी ने ठीक कहा है कि बेरोजगारों को बैंकों से ऋण प्राप्त नहीं होता है। बैंकों से बड़े और पूंजीपति लोगों को लोन मिलता है, जबकि वह पैसा बेरोजगारों को लोन देने के लिए रखा जाता है। बैंक उन्हीं लोगों को लोन दे देता है, जिनके पास पहले से पूंजी है, रोजगार है और बेरोजगार उस लोन सुविधा से वंचित रह जाते हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि

जो पैसा बैंकों में बेरोजगारों को लोन देने के लिए रखा जाता है, उसका लाभ बेरोजगारों को ही मिलना चाहिए।

इसी तरह से ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में मेरा सुझाव है कि ग्रामीण बैंकों की शाखा प्रत्येक गांव में होनी चाहिए। वर्तमान में जहां तक ग्रामीण बैंक हैं, उनमें भी जो पैसा गरीब किसान और मजदूर को लोन देने के लिए रखा जाता है, उस पैसे से बड़े लोगों को लोन दे दिया जाता है। मेरा सुझाव है कि प्रत्येक गांव में खुली ग्रामीण बैंक की शाखा से गरीब किसान और मजदूर को ऋण उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इन बैंको में ये गरीब लोग अपनी छोटी आय 10-20-50-100 रुपये भी जमा करवा सकेंगे और इससे बैंक की पूंजी में भी बढ़ोतरी होगी। इससे ज्यादा से ज्यादा गरीब किसान और मजदूर कृषि के लिए लोन प्राप्त कर सकेंगे।

इन शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूँ।

[अनुवाद]

श्री कोडीकुन्नील सुरेश (अडूर) : इस विधेयक का आशय बैंकिंग कम्पनियों में पूर्णकालिक चेयरमैन और प्रबंध निदेशकों की नियुक्ति करने के लिए उपबन्ध करना है। आने वाले वर्षों में भारतीय बैंकों को बहुत प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए उन्हें अनुभव के मामले में पूरी तरह तैयार रहना पड़ेगा।

जब मैं इस मुद्दे पर बोल रहा हूँ तो मुझे यह अवश्य कहना चाहिए कि चैयरमैन या प्रबंध निदेशक के रूप में हमें अनुभवी, निष्पक्ष और तटस्थ व्यक्ति रखने चाहिए। उनमें लोगों की सेवा करने के प्रति अपेक्षित प्रतिबद्धता होनी चाहिए। उन्हें केवल उद्योगपतियों का ही मित्र नहीं होना चाहिए। इसलिए चेयरमैन या प्रबंध निदेशकों की नियुक्ति करते समय उनकी पृष्ठभूमि को पूरी तरह ध्यान में रखा जाना चाहिए और इस संबंध में स्पष्ट मार्गनिर्देश जारी किए जाने चाहिए।

दूसरे, बैंकिंग सेवाएं अब देश के प्रत्येक कोने में पहुंच गई हैं। मेरे राज्य केरल में एक समस्या है। हमारे यहां जमाकर्त्ताओं की संख्या सर्वाधिक है। परन्तु बैंक जमा राशियों के अनुपात में ऋण वितरित नहीं करते हैं। मैं नहीं जानता ऐसा क्यों हो रहा है। यह एक बुराई है। जिसे ठीक किए जाने की आवश्यकता है।

दूसरा मुद्दा बैंक की अधिक शाखाएं खोलने की मांग के बारे में है। बैंकों का प्रचलन बढ़ने के कारण बैंकों की अधिक शाखाएं खोलने की मांग उठी है। पुराने मानदण्ड पर्याप्त नहीं हैं इसलिए इन मानदण्डों में उचित परिवर्तन किए जाने चाहिए।

बैंकों में वरिष्ठ पदों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों की नियुक्ति अभी भी बहुत कम की जाती है। यह आम धारणा है कि बैंक कोटा पूरा नहीं कर रहे हैं। इस धारणा को बदलना पड़ेगा।

बैंकों को सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का वाहक बनना चाहिए। बैंक वे एजेंसियां हैं जो कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए बनाए गए विभिन्न आर्थिक कार्यक्रमों को क्रियान्वित करती हैं। बैंक इस भूमिका को तब तक पूरी नहीं कर सकते जब तक शीर्ष पर बैठे व्यक्ति में सत्यनिष्ठा न हो। इसलिए ऐसे विधेयक को पारित करते समय हमें यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे बैंकों का प्रबंधन संभालने के लिए सही व्यक्ति नियुक्त किए जाएं।

गैर-सरकारी बैंकों में जहां तक निवेश की सुरक्षा की बात है, यह सुरक्षा भारत सरकार सुनिश्चित करेगी। गैर-सरकारी बैंकों में बहुत दुरूपयोग होता है। हमारे सामने कई उदाहरण हैं। मैं माननीय मंत्री से इस संबंध में स्पष्ट आश्वासन चाहता हूँ।

एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा जिसकी ओर मैं माननीय मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूँ, वह बैंकिंग प्रणाली में सुधार के बारे में है। सरकार को बैंकों में, विशेषकर राष्ट्रीयकृत बैंकों में सेवा के स्तर में सुधार करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। कर्मचारियों की कमी और पर्याप्त सुविधाओं के अभाव के कारण राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं को प्रतिदिन अपने रोजमर्रा के कार्य में गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। केरल में हम प्रतिदिन अनेक लोगों को राष्ट्रीयकृत बैंकों के सामने लम्बी लाइनों में खड़े हुए देख सकते हैं और उन्हें अपना कार्य करवाने में बहुत अधिक समय लगता है। इसलिए सरकार को राष्ट्रीयकृत बैंकों में पर्याप्त कर्मचारी, कम्प्यूटर प्रणाली और अन्य सुविधाएं प्रदान करने पर विचार करना चाहिए।

इन्हें शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

प्रो. के. वेंकटगिरि गौड (बंगलौर दक्षिण) : सभापति महोदया मैं बैंककारी विनियमन संशोधन विधेयक 1994 के बारे में बोलने और इसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। इसके साथ ही मुझे इस बात पर घोर आपत्ति है कि संसद की बैठक होने के मात्र तीन सप्ताह पूर्व अध्यादेश पारित किया गया।

विद्यमान अधिनियम देश में बैंकिंग कार्य को विनियमित करने के लिए 1994 में पारित किया गया था। तब से बैंकिंग क्षेत्र में अनेक परिवर्तन हो चुके हैं। बैंलेंस शीट तैयार करना, निवेश प्रस्ताव, ऋण नीति, विभाग प्रबंधन, ब्याज दर ढांचा सभी में परिवर्तन आया है। वर्तमान अधिनियम में इनकी व्यवस्था नहीं हो सकी। इसलिए कुछ संशोधन करने का विचार किया गया और वे संशोधन अब इस सभा के समक्ष उसके द्वारा विचार करने तथा स्वीकृति देने के लिए हैं।

वाणिज्यिक बैंक एक व्यावसायिक जोखिम है। उन्हें ऐसा होना चाहिए कि वे उन्नती करने में समर्थ हों, समृद्ध होने में समर्थ हों अन्यथा वे घाटे में चले जाते हैं और उन्हें एक न एक दिन कठिनाई का सामना करना पड़ता है। वाणिज्यिक बैंक जनता द्वारा जमा की गई राशि स्वीकार करते हैं और सरकार या भारतीय रिवर्ज बैंक द्वारा निर्धारित दर पर ब्याज देते हैं। वे इस राशि को जरूरतमंद लोगों को पुनः सरकार या भारतीय रिवर्ज बैंक द्वारा निर्धारित दर पर ऋण के रूप में दे देते हैं। सामान्यतया ऋण दरें जमा दरों से अधिक होती हैं। दोनों दरों के बीच अन्तर इतना होना चाहिए जिससे बैंक लाभ कमा सकें, ताकि प्रशासन आदि की लागत निकल सके। वाणिज्यिक बैंक स्थिरता के साधन हैं। मुद्रास्फीति के समय बैंक ऋण दरों को बढ़ा देते हैं और ऋण तथा खर्च पर अंकुश लगा देते हैं। परिणामस्वरूप कुल मांग कम हो जाती है और मूल्य गिरकर सामान्य स्तर पर आ जाते हैं। मन्दी के समय बैंक ऋण दरें कम कर देते हैं और अधिक खर्च करने को कहते हैं। परिणामतः कुल मांग में बढ़ोतरी होती है और मूल्य बढ़कर सामान्य स्तर पर आ जाते हैं।

यह भी कहा जाता है कि बैंक अस्थिरता का साधन हैं। मुद्रास्फीति के समय वे नकद राशि देकर

मुद्रास्फीति को और बढ़ा देते हैं। मन्दी के समय वे नकद राशि वापस लेकर मन्दी को और बढ़ा देते हैं। इसलिए यह कहा जाता है कि मुद्रा बाजार नकदी को घटाता बढ़ाता रहता है जो इस प्रकार से अस्थिरता का कारण है।

भारत में वाणिज्यिक बैंक वाणिज्यिक आधार पर चलाये जा रहे थे। परन्तु 1967 में सरकार बैंकिंग परिचालन में सामान्य उद्देश्य लाना चाहती थी। अतः सरकार ने बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण लगाया। 1969 में बैंक राष्ट्रीकरण अधिनियम बनाकर इस सामाजिक नियंत्रण को कानूनी जामा पहना दिया गया। इस अधिनियम में तीन प्राथमिकता क्षेत्रों को परिभाषित किया गया। वे हैं कृषि, निर्यात-क्षेत्र तथा लघु उद्योग क्षेत्र। इन्हें प्राथमिकता क्षेत्र के रूप में परिभाषित किए जाने के निम्नलिखित कारण हैं :

सर्वप्रथम भारत को अपनी बढ़ती जनसंख्या की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त अनाज की आवश्यकता है। यदि अनाज की कीमतें बढ़ती हैं तो सामान्य मूल्य स्तर भी बढ़ता है। इसलिए मुद्रास्फीति दर बढ़ती है। अतः मुद्रास्फीति को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि पर्याप्त मात्रा में अनाज की सप्लाई हो। इसके लिए यह आवश्यक हो जाता है कि बैंक कृषि क्षेत्र को पर्याप्त मात्रा में ऋण दें ताकि उस पैसे को खेती-बाड़ी के काम में ला कर अधिकाधिक अनाज पैदा किया जा सके।

दूसरा प्राथमिकता क्षेत्र निर्यात क्षेत्र हैं। 1956 के पश्चात् भुगतान संतुलन की समस्या हो गई थी क्योंकि निर्यात में बहुत धीमी वृद्धि हो रही थी जबकि आयात बढ़ता जा रहा था। इससे विदेशी मुद्रा की समस्या आ गई थी। अतः इसे दूर करने के लिए निर्यात को बढ़ावा देना पड़ा। निर्यात बाजार के लिए वस्तुएं उत्पादित करने हेतु निर्यात क्षेत्र को धन देना पड़ा। लघु उद्योग क्षेत्र में रोजगार की अत्यधिक सम्भावनाएं हैं। यह उद्योग उपलब्ध स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करते हैं और स्थानीय श्रमिकों को काम में लेते हैं। वे वस्तुओं का उत्पादन करके या तो स्थानीय बाजार में बेचते हैं या उनका निर्यात करते हैं। लघु उद्योग क्षेत्र में रोजगार सम्भावनाओं को देखते हुए इसे प्राथमिकता क्षेत्र माना गया था। इस अधिनियम के अनुसार बैंक संसाधनों का 40 प्रतिशत गैर-सरकारी क्षेत्र को ऋण देने के लिए आरक्षित रखना पड़ा और यह ऋण रियायती ब्याज दरों पर देना पड़ा था। बैंक संसाधनों के 40 प्रतिशत का आरक्षण तथा रियायती ब्याज दर पर ऋण दिए जाने से बैंकिंग परिचालन में लाभ की मात्रा कम हो गई और बैंकों के सामने समस्या आ गई।

3.57 म.प.

(श्री पीटर जी. मरबनिआंग पीठासीन हुए)

फिर कुछ वर्ष पहले जब श्री जनार्दन पुजारी वित्त राज्य मंत्री थे, उन्होंने लोन मेला स्कीम शुरू की ताकि निर्धनों निराश्रितों और दलितों को ऋण सहायता दी सके और वे छोटे-मोटे व्यवसाय शुरू कर सकें। किन्तु ऋणमेला स्कीम में धोखा-धड़ी होने लगी। ऋणकर्ता बैंकों से सीधे सम्पर्क स्थापित नहीं कर सकते थे। वे बैंकों से राजनीतिक मध्यस्थों के माध्यम से ही बैंकों से सम्पर्क स्थापित कर सकते थे। मध्यस्थ का अर्थ हुआ इसकी कीमत चुकाना। ऋणकर्ता को उसके लिए स्वीकृत ऋण का केवल आधा ही मिल पाता था। अतः इन बैंकिंग परिचालनों से बैंकों के लाभ में गिरावट होने लगी और उनके पूंजी आधार में गिरावट आ गई।

1992 में, वित्तीय क्षेत्र में सुधार के बारे में नरसिम्हा समिति की रिपोर्ट में गैर-सरकारी क्षेत्र को रियायती दर पर ऋण देने की कड़ी आलोचना की गई। समिति ने सिफारिश की कि गैर-सरकारी क्षेत्र को ऋण देने में लगे बैंक संसाधनों को कम किया जाना चाहिए।

अन्त में, बैंकों के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण बात निदेशक मंडल का गठन है। वर्तमान में, निदेशक मंडल में अधिकांश राजनीतिज्ञ लोग होते हैं। वे बैंकिग परिचालनों का राजनीतिकरण कर देते हैं। जिससे बैंकों के सामने समस्या आती हैं। अतः निदेशक-मंडल में ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो सक्षम हों, जो अधिवक्ता हों और जो चार्टर्ड अकाउन्टेण्ट्स हों। बोर्ड में दो महिलाएं तथा दो अ.जा. और अ.ज.जा. के व्यक्ति होने चाहिए।

4.00 म.प.

इसलिए बैंकिग प्रणाली को मजबूत आधार प्रदान किए जाने की आवश्यकता है। बैंक को गैर-सरकारी बैंकों और विदेशी बैंकों से भी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। यदि वे पर्याप्त लाभ नहीं कमाते तो उनका व्यवसाय बन्द हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप वे बन्द हो जाते हैं। इसलिए भारतीय बैंकिग प्रणाली को सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए, स्थिर बनाया जाना चाहिए और उन्हें पर्याप्त लाभ कमाने में समर्थ होना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : प्रो. सुशान्त चक्रवती।

डा. मुमताज अंसारी (कोडरमा) : महोदय, जनता दल के बारे में क्या राय है? यह दूसरा दौर चल रहा है। निष्पक्षता और न्याय होने दीजिए। जनता दल भी है। आप एक ही दल से सदस्यों को बुला रहे हैं। जनता दल को नजर अंदाज क्यों किया जा रहा है ?

सभापति महोदय : आप की बारी भी आएगी। आपको मौका मिलेगा।

श्री अन्ना जोशी (पुणे) : हमें मौका मिलेगा लेकिन आप एक-एक दल को बारी-बारी बोलने का मौका दीजिए।

सभापति महोदय : मैं भी यही कर रहा हूं। मैं आपको एक-एक करके बुला रहा हूं।

प्रो. सुशान्त चक्रवर्ती (हावड़ा) : सभापति महोदय, एक और अध्यादेश को विधेयक में परिवर्तित किया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि यह अध्यादेश 31 जनवरी को प्रख्यापित किया गया था। यदि मुझे ठीक याद है, 30 दिसम्बर को सभा स्थगित हुई थी और 21 फरवरी को पुनः समवेत हुई थी। संसद के पुनः समवेत होने से ठीक तीन सप्ताह पहले सरकार ने अधिक प्रतियोगिता की भावना जगाने, भा. रि. बैंक को निगरानी के अपने कार्य को अधिक कारगर ढंग से करने में सक्षम बनाने और सम्पूर्ण बैंकिग प्रणाली में कार्य कुशलता लाने के उद्देश्य से यह अध्यादेश जारी किया था। यह सब नरसिंहमन समिति के नाम से किया गया था। मैं जानता हूं कि सरकार अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या विश्व बैंक का नाम लेने में शर्म महसूस करती है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि नरसिंहम समिति मौजूद है। यह भारत सरकार द्वारा गठित की गई थी क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व

बेंक संगठनात्मक सुधार कार्यक्रम के एक भाग के रूप में वित्तीय क्षेत्र में कुछ पविर्तन करना चाहते थे। नरसिंहम समिति ने दो वर्ष पहले दिसम्बर, 1991 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इन दो वर्षों के दौरान, कुछ नहीं किया गया और अचानक सरकार यह अध्यादेश ले आई। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि इस अध्यादेश को लाने का क्या उद्देश्य है। हम जानना चाहते हैं कि इस अविधि के दौरान कितने अंशकालिक चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। और इस अध्यादेश के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के निगरानी कार्यकरण में क्या परिवर्तन किए गए हैं। इसलिए हमने देखा है कि सरकार संसद का सामना करने में डर रही है। जैसा कि मेरे एक दो सहयोगियों ने पहले ही कहा है कि संसद से बचने के लिए अध्यादेश की आड़ ली जा रही है। स्वाभाविक रूप से इस तरह से वे संसद की गरिमा को कम कर रहे हैं। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं। यह मेरा सरकार पर आरोप है और मैं समझता हूं कि वे अपने तरीके में सुधार लाएंगे।

यह बिल्कुल स्पष्ट है कि अब क्योंकि वे सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था के निजीकरण में विश्वास करते हैं, यह विधेयक भी उनके सम्पूर्ण कार्यक्रम का एक भाग हो सकता है।

क्या मैं अत्यधिक नम्रता से उन दिनों को याद करने के लिए वित्त मंत्री से अनुरोध कर सकता हूं जब उनकी दिवंगत नेता ने 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। तब बैंक गैर सरकारी थे। गैर सरकारी बैंकों पर यह आरोप था कि वे अर्थव्यवस्था के हितों की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। यदि वे कार्य कुशलता से कार्य करते हैं तो वे ऐसा अपने लाभ के लिए करते हैं। यह आरोप लगाया गया था। दत्ता आयेग की रिपोर्ट और अन्य में हम पाते हैं कि औद्योगिक पूंजी और वित्तीय पूंजी के बीच सांठ-गांठ है। जो व्यक्ति व्यापार में लगा है वही उद्योग और वित्त से जुड़ा है। राष्ट्रीयकरण का एक उद्देश्य इस एकाधिकार और इन तीनों के बीच मित्रता को तोड़ना था। बैंकिग प्रणाली के राष्ट्रीयकरण के बाद, इसने आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा किया। गरीब लोगों को ऋण दिए गए। ग्रामीण क्षेत्रों को ऋण दिए गए। हम जानते हैं कि देश की सामाजिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इनका राष्ट्रीयकरण किया गया था। हम यह भी जानते हैं कि राष्ट्रीयकरण के बाद भी धनराशि का एक बड़ा भाग अमीरों के लाभ के लिए खर्च किया गया था। यह सब हमें मालूम है। हम यह भी जानते हैं कि कैसे इस धनराशि का ऋण मेला के नाम पर राजनैतिक शक्तियों द्वारा उपयोग किया गया था। अब हम यह कह रहे हैं कि यदि वहां अंशकालिक चेयरमैन हो, तो सब ठीक हो जाएगा। यह एक अनूठा तर्क है कि अंशकालिक चेयरमैन से बैंक की कार्यक्षमता बढ़ जाएगी। क्या इसलिए कि बैंक कार्य कुशल नहीं है जिसके कारण "प्रतिभूति घोटाला" हुआ? क्या इसलिए कि वहां निदेशक कार्य कुशल नहीं है ? आज हमें ऐसी चीजों का सामना करना पड़ता है। प्रतिभूति घोटाला क्यों हुआ। इसका कौन उत्तर देगा ? यह कैसे हुआ कि बैंक, जो समाज के हितों पर ध्यान दे रहे थे जो कृषक स्वरोजगारों और लघु उद्योग उद्योगपतियों को ऋण दे रहे थे, के ऋण अशोध्य रहे। यह कैसे हुआ कि ऋण अशोध्य रहे और लम्बे चलने वाले अग्रिम क्यों दिए गए ?

37,000 करोड़ रुपये अशोध्य ऋण में फंसे हैं। यदि हम निगमित क्षेत्र हिस्से का हिसाब लगाएं तो यह 2 लाख करोड़ रू. से अधिक है। कौन लोग शामिल हैं ? आप पारदर्शिता की बात करते हैं। इसमें गोपनीय क्या है ? आप उनके नाम क्यों नहीं बताते ?

हमें शर्म आनी चाहिए कि पाकिस्तान तक ने उन लोगों के नामों को प्रकाशित किया है जिन्होंने ऋण लिए हैं जो अशोध्य ऋण बन गए हैं और लम्बे चल रहे हैं। सरकार जिन्हें छुपाना चाहती है ? उसकी रूचि किसमें है ? हम जानते हैं कि सरकार में बैठे लोग इस पर कोई ध्यान नहीं देते हैं।

अब विधेयक में वे प्रत्येक शेयरधारक का हिस्सा एक प्रतिशत तक बढ़ा रहे हैं। लेकिन विधेयक ऐसे शेयरधारकों की संख्या के बारे में कुछ नहीं कहता। ये तीन हो सकते है, ये पांच हो सकते हैं, ये छः या दस भी हो सकते हैं। वे शेयरों का 70 या 80 प्रतिशत हो सकते हैं। मंत्री महोदय, आप कहेंगे कि वे तीन से अधिक निदेशकों को नियुक्त करने में समर्थ नहीं होंगे। लेकिन जब आम सभा की बैठक होती है, सभी शेयरधारक बैठक मं उपस्थित होते हैं। और जो भारी संख्या में शेयर धारण करते हैं वे अपने निदेशक भी रखेंगे। तब आप क्या करेंगे ? यह स्पष्ट नहीं है।

यह भी स्पष्ट नहीं है कि अंशकालिक निदेशकों के लिए क्या योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। यह उल्लेखनीय हैं कि वे प्रतिष्ठित व्यक्ति हो सकते हैं। वे किनको स्थान देना चाहते हैं। यह हमारे दिमागों में कुछ शंका पैदा करता है।

महोदय, यदि विधेयक को कार्यन्वित किया जाता है, तो यह उस इमारत को खण्ड खण्ड कर देगा जो हमने 1969 से बनाई है। यदि विधेयक कार्यान्वित किया जाता है तो ऐसी स्थिति को प्रोत्साहन मिलेगा जिसमें हमारे देश का हित पूंजीपतियों के हाथों में होगा। हम सभी जानते हैं कि यह साम्राज्यवाद की एक प्रवृत्ति है। अब हम ऐसी स्थिति में हैं जहां हम अपने अधिकारों को छोड़ रहे हैं, तीसरी शक्ति जो हम पर बाहरी विश्व से हुक्म चला रही है, के हुक्म के आगे समर्पण कर रहे हैं। हमने पहले ही डंकेल प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और हम हर चीज छोड़ रहे हैं जो कि हमें अनेक वर्षों के लिए पीछे धकेल देगी। यह खतरनाक स्थिति है। इसलिए महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इस मुद्दे पर राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए और लोगों को विश्वास में लेना चाहिए। वे यह क्यों समझते हैं कि वे अकेले ही देशभक्त हैं। वे ऐसा क्यों समझते हैं कि केवल उनको इस देश के लोगों के कल्याण का एकाधिकार प्राप्त है ? उन्हें लोगों की राय जाननी चाहिए। यदि वे वातावरण को पवित्र बनाना चाहते हैं तो पहले उन्हें स्वयम् को पवित्र बनाना होगा। राजनैतिक प्रणाली में ऊंचे पदों के लोग इस स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं। इसलिए में इसका समर्थ नहीं करता, बल्कि तहेदिल से इस विधेयक का विरोध करता हूं।

सभापति महोदय : श्री पी.सी. चाक्को.

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : सभापति महोदय, अब जनता दल को मौका मिलना चाहिए।

सभापति महोदय : आपने 3.40 म.प. पर नाम भेजे हैं।

श्री श्रीकान्त जेना : हमने 3.40 म.प. पर ही नाम भेजे होंगे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हमें अभी मौका नहीं मिलना चाहिए। यह तीसरा दौर चल रहा है और अब भी हमें वाद-विवाद में भाग लेने का मौका नहीं दिया जा रहा है ..... *

सभापति महोदय : आपको मौका मिलेगा। आपकी बारी आने वाली है।

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, कृपया हमें बताएं कि इस वाद-विवाद के लिए कार्य मंत्रणा समिति द्वारा कुल कितना समय आबंटित किया गया है और जनता दल को कितना समय आबंटित किया गया है। हम श्री चाक्को को तंग नहीं कर रहे हैं .... *

सभापति महोदय : ठीक है, श्री चाक्को, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। अब मैं श्री मुमताज अंसारी को बोलने के लिए बुलाता हूँ।

डा. मुमताज अंसारी : सभापति महोदय, यह बहुत ही अनूठा विधेयक है, जो सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 में पारित हुआ था। इससे पहले इसे कभी चुनौती नहीं दी गई। अब इस समय इस बैंककारी विनियमन अधिनियम को चुनौती दी गई है। क्योंकि बहुत से घोटाले, बहुत से कान्ड और प्रतिभूति घोटाला तक इस देश में हुआ है। अब इस देश में अनेक प्रकार की राजनीति हो रही है। यही कारण है कि सरकारी अधिकारियों के प्रति जिज्ञासा पैदा हो गई है; इससे सरकार की और कार्यकारी अधिकारियों की इसमें रूचि और विचारशीलता पैदा हुई है। अब वे सम्पूर्ण अधिनियम में संशोधन करने जा रहे हैं जो पहले 1949 में पारित हुआ था। यह बहुत ही संतोषजनक और सुखद कदम है जो देश के माननीय मंत्री महोदय या सरकार द्वारा उठाया जा रहा है। अब आप देखिए कि इससे बहुत से उपबंध निकाले जा रहे हैं या समाप्त किए जा रहे हैं। ऐसा करने नहीं दिया जाएगा। हम इसका पूर्णरूप से विरोध करते हैं।

यह उपबंध यह भी बताता है कि अनेक कार्यकारी चेयरमैन, अंशकालिक चेयरमैन, कार्यवाहक चेयरमैन और यह सभी चेयरमैन नियुक्त किए जाएंगे। देश में ऐसे आयामों वाले काण्ड इतिहास में कभी नहीं हुए जैसे कि हाल ही में हुए हैं। इसी कांग्रेस दल की सरकार 1969 में सत्ता में थी जिसका नेतृत्व श्रीमती गांधी ने किया था जो बहुत ही दृढ़, प्रख्यात, विश्व प्रख्यात, बहुत महत्वपूर्ण महिला थीं। उन्होंने 1969 में एक ही झटके में 14 बैंकों का राष्ट्रीकृत कर दिया था। श्री मोरार जी देसाई बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण के बारे में बात कर रहे थे। .. **(व्यवधान)**

नागरवाला मामले में हम जानते हैं कि किसी महत्वपूर्ण नेता के कहने पर 60 लाख रू. निकाले गए थे। मैं इस सबका उल्लेख नहीं करना चाहता। लेकिन इन सभी 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद निधियां विकेन्द्रित हो गई थीं। पहले, इस धनराशि का दुरूपयोग किया जा रहा था। बड़े-बड़े शहरों जैसे कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली और देश के अन्य सभी औद्योगिक केन्द्रों में प्रयोग किया जा रहा था। लेकिन मैं इसकी प्रशंसा कर सकता हूं कि जो भी कदम, इस आधार पर उठाए गए थे निधियों का केन्द्रीकरण राष्ट्रीयकरन के बाद विकेन्द्रित कर दिया गया था और गरीब लोगों को भी ऋण दिए गए थे। यहां तक कि समाज का सबसे गरीब वर्ग, समाज के निम्नतम बर्ग के लोग, दलित वर्ग, प्राथमिकता क्षेत्र जिसे बाद में परिभाषित किया गया था जैसे कृषि लघु उद्योग, बेरोजगार और बेरोजगार युवा भी यह सोचने लगे कि वे बैंकों से ऋण ले सकते हैं। बैंकों के राष्ट्रीयकरण से पहले, यह

*पीठासीन अधिकारी के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया।

मात्र सपना था। कोई भी व्यक्ति बैंक से ऋण लेने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। केवल बड़े-बड़े लोग बड़े उद्योगपति बैंकों से ऋण लेते थे। राष्ट्रीयकरण के बाद, देश के समाज के सभी गरीब से गरीब वर्ग के लोग ऋण ले सकते थे। यहां तक कि ग्रामीण बैंक स्थापित किए गए। अब यह ग्रामीण बैंक धनराशि की कमी के कारण समाप्त होते जा रहे हैं।

मैं यह कहना चाहूंगा कि जो भी संशोधन किए जा रहे हैं उनकी भावना ठीक नहीं है। जो कुछ हुआ है, उससे सभी आश्चर्यचकित हैं।

बैंक घोटाले में जो कुछ हुआ है उससे वे बहुत आश्चर्यचकित हैं। यही कारण है कि उससे स्वयं को अलग रखने तथा अपने को बचाने की खातिर वे संशोधन करने जा रहे हैं।

परन्तु, इसके साथ-साथ मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि अंशकालिक चेयरमैन क्यों होना चाहिए ? ..... **(व्यवधान)**

यह सभा भी इस विधेयक का विरोध करना चाहती है क्योंकि यह विधेयक अत्यन्त आपत्तिजनक और सारे देश के लिए खतरनाक है। यह अंशकालिक चेयरमैन क्यों नियुक्त किया जाए ? आप कोई स्वायत्त, निष्पक्ष और न्याय-प्रिय निकाय क्यों नहीं गठित करते हैं? वे कई पूर्णकालिक चेयरमैन नियुक्त कर सकते हैं। हमने समाचार पत्रों में पढ़ा कि कई बैंकों में चेयरमैन नहीं है। इन चेयरमैनों के न होने से अनेक अनियमितताएं हो रही हैं। वे अंशकालिक चेयरमैन चाहते हैं क्योंकि वे सभी बैंकों में अपने आदमी रखना चाहते हैं, वे राजनैतिक लोगों को रखना चाहते हैं, वे इन सभी लोगों की राजनीतिक नियुक्ति चाहते हैं और यही कारण है कि वे तमाम संशोधन करने के इच्छुक हैं। इसके साथ-साथ वे यह कहते हैं कि निदेशक गैर-सरकारी कम्पनियों से होंगे। गैर-सरकारी कम्पनियां क्यों ? केवल एक श्री मुरली देवरा पर्याप्त क्यों नहीं है ? वह सभी बैंकों पर नियंत्रण रख सकते हैं। विभिन्न गैर-सरकारी कम्पनियों से इतने अधिक लोग क्यों? इसका अर्थ है इसके पीछे कोई परोक्ष उद्देश्य है। .... **(व्यवधान)**

गैर-सरकारी कम्पनियों से चयनित केवल एक व्यक्ति नियंत्रण, पर्यवेक्षण और ध्यान केन्द्रित करना चाहता है और वे इन सभी बैंक प्रतिष्ठानों का शोषण करने का प्रयास करते हैं।

बैंकिग अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। बैंकिग प्रतिष्ठान देश का जीवन है। आप देखते हैं कि सभी कार्यक्रम, सभी विकास योजनाएं इन्हीं बैंकिग प्रतिष्ठानों के जरिए लागू की जाती हैं यही कारण है। यह प्रतिष्ठान सिर्फ प्रतिष्ठान या संगठन नहीं है, बल्कि ये सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन और देश की सामाजिक आर्थिक उन्नति के साधन हैं। इसीलिए इस प्रकार के संशोधन को सभा की स्वीकृति नहीं दी जा सकती है।

इसी प्रकार, विदेशी बैंक अपनी अनेक शाखाओं के साथ आएंगे। वे बहुत अच्छी शाखाएं हैं। उनकी छवि बहुत लुभावनी है। वे हमारे देश के लिए एक भिन्न योजना तैयार कर रहे हैं।

आप संयुक्त संसदीय समिति द्वारा प्रस्तुत की गई इन सभी रिपोर्टों को पढ़िए। वहां क्या हुआ ? केवल हमारे बैंकों ने ही घोटाले नहीं किए हैं बल्कि अधिकांश विदेशी बैंकों में भी गड़बड़ियां और बैंक घोटाले हुए हैं।

इसलिए इन सभी विदेशी बैंकों को अनुमति नहीं दी जा सकती है। आप उदारीकरण और सार्वभौमीकरण के नाम पर अपने दरवाजे नहीं खोल सकते हैं। इसके लिए बहुत सुन्दर शब्द कहे जा रहे हैं और आप देश के दरवाजे खोलना चाहते हैं ताकि ये सभी बैंक प्रतिष्ठान अपनी शाखाओं सहित देश में लाए जा सकें। मैं इस बात से कतई इन्कार नहीं करता हूं कि पारदर्शिता न हो, प्रभावकारिता न हो।

कोई ऐसा सुधार न हो जो भारत सरकार द्वारा न किया जाए। मैं बैंकों के तुलना-पत्र, लेखा प्रक्रिया और बैंक की प्रणाली में आप द्वारा लायी जाने वाली पारदर्शिता को स्वीकार करता हूं और उसका समर्थन करता हूं। मैं इन सभी बातों का भी समर्थन करता हूं। परन्तु इसके साथ ही उदारीकरण के नाम पर आप देश के दरवाजे नही खोल सकते हैं। और आप इन विदेशी बैंकों जैसे सिटी बैंक तथा अन्य विदेशी बैंकों को अनुमति नहीं दे सकते हैं। क्या आपको याद नहीं है कि वे सभी बैंक घोटाले में शामिल थे। क्या आप यह नहीं देखते हैं कि वर्तमान प्रणाली कुछ पिछड़े राज्यों जैसे उड़ीसा, बिहार और अन्य राज्यों के साथ न्याय नहीं करती है जहां जमाराशि का अनुपात बहुत कम है। आप निर्धन और पिछड़े राज्यों से धन इकट्ठा कर रहे हैं, परन्तु वहां निवेश नहीं कर रहे हैं। जहां करना चाहिए और जहां यह न्यायसंगत भी है। जबकि यह सभी राशि एकत्र करके देश के बड़े-2 शहरों और उद्योग केन्द्रों को भेजी जा रही है। परन्तु इसके साथ-साथ में यह कहूंगा कि आप इन सभी असंतुलनों, बल्कि ऋण-जमा अनुपात में सुधार करें और देश के निर्धन और पिछड़े राज्यों के लिए और अधिक आबंटन करें। मैं इस हद तक इसका समर्थन करने को तैयार हूं। परन्तु एक बार विदेशी बैंक हमारे देश में आ गए, तब क्या होगा? अभी तक राशि देश के कोने-कोने तक जा रही है। वे कोने धनवान भी हो सकते हैं, निर्धन भी परन्तु विदेशी बैंकों के आ जाने पर यह सारी राशि विदेश से आएगी और हमारे राजनीतिज्ञ, हमारे बड़े लोग, सभी बड़े मंत्री स्विस बैंक और अन्य बैंकों जैसी विभिन्न बैंकों में धन जमा करने के नाम पर विदेश जाएंगे और तब बोफोर्स की तरह के अनेक घोटाले होंगे। आप इन चीजों को रोक नहीं सकते हैं। इसलिए मैं आप द्वारा इच्छित ऐसे किसी भी सुधार का ऐसे किसी संशोधन और परिवर्तन का जो देश के लोगों के बेहतर हित में हो, समर्थन करने को तैयार हूं। इसलिए मैं श्री राजवीर सिंह द्वारा प्रस्तुत संकल्प का समर्थन करने को तैयार हूं। निःसंदेह, मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं और इस संशोधनकारी विधेयक का पुरजोर विरोध करता हूं जो सत्ता पक्ष द्वारा सभा के समक्ष रखा जाने वाला है।

श्री पी.सी. चाक्को : सभापति महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के कारण में आपको धन्यवाद देता हूं। यद्यपि मैंने अपना अवसर खो दिया था। मैं बहुत प्रसन्न हूं कि मैं अपने मित्र श्री मुमताज अन्सारी द्वारा दिए गए अच्छे भाषण को सुन सका। वह विधेयक के बारे में नहीं बल्कि किसी और बारे में बात कर रहे थे। श्री अन्सारी और हमारे अधिकांश विपक्षी, मित्र, जिन्होंने इस संशोधनकारी विधेयक का विरोध किया, इस तथ्य को सिद्ध कर रहे थे कि इस विधेयक के वाचन के बगैर इस पर चर्चा सम्भव है।

आज बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 में संशोधन किया जाना है और संशोधनकारी विधेयक इस सभा के समक्ष रखा गया है। मैं संसद के इतिहास में इसे बहुत महत्वूर्ण क्षण मानता हूं। हमारी पार्टी श्रीमती

इन्दिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी की उत्तराधिकारिणी है जिसने भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। मुझे 1969 के वे दिन अब भी याद हैं जब हम संसद में, इस देश की गलियों में लड़ाई लड़ रहे थे। वे लोग जो आज इंदिरा गांधी के छद्म-समर्थक बन रहे हैं और जो विरोध करते समय आज इंदिरा गांधी का नाम ले रहे हैं, वे उस समय कांग्रेस पार्टी के नेताओं के राष्ट्रीकरण करने के प्रगतिशील कदम का विरोध कर रहे थे। मुझे खुशी है कि अब वे समझ गए हैं और अब समर्थन कर रहे हैं।

यह विधेयक जो इस समय सभा के समक्ष है पिछले 25 वर्षों से देश में हो रहे सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों को प्रतिबिम्बित करता है। हमारे वामपंथी दोस्त आज कल्पनालोक में रह रहे हैं। 1969 और 1994 के बीच क्या हुआ ? इस विधेयक में पिछले 25 वर्षों में हुए सभी परिवर्तन ठीक-ठीक प्रतिबिम्बित होते हैं। हमारे विपक्षी मित्रों तथा खासकर वामपंथी मित्रों को यह समझना होगा। मैं नहीं जानता कि वे इसे स्वीकार करेंगे या नहीं। मार्क्स के शब्द कोश में निराशाबाद की कोई सीमा नहीं है। श्री निर्मल कान्ति चटर्जी, प्रो. सुशान्त चक्रवर्ती शुरू से ही यह कहते रहे हैं कि इस विधेयक में प्रत्येक बात आपत्तिजनक है और इसीलिए वे इसका विरोध कर रहे हैं। यह विधेयक इस सभा के सामने मूल रूप से तीन प्रमुख संशोधनों के लिए लाया गया है। पहला अंशधारियों के मतदान अधिकार से सम्बन्धित है।

इसे एक प्रतिशत से बढ़ाकर दस प्रतिशत कर दिया गया है। मुझे इस मामले पर श्री निर्मल कान्ति चटर्जी के विचार सुनने का बिल्कुल अवसर नहीं मिला। श्री निर्मल कान्ति चटर्जी संयुक्त संसदीय समिति के बारे में बोल रहे थे।

सभापति महोदय : कृपया व्यक्तिगत नाम का प्रयोग न किए जाए।

श्री पी.सी. चाक्को : जी हां, वे सभी इस सभा के विशिष्ट सदस्य हैं। इनके विचार बहुमूल्य हैं। कृपया आप अपनी व्यवस्था पर पुनः विचार करें क्योंकि श्री निर्मल कान्ति चटर्जी का नाम लिए बिना यदि मैं बैंकिंग पर चर्चा में भाग लेता हूं तो वह अपूर्ण होगी। वह एक बहुत ही विद्वान सदस्य हैं। मैं अपनी बात पर आता हूं कि शेयरधारकों का मतदान अधिकार एक प्रतिशत से बढ़ाकर दस प्रतिशत करने का क्या कारण है, इस संशोधन के पीछे क्या औचित्य है ? मैं चाहता हूं कि वे कम से कम विषय पर विचार तो करते इस विषय पर अपना दिमाग तो लगाते इस देश में गैर सरकारी बैंकिंग पर कभी भी प्रतिबंध नहीं था। वे इस बात को नहीं समझ पाए। यहां तक कि 1969 में जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, एक सीमा निर्धारित की गई थी कि 200 करोड़ रू. से अधिक पूंजी वाले सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाएगा। और देश में दर्जनों ऐसे बैंक थे जिनका पूंजी आधार 200 करोड़ रू. से कम था। वे गैर सरकारी क्षेत्र के बैंक बने रहे। हमारे यहां गैर सररकारी बैंक थे, हमारे यहां राष्ट्रीयकृत बैंक थे और विदेशी बैंक भी थे। ये सभी बैंक इस देश में ठीक-ठाक कार्य कर रहे हैं। .... (व्यवधान)

श्री निर्मल कान्त चटर्जी (दमदम) श्री चाक्को को याद होगा कि माननीय वित्त मंत्री महोदय ने एक बात यह कही है कि स्वामित्व का अधिक से अधिक फैलाव किया जाना बेहतर है। सीमा एक प्रतिशत से बढ़ाकर

दस प्रतिशत करने से क्या आप समझते हैं कि स्वामित्व का अधिक से अधिक फैलाव करना इनके अनुरूप है।

श्री पी.सी. चाक्को : मैं एक दम उसी मुद्दे पर आ रहा हूं। इसे याद दिलाने के लिए आपका धन्यवाद। बात यह है कि गैर सरकारी बैंकों को ऐसा करने दिया जा रहा है। उनकी पहली आपत्ति यह थी कि इसके एक अध्यादेश के रूप में क्या लाया गया। मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूं। दूसरी बात यह है कि उनके द्वारा भा.ज.पा. से लेकर भा.क.पा (मा.) तक अध्यादेशों का विरोध किया जा रहा है क्योंकि वे इस देश में कभी भी सत्ता दल में नहीं आ सकते हैं। उन्होंने हमेशा विरोध किया है और वे ऐसा ही करेंगे, वे पिछले 45 वर्षों से यह कह कर विरोध कर रहे हैं कि अध्यादेश उचित नहीं है। मैं अध्यादेशों को उचित नहीं कह रहा हूं। लेकिन जनवरी के पहले सप्ताह में भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर सरकारी बैंक खोलने के लिए मार्ग निर्देश जारी किए थे। केवल 20 दिनों के बाद 31 जनवरी को यह अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किया गया। क्या इसमें कोई जल्दबाजी थी। 20 दिन के बाद उन्होंने गैर सरकारी बैंक खोलने का एक उचित निर्णय लिया और इस निर्णय का अनुपालन करने के लिए क्योंकि यह अपरिहार्य था और आवश्यक था, इसलिए यह अध्यादेश लाया गया। श्री निर्मल कान्ति चटर्जी ने अपने 37 मिनट के भाषण में 13 मिनट इस अध्यादेश की निन्दा करने पर लगाए उन्होने यह बताया कि इसे कैसे लाया गया । खैर मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। यह एक प्रतिशत शेयर धारित क्यों है ? किसी व्यक्ति विशेष या व्यक्ति विशेष शेयर धारक की शेयर धारिता कितनी भी क्यों न हो उसका मतदान अधिकार तो केवल एक प्रतिशत का है। इसके पीछे क्या तर्क है ? क्या यह तर्क के आधार पर खरा उतरता है। मैं इससे भी दूर की बात कर रहा हूँ अब यह कहा जा रहा है कि केवल 10 प्रतिशत मतदान अधिकार है।

कम्पनी अधिनियम के अनुसार किसी व्यक्ति के जितने शेयर हों, उसे अपनी शेयर धारिता के अननुपात में मतदान का अधिकार होना चाहिए। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि यह सही समय है जब हमें शेयरधारकों को अनुपात में मतदान अधिकार देने के बारे में सोचना चाहिए। ऐसा न करना सही नहीं है, यह कंपनी कानून के अनुसार भी नहीं है। अब यहां जो दिया गया है वह शेयर धारकों को केवल दस प्रतिशत मतदान का अधिकार देने की बात करी जा रही है। इसमें भी बाधा आ रही है। आपको इसके बारे में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। यह सरकार आवश्यकता से ज्यादा प्रतिबंध लगा रही है। यह बिना प्रतिबन्धों के नहीं चल रही। दस प्रतिशत मतदान का अधिकार दिया जा रहा है। क्यों ? क्या आप समझते हैं कि गैर सरकारी क्षेत्र का कोई व्यक्ति चाहे वह अनिवासी भारतीय हो या देश में रहने वाला हो, केवल एक प्रतिशत मतदान अधिकार से भारत में निवेश करेगा ? वे एक प्रतिशत मतदान अधिकार से बीस प्रतिशत और तीस प्रतिशत शेयर ले रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि इससे बैंकिंग क्षेत्र में किसी भी प्रकार के निवेश के लिए यह हतोत्साहित होने की बात है। यह निर्णय लिए जाने के बाद गैर सरकारी क्षेत्र के बैंकों को लाइसेंस दिया जाना है। उन्हें पर्याप्त प्रोत्साहन देने के लिए यह अध्यादेश लाना बहुत आवश्यक था ताकि मतदान अधिकार बढ़कर 10 प्रतिशत हो जाए। इस में पर्याप्त प्रतिबन्ध की बात है। समय की कमी के कारण मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूँ। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे आशा थी कि कम से कम श्री निर्मल कान्ति चटर्जी जैसे व्यक्तियों द्वारा इस उपबन्ध का आवश्य स्वागत किया जाएगा। यदि आप यह कहते हैं कि फैलाव करना वित्त मंत्री का सिद्धान्त है और हम इसके विरुद्ध जा रहे हैं,

मैं समझता हूं कि आप वित्त मंत्री को कुछ कहने के लिए मजबूर कर रहे हैं और एक कल्पनात्मक प्रश्न पूछने का प्रयत्न कर रहे हैं।

यहां परस्पर जुड़ी शेयर धृतियों के बारे में भी पर्याप्त व्यवस्था है। यदि किसी कम्पनी में इच्छुक समूह मिल जाते हैं, तो वे भी तीन से अधिक निदेशक नहीं रख सकते। कितने भी शेयर क्यों न हो। प्रोमोटर ग्रुप में तीन से अधिक निदेशक नहीं हो सकते। यह यहां विशेष रूप से विनिर्दिष्ट की गयी हैं। इसका अर्थ यह है कि आप बड़ी आसानी से इस विधेयक में दिए गए पर्याप्त निवारक खण्डों को भुला रहे हैं। आरम्भ में, मैंने कहा था कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है क्योंकि इस देश में बैंकों के राष्ट्रीकरण के बाद पिछले 25 वर्षों में भारतीय बैंक संख्या की दृष्टि से बहुत अधिक बढ़े हैं क्योंकि देश में बढ़ती हुई शाखाओं की संख्या इतनी अधिक है कि हम उस पर गर्व कर सकते हैं। आज, इस देश में दस हजार या पन्द्रह हजार जनसंख्या के लिए कम से कम बैंक की एक शाखा है। हम यहां तक प्रगति कर चुके हैं। हमने केवल शहरों में ही प्रगति नहीं की है, हमने गांवों में भी प्रगति की है। भारतीय रिजर्व बैंक के विशेष मापदंड पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करते हैं। उनमें ऐसा उपबन्ध है कि यदि काई बैंक शहरी क्षेत्रों में शाखाएं खोलना चाहता है तो उसे एक ग्रामीण शाखा खोलनी चाहिए। इसका उद्देश्य यह देखना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरत मंद लोगों तक बैंक पहुंचे। भारत सरकार के दिशा-निर्देशों से, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुपालित विवेकपूर्ण नीति के कारण भारतीय बैंकिंग प्रणाली की प्रगति वास्त में ही सराहनीय है।

गुणवत्ता के बारे में क्या विचार है ? जब हम इस बारे में सोचते हैं तो हमारे उन मित्रों जो इसका विरोध कर रहे हैं द्वारा इस बारे में कम से कम एक या दो प्रश्नों का उत्तर दिया जाना चाहिए। भारतीय बैंकों की गुणवत्ता कम हो रही है। मैं इसके लिए किसी को यह कह कर दोषी ठहराना नहीं चाहता कि ऐसा उनके कारण है। कुछ लोग मजदूर संघ आन्दोलनों के पक्ष में बोलने का प्रयत्न कर रहे थे। मैं मजदूर संघ आन्दोलन को दोषी नहीं ठहराने जा रहा। भारतीय बैंकिग उद्योग से सम्बन्धित अनेक ऐसे मामले हैं जिनका मैं उदाहरण दे सकता हूं। लोग कह रहे हैं कि बैंकिग उद्योग के राष्ट्रीयकरण के बाद इन्हें उतना नहीं मिल रहा जितने की उन्हें आशा थी, उन्हें अच्छी सेवाएं प्राप्त नहीं हो रही हैं। यह समस्या है। इस विश्व में जो कि तेजी से परिवर्तित हो रहा है, हमें उपभोक्ताओं को अत्यधिक आधुनिक और अत्यधिक प्रभावी सेवाएं उपलब्ध करानी चाहिए। अनिवार्य रूप से बैंकिग उद्योग को आधुनिक बनाना पड़ेगा। हम बैंकों का गैर सरकारी काम क्यों कर रहे हैं। जो लोग बैंकिंग क्षेत्र में मजदूर संघों क सम्बद्ध हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि मजदूर संघ आधुनिकीकरण नहीं चाहते हैं। चाहे वह आटोमेशन हो या कम्पयूटरीकरण हो। मजदूर संघ आन्दोलनों द्वारा इस सीमा तक विरोध किया जा रहा है जो उचित नहीं है। मैं इसके लिए उन्हें दोषी नहीं ठहरा रहा हूं। लेकिन जब आप किसी अन्य देश में बैंक की किसी शाखा में जाते हैं तो अपना कार्ड डालकर अपनी धनराशि निकाल सकते हैं। यहां तक कि 5 बजे या आधी रात को भी यदि आप बैंक में खाताधारी हैं तो आप स्वचालित टेलर सेवाओं द्वारा धनराशि निकाल सकते हैं। आप इस देश की प्रगति तो चाहते हैं। लेकिन आप किसी भी बैंक शाखा में स्वचालित टेलर मशीन लगाना नहीं चाहते। हमारी मजदूर संघ इसका विरोध क्यों कर रही हैं ?

मजदूर संघों की एक भूमिका होती है। उस भूमिका को उन्हें संघों के सदस्यों के कामकाज के लिए निभाना चाहिए। इसका यह अभिप्रायः नहीं है कि उन्हें परिवर्तनों या आधुनिकीकरण के रास्तें में बाधा बनना चाहिए। हम इस बात पर बल दे रहे हैं कि नए बैंक जो खुल रहे हैं उनमें आधुनिक सुविधाएं होनी चाहिए, उन्हें उपभोक्ताओं को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए आदि आदि। यह कारण है कि इन नई शाखाओं को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

एक अन्य बात यह है कि विधेयक केवल तीन संशोधन लाने के लिए लाया गया था। पहला मतदान अधिकार देने से संबंधित है, दूसरा अंशकालिक सभापति नियुक्त करने की अनुमति देने से सम्बन्धित है। कुछ सदस्य इस विचार का विरोध कर रहे थे।

महोदय, आपने यह विनिर्णय दिया था कि किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं लिया जाना चाहिए और इसी लिए मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूं। श्री निर्मल कान्ति चटर्जी ने कहा कि कोई उद्योगपति जिसे वह काफी अच्छी तरह जानते हैं अंशकालिक चेयरमैन बनेगा। यह उनकी शंका थी। इस देश में कोई भी उद्योगपति अंशकालिक चेयरमैन बन सकता है। इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। श्री निर्मल कान्ति चटर्जी ने एक नाम लिया। मैं पश्चिम बंगाल के एक उभरते उद्योगपति श्री चन्दन बसु को जानता हूं जो एक अच्छे युवा हैं। कल वह भी किसी बैंक के अंशकालिक चेयरमैन बन सकते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। काई भी कर्मठ व्यक्ति चाहे वह उद्योगपति हो जिसके नाम का श्री निर्मल कान्ति चटर्जी ने उल्लेख किया या इस देश का कोई भी व्यक्ति ....

श्री श्रीकान्त जेना : उन्होंने किसका नाम लिया ?

श्री पी.सी. चाक्को : वह एक उद्योगपति का नाम ले रहे थे जो उनके धनिष्ठ हैं। मैं उन्हें नहीं जानता। मुझे इन बातों की कोई जानकारी नहीं है।

कोई भी कर्मठ व्यक्ति अंशकालिक चेयरमैन बन सकता है। जब बैंक का मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रबंध निदेशक होता है ? तो वे इसका क्यों विरोध कर रहे हैं ? मेरे मित्र श्री अन्सारी कर रहे थे कि इस विधेयक में सभी प्रस्ताव काफी कठोर हैं, परन्तु वे किसी अन्य प्रक्रिया का भी उल्लेख नहीं कर रहे थे। अंशकालिक चेयरमैन की अवधारणा ऐसी नई नहीं है कि वह वित्त मंत्री के पास अचानक लाया गया हो। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के अध्यधीन एक पूर्णकालिक कार्यकारी प्रबंध निदेशक की नियुक्ति की जाती है। आप और क्या गारंटी चाहते हैं।

इस देश में गैर-सरकारी क्षेत्र में बैंक उतने गैर सरकारी नहीं हैं। श्री निर्मल कान्ति चटर्जी ने कहा कि मैं उससे जुड़ा हुआ था' मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि हमारे देश में गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक उतने गैर सरकारी नहीं हैं। यें बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्णतया नियंत्रण में हैं। बैंक से संबंधित प्रत्येक कार्यकलाप, ऋण संबंधी मानदंड और ऋण जमा अनुपात तथा अन्य सभी कार्यकलाप भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों द्वारा नियन्त्रित होते हैं। यदि उन मार्गनिर्देशों का प्रभावकारी क्रियान्वयन होता है तो कोई गलती नहीं हो सकती है।

आप बैंक आफ कराड के बारे में कह सकते हैं। बैंक आफ कराड गैर-सरकारी क्षेत्र का बैंक नहीं है। आप

केनरा बैंक की बात कर सकते हैं। केनरा बैंक और अन्य बैंकों, जिन्होंने गलती की थी राष्ट्रीयकृत बैंकिग क्षेत्र में नहीं हैं।

अतः जहां कहीं भी गलतियां हुई हों हमें उन्हें उजागर नहीं करना चाहिए और ऐसी स्थिति नहीं पैदा करनी चाहिए कि सब कुछ इसी प्रकार का है।

विधेयक से सम्बन्धित एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि काफी कड़ा दंड लगाया जाना है। आपने इसका उल्लेख क्यों नहीं किया। यदि कोई संस्थान गलती करता है कोई व्यक्ति गलती करता है यदि कोई बैंक धोखाधड़ी करता है तो दंड सिर्फ 2,000 रू0 का है अब इसे बढ़ाकर 50,000 और कुछ मामलों में 5 लाख रू0 किया जा रहा है। कड़ा दंड लगाया जाता है। आप इस कदम की प्रशंसा नहीं कर रहे हैं। यहां स्पष्ट रूप से बताया गया है कि प्रबंध निदेशक और अंशकालिक चेयरमैन के हर प्रत्येक कार्य के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्वीकृति की आवश्यकता होती है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी यहां एक नई कहानी गढ़ रहे हैं कि औद्योगिक पूंजी और वित्तीय पूंजी का विलय किया जा रहा है। यह एक काफी गलत अवधारणा है, विधमान बैंककारी मानदंड और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मार्गनिदेशों के अनुसार यदि किसी भी व्यक्ति का किसी गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक में थोड़ा भी हित होता है तो वह या उसका रिश्तेदार उस बैंक से किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता नहीं ले सकता है। मेरे मित्र कृपया इस बात को समझें कि कोई भी उद्योगपति बैंक क साथ सम्बद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि उस पर उस बैंक से किसी भी प्रकार का वित्तीय ऋण लेने पर प्रतिबंध है। यही इस मामले की मुख्य बात है और वे किन खंडों का विरोध कर रहे हैं ? हम देश में गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक को अनुमति दे रहे हैं। हमें प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। वास्तव में हमारे राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास प्रतिस्पर्धा करने की शक्ति है क्योंकि हम घटिया बैंक पूरे विश्व में लोगों द्वारा निन्यित एक बेकार बैंक नहीं बनना चाहते हैं। हम सक्षम होना चाहते हैं और लोगों को अच्छी सेवा प्रदान करना चाहते हैं। अतः हम सभी चाहते हैं कि इस देश के राष्ट्रीयकृत बैंक ज्यादा कुशल और आधुनिक हों। हम समझते हैं कि इसके लिए प्रतिस्पर्धा आवश्यक है, यह विधेयक का सार है।

मुझे अपने वामपंथी मित्रों से ऐसी आशा नहीं है। परन्तु हमारे जद मित्रां को क्या हुआ है ? हममें मतभेद कम है। आखिरकार वे सभी कांग्रेसी हैं। हम सभी उनका अपनी पार्टी में स्वागत करते हैं। वे आज कल या किसी और दिन इधर आ सकते हैं। वहां बैठे ज्यादातर मित्र अब हमारी तरफ हैं। इस देश में राजनीतिक क्षेत्र में सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसे लोग नहीं समझ पा रहे हैं। जो लोग उन्हें संसद में भेजते हैं, वे आशा करते हैं कि ये ज्यादा जिम्मेदार होंगे। यही कारण है कि मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूं। मैं उनके खिलाफ नहीं हूं। मुझे कोई शिकायत नहीं हैं मैं हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करता हूं, हम सभी एक ही थैले के चट्टे-बट्टे हैं। हो सकता है परिस्थिति वश अथवा किन्हीं अत्या मजबूरी से ये वहां बैठे हैं। अतः इस बात के बगैर कि वे उस ओर बैठे हैं और हम इस ओर बैठे हैं। वे इस विधेयक का एकमत से समर्थन कर सकते हैं।

श्री श्रीकान्त जेना : इस टिप्पणी के लिए आपको धन्यवाद कि हम गैर जिम्मेदार हैं और आप जिम्मेदार

है। श्री चाक्को यही कह रहे हैं। परन्तु जब एक औद्योगिक समूह एल एन्ड टी के अधिग्रहण की योजना बना रहा था, तो हमने उसका विरोध किया और आपने समर्थन किया था।

श्री पी.सी. चाको : हमने उसे सिर्फ रोका था?

सभापति महोदय : वह अपना भाषण समाप्त कर रहे हैं। कृपया आप अपना भाषण समाप्त करें कोई भी बात का रिकार्ड नहीं की जाएगी। .... **(व्यवधान)** *

श्री पी.सी. चाक्को : यदि आप मुझे अनुमति दें तो श्री जेना की बात सुनकर मुझे काफी प्रसन्नता होगी। उन्होंने एक उदाहरण दिया है जिसमें उनकी कोई भूमिका नहीं थी। बल्कि हमारे वित्त मंत्री ने उस प्रस्ताव को रोका। वे इस बात को क्यों नहीं समझते कि ठीक उनके सामने क्या हुआ। यह सिर्फ 3 महीना पहले हुआ। उसके बाद क्या हुआ? इस सरकार ने इसकी अनुमति नहीं दी।

उन सभी वित्तीय संस्थाओं को जिनका अपना महत्व हैं स्पष्ट रूप से कहा गया था कि उन्हें किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए। यह बात इस सरकार के कार्यकाल में ही हुई वे इस बात को भूल रहे हैं। कृपया बात को पलटने का प्रयास न करें।

मैं पुनः दोहरा रहा हूं कि श्री जेना और श्री नीतिश कुमार जैसे व्यक्तियों को जो सच्चाई समझ सकते हैं। कम से कम इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। यह एक विशेष विधेयक है।

श्री श्रीकान्त जेना : कया दल बदलने के लिए यह खुली रिश्वत है।

सभापति महोदय : उनका मतलब यह नहीं है।

श्री पी. सी. चाक्को : उन्होंने जे पी सी से शुरूआत की के देश के सम्पूर्ण बैंकिग पहलू पर बोले, उन्होंने विधेंयक के उपबन्धों को छोड़ सभी बातें कहीं। यह काफी खेद जनक स्थिति है। मुझे विश्वास है कि हालांकि विपक्ष में होने के कारण उन्होंने इसके खिलाफ तर्क दिया लेकिन यह सभा एक मत से इस विधान को पारित करेगी क्योंकि उनकी आत्मा हमारे साथ है और मुझे विश्वास है इसे एकमत से स्वीकार किया जाएगा। यह काफी आवश्यक कानून है। मैं इस संशोधन का पूरी तरह से समर्थन करता हूं और विधेयक का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री चेतन पी. एस. चौहान (अमरोहा) : महोदय, में एक मिली-जुली भावना को व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं इस अध्यादेश का विरोध करता हूं जो कि सरकार द्वारा 31 जनवरी 1994 को बहुत जल्दबाजी में जारी किया गया।

अध्यादेश को जारी करने से इसके अलावा कुछ नहीं हुआ है कि अध्यादेश पारित हो जाएगा। केवल औपचारिकता पूरी करनी पड़ेगी। राज्य सभा में औपचारिकता पूरी कर ली गई है। यह लोक सभा में भी पूरी कर ली जाएगी।

* कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

4.46 म.प.

(श्री पी. सी. चाक्को पीठासीन हुए)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : सभापति महोदय, आपको परेशनी होगी। सभी सदस्य आपकी ओर संकेत करेंगे, लेकिन आप उत्तर नहीं दे पाएंगे।

सभापति महोदय : मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। वे मेरी ओर संकेत नहीं करेंगे। कोई भी अध्यक्ष की ओर संकेत नहीं कर सकता।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : वे माननीय श्री पी.सी. चाक्को के ओर संकेत करेंगे।

सभापति महोदय : कोई भी अपने भाषण में अध्यक्ष पीठ की ओर संकेत नहीं कर सकता। इसकी अनुमति नहीं है। श्री चौहान अपना भाषण जारी रखें।

श्री चेतन पी.एस. चौहान : महोदय, बैंकों का 1969 में राष्ट्रीयकरण किया गया था। 25 वर्ष में बैंकिग उद्योग ने पर्याप्त प्रगति की है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण से लाभ हुआ क्योंकि उस समय बैंकिंग प्रणाली में बहुत सी गलत बातें हो रही थीं। बैंकों के मालिक कुछ उद्योगपति थे या कुछ लोग ही थे। बहुत से बैंक उस समय फेल हो गए।

राष्ट्रीयकरण ने बैंक उद्योग के गांवों, किसानों और हस्तशिप्लकारों तक पहुंचाया है। राष्ट्रीयकरण का सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि ऋणदाता जो किसानों के साथ खिलवाड़ कर रहे थे तथा गांवों में लोगों को लूट रहे थे, उनसे छुटकारा मिला और राष्ट्रीयकरण का मुख्य उद्देश्य यही था।

राष्ट्रीयकरण से आर्थिक विकास भी हुआ है। लेकिन 25 वर्षों के बाद क्या हुआ ? जैसा कि मैंने कहा कि उद्योग प्रगति पर है और आज सरकार केवल निजीकरण की बातें कर रही है। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं, माननीय मंत्री भी यहां हैं कि अब क्या हो गया है। उन्होंने यह सब कैसे होने दिया कि इन 25 वर्षों में राष्ट्रीयकृत बैंकों और बैंकिंग उद्योग की स्थिति बिगड़ती चली गई। बहुत ही अच्छे उद्देश्य से यह सब शुरू किया गया था। यह एक सामाजिक उद्देश्य को लेकर शुरु किया गया था ताकि गांवों में तथा छोटे क्षेत्रों में रहने वाले गरीब लोगों और गरीब दस्तकारों की भलाई की जा सके। तथा बैंकिग उद्योग को ग्रामीण जनता तक पहुंचाया जा सके। लेकिन तब किसी कीमत पर ?

आज, अनिष्पादक परिसम्पत्तियां बढ़कर लगभग 37,000 करोड़ रू0 हो गयी है। सरकार पहले ही 1991-92 तक 4000 करोड़ रू. दे चुकी है और इस वर्ष सरकार द्वारा विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों की पूंजी में 5700 करोड़ रू. का अंशदान दिया गया है। इस वर्ष 1994-95 में भी सरकार इसकी व्यवस्था करने जा रही है। मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि सरकार इस अशोध्य अग्रिम राशि जो कि लगभग 37000 करोड़ रू. है की वसूली के लिए क्या प्रयास कर रही है और इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं। यद्यपि इस बारे में अध्यादेश जारी किया गया था, किन्तु न्यायाधिकरण स्थापित नहीं किया गया है, इस समय आठ माह से भी अधिक हो चुके हैं।

किन्तु उन्होंने कार्य करना शुरू नहीं किया है। जिस सामाजिक उद्देश्य को लेकर राष्ट्रीयकरण उस समय किया गया था वह अब बैंकिंग उद्योग में उनकी अकुशलता का कारण बन गया है। बैंकिग उद्योग में कट्टरता और भ्रष्टाचार ने उग्र रूप धारण कर लिया है, और ऐसे समाचार आए हैं कि बैंको के कर्मचारियों तथा शाखा प्रबन्धक द्वारा कमिशन तथा 'कट' की मांग की जाती है। धोखा-धड़ी की जा रही है, प्रतिदिन जालसाजी और गबन के मामले हो रहे हैं।

कौन लोग जिम्मेदार हैं ? और इस बारे में सरकार क्या कर रही है ? मैंने स्थायी समिति की सभी बैठकों में इस बात का जिक्र किया है, सभापति, प्रबन्ध निदेशक, कार्यकारी निदेशक और उच्च अधिकारियों के सेवा निवृन्त होने से पूर्व उनके संबंध में मंत्री महोदय से बैठकों में हमेशा इस बात का उल्लेख किया है। अधिकारों का घोर दुरूपयोग किया गया है। अनेक ऐसे मामले हैं जो समाचार-पत्रों में छपे हैं। इनके सम्बन्ध में जांच की जा रही है। संसद सदस्य इन लोगों के विरुद्ध जांच के लिए मंत्रियों को लिखते रहे हैं।

बैंकिंग उद्योग अत्यधिक अनुचित ढंग से कार्य कर रहा है। मेरे पास स्थायी समिति की रिपोर्ट है। अब भारतीय रिजर्व बैंक को लीजिए। लगभग 24 निदेशकों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है लेकिन वे फिर भी कार्य कर रहे हैं। इनमें से छः वहां नहीं है। खाली स्थान नहीं भरे गए हैं। राष्ट्रीयकृत बैंकों और स्टेट बैंक में, 294 गैर सरकारी निदेशकों में से, 153 का कार्यकाल समाप्त हो गया है। खाली स्थान जो भरे गए हैं, उनकी संख्या 141 है। लगभग 150 लोगों के लिए स्थान अभी भी खाली हैं। राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रति सरकार का ऐसा रवैया है।

जहां तक कर्मचारियों का संबंध है, बैंकों को अधिक आकर्षक बनाना होगा। वेतन, विशेष रूप से परिलब्धियों और अन्य सुविधाओं में सुधार करना होगा ताकि राष्ट्रीयकृत बैंक भी गैर सरकारी बैंकों और विदेशी बैंकों से मुकाबला कर सकें। मैं सुझाव दूंगा कि प्रतिभाशाली, उभरते और अच्छे लोगों को आकर्षित करने के लिए अखिल भारतीय बैंकिग सेवा शुरू की जाए।

अब, मैं ग्राहक सेवा के मुद्दे पर आता हूं। ग्राहक सेवा में बहुत गिरावट हुई है। कर्मचारी अक्सर अपनी सीट पर नहीं होते। उनका व्यवहार खराब होता जा रहा है। मैं कर्मचारियों की तैनाती के बारे में भी कहना चाहूंगा। ऐसे कई प्रधान कार्यालय, मंडलीय कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय हैं जहां कर्मचारी फालतू हैं किन्तु शाखाओं में कर्मचारी नहीं हैं। अन्ततः शाखाएं ही हो ग्राहकों को सेवा प्रदान करती हैं। उनमें अकसर कर्मचारियों की कमी रहती है। शाखाओं में अनेक अन्य समस्याएं हैं। मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय इनसे अवगत हैं। मैं चाहूंगा कि भारतीय रिजर्व बैंक लोगों की समस्याओं का पता लगाएं ताकि ग्राहक सेवा में सुधा किया जा सके।

ग्राहक सेवा में सुधार के लिए, गोईपोरिया समिति गठित की गई थी। चार श्रेणियों में बांटते हुए 97 सिफारिशें की गई हैं। इनमें से कुछ को कार्यान्वित किया गया है।

श्री जसवंत सिंह (चित्तौड़गढ़) : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। अब यह चर्चा काफी लम्बी हो गई है। हमें सामान्य बजट पर भी चर्चा करनी है। जहां तक मुझे ज्ञात है, दूसरे सदन में भी सामान्य बजट पर अभी चर्चा

समाप्त नहीं हुई है। सभी दलों के संगठनों तथा सदस्यों की सुविधा के लिए यदि अभी यह निर्णय ले लिया जाए कि सामान्य बजट पर चर्चा कल शुरू होगी और आज केवल इसी कार्य जो कि अभी अधूरा है, को पूरा किया जाएगा और निपटया जाएगा तो ठीक होगा।...... **(व्यवधान)**

आज की कार्यवाही में इस समय लोक सभा में सामान्य बजट पर चर्चा करना लोक सभा के प्रति न्याय नहीं होगा। मेरा यही निवेदन है। मुझे विश्वास है कि आप इस बात से सहमत होंगे कि चालू वर्ष में सामान्य बजट पर चर्चा एक आम चर्चा नहीं है। इस समय जब वित्त मंत्री दूसरे सदन में व्यस्त हैं, उन्होंने वहां अभी उत्तर देना है, इसमें कुछ समय लगेगा हम उनकी अनुपस्थिति में इस सभा में सामान्य बजट पर चर्चा शुरू नहीं कर सकते। यह मेरा अनुरोध है।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य ने जो बात रखी है उसमें दम है। लेकिन हमारे पास पर्याप्त समय है। क्योंकि हमारे पास इस विषय पर बोलने के लिए केवल पांच सदस्य हैं। मैं समझता हूं कि इन सब वक्ताओं के बोल लेने के बाद भी हमारे पास इसके लिए पर्याप्त समय होगा। इसलिए मैं समझाता हूं कि सदस्यों को इसमें भाग लेने में कोई कठिनाई नहीं होगी।

श्री राम कापसे (ठाणे) : दो कठिनाई हैं। पहली यह कि सामान्य बजट पर सांय 6 बजे के बाद चर्चा शुरु करना गलत है। दूसरी बात यह है कि हम इसके लिए सांय 8 बजे तक बैठने के लिए तैयार नहीं हैं। इस कार्य को पूरा करने के लिए यह ठीक है। लेकिन अब इस समय सामान्य बजट पर चर्चा आरम्भ करना बजट के प्रति न्याय नहीं होगा। इसके अतिरिक्त वित्त मंत्री महोदय पहले ही बजट के संबंध में उत्तर देने के लिए राज्य सभा में व्यस्त हैं। क्या हमें वित्त मंत्री की अनुपस्थिति में सामान्य बजट पर चर्चा शुरू करनी चाहिए ? ये दो कानूनी मुद्दे हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है और सभा को मालूम होना चाहिए कि हमें कब चर्चा आरम्भ करनी चाहिए।

सभापति महोदय : इस मुद्दे पर चर्चा को नहीं बढ़ाइए। पीठासीन अधिकरी सदस्यों के विचारों के पूर्णतः सहमत हैं। सच यह है कि हमने सांय 8 बजे तक बैठना स्वीकार किया है। इसलिए सभा द्वारा और समय बढ़ाने के लिए निर्णय लेने या अन्य कुछ करने का प्रश्न ही नहीं उठता। जो सदस्य अपनी राय व्यक्त करना चाहते हैं उनके बालेने के बाद भी हमारे पास पर्याप्त समय है। इसलिए बिना किसी दल या माननीय सदस्य को कष्ट दिए हम चर्चा कर सकते हैं। अध्यक्ष पीठ ने सदस्यों द्वारा व्यक्त विचार नोट कर लिए हैं अब चर्चा जारी की जाए।

अब श्री चेतन चौहान अपनी बात जारी रखें।

[अनुवाद]

श्री चेतन पी.एस. चौहानः मैं ग्राहक सेवा के बारे में बात कर रहा था। गोइपोरिया समिति द्वारा 4 श्रेणियों में विभक्त 97 सिफारिशें की गई थीं जिसने दिसम्बर, 1991 में अपनी रिपोर्ट पहले ही प्रस्तुत कर दी है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि ग्राहकों को बहेतर सेवा देने में ये सिफ़ारिशें अत्यन्त महत्वपूर्ण होने के कारण इन्हें यथाशीघ्र लागू किया जाना चाहिए।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की बात यह है कि ये 1 करोड़ रुपये प्रतिदिन घाटा उठा रहे हैं और यह समस्या बारम्बार सरकार के ध्यान में लाई गई है। सरकार ने आश्वासन दिया है कि कोई निर्णय लिया जाएगा। अब केवल 50 बैंक पुनर्संगठन के लिए चुने गए हैं। नरसिम्हम समिति ने अपनी रिपोर्ट लगभग तीन वर्ष पहले प्रस्तुत की थी और अभी तक बैंकों का पुनर्संगठन नहीं किया गया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का क्या होगा ? इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुनर्संगठन करने में सरकार को कितना समय लगेगा? ये बैंक दो तीन वर्षों तक घाटा उठाते रहेंगे और अन्ततोगत्वा ऐसा न हो कि सरकार उन्हें बंद करने का निर्णय ले ले या उनका प्रायोजित बैंकों में विलय कर दे क्योंकि यह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक घाटा उठा रहे हैं। मैं आपके जरिए सरकार से अनुरोध करूंगा कि सरकार इस मामले को अत्यन्त गम्भीरता से ले और यदि उसने इन 50 बैंकों के पुर्नसंगठन का निर्णय लिया है तो वह ऐसा तत्काल करे और इस पर शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही करे।

गैर-नकदी कारोबार के लिए बैंकिंग घंटों को बढ़ाना, देर से प्राप्त होने वाले चैकों पर ब्याज का भुगतान, ग्राहकों की शिकायतों का यथाशीघ्र निपटान और कम्प्यूटरीकरण जैसी ग्राहक-सेवा के बारे में सिफारिशें की गई हैं। ग्राहकों को ये सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। केवल तभी राष्ट्रीयकृत बैंक अधिक प्रतिस्पर्धात्मक होंगे।

विधेयक के बारे में बात यह है कि गैर सरकारी व्यक्तियों और फर्मों को लाइसेंस दिए जांएगे। यहां मैं सरकार को सचेत करना चाहता हूँ कि बैंकों का निजीकरण हो सकता है और लगभग 140 व्यक्तियों ने निजी बैंकों के लाइसेंस के लिए आवेदन किया है। मेरा विश्वास है कि एक लाइसेंस पहले ही दिया जा चुका है। इसमें सावधानी बरतनी होगी क्योंकि न केवल चैयरमैन और प्रबंध निदेशक बल्कि निदेशक मण्डल में भी ऐसे सदस्य होने चाहिए जो बैंकिंग क्षेत्र में अनुभव रखते हों। इस बात का ध्यान रखना होगा कि नियमों का उल्लंघन करने वाले उद्योगपतियों को लाइसेंस न दिए जाएं जिससे जनता के धन का दुरूपयोग न हो।

5.00 म.प.

हमें बहुत सावधान रहना होगा क्योंकि ऐसे समाचार हैं कि पश्चिम में कुछ संगठन कश्मीर घाटी में आतंकवादियों को धन दे रहे हैं। यह बताया गया है कि लगभग 80 इस्लामी संस्थाएं कश्मीरी आतंकवादियों को धन दे रही हैं। इसी प्रकार, हमें नशीलें पदार्थों की तस्करी से प्राप्त धन के अन्तरण के बारे में भी सावधान रहना होगा। इसी प्रकार की अन्य अनिष्टकारी संस्थाओं से भी सावधान रहना होगा ताकि इस प्रकार के धन के अन्तरण के लिए गैर-सरकारी बैंकों का दुरूपयोग न हो। .

इस संधोधन में कुछ दण्ड निर्धारित किए गए हैं। 2000 रुपये के दण्ड को बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है तथा प्रबंधकों के लिए लगभग 5 लाख रुपये के दण् का प्रावधान है। मैं यह सुझाव दूंगा कि यह दण्ड पर्याप्त नहीं है तथा मैं प्रबंधकों के लिए और अधिक कठोर दण्ड की सिफारिश करता हूँ ताकि धन का दुरूपयोग न हो सके।

भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। भारतीय रिजर्व बैंक को इन गैर-सरकारी बैंकों और उनकी शाखाओं का आवधिक निरीक्षण करके इन पर नियंत्रण रखना होगा। मैं यह सुझाव दूंगा कि इन गैर

सरकारी बैंकों के लिए समवर्ती लेखा परीक्षा अनिवार्य होनी चाहिए।

कुछ समय पहले संयुक्त संसदीय समिति ने भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अनुसार लगभग 8,000 करोड़ रुपये का गबन किया गया है तथा लगभग 4,500 करोड़ रुपये देश से बाहर ले जाए गए हैं। मैं सरकार से यह पता लगाने का अनुरोध करता हूं कि उस धन का क्या हुआ तथा यह कहां गया, अपराधी कौन है और क्या इस धन को देश में वापस लाया जा सकता है।

महोदय, इन गैर-सरकारी बैंकों में जनता का धन लगाया जाएगा। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह जनता के धन के बारे में बहुत सावधान रहे क्योंकि विदेशों में भारतीयों द्वारा चलायी जा रहे कुछ बैंक फेल हो गए हैं तथा इस प्रकार से एक असुरक्षा सी पैदा हो गई है, विशेषकर इंग्लैंड में। मैं तो यह कहूंगा कि सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा और अधिक सावधानी बरतनी होगी और इन बैंको पर समुचित निगरानी रखनी होगी ताकि धन का दुरूपयोग न हो सके। उन बड़े औद्योगिक घरानों पर नजर रखना भी बहुत आवश्यक है जो लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं तथा जो गैर-सरकारी बैंकों के धन का उपयोग अन्य कम्पनियों को खरीदने या उनके अधिग्रहण के लिए कर सकते हैं।

गैर सरकारी बैंकों के लिए प्राथमिकता क्षेत्र में तीन वर्षों के लिए छूट दिए जाने से संबंधित एक खण्ड है। मैं इस खण्ड से सहमत नहीं हूं मेरा सुझाव है कि तीन वर्षों की छूट को केवल एक वर्ष कर दिया जाना चाहिए क्योंकि राष्ट्रीयकृत बैंकों और गैर-सरकारी बैंकों के लिए नियम समान होने चाहिए।

देश में 23 विदेशी बैंक हैं जिनकी लगभग 139 शाखाएं हैं। मैं देखता हैं कि इन विदेशी बैंकों को तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं। मेरा सुझाव है कि नियम समान होने चाहिए। राष्ट्रीयकृत बैंकों के 40 प्रतिशत ऋण प्राथमिकता क्षेत्र को दिए जाते हैं। यह नियम विदेशी बैंकों पर भी लागू होना चाहिए क्योंकि वे अधिक लाभ कमा रहे हैं। 40 प्रतिशत ऋण प्राथमिकता क्षेत्र को दिए जाने से राष्ट्रीयकृत बैंकों पर बहुत दबाव पड़ रहा है।

बैंकिंग उद्योग का आधुनिकीकरण करना अत्यावश्यक है। नये नियम बनाने पड़ेंगे। परन्तु यह आधुनिकीकरण या पुनर्संरचना या जो कुछ भी होने जा रहा है राष्ट्रीयकृत बैंकों की कीमत पर नहीं होना चाहिए। जैसाकि मैंने पहले कहा है सभी बैंकों के लिए नियम समान होने चाहिए। इन टिप्पणियों के साथ मैं इस अध्यादेश का विरोध करता हूं। परन्तु, इसके साथ ही विधेयक के संशोधन के संबंध में मैं टिप्पणी नहीं करता।

श्री सैयद मसूदुल हुसैन : महोदय, सभा में गणपूर्ति नहीं है।

सभापति महोदय : घंटी बजायी जा रही है, अब गणपूर्ति हो गई है। अब श्री तेज नारयाण सिंह बोलें।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : महोदय आगे कार्यवाही चलाने से पहले, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस चर्चा के लिए 2 घन्टे का समय आबंटित किया गया था। आबंटित समय पहले ही पूरा हो चुका है। कार्यसूची में यह दिया गया है कि सामान्य बजट पर चर्चा आज ही शुरू होगी। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि इस चर्चा को यथाशीघ्र समाप्त करें ताकि हम दूसरी मद को ले सकें।

सभापति महोदय : श्री तेज नारायण सिंह द्वारा भाषण शुरू करने से पहले मैं माननीय सदस्यों को याद दिलाना चाहता हूं कि सात और सदस्यों को इस चर्चा में भग लेना है। संसदीय कार्य मंत्री ने जो अपने विचार व्यक्त किए हैं वे पूरी तरह स्वीकार्य हैं परन्तु, जो सदस्य पहले ही अपने नाम दे चुके हैं उन्हें 5-5 मिनट का समय दिया जाएगा ताकि हम इस चर्चा को आधे घंटे में समाप्त कर सकें। मेरा सदस्यों से अनुरोध है कि पांच मिनट तक ही बोंले।

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : सभापति महोदय, कल यह तय हुआ था कि बैंककारी विनियमन विधेयक, वोट ऑन एकाउन्ट और विनियोग विधेयक को पारित करने के बाद बजट पर कल चर्चा कर सकते हैं। मेरी समझ में नहीं आता है कि क्यों अब जल्दी की जा रही है। जो सदस्य इस पर बोलना चाहते हैं, उनको बोलने की सुविधा मिलनी चाहिए।

श्री मुकुल वासनिक : यहं भी तय हो चुका है कि आठ बजे तक हम रोज बैठेंगे ताकि बिजनेस पूरा हो जाए। दो घंटे इस विषय के लिए रखे गए थे, और हमने उससे ज्यादा टाइम इस पर ले लिया तो इसका मतलब यह नहीं होता है कि आठ बजे के पूर्व ही इसे खत्म कर दें।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : बैठकों की संख्या, समय आदि के बारे में कुछ समस्या होने के कारण माननीय अध्यक्ष ने हममें से कुछ को बुलाया था। हम चाहते थे कि बजट पर चर्चा दिन में हो क्योंकि इसमें कई बातें शामिल हैं। सांयकाल के समय बजट पर चर्चा शुरू करना देश तथा संसद के लिए ठीक नहीं हैं।

कल से आप यह देख रहे होंगे कि हमें राजी करने के आपके प्रयासों के बावजूद हम इस विधेयक का हर सम्भव विरोध करेंगे और इसलिए हम कुछ और समय लगाएंगे। थोड़े से बचे हुए समय में बजट जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा शुरू करना व्यर्थ है। अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक को पारित करने में जल्दबाजी न करें क्योंकि इस विधेयक के बारे में हमारी धारणा बड़ी मजबूत है।

सभापित महोदय : कृपया, और अधिक चर्चा नहीं। यह मामला अध्यक्ष पीठ के ध्यान में आ गया है। हम इस मुद्दे पर चर्चा नहीं कर सकते हैं।

श्री लोकनाथ चौधरी (जगत सिंहपुर) : क्या आप यह ठीक समझते हैं कि सांयकाल के समय सामान्य बजट पर चर्चा शुरू की जाए ?

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्यों का ध्यान एक बात की ओर दिलाना चाहता हूं। हम श्री निर्मल कान्ति चटर्जी द्वारा व्यक्त विचारों से पूरी तरह सहमत हैं। हमने 2.00 बजे से 4.00 बजे के बीच चर्चा करने का निर्णय लिया था। चूंकि 4.00 बजे तक का समय बहुत कम था अतः हमने चर्चा जारी रखी। बहरहाल हमें 25 मिनटों में चर्चा खत्म करनी है। केवल पांच या छः सदस्य ऐसे हैं जो इस चर्चा में भाग लेना चाहते हैं तथा जिनका इस सूची में नाम है। उनमें से प्रत्येक पांच-पांच मिनट का समय ले और चर्चा समाप्त हो। हम अपनी

समय-सारिणी बार-बार नहीं बदल सकते । इस तरह से हम सभा नहीं चला सकते। एक निश्चित आपसी समझ-बूझ से ऐसा किया गया था। श्री चटर्जी के सुझाव पर अध्यक्ष ने कहा था कि सभी सदस्यों को चर्चा में भाग लेने दिया जाए। सभा भी इसपर एकमत थी। श्री सिंह, आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको केवल पांच मिनट में ही अपना भाषण समाप्त करना है। हमें यह चर्चा 25 मिनट में समाप्त करनी है.........**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री तेजनारायण सिंह (बक्सर) : माननीय सभापति महोदय, मैं खाली विनिमयन संशोधन विधेयक, 1994 का विरोध करता हूँ और माननीय संसद राजवीर सिंह द्वारा पेश किये गये संकल्प का समर्थन करता हूँ।

एक जमाना था जब सार्वजनिक क्षेत्र का महत्व देश में बहुत बढ़ा था और मैं समझता हूँ कि वह जमाना श्रीमती इन्दिरा गांधी का था। वह जमाना समाप्त हुआ और आज 1994 का निजीकरण का जमाना आ गया या यह कहा जा सकता है कि 1994 का साल निजीकरण का साल है। यह अभी हमें मालूम नहीं हो रहा है कि अभी और कितने संशोधन विधेयक आयेंगे।

मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद ही कोई एक्ट बकाया होगा, जिसमें कि इस साल संशोधन नहीं होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जिस समय देश के प्रधान मंत्री थे? उन्होंने कहा था कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र का ही महत्व होगा। उनका यह भी कहना था कि देश तभी मज़बूत होगा जबकि देश में सार्वजनिक क्षेत्र मजबूत होगा लेकिन न जाने इस देश में कौन सी आफत आ गई कि आज समझ उल्टी हो गई है। जो देश को आजाद कराने वाले लोगों की समझ थी कि देश में सार्वजनिक क्षेत्र का महत्व रहना चाहिए। उस समय कांग्रेस के तमाम के तमाम लोग उसी रास्ते पर चलते थे। अब भी उसमें से कुछ लोग हैं, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में पुराने आजादी की लड़ाई लड़ने वाले लोग आज नहीं है लेकिन यह जरूर है कि कुछ नये लोग आ गये हैं, उनकी समझ में अगर कोई अन्तर है तो मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं है, लेकिन जिन पुराने जमाने में कांग्रेसी लोगों ने आजादी लाने के लिए कुर्बानियां की हैं, चुनाव का जब समय आता है तो आप पोस्टर छपवाते हैं, पोस्टर पर लिखा रहता है, ''मां बेटे का बलिदान, भूल न सकेगा हिन्दुस्तान''। हिन्दुस्तान की जनता को कुर्बानी की कहानी पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए बहुत जोर लगाते हैं और तपस्या करते हैं और बहुत रूपया लगाकर प्रचार करते हैं लेकिन जब लोक सभा में वह चले आते हैं तो न मालूम क्या हो जाता है कि मां बेटे की कुर्बानी की कहानी भूल जाते हैं।

श्रीमती इन्दिरा गांधी ने 1969 में बैंकों का नेशनलाइजेशन किया। इस मुद्दे पर कांग्रेस दो भागों में बंट गई। कांग्रेस के कुछ लोग ऐसा नहीं चाहते थे कि बैंकों का नेशनलाइजेशन हो लेकिन इसके बावजूद भी श्रीमती इन्दिरा गांधी अपने रास्ते से नहीं हटी और बैंको का नेशनलाइजेशन हुआ और उन्होंने गरीबी हटाओं का नारा दिया। लेकिन आज जो उनके नाम पर चुनाव जीत कर आते हैं, वह नरसिम्हन कमेटी के रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। मंत्री महोदय ने जब कल शाम इसे पेश किया तो उनका कहना था कि ''वित्तीय प्रणाली पर नरसिम्हन समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ सिफारिश की है कि गैर सरकारी क्षेत्र में नये बैंक स्थापित करने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए।''

मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जो आपके सरकारी बैंक हैं, उनसे भी गैरकानूनी तरीके से रूपया निकाला जाता है। हर्षद मेहता ने अगर सबसे अधिक रूपया निकाला तो सरकारी बैंक से ही निकाला। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि गैर सरकारी बंक से भी कम रूपया नहीं निकला है। इसका मतलब कि गैरकानूनी काम सरकारी बैंक में भी हो सकता है और गैरसरकारी बैंक में भी हो सकता है। इसके लिए एक ही रास्ता है कि देश में जो कानून हैं, एवीडेंस एक्ट, आई.पी.सी. या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इन तीनों कानूनों को ठीक से लागू किया जाना चाहिए। अगर देश के कानूनों को ठीक से लागू किया जायेगा तो चाहे सरकारी बैंक हों या गैर सरकारी बैंक हैं, किसी भी बैंक में अनियमितता समाप्त हो सकती है।

सरकार की नीयत है कि गैरसरकारी बैंक अधिक खोलने से हम कम्पीटीशन में आ सकते हैं लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि गैरसरकारी बैंकों के खुलने से आप कम्पीटीशन में आयेंगे और सरकारी बैंक रहने से आप केम्पीटीशन में नहीं आ सकते हैं। बैंकों के खुलने से गरीबों को लोन मिलना चाहिए। गरीबों को लोन देने का प्रावधान आपके बैंक नियमों में है लेकिन गरीबों को उचित माध्यम से लोन नहीं मिल रहा है। चाहे सरकारी बैंक हों या गैरसरकारी बैंक हो लेकिन अगर कोई गरीब लोन लेना चाहता है तो दोनों बैंकों से बिना कमीशन का लोन उसको नहीं मिलता है।

बहुत सी बातों को छिपाने की आदत इस देश में चली हुई है और मेरे जैसा आदमी चाहता है कि उन बातें को तोड़ा जाए। जब तक देश में कमीशन का मामला समाप्त नहीं होगा, तब तक इस देश का विकास नहीं हो सकता है। आप बैंक खोलते हैं, कहते हैं कि देहात के लोगों को लोन देने के लिए हम बैंक खोल रहे हैं लेकिन जो काम देहात के बैंक में होता है, वही काम शहर के बैंक में होता है। दोनों बैंकों में कोई अन्तर नहीं होता है। अगर कोई किसान ट्रेक्टर खरीदने के लिए या गांव में चमड़े का उद्योग खोलने के लिए या कोई गाय, भैंस या मुर्गी खरीदने के लिए बैंक से लोन लेने जाता है तो उसके साथ शहर के बैंक में भी वही सलूक होता है, जो गांव के बैंक में सुलूक होता है।

मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि आप इस पर अधिक जोर न लगाये कि गैर सरकारी बैंकों को खोलकर ही हम देश का विकास कर सकते हैं, बल्कि सरकारी बैंकों को मजबूत करके ही देश का विकास किया जा सकता है। बिना सरकारी बैंकों को मुस्तैद किये या उनके नियमों को ठीक से लागू किये, मैं समझता हूँ कि देश का विकास नहीं हो सकता है। बैंको कि नियम, अधिनियम में प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दिये जाने वाले दंड में वृद्धि की गई है। मैं समझता हूँ कि इसके लिए कानून पहले से हैं और इतने कानून और बनाने से और कोई मजबूती आने वाली नहीं है इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि सार्वजनिक क्षेत्र को ही अधिक मजबूत करें, जिससे देश का विकास हो। अगर कोई अवगुण सार्वजनिक क्षेत्र में है तो उसे दूर करने की कोशिश करें। लेकिन केवल सार्वजनिक क्षेत्र में अवगुण हो गया, यह बहाना बनाकर तमाम सार्वजनिक क्षेत्र का आप निजीकरण कर देंगे तो इससे देश का भला नहीं होगा, ऐसा मैं समझता हूँ।

हमारे देश के लोगों ने कुर्बानी की, अंग्रेज यहां से गये, हम आजाद हुए और कांग्रेस के लोगों ने ही सार्वजनिक क्षेत्र को महत्व दिया और उसके चलते हम आज किसी प्राइवेट कम्पनी के नौकर नहीं हैं। हम टाटा,

बिड़ला, सिंघानिया के भी नौकर नहीं हैं, हम आज शान के साथ कहते हैं कि हम सरकार के नौकर हैं। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के जमाने में जितने भी लोग सरकार के नौकर हैं, हो सकता है कि 20 साल बाद वह किसी प्राइवेट कम्पनी के नौकर हो जायें। हो सकता है कि आपके लिए यह सम्मान की बात हो लेकिन मैं समझता हूँ कि हम लोगों के लिए यह सम्मान की बात नहीं है। हमारे लिए यह अपमानजनक बात है कि हम जो सरकार के नौकर थे, कल हम किसी प्राइवेट कम्पनी के नौकर होने जा रहे हैं। जो जुल्म प्राइवेट कम्पनियों में होगा, वह जुल्म सरकारी कम्पनियों में नहीं हो सकता है। मेरे जैसे आदमी का विचार है कि सरकारी तंत्र को ही, सार्वजनिक क्षेत्र को मजबूत बनाना चाहिए। सरकार को गैर सरकारी क्षेत्र पर अधिक निगाह रखने की जरूरत नहीं है।

अंत में मैं कहना चाहूंगा, लोगों ने कहा कि वी0पी0 सिंह के जमाने में देश की बहुत तबाही हो गई। मैं कहना चाहता हूँ और इसलिए उनका जवाब देना चाहता हूँ, क्योंकि वे उस क्षेत्र से जीत कर आए हैं जहां से एक समय में श्रीमती इंदिरा गांधी चुनाव जीत करके आई थीं।

मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वी.पी. सिंह ने विदेश से एक भी पैसा कर्ज नहीं लिया। उन्होंने देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बुलाने का काम नहीं किया लेकिन आपने जो कर्ज लिया और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बुलाने का भी काम किया। आपने तो देश को लूटाने का काम किया है तो इसलिए वी.पी. सिंह की तुलना करने की जरूरत नहीं है।.....**(व्यवधान)**.... अगर आप कहिएगा कि वी.पी. सिंह ने अपने जमाने में एक भी बेरोजगार को काम नहीं दिया तो आप सेर के बदले सवा सेर हैं। अगर वी0पी0 सिंह ने एक साल में काम नहीं दिया तो आपने आज ढाई साल में एक भी बेरोजगार को काम नहीं दिया। इसलिए वी0पी0 सिंह की तुलना करने की जरूरत नहीं है। वी0पी0 सिंह ने लोगों को काम दिया, आपने तो लोगों को कम्पनियों से हटाने का काम किया। आपने कोलार गोल्ड माइंस को बंद किया, जहां कई हजार मजदूर काम करते हैं। ......**(व्यवधान)**

इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूँ और मंत्री जी से भी कहना चाहता हूँ कि आप इस बिल को वापस लें और जिस रास्ते पर श्रीमती इंदिरा गांधी चल रही थीं, जिनके नाम पर आप चुनाव लड़ कर जीत कर आते हैं उन्हीं के रास्ते पर चलें जिससे इस देश में सार्वजनिक क्षेत्र मजबूत हों। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूँ।

[अनुवाद]

श्री पृथ्वीराज डी. चव्हाण (कराड़) : महोदय, मैं बैंककारी विनियमन (संशोधन) विधेयक का समर्थन करता हूँ जो हमारे वित्तीय क्षेत्र की पुनर्संरचना की प्रक्रिया को जारी रखने के लिए है तथा जिसे इस सरकार ने उसी दिन शुरू कर दिया था जब इसने कार्यभार संभाला था। सत्ता में आने के कुछ सप्ताह बाद ही वित्तीय क्षेत्र में सुधार करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति की नियुक्ति की गई थी।

वित्तीय क्षेत्र की पुनर्संरचना की संपूर्ण प्रक्रिया के मूलतः दो उद्देश्य हैं। इसका उद्देश्य भारतीय बैंकिंग उद्योग को अधिक लाभप्रद, अधिक मजबूत, अन्तर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धात्मक बनाना तथा इसका विस्तार करना है।

इसका विस्तार करने के लिए हमें भारतीय और विदेशी दोनों प्रकार की गैर सरकारी पूंजी को आमंत्रित करना होगा। हमें उन त्रुटियों को भी दूर करना होगा जिसके कारण विगत में महा घोटाला हुआ।

इस विधेयक में बैंकों के सरकारी नियंत्रण तथा गैर सरकारी निवेश को आकर्षक बनाने के बीच सन्तुलन लाने का प्रयास किया गया है।

भारत ने सदैव विभिन्न प्रकार के बैंकों को बने रहने दिया है। गैर सरकारी क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक, शत-प्रतिशत सरकारी धारिता वाले राष्ट्रीयकृत बैंक तथा आंशिक गैर-सरकारी धारिता वाले राष्ट्रीयकृत बैंक। परन्तु, मूल वास्तविकता क्या थी? वास्तविकता यह थी कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों का प्रभुत्व रहा तथा गैर सरकारी बैंकों को आर्थिक दृष्टि से विकसित होने हेतु बहुत कम गुंजाइश रही।

महोदय, बैंको की 93 प्रतिशत शाखाएं सरकारी क्षेत्र के बैंकों की हैं तथा बैंकों में जमा राशि का 87 प्रतिशत हिस्सा इन बैंको में जमा है। विपक्ष ने इस विधेयक की आलोचना इस प्रकार की है जैसे कि यह बैंको का गैर राष्ट्रीय कोष करने वाला विधेयक हो। वास्तव में यह विधेयक गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों से संबंधित है। महोदय, सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए यह आवश्यक है कि उन उद्देश्यों की पुनरीक्षा की जाए जिनको प्राप्त करने के लिए 1969 में बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था।

महोदय, उस समय की सामाजिक और आर्थिक दशाओं को देखते हुए राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक हो गया था कि बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण हो। उस समय उद्देश्य यह था कि बैंकों का विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार किया जाए तथा कमजोर वर्गों को ऋण उपलब्ध कराया जाए। अधिक से अधिक बचत की जाए तथा वित्तीय पूंजी और औद्योगिक पूंजी गठबन्धन को समाप्त किया जाए और आर्थिक शक्तियों की अनुचित प्रतिस्पर्धा तथा केन्द्रीकरण को रोका जाए।

कुल मिलाकर इन उद्देश्यों को अपेक्षाकृत अधिक ही प्राप्त कर लिया गया है। यदि आप खोली गई बैंकों की शाखाओं में वृद्धि को देंखे जो 8,000 से बढ़कर 60,000 हो गई है। तो यह देखा जा सकता है कि ग्रामीण शाखाओं के मामले में यह वृद्धि 23 प्रतिशत से 58 प्रतिशत हुई है। बचत के मामले में सकल घरेलू उत्पाद में 13 प्रतिशत से 37 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और 65,000 प्रति शाखा से 11,000 प्रतिशाखा जनसंख्या कवरेज को देखें तो मानेंगे कि हमने वर्ष 1969 के सामाजिक नियंत्रण के इन सीमित मूल उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया है।

राष्ट्रीयकृत बैंक वास्तव में सफल रहे हैं। परन्तु पीछे का अनुभव क्या रहा है ? दुर्भाग्यवश, राष्ट्रीयकृत बैंक सरकारी विभागों की तरह चलाए जाने लगे हैं। ब्याज दर नियंत्रण शासन सी.आर.आर. तथा एस.एल.आर. प्रणाली के जरिए ऋणों का अत्यधिक आबंटन और बहुत अधिक नौकरशाही के कारण इनकी कार्यकुशलता में भारी गिरावट आयी है। इस विषय पर पहले काफी चर्चा हो चुकी है। हम उन विभिन्न मानदण्डों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं जिसकी सारा संसार हमसे अपेक्षा करता है और जिन्हें अन्तर्राष्ट्रीय बैंकिंग समुदाय पूरा करता है। ग्राहक सेवा बहुत खराब है। अधिक नौकरशाही के कारण विभिन्न स्तरों पर भ्रष्टाचार तथा सांठ गांठ के मामले होने लगे हैं। वित्तीय समाचारों की गुणवत्ता पर्याप्त स्तर की नहीं है और हमारी सम्पूर्ण वित्तीय प्रणाली की साख अन्तर्राष्ट्रीय जगत में बहुत खराब है। गैर जिम्मेदारी की प्रवृत्ति उत्पन्न हो गई है। ऋणों को वापस न करने की प्रवृत्ति भी उत्पन्न हो गई है। वित्तीय क्षेत्र के नये सुधारों का उद्देश्य इन्हीं कमियों को दूर करना है।

शुरूआत में बैंक राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य सीमित था। बैंकिंग प्रणाली के उद्देश्यों को हमें व्यापक बनाना है।

अतिरिक्त उद्देश्यों के रूप में हमें कार्य कुशलता पर जोर देना है, प्रति व्यक्ति उत्पादकता पर जोर देना है, हमें लाभ तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पर जोर देना है, हमें वित्तीय परिणामों के समाचारों में और श्रेष्ठता लानी है। हमें अन्तर्राष्ट्रीय लेखा-विधि स्तर अपनाने होंगे। हमें ग्राहक सेवा की ओर ध्यान देना होगा, हमें निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रवृत्ति से दूर रहना होगा। जिसका आज कल उद्योगों में प्रचलन हो गया है। हमें बैंकिग क्षेत्र को तकनीकी रूप से उन्नत बनाना होगा। हमें समस्त उद्योग के लिए पूंजी की पर्याप्तता सम्बन्धी मानदण्डों में सुधार लाना होगा। हमें ऋण लेन-देन व्यवस्था की गुणवत्ता पर ध्यान देना होगा। जिसमें सुधार किये जाने की आवश्यकता है। हम जो ऋण लेते हैं उसे हमें अदा करने की प्रवृत्ति वापस लानी होगी।

अब मैं विधेयक की मुख्य विषयवस्तु पर आऊंगा। यह बहुत सरल है। हमने बैंकारी विनियमन अधिनियम में कुछ संशोधन करने का प्रयास किया है। अंशकालिक चेयरमैन की नियुक्ति तथा मतदान के अधिकार में वृद्धि तथा बोर्ड में गैर-सरकारी निदेशकों को शामिल किए जाने की अनुमति देना बहुत साधारण बातें हैं, परन्तु गैर-सरकारी पूंजी को पुनः आकर्षित करने के लिए ये नितान्त आवश्यक है।

37,000 करोड़ रुपये की अनिष्पादक परिसम्पत्तियां जो सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पास एकत्र हो गई हैं, उसके लिए सरकार को पिछले दो वर्षों में बजट में से 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान करना पड़ा और शायद अगले दो वर्षों में 10,000 करोड़ रुपये का और प्रावधान करना पड़ेगा। हम बैंकिग उद्योग के पूंजी आधार को केवल बजटीय समर्थन से ही बढ़ाते नहीं रह सकते है।। हमें विदेशी और भारतीय दोनों प्रकार की गैर-सरकारी पूंजी को आमंत्रित करना होगा और इसके लिए कुछ संशोधन करना आवश्यक हैं।

समय की कमी होने के कारण मैं कुछ सुझाव दूंगा। और माननीय मंत्री से कुछ स्पष्टीकरण चाहूंगा।

भारतीय रिजर्व बैंक ने नए बैंकों को बढ़ावा देने और खोलने के लिए इस वर्ष जनवरी में कतिपय मार्गनिर्देश जारी किए थे। सर्वप्रथम में इस बात पर जोर देता हूं कि पूंजी और जोखिम परिसम्पत्तियों के अनुपात का, जो 8 प्रतिशत निर्धारित है। सभी बैंकों द्वारा बनाए रखा जाना चाहिए चाहे वह पुराने गैर-सरकारी बेंक हों या नए गैर-सरकारी बैंक या विदेशी बैंक हों। किसी हाल में पूंजी की कमी वाले बेंकों को इस देश में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

प्राथमिकता क्षेत्र के लिए ऋण देने सम्बन्धी मानदण्डों को जैसे कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों में हैं, सभी बैंकों पर लागू किया जाना चाहिए। चाहें वे गैर-सरकारी बैंक हों या विदेशी। सरकार इस बात पर पहले ही सहमत हो चुकी है। निर्यात के लिए ऋण को विदेशी बैंकों के लिए अब प्राथमिकता ऋण माना जाएगा। और यदि विदेशी बेंक ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक शाखाएं खोलने में असमर्थ हैं तो वे नाबार्ड या ''सिडबी'' (एस.आई.डी.बी.आई) में निवेश कर सकते हैं।

महोदय, अंशकालिक चेयरमैन की नियुक्ति के बारे में यह उपलब्ध है कि इसका भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदिन होना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक के साथ काम करने का मेरा अनुभव यह है कि कोई उच्च स्तरीय नियुक्तियां लम्बे समय से लम्बित पड़ी हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह मार्ग निर्देश जारी करें ताकि अंशकालिक चेयरमैन या प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति के लिए नामों का अनुमोदन करने सम्बन्धी यह उपबन्ध समयबद्ध बनाया जा सके।

हमें अन्तर-निगमित ऋण तथा अन्तर-निगमित निवेश के लिए आचार संहिता बनाने की आवश्यकता है। सरकार ने घोषण की है कि वह एक वित्त पर्यवेक्षण बोर्ड का गठन करेगी। परन्तु बोर्ड ने अभी कार्य करना शुरू नहीं किया है। मेरा सरकार मे अनुरोध है कि वह यह देखे कि यह बोर्ड शीघ्र कार्य करना शुरू कर दे। प्रक्रियागत नियंत्रण के बजाए व्यापक स्तर पर निगरानी शुरू किए जाने की आवश्यकता है।

इन नए सरकारी बैंकों द्वारा अपनायी जाने वाली लेखा प्रक्रिया के सम्बन्ध में एक समस्या है। वे कम्पनी अधिनियम के उपबंधों का पालन करेंगे या बैंककारी विनयमन अधिनियम या भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में उपबंधों का ? इसे स्पष्ट किए जाने की जरूरत है।

बैंकों के परिसमापन के लिए विस्तृत मार्ग निर्देशों की आवश्यकता है क्योंकि कुछ बैंकों का निश्चित रुप से परिसमापन होगा। निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारण्टी अधिनियम के अन्तर्गत बैंकों तथा जमा कर्ताओं के दायित्व के बारे में समुचित रुप से विज्ञापन देने तथा प्रचार करने की आवश्यकता है। सरकार द्वारा दिसम्बर, 1993 में प्रकाशित किए गए चर्चा-पत्र में एक यह सुझाव दिया गया था कि बैंककारी विनियमन विधेयक में यह अनुमति प्रदान करने के लिए संशोधन किए जाने की आवश्यकता है कि लेखा परीक्षक सीधे भारतीय रिजर्व बैंक को रिपोर्ट दे सकेगा। इस बार यह नहीं किया गया है। मेरा सुझाव है कि सरकार यह उपबंध अवश्य करें। और लेखा परीक्षक यदि कोई अनियमितता पाएं तो वे न केवल बैंक के बोर्ड को ही नहीं बल्कि भारतीय रिजर्व बैंक को भी सीधे रिपोर्ट दे सकते हैं।

कुछ दण्डों में वृद्धि की गई है। यह एक स्वागतयोग्य कदम है। परन्तु मेरा सुझाव है कि दण्ड बैंक के पूंजी आधार के हिसाब से निर्धारित किया जाना था। अब इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है। परन्तु कुछ समय पश्चात् यूं मान लीजिए कि 5 वर्ष बाद ऐसा लगेगा कि यह दण्ड अपर्याप्त और कम है। मेरा सुझाव है कि दण्ड को बैंक की चुकता पूंजी से सूचीबद्ध किया जा सकता है।

वसूली न्यायाधिकरणों ने अभी कार्य करना शुरू नहीं किया है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह उपयुक्त न्यायिक अधिकारियों का पता लगाए ताकि वसूली न्यायाधिकरण कार्य करना शुरू कर सकें। और सरकारी क्षेत्र के बैंकों के 37,000 करोड़ रुपये के अशोध्य ऋण में से कम से कम उसके एक हिस्से की वसूली की जा सके।

सरकार ने संगठित परिसम्पत्ति पुनर्निर्माण निधि (कन्सर्टेड असेट रिकान्सट्रक्शन फण्ड) बनाना स्पष्ट रूप से उपयोगी नहीं समझा है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इसको दुबारा देखें। कुछ देशों, विशेषकर संयुक्त राज्य में यह सफल रहा है। यह यहां भी सफल हो सकता है। इसके कार्य शुरू होने में कुछ समय लगेगा। परन्तु इस पर गम्भीरता पूर्वक फिर से विचार किया जाना चाहिए।

शाखाओं को बन्द किए जाने के बारे में भी कुछ आशंकाएं व्यक्त की गई हैं। सरकार ने इसे पूर्णतया स्पष्ट कर दिया है कि बैंक की कोई भी ग्रामीण शाखा बन्द नहीं की जाएगी। केवल बैंकों की लगभग 100 शाखाओं को बंद करने पर विचार किया गया है। मेरे विचार में इस प्रकार का लचीलापन, इस प्रकार की स्वायत्तता बैंको को देनी पड़ेगी। यदि वे वास्त में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं। इस बारे में कोई अनुचित आशंका नहीं होनी चाहिए।

शब्द 'प्रवर्तक' (प्रोमोटर) के बारे में मेरी कुछ समस्या है। बैंककारी विनियमन अधिनियम में प्रवर्तक शब्द की परिभाषा नहीं दी गई है। शायद कम्पनी अधिनियम में कुछ परिभाषा दी गई है। आपने कहा है कि 20 प्रतिशत से अधिक शेयरधारी व्यक्तियों के लिए उसे अधिक निदेशकों की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब इस उपबन्ध के बारे में थोड़ा स्पष्टीकरण की आवश्यकता है क्योंकि इसका दुरुपयोग हो सकता है।

महोदय, नरसिम्हमन समिति ने बैंकों को प्रवेश की स्वतंत्रता की सिफारिश की थी। सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में भी इसकी अनुमति दी गई है। इससे बैंकों के राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया निरर्थक नहीं हो जाती है। परन्तु वास्तव में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का उद्देश्य चाहे वे इस विधेयक के जरिए हो या अन्य विधेयक के जरिए हो, जो स्थायी समिति के समक्ष लम्बित हैं, भारतीय बैंकिग उद्योग विशेषकर सरकारी क्षेत्र के बैंकों को सुदृढ़ बनाना है।

बैंकों का राष्ट्रीकरण करने का मूल उद्देश्य पूरी तरह प्राप्त कर लिया गया है। हमें कुशल ग्राहक सेवा, ऋण की समय पर प्राप्ति, आधुनिकीकरण, जवाबदेही, लेखों में स्पष्टता तथा अन्तर्राष्ट्रीय मानकीकरण जैसे अतिरिक्त उद्देश्य भी अवश्य शामिल करने चाहिए। इस विधेयक का उद्देश्य इन बातों को प्राप्त करना है। इसलिए मैं इस विधेयक की सिफारिश सभा को करता हूं।

प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु (तेनाली) : सभापति महोदय, माननीय वित्तमंत्री इस देश के राष्ट्रपति द्वारा 31 जनवरी, 1994 को प्रख्यापित एक अध्यादेश के जरिए बैंककारी विनियमन संशोधन लाए हैं। और इस अध्यादेश का उद्देश्य बैंककारी (विनियमन) अधिनियम, 1949 में संशोधन करना है।

महोदय, इस संशोधन के उपबन्धों का अध्ययन करने के पश्चात् मुझे यह प्रतीत होता है कि जैसे कि एक घर को नुकसान पहुंचाने वाले चूहे को मारने के लिए सबसे आसान तरीका यह लिया गया कि सारे घर को आगे लगा दी जाए। इस संशोधन को लाने के लिए जो चिन्ता प्रकट की जा रही है उससे बैंकिग ढांचा चरमरा जाएगा।

महोदय, सत्तापक्ष के मेरे दोस्त इस मामले के पक्ष और विपक्ष दोनों में तर्क देने में समर्थ हैं। महोदय, इतिहास गवाह है कि 1969 में जब गैर सरकारी क्षेत्र के बैंकों के राष्ट्रीयकरण के मामले के पक्ष में तर्क दिए जा रहे थे, तब इसी कांग्रेस सरकार तथा मित्रों ने यह तर्क दिया था कि गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक पूरी बैंकिग प्रणाली का दुरुपयोग कर रहे हैं। और ये उन लोगों की सेवा नहीं कर रहे हैं जिनकी बैंक तक पहुंच नहीं है। तब गैर-सरकारी बैंकिग से इनका राष्ट्रीयकरण करने के पक्ष में तर्क दिए गए थे। वर्ष 1968 में तत्कालीन वित्त मंत्री श्री मोरारजी देसाई ने बैंकिग प्रणाली पर सामाजिक नियंत्रण रखने का एक अच्छा निर्णय लिया था और इसी के अनुरुप 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जिनकी प्रत्येक की परिसम्पत्तियां 50 करोड़ रुपये या अधिक थीं और इसके बाद 1980 में 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। जिनकी प्रत्येक की परिसम्पत्तियां 200 करोड़ रुपये से अधिक थी।

महोदय यदि आपको याद हो, कि 1969 में राष्ट्रीयकरण का एकमात्र उद्देश्य जनता को विशेषकर उस क्षेत्र की जनता को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराना था जिन्हें पर्याप्त सेवाएं उपलब्ध नहीं थी और राष्ट्रीयकरण के जरिए

यह आश्वासन दिया गया कि प्राथमिकता क्षेत्र को इसका उचित हिस्सा मिलेगा। उस समय से अब तक, जैसा कि मेरे मित्र ने अभी-अभी कहा है, बैंक शाखाओं की संख्या में 8 हजार से 60 हजार की भारी वृद्धि हुई है तथा अब 65 हजार लोगों के लिए एक बैंक शाखा की बजाए यह घटकर 11 हजार लोगों के लिए एक बैंक शाखा हो गई है। जब राष्ट्रीयकरण के जरिए, ये उपलब्धियां हुई हैं तो अब कदम इससे पीछे क्यों हटाए जाएं। हमें एक बार फिर गैर-सरकारी क्षेत्र को आमन्त्रित क्यों करना चाहिए। 1969 में पहली बार राष्ट्रीकरण करने के बाद वर्ष 1980 में 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। क्या दूसरी बार राष्ट्रीकरण करने के समय सरकार ने यह नहीं सोचा था कि जहां तक निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त करने का सम्बन्ध है, राष्ट्रीकरण से अच्छा कार्य हो रहा था। बैंकिग प्रणाली में सारी समस्या हाल में हुए घोटाले तथा प्रस्तुत की जा चुकी नरसिम्हमन समिति की रिपोर्ट के बाद शुरू हुई। वे यह बताते रहे हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक समय-समय पर मार्गनिर्देश जारी करता रहा है और सभी बैंक चाहे वे सरकारी क्षेत्र के हों या गैर सरकारी क्षेत्र के इन्हीं मार्गनिर्देशो के आधार पर कार्य करते रहे हैं। क्या इस अवधि के दौरान हुआ यह घोटाला भी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए मार्गनिर्देशों के अनुसार हुआ है। नहीं, निश्चय ही नहीं। यहां जब संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट पर वाद-विवाद हुआ था तब उन्होंने तर्क दिया था कि यह सरकार की असफलता नहीं है, यह वित्त मंत्री की असफलता नहीं है। यह भारतीय रिजर्व बैंक की असफलता नहीं है। बल्कि यह केवल प्रणाली की असफलता है। प्रणाली का असफल होना क्या है ? क्या यह बात है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रणाली की असफलता की ओर ध्यान नहीं दिया ? यदि वे प्रणाली में वास्तव में सुधार लाना चाहते हैं तो उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक के गर्वनर को मुख्य चुनाव आयुक्त के समान स्वायत्तता प्रदान करने के लिए संशोधन प्रस्तुत करना चाहिए ताकि वह इन सभी बुराइयों को दूर कर सकें। भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर जब तक वित्त मंत्री तथा भारत सरकार के आदेश के अनुसार काम करेगा, तब तक इनमें से किसी भी बुराई को दूर नहीं किया जा सकता।

इसके अलावा सामाजिक दायित्वों के बारे में क्या है ? पहले 1969 में तथा बाद को 1980 में दो बार राष्ट्रीयकरण करने के बाद सामाजिक दायित्वों को पूरा कर लिया गया था तथा प्राथमिकता क्षेत्र को उसका उचित हिस्सा दिया गया था। प्राथमिकता क्षेत्र को कुल ऋणों का 40 प्रतिशत तक प्रदान किया गया। नरसिम्हम समिति की रिपोर्ट में गैर-सरकारी क्षेत्र की बैंकिंग प्रणाली में मुक्त प्रवेश की वकालत की गई है। इसके साथ-साथ समिति ने प्राथमिकता क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्रों को भी ऋण देते रहने की वकालत भी की है।

क्या यह बैंकिंग प्रणाली के लिए उचित है, कि वह अपनी जमा राशि का चालीस प्रतिशत केवल ग्रामीण क्षेत्र से एकत्र कर रही है और केवल सोलह प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ऋण दे रही है? कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों के लिए कुल ऋण राशि केवल सोलह प्रतिशत है। अब जब सम्पूर्ण बैंकिग प्रणाली पूर्ण समर्थ हैं और ग्रामीण क्षेत्र से चालीस प्रतिशत तक जमाराशि एकत्र करने में समर्थ है लेकिन केवल सोलह प्रतिशत ऋण दे रही है, क्या यह उचित है ? गैर सरकारी क्षेत्रों को लाने के लिए अब किया गया संशोधन स्पष्ट रुप से प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए लाभकारी नहीं है।

मतदान के अधिकार की उच्चतम सीमा भी एक प्रतिशत से बढ़ाकर दस प्रतिशत कर दी गई है। मैं यह

नहीं समझता कि यह दीर्घविधि हितों को पूरा करने समर्थ होगी। मलहोत्रा समिति जिसे बीमा कम्पनियों के संबंध में नियुक्त किया गया था, ने भी सुझाव दिया है कि मतदान अधिकार चालीस प्रतिशत तक बढ़ा दिया जाना चाहिए। हमारे मन में इन बारे में कोई शंका नहीं है कि मतदान अधिकार में यह वृद्धि एकाधिकारी समाज को बढ़ावा देगी, न कि लोकतांत्रिक समाज को। बैंकिग प्रणाली में भी लोकतांत्रिक प्रणाली पूर्णतः समाप्त होने जा रही है।

मैं एक और मुद्दा उठाना चाहता हूं और वह अंशकालिक चेयरमैन की नियुक्ति के बारे में है। बार-बार वे यह उल्लेख कर रहे हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति से अंशकालीन चेयरमैन नियुक्त किए जा रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ऐसे अनेक अवसर आए हैं जहां भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों की अवज्ञा की गई है और यह अपवाद नहीं होगा।

यहां तक कि जब वहां पूर्ण-कालिक चेयरमैन था, तो कोई जवाब देही और जिम्मेदारी नहीं थी। अब जब अंशकालिक चैयरमैन है तो हम कैसे आशा कर सकते हैं कि जहां तक बैंकिग लेने-देन का सम्बन्ध है, इतना जवाबदेही होगी ? मैं नहीं समझता कि यह सुचारू ढंग से कार्य करेगी।

महोदय, जहां तक कृषि क्षेत्र का संबंध है कृपया मुझे एक बात कहने दीजिए। जहां तक इस क्षेत्र का सम्बन्ध है। नरसिंहम समिति की सिफारिशों के बाद, कृषि क्षेत्र में कुल ऋण राशि में कमी आई है। अब बैंकिग प्रणाली में गैर सरकारी क्षेत्रों के प्रवेश और मतदान अधिकार की उच्चतम सीमा बढ़ाने से, मुझे आशंका है कि कृषि क्षेत्र और अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के साथ सोतेला व्यवहार किया जाएगा। इसलिए मैं इस संशोधन का विरोध करने के लिए मजबूर हूं।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : सभापति महोदय, मैं समय सीमा के प्रति सतर्क हूं। तथा यह है कि विधेयक के कथित उद्देश्य कुछ भी हों, सरकार की वास्तविक मंशा हमारे देश में बैंकिग उद्योग का निजीकरण करना है, सरकार का वास्तविक उद्देश्य बैंकिग प्रणाली के निजीकरण को सुविधाजनक बनाना है और इसके परिणामी प्रभावों से सार्वजनिक क्षेत्र बैंकिग प्रणाली को समाप्त करना है।

दूसरा उद्देश्य जो मुझे प्रतीत होता है वह है पूंजी बाजार से इक्विटी का 49 प्रतिशत तक पूंजी एकत्र करना है। इसका परिणाम मैं केवल एक वाक्य में बताना चाहूंगा कि इसका सरकारी क्षेत्र के बैंकों के विकास की प्रक्रिया को उल्टा करना, जिसने अब अपनी निर्णायक भूमिका बना ली है और पुनः हमारे देश में राष्ट्रीयकरण से पहले वाली स्थिति को बहाल करना। ऐसा विशेषता बैंकिंग प्रणाली और इसमें विद्यमान बुराइयों के कारण है। स्वभाविक है आप सामाजिक बैंकिंग की नीति को छोड़ रहे हैं। कृपया मुझे यह कहने की अनुमति दें कि आप सामाजिक बैंकिंग छोड़कर वर्ग बैंकिंग को स्वीकार करने जा रहे है। अर्थात जहां तक निवेश का सम्बन्ध है जहां तक ऋण देने का सम्बन्ध है बैंक किसी एक वर्ग को अपनी सेवाएं देंगे और सामाजिक बैंकिंग की मूल अवधारणा के स्थान पर अब वर्ग बैंकिग आ जाएगी। इसलिए सिद्धान्तता हम इसका विरोध करते हैं।

मेरे कुछ मित्रों जिन्होंने मुझसे पहले अपने विचार रखे हैं, यह कहते हुए कुछ टिप्पणियां की हैं कि बैंकों

के राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य पहले ही पूरा हो चुका है बल्कि आवश्यकता से अधिक यह पूरा हो चुका है। कृपया मुझे यह कहने की अनुमति दें कि यह वक्तव्य का अत्यधिक सरलीकरण है। जी हां, प्रगति हुई है। हमारे पास चार्ट हैं। वास्तव में मैंने इसे एक शब्द में कहा कि सरकारी क्षेत्र की बैंकिग प्रणाली ने निर्णायक भूमिका पा ली है। लेकिन गैर सरकारी बैंक भी हैं। विदेशी बैंक भी हैं।

यदि हम श्रीमती इंदिरा गांधी और सरकारी क्षेत्र के लिए उनकी वचन बद्धताओं को याद करें, वह अपने दृष्टिकोण में बहुत स्पष्ट थी। उन्होंने कहा था कि निजी क्षेत्र वास्तव में निजी क्षेत्र है और हमें इनमें कुछ नहीं करना है और जहां तक सरकारी क्षेत्र का सम्बन्ध है इसका सामजिक वचनबद्धता और महत्व है, हमने क्या पाया ? क्या हम सामाजिक वचनबद्धता के समर्थक नहीं हैं, क्या हम जनता में सहयोग नहीं है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था में सरकारी भागीदारी और जनता के सहयोग के समर्थक नहीं हैं? अतः सभी सिद्धान्तों में हम प्रक्रिया को उलट रहे हैं। वास्तव में आप प्रक्रिया को उलट रहे है। वास्तव में आप प्रक्रिया को उलट रहे है। जो 1969 में बैंकों के राष्ट्रीकरण के बाद चालू की गई थी। मैं इसका विरोध करता हूं आप इसे अब भारत में विश्व में परिवर्तन के नाम पर ला रहे हैं, क्या परिवर्तन हुए हैं, क्या पूंजीवाद में बदलाव आया है ? क्या बेरोजगारी कम हो गई है ?

श्री मुरली देवरा (मुम्बई दक्षिण) : साम्यवाद असफल हो गया है।

श्री चित्त बसु : साम्यवाद असफल नहीं हुआ है। कुछ तरह का साम्यवाद असफल रहा है। इसका यह अभिप्रायः नहीं है कि साम्यवाद का दर्शन असफल रहा है और इसका यह अभिप्राय नहीं है कि पूंजीवाद ने अपनी छवि सुधार ली है। ....**(व्यवधान)**

परिवर्तन हुए हैं और इस बारे में कोई शंका नहीं है। बैंकिंग प्रणाली का पुनर्गठन करने और उसमें सुधार लाने की आवश्यकता है। लेकिन किस प्रकार के सुधार लाए जाने चाहिए? यदि आप बिरला, टाटा और बहुराष्ट्रीय निगमों के हित में सुधार लाना चाहते हैं, तो मैं ऐसे सुधार का विरोध करता हूं। लेकिन यदि ऐसा सुधार लाया जाता है जो कामगारों और किसानों के हित में हो, तो निश्चय ही हम उस सुधार के समर्थक होंगे। अतः आपको इस नारे पर नहीं चलना चाहिए कि विश्व में परिवर्तन आया है, इसलिए हमें भी परिवर्तन करना चाहिए। यदि कोई कहता है कि कोई असफल रहा है, तो हमें उस पर मुकदमा चलाना चाहिए। यह औचित्यपूर्ण तर्क नहीं है। पुनः सुधार के प्रश्न पर आते हुए, मैं कहना चाहूंगा कि हमारे देश के सभी मजदूर संघों ने हमारे देश के वित्तीय क्षेत्र ने कुछ पुनर्गठन के प्रस्ताव दिए हैं जो बीमा के लिए मलहोत्रा समिति की तरह या अन्य समितियां की तरह नही हैं। जो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के पक्षधार है। यदि आप अनुमति दें. तो मैं दो-तीन बात कहूंगा जो जहां तक सुधारों का संबंध है। बहुत संगत और महत्वपूर्ण है।

सभापति महोदय : चित्त बसु जी, कृपया अपने आप को विधेयक के उपबंधों तक सीमित रखों।

श्री चित्त बसु : महोदय, हमारे देश में बैकिंग प्रणाली की कार्य कुशलता बढ़ाने की आवश्यकता है। क्या आपके कहने का यह अभिप्रायः है कि अधिक संख्या में अंशकालिक चेयरमैन या निदेशक नियुक्त करने से प्रणली

अधिक कार्यकुशल होगी ? यदि यह उद्देश्य है तो मेरा विनम्र निवेदन है कि आप मृगमरीचिका का पीछा कर रहे हैं, यह संभव नहीं है। यदि आप मतदान प्रणाली में केवल अधिनियम की सीमा को बढ़ाकर बैंकिग प्रणाली में कार्य क्षमता बढ़ाना चाहते हैं तो आप गलती कर रहे हैं। यदि आप वास्तव में कार्य क्षमता बढ़ाना चाहते हैं और यदि आप चाहते हैं कि सरकारी क्षेत्र के बैंक व्यवसायिक कौशल से कार्य करें, तो और कई तरीके हैं। मैं एक दो का सुझाव दूंगा।

महोदय, पूरे वाणिज्यिक बैंकिंग क्षेत्र का पुनर्गठन तत्काल किया जाना चाहिए और इसके लिए 8 या 10 समान दर्जे के बैंकों को प्रतियोगी बनाया जाना चाहिए। प्रतिस्पर्धा की भावना जगाने की आवश्यकता है। विदेश में स र्जनकि क्षेत्र के बैंकों सहित एक ओवरसीज बैंकिंग निगम गठित किया जाना चाहिए। बैंक ऋणों की जान बूझ कर अदायगी न करना दांडिक अपराध बनाया जाना चाहिए। इस समय, कुल राशि का 75 प्रतिशत जो कि अशोध्य ऋण में परिवर्तित किया गया है, वह निगमित क्षेत्र की असफलता के कारण है। और असावधानी के कारण है। क्या आप इससे इंकार कर सकते हैं? आप इंकार नहीं कर सकते। इसलिए जानबूझ कर ऋण की अदायगी न करना दंडिक अपराध बनाया जाना चाहिए और इसके लिए कड़ी सजा दी जानी चाहिए।

सभी अदायगी न करने वालों की सूची जो लगभग 10 लाख है, प्रकाशित की जानी चाहिए। आप स्पष्टता के बहुत बड़े समर्थक हैं, लेकिन इस मामले में आप स्पष्ट क्यों नहीं हैं? मैं समझता हूं कि आप इससे सहमत होंगे। निगमित क्षेत्र में भी स्पष्टता होनी चाहिए। बैंकिग क्षेत्र को भी स्थायी संसदीय समिति की संवीक्षा के अन्तर्गत लाया जाना चाहिए। बैंक लोक लेखा समिति के क्षेत्राधिकार में नहीं आते हैं। इसका क्या कारण है ? कुछ अन्य मुद्दे भी हैं। लेकिन मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। इसलिए मेरे कहने का निष्कर्ष यह है कि आपने गलत तरीका चुना है। आपने जो तरीका चुना है, वह आपकी बनाई इमारत को ढ़हा देगा। यह अच्छी बात है कि आप इस इमारत को बनाये जो कि आपके दल ने बनाई है, को बनाने का श्रेय ले सकते हैं। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि जो इमारत इस दल ने बनाई थी वह स्वयम् उसी दल द्वारा गिराई जा रही है, तोड़ी जा रही है। इसलिए मैं महसूस करता हूं कि सरकार को ऐसी खतरनाक आर्थिक नीतियों से बचना चाहिए जो तथाकथित नई आर्थिक नीति तथाकथित उदारीकरण, तथाकथित भारतीय अर्थव्यवस्था का सार्वभौमीकरण तथा भारत की अर्थ व्यवस्था विश्व अर्थ व्यवस्था से सामन्जस्य का भाग है। मैं पुनः कहूंगा कि यह खतरनाक रास्ता है। यह रास्ता हमें समृद्ध और स्थिर समाज नहीं देगा। इससे अव्यवस्था, भ्रम पैदा होगा और यदि आप चाहते हैं कि, मैं यह कहूं कि यह एक क्रान्ति होगी तो आप क्रान्ति को इस रुप में स्वीकार नहीं करेंगे।

श्री ए.चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : सभापति महोदय, मैं बैंककारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 1994 जिस पर अभी चर्चा हो रही है, का समर्थन करता हूं। महोदय आप पहले ही बोल चुके हैं। और अपने सत्ता पक्ष के मामले को काफी अच्छी तरह रखा। मैं महसूस करता हूं कि आपके भाषण के बाद इस विधेयक पर बोलने का हमारा दायित्व काफी हद तक कम हो गया है।

इस विधेयक की चार प्रमुख विशेषताएं हैं पहली इससे बैंककारी कम्पनी में अंश कालिक चेयर मैन की

नियुक्ति की जा सकती है। दूसरी इसमें मतदान अधिकार संबंधी अधिकतम सीमा को 1 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत किया गया है। तीसरी बात इसमें निदेशकों की संख्या को अधिकतम 3 तक सीमित किया गया है और चौथी बात इसमें जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा किए अपराधों के लिए दंड को बढ़ाया गया है।

मैं इन सभी बातों का पुर्णतया समर्थन करता हूं क्योंकि हम विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में है। हमें चुनौतियों का सामना करने के लिए बैंकिग प्रणाली को सुसज्जित करना होगा क्योंकि हम अलग-अलग नहीं रख सकते।

विपक्ष के सदस्यों द्वारा मुख्य रुप से उगाया गया एक मुद्रा अध्यादेश के बारे में है। मैं ज्यादा नहीं बोलुंगा। मैं उनकी चिन्ता को समझता हूं कि जहां तक संभव होगा, अध्यादेश जारी करने की शक्ति यथा संभव कम इस्तेमाल होगा। परंतु सरकार के नाते, सत्तादल के नाते विश्व के प्रति और देश के प्रति हमारी वचनबद्धता है। जब कभी भी हम यह पाते हैं कि कुछ क्षेत्र हैं जहां कुछ कार्य जल्दी करना होता है उस कार्य को करने की हमारी जिम्मेवारी है। विपक्ष सिर्फ इस बात के लिए नहीं है कि वह प्रत्येक चीज का विरोध करें। हम एक चलते जहाज में कासा विमाया की तरह नहीं रह सकते कि चाहे जो कुछ भी हो हम नहीं हटेंगे। यह सरकार गतिशील सरकार हैं।

6.00 म.प.

हमारे प्रधानमंत्री ने अनेकों बार यह स्पष्ट रुप से कहा है कि हम सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बारे में काफी कुछ कहा गया है। मैं उनके इस विचार से सहमत हूं कि एक समय था जब हमारी अर्थव्यवस्था उनके हाथों में काफी अच्छी स्थिति में थी। अतः हमें उन्हें सुदृढ करना होगा। परंतु क्या विपक्ष के हमारे कोई मित्र यह बता सकते हैं कि इन बड़े बैंकों के घाटे का कारण है। इंडियन ओवरसीज बैंक का घाटा 700 करोड़ रू. से अधिक है। सिंडिकेट बैंक का 670 करोड़ रू. से अधिक है और यूको बैंक का 450 करोड़ रू. और सेंट्रल बैंक आफ इंडिया का घाटा लगभग 380 करोड़ रू. है। मैं उन पर दोष नहीं लगा रहा। यहां तक कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद भी विदेशी बैंक और गैर सरकारी बैंक थे यहां राष्ट्रीयकृत बैंक भी थे। अब हमें इन सभी बैंकों को सृदृढ़ करना होगा ताकि विश्वव्यापी चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो।

वे मुख्यतः डंकल के बारे आरोप लगाते रहे हैं हम जानते हैं कि अगले आम चुनाव में विपक्ष का मुख्य मुद्दा सिर्फ डंकल होगा और कोई कुछ नहीं। वे किसी प्रकार यह दिखाना चाहते हैं कि डंकल एक बड़ा राक्षस है जो सारे देश का निगंल रहा है।

यह सरकार जो परितर्वन हो चुका है उनके प्रति चयनबद्ध है और हम यह सुनिश्चित करना चाहत है। कि आम व्यक्ति की जिन्दगी में किसी प्रकार सुधार रहं। हमारा यही प्रयास है उस प्रयास के एक भाग के रुप में हम बैंकों के प्रशासन को भी कारगर बनाने का प्रयास कर रहे हैं।

इस संबंध में मैं कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बारे में भी अपुनी चिन्ता व्यक्त करना चाहता हूं मुझे खेद है कि विपक्ष के किसी भी सदस्य ने लघु उद्योग क्षेत्र की समस्या नहीं रखी यही एक ऐसा क्षेत्र है जो 40 प्रतिशत व्यक्तियों को

रोजगार प्रदान करता है और यह इन उत्पादन के 30 प्रतिशत से अधिक के लिए उत्तरदायी है। यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। और मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि जो प्रतिस्पर्धा वहां होगी उसे सुनिश्चित करते समय लघु उद्योग क्षेत्र को संरक्षण के लिए भी ध्यान रखीं जाएगा। अतः वह भी सामाजिक वचनबद्धता है। मैं जानता हूं कि नागरिक बैंक ने मार्ग निर्देश दिए हुए हैं और कोई भी बैंक पूर्णतया स्वतंत्र नहीं है। यहां तक कि गैर-सरकारी बैंकों को भी भा. रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों का अनुपालन करना होता है तथा वहां भी सामाजिक वचनबद्धता रहेगी। परन्तु यह काफी खेदजनक बात है कि इन मार्ग निर्देशों का तथाकथित सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा उल्लघंन किया जा रहा है। के इन में ऋण जमा अनुपात लक्ष्य से काफी कम है। यह लगभग 46 है। इसके लिए क्या स्पष्टीकरण है? क्या यह सत्य नहीं है कि इसके लिए सिर्फ सरकारी क्षेत्र के उपक्रम जिम्मेवार है। हमें यह देखना होगा कि प्रत्येक बैंक, चाहे वे गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक हों अथवा सरकारी क्षेत्र के बैंक हों, विदेशी बैंक हों उन्हें कतिपय दायित्व पूरे करने होते हैं तथा सरकार और भारतीय बैंक और हमें उन पर निगरानी रखनी चाहिए और केवल तभी इससे प्रयोजन पूरा होगा।

एक काफी बड़े वित्तीय संस्थान द्वारा की गई भारी धोखाधड़ी ने सारे देश को स्तबध कर दिया है। पश्चिम बंगाल के मेरे मित्र यहां मौजूद नहीं है। आप को उन्हें बताना होगा। कलकत्ता के जनप्रिय फाइनान्सर ने करोड़ों रू. का घोटाला किया वह एक एजेंसी प्रणाली हैं उसमें हजारों एजेंट हैं और करोड़ों रू. का निवेश किया गया है। त्रिवेन्द्रम में भी यह शाखा थी। एक दिन सुबह वह बन्द हो गई। अब उसका कुछ भी पता नही हैं। उप-नियमों में यह लिखा गया है कि इस जनप्रिय फाइनेन्स को पश्चिम बंगाल सरकार की मान्यता प्राप्त है। पंजीकरण संख्या तथा अन्य सभी चीजें उसमें हैं। मुख्य पृष्ठ पर यह दिया गया है कि प्रत्येक जमा सिर्फ राष्ट्रीयकृत बैंकों में की जाएगी। उसमें यह भी बताया गया है कि इसके भा0 रि0 बैंक का अनुमोदन प्राप्त है। परन्तु लाखों निर्धन व्यक्तियों से 10 रुपए आदि की छोटी किश्तों में एकत्र की गई करोड़ों रुपए की धनराशि पूरी तरह से हड़प गए आदि। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह भा. रि. बैंक से इसकी जांच करवाएं और देखें कि उनके खिलाफ कार्यवाही हो।

महोदय, मुझे समय की कमी की जानकारी है। दो मिनट में मैं अपना भाषण समाप्त करूंगा। मै। यह महसूस करता हूं कि सिर्फ विधान को पारित करना ही पर्याप्त नहीं है। बल्कि उसे समुचित रुप में लागू भी किया जाना चाहिए। हमने निलंबित भुगतान पर ब्याज के बारे में एक विधान पारित किया है। यह वास्तव में खेदजनक बात है कि एक भी लघु उद्योग इस लाभ को प्राप्त नहीं कर सका क्योंकि ज्यों ही वे अदालत जाते है। उनका पूरा ब्यापार खत्म हो जाता। मैं यह चाहता हूं कि इस पर पुनः विचार आवश्यक है। निलंबित भुगतान पर ब्याज के भुगतान को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए, चाहे उद्योग की इकाई अदालत में जाए अथवा नहीं ऐसी स्थिति में भुगतान सुनिश्चित हो सकता है।

मेरे पास कुछ और मुझे हैं। "सिदवी" से उद्देश्य पूरा नहीं हुआ हैं। वी आई एक बड़े उद्योग देखते हैं औद्योगिक घराने का कार्य देखता है लघु क्षेत्र का कार्य नहीं । उनका भी ध्यान रखना होगा। इस विधेयक को उचित समय पर लाया गया है। यह बैंककारी प्रणाली के सम्पूर्ण कार्यकरण की सुदृढ़ करेगा।

इन शब्दों के साथ में इस विधेयक का दृढ़ता से समर्थन करता हूं। आप ने मुझे बोलने का जो अवसर दिया मै उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : सभापति महोदय, यह जो बैंककारी विनियमन संशोधन विधेयक पर बहस चल रही है इसमें बैंक का उद्देश्य कुछ भी बताया गया हो लेकिन इसके संबंध में सरकार की मंशा साफ जाहिर होती है कि इसको 1969 से पहले वाली स्थिति में पहुंचाने की है तथा विदेशी बैंकों को देश में लाकर उसका खिदमत करना है।

सभापति महोदय, सबसे पहली बात मैं आपके सामने यह रखना चाहता हूं कि 1962 में हम लोग अपनी पार्टी की तरफ से यहां पर एक रैली हुई थी जिसमें यह सवाल, हम लोगों ने नारा दिया था कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए और प्रीविपर्स को खत्म किया जाए। तो वह नारा 1969 में सफल हुआ। हमारी स्व. प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने जब बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए रास्ता अपनाया तो उस समय कांग्रेस के अंदर दो हिस्सों में बंटवारा हुआ और उसका नतीजा यह हुआ कि उनका जो रास्ता था उसको हर वामपंथी पार्टी के लोगों ने समर्थन देकर उनके रास्ते को मजबूत किया और बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का कुछ उद्देश्य था वह यह था कि भारत एक ग्रामीण देश रहा है।

उस समय गांवों में सूदखोरों के खूनी पंजे के लोग परेशान थे और स्थिति यहां तक हो गई थी कि झारखंड के किसानों की की जमीनें सूदखोरों के हाथ में चली गई थी। बाद में उन जमीनों को वापिस दिलाने के लिए सकरार ने एक कानून बनाया, जो कि अभी तक लागू नहीं हो पाया है। सूदखोरों के खूनी पंजों से लोगों को छुड़ाने के लिए ही बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिससे गरीब, सीमांत किसान, खेतीहर मजदूरों को बैंकों से ऋण मिले और उनकी स्थिति में कुछ हद तक सुधर आया। यह काम समाज कल्याण के उद्देश्य से इंदिरा गांधी ने किया था। उस समय जो शक्तियां इसके विरोध में थी, उन्होंने इसका विरोध किया और कांग्रेस का विभाजन भी हुआ। उन विरोधी शक्तियों की उस समय पराजय हुई, लेकिन आज उन्हीं शक्तियों के दबाव में फिर से हम वापिस उसी स्थिति में लौटने जा रहे हैं।

सभापति महोदय, जब प्रतियोगिता की बात की जा रही है, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे बैंक में प्रतियोगिता की शक्ति है, लेकिन ये जो घोटाले होते हैं, उनसे उस क्षमता में कमी आती है। इतना बड़ा घोटला हर्षद मेहता आदि दलालों ने कैसे किया? मैं कहना चाहतां हूं कि कोई भी गलत काम बिना राजनीतिज्ञों के शामिल हुए नहीं हो सकता। दलालों की इतनी हिम्मत नहीं है कि वे बिना राजनीतिज्ञों के सहयोग से करोड़ों का घोटला करें। इसके बाद ही नई आर्थिक नीति की बात आई, जो कि सिर्फ एक बहाना मात्र हैं दलालों के जरिए सारे गलत काम करवाए गए, जिससे हमारी आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई और नई आर्थिक नीति पैदा हुई। इसी का ज्वलंत उदाहरण है, जो आज आप करने जा रहे हैं। सिर्फ कहने से काम नहीं होता है यदि वास्तव में आप देश की अर्थ व्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं, देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो कोई विरोध नहीं कर सकता है। कौन चाहेगा कि देश

की आर्थिक स्थिति मजबूत न हो, यदि कोई ऐसा चाहेगा तो वह देशद्रोही होगा। मैं और हमारी पार्टी के लोग सारी बातों को समझते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप विदेशी बैंकों को यहां पर लाना चाहते हैं। हमारा कहना यह है कि आप लोगों में यदि देशभक्ति है तो उसको निभाने का काम कीजिए, देशभक्ति का दिखावा करके देश के विरुद्ध काम मत कीजिए। ये सारे काम ''डंकल'' के दबाव में किए जा रहे है।, लेकिन आप लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। फ्रांस के ओक ने इस बात को कहा और प्रेस में भी सारी बातें आ रही हैं। आज देश में दवाओं की जो कीमत है, उनमें 10 गुना वृद्धि होने वाली है। आज दिल के दौरे की, गुर्दे के रोगों की, कैंसर आदि बीमारियों की दवाओं की कीमत जो कि आम आदमी की पहुंच के अंदर है, आने वाले दिनों में आम आदमी के अंदर इन दवाओं को खरीदने की शक्ति नहीं रहेगी, जिससे जन-स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। जिसका नतीजा यह होगा कि हमारा नागरिक बहुत कमजोर हो जाएगा।

इसलिए इस विधेयक को वापिस लेना बेहतर होगा। बैंकों के पुनर्गठन के लिए विरोध और सत्ता पक्ष सभी सदस्यों की मीटिंग करके, उनसे बात करके एक नया विधेयक यहां पर लाएं लाए पुरानी बैंक प्रणाली के स्थान पर नई बैंक प्रणाली शुरू की जाए।

[अनुवाद]

श्री आर. जीवरत्नम (आर्कोनिम) : माननीय सभापित महोदय, मैं माननीय वित्त राज्य मंत्री श्री अबरार अहमद द्वारा इस महान सभा के समक्ष विचार के लिए लाए गए बैंककारी विनियमन संशोधन विधेयक का स्वागत करता हूँ और समर्थन करता हूँ।

देश में बैंकिंग प्रणाली को विनियमित करने और बैंकिंग क्षेत्र के विकास को सुनिश्चित करने के इरादे से हमारी प्रिय स्व. प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने हमारे देश के बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। उसी के बाद ही जनता ने बैंकिंग कामों में विश्वास करना शुरू किया और तब उन्होंने बैंकों में अपनी सम्पतियां जमा करानी शुरू की। अब जमाराशि को पर्याप्त सुरक्षा देना और बैंकों में जमा राशि पर पर्याप्त ब्याज का भुगतान सुनिश्चित करना सरकार का कर्त्तव्य है।

जब हमारे माननीय वित्त मंत्री डा0 मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्रालय का कार्य संभाला तो बैंकिंग उद्योग में उतार-चढ़ाव था। और इसका अन्त हर्षद मेहता घोटाला कांड प्रकाश में आने से हुआ।

इतने बड़े घोटाले को उजागर करने का श्रेय हमारे प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को जाता है जो अब सुधारात्मक उपाय कर रहे हैं, जनता ने देश की बैंकिंग प्रणाली में अपनी आस्था फिर दिखाई हैं।

मैं कहना चाहूंगा कि शेयर बाजार का प्रभाव हमारे देश की बैंकिंग प्रणाली पर काफी पड़ता है। अतः मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह कम से कम इस स्थिति में औद्योगिक क्षेत्र को ऋण और अग्रिम धन देने के लिए अब अपनाई जा रही प्रक्रिया पर पुनः विचार करें।

(मूलतः तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रुपान्तर)

बड़े उद्योगपतियों को अग्रिम और ऋण के रुप में करोड़ों रुपये दिये गये हैं। परन्तु उनकी अनेक औद्योगिक इकाईयाँ अभी भी रूग्ण हैं। उन्हें प्रदत्त सुविधाओं के बावजूद वे लाभकारी और अर्थक्षम नहीं हैं। इस खायी का पता लगाने के लिए हमने औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड स्थापित किया। परन्तु औ0औ0वि0पु0 बोर्ड की आशा के अनुरुप कार्य नहीं कर सका। हाल ही में उद्योग मंत्री ने मुझे लिखा है कि इन रूग्ण इकाईयों में लगा लगभग 1 लाख करोड़ रुपया बेकार पड़ा है। इस प्रकार निवेश की गई राशि की वसूली के लिए हमें कुछ प्रभावकारी कदम उठाने यदि जैसे कि ऐसे रूग्ण औद्योगिक इकाईयों के लिए अधिसूचना जारी करना और उन्हें बोली के माध्यम से बेचना। तभी हम उनमें निवेश किए पैसे को पुनः प्राप्त कर सकते हैं, यदि आप पाते हैं कि आई.एफ.आर. प्रभावकारी ढंग से कार्य नहीं कर रहा तो आप उस निकाय को भंग कर देना चाहिए और बी. आई.एफ.आर. के कार्मिकों को बैंकिंग क्षेत्र में अथवा वसूली अभिकरण में जिसके बारे में अब हम विचार कर सकते हैं, फिर से तैनात करें।

इस बैंककारी विनियमन (संशोधन) विधेयक का एक उद्देश्य बैंकों में अंशकालिक चैयरमैन नियुक्त करना है। विधेयक में यह भी व्यवस्था की गई है कि प्रबंध निदेशक प्रशासनिक नियंत्रण संभालेंगे। उन्हें ऐसे बैंकों के शीर्ष प्रशासनिक निकाय के प्रति जवाबदेह बनाया गया है। यहां मैं अपना सुझाव रखना चाहूंगा। बैंकों के प्रबंध निदेशक के पद सिर्फ संबंधित बैंकों के उन कर्मचारियों को दिये जाने चाहिए जो पदोन्नति के रास्ते ऊपर आए हैं।

इस संशोधन विधेयक में शेयर धारियों के मतदान अधिकार 1 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत तक करने का भी प्रावधान है। इससे और अधिक लोगों को बैंकिंग गतिविधियों में निवेश करने का प्रोत्साहन मिलेगा। इससे बैंकिंग उद्योग के प्रभावी कार्यकरण की जांच करने तथा देख-रेख के लिए व्यापक निगरानी तंत्र की व्यवस्था होगी। मैं महसूस करता हूँ कि प्रस्तावित संशोधनों में बैंकिंग क्षेत्र को अपने कार्यनिष्पादन तथा कुशलता में सुधार करने में भी सहायता मिलेगी। हम अब यह देख रहे हैं कि और अधिक विदेशी निवेश किया जा रहा है। बैंक प्रशासन सम्पूर्ण रुप से प्रबंध निदेशकों के सुपुर्द कर दिया गया है। इन परिस्थितयों में सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बैंक अब भी सरकार के प्रति और सरकार के जरिए इस देश के लोगों के प्रति जवाबदेह रहे।

बैंकिंग, सेवा क्षेत्र में हैं। हम उन्हें सामाजिक-आर्थिक कल्याणकारी संगठन भी कह सकते हैं। अतः हमें यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि कल्याणकारी निकाय स्थापित किए जाएं जो बैंक कर्मचारियों के कल्याण को देंखे। हमें उनकी समस्याओं और शिकायतों पर, जब भी वे सामने आए उनकी ओर, ध्यान देना चाहिए और ऐसा उपयुक्त वातावरण पैदा करना चाहिए जिससे बैंकिंग क्षेत्र में हड़तालें होना बन्द हो जाए।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में कार्य करने वाले शाखा प्रबंधकों, रोकड़ियों और लिपिकों को तीन वर्ष में एक बार नियमित रुप से स्थानान्तरित किया जाना चाहिए। यदि उन्हें एक स्थान पर लम्बे समय तक रखा जाता है, तो इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। ऐसे स्थानान्तरणों को इस बहाने से वापस नहीं लिया जाना चाहिए कि मजदूर संघों में पदाधिकारियों को स्थानान्तरण से छूट दी जा रही है।

मंत्री जी यह भी इंगित कर सकते हैं कि निदेशक मंडल में शेयर धारियों को वह किस प्रकार प्रतिनिधित्व

देना चाहते हैं। आपको ऋण देने में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया की पुनरीक्षा भी करनी चाहिए। यहां मैं मंत्री जी के ध्यान में यह लाना चाहूंगा कि बड़े उद्योगपतियों को ऋण किस प्रकार दिया जाता है। वे तीन अलग-अलग पते देते हैं और एक ही समय में तीन अलग-अलग ऋण ले लेते हैं। ऐसे बैंक अधिकारियों को इसकी जानकारी होती है और वे जानबूझकर इसकी अनदेखा करते हैं। अन्य को इस प्रकार की अनियमितताओं की जांच करने के लिए एक प्रभावी तंत्र का गठन करना चाहिए। आपको यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि एक भवन में एक पते पर केवल एक बार ऋण की सुविधा दी जाए। आपको एक स्थान पर एक प्रबंधक के अंतर्गत विभिन्न एककों को ऋण दिए जाने की प्रक्रिया की पुनरीक्षा अवश्य करनी चाहिए।

सावधि जमा पर सरकारी और गैरसरकारी दोनों क्षेत्रों में ब्याज दरें एक समान होनी चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि सावधि जमा पर दिए जाने वाली ब्याज दरों में बहुत अन्तर है। आपको इसे एक समान तथा संतुलित बनाना होगा।

उद्योगों को अब जनता से स्वयं ऋण लेने की अनुमति दी गई है। आपको इसकी पुनरीक्षा करनी चाहिए और आपको उसके लिए एक रचनात्मक उच्चतम सीमा तय करनी चाहिए।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋणों पर अब अलग-अलग ब्याज दर ली जा रही हैं। उदाहरण के लिए, पहले दो लाख रुपयों पर ब्याज दर भिन्न होती है और उसके बाद दो लाख रुपये से अधिक तथा दस लाख रुपयों तक भिन्न होती है। आपको इस स्लैब प्रणाली को खत्म करना होगा जिसमें ब्याज 14 प्रतिशत से 21 प्रतिशत तक भिन्न-भिन्न है। औद्योगिक क्षेत्र के लिए यह एक समस्या है और उन्हें यह खलती है। अतः आपको ऐसे ऋणों पर ब्याज दर एक समान करने के लिए कोई उपाय करना होगा।

इसी प्रकार राष्ट्रीयकृत बैंकों से खरीदे गए डिमाण्ड ड्राफ्टों पर कमीशन दर को भी बदलकर एक समान करना चाहिए। उदाहरनार्थ, यदि हम 500 रुपये के दो डिमांड ड्राफ्ट खरीदें तो कमीशन कुल 4 रुपये होगा अर्थात् प्रत्येक पर दो-दो रुपये। जबकि यदि हम 1000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट खरीदें, तो कमीशन 10 रुपये होगा। मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि इस ओर ध्यान दें और बैंकों से खरीदे गए डिमांड ड्राफ्टों पर कमीशन की दर एक समान करें। आपको यहां भी स्लैब प्रणाली को खत्म करना होगा।

मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीयकृत बैंकों को कभी भी गैर-सरकारी क्षेत्र को नहीं सौंपा जाना चाहिए। विदेशी निवेशकों को, जो भारत में बैंक शुरू करने के लिए आएं, केवल संयुक्त क्षेत्र में अनुमति दी जानी चाहिए। सरकार को 55 प्रतिशत शेयर अपने पास रखने चाहिए और विदेशी निवेशकों के पास 45 प्रतिशत शेयर होने चाहिए। अनुमति देते समय, हमें अपने पास यह अधिकार भी रखना चाहिए कि हम उचित समय पर 45 प्रतिशत शेयर भी उनसे ले सकें।

गैर-सरकारी क्षेत्र में लोगों को गृह निर्माण कि लिए ऋण उदारता से दिये जाने चाहिए। इसके साथ ही, ऋण वापस करने की समुचित गारण्टी भी ली जानी चाहिए।

आवास बैंक प्रणाली ढंग से कार्य नहीं कर रही है। अतः उनका नियमित व्यावसायिक बैंकों के साथ

विलय कर दिया जाना चाहिए ताकि ऐसी सुविधा एक छत के नीचे एक ही काउंटर पर उपलब्ध हो सके। जब ऋण के लिए उद्योगों के प्रार्थना पत्रों पर कार्यवाही की जाती है तो आवेदन पत्रों की जांच कार्य में उस क्षेत्र के संसद सदस्यों को भी शामिल किया जाना चाहिए।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा धनराशि जमा करने को बढ़ावा देने तथा ऋण वितरण के संबंध में आयोजित किए जाने वाले समारोहों में संबंधित क्षेत्रों के संसद सदस्यों को भी आमंत्रित किया जाना चाहिए।

पिछड़े क्षेत्रों के लोगों को संसद सदस्यों द्वारा सिफारिश किए जाने पर ऋण के रुप में वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए। मेरा सरकार से अनुरोध है कि बैंकों को इस संबंध में समुचित अनुदेश दिए जाएं। इसी के साथ में बैंककारी विनियमन संशोधन विधेयक, 1994 का समर्थन करते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री राम कापसे : माननीय सभापति महोदय, यह विधेयक चार उद्देश्यों को ध्यान में रखकर लाया गया है।

पहला अभिप्राय है " बैंकिंग कम्पनियों में अंशकालिक चैयरमैनों की नियुक्ति"। दूसरा है " यह आवश्यक पाया गया है कि शेयरधारियों के विद्यमान मतदान अधिकार की अधिकतम सीमा एक प्रतिशत से बढ़कार 10 प्रतिशत करना"। तीसरा है " बैंकिंग कम्पनी के सभी शेयरधारियों के कुल मतदान अधिकार के बारे में अधिनियम में व्यवस्था है कि कोई व्यक्ति जो किसी अन्य बैंकिंग कम्पनी या कम्पनियों का निदेशक है जिसको स्वयं में 20 प्रतिशत से अधिक मतदान का अधिकार प्राप्त है। इस उपबंध के मद्देनज़र, नई बैंकिंग कम्पनियों को बढ़ावा देने वाली संस्थाओं के निदेशक नई कम्पनियां खुल जाने पर ऐसी नई बैंकिंग, कम्पनियों के निदेशक नहीं बने रहेंगे।" चौथा अभिप्राय है, " अतः इस उपबंध में यह व्यवस्था करने के लिए संशोधन किए जाने की आवश्यकता है कि भारत में स्थापित की गई बैंकिंग कम्पनी में उन कम्पनियों के निदेशकों में से तीन से अधिक निदेशक नहीं होंगे जो स्वयं में 20 प्रतिशत से अधिक मतदान का अधिकार उपयोग करने के हकदार है।

इन चार अभिप्रायों के बारे में, जिनके लिए यह विधेयक लाया गया है, मैं मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि अध्यादेश का जारी किये जाने के बारे में कारण कहां हैं? फरवरी के तीसरे सप्ताह से सत्र आरंभ होना था और 31 जनवरी को उन्होंने अध्यादेश जारी किया। मैं सर्वप्रथम यह जानना चाहता हूं कि इस अध्यादेश को जारी करने की इतनी आवश्यकता क्या थी। आप इस सत्र में विधान ला सकते थे और आप बहुमत से इसे पारित करवा सकते थे।

पूर्व के वर्षों में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, जब सरकार द्वारा अध्यादेश जारी करने का प्रयास किया गया था, तो तत्कालीन अध्यक्ष ने यह देखा था कि सभा का सत्रावसान नहीं हुआ था और कोई नया अध्यादेश कई महीनों तक जारी नहीं किया गया था। मैं स्वतः अध्यादेशों की सहायता से देश के निर्णय का विरोध करता हूं।

मैं चारों अभिप्रायों का और विशेषकर शेयरधारक के मतदान अधिकार को एक प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने के अभिप्राय का पूरी तरह विरोध करता हूं। हजारों शेयर रखने वाले शेयरधाराकों को एक से अधिक वोट की अनुमति न दिए जाने के पीछे कारण था और वह कारण यह है कि बैंकिंग कम्पनियां शेयरों की सहायता से स्वयं व्यक्तियों की सम्पत्ति नहीं होनी चाहिए। परन्तु अब आप इस सीमा को एक प्रतिशत से बढ़ाकर

10 प्रतिशत कर रहे हैं जहां तक मतदान के उपबंध का प्रश्न है, मैं इसका पूरी तरह विरोध करता हूँ। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि आप अंशकालिक चैयरमैन क्यों रखना चाहते हैं? जहां तक बैंकों का संबंध है पूर्णकालिक चैयरमैनों के होने से हमारी स्थिति क्या है? जहां तक बैंकिंग क्षेत्र का संबंध है क्या अपने लक्ष्यों को हमने प्राप्त कर लिया है? वे लक्ष्य क्या थे ? जब श्रीमती इन्दिरा गांधी के शासन काल के दौरान राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो इसका सामाजिक उद्देश्य था और उन्होंने इसके लिए कुछ किया भी था और कांग्रेसियों से अनुरोध है कि कम से कम उस भाषण को पढ़े। उस समय कांग्रेस और सरकार ने इसका अनुमोदन किया था। अब आप उसके विपरीत बात कर रहे हैं और आप विदेशी धन लाने के नाम में बैंकों का निजीकरण कर रहे हैं। क्या हम वास्तव में राष्ट्रीयकरण को तत्काल समाप्त करने की स्थिति में हैं? जहां तक बैंकों का संबंध है सभी राष्ट्रीयकृत बैंक संकट में हैं और सभी घाटे में चल रहे हैं। यहां तक कि इस वर्ष के बजट में भी बैंकिंग प्रणाली के बारे में दो जगह उल्लेख किए गए हैं। आज की स्थिति के अनुसार, एक उल्लेख घाटे के बारे में है और दूसरा उल्लेख ग्रामीण बैंकों को पुनर्सरंचना के बारे में है। अतः इसका अर्थ है कि आप बैंकिंग प्रणाली से संतुष्ट नहीं हैं।

इसके अलावा, मैं आपसे यह पूंछना चाहूंगा कि जब शहरी बैंक और अन्य गैर-सरकारी बैंक ठीक प्रकार चल रहे हैं तो आप उनके लिए क्या कर रहे हैं? आप अच्छे बैंकों को संरक्षण देते हैं। जहां तक राष्ट्रीयकृत बैंकों का संबंध है, आप सभा को स्पष्ट रुप से बताइए कि उनकी असफलता के क्या कारण हैं। वे पूरी तरह असफल रहे हैं। राष्ट्रीयकृत बैंक राजनीतिक दखल और इसके साथ ही उनमें नौकरशाही द्वारा किए जाने वाले भ्रष्टाचार के कारण वे पूरी तरह असफल रहे हैं।

मैं नई कम्पनी बनाने और इसके साथ ही उसी निदेशक को अन्य कम्पनी का निदेशक बनने का समर्थन करता हूँ। यह इस विधेयक का एक हिस्सा है।

जहां तक उच्चतम सीमा को बढ़ाने या शेयरधारियों के मत अधिकार को वर्तमान एक प्रतिशत से बढ़ाने का संबंध है। हम इस विधेयक का पुर्णतः समर्थन नहीं करते हैं। हम इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकते। इस के साथ साथ मैं इस अध्यादेश को लाने का पूर्णतः विरोध करता हूँ क्योंकि हमें फरवरी के तीसरे सप्ताह में तो बैठक करनी ही थी।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : माननीय सभापति महोदय, मैं बैंककारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 1994 का विरोध कर रहा हूँ। विरोध करने का एक उद्देश्य यह भी है कि सरकार ने यह मंशा बना ली है कि हम बिल के माध्यम से नहीं, पहले अध्यादेश के माध्यम से देश में कोई कानून बनाएंगे जबकि लोकतंत्र और संविधान में यह प्रावधान है कि कोई भी अध्यादेश उस समय लाया जाएगा जब देश में कोई ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाए, जिससे कानून में संशोधन के बिना देश में उथल-पुथल हो जाए। मेरी समझ में नहीं आता, सरकार ने कौन सी ऐसी स्थिति समझी कि जब सैशन चलने वाला था तो सदन की गरिमा को समाप्त करके, अध्यादेश लाकर कानून में संशोधन करने का काम किया। यह नई परम्परा नहीं है, मैं देख रहा हूँ कि इन दिनों जो भी विधेयक आ रहा है, उसके पहले अध्यादेश आ जाता है, फिर ठप्पा मारने के लिए सदन में विधेयक लाया जाता है। संविधान में

हमारे हक और अधिकार को समाप्त करने का काम भारत सरकार कर रही है।

. मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार ने जो अध्यादेशी राज लाने का काम किया है, उसे खत्म किया जाए। मैं इसका विरोध इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि यह विधेयक जनविरोधी, ग्रामीण जनता के खिलाफ है। श्रीमती इंदिरा गांधी जो हमारे देश की प्रधानमंत्री थीं, उन्होंने 1969 में जबरदस्त काम किया था।

1969 के पहले बैंकों का संचालन निजी लोगों के हाथों में था। उस समय उनकी यह सोच थी और मन में बेचैनी थी कि देश की गरीब जनता को उठाने का काम किया जाये। 1969 में इन्दिरा जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। इसके द्वारा बैंकों की पालिसी में बदलाव करने का काम किया। वह एक क्रांतिकारी बदलाव था और देश की जनता तथा किसानों के हित में था, लेकिन उन नीतियों और सिद्धांतों को भूलने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। वह देश की गरीब जनता के मन को चोट पहुंचाने का काम इस बिल के माध्यम से कर रही हैं आप उन नीतियों और सिद्धांतों को भूलने का काम क्यों कर रहे हैं जिन नीतियों और सिद्धांतों पर आपके नेता विश्वास करते थे।

पंडित जवाहर लाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे। देश को सुधारने के काम में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस विधेयक के माध्यम से आप उनके मन को दुखाने का काम कर रहे हैं। बैंको के निजी क्षेत्र में जाने से आप उनके आदर्शों को कुठाराघात पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अब बाहर के लोग यहां आयेंगें और कब्जा जमाएंगे। आपने उदारीकरण की नीति अपनाई है। इस बिल के माध्यम से विदेशी यहां की सम्पत्ति लूट कर विदेशों में ले जायेंगे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस विधेयक को वापिस ले लें।

आज बैंकों के बड़े बड़े कर्जदार हैं। उनकी वजह से ही बैंकों के नियमों में तबदीली की जा रही है। आज बैंकों के कर्मचारियों के काम करने की क्षमता में गिरावट आई है। वे ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। बैंकों से कर्ज ली हुई राशि वापिस नहीं लौटायी जाती है। इसमें संशोधन करने की आवश्यकता है। आज आपके मन में बेचैनी है। इस देश के जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े उद्योगपति हैं, वहीं बैंकों से कर्जा लेने का काम करते हैं उन्हीं के हाथों में बैंकों की पूंजी है। आप नियमों में तबदीली करके उन्हें दंडित करें। इस देश को बर्बाद करने की साजिश चल रही है। ऐसे कर्जदारों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही करें और सुधार लायें। कर्ज ली हुई राशि वापिस मिल सके और बैंकों के काम में सुधार आ सके, इस के लिए दूसरा कोई बिल लायें। देश की गरीब जनता के हित, गरीब किसानों के हित और देश के उत्थान को देखते हुए आप इस बिल को वापस लें। ऐसा कोई बिल लायें जिससे देश की गरीबी और बेरोजगारी दूर हो सके। इन चन्द शब्दों के साथ में विधेयक का विरोध करता हूं।

[अनुवाद]

डा. बसंत पवार (नासिक) : सभापति महोदय, मुझे बोलने का मौका दिया जाने के लिए, मैं आपका धन्यवाद करता हूं और मुझे आशा है कि मैं अन्तिम बोलने वाला हूं। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं आपको घंटी बजाने का मौका नहीं दूंगा।

मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं जिसे अध्यादेश के स्थान पर प्रस्तावित किया गया है। इस समय मैं बैंकिंग क्षेत्र के बारे में कुछ सुझाव देना चाहूंगा। इस मुक्त अर्थव्यवस्था के युग में बैंकिंग क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। लेकिन बैंकों के दिलमन के कारण आम आदमी का बैंकों पर विश्वास कम होता जा रहा है, लोगों को बैंकों में धन जमा करने में चिंता होती है। इसलिए जिम्मेदारी और विश्वसनीयता बढ़ाना बैंकिंग क्षेत्र का प्रथम कर्त्तव्य है। यह भरोसा और विश्वास बढ़ना चाहिए ताकि आम आदमी निवेशक या जमाकर्त्ता बैंकों में अधिकतम राशि जमा करे।

हमारी स्वर्गीय नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी की ही दूरदर्शिता थी जिन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और इसी के कारण आज इतना विकास हो सका है। मैं इससे बहुत खुश हूं।

जहां तक बैंकों के संचालन क्षेत्र का संबंध है, राष्ट्रीयकृत बैंक को दस गांव दिए जाते हैं जबकि एक ग्रामीण बैंक को जोकि जिला सहकारी बैंक के अधीन कार्य करता है, लगभग पांच गांव दिए जाते हैं। इस प्रकार के प्रतिबंधों से किसी ग्रामीण बैंक का टिके रहना बहुत कठिन हो जाता है। इस मुक्त अर्थ-व्यवस्था के युग में, मुझे आश्चर्य है कि ऐसा प्रतिबंध क्यों लगाया जाना चाहिए। जो बैंक अच्छा कार्य करते हैं और उपभोक्ताओं को अच्छी सेवाएं प्रदान करते हैं केवल वही टिक सकते हैं। इसलिए, मेरा सुझाव है कि संचालन क्षेत्र के संबंध में प्रतिबंध समाप्त कर दिया जाना चाहिए ताकि सभी बैंक प्रतिस्पर्धा में रहें और समृद्ध हो सकें।

जहां तक कुछ बैंकों को बंद किए जाने का संबंध है। मेरा अनेक माननीय सहयोगियों के तथा मुझे विभिन्न लोगों से अनेक अध्यावेदन प्राप्त होते हैं। हम इस तथ्य को मानते हैं कि बहुत से बैंक इसलिए बंद किए जा रहे हैं क्योंकि वे घाटे में चल रहे हैं। लेकिन मैं सरकार से यह अपील अवश्य करूंगा कि यह बात ग्रामीण बैंकों पर लागू नहीं होनी चाहिए। ग्रामीण बैंक ऋण के मुख्य स्रोत है और यदि आप उन्हें बंद कर देते हैं तो किसानों को बहुत कठिनाई होगी। मुझे आशा है कि सरकार इन बैंकों को समर्थन प्रदान करेगी और देखेगी कि जो बैंक आदिवासी, पहाड़ी और अन्य दूरदराज के क्षेत्रों में स्थित हैं, उन्हें बंद न किया जाए। इससे उन क्षेत्र के इन बैंको के कर्मचारियों तथा साथ ही किसानों, जमाकत्ताओं और निवेशकों को मदद मिलेगी।

मैं राष्ट्रीयकृत बैंकों में निदेशकों की नियुक्ति के बारे में एक बात का उल्लेख करना चाहूंगा। इनकी नियुक्ति में अत्यधिक विलम्ब होता है। यह विधेयक इस पहलू पर ध्यान देने के लिए पुरस्थापित किया गया है। निदेशकों की नियुक्ति में कोई विलम्ब नहीं किया जाना चाहिए। मेरा यह विचार है कि भा.रि.बै. को अंशकालीन चैयरमैन की नियुक्ति बहुत सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। नियुक्ति के लिए प्रख्यात और जानकार व्यक्ति उपलब्ध किए जाने चाहिए, जिनकी विशेषज्ञता से निश्चित रुप से बैंकिंग क्षेत्र में सुधार होगा। यहां, मैं महाराष्ट्र सहकारी क्षेत्र का उदाहरण देना चाहूंगा जोकि बहुत ही अच्छे ढंग से कार्य कर रहा है। महाराष्ट्र में शहरी सहकारी बैंकों में चैयरमैन दस वर्ष या दो अवधियों से अधिक नहीं रह सकता। यह शर्त सरकारी क्षेत्र के राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए भी क्यों नहीं लागू की जा सकती है? यदि यह दो अवधियों का प्रतिबंध विनिर्दिष्ट है तो वे वहां आजीवन नहीं बने रहेंगे और निजी स्वार्थों को बढ़ावा नहीं मिलेगा। इसलिए, मेरा सुझाव है कि यह प्रतिबंध इन बैंकों के निदेशकों तथा चैयरमैन पर भी लागू किया जाना चाहिए।

मैं दण्ड संबंधित खण्ड के बारे में थोड़ा सा कहना चाहूंगा। यदि कोई व्यक्ति पांच लाख रुपये का घपला करता है और यदि उसे केवल 25000 रुपये का ही दण्ड देना पड़ता है तो वह उपाय फिर प्रभावकारी कैसे सिद्ध हो सकता है क्योंकि वह तो केवल 25000 रुपये का दण्ड देकर शेष पांच लाख रुपये की राशि का स्वामी हो जाएगा। इसलिए मैं सुझाव दंगा कि यह राशि दण्ड अपराध के बराबर होनी चाहिए। केवल तभी यह प्रभावी उपाय बन पाएगा और बैंक अधिक जिम्मेदार बन पाएंगे। और निश्चित रुप से बैंकों की विश्वसनीयता में भी सुधार होगा।

हाल ही में भा.रि.बैंक ने सहकारी क्षेत्र में नए बैंकों के लिए नए मार्गनिर्देश तैयार किए हैं। मैं उपबंधों का स्वागत करता हूँ लेकिन धारा 5 के संबंध में मैं एक सुझाव देना चाहूंगा। भारत के राष्ट्रीयकृत सहकारी बैंक आरम्भिक अवस्था में हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता है ताकि भारतीय राष्ट्रीय सहकारी बैंक को बैंकिंग विनियमन अधिनियम धारा 5 के अंतर्गत सहकारी बैंक की परिभाष के भीतर लाया जा सके। माननीय मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वे इस मामले पर विचार करें। जब तक इस भारतीय राष्ट्रीय सहकारी बैंक को बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत सहकारी बैंक के रुप में परिभाषित नहीं किया जाता, तो उन्हें लाइसेंस नहीं मिल सकता और उन्हें कार्य करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस बारे में कुछ करना चाहिए।

सभा में बहुत से शिक्षा विशेष हैं जोकि शिक्षा का विकास चाहते है। क्या शैक्षिक संस्थाओं को न्यूनतम ब्याज की दर पर ऋण प्राप्त करने की सुविधा दी जा सकती है। ताकि वे सम्पूर्ण रुपये शैक्षिक प्रणाली का विकास कर सकें और हमारे देश से निरक्षरता को समाप्त कर सकें। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री महोदय मेरे कुछ सुझावों पर विचार करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूँ।

[हिन्दी]

श्री विश्वनाथ शास्त्री(गाजीपुर) : माननीय सभापति महोदय, मैं इस बैंककारी संशोधन विधेयक का विरोध करता हूँ और इसलिए करता हूँ कि यह सरकार हमारे सदन की गरिमा को दिन प्रति दिन घटा रही हैं जब कि सत्र आने से चंद दिन पहले इसमें कोई ऐसा कारण नहीं बताया गया है जिसके लिए इनको अध्यादेश लाना पड़ा और केवल यह पहली बार नहीं, इस सदन में पहले भी अनेकों बार इस तरह के आर्डीनेंस आएं। इस तरह से विधेयक लाने की इनकी एक परम्परा बनती जा रही है। दूसरी बात में आपसे यह कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हमारे साथी ने इस बात को कहा है कि 1969 में बैंकों की जो भूमिका थी उनकी भूमिका को देख करके कि ये बैंक केवल निजी हितों के लिए कार्य कर रहे हैं, निजी लाभ के लिए कार्य कर रहे हैं ये सामाजिक दायित्व का कोई निर्वाह नहीं कर रहे हैं इसके लिए इन 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है। इनके राष्ट्रीयकरण के बाद इन्होंने अपने सामाजिक दायित्व को भी निभाया और दिन पर दिन इनकी शाखाओं की संख्या भी बढ़ी, लेकिन साथ ही साथ एक चीज यह प्रकाश में आई जिसके लिए यह सरकार उसको दूर करने की कोशिश नहीं कर रही है बल्कि

स्वयं इस विधेयक के द्वारा बैंक कानून में संशोधन करके पुनः जिन अनुभवों के आधार पर इसका राष्ट्रीयकरण किया था, पुनः निजीकरण की तरफ यह कदम उठा रही है।

महोदय, अभी जिस तरीके से देखा गया कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर बैंकों में जो डिपोजिट हैं वह जिस रेशों में हो रहा है उसके हिसाब से उन ग्रामीण अंचल की शाखाओं के द्वारा वहां के किसानों और दूसरे दस्तकारों को ऋण नहीं दिया जाता। इस तरीके से बैंक जो पिछड़े हुए इलाकों को विकसित करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, विकास के दौर में, समानता के दौर में लाने का जो प्रयास किया गया था उसके विपरीत आज यह हमारी राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखाएं ग्रामीण अंचल में ग्रामीण क्षेत्रों का शोषण कर रही है। इस विधेयक में इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए थी कि ग्रामीण अचल का जो बैंकों में पैसा जमा हो रहा है उसके अनुरुप वहां पर खर्च हो, लेकिन इसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई। यह भी कहा गया कि इसके द्वारा प्रतियोगिता लाई जाए तो किस तरह की प्रतियोगिता हो, एक प्रतियोगिता तो हुई जो सारे राष्ट्र के सामने है कि हमारा करोड़ों रुपया डूब गया और उसकी किस तरह से वसूली होगी, इसके लिए अभी तक कुछ नहीं है। तो इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं और जो आपके यहां निजीकृत बैंक हैं इन दोनों बैंकों को समान तरीके की आप सुविधाएं दे करके, समान शर्तें दे करके उनके अनुसार आप और कम्पीटिशन कराते हैं तो एक यह मुद्दा होगा।

इस तरह से बैंकों द्वारा उपभोक्ताओं को अधिक से अधिक सुविधाएं देने की तरफ ध्यान दीजिए।

मैं एक सुझाव यह भी देना चाहता हूँ कि आप गोपनीयता कानून को समाप्त करिए और जो बड़े-बड़े कर्जदार हैं, उनकी सूची प्रकाशित कीजिए, ताकि साफ तौर पर पता चल सके कि बैंक किसकी सेवा कर रहे हैं।

अंत में एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा कि अंशकालिक चेयरमैन नियुक्त करने की इसमें बात की गई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इनकी लायबिलिटी क्या होगी? जब पूर्णकालिक चैयरमैन बैंकिंग व्यवस्था में सुधार नहीं ला सके तो अंशकालिक चैयरमैन का उत्तदायित्व क्या होगा। इस तरह से बैंकिंग प्रणाली में सुधार का आपका मकसद पूरा नहीं हो सकेगा।

इन शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूँ और आपने जो मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं दल सचेतकों द्वारा भेजे गए नाम पुकार रहा हूँ। इन्हें पूरा होने दीजिए।

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशनगंज) : सभापति महोदय, मैं सांविधिक संकल्प का समर्थन करने और विधेयक का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

महोदय, मुझे रिकार्ड में यह बात लानी है कि मैं विधेयक का विरोध करता हूँ क्योंकि संवधान के अन्तर्गत कार्यपालिका को अध्यादेश बनाने की जो शक्ति दी गई है वह यह है कि इस का कम से कम और कभी कभार प्रयोग किया जाएगा लेकिन अब यह एक औपचारिकता बन गई है और नियमित कार्य सा हो गया है और इसका

लापंरवाही से प्रयोग किया जा रहा है। इसलिए मैं अपना विरोध प्रकट करता हूँ कि यह सभा की अवमानना है और संविधान की भावना का उल्लंघन। इसलिए सरकार से मेरा अनुरोध है कि तब तक कोई अध्यादेश जारी नहीं करना चाहिए जब तक कि यह बहुत ही आवश्यक न हो।

वास्तविक बात पर आते हुए ऐसा कहा गया है कि भा.रि.बैंक ने जनवरी, 1993 में विस्तृत मार्ग निर्देश जारी किए थें। सरकार को इस तथ्य को स्वीकार करने में एक वर्ष लगा कि इन मार्गनिर्देशों के लिए बैंकिंग विनियमों में कुछ परिवर्तनों की आवश्यकता है। तीन सप्ताह पहले संसद की बैठक होती थी और अध्यादेश जारी कर दिया गया है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि पिछले तीन सप्ताह के दौरान इस अध्यादेश के अंतर्गत क्या वास्तव में ऐसा किया गया जोकि विधेयक के सभा में प्रस्तुत किए जाने के बाद अब नहीं किया जा सकता था। महोदय, मंत्री महोदय को इस स्पष्टीकरण के लिए सभा के ऋणी हैं।

महोदय, अब बैंकिंग की समस्या पर आते हुए अब हम उस स्थिति में आ गए हैं जब हम बैंक के राष्ट्रीयकरण के ऐतिहासिक कदम को वापिस ले रहे हैं। सरकारी क्षेत्र के बैंकों से हम संयुक्त बैंकिंग प्रणाली पर आ गए हैं। सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक बैंकों का तेजी से निजीकरण किया जा रहा है। मैं नहीं जानता कि सरकार का इन बैंकों में गैर सरकारी शेयरधारकों को अधिक शेयर देने का इरादा है या नहीं। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इसे स्पष्ट करें। किन्तु इसके साथ ही हम बड़ी संख्या में निजी बैंकों को अनुमति दे रहे हैं और सबसे बदत्तर बात यह है कि हम अपने देश में विदेशी बैंकिंग प्रणाली के प्रवेश को अनुमति दे रहे हैं। वास्तव में ये विदेशी बैंक कानून से बड़े हैं जैसा कि हाल में हुए घोटाले से सिद्ध होता है कि ऐसे किसी भी विदेशी बैंक के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है जो इस प्रतिभूति घोटाले में शामिल थे।

[अनुवाद]

इसलिए महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार सरकारी क्षेत्र के बैंकों में भी विदेशी निवेश की अनुमति देगी और इन विदेशी निवेश संस्थाओं (एफ.आई.आई.) को किस हद तक सरकारी क्षेत्र के बैंक, जो इस समय बाजार में हैं, के शेयर तथा डिबेन्चर खरीदने की अनुमति होगी। मैं यह विशिष्ट प्रश्न सरकार से पूछना चाहता हूँ।

महोदय, एकाधिकार प्रणाली के कारण अकुशलता, भ्रष्टाचार तथा कम उत्पादकता थी। मैं आशा करता हूँ कि कम से कम मुँह छिपाने के लिए मंत्री जी को इस संबंध में यह आश्वासन देना चाहिए कि बैंकिंग प्रणाली की कुशलता में सुधार होगा तथा उसकी उत्पादकता बढ़ेगी जैसी स्थिति है उसके अनुसार मैं उन्हें यह बताना चाहूंगा कि सम्पूर्ण बैंकिंग प्रणाली की विश्वसनीयता में निरन्तर कमी आई है तथा यह सरकार को ही बताना होगा कि वह तीन वर्षों के अपने शासनकाल में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के निदेशक मंडल में निदेशकों के लगभग 100 रिक्त पदों को क्यों नहीं भर सकी। ग्रामीण ऋण प्रणाली के बारे में ऐसा लगता है कि ग्रामीण ऋण दिया जाना या तो बंद कर दिया जाएगा या कम हो जाएगा। वास्तव में, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुनर्गठन किया जाना है परन्तु यह केवल 60 प्रतिशत बैंकों का ही होगा, और शेष बैंक रूग्ण अवस्था में पहुंच जाएंगे, और सरकारी क्षेत्र के बैंकों को यह सलाह दी गई है कि यदि वे चाहें तो वे अपनी शाखाओं को बंद कर सकते हैं। सेवा क्षेत्र के

दृष्टिकोण को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा। ग्रामीण ऋण में हुई इस कमी को वे कैसे पूरा करेंगे ?

अन्तिम बात यह है कि बैंकिंग प्रणाली का विकास बेतरतीब ढंग से हुआ है। क्या अधिक सुव्यवस्थित आधार पर बैंकिंग प्रणाली के उस भाग के सुव्यवस्थितकरण की कोई योजना सरकार के पास है जो अब भी सरकार के नियंत्रणाधीन है ताकि क्षेत्रीय विशिष्टीकरण हो सके तथा किसी क्षेत्र में कार्य करने वाले बैंकों के मुख्यालय उस क्षेत्र में ही हों ताकि वे महानगरीय केन्द्रों के हित में उस क्षेत्र के शोषण करने का साधन न बनें।

जैसा कि इस समय का ऋण जमा अनुपात है, यदि आप एक पद्धतिबद्ध अध्ययन करें तो आप पाएंगे कि बैंकिंग प्रणाली ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए कम विकसित जिलों उसी राज्य के अधिक विकसित जिलों के लिए तथा देश में कम विकसित राज्यों से अधिक विकसित राज्यों के लिए और वास्तव में कुछ चुने हुए महानगरीय केन्द्रों तथा कुछ चुने हुए उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने का साधन बन गए हैं। और यही कारण है कि बैंकिंग प्रणाली जहां छोटे खाताधारियों के लिए बहुत सख्त है। यहां तक कि वे उनकी सम्पत्ति जब्त करने के नोटिस तक जारी कर देते हैं, वहीं वे बड़े लोगों के लिए एकदम शान्त है, वे उनके विरुद्ध जरा भी करार्यवाही नहीं करते, और इसे आम जनता से तथा संसद से गोपनीयता के नाम पर छुपा कर रखा जाता है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि सरकार यदि वास्तव में बैंकिंग प्रणाली में सुधार लाना चाहती है, तो उसे इसे जनता के कल्याण तथा विकास का साधन बनाना चाहिए, और गोपनीयता वाली बात समाप्त की जानी चाहिए, किसी जिले या किसी राज्य में चलने वाले प्रत्येक बैंक ऋण जमा अनुपात में कम से कम जिला तथा राज्य स्तर पर संतुलन लाया जाना चाहिए।

मैं जानता हूँ कि सरकार इन सुझावों पर ध्यान नहीं देगीं, क्योंकि सरकार स्वयं भी ऋण बाजार के कार्य करने वाले इन बड़े लोगों के साथ इसमें लिप्त है। मैं जानता हूँ सरकार की मन्शा क्या है। इसीलिए, मुझे कोई उम्मीद नहीं है। परन्तु मैं सभा के सामने, संसद के सामने यह कहना चाहूंगा कि सरकार वास्तव में बैंकिंग क्षेत्र को विदेशी परिचालकों, सट्टाबाजों, मुनाफाखोरों, बड़े पूंजीपतियों के लिए खुला मैदान बनाने से अधिक कुछ नहीं करना चाहती है, और निश्चित ही इन्दिरा गांधी का सपना यह नहीं था जो उन्होंने 1950 के दशक में देश के सामने रखा था।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं विधेयक का विरोध करता हूँ।

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह चौहान (विदिशा) : सभापति जी, ऐसा लगता है कि सरकार यह विधेयक बड़े आधे-अधूरे मन से इसको लाई है। मैं जूनियर सदस्य हूँ फिर भी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तीस दिन के बाद बजट सत्र प्रारंभ होना था तो इस विधेयक की जगह अध्यादेश लाने की क्या आवश्यकता थी? संसद की अवमानना करना सरकार का स्वभाव बन गया है इसलिए मैं राजवीर सिंह जी के संकल्प का समर्थन करता हूँ। सरकार बैंकों को निजीकरण की तरफ तो ले जा रही है लेकिन राष्ट्रीयकृत बैंकों की स्थिति में सुधार लाने के लिए कौन से कदम उठा रही है ? दुनिया के इतिहास में 4500 करोड़ रुपये का अभूतपूर्व शेयर घोटाला हुआ है जेपीसी बैठाई गई और उसकी रिपोर्ट आने के बाद जो उसमें बड़े लोगों की खिलाफ टिप्पणी की गई थी तो उनके खिलाफ

क्या कार्यवाही की गई और अपराधी आज तक नहीं पकड़े गए? आम जनता का करोड़ों रुपया बट्टे खाते में चला गया है, जनता आंसू बहा रही है, बैंक डूब रहे हैं और अपराधी गुलछर्रे उड़ा रहे हैं और सरकार सोने का या लिखने का नाटक कर रही है। आज 27 में से 12 बैंक घाटे में चल रहे हैं। उनकी स्थिति में लगातार गिरावट आ रही है। मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ इसलिए जानता हूँ कि बैंकों से छोटे लोगों को लोन नहीं मिलता है। बैंकों से लोन लेने के लिए उनको पैसा देना पड़ता है। कई बैंकों में रेट लिस्ट तय है और बैंक मैनेजर, फील्ड आफिसर और छोट-मोटे नेता बिचौलिए बनकर बिचौलिए की भूमिका अदा करते हैं इसलिए बिना लिए दिए गरीब आदमियों को पैसा नहीं मिलता है और जिस उद्देश्य के लिए पैसा लिया जाता है तो उस उद्देश्य में वह खर्च नहीं होता है।

07.00 म.प.

इसलिए कोई आदमी कुएं के लिए लोन ले तो वह कुआं केवल कागजों में ही खुदकर रह जाता है। किसी आदमी को भैंस लेनी है और उसके लिए सात हजार रुपये लोन लेना है तो उस गरीब के पल्ले चार हजार रुपये ही पड़ते हैं। इतने पैसे से वह कैसे भैंस ले सकता है। इसलिए वह यह करता है कि अपने पड़ौसी की भैंस ले जाकर दिखा देता है। कुछ पैसा पड़ौसी को देता है और कुछ बैंक वालों को खिला देता है। ग्रामीण क्षेत्रों में आजकल यही हो रहा है। बैंक का जो पैसा जाता है उसके लौटने की संभावना नहीं रहती है। जो लोग कुछ देते हैं उनको बैंक से पैसा मिल जाता है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि इसको रोकने के लिए आप कौन सा प्रावधान करना चाहते हैं या किया है?

फ्रांड के केसेज 1990-91 में 1278 थे और 1992-93 में 7118 हो गये, जिनमें विभागीय कार्यवाही चल रही है। इस स्थिति को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ? आज राष्ट्रीयकृत बैंकों का स्तर गिर रहा हैं विदेशी बैंक ज्यादा सुविधायें देते हैं, अपने कर्मचारियों को ज्यादा तनख्वाह देते हैं। इसलिए ग्राहक उनकी ओर ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। सरकार के विभाग और सरकार कम्पनीज भी उन्हें बैंकों से व्यापारिक सम्पर्क स्थापित कर रही है। सरकार को चाहिए कि इसको रोके। कम से कम जो हमारे सरकारी विभाग हैं वे तो राष्ट्रीयकृत बैंकों से ही अपने व्यापारिक सम्पर्क रखें।

निजी बैंक खोलने के लिए लाइसेंस दिये जा रहे हैं। आपके पास 140 आवेदन आये थे और 24 आपके विचाराधीन हैं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि किन लोगों को लाइसेंस दिये जा रहे हैं? कहीं ऐसे लोगों को तो नहीं दिये जा रहे हैं जो घोटाले में फंसे हुए हैं और जो डिफाल्टर्स हैं। अगर ऐसे लोगों को बैंक खोलने के लाइसेंस दिये जायेंगे तो घोटाला बैंक के अलावा और कुछ नहीं खुलेगा। निजी बैंक 100 करोड़ रुपये की पूंजी से शुरू होंगे। इनकी ब्रांच बड़ी होगी, जनता का करोड़ों रुपया जो जमा होगा, कहीं ऐसा न हो कि उसका दुरुपयोग हो। उसे रोकने के लिए सरकार कौन से कदम उठाने जा रही है ?

बैंकों में डकैती की घटननाये लगातार बढ़ रही हैं। कश्मीर, पंजाब और पूर्वोत्तर क्षेत्र में ज्यादा हो रही हैं। आजकल बड़े-बड़े शहरों में भी ये घटनायें लगतार बढ़ती जा रही हैं। बैंकों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए। गाड्‌र्स को आधुनिक हथियार दिये जायें और ग्रामीण क्षेत्रों में जो सरकारी

बैंकों की शाखायें हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने की तरफ सरकार ध्यान दें। आपने मुझे समय दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : (झंझारपुर) : सभापति महोदय, बैंककारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 1994 का विरोध करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। मैं इसलिए इसका विरोध करना चाहता हूं क्योंकि इस विधेयक की दिशा निश्चित रुप से निजीकरण, गैर सरकारी क्षेत्रों में नये बैंक खोलने तथा बैंकिंग प्रणाली का नियंत्रण गैर सरकारी लोगों के हाथ में देने की तरफ है। इसमें बैंक प्रणाली क्षत-विक्षत होगी। ग्रामीण क्षेत्रों की इससे और ज्यादा उपेक्षा होगी। जो बड़े व्यापारी हैं उनके हितों की रक्षा आने वाले दिनों में ज्यादा होगी। ग्रामीण इलाकों से जो पैसा बैंकों में जमा होता है, चाहे सेंट्रल बैंक हो, स्टेट बैंक हो या विजया बैंक हो, अथवा अन्य कोई बैंक हो, आप उसका सी.डी. रेशों देखे तो पता चलेगा कि कितना भारी असंतुलन है। बिहार जो कि सबसे पिछड़ा और गरीब राज्य है उसमें भी सेंट्रल बैंक आफ इंडिया का सी.डी. रेशों 21 प्रतिशत है, बाकी 79 प्रतिशत पैसा राज्य के बाहर चला जाता हैं उसी तरह से उत्तर प्रदेश में 22 प्रतिशत है। जो बड़े राज्य हैं, जो गरीब और पिछड़े हुए राज्य हैं, जिनमें संसाधन लगाने की जरूरत है वहां जनता के पैसे की उगाही की जाती हैं विकास के नाम पर और जनता का जो पैसा वहां जमा होता है वह दूसरे राज्यों के इन बैंकों के मुख्यालयों में चला जाता है जैसे बम्बई है, मद्रास है। बैंकों में इस तरह के असंतुलन को दूर करने के लिए इस विधेयक में कोई जिक्र नहीं है।

इस विधेयक का जिक्र होना चाहिये था कि सीडी रेशों को संतुलित करना और विकास पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। आज स्थिति यह है कि बम्बई या मद्रास हो, वहां पर 100 प्रतिशत खर्च होता है लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल या उड़ीसा आदि में यह 21 प्रतिशत होता है। जबकि आर.बी.आई की गाइडलाइन्स हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में 60 प्रतिशत इनवेस्टमेंट होना चाहिये। बैंकों में असमानता और विषमता हैं पैसा तो बिहार की गरीब जनता का आता है लेकिन खर्च कहां होता है ? इससे स्टेट बैंक का 36 प्रतिशत और सैंट्रल बैंक आफ इंडिया का 21 प्रतिशत खर्च होता हैं इस प्रकार किसी भी बैंक का 40-42 प्रतिशत से अधिक राज्य में नहीं लगाया जाता हैं मैं तो यही बात कहूंगा कि रिजर्व बैंक की गाइडलाइन्स की अनुपालना नहीं होती हैं जिस राज्य के विकास के लिये धन की आवश्यकता है, उसकी उपेक्षा की जाती हैं।

यह कहा जाता है कि नियंत्रण निजी क्षेत्र को दिया जायेगा और गैर-सरकारी क्षेत्र को बैंक में डाला जायेगा। उसमें गैर-सरकारी व्यक्ति को डाला जायेगा। इसका मतलब यह होगा कि बैंक गैर-सरकारी व्यक्ति के हाथ में चला जायेगा तो इस प्रकार सररकार की नीति दोषपूर्ण है। जो सरकार आज यहां पर विद्यमान है, उसी की नेत्री ने स्पष्ट रुप से 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। मेरा तो यह कहना है कि इस सरकार को नीति से क्या लेना देना है ? यह सरकार तो विदेशी ताकतों के हाथों में हर चीज देने जा रही है। बैंकिंग प्रणाली को क्षत-विक्षत करना इनका काम है, हालांकि इस विधेयक को देखने से यह भोलाभाला दिखाई देता है लेकिन इससे भविष्य में प्रतिकूल असर पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्रों के मजदूरों, छोटे छोटे उद्योग लगाने वाले लोगों को ऋण क्या मिलेगा ? गरीब लोगों को भी 16 प्रतिशत पर ऋण मिलेगा और जो बड़े-बड़े व्यापारी है, उद्योगपति हैं, उनको कम दर पर परन्तु ज्यादा ऋण मिलता है। ऋण की माफी भी इन लोगों की होती है। और जब गरीब लोगों के

10000 रुपये के ऋण की माफी की बात आयी तो इनका बैंकिंग सिस्टम बिगड़ने लगा। पूरे देश में हल्ला हो गया और वित्त मंत्री ने इशारा किया कि यह सिस्टम नष्ट हो जायेगा।

सभापति महोदय, आज बैंक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और वहां पर घोटाले हो रहे हैं और बैंक घाटे पर चल रहे हैं। इस पर सरकार ने कोई नीति निर्धारित नहीं की है और न ही काई बिल लायी है। प्राइवेट क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिये इसको ज्यादा चिन्ता लगी हुई है। इसलिये हम इस बिल का विरोध कर रहे हैं कि यह बड़े बड़े व्यापारियों और उद्योगपतियां के हित में लाया गया है। इससे तो विदेशियों को फायदा मिलेगा और निश्चित रुप से देश का जो गरीब किसान, मजदूर हैं।

. इस संशोधन से बैंकिंग प्रणाली में कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। इसलिए हम इस संशोधन के विरुद्ध हैं और सी डी रेशियों का जो मैंने जिक्र किया था, आज तक इसके संतुलन करने के संबंध में कोई प्रयास नहीं किया गया है। यह कहा जाता है कि आरबीआई की गाइडलाइन्स के अनुपालन की दिशा में हर बैंक को निर्देश जारी दिये जा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कोई निर्देश सरकार द्वारा नहीं किये गए हैं और सी डी रेशियों में इस प्रकार से असमानता रहेगी और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, केरल और ऐसे राज्यों की घोर उपेक्षा होगी। इसलिए इस बैंकिंग सिस्टम को क्षत-विक्षत करने वाले विधेयक का मैं पुरजोर विरोध करता हूं और विदेशी ताकत के हाथ को न जाने दें। इसके लिए मैं आगाह करना चाहता हूं कि इसको आप वापस ले लें और यह जो सिस्टम है अध्यादेश लाने वाला इसको खत्म करें। सत्र प्रारंभ होने से पहले अध्यादेश लागू कर देते हैं और सत्र खत्म होने के बाद पुनः कोई अध्यादेश लागू कर दिया जाता है। यह प्रजातांत्रिक राष्ट्र के अनुकूल नहीं हैं इसलिए इस पर रोक लगनी चाहिए और सरकार को जो लाना है वह सदन में लाए और इस पर एक कंप्रिहेन्सिव बिल ला कर सदन में इस पर विचार हो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस बिल को निश्चित रुप से सरकार को वापस लेना चाहिए।

***श्री आस्कर फर्नान्डीज** (उडुपी) : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री द्वारा पेश किए गए इस बैंककारी विनियम संशोधन विधेयक का स्वागत करता हूं। महोदय, कुछ संदेह है जिन्हें मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री स्पष्ट करें। गैर-सरकारी बैंकों को आने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इन बैंकों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के व्यक्तियों को निदेशक के रुप में नियुक्त किए जाने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। इस सम्बन्ध में मैं मंत्री जी से संशोधन लाने का अनुरोध करता हूं। दूसरे, बैंकिंग क्षेत्र को कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करना है इस सम्बन्ध में भी मैं मंत्री जी से विधान लाने का अनुरोध करूंगा।

सभापति महोदय : श्री आस्कर फर्नान्डीज, क्या आप अंग्रेजी में बोलेंगे ?

श्री आस्कर फर्नान्डीज : महोदय, यदि कोई कठिनाई हो तो मैं अंग्रेजी में बोलूंगा।

सभापति महोदय : क्षेत्रीय भाषा में बोलने के लिए आपको पीठ को थोड़ा पहले सूचित करना चाहिए था।

* (मूलतः कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रुपान्तर।)

श्री आस्कर फर्नान्डीज : मैंने पीठ को पहले ही सूचित कर दिया हैं तथापि, मैं अंग्रेजी में बोलूंगा।

महोदय, जिस दिन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो हमने खुशी में गलियों में नाचना शुरू कर दिया था तथा बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के इन्दिरा जी के निर्णय का स्वागत किया था यही वह दिन था जब इंदिरा जी ने यह कहा था कि बैंकों के संसाधनों का उपयोग इस देश के लोगों के कल्याण के लिए किया जा सकेगा। क्या इंदिरा जी द्वारा गरीबां के लिए शुरू की गई सभी योजनाओं को विशेषकर ब्याज विभेदक दर या प्राथमिकता वाले क्षेत्र को वित्त देने सम्बन्धी योजनाओं को, ईमानदारी से कार्यान्वित किया जा रहा है या नहीं ? मैं माननीय मंत्री से कुछ मुद्दों पर यह स्पष्टीकरण देने का अनुरोध करूंगा कि ब्याज विभेदक दर योजना के अन्तर्गत हम कितना ऋण दे रहे हैं। हमें अक्सर यहां शिकायतें प्राप्त होती हैं कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के युवकों अल्पसंख्यक वर्ग के युवकों, तथा पिछड़े वर्ग के युवकों को जिन्हें भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं तथा राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत राजसहायता मिलती है, बैंकों द्वारा धन नहीं दिया जा रहा है। हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री ने बेरोजगार युवकों के लिए एक लाख रुपये की योजना की घोषणा की है और हम इस बारे में खुश हैं।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह उल्लेख किया गया है कि लगभग एक लाख युवकों ने इसके लिए आवेदन किया है जिसमें से लगभग 50 प्रतिशत आवेदन पत्रों की जांच की गई हैं निराशाजनक बात यह है कि राष्ट्रपति के उसी अभिभाषण में इस बात का भी उल्लेख है कि केवल लगभग 2000 युवकों को बैंकों द्वारा धन दिया गया है। तथापि, प्रधानमंत्री ने इस बात को यह कह कर स्पष्ट किया कि यह संख्या 2000 बढ़कर अब 6000 हो गई है। अब कठिनाई क्या है? मैंने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को जारी किया गया एक परिपत्र पढ़ा हैं जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्पष्ट रुप से यह कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति को सरकार की किसी भी योजना के अन्तर्गत एक बार भी धन मिल चुका है तो उसे दुबारा धन नही दिया जाएगा। श्री राजीव गांधी की यह इच्छा थी कि जब कोई व्यक्ति बैंक से कुछ सहायता लेने के बाद भी यदि वह गरीबी की रेखा से ऊपर नहीं आ पाता तो उसे दुबारा धन दिया जाना चाहिए ताकि वह गरीबी की रेखा से ऊपर उठ सके। मूलतः हमारी मंशा लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाने की है। भारत सरकार गरीबी उन्मूलन के लिए कुछ बहुत अच्छी कल्याण योजनाएं बनाती हैं और अन्ततोगत्वा हमारे बैंकों को उन्हें कार्यान्वित करना होता है। यदि हम बैंकों के माध्यम से इन योजनाओं को क्रियान्वित नहीं कर पाते तो हमें गम्भीरता पूर्वक यह सोचना होगा कि बैंको की ऐसी क्या कठिनाई बड़ी है जिसके कारण भारत सरकार की योजनाएं कार्यान्वित नहीं हो पा रही हैं। यह हमारी प्रमुख चिन्ता है। माननीय मंत्री से मेरा यह आग्रह है कि इस पर गंभीरता से विचार किया जाए।

इस देश के लोग राष्ट्रीयकृत बैंकों से खुश हैं। यह प्रणाली जारी रहनी चाहिए। इस विधेयक से इनका किसी तरह महत्व कम नहीं होता। हम इससे प्रसन्न हैं। किन्तु इनका विस्तार अधिक होना चाहिए क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में किसान रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में धन है और उस धन का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों के बेहतर विकास के लिए किया जा सकता है। यदि हम ये योजानाएं शुरू न करते तो इस देश में हरित क्रान्ति न आती। यह राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा इस देश में किस्तों में दिए गए धन के कारण ही है कि हम इस देश में हरित क्रान्ति लाने में समर्थ हुए

हैं। यह आश्वासन दिया जाना चाहिए कि लघु उद्योग वाले व्यक्तियों दस्तकारों, अजा/अजजा व्यक्तियों, पिछड़े वर्गों या अल्प संख्यकों को सहायता दिए जाने की प्रक्रिया में कोई रूकावट नहीं आएगी, जो कि इस देश के वास्तविक आधार हैं। यदि उन्हें कुछ होता है, तो मुझे डर है, कि हम उन उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाएंगे जिनके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं।

बीमा क्षेत्र में भी इसी प्रकार की बातें हो रही हैं। मल्होत्रा समिति की रिपोर्ट पहले ही सभापटल पर रखी जा चुकी है और मैं यह मांग करूंगा कि मल्होत्रा समिति की रिपोर्ट पर अलग से चर्चा हो। मैं माननीय मंत्री के ध्यान में यह बात लाना चाहूंगा कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र मुरक्कल में यूनाइटेड इंडिया इन्श्योरेन्स कम्पनी ने अपनी शाखा बन्द करने का निर्णय किया है।

ऐसे स्थान पर युनाइटेड इंडिया इश्योरेन्स कम्पनी की शाखा बन्द की जा रही है। जहां 3 मिलियन टन क्षमता का तेल शोधक कारखाना स्थापित किया जा रहा हो, जिसकी क्षमता बढ़ा कर नौ मिलियन टन की जा रही है जहां करोड़ों रुपए को निवेश किया जा रहा है। राष्ट्रीयकृत बैंकों की भी वहीं स्थिति होने जा रही है। यदि स्थिति ऐसी है तो मुझे भय है कि आगे क्या होगा। इंदिरा जी जब इस इस देश में ऋण राहत देना चाह रही थी तो वास्वत में इसका प्रयोजन गरीबों की मदद करना था। यदि लोग निजी साहू, साहूकारों के पास जाने को मजबूर होते हैं और ऋण के जाल में फंस जाते हैं तो जितनी भी योजना हम लाये हैं असफल हो जाएंगी।

मैं अपना भाषण लम्बा नहीं करना चाहता मेरा मंत्री महोदय से सिर्फ यह आग्रह है कि वे उस मुद्दे को स्पष्ट करें जो मैंने बताया और वह देश को यह आश्वासन दें कि राष्ट्रीयकृत बैंक देश की उसी भावना से सेवा करते रहेंगे।

सभापति महोदय : आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वे सभी सदस्य चर्चा में भाग ले चुके हैं जिनके नाम पार्टी सचेतकों ने भेजे थे। में मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह उत्तर दें।

श्री योगेन्द्र झा (मधुबनी) : महोदय मैंने अपना नाम दिया था .... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : सभी का नाम नाम पुकारा गया था। कृपया अध्यक्ष पीठ के स्तर सहयोग करें .... **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : योगेन्द्र झा जी आपको अनुमति नहीं दी जा सकती है। मैंने एक बार आपका नाम पुकारा था और मैं आपको खोज रहा था क्योंकि आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। आप ज्यादातर चर्चा के समय अनुपस्थित रहे। इसलिए कृपया सहयोग करें। मैं अब किसी भी सदस्य का नाम नहीं पुकारूंगा। कुछ नाम अभी अभी भेजे गए हैं ...... **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : अग्निहोत्री जी कृपया सहयोग करें। हमने इस विषय पर आबंटित समय से लगभग दुगना समय लिया। अब मंत्री महोदय उत्तर देंगे। कृपया अध्यक्ष पीठ के साथ सहयोग करें। अब मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

श्री योगेन्द्र झा : महोदय मुझे खेद है कि मैं उपस्थित नहीं था। मुझे सिर्फ कुछ मुद्दे उठाने हैं।.**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया सहयोग करें। कृपया मंत्री महोदय की बात सुनें। ....**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मंत्री महोदय खड़े हैं। कृपया आप बैठ जाएं। ...... **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : योगेन्द्र झा जी अब बहुत हो गया। जब आपको बोलने के लिए कहा गया था तब आप यहां नहीं थे। हो सकता है कि आप अन्य सदस्यों के मुद्दों को ही दोहराएं।

श्री योगेन्द्र झा : मैं किसी भी मुद्दे को नहीं दोहराऊंगा। मुझे कुछ नए मुद्दे उठाने हैं। ....**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : आप नहीं बोल सकते। कृपया बाधा न डालें। मंत्री महोदय अब उत्तर दें।

[हिन्दी]

डा. अबरार अहमद : सभापति महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का अभारी हूं जिन्होंने इस बहस में हिस्सा लिया, अपने विचार रखे और बहुत कीमती सुझाव दिए। यह विधेयक बहुत ही संक्षिप्त है। इस विधेयक में मोटे रुप से जो चार प्रावधान हैं कुछ माननीय सदस्य शायद उन प्रावधानों को पूर्णरुप से पढ़ नहीं पाए या वास्तव में उनका क्या अर्थ है, यह देख नहीं पाए। उन चार प्रावधानों में से तीन प्रावधान तो सिर्फ प्राईवेट बैंकों के लिए हैं और एक पब्लिक सैक्टर बैंक, प्राईवेट बैंक और विदेशी बैंक, सभी के लिए है। इसमें पहला प्रावधान पार्ट टाइम चेयरमैन का है। इस संबंध में माननीय सदस्यों की बात सुनकर मुझे ऐसा लगा कि उन्हें कुछ संदेश और भय है।

श्री मुमताज अन्सारी यहां नहीं हैं, उन्होंने और कुछ और माननीय सदस्यों ने भी कहा कि पार्ट टाईम चेयरमैंन की बात राजनैतिक लोगों को रखने के लिए की गई है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों के इस भय को दूर करना चाहूंगा कि पार्ट टाइम चेयरमैंन की नियुक्ति में सरकार का किसी भी प्रकार का कोई रोल नहीं है। .... **(व्यवधान)** .... अभी तक जिन प्राइवेट बैंकों में एक्ट में फुल टाइम चेयरमैन का प्रोवीजन था, वहां कही भी फुल टाइम या पार्ट टाइम मैनेजिंग डायरेक्टर का कोई प्रावधान नहीं था। एक बात मैं बहुत स्पष्ट करना चाहूंगा कि इस विधेयक के माध्यम से जहां पार्ट टाईम चेयरमैंन की बात रखी गई है वहीं उस बैंक में फुल टाइम मैनेजिंग डायरेक्टर का प्रावधान भी रखा गया है जो कि अभी तक नहीं था। जिन प्राइवेट बैंकों में पार्ट टाइम चेयरमैन की बात की गई है, उनमें उसके साथ-साथ फुल टाइम मैनेजिंग डायरेक्टर का प्रावधान भी रखा गया है।

पार्ट टाइम चेयरमैंन का प्रावधान क्यों रखा गया ? इसके पीछे स्पष्ट उद्देश्य यह है कि जो लोग वास्तव में इस देश में बैंकिग क्षेत्र में दक्ष हैं, पारंगत हैं लेकिन वे फुल टाइम कार्य नहीं कर सकते, उनकी सेवाओं को भी हम बैंकिग सर्विस में ले सकें। इसलिए इसका प्रावधान रखा गया है। साथ-साथ फुल टाइम मैनेजिंग डायरेक्टर का प्रावधान भी रखा गया है। अध्यक्ष की नियुक्ति में बैंक द्वारा नाम दिया जाएगा, आर.बी.आई. द्वारा उसकी संस्तुति की जाएगी, उसमें सरकार का किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। माननीय सदस्यों के मस्तिष्क

में यदि इस प्रकार का काई भी विचार है कि पार्ट टाइम अध्यक्ष में राजनैतिक नियुक्तियां करने की बात या किसी को वहां बिठाने की बात हो,

एक आध माननीय सदस्यों ने नाम भी लिया। वह भय अपने दिमाग से निकाल दें।

एक दूसरा प्रावधान इस विधेयक में वोटिंग राइट 1 परसेंट से 10 परसेंट रखने का है। कुछ माननीय सदस्यों ने इस पर काफी प्रकाश डाला और इसका स्वागत भी किया। यह भी प्राइवेट बैंकों के लिये है कि जहां हम प्राइवेट सैक्टर के बैंकों को एलाऊ कर रहे हैं वहां कोई भी इनवैस्टर अपना पैसा इनवैस्ट करता है। तो उसका अपना इंटरस्ट है। वह ज्यादा इनवैस्ट करेगा तो उसका ज्यादा वोटिंग राइट रहेगा। उसके लिये एक परसंट वोटिंग राइट की सीलिंग को बढ़ा कर 10 परसेंट किया गया है।

प्रमोटर कम्पनी यदि 10 परसेंट तक अपने शेयर होल्डिंग मोबिलाइज करती है तो तीन डायरेक्टर्स वह उसमें अपने रख सकती है लेकिन वह इलेक्शन के प्रोसेस से आयेंगे। ऐसा नहीं है कि नौमिनेशन के प्रोसैस से आयें। ये तीन प्रोवीजन प्राइवेट सेक्टर के लिये हैं।

चौथा प्रावधान सभी प्रकार के बैंकों के लिये हैं। प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के बैंक और फॉरेन बैंकों के लिये हैं। यह पैनल्टी के संबंध में है। अभी तक ऐक्ट में पैनल्टी बहुत कम रखी गई थी। उसको बढ़ाया गया हैं इंडिविजुअल जो गलती करता है, उस पर अभी तक दो हजार रुपये की पैनल्टी थी, उसे बढ़ाकर या जो राशि उसमें इनवाल्वड थी, उसका डबल या 50 हजार रुपये, जो दोनों में से हायर हो, उतनी पैनल्टी देनी पड़ेगी। अगर गलती लगातार चलती है, तो जो प्रतिदिन 100 रुपये पैनल्टी है, उसको बढ़ा कर ढाई हजार रुपये किया गया है। यह इंडिविजुअल के लिये हैं अगर कोई बैंक गलती करता है तो उसके अन्दर दो हजार रुपये की पैनल्टी थी। वह जितने एमाउन्ट की गलती करता है, उसका डबल या पांच लाख रुपया जो दोनों में से ज्यादा है, वह पैनल्टी लगायी जायेगी। जहां प्रतिदिन बैंक के लिये 100 रुपये की पैनल्टी थी, उसको बढ़ाकर प्रतिदिन 25,000 रुपये किया गया है। पैनल्टी का प्रावधान सभी के लिये हैं। मैंने जब माननीय सदस्यों की बात सुनी तो मुझे ऐसा लगा कि शायद इस चीज पर उन्हें संदेह हो रहा है। मेरी बात सुनने के बाद उनका वह संदेह भी दूर हो जायेगा।

चेतन चौहान जी, चार्ल्स साहब और दूसरे कई माननीय सदस्यों ने राष्ट्रीयकृत बैंकों के बारे में चर्चा की और जानना चाहा कि हमने अब तक उनके बारे में क्या कर रहे हैं? ऐसा नहीं है कि बैंकिग सुधर के लिये आर्डिनेन्स के माध्यम से हम यह विधेयक लाये हैं। लगातार कुछ महीनों से बैंकिग सुधार के लिये सरकार ने कई कदम उठाये हैं। नरसिम्हन समिति की अनेक सिफारिशें हमने स्वीकार की हैं और उसके अनुसार कई कदम उठाये हैं। उसमें एस.एल.आर. सी.आर.आर. को कम किया गया जिससे बैंकों के पास सरप्लस फंड आ सके।

इसी सदन में कई सदस्यों ने अपने भाषण के दौरान यह कहा कि छोटे किसानों पर तो सख्ती होती है लेकिन बड़े लोग पैसे दबा कर बैठे रहते हैं और उनके खिलाफ कुछ नहीं होता है। मैंने दो दिन पहले इसी सदन में यह कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है। पिछले सत्र में एक विधेयक रिकवरी ट्रिब्यूनल पास कराया गया था। एंपलैट रिकवरी ट्रिब्यूनल में सिर्फ वे केसिज लिये जायेंगे जिन पर 10 लाख से ऊपर का बकाया है।

और मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को जानकारी देना चाहूंगा। उस समय भी मैंने कहा था कि लगभग जो 6000 करोड़ रुपया वित्तीय संस्थाओं और बैंकों का बकाया है, उसमें से 55 प्रतिशत पैसा मात्र 0.4 परसेंट लोगों के पास में बकाया है। मैं माननीय सदस्यों को यह जानकारी देना चाहूंगा कि रिकवरी ट्रिब्यूनल और अपीलेट ट्रिब्यूनल भी बनाने की प्रक्रिया चल रही है और बहुत शीघ्र ही वह रिकवरी ट्रिब्यूनल और अपीलेट ट्रिब्यूनल काम करने लगेंगे। जिन लोगों ने बैंक के इस पैसे को, इस साइकिल को रोक दिया है या किसी भी तरीके से लिटिगेशन में इस पैसे को फंसा दिया है तो वह केसेज इन ट्रिब्यूनल में ट्रांसफर होंगे और इनको 100 दिन के अन्दर फैसला करना होगा। यदि उसके बाद भी वह पैसा बारोअर्स नहीं देते हैं तो उनको अरैस्ट करने का अधिकार है। रिकवरी आफिसर को गिरफ्तार करने का अधिकार है। वह सारे राइट्स उसमें दिये गये हैं। उस बहस के दौरान इस बात की चर्चा की गई थी।

इसके साथ-साथ कम्प्रोमाइज प्रपोजल्स के बारे में भी जितने एडवांटेज हैं कि लिटिगेशन के मामले में न फंसें और कम्प्रोमाइज प्रापोजल्स के माध्यम से बैंक का पैसा मिल सके, जिससे उस पैसे को वापिस साइकिल के अन्दर लाया जा सके और जो सरकार की नीति है, जिस प्रकार किसानों को, गरीबों को ऋण बांटने की नीति है, उस यूज में वह आये। उस तरफ भी ध्यान दिया गया है।

कम्प्यूटराइजेशन पर पूरा ध्यान दिया गया है। यूनियनों से बात की गई है, समझौता किया गया है। कस्टमर सर्विसेज अच्छी हो सके, उस दिशा में भी सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है। लास मेकिंग ब्रांच के बारे में अभी यहां चर्चा चल रही थी। लास मेकिंग ब्रांच के बारे में माननीय सदस्य राजवीर सिंह जी ने भी कहा, एक और माननीय सदस्य ने भी बोलते हुए कहा कि 3000 शाखाओं को बन्द किया जायेगा। मुझे पता नहीं कि 3000 शाखाओं की फीगर कहां से आई है। दो दिन पहले जब मैं यहां बोल रहा था तो मैंने यहां कहा था कि राष्ट्रीयकृत बैंकों की लगभग 30,000 शाखाएं हैं। उनमें से 10,000 शाखाएं घाटे में चल रही हों, उस ब्रांच को बन्द नहीं किया जायेगा। यदि कही दो ब्रांच हैं दोनों घाटे में चल रही, उस ब्रांच को बन्द नहीं किया जायेगा, यदि कहीं दो ब्रांच हैं दोनों घाटे में चल रही हैं। उनमें से मात्र 102 शाखाओं को बन्द करने का निर्णय लिया गया है। उसमें भी तीन बातों का पूरा ध्यान रखने का निर्देश है वह तीन बातें यह हैं कि अगर कहीं किसी ग्रामीण क्षेत्र में एक ही ब्रांच है तो चाहे वह घाटे में चल रही है तो उसमें से मात्र एक ब्रांच को बन्द किया जायेगा। इस प्रक्रिया में किसी की छंटनी नहीं की जायेगी, कोई रिट्रेंचमेंट नहीं किया जायेगा। यह मैंने उस समय कहा था लेकिन माननीय सदस्यों ने कहा कि 3000 शाखाएं बन्द की जा रही हैं। मैं इस मंत्रालय को देख रहा हूँ लेकिन उन 3000 शाखाओं को बन्द करने की जानकारी मुझे नहीं है।

बहुत से जोनल और एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसेज को एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है। शाखाओं को उनकी प्रोडक्टिविटी और उत्पादकता को देखते हुए यदि कहीं शिफ्ट करने की आवश्यकता है तो उस बारे में भी निर्णय लिया जा रहा है। एक्पलाइज की सी.आर. के प्रोफार्मा में, जो कान्फीडेंशियल रिपोर्ट भरी जाती है, उसके प्रोफार्मा में आमूलचूल परिवर्तन किया गया है, जिससे कि उनकी एकाउन्टेबिलिटी निर्धारित की जाय। जब भी उनका प्रमोशन हो या ईन्सेंटिव देने की बात आये तो सी.आर. के माध्यम से डिस्क्रिमिनेशन

किया जा सके। उससे अच्छे और बुरे का पता लगाया जा सकें यह इस संबंध में किया गया है।

इसके साथ-साथ कन्करेंट आडिट लागू करने के लिए भी आर.बी.आई. द्वारा इंसट्रक्शंन दी गई हैं। कैंपीटल एडीक्वेसी नोर्म्स करने के लिए सरकार पूरा ध्यान दे रही हे। गत बजट के अन्दर 5700 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया था और इस बजट में भी 5600 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। लेकिन यह नहीं है कि इस पैसं को वैसे ही बैंकों को बांटा जा रहा हो। इस पैसे को देने से पहले उन बैंकों से बकायदा एम.ओ.यू. साइन कराया जा रहा है, जिसके अन्दर उस बैंक से यह शर्त रखी जा रही है कि वह बैंक अपनी व्यवस्थाओं को किस प्रकार सुधारेंगे, किस प्रकार मैंनेजमेंट को सुधारेंगे, किस प्रकार से जो ब्रांच घाटे में चल रही है, उनके मैनेजमेंट की तरफ ध्यान देंगे। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए एक प्लानिंग के साथ कि उनकी कैपीटल स्ट्रक्चर कैसे मजबूत हो, कैपीटल एडीक्वेसी कैसे ठीक हो, इस बात को ध्यान में रखकर चला जा रहा है।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि राष्ट्रीयकृत बैंकों में चैयरमैन के पद बहुत दिनों से खाली है। मैं इसमें यह बताना चाहूंगा कि गये एक साल में लगभग दो बैंकों को छोड़कर सभी बैंकों में चैयरमैनों की नियुक्ति की जा चुकी है। मेरे पास करीब 9-10 बैंकों की सूची भी हैं,, जिनमें चैयरमैनों की जगह खाली थी, उनमें नियुक्ति की गई है।.....**(व्यवधान)**.....आप सबसे बाद में बोले हैं। आप सुनिये।

इण्डीविजुअल्स की बात भी मेरे पास लिखी हुई है। सी.एम.डी. और चैयरमैंनों की नियुक्ति की जो बात थी, वह भी करीब-करीब सभी जगह भरी गई हैं।....**(व्यवधान)**...... इसके अलावा बैंकों के अन्दर बेमानी खातों के खिलाफ अक्सर बात आया करती थी। उस संदर्भ में भी 1.1.1994 से बैंक खाता खोलने के लिए फोटो लगाना अनिवार्य किया गया है।

ताकि जो खाता खोलने के अंदर बेमानी खाते की या इस प्रकार की बात चलती थी उस गड़बड़ी को रोका जाए। ब्याज दरों का सरलीकरण किया गया है तो यह स्टेप गत कुछ महीनों के अंदर उन राष्ट्रीयकृत बैंकों की व्यवस्था को सुधारने के लिए, आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए और जो बैंक घाटे में चल रहे हैं उनको सही रुप में लाया जा सके उसके लिए कदम उठाए गए हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने जब यहां प्राइवेट बैंकों की बात कही कि उन प्राइवेट बैंकों को बिल्कुल देश के अंदर गरीबों, पर उनका शोषण करने के लिए था अपने मनमानी तरीके से काम करने के लिए खोला जा रहा है। कुछ माननीय सदस्यों ने पूछा कि उन प्राइवेट बैंकों को खोलने के लिए आर.बी.आई की क्या गाइडलाइंस हैं या किस प्रकार से उन पर नियंत्रण रखा जा सकता है तो मैं आपको इस संबंध में बताता हूं कि जो उन प्राइवेट बैंको का रजिस्ट्रेशन होगा वह कम्पनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पब्लिक लिमिटेड कम्पनी के रुप में उनका रजिस्ट्रेशन होगा। उनका जो मिनिमम पेड अप केपिटल होगा वह सौ करोड़ रुपए होगा।

महोदय, एक माननीय सदस्य ने यह पूछा कि इन प्राइवेट बैंकों के अंदर जो भी लोग अपना पैसा जमा कराएंगे वह सुरिक्षित रहेगा। इसमें ऐसा है कि एक तो केपिटल एडीक्वेसी शुरू से उस प्राइवेट बैंक की जो 1 परसेंट निर्धारित रखी है उसके मुताबिक रखी जाएगी, उसकी मिनिमम पेड अप केपिटल सौ करोड़ रुपया होगी।

उसके जो प्राइवेट बैंक हैं, उनके जो शेयर्स हैं वे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड होंगे और स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड होने का मतलब है कि जो सेबी की गाइडलाइन है उसके मुताबिक 60 परसेंट शेयर का उनको पब्लिक इशु निकालना पड़ेगा, 60 परसेंट शेयर्स के लिए उन प्राइवेट बैंकों को भी पब्लिक में जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे शेयर्स अपने पास रख लें, तभी उनका शेयर स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड हो सकेगा। इसी के साथ-साथ उनके अंदर यह भी कहा गया कि ऐसे प्राइवेट बैंकों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनका हैडक्वार्टर एक ही जगह पर रखने के लिए प्रस्ताव होगा, जहां ऑलरेड़ी किसी और बैंक को हैडक्वार्टर नहीं हैं। विकेन्द्रीकरण की प्रवृत्ति को बल मिले और ऐसा न हो कि सारे बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में या ऐसी जगहों पर उन बैंकों का सेंटेलाइजेशन हो जाए, तो इस बात को भी इसके अंदर पूरा मद्देनज़र रखा गया है और पूरा ध्यान रखा गया है।

महोदय, इसके साथ ही साथ रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए सभी आर्डर, इंस्ट्रक्शन इन बैंकों पर भी लागू होंगे और न्यू नार्म्स जो प्रोविजनिंग के हैं वे इन प्राइवेट बैंको पर भी लागू होंगें। कई माननीय सदस्यों ने प्रायरटी सैक्टर के बारे में जानना चाहता था, यह बात कहीं थी कि जो गरीब लोग हैं उनको किस प्रकार से इससे फायदा होगा। बहुत सारे माननीय सदस्यों ने भू0पू0 प्रधानमंत्री सम्माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की बात कही कि उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण गरीबों को, कृषकों और मजदूरों को ध्यान में रख कर किया था मैं उन सभी माननीय सदस्यों को कहना चाहता हूँ कि इस सरकार की नीति हमेशा गरीबों के प्रति, किसानों और मजदूरों के प्रति लाभ पहुंचाने वाली रही है और हमेशा उनके हित को ध्यान में रख कर चलने वाली रही है। जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं उनके अंदर अभी 40 प्रतिशत प्रायरटी सैक्टर निर्धारित हैं, प्राथमिकता क्षेत्र निर्धारित हैं और रिजर्व बैंक द्वारा समय समय पर उसके लिए मॉनिटिरिंग की जाती है। जो विदेशी बैंक हैं उनमें पहले 15 परसेंट प्रायरटी सैक्टर था जिनको बढ़ा करके 32 परसेंट प्राथमिकता क्षेत्र को गतवर्ष किया गया और उसमें यह प्रावधान रखा गया कि अगर 32 परसेंट प्राथमिकता क्षेत्र के अंदर विदेशी बैंक नहीं देता है तो बाकी का पैसा सिडवी के अंदर जमा कराना पड़ेगा और जो जो निजी बैंक खोले जा रहे हैं उनके अंदर भी जो प्रायरटी सैक्टर के मानदंड हैं वे उसी प्रकार से लागू होंगे। लेकिन पहले तीन वर्षों में, क्योंकि ये शुरू हो रहे हैं तो इसके अंदर कुछ मोडिफिकेशन करने की आवशकता है, बाकी जो प्रायरटी सैक्टर पब्लिक सैक्टर बैंक के लिए हैं वही प्रायरटी सैक्टर इन निजी बैंकों के लिए भी होंगे। तो इस प्रकार से लगभग जितने भी रूल्स, नियम और रेगुलेशंन हैं और इनमें जिस प्रकार से कंट्रोल रखा जाता है, ब्रांच एक्सपेंशन के बारे में भी इन प्राइवेट बैंकों में यह बहुत स्पष्ट है कि यह ब्रांच खोलने के लिए स्वंतत्र हैं लेकिन शहरी क्षेत्रों के साथ साथ जो आर.बी.आई. ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए क्षेत्र लक्ष्य निर्धारित किया है वहां भी इनको उतनी ही ब्रांच खोलनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शहरी क्षेत्रों के अंदर ही ये अपनी ब्रांच खोलेंगे और लोन पॉलिसी जो आर.बी.आई. ने पब्लिक सैक्टर के बैंकों में निर्धारित की हुई है वहीं लोन पॉलिसी इन निजी बैंकों के लिए भी रहेंगी। ऐसा नहीं है कि इनकी लोन पॉलिसी अपने मन से बनाएंगे और अपनी तरह से ये चलाएंगे।

ये बैंक प्राइवेट कस्टमर्स सर्विस के लिए कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करेंगे और टेली कम्यूनिकेशन का इस्तेमाल

करेंगे, जिसके जरिए ये बैंक पब्लिक सर्विस करेंगे। इन सब चीजों पर कंट्रोल करने के लिए एक हाई-पावर कस्टमर्स ग्रिवांसेस सैल होगा, जो यह देखेगा कि कस्टमर्स सर्विस ठीक से चल रही है या नही।

श्री राजवीर सिंह : आर्डीनेंस क्यों लाया गया, यह बताइए।

डा0 अबरार अहमद : मैं बता रहा हूँ। कुछ माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि कौन से प्राइवेट बैंकों को अनुमति दी गई है और कितने बैंकों ने इसके लिए आवेदन किया है। मैं बताता हूँ कि यू.टी.आई.,आई,सी. आई.सी.आई., एस.डी.एफ.सी., ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, बैंक ऑफ गुजरात लि0, इंडस्ट्रियल बैंक लि0, ट्वटीयथ सेंचुरी, टाइम्स बैंक और आई.डी.बी.आई. इन 9 बैंकों को सैद्धांतिक रुप से स्वीकृति दी गई है और इनमें से सिर्फ एक बैंक यू.टी.आई. को फाइनल स्वीकृति दी गई है, लायसेंस दिया गया है।

माननीय सदस्यों ने ये प्रश्न उठाए थे, जिनका जवाब मैंने दिया है। मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि इन निजी बैंकों के माध्यम से हम विदेशी बैंकों को अनुमति दे रहे हैं या इनके बहाने से विदेशी बैंक यहां पर आ जाएंगे। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इसमें स्पष्ट प्रावधान किया गया है, जिसके तहत इन बैंकों में 40 प्रतिशत शेयर एनआरआईज के लिए होंगे और सिर्फ 20 प्रतिशत फॉरेन इनवेस्टर्स के लिए होंगे। इन 20 परसेंट से कितना टेकओवर किया जा सकता है, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा जो 9 बैंकों के नाम मैंने बताए हैं। इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि इनमें एक भी विदेशी बैंक का नाम नहीं है। इसलिए विदेशी बैंकों का संदेह माननीय सदस्यों के दिमाग से निकल जाना चाहिए।

कुमारी ममता बनर्जी : मंत्री महोदय ने सिक्यूरिटी और सेफ्टी के बारे में कुछ नहीं बताया है।

श्री राम कृपाल यादव : भ्रष्टाचार कैसे दूर होगा, यह नहीं बताया गया है।.....**(व्यवधान)**.....

डा. अबरार अहमद : माननीय सदस्यों के कॉमन प्रश्नों का उत्तर मैंने दे दिया हैं, 95 प्रतिशत सवाल इन्हीं से संबंधित थे। इन सवालों से हट कर जो सवाल थे, जैसे कि राजवीर सिंह जी ने पूछा है कि आर्डीनेंस क्यों लाया गया, मैं बताना चाहता हूँ कि जनवरी 1993 में आर.बी.आई. ने दिशा-निर्देश दिए थे, जिनको वैधानिक स्वरुप देना था, ताकि प्राइवेट बैंकों को लाइसेंस दिया जा सके। प्राइवेट बैंक शीघ्र कार्य आरंभ करना चाह रहे थे, इसलिए आर.बी.आई. के दिशा-निर्देश को वैधानिक रुप देने के लिए आर्डीनेंस लिया गया, ताकि उनको अमली जामा पहनाया जा सके, इसके अलावा और कोई उद्देश्य नहीं था। इसके अलावा शाखाएं बंद करने की बात माननीय सदस्यों द्वारा की गई है, जिसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया है।....**(व्यवधान)**....

|अनुवाद|

श्री बसुदेव आचार्या (बांकुडा) : नेशनल रुरल बैंक ऑफ इंडिया की क्या स्थिति है।

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाएं। उन्हें अपना भाषण समाप्त करने दें। मंत्री महोदय क्या अध्यक्ष जी ... सम्बोधित करें। मुझे लगता है कि आपने सभी मुद्दों का उत्तर दे दिया है।

[हिन्दी]

डा0 अबरार अहमद : कुमारी ममता बनर्जी ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में जानना चाहा है, उनको मैं बताना चाहता हूं कि शेयर होल्डर्स के माध्यम से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चुने जाएंगे।....**(व्यवधान)**.....

सभापति महोदय, माननीय सदस्यों ने जिन सवालों को यहां पर उठाया था, उनका उत्तर मैंने दे दिया है।. .....**(व्यवधान)**......

[अनुवाद]

......**(व्यवधान)**......

सभापति महोदय, कृपया बैठ जाएं। जरूरी नहीं हैं कि मंत्री महोदय सभा में उठाए गए सभी मुद्दों का उत्तर दें। मंत्री महोदय विधेयक से संबंधित मुद्दों का ही उत्तर देते हैं। .....**(व्यवधान)**......

श्री राम कापसे : मतदान का अधिकार एक से बढ़ाकर दस करने के बारे में एक मुद्दा काफी संगत है। उन्होंने इसका उत्तर नहीं दिया है। ....**(व्यवधान)**......

[हिन्दी]

श्री अनादि चरण दास (जाजपुर) : सभापति जी, बैंकों का निजीकरण हो रहा है तो हरिजन आदिवासियों का रिजरवेशन रहेगा या नहीं?

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आपको पहले विधेयक के उन उपबंधों का अध्ययन करना चाहिए जो संशोधन के लिए दिये गये हैं। कृपया उस मुद्दे को न उठाएं। .... **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री अनादि चरण दास : सभापति जी, बैंकों का निजीकरण हो रहा है तो हरिजन आदिवासियों का रिजरवेशन रहेगा या नहीं?

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आपको बोलने की अनुमति नहीं है। कृपया बैठ जाइए।...................**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है । चर्चा के समय किसी भी सदस्य ने आरक्षण का मुद्दा नहीं उठाया अब आरक्षण का मुद्दा उठाया जा रहा है। मंत्री महोदय कृपया इस मुद्दे को नोट करें। अब मैं श्री राजवीर सिंह को भाषण देने के लिए बुला रहा हूँ

श्री आस्कर फर्नान्डीज (उदीपी) : मैंने आरक्षण के बारे में मुद्दा उठाया था।

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : ग्रामीण बैंकों के बारे में बताइये। .... **(व्यवधान)**

|अनुवाद|

सभापति महोदय : यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अग्निहोत्री जी आप कृपया बैठ जाइए। यहां एक ऐसा मुद्दा उठाया जा रहा है हालांकि जिसे चर्चा के दौरान नहीं उठाया गया था। चूंकि आरक्षण के बारे में यह एक काफी महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं मंत्री महोदय को केवल इसी मुद्दे पर बोलने की अनुमति देता हूं यदि वे चाहें तो।

|हिन्दी|

डा. अबरार अहमद : सभापति जी, चार प्रावधान विधयेक में हैं। मैंने सबसे पहले चारों प्रावधानों के बारे में माननीय सदस्यों ने जो सवाल उठाए गए थे तो उनका जवाब दे दिया है। बिल के अलावा बहस में बहुत सारी बातें होती हैं तो मैं उनका जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हूं। ग्रामीण बैंकों के बारे में यह कहना चाहता हूं कि बजट स्पीच में माननीय वित्त मंत्री जी ने 58 ग्रामीण बैंकों के पुनर्गठन करने का आश्वासन दिया है और बाकी बैंकों के बारे में विचार चल रहा है।

|अनुवाद|

सभापति महोदय : मैं संकल्प के प्रस्तावक को बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। .... **(व्यवधान)**

|अनुवाद|

श्री श्रीकांत जेना : उन्होंने आरक्षण के बारे में उठाए आपके मुद्दे का उत्तर नहीं दिया।

सभापति महोदय : यह मुद्दा नोट किया जा रहा है। मंत्री महोदय को यही करना चाहिए था। हम सीधा उत्तर नहीं मांग रहे हैं।

|हिन्दी|

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : सभापतिजी, मैं मंत्री जी को इस आधार पर धन्यवाद दे सकता हूं कि उन्होंने काफी विरोधाभासी बातें कही हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी की बड़ी चर्चा हुई। मंत्री जी ने बड़ी प्रशंसा की। मगर इंदिरा गांधीजी ने आज से 25 साल पहले बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का काम किया था तो उनकी आत्मा ऊपर क्या कह रही होगी कि मैंने जो काम किया था वह गलत था या आज मेरे दल की सरकार जो काम कर रही है वह गलत है। उस वक्त उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण इसलिए किया था कि हम पिछड़े वर्गों को निजी बैंकों से सहायता नहीं दे पाते थे।

श्री मृत्युन्जय नायक (फूलबनी) : आपने उस समय समर्थन नहीं किया था।

श्री राजवीर सिंह : मैं वही कह रहा हूं हमने उस समय भी कहा था कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण गैर मुनासिब है। आज हमारी उस बात को इस सरकार ने माना है। इसलिए वह निजी क्षेत्र में जाने की कोशिश कर रही है। आपने उस गलती को सुधारने का प्रयास किया है। मुझे नहीं पता कि इसमें सही क्या है और गलत क्या है कि पहले राष्ट्रीयकरण जो किया वह गलत था या अब निजीकरण करने जा रहे हैं वह सही है, यह तो भगवान जाने।

नरसिंहन कमेटी की जो सिफारिशें थीं, उनका इस विधेयक में कहीं कोई जिक्र नहीं है उस आधार पर

इनको एक बहुआयामी विधेयक लाना चाहिए था, उनकी सिफारिशों को लागू करना चाहिए था। निजी बैंक आ रहे हैं, यह एक अच्छा कदम है, हम इसका स्वागत करते हैं लेकिन कुछ बैंकों ने जो घोटाले किये थे, जो सरकारी बैंक ने भी घोटाले किये थे और विदेशी बैंकों ने भी किये थे, जिसके बारे में संसदीय संयुक्त समिति ने रिपोर्ट दी थी कि करीब आठ हजार करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है, उसका क्या हुआ? हमारे पीछे बैठे एक मित्र कह रहे हैं कि इतने पैसे से हिन्दुस्तान में एक करोड़ किलोमीटर पक्की सड़कें बन सकती थीं। संसदीय संयुक्त समिति ने जो रिपोर्ट दी और उसमें जो लोग दोषी पाये गये थे, आज तक उनमें से कोई नहीं पकड़ा गया। वह सारा रुपया डूब गया। उसकी कोई चिंता और जिक्र आप नहीं कर रहे हैं। जो छोटे-मोटे बैंक डूब गये, उनके बारे में कुछ नहीं किया।

मेरे एक मित्र ने चिट फंड की बात कही कि ऐसी बहुत सी कंपनी चल रही हैं जिसमें गरीब जनता का करोड़ों रुपया जमा है, वे डूब रही हैं और आप उसके प्रति सचेत नहीं हैं। यह इस विधेयक से संबंधित बात नहीं है लेकिन बात आई थी इसलिए मैं कह रहा हूँ। राष्ट्रीयकृत बैंकों की बात आई।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री राजवीर सिंह, आप इस संकल्प के प्रस्तावक हैं। अतः आपको उत्तर देने की स्वतंत्रता है और मैं इसमें हस्तक्षेप नहीं करूंगा। परन्तु कृपया विधेयक के बारे में ही बोले किसी अन्य विषय पर नहीं। कृपया अन्य वक्ताओं के भाषणों का उल्लेख भी न करें और अपने भाषण को विधेयक के उपबंधों तक ही सीमित रखें।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह : सभापति महोदय, मैं जल्दी ही अपनी बात समाप्त करता हूँ लेकिन यदि ये लोग ज्यादा परेशान करेंगे तो ज्यादा समय लग सकता है। सरकार ने बैंक कर्मचारियों, सांसदों और बैंक प्रतिनिधियों से राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना करने का वायदा किया था लेकिन उसको शुरू नहीं किया गया है क्या आप वायदा खिलाफी करने जा रहे हैं ?

सभापति महोदय, मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा था कि रिजर्व बैंक ने जनवरी, 1993 में गाइडलाइन्स दी थी और अब एक वर्ष हो गया है तो क्या एक अध्यादेश को बनाने में एक वर्ष लग गया ? जब मैंने प्रश्न किया तो बताया नहीं और मौन धारण कर गये और 30 दिन में आपको क्या उपलब्धि हुई ? यदि सीधे सीधे विधेयक लाते तो क्या नुकसान होने वाला था। पिछले एक वर्ष से इस लोक सभा के कई सत्र भी हो गये लेकिन विधेयक नहीं लाये और आज इस अध्यादेश को लाये हैं। आपने संसद की अवमानना की है और संसद को अहमियत नहीं देते हैं। यह मुनासिब बात नहीं हैं हमें इस बात का जवाब चाहिए कि इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी ? यह एक गलत परम्परा है जिसका हम विरोध कर रहे हैं।

सभापति महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का निरनुमोदन करता हूँ और मैं मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि इस विधेयक को वापस लें और फिर से एक नया विधेयक लायें जिसमें बैंकों के घोटालों को कैसे दूर

कर सकते हैं, बैंकों को भ्रष्टाचार से कैसे मुक्ति मिल सकती है, किस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों को कर्जा मिल सकेगा और बैंक कैसे सही ढंग से काम कर सकेंगे ?

[अनुवाद]

08.00 म.प.

सभापति महोदयः श्री राजवीर सिंह, माननीय मंत्री द्वारा पहले ही दिए गए उत्तर को देखते हुए क्या आप अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

श्री राजवीर सिंह : महोदय, नहीं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 31 जनवरी, 1994 को प्रख्यापित बैंककारी विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 1994 (1994 का संख्या 5) का निरनुमोदन करती है।"

कुछ माननीय सदस्य : हम मत-विभाजन चाहते हैं।

सभापति महोदय : दीर्घाएं खाली कर दी जाएं।

अब दीर्घाएं खाली हो गई हैं। प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 31 जनवरी, 1994 को प्रख्यापित बैंककारी विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 1994 (1994 का संख्या 5) का निरनुमोदन करती है।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

20.05 म.प.

विभाजन संख्या 9 पक्ष में

अग्निहोत्री, श्री राजेन्द्र
आचार्य, श्री बसुदेव
उम्मारेड्डी वेंकटस्वरलु, प्रो०
कापसे, श्री राम
कुमार, श्री वी० धनंजय
कैनिथी, डा० विश्वानाथम
ग्गा, श्री सुखेन्दु,
गंगवार, श्री संतोष कुमार
गोपालन, श्रीमती सुशीला
चक्रवर्ती, प्रो. सुशान्त
चटर्जी, श्री निर्मल कान्ति
चावड़ा, श्री हरिसिंह (बनासकांठा)
चिखलिया, श्रीमती भावना
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
चौहान, श्री चेतन पी०एस०
जायनल अबेदिन
जैना, श्री श्रीकान्त
झा, श्री भोगेन्द्र
डोम, डा० राम चन्द्र
तेजनारायण सिंह
दास, श्री जितेन्द्र नाथ
पटेल, डा० अमृतलाल कालीदास

पाल, श्री रुपचन्द
पासी, श्री बलराज
पुरकायस्थ, श्री कबीन्द्र
प्रमाणिक, श्री राधिका रंजन
बर्मन, श्री उद्धव
बर्मन, पलास
बसु, श्री अनिल
बाला, डा० असीम
बालयोगी, श्री जी०एम०सी०
भट्टाचार्य, श्रीमती मालिनी
मलिक, श्री पूर्ण चन्द्र
मुखर्जी, श्री सुब्रत
मुख्योपाध्याय, श्री अजय
मोल्लाह, श्री हन्नान
यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद
राम, श्री प्रेमचन्द्र
राय डा० सुधीर
राय, श्री हाराधन
राव, श्री डी० वेंकटेश्वर
रावत, प्रो० रासा सिंह
रेड्डी, श्री बी०एन०
लालजान वाशा, श्री एस०एन०
वाड्डे, श्री शोभनाद्रीश्वर राव
वेकारिया, श्री शिवलाल नागजी भाई
साक्य, डा० महादीपक सिंह
सिंह, श्री राजवीर
हुसैन, श्री सैयद मसूदल

मतदान संख्या 9 विपक्ष में

अकबर पाशा, श्री बी०
अडईकलराजू, श्री एल०
अन्वारासु, श्री इरा
अयूब खां, श्री
अरुणाचलम, श्री एम०
असं, श्रीमती चन्द्रप्रभा
इन्द्रजीत, श्री
इस्लाम, श्री नूरूल
उपाध्याय श्री स्वरुप
उमराव सिंह, श्री
उम्ब्रें, श्री लाईता
ओडियार, श्री चनैया
करेंदुला, श्रीमती कमला कुमारी
काम्बले, श्री अरविन्द तुलसीराम
कालिया पेरूमल, श्री पी०पी०
काले, श्री शंकर राव दे०
कासु, श्री वेंकट कृष्ण रेड्डी
कुडुमुला, कुमारी पद्म श्री
कुप्पुस्वामी, श्री सी०के०
कुरियान, प्रो० पी०जे०
कुली, श्री बालिन
कृष्ण कुमार, श्री एस०
कृष्ण स्वामी श्री एम०
केवल सिंह, श्री
कोंताला, श्री रामकृष्ण
कौल, श्रीमती शीला
खान श्री असलम शेर
खुर्शीद, श्री सलमान
गंगोइ, श्री तरूण
गजपति, श्री गोपी नाथ
गहलौत, श्री अशोक
गायकवाड़, श्री उदयसिंह राव
गालिब, श्री गुर चरण सिंह
गावीत, श्री माणिकराव होडल्या
गुंडेवार, श्री विलासराव नागनाथराव
गुडाडिन्नी, श्री बी०के०

घाटोवार, श्री पवन सिंह
चन्द्रशेखर, श्रीमती मारगथम
चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल
चार्ल्स, श्री ए०
चालिहा, श्री किरिप
चावड़ा, श्री ईश्वर भाई खोडाभाई
चिदम्बरम, श्री पी०
चेन्नितला, श्री रमेश
चौधरी स्क्वाइन लीडर कमल
चौधरी, श्री नारायण सिंह
चौधरी श्रीमती संतोष
चौरे, श्री बापू हरि
जगबीर सिंह, श्री
जांगड़े, श्री खेलन राम
जाखड़, श्री बलराम
जाफर शरीफ, श्री सी०के०
जावाली, डा. बी०जी०
जीवरत्नम, श्री आर०
झिकराम, श्री मोहनलाल
टिडिंवनाम, श्री के० राममूर्ति
टोपीवाला, श्रीमती दीपिका एच०
टोपे, श्री अंकुशराव
डामौर, श्री सोमजीभाई
डेनिस, श्री एन०
डेका, श्री प्रबीन
तंगकाबालु, श्री के०वी०
तारा सिंह, श्री
टोपनो, कुमारी फ्रिडा
थामस, प्रो०के०वी०
थामस, श्री पी०सी०
थुंगन, श्री पी०के०
थोरात, श्री संदीप पान भगवान
दलबीर सिंह, श्री
दास, श्री अनादि चरण
दिघे, श्री शरद
दीवान, श्री पवन
देव, श्री संतोष मोहन
देशमुख, श्री अशोक आनन्दराव
नंदी, श्री येल्लैया
नवले, श्री विदुरा बिठोबा
नायक, श्री ए० वेंकटेश
नायक, श्री मृत्युंजय
नायक, श्री सुबास चन्द्र
नायकर, श्री डी०के०
न्यामगौड, श्री सिद्दप्पा भीमप्पा
पटनायक, श्री शरत चन्द्र
पटेल, श्री उत्तमभाई हारजीभाई
पटेल, श्री प्रफुल
पटेल, श्री हरिलाल ननजी
डा० श्रीमती पद्मा
पवार, डा० बंसत
पाटील, श्री उत्तमराव देवराव
पाटील, श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह
पाटील, श्रीमती सूर्यकान्ता
पाणिग्रही, श्री श्रीबल्लभ
पायलट, री राजेश
पालाचोला, श्री वी०आर० नायडू
पेरूमान, डा० पी० बल्लल
पोतदुखे, श्री शांताराम
प्रभु, झांट्ये, श्री हरीश नारायण
फर्नान्डीज, श्री ओस्कार
फारूक, श्री एम०ओ०एच०
बंसल, श्री पवन कुमार
बनर्जी, कुमारी ममता

बीरबल, श्री
ब्रह्मो चौधरी, श्री सत्येन्द्रनाथ
भक्त, श्री मनोरंजन
भगत, श्री विश्वेश्वर
भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल
भूरिया, श्री दिलीप सिंह
भोंसले, श्री तेजसिंह राव,
भोंसले, श्री प्रतापराव बी०
भोई, डा० कृपासिंधु
मनफूल सिंह, श्री
मरबनिआंग, श्री पीटर जी०
मलिक, श्री धर्मपाल सिंह
मल्लू, डा० आर०
माथुर, श्री शिवचरण
मुत्तेमवार, श्री विलास
मुनियप्पा, श्री के०एच०
मुरलीधरन, श्री के०
मूर्ति, श्री एम०वी० चन्द्रशेखर
मेघे, श्री दत्ता
यादव, श्री सूर्यनारायण
राजेश्वरन, डा० वी०
राजेश्वरी, श्रीमती बासवा
राठवा, श्री एन०जे०
रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली
राम बदन, श्री
राम बाबू, श्री ए०जी०एस०
राय, श्री कल्पनाथ
राय, श्री रामनिहोर
राव, श्री वी० कृष्ण
राही, श्री राम लाल
रेड्डी, श्री आर० सुरेन्द्र
रेड्डी, श्री एम० बागा
रेड्डी, श्री जी० गंगा
रेड्डी श्री मगुन्टा सुब्बारामा
रेड्डी श्री एम०जी० (चित्तूर)
लक्ष्मण, प्रो० सावित्री
वर्मा, कु० विमला
वान्डायार, श्री के० तुलसिऐया
वासनिक, श्री मुकुल बालकृष्ण
विजयराघवन, श्री वी०एस
शंकरानन्द, श्री बी०
शर्मा, कैप्टन सतीश कुमार
शर्मा, श्री चिरंजी लाल
शैलजा, कुमारी
सईद, श्री पी०एम०
सज्जन कुमार, श्री
सानीपल्ली, श्री गंगाधरा
साय, श्री ए० प्रताप
सिंगला, श्री संतराम
सिद्धार्थ, श्रीमती डी०के० तारादेवी
सिल्वेरा, डा० सी०
सिंह, श्री मोतीलाल
सिंह देव, श्री के०पी०
सुन्दरराज, श्री एन०
सुरेश, श्री कोड्डीकुनील
सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त
सोडी, श्री मनकूराम
स्वामी, श्री जी० वेंकट
हुड्डा, श्री भूपेन्द्र सिंह
हान्डिक, श्री विजय कृष्ण

सभापति महोदय :* शुद्धि के अध्यधीन, मत-विभाजन का परिव्यय इस प्रकार है :

पक्ष में : 48

विपक्ष में : 158

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

''कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापरित, पर विचार किया जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खण्ड-वार विचार करेंगी। अब मैं खण्ड 2 से 11 सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

श्री बसुदेव आचार्य : हम खण्ड-2, खण्ड-6 तथा खण्ड 7 पर मत विभाजन चाहते हैं। इसलिए आप कृपया उन्हें अलग से रखें।

सभापति महोदय : ठीक है, अब मैं खण्ड 2 को सभा के मतदान के लिए रख रहा हूं।

|हिन्दी|

श्री राजवीर सिंह : सभापति जी, हम शुरू से ही इस बात का विरोध करते आए हैं कि सरकार ने ऑर्डिनेंस क्यों निकाला। सरकार ने समय-समय पर ओर्डिनैंस निकाल कर संसद क प्रति उपेक्षा का रूख अपनाया है, इस ओर्डिनैंस को निकालने का भी कोई कारण नहीं बताया है, अतः हम इसके विरोध में सदन से वाक आउट करते हैं।

08.09 म.प.

|अनुवाद|

तत्पश्चात् श्री राजबीर सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा से उठकर से बाहर चले गए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

''कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।''

लोक सभा में मतविभाजन हुआ :

---

* निम्नलिखित सदस्यों ने भी मत-विभाजन में भाग लिया :

पक्ष में : सर्व श्री सुदर्शन राय चौधरी, राम कृपाल यादव तथा गिरधारी लाल भार्गव

विपक्ष में : श्रीमती सुखबंस कौर, श्री डी.बी. सिंगडा, श्री बी.एम. मुजाहिद, श्री के. प्रधानी, श्री राम शरण यादव, डा. विश्वनाथम कैनिथी तथा श्री के.वी.आर. चौधरी।

20.10 म.प.

मतदान संख्या 10 पक्ष में

अकबर पाशा, श्री बी०
अडईकलराजू, श्री एल०
अन्बारासु, श्री इरा
अरूणाचलम, श्री एम०
अहमद, श्री कमालुद्दीन
इन्द्रजीत, श्री
इस्लाम, श्री नुरूल
उपाध्याय श्री स्वरुप
उम्ब्रे, श्री लाईता
ओडियार, श्री चनैया
करेह्दुला, श्रीमती कमला कुमारी
काम्बले, श्री अरविन्द तुलशीराम
कालिया पेरूमल, श्री पी०पी०
काले, श्री शंकर राव दे०
कासु, श्री वेंकट कृष्ण रेड्डी
कुडुमुला, कुमारी पद्म श्री
कुप्पुस्वामी, श्री सी०के०
कुरियन, प्रो० पी० जे०
कुली, श्री बालिन
कृष्ण कुमार, श्री एस०
कृष्ण स्वामी, श्री एम०
केवल सिंह श्री
केनिथी, डा० विश्वानाथम
कोंताला, श्री रामकृष्ण
कोल, श्रीमती शीला
खा, श्री असलम शेर
खुर्शीद, श्री सलमान
गंगोई, श्री तरूण
गजपति, श्री गोपी नाथ
गहलोत, श्री अशोक
गायकवाड, श्री उदयसिंह राव
गालिब, श्री गुर चरण सिंह
गावतीत, श्री माणिकराव होडल्या
मुंडेवार, श्री विलासराव नागनाथराव
गुडाडिन्नी, श्री बी०के०
घाटोवार, श्री पवन सिंह
चन्द्रशेखर, श्रीमती मारगथम
चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल
चार्ल्स, श्री ए०
चालिहा, श्री किरिप
चावड़ा, श्री ईश्वर भाई खोड़ाभाई
चेन्नितला, श्री रमेश
चौधरी स्कवाड्रन लीडर
चौधरी डा०के०वी०आर०
चौधरी, श्री नारायण सिंह
चौधरी, श्रीमती संतोष
चौरे, श्री बापू हरि
जंगबीर सिंह, श्री
जाफर शरीफ, श्री सी०के०
जावाली, डा० बी०जी०
जीवरन्तम्, श्री आर०
झिकराम, श्री मोहनलाल
टिंडिवनाम, श्री के० राममूर्ति
टोपे, श्री अंकुशराव
डेनिस, श्री एन०
डेका, श्री प्रबीन
तंगकाबालु, श्री के०वी०
तारा सिंह, श्री
तोपपनो, कुमारी फ्रिडा
थामस, प्रो० के०वी०
थामस, श्री पी०सी०
थुगन, श्री पी०के०

थौरात, श्री संदीपन भगवान
दलबीर सिंह, श्री
दास, श्री अनादि चरण
दिघे, श्री शरद
देव, श्री संतोष मोहन
देशमुख, श्री अन्नतराव
नंदी, श्री येल्लैया (सिद्दीपेट)
नवले, श्री विदुरा बिठोबा
नायक, श्री ए० वेंकटेश
नायक, श्री मृत्युंजय
नायक, श्री सुबास चन्द
नायकर श्री डी०के०
न्यामगौड, श्री सिददप्पा भीमप्पा
पटनायक, श्री शरत चन्द
पटेल, श्री उत्तमभाई हारजीभाई
पटेल श्री प्रफुल
पटेल, श्री हरिलाल ननजी
डा० श्रीमती पद्मा
पवार, डा० बसंत
पाटील, श्री उत्तमराव देवराव
पाटील, श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह
पाटील, श्रीमती सूर्यकान्ता
पाणिग्रही, श्री बल्लभ
पायलट, श्री राजेश
पालाचोला, श्री वी०आर० नायडू
पेरुमान डा० पी० बल्लभ
पोतदुखे, श्री शांताराम
प्रधानी, श्री के०
प्रभु, श्री आर०
फर्नान्डीज, श्री ओस्कार
फारूक, श्री एम०ओ०एच०

बंसल, श्री पवन कुमार
बनर्जी, कुमारी ममता
बीरबल, श्री
ब्रह्मो चौधरी, श्री सत्येनद्रनाथ
भक्त, श्री मनोरंजन
भगत, श्री विश्वेश्वर
भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल
भूरिया, श्री दिलीप सिंह
भोंसले, श्री तेजसिंह राव,
भोंसले, श्री प्रतापराव बी०
भोई, डा० कृपासिन्धु
मनफूल सिंह, श्री
मरबिन आंग, श्री पीटरर जी
मलिक, श्री धर्मपाल सिंह
मल्लू, डा० आर०
माथुर, श्री शिव चरण
मुजाहिद, श्री बी०एम०
मुत्तेमवार, श्री विलास
मुनियप्पा, श्री के०एच०
मुरलीधरन, श्री के०
मूर्ति, श्री एम०वी० चन्द्रशेखर
मेघे, श्री दत्ता
यादव, श्री राम शरण
यादव, श्री सूर्यनारायण
रथ, श्री रामचन्द्र
राजेश्वरन, डा० वी०
राठवा, श्री एन०जे०
रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली
रामबाबू, श्री ए०जी०एस०
राय, श्री कल्पनाथ
राव, श्री वी० कृष्ण

राही, श्री राम लाल
रेड्डी, श्री आर० सुरेन्द्र
रेड्डी, श्री एम० बागा
रेड्डी, श्री जी० गंगा
रेड्डी, श्री मगुन्टा सुब्बारामा
रेड्डी श्री एम०जी०
लक्ष्मण, प्रो० सावित्री
वर्मा, कु० विमला
वान्डायार, श्री के० तुलसिऐया
वासनिक, श्री मुकुल बालकृष्ण
विजयराघवन, श्री वी० एस०
शर्मा, कैप्टन सतीश कुमार
शर्मा, श्री चिरंजी लाल
शैलजा, कुमारी
सईद, श्री पी०एम०
सज्जन कुमार, श्री
सानीपल्ली, श्री गंगाधरा
साय, श्री ए० प्रताप
सिंगला, श्री संतराम
सिद्धार्थ, श्रीमती डी०के०तारादेवी
सिल्वेरा, डा० सी०
सिंहदेव, श्री के०पी०
सुखबंस कौर, श्रीमती
सुन्दरराज, श्री एन०
सुरेश, श्री कोड्डीकुनील
सुल्तानपुरी, श्रीकृष्ण दत्त
सोडी, श्री मनकूराम
स्वामी, श्री जी०वेंकट
हूड्डा, श्री भूपेन्द्र सिंह
हान्डिक, श्री विजय कृष्ण
हुसैन, श्री सैयद मसूदल

मतदान संख्या 10 विपक्ष में

अर्स श्रीमती चन्द्रप्रभा
आचार्य, श्री बसुदेव
उम्मारेड्डी वेंकटस्वरलू, प्रो०
खा. श्री सुखेन्दु
गोपालन, श्रीमती सुशीला
चक्रवर्ती, प्रो० सुशान्त
चटर्जी, श्री निर्मल कान्ति
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
जायनल अबेदिन, श्री
जैना, श्री श्रीकान्त
झा. श्री भोगेन्द्र
डोम, डा० राम चन्द्र
तेजनारायण सिंह, श्री
दास, श्री जितेन्द्र नाथ
पाल, श्री रुप चन्द
प्रमणिक, श्री राधिका रंजन
बर्मन, श्री उद्धव
बर्मन, पलास
बसु, श्री अनिल
बाला, डा० असीम
बालयोगी, श्री जी०एम०सी०
भट्टाचार्य, श्रीमती मालिनी
मलिक, श्री पूर्ण चन्द्र
मुखर्जी, श्री सुब्रत
मुखोपाध्याय, श्री अजय
मोल्लाह, श्री हन्नान
यादव, श्री देवेन्द्र, प्रसाद
यादव, श्री श्री राम कृपाल
राम, श्री प्रेम चन्द
राय, डा० सुधीर
राय, श्री हाराधन

रायचौधरी, श्री सुदर्शन	वाड्डे, श्री एस०एम०
राव, श्री डी० वेंकटश्वर,	राव, श्री शोभनाद्रीश्वर
रेड्डी, श्री बी० एन०	शिवरामन श्री एस०
लालजान वाशा, श्री एस. एम.	सिंह, श्री मोतीलाल

सभापति महोदय : * शुद्धि के अध्यधीन, मत-विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में 155

विपक्ष में : 38

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

''कि खण्ड 3 से 5 विधेयक का अंग बने।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 3 से 5 विधेयक में जोड़ दिए गए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

''कि खंड 6 और 7 विधेयक का अंग बनें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 6 तथा 7 विधेयक में जोड़ दिए गए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

''कि खण्ड 8 से 11 विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 8 से 11 विधेयक में जोड़ दिए गए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

''कि खण्ड-1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

डा. अबरार अहमद : मैं प्रस्ताव करता हूं :

---

* निम्नलिखित सदस्यों ने भी मत-विभाजन में भाग लिया।

पक्ष में : श्री बी. शंकरानन्द, श्रीमती बासवा राजेश्वरी, श्री डी.बी. सिंगडा, श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स, श्री पवन दीवान, श्री मोती लाल सिंह, श्री अयूब खान, श्री खेलन राम जांगड़े,

श्री राम निहोरे राय, तथा श्री राम बन्दन।

विपक्ष में : श्री सैयद मसूदल हुसैन।

''कि विधेयक पारित किया जाए।''

सभापति महोदय : प्रस्ताव पेश हुआ :

''कि विधेयक पारित किया जाए।''

श्री योगेन्द्र झा (मधुबनी) : महोदय, मैंने इस समय बोलने की औपचारिक अनुमति प्राप्त कर ली है। **(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य (वांकुरा) : महोदय, हम इस समय मत-विभाजन चाहते हैं।

सभापति महोदय : आप अपनी सदस्य संख्या तथा विपक्ष की सदस्य संख्या देखिए।

श्री बसुदेव आचार्य : सदस्य संख्या का कोई प्रश्न नहीं है। हम मत-विभाजन चाहते हैं तथा हम विधेयक का विरोध करते हैं। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। श्रीमान् झा, आप कृपया बैठ जाएं।

श्री योगेन्द्र झा, महोदय, मैं इस बात पर जोर दे रहा हूं कि मुझे बोलने की अनुमति दी जाए। **(व्यवधान)**

श्री हन्नान मोल्लाह (उलुबेरिया) : तृतीय वाचन के समय सदस्यों को बोलने का अधिकार है। नियमों के अनुसार, आप उन्हें ऐसा करने से नहीं रोक सकते। इसके अलावा, उन्होंने अपेक्षित सूचना भी दे दी है। इसलिए बोलने का उनका अधिकार है। कृपया उन्हें अनुमति दे दीजिए।

सभापति महोदय : अच्छी तरह नियमों जानने वाले माननीय सदस्यों को इस ढंग से बहस नहीं करनी चाहिए। जब श्री झा का नाम पुकारा गया था, वहां सभा में उपस्थित नहीं थे। अब वे बोलने के अपने अधिकार का दावा नहीं कर सकते है। फिर, भी मैं श्री योगेन्द्र झा को कुद संगत प्रश्न पूछने तथा स्पष्टीकरण यदि कोई चाहते हैं तो मांगने की अनुमति देता हूं। परन्तु मेरा उनसे अनुरोध है कि वे इस समय लम्बा भाषण न दें।

श्री योगेन्द्र झा, मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूं। क्योंकि मैं अनुपस्थित था। मैं तृतीय वाचन के समय बोलना चाहता हूं जिसकी नियमों के अंतर्गत अनुमति है। मैंने इस संबंध में आपको लिख दिया है और मैं बोलने के लिए आपकी अनुमति चाहता हूं।

सभापति महोदय : ठीक है। परन्तु कृपया दो मिनट में समाप्त करने की कोशिश करें कृपया लम्बा भाषण न दें।

श्री योगेन्द्र झा : मैं इस अत्यन्त महत्वपूर्ण मामले पर अपने विचार रखना चाहता हूं। मैं पांच मिनट में बात खत्म कर दूंगा। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

सभापति जी, हमारे देश और संसद के लिए आज हुत कलंक का दिन है। मैं उन थोड़े से सदस्यों में स हूं जो बैंक राष्ट्रीयकरण की दौड़ में सबसे आगे थे। मैं और राज्य सभा के हमारे साथ स्वर्गीय भूपेश चन्द्र जी इस बारे में बातचीत करने के लिये इंदिरा जी से मिले भी थे। देश भर के केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों ने 19 सितम्बर, 1968 को एक दिन की हड़ताल की थी जिस में 14 आदमी शास्त्री भवन में गोली चलने से मारे गये थे। संसद मार्ग पर घुड़सवार दौड़ाये गये थे। उस समय भी मैं यही पर था और हमने इसका विरोध किया था। इंदिरा जी को उस दिन बोलने नहीं दिया गया। उन्होंने हम को बुलाया कि क्या होगा ? हमने कहा कि अमीरका के हुक्म पर आपने योजना बंद कर दी । हमारे मित्रों को प्लान हॉलिडे याद होगा। हमने इंदिरा जी का ध्यान बेरोजगारी और मंहगाई की तरफ खींचा। इंदिरा जी ने कहा कि पैसा नहीं है और आप लोग टैक्स लगाने का विरोध करते हैं। ऐसे में पैसा कहां से आयेगा। हमने कहा कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण करिये और राजाओं के प्रीवीपर्स बंद करिये। वे कंगाल नहीं हैं। इससे पैसा आयेगा। कुछ दिनों के बाद तत्कालीन वित्त मंत्री जी ने कहा कि मैं जब तक वित्त मंत्री हूं, बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं होने दूंगा। टकराव चला। हमने कहा कि आप राष्ट्रीयकरण करने की हिम्मत कीजिये। आपकी सरकार नहीं गिरेगी, हम आपकी कुर्सी पर नहीं बैठेंगे और सरकार को गिरने नहीं देंगे। एक दिन ऐसा आया जब बैंकों को राष्ट्रीयकरण हुआ।

आज सचमुच दुर्भाग्य का दिन है। अभी हमारे मित्र वाजपेयी जी आये थे। वह हंस कर और मुस्करा कर चले गये। इसिलये विरोध पक्ष की भूमिका निभाने को यह मुख्य विरोध पक्ष मजबूर हो गया है। विरोध पक्ष की भूमिका निभाने से असमर्थ हो गया है, यह हंसकर गये हैं और उनका काम आप कर रहे हैं। जो काम उन्होंने उस समय किया था, वह काम आज आप कर रहे हैं। इसलिए हमारी जो स्थिति है, जो मंत्री जी ने जवाब दिया है, उसमें बैंक का अब तक निगम था कि एक हिस्सेदार को एक प्रतिशत वोट का हक था, अब इन्होंने उसे सिर्फ 1000 प्रतिशत बढ़ा दिया है, 10 गुना बढ़ा दिया हैं यह छलांग है जिसमें इतिहास भारत की इस सरकार को कभी माफ नहीं करेगा। अगर ऐसे 6 हिस्सेदार हो गये तो 60 प्रतिशत हो जायेगा तो बहुमत का क्या होगा, 7 हो गये तो 70 प्रतिशत हो जायेगा तो क्या होगा ? यह देश को और संसद को गुमराह करना चाह रहे हैं।

इसी तरह इन्होंने जो तीन डायरेक्टर्स के लिए किया है, तो 20-20 प्रतिशत वाले ऐसे तीन हो गये तो 7 प्रतिशत वाले 9 डायरेक्टर ले लेंगे तो इस तरह से यह देश के बैंकों को उनके हवाले करने जा रहे है।। देश के बैंकों की जो हालत है, मैं खुद समझ रहा हूं कि राष्ट्रीयकरण के बाद जो प्रगति बैंकों की हुई है, वह संसार के किसी भी देश में बैंकों की प्रगति की मिसाल है। इस दरम्यान में, 25 वर्षों में यह बेमिसाल है, जितनी छलांग मारकर प्रगति हुई है।

शिकायतें बहुत सी हमारी भी हैं, मगर शिकायतों को दूर करने में इस सरकार की कोई रूचि नहीं है। इसलिए जो इन्होंने कहा है, जो अल्प समय देने वाले डायरेक्टर, चेयरमैन होगे तो वह कौन होंगे, वह करोड़पति होंगे, जो पूरा समय नहीं दे सकते हैं, यह उनके हाथ में जायेगा। अगर कोई राजनेता सही ईमानदारी से चलाये तो कोई अछुत नहीं है लेकिन करोड़पतियों के हाथ में यह डायरेक्टोरेट भी दे देंगे, पूरा चेयरमैन का अधिकार भी

दे देंगे और इससे देश का खजाना कुछ करोड़पतियों के साथ में जायेगा और यह हमसे वोट लेकर यह करने जा रहे हैं, हमारी ही दियासलाई से हमारे ही घर में आग लगाने जा रहे हैं इसलिए इस मतदान के जरिये हम चाहते हैं कि इनके खिलाफ देश में यह संदेश जाए कि हम बिना भय और संघर्ष के अगर इस रास्ते पर आप जायेंगे तो आज नहीं तो कल, इस सरकार को जाना होगा। देश की जनता इसका जवाब आपको देगी कि देश की सम्पत्ति कुछ देशी और विदेशी करोड़पतियों को आप नहीं दे सकते।

आज आप देश के जन-गण को चुनौती दे रहे हैं, 25 वर्षों के इतिहास को आप स्वाहा कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं, क्योंकि मैं इसमें शर्गिद था, इसमें मैं सक्रिय रुप से शामिल था इसलिए मैं कह रहा हूं और मेरी इसमें ममता भी है। इसके जरिये हम यह करने जा रहे हैं कि देश की समग्र सम्पत्ति कुछ देशी-विदेशी करोड़पतियों को देने जा रहे हैं। मंत्री जी, इनकी नीयत का मामला नहीं है, देशी और विदेशी करोड़पतियों के हुक्म पर यह काम कर रहे हैं। यह अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के हुक्म पर यह काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि भारत में बहुत सी गड़बड़ियां हैं मगर भारत में एक ताकत भी है कि मुसीबतों का मुकाबला यह देश करता आया है और आगे भी करेगा।

इसलिए मैं समझता हूं कि इसका विरोध करना हम सबों का कर्तव्य है और हम उस कर्तव्य का निर्वहन करेंगे ताकि यह आवाज बाहर जाएं और हम इसका मुकाबला करें।

|अनुवाद|

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

श्री बसुदेव आचार्य : हम मत-विभाजन चाहते हैं।

सभापति महोदय : दीर्घायां खाली कर दी जाएं।

अब दीर्घायें खाली कर दी गई हैं।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, आज का दिवस काला दिवस है क्योंकि वे काला विधेयक पारित कर रहे हैं। हम यहां नहीं बैठ सकते। इसलिए, इसके विरोध्ण में, हम बाहर जा रहे हैं।

8.34 म.प.

इस समय श्री बसुदेव, आचार्य और कुछ अन्य सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

20.34 म.प.

मतदान संख्या 11 पक्ष में

अकबर पाशा, श्री बी०
अडईकलराज, श्री एल०
अन्बारासु, श्री इरा
अयूब खां, श्री
अरूणाचलम, श्री एम०
असं, श्रीमती चन्द्रप्रभा
अहमद, श्री कमालुद्दीन
इन्द्रजीत, श्री
इस्लाम, श्री
उपाध्याय, श्री स्वरुप
उम्ब्रे, श्री लाईता
खांडियार, श्री चनैया
करेद्दुला, श्रीमती कमला कुमारी
काम्बले, श्री अरविन्द तुलशीराम
कालियापेरूमल श्री पी०पी०
काले, श्री शंकर राव दे०
कासु, श्री वेंकट कृष्ण रेड्डी
कुड्डुमुला, कुमारी पद्म श्री
कुप्पुस्वामी, श्री सी०के०
कुरियन प्रो० पी०जे०
कुली, श्री बालिन
कृष्ण कुमार, श्री एस०
कृष्ण स्वामी, श्री एम०
कंवल सिंह, श्री
केनिथी, डा० श्री विश्वानाथम
कोताला, श्री रामकृष्ण
कौल, श्रीमती शीला
खां, श्री असलम शेर (बेतुल)
खुर्शीद, श्री सलमान
गंगोई, श्री तरूण
गजपति, श्री गोपी नाथ
गहलौत, श्री अशोक
गायकवाड़, श्री उदय सिंह राव
गालिब, श्री गुरू चरण सिंह
मावीत, श्री माणिकराव होडल्या
गुंडेवार, श्री विलासराव नागनाथराव
गुडाडिन्नी, श्री बी०के०
घाटोवार, श्री पवन सिंह
चन्द्र शेखर, श्रीमती मारगथम
चन्द्रकार, श्री चन्दूलाल
चार्ल्स, श्री ए०
चालिहा, श्री किरिप
चावड़ा, श्री ईश्वरभाई खोडाभाई
चेन्नितला, श्री रमेश
चौधरी, श्री कमल
चौधरी, डा० के०वी० आर
चौधरी, श्री नारायण सिंह
चौधरी, श्रीमती संतोष
चौरे, श्री बापू हरि
जगबीर सिंह, श्री
जांगड़े, श्री खेलत राम
जाफर शरीफ, श्री सी०के०
जावाली, डा० बी०जी०
जीवरत्नम, श्री आर०
झिकराम, श्री मोहनलाल
टिंडिवनाम, श्री के० राममूर्ति

टोपे, श्री अंकुशराव
डेनिस, श्री एन०
डेका, श्री प्रबीन
तंगकाबालु, श्री के०वी०
तारा सिंह, श्री
तोपनो, कुमारी फ्रिडा
थामस, श्री पी०सी०
थुंगन, श्री पी०के०
थोरात, श्री संदीपन भगवान
दलबीर सिंह, श्री
दास, श्री अनादि चरण
दिघे, श्री शरद
दीवान, श्री पवन
देव, श्री संतोष मोहन
देशमुख, श्री अशोक आनन्दराव
नंदी, श्री येल्लैया
नवले, श्री विदुरा बिठोबा
नायक, श्री ए०वेंकटेश
नायक, श्री मृत्युंजय
नायक, श्री सुबास चन्द्र
नायक श्री डी०के०
न्यामगौड, श्री सिददप्पा भीमप्पा
पटनायक, श्री शरत चन्द्र
पटेल, श्री उत्तमभाई हारजीभाई
पटेल, श्री प्रफुल
पटेल, श्री हरिलाल ननजी
डा० श्रीमती पद्मा
पवार, डा० बसंत
पाटील, श्री उत्तमराव देवराव
पाटील, श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह
पाटील, श्रीमती सूर्यकान्ता
पाणिग्रही, श्री श्रीबल्लभ
पायलट, श्री राजेश
पेरूमान, डा० पी० वल्लल
पोतदुखे, श्री शांताराम
प्रधानी, श्री के०
फर्नान्डीज, श्री ओस्कार
बंसल, श्री पवन कुमार
बनर्जी, कुमारी ममता
बीरबल, श्री
ब्रहमो चौधरी, श्री सत्येन्द्रनाथ
भक्त, श्री मनोरंजन
भगत, श्री विश्वेश्वर
भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल
भूरिया, श्री दिलीप सिंह
भोंसले, श्री तेजसिंह राव,
भोंसले, श्री प्रतापराव बी०
भोई, डा० कृपासिन्धु
मनफूल सिंह, श्री
मरबनि आंग, श्री पीटर जी०
मलिक, श्री धर्मपाल सिंह
मल्लू, डा० आर०
माथुर, श्री शिव चरण
मुजाहिद, श्री बी० एम०
मुत्तेमवार, श्री विलास
मुनियप्पा, श्री के० एच०
मुरलीधरन, श्री के०
मुर्ति, श्री एम० वी० चन्द्रशेखर

मेघे, श्री दत्ता

यादव, श्री राम कृपाल

यादव, श्री सूर्यनारायण

रथा, श्री राम चन्द्र

राजेश्वरन, डा० वी०

रजेश्वरी, श्रीमती बासवा

राठवा, श्री एन०जे०

रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली

रामबदन, श्री

राम बाबू, श्री ए०जी० एस०

राय, श्री कल्पनाथ

राय, श्री रामनिहोर

राव, श्री वी० कृष्ण

राही, श्री राम लाल

रेड्डी, श्री आर० सुरेन्द्र

रेड्डी, श्री जी० गंगा

रेड्डी, श्री मगुन्टा

रेड्डी, श्री एम०जी०

लक्ष्मण, प्रो० सावित्री

वर्मा, कु० विमला

वासनिक, श्री मुकुल बालकृष्ण

विजयराघवन, श्री वी०एस०

शर्मा, कैप्टन, सतीश कुमार

शर्मा, श्री चिरंजी लाल

शैलजा, कुमारी

सईद, श्री पी०एम०

सज्जन कुमार, श्री

मानीपल्ली, श्री गंगाधरा

साय, श्री ए० प्रताप

सिंगला, श्री संतराम

सिल्वेरा, डा० सी०

सिंह, श्री मोती लाल

सिंह देव, श्री के०पी०

सुखबंस कौर, श्रीमती

सुन्दराज, श्री एन०

सुरेश, श्री कोड्डीकुनील

सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त

सोडी, श्री मनकूराम

स्वामी, श्री जी० वेंकट

हुड्डा, श्री भपेन्द्र सिंह

हान्डिक, श्री विजय कृष्ण

मतदान संख्या 11 विपक्ष में

अजलोज, श्री थाइल जान

आचार्य, श्री बसुदेव

खा, श्री सुखेन्दु

गोपालन, श्रीमती सुशीला

चक्रवर्ती, प्रो० सुशान्त

चटर्जी, श्री निर्मल कान्ति

चौधरी, श्री सैफुद्दीन

जायनल अबेदिन, श्री

जैना, श्री श्रीकान्त

झा, श्री भोगेन्द्र

डोम, डा० राम चन्द्र

तेजनारायण सिंह, श्री

दास, श्री जितेन्द्र नाथ

पाल, श्री रुपचन्द

प्रमाणिक, श्री राधिका रंजन

बर्मन, श्री उद्धव

वर्मन, श्री पलास

बसु, श्री अनिल

बाला, डा० असीम

बालयोगी, श्री जी०एम०सी०

भट्टाचार्य, श्रीमती मालिनी

मलिक, श्री पूर्ण चन्द्र

मुखर्जी, श्री सुब्रत

मुखोपाध्याय, श्री अजय

मोल्लाह, श्री हन्नान

यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद

यादव, श्री राम कृपाल

राम, श्री प्रेमचन्द्र

राय डा० सुधीर

राय, श्री हाराधन

राय चौधरी, श्री सुदर्शन

राव, श्री डी० वेंकटश्वर

रेड्डी, श्री बी०एन०

लालजान, वशा, श्री एस०ए०

वाड्डे, श्री शोभनाद्रीश्वर, राव

शिव रामन, श्री एस०

हुसैन, श्री सैयद मसूदल (मुर्शिदाबाद)

सभापति महोदय : * शुद्धि के अध्यधीन, मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में : 156

विपक्ष में : 37

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सभापति महोदय : क्या हम अगली मद को लें?

कई माननीय सदस्य : जी नहीं।

सभापति महोदय : सभा कल 11 बजे म. पू. पर पुन समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

8.35 म.प.

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 18 मार्च, 1994' 27 फाल्गुन, 1915 (शाक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

* निम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान किया :

पक्ष में : सर्व श्री बी. शंकरानंद, पी.वी. रंगयइया नायडू, एम.ओ.एच. फारूक, डी.बी. शिगडा, के.टी वान्डायार

विपक्ष में : प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु

पी० एल० एस०—48/29/15/94 (एन०)
250

© 1994 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों (सातवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और प्रबन्धक, सनलाईट प्रिंटर्स,
2265 डा० सेन मार्ग, दिल्ली-11006 द्वारा मुद्रित ।